Punjab Vidhan Sabha Debates

1st April, 1958

VOL. I—NO. 31

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Tuesday, 1*st* *April,* 1958

CHANDIGARH:

Printed by the Controller, Printing and Stationery, Punjab,
1959.

Price Re : Rs. 3.00 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE VOL. I, NO. 31, DATED THE 1ST APRIL, 1958.

Read	*for*	*on page*	*line*
Rs.	s.	(31)2	23
दूसरे	दूस`	(31)9	7
देने	`ने	(31)11	6th from below
श्री इन्दर सिंह	श्री इन सिंह	(31)12	3
बी	ही	(31)13	1
ज़ेरे	ज़े`	(31)20	15
referred	refferrd	(31)20	19
करेगी	क`गी	(31)28	20
the	tbe	(31)29	28
हमारे	हमा`	(31)38	23rd and las
माडी	मीडी	(31)43	10th from below
taxation	taxattion	(31)45	7th from below
मेरे	मे`	(31)64,70	24,5
करे	क`	(31)65	4
देना	`ना	(31)65	6
हमारे	हमा`	(31)65,67	11,16
करने	कर`	(31)74	21
पढ़ने	पढ़`	(31)74	3rd from below
ग़रीब	ग़ ीब	(31)75	18
देखने	देख`	(31)77	18
पुरी साहिब	पुरा साहिब	(31)79	22

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 1st April, 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital, at 2 p.m. of the Clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION NO. 1608*

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Hamira Sugar Mill ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ debentures ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ?

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ exact date ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਤਨੀ valuation ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ, separate notice ਦਿਉ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ off hand ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਜਿਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਉਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ Mill ਸਾਡਾ ਅਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

मंत्री: इस के मुतअल्लिक आगे भी कई दफ़ा सवाल आए और जवाब दिए जा चुके हैं उनको repeat करने की मैं ज़रूरत महसूस नहीं करता ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ 1,29,306.76 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ?

Note—St. Q. No. 1608 along with its reply appears in the debate dated 31 March 1958.

मंत्री : Supplementaries में cross-examine करना तो, स्पीकर साहिब, admissible नहीं होता है । जो interest due था उस में से जितने की payment हो गई है वह मैं ने अर्ज़ कर दिया है। अगर मैंबर साहिब दुबारा detail जानना चाहते हैं तो मैं फिर बता देता हूं; उस से अंदाज़ा लगा लें। इस लिये मैं फिर details बता देता हूं ताकि ग़लतफहमी दूर हो जाए। वह यह है.......

अध्यक्ष महोदय : आप इस को छोड़ें। यह गलतफहमी दूर नहीं होगी। (हंसी) (Please leave it. This misunderstanding will not be removed.) (*Laughter*)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मेरा point of order यह है कि वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि supplementaries में cross-examine होना admissible नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई वज़ीर साहिब cross-examine किये जा रहे थे और आप इस की इजाज़त दे रहे थे? . . . (*noise and interruptions*) मैं आप का इस बात पर ruling चाहता हूं कि क्या वाकई मैंबर साहिब वज़ीर साहिब को cross-examine कर रहे थे और इस के करने की आप ने इजाज़त दे दी थी क्योंकि यह तो आप पर भी reflect कर रहे थे कि मैंबर साहिब cross-examine कर रहे हैं और आप इस की इजाज़त दे रहे हैं। (*noise*)

अध्यक्ष महोदय (वित्त मंत्री से) : Supplementary questions cross-examination की नौइयत के ही होते हैं। (*To the Minister for Finance*) (Asking of supplementary questions is analogous to cross-examination.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ s. 1,29,306.76 ਵਸੂਲ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ 31-12-57 ਤਕ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰਕਮ 31-12-54 ਤੇ 31-12-55 ਤਕ ਵਸੂਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵਖਰੀ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ actual amount ਹੈ ਜੋ ਬਤੌਰ loan ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ Hamira Sugar Mill close ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ legal position ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ examine ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ recovery ਦੀ procedure ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ instalment ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ due ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह पूछा नहीं गया है । (This information has not been asked for in the question.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ examine ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ due date ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ?

मंत्री : Debentures का जो procedure होता है वह मैं सारा बताने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। परन्तु इस में जो interest due होता है उसकी payment सालाना होती है। Interest जो अब बकाया है उस के बारे मैंने अर्ज़ कर दिया है कि इतना है जो original amount है उस के लिए भी legal advice ले ली है कि हम उस को recover करने में हक बजानब हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जब वह mill बंद हो चुकी और गवर्नमैण्ट को legal advice भी यह मिली कि वसूली हो सकती है तो क्या गवर्नमैंट ने उस mill के assets को काबू कर लिया है ?

मंत्री : नहीं जी। मैं ने कहा है इस के लिए notice वगैरह देने का एक procedure होता है जो follow करना ज़रूरी है। उस के मुताबिक गवर्नमैंट proceed करेगी।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट ने इस मामला में notice वगैरह दे दिया है और क्या आप ने यह तसल्ली कर ली है कि वसूली के इमकानात हैं ?

मंत्री : दरअसल debentures जो होते हैं उन का trustee होता है और वह notice trustee की तरफ़ से जारी होना होता है, गवर्नमैंट की तरफ़ से नहीं।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि हम ने जो 20 लाख रुपया दिया उस से जो मशीनरी खरीदी गई उस की कीमत डबल यानी 40 लाख हो गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस की उस वक्त 20 लाख कीमत थी ?

मंत्री : मैं ने double नहीं कहा है, शायद सुनने में ग़लती लगी है। (हंसी)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैं पूछना चाहता हूं कि जो रकम आप ने दी है उस की उतनी ही ज़मानत भी ली है और क्या उतनी रकम की मशीनरी है भी या नहीं ?

मंत्री : इस वक्त की evaluation के बारे तो मैं अर्ज़ नहीं कर सकता; हां, जिस वक्त यह debentures खरीदे गए उस वक्त लाज़मी तौर पर तसल्ली कर ली गई होगी ।

श्री राम प्यारा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि जिन शर्तों पर रुपया दिया गया क्या रुपया देने के के बाद उन पर अमल दरामद हो रहा है ?

Mr. Speaker ; This he has already replied.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि जो debentures गवर्नमैंट ने खरीद किए तो क्या गवर्नमैंट के इस के अन्दर shares हैं ?

मंत्री : नहीं जी। Shares नहीं थे; debentures खरीदे गए, rather issue किए गए ।

पंडित श्री राम शर्मा : गवर्नमैंट को इन debentures के खरीद करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी ?

मंत्री : मैंने original reply में भी अर्ज़ कर दिया था कि यहां एक sugar mill थी और चूंकि उस को यहां से remove कर दिया गया इस लिये गवर्नमैंट ने यह मुनासिब समझा कि यहां sugar industry को revive किया जाए और इसी लिए यह issue किए गए ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने जवाब देते हुए बताया था कि तसल्ली कर ली होगी उस वक्त । मैं यह definite बात पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई तसल्ली कर ली गई थी और वह किस अफसर ने की थी कि गवर्नमैंट जो रुपया दे रही है उस को कोई खतरा नहीं है ?

मंत्री : इन details के लिए notice दें ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह debentures कितने सालों के लिये खरीद किए गए ?

मंत्री : इस वक्त तो नहीं बता सकता ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : सपीकर साहिब, यह बड़ा ज़रूरी सवाल है और मुझे शक है कि फिर debentures खरीदे जाएंगे; कभी पंचशील society के नाम पर, कभी किसी और नाम पर....... (*noise and interruptions*)

मंत्री : इस के मुतअल्लिक तो आप ही कहते रहे हैं और उलाहना मुझे देते हैं। *Noise and interruptions*)

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : क्या इन debentures की मियाद खत्म हो गई है या नहीं ?

मंत्री : मेरा ख्याल है कि अभी नहीं ।

IRON AND STEEL QUOTA-HOLDERS IN DISTRICT KANGRA

***2076. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Finance be pleased to state the number and names of the present quota-holders of iron and steel in district Kangra with the quantity being allotted in each case ?

Shri Mohan Lal : There are two iron and steel quota-holders in Kangra District at present. Their names and allotments made during the quarter January to March, 1958, are as under :—

(i) Messrs Kangra Iron and Steel Goods Manufacturers Association, Kangra .. 6 tons

(ii) Messrs Fancy Steel Metal Workers Co-operative Industrial Society, Kangra .. *Nil.*

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਸ iron and steel ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਕੋਈ definite procedure lay ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਫ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ sweet will ਤੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ?

Mr. Speaker : Only names of the quota-holders have been asked. This question does not arise.

Shri Rup Singh 'Phul' : Sir, may I know whether there is any proposal under the consideration of Government to increase the number of the quota holders in view of the vast area of the district of Kangra ?

मंत्री : इस में मैं ने अर्ज़ किया है कि iron and steel का कोटा कुछ basis पर मिलता है । अगर आप की नज़र में कोई factory या foundry या manufacturing concern हो जिस की justification हो तो उस का ज़रूर विचार किया जायेगा ।

श्री राम प्यारा : क्या ज़िला कांगड़ा से कुछ और आदमियों की applications आई हुई हैं जिन्हों ने कोटा मांगा है ?

मंत्री : मैं off hand कुछ नहीं अर्ज़ कर सकता । Information इकट्ठी करनी होगी, फिर अर्ज़ कर सकूंगा ।

श्री अमर नाथ शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि दूसरी पार्टियों को इस में अलाटमेंट क्यों नहीं की गई ?

मंत्री : इस के मुतअल्लिक पोज़ीशन यह है कि हमारे डीपार्टमेंट की तरफ़ से जो सप्लाई होती है वह रजिस्ट्रार, को-आप्रेटिव सोसाइटीज़ को हम lump sum कर देते हैं । आगे कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ की तरफ़ से जो अलाटमेंट होती है वह पता करना पड़ेगा । इस वक्त मेरे पास information नहीं हैं ।

चौधरी इन्द्र सिंह : Iron and steel के हर साल में कितने कितने कोटा होल्डर्ज़ होते हैं ? मिनिस्टर साहब ने दो फर्मों का नाम लिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस का कोई नम्बर मुकर्रर किया जाता है ?

मंत्री : कांगड़ा ज़िला में कोई नम्बर मुकर्रर नहीं किया गया । मुकर्रर किया भी नहीं जा सकता । जितने manufacturing concerns हों उन को सप्लाई किया जाता है ।

TEXTILE MILLS AT BHATINDA

*2085. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Finance be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to start a Textile Mill at Bhatinda ; if so, when ?

Shri Mohan Lal : *Part I.*—No.

Part II.—Does not arise.

SURCHARGE ON BANJAR LANDS

*2037. **Shri Rala Ram :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the rates of the levy of surcharge on Banjar lands in the State;

(b) whether he has received any representaion to the effect that Banjar lands be exempted from the payment of the said levy; if so, the action, if any, taken thereon ?

Giani Kartar Singh : (a) Surcharge is assessed on the basis of total amount of land revenue being paid by a landowner and not on the basis of class of land.

(b) No.

SHARE OF LAND REVENUE DUE TO PANCHAYATS IN KARNAL DISTRICT

*2094. **Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) whether it is a fact that a part of the share of land revenue which was due to the Panchayats in Karnal District in the year 1956 has not so far been paid ;

(b) whether it is also a fact that the said amount lapsed ; if so, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Grant-in-aid on the basis of 10 per cent land revenue was placed at the disposal of District Panchayat Officers Karnal, at the proper time.

(b) No amount has lapsed.

SWEEPERS IN KARNAL DISTRICT

*2079. **Shri Ram Piara :** Will the Minister for Revenue be pleased to state —

(a) the number of sweepers permanent/temporary, whole-time or part-time in each Municipal Committee in Karnal District at present together with their terms of service ;

(b) the number of sweepers referred to in part (a) above to whom seasonal uniforms have been supplied in each Municipal Committee during the years 1956-57 and 1957-58 ?

Giani Kartar Singh : (a) and (b)—A statement is laid on the Table.

Statement showing the total number of permanent/whole-time and temporary part-time sweepers and the number of sweepers to whom seasonal uniforms were supplied during 1956-57 and 1957-58, by the Municipal Committees of Karnal District

Serial No.	Name of Municipal Committee	*Number of Sweepers*		*Number of sweepers to whom seasonal uniforms supplied*	
		Perma-nent/ Whole-time	Tempo-rary/ Part-time	1956-57	1957-58
1	Radaur ..	2	8	..	..
2	Kaithal ..	78	..	..	..
3	Nilokheri ..	16	..	..	..
4	Thanesar ..	27	..	25	27
5	Panipat ..	128	2	128	128
6	Pundri ..	8	..	..	..
7	Karnal ..	9	148	..	..
8	Shahbad ..	9	32	41	41
9	Ladwa ..	5	24	..	29

All the permanent/whole-time sweepers are governed under the Civil Service Rules like Class IV Government servants. The sweepers of Municipal Committee, Karnal, are governed by the Sweepers' Service Rules.

ENQUIRY AGAINST CANAL OFFICERS OF NARWANA CIRCLE OF BHAKRA CANALS

***773. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether any departmental enquiry is being held against certain Canal Officers of the Narwana Circle of the Bhakra Canals ; if so, since when ;

(b) whether the persons referred to above were given any opportunity of defence in the preliminary stage of the enquiry ;

(c) whether the charges against the officers referred to in part (a) above were examined by their technical superiors ;

(d) whether any departmental enquiries have also been held against the Canal Officers of other circles of the Bhakra Canals ; if so, whether any opportunity of defence was given to these officers in the preliminary stages of their enquiry ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes, departmental enquiries are being held against six officers of Narwana Circle. Against two of them these were started in March, 1957, against one in October, 1957, while against the remaining three in November, 1957.

(b) All of them were interrogated during the investigation and whatever defence they wanted to give was thoroughly looked into.

(c) Yes, in the most important of the cases.

(d) Yes, departmental enquiries against officers/officials posted to the erstwhile Bhakra Main Line Circle are being held. In some of these cases, a preliminary enquiry was made by a Committee of two Chief Engineers during which the officers concerned were given opportunities to reply to the allegations against them. Their replies were duly considered by the Committee in formulating their views.

पंडित श्री राम शर्मा : इस सवाल के पार्ट (बी) में कहा गया है 'whatever defence they wanted to give was thoroughly looked into'. मैं ने पूछा था कि क्या उन को preliminary stage में मौका दिया गया। उस का जवाब सीधा नहीं दिया गया। पार्ट बी में कहा गया है कि interrogate किया गया था और पार्ट (डी) में कहा गया है कि 'opportunities were given to reply to the allegations'. मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह फर्क क्यों है ?

मंत्री : Technically शायद कोई फर्क हो। Interrogation का मतलब आम तौर पर यह होता है कि enquiry officer खुद दरियाफ्त करे। लेकिन पार्ट (d) में यह बताया गया है that enquiry was made by the committee of two officers, इस लिये मैं समझता हूं कि substantially कोई फर्क नहीं पड़ता, लफ्ज़ी तौर पर शायद कोई फर्क हो।

पंडित श्री राम शर्मा : शायद मेरा मतलब आप नहीं समझे। सवाल यह है कि नरवाणा सर्कल में अफसरों के खिलाफ़ enquiry हुई और इसी तरह से भाखड़ा मेन लाइन सर्कल में भी enquiry हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों जगह पर एक ही तरह का treatment क्यों नहीं हुआ ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि फर्क तो ज़रूर है, लेकिन substantially कोई फर्क नहीं पड़ता।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह फर्क तो ज़रूर है, इस में एक सर्कल के अफसरों के खिलाफ enquiry हुई और उन को मौका नहीं दिया गया और दूसरों को मौका दिया गया कि वे allegations का जवाब दे सकें। वज़ीर साहब बताएं कि आखर यह फर्क क्यों रखा गया जब कि जुर्म भी एक है ?

मंत्री : शायद मेरी कमज़ोरी होगी कि मैं समझा नहीं सका कि इस में substantially कोई फर्क नहीं।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि जैसा कि उन के जवाब से वाज़ेह है कि एक सूरत में तो उसी महकमे में जैसा कि part (b) में लिखा हुआ है 'Whether the persons referred to above were given any opportunity of defence in the preliminary stage of the enquiry' और फिर part (c) में लिखा है 'whether the charges were examined by their technical superiors'. एक case में दोनों बातें हैं—technical superiors हैं और preliminary stage में उन को defence का मौका है, और दूसरे case में नहीं है; मिनिस्टर साहिब की राय में दरअसल फर्क नहीं है या मामूली फर्क है। मेरी राय में ज़बरदस्त फर्क है; it is a matter of opinion । मैं दरियाफ्त करना चाहता हूं कि जो कुछ भी फर्क है इस में यकसां uniformity क्यों नहीं अख्तियार की गई।

Mr. Speaker : He has already replied to this question.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : Part (b) ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ preliminary stage ਵਿਚ interrogate ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ interrogation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ suspend ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ suspend ਕਰਕੇ interrogation ਕੀਤੀ ਗਈ ?

मंत्री : इस के लिए नोटिस की जरूरत है।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਆਇਆ suspension ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ case ਨੂੰ defend ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए separate notice चाहिए। (The hon. Member may give a separate notice for this question.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि यह preliminary enquiry जो technical superiors से होती है किस के order से होती है ? क्या कोई enquiry officer मुकर्रर हुआ है ?

Minister : I am sorry ; I have not been able to follow.

पंडित श्री राम शर्मा : एक case में technical superiors ने examine किया और preliminary stage में enquiry हुई, एक में नहीं हुई। क्या यह enquiry officer के अख्तियार में है कि किसी को खुद interrogate किया और दूसरों के लिये superior officer मुकर्रर कर दिया ?

Minister : I cannot say definitely. I think it must be under the orders of the Government.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि एक case में गवर्नमेंट ने order क्यों कर दिया और दूसरे में क्यों नहीं किया ?

मंत्री : हर एक case अपने अपने merit पर consider होता है । Merits के लिहाज से order हो जाता है ।

पंडितश्री राम शर्मा : वह merit क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस के लिये separate notice दें । (The hon. Member may please give a separate notice for this question.)

पंडित श्री राम शर्मा : यह serious मामला है । Corruptions के अंदर discrimination चल रही है ।

Mr. Speaker : It is a question on which no definite answer is coming.

SCHEMES FOR CHECKING OF WATERLOGGING IN THE STATE

***1320. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the extent to which his assurance in the Vidhan Sabha during the last Budget Session regarding treating waterlogging problem in the State at war level has been implemented ;

(b) whether any scheme for checking waterlogging in the State has been prepared ; if so, the details of the amount earmarked, districtwise, for this purpose ;

(c) the actual progress made in checking water-logging, district-wise, and the amount spent thereon so far during the current year ;

(d) whether any districts have not so far been included in the scheme referred to in part (b) above ; if so, their names together with the reasons thereof ?

Sardar Gian Singh Rarewala : Reply is placed on the Table of the House.

(a) An Action Committee was set up by the State Government to go into the problem of waterlogging and suggest remedial measures. The Committee has since submitted its report which is under the consideration of Government.

(b) Construction of Flood Control bunds along rivers and the construction of drains for improving the land surface drainage are antiwaterlogging measures which are being implemented at present. The following amounts have been earmarked to be spent, in various districts, during the Second Five-Year Plan on flood control and drainage schemes :—

			Rupees in lacs
1.	Gurdaspur	..	71·4
2.	Amritsar	..	199·0
3.	Jullundur	..	14·1
4.	Hoshiarpur	..	27·0
5.	Ludhiana	..	14·4
6.	Ferozepur	..	70·0
7.	Sangrur	..	62·2
8.	Patiala	..	1·29
9.	Kapurthala	..	36·15
10.	Karnal	..	43·17
11.	Rohtak	..	24·68
12.	Gurgaon	..	19·60

(c) Execution of a large number of flood control and drainage schemes is in hand. The approximate expenditure incurred district-wise during the financial year up to the end of January, 1958, is as below :—

			Rupees in lacs
1.	Amritsar District	..	12
2.	Gurdaspur District	..	7
3.	Jullundur District	..	1.5
4.	Ludhiana District	..	1·00
5.	Ferozepur District	..	5
6.	Sangrur District	..	2
7.	Kapurthala District	..	4
8.	Rohtak District	..	2
9.	Karnal District	..	2

(d) The construction of flood control and drainage schemes is being taken up in all the districts of the State.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : इस में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ यह बात है कि 11 वर्ष से कोई estimate मंजूर नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : आप ने ही जवाब दे दिया है । (The hon. Member has himself given the reply.)

ACQUISITION OF LAND FOR GANAUR AND SAMALKA RAJBAHAS

***2093. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether any area of land was acquired by Government for the construction of Ganaur and Samalka Rajbahas (canal distributaries) more than two years ago ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, whether the owners of the said land have been paid any compensation ; if not, the reasons therefor and the time by which they are likely to be paid ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

(b) No compensation has been paid so far. Responsibility for delay is being fixed. It will take about a year to make payment for compensation.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि मुआवज़ा देने में ordinary procedure के मुताबिक कितना time Government के ख्याल में मुनासिब है ?

मंत्री : मुनासिब का सवाल नहीं। इस के लिये Land Acquisition Act में procedure है। उस के मुताबिक time दिया जाता है।

पंडित श्री राम शर्मा : जो गवर्नमैण्ट का procedure है उस के मुताबिक कितना time दिया जाता है--क्या महीना दो महीने लगते हैं या 10, 20 साल लग जाते हैं

अध्यक्ष महोदय : हर एक case में अपना अपना होता है। (It depends upon each individual case.)

श्री इन्द्र सिंह : जनाब, इस सवाल में गवर्नमैण्ट ने तसलीम किया है कि ज़मीन को acquire किये हुए दो साल हो गये हैं। Part (b) में responsibility fix की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह responsibility कब तक fix होगी?

मंत्री : इस में देर नहीं लगेगी। जल्दी से जल्दी fix करना चाहते हैं।

श्री इन्द्र सिंह : जब दो साल में responsibility fix नहीं हुई तो कितना अर्सा और लगेगा? अंदाज़े से बताया जाये कि क्या दो चार साल लग जायेंगे?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि जल्दी हो जायेगी (He has stated that it will be done soon.)

पंडित श्री राम शर्मा : कौन से महकमे की यह खूबी है जिस का ज़िक्र चल रहा है? (*Laughter*)

PROJECTS FOR ELECTRIFYING VILLAGES IN GURDASPUR DISTRICT

***2119. Sardar Harbans Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) the number of Projects, if any, proposed to be started during the year 1957-58 for electrifying villages in Gurdaspur District and the number of villages likely to be electrified separately ;

(b) whether villages Dhitsa, Waraich, Ghuman Kalan, Ghuman Khurd, Gadrian, Bhangwan, etc., of the district are also included in any of the Projects referred to in part (a) above ; if so, the time by which they are expected to be electrified ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Six Electric Supply Projects in Gurdaspur District are under execution during the year 1957-58 and sixteen villages have been electrified during this year.

(b) The villages of Waraich, Ghuman Kalan, Gadrian and Bhangwan are included in the revised Dera Baba Nanak Project and will be electrified by December, 1958. The electrification of the villages of Dhitsa and Ghuman Khurd is not covered by the already sanctioned Projects.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ Dhitsa ਜਿਹੜਾ Ghuman Kalan ਤੇ Waraich ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ Ghuman Khurd ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਜੋ ਭੰਗਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल नहीं बनता। (This is not a supplementary question.)

Please ask why the adjoining villages within half a mile are not being considered.

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ? ਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ project ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ alternatively.

मंत्री : दरियाफ्त कर के बता सकता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗੇਗੀ ?

CASE OF CORRUPTION IN GOVERNMENT HIGH SCHOOL, KARNAL

***774. Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Education and Labour be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Shri Verma, a teacher of the Government High School, Karnal, brought to the notice of Government a case of corruption and embezzlement in the said High School ; if so, the action, if any, taken by Government in the matter ;

(b) whether the said teacher has been transferred to Jhajjar, inspite of his representation ; if so, the reasons therefor ?

Rao Birendar Singh : (a) Some allegations were made by Shri R. Verma into the affairs of the Government High School, Karnal. These were looked into and it was found that some members of the school staff did not credit to Government treasury the share of remuneration which they ought to have done under the rules for doing work in connection with University Examinations. Besides, some members of the school staff had made wrong entries in the Attendance Registers while working in examinations. All these teachers have been asked to deposit the Government share of money and the Head master of the school has been warned to check up the school Attendance Registers in future.

(b) The transfer of the teacher has been made on administrative grounds.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि यह जो corruption और embezzlment की शिकायतें आई इन की तफ़सील क्या है ?

मंत्री : इस केस में न corruption हुई है और न embezzlement हुई है।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि जो allegations श्री वर्मा ने लगाए उन की तफसील क्या है ?

Mr. Speaker : He has already stated that.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि यह जो शिकायतें हुईं वह सिर्फ attendance के मुतअ्ल्लिक थीं या और भी शिकायतें थीं ?

मंत्री : ज्यादा तफसील तो मुझे मालूम नहीं । जहां तक मुझे इल्म है उस के मुताबिक मैं कह सकता हूं कि शिकायत तो यह थी कि कुछ teachers ने University

[लोक कार्य मंत्री]

Examination में काम किया और उन्होंने अपनी हाज़री सकूल में दिखाई। एक शिकायत Headmaster के खिलाफ़ थी कि उस ने गवर्नमैंट का रुपया जो जमा होना चाहिये था वह जमा न कराया। एक शिकायत यह थी कि सकूल के एहाते में एक दरख्त को काट कर Headmaster ने उस की लकड़ी जला ली। इस किस्म की शिकायतें थी जो teachers ने कीं। Enquiry की गई। Headmaster ने इस से पेश्तर ही Inspector को refer कर दिया था। जब Audit objection हुआ तो पूछा गया कि किस तरीके से रुपया जमा कराना चाहिये। Inspector की तरफ़ से जल्दी जवाब न मिल सका था इस लिये वह रुपया जमा कराने में देरी हुई। Headmaster का कोई कसूर नहीं पाया गया। दूसरी शिकायत जो Headmaster के खिलाफ़ थी वह गलत साबत हुई। Teacher ने Headmaster के खिलाफ़ Chief Minister साहिब को directly अपना designation छुपा कर शिकायत की। यह irregular चीज़ थी। यह Headmaster से झगड़ा चल रहा था। जो शिकायतें कीं उन में कोई खास बात नहीं थी।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि फीस का रुपया वसूल कर के जमा न कराना और Headmaster की तरफ़ से इहाते में से दरख्त का काटा जाना यह शिकायतें एसी हैं कि Government ने समझा कि यह बिल्कुल मानी ही नहीं रखतीं और उस के बावजूद भी Headmaster के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वह कह चुके हैं। (He has already replied to this quest on.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या शिकायत करने वाले के खिलाफ कोई action लिया गया कि उस ने क्यों शिकायत की?

Mr. Speaker : He has already answered this question.

मंत्री : उसे transfer कर दिया गया।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बतलाया जा सकता है कि Government के यह circulars मौजूद हैं या नहीं जिन में यह लिखा है कि अगर कोई आदमी गबन, embezzlement या बेकायदगी करे तो उसे मुआफ न किया जाए?

मंत्री : यह शिकायतें गलत थीं।

श्री इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि सरकार की यह policy है कि अगर Government के notice में corruption के या embezzlement के cases लाए जाएं तो बजाय इस के कि जिन के खिलाफ वे cases हों उन पर कार्रवाई की जाए जो शिकायत करता है उसी के खिलाफ़ action लिया जाए?

Mr. Speaker : No please. The reply is that these allegations were found to be false and the offenders were punished.

श्री इन्द्र सिंह : यह कहा गया है कि Headmaster को warning दी गई । It means these were false cases. तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह policy है कि जिस के खिलाफ़ इलज़ाम लगाया जाए उस को encourage किया जाए ?

अध्यक्ष महोदय : जो accounts जमा करवाने थे, Inspector से पूछा गया audit objection के बारे में बाकी allegations false हैं । (So far as depositing of the money is concerned the Inspector had been asked to advise and regarding the audit objection other allegations were found to be false.)

श्री इन्द्र सिंह : इन्होंने जवाब में फरमाया है कि उस को warning दी गई। सिर्फ़ इतना कुछ किया, चूंकि कुछ allegations false हैं और कुछ ठीक साबत हुईं । As a result thereof he was warned. मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह policy है कि जिस पर corruption के इस किस्म के इलज़ामात लगाए जाएं उस को warning दे कर छोड़ दिया जाए और जो लगाए उस को न छोड़ा जाए ?

मंत्री : सरकार की यह कोई policy नहीं कि कोई शिकायत करे तो उस को सज़ा दी जाए और मुलज़िम को सज़ा न दी जाए । इस case में जो शिकायतें थीं वह ग़लत साबत हुईं । जितना कसूर Headmaster का था उस को कह दिया गया । उस ने वक्त पर teachers का attendance register check नहीं किया; इस तरीके से हाज़री नहीं लगानी चाहिए । दूसरा case यह था कि उस ने दरख्त काट कर जला लिया है; हालांकि हकीकत यह है कि दरख्त को बाकायदा नीलाम किया गया था । जो teacher Headmaster के खिलाफ़ इतनी झूठी शिकायतें करे उस के खिलाफ़ notice लेना चाहिए ।

श्री लाल चन्द : जब इन के notice में यह लाया गया कि फीस जमा नहीं करवाई गई तो क्या P.P. (Public Prosecutor) से मश्विरा लिया गया कि यह मामला इस में आता है या नहीं ?

Mr. Speaker : This question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि teacher की तरफ से जो शिकायतें की गईं वे बहुत सी ग़लत थीं और कुछ सही थीं और सही की बिना पर warning दी गई. तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि कौन २ सी शिकायतें ग़लत साबत हुईं और कौन २ सी सही साबत हुईं जिन की बिना पर Headmaster को warning दी गई ? मैं exactly पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जवाब तो उन्होंने दे दिया है। (He has already answered this question.)

श्री राम प्यारा : कुछ रुपया जमा करवाया गया है । शिकायत करने वाले की शिकायत पर कितना रुपया जमा करवाया गया ?

(No reply)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बतलाया जा सकता है कि तहकीकात किस ने की और जो report थी क्या वह Government ने देखी ?

अध्यक्ष महोदय : बड़ी देर बाद सूझी आप को । (The point has occurred to the hon. Member very late.)

मंत्री : यह Inspector of Schools, अम्बाला Division, ने मौका पर जा कर की ।

पंडित श्री राम शर्मा : जो मौका पर जा कर तहकीकात की गई क्या उस की report Government के notice में आई है ?

मंत्री : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : यह हुई; यही तो जवाब दिया है उन्होंने । The hon. Member may leave it. (The Minister has already replied that investigations were made and a report was sent to the Government.)

INCREASE IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN JHAJJAR AND SONEPAT TEHSILS, DISTRICT ROHTAK

*780. **Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) whether there has been any increase in the agricultural produce in Jhajjar and Sonepat Tehsils, district Rohtak, during the last ten years ; if so, to what extent ;

(b) the progress, if any, made in the Community Project and Development Blocks in tehsil Sonepat under the Grow-More-Food Campaign?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes, the increase is estimated at 53 per cent and 13 per cent in Jhajjar and Sonepat Tehsils, respectively.

(b) The details of increase in three National Extension Service Blocks of tehsil Sonepat is as follows :—

(1)	Sonepat	..	155,822 maunds
(2)	Kharkhauda	..	121,055 maunds
(3)	Ganaur	..	The increase is estimated at 30 per cent

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलाएंगे कि सोनीपत और झज्जर तहसीलों की पैदावार में इतना ज़्यादा फर्क क्यों है । एक जगह 53% पैदावार हुई है और दूसरी जगह 13% इसकी क्या वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਝੱਜਰ ਤਹਿਸੀਲ backward ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ; ਸੋਨੀਪਤ ਅੱਛੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਲੇਕਿਨ ਝੱਜਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਚੂੰਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब कि सोनीपत में पहले आठ नौ बरस से Community Project है और Grow-More-Food Campaign हो रही हो तो इसके बावजूद झज्जर में ज्यादा पैदावार कैसे हो गई है ?

Mr. Speaker : This is only asking for an opinion. The question does not arise.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि Extension Block की कोशिशों के बावजूद पानीपत और रोहतक में इतनी पैदावार क्यों नहीं हुई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਝੱਜਰ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ Grow-More-Food ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजह है कि सोनीपत और झज्जर तहसीलों की पैदावार में इतना फर्क रह गया ?

अध्यक्ष महोदय : और सिलसिले में बता देंगे, इस में नहीं । (The hon. Minister will reply in some other respect, but not in this respect.)

सरदार करतार सिंह दीवाना : अगर आप देहात में जा कर देखें तो पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है development का ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि सोनीपत Community Project में जो 13 प्रतिशत पैदावार में increase हुई वह Community Project और Development Block की वजह से हुई या Grow-More-Food Campaign की वजह से हुई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Grow-More-Food Campaign ਔਰ Community Project ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ।

श्री इन्द्र सिंह : इसमें Community Project और Development Block..........

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इत्तफाक से कह दिया है। आप Community Project और Development Block को क्यों जोड़ते हैं ? (The Minister has said so accidently. Why is the hon. Member confusing Community Project and Development Block ?)

PUBLICATION OF "KHETI BARI"

*1991. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) the language or languages in which the periodical "Kheti Bari" is being published by the Agriculture Department and the number thereof ;

(b) the number of permanent subscribers of the Pamphlet referred to in part (a) above ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Hindi and Punjabi.

Hindi	..	700
Punjabi	..	750

(b) 1,350.

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਦੋਹਾਂ ਦੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ ਮੁਫਤ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ off hand ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ M.L.A.s ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਰਿਸਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 1,450 ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,350 ਇਸ ਦੇ ਗਾਹਕ ਹਨ । ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਰਿਸਾਲੇ ਦੀ ਇਸ਼ਾਇਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

(*No reply*)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' : ਇਹ ਰਿਸਾਲਾ M.L.A.s ਨੂੰ free ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

(ਆਵਾਜ਼ਾਂ : ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।)

POTATOES RESEARCH FARM IN DISTRICT KANGRA

***2077. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) the total area of land under potato cultivation at present in Zail Nagrota, District Kangra ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to set up a Potato Research Farm in the said Zail ; if so, when ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) 602 acres.

(b) No.

श्री अमर नाथ शर्मा : अगर Potatoes Research Farm बनाने की तजवीज़ नहीं है तो सरकार का आलुओं की पैदावार बढ़ाने के लिये क्या साधन अपनाने का विचार है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Research Farm ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ । ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

श्री अमर नाथ शर्मा : वह कौन से साधन हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ supply ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

(*No reply*)

GRAIN MARKET IN BHATINDA

***2083. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Agriculture and Forests be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the erstwhile Pepsu Government sanctioned the construction of a Grain Market near the Civil Station Bhatinda ;

(b) whether it is also a fact that the foundation stone of the said Market was laid by the then Revenue Minister ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative, whether the construction of the Market referred to in part (a) above has so far been started; if not, the reasons therefor ?

Sardar Gurbanta Singh : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) No. Estimates for essential services are under preparation with Public Works Department.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या इस काम के लिये रुपया सरकार ने मन्ज़ूर किया था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह रुपया कब मन्ज़ूर हुआ था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ।

पंडित श्री राम शर्मा : Revenue Minister साहिब ने इस का संगे बुनियाद कब रखा था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ।

पंडित श्री राम शर्मा : Revenue Minister ने संगे बुनियाद किस तारीख को रखा था ? यह मुबारिक काम कब किया था ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

पंडित श्री राम शर्मा : यह मामला कब तक गवर्नमैण्ट के ज़ेरे ग़ौर रहेगा ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।

श्री बलराम दास टंडन : उन से पूछा यह गया था कि—

"If the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether the construction of the market refferrd to in part (a) above has so far been started, if not, the reasons therefor ?"

इन्हों ने reasons नहीं दीं बल्कि यह कहा है कि मामला ज़ेरे ग़ौर है ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਦੀਆਂ reasons ਨਹੀਂ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वह संगे बुनियाद रखा हुआ है या कोई उठा कर ले गया है ?

(No reply)

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਪੈਪਸੂ ਦੇ Ex- Revenue Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ market ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ?

Mr. Speaker : It does not arise.

श्री इंद्र सिंह : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या मामला ज़ेर गौर है ?

Mr. Speaker : (To the Minister) Please give him a reply.

ਮੰਤ੍ਰੀ : Estimate ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਹੈ ।

श्री इंद्र सिंह : कहां के estimates ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Market ਦੇ।

INCOME, ETC., OF PUNJAB ROADWAYS

***1715. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the gross as well as net income at Amritsar, Jullundur, Patiala and Ambala Centres of the Punjab Roadways during the year 1957-58 to-date together with the percentage of profit accrued at each of the said places ;

(b) the number of new buses given to each Centre, referred to above together with the expenditure incurred thereon separately ;

(c) the percentage of expenditure incurred on repairs and maintenance at each Centre during the period referred to in part (a) above ;

(d) whether any employees of the said Roadways of the said Centres were rewarded or given accelerated promotions for their hard work ; if so, their names ?

Rao Birendar Singh : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Name of Centre		*Gross Income*	*Net Income*	Percentage of profit accrued
		From 1st April, 1957 to 31st January, 1958		
		Rs.	Rs.	Per cent
Amritsar	..	44,65,341·50	16,54,435.70	37
Jullundur	..	30,07,239·57	11,06,362.22	36·8
Patiala	..	24,15,167·00	9,17,714.00	38
Ambala	..	44,91,956·56	16,43,192.53	36·6

(The above figures are subject to audit.)

(b) Name of Centre		*Number of new buses given*		Expenditure incurred
		In replacement	For new operation	
				Rs.
Amritsar	..	6	..	2,03,976.00
Jullundur	..	10	..	4,47,212.30
Patiala	..	..	3 *plus* 1 truck	1,47,492.90
Ambala	..	13	14	8,65,500.00

[Minister for Public Works]

(c)	Name of Centre		Percentage of expenditure on repairs and maintenance (from 1st April, 1957 to 31st January, 1958)
			Per cent
	Amritsar	..	11·5
	Jullundur	..	19·6
	Patiala	..	16·8
	Ambala	..	13·5

(d) *Part A.*—Yes. A statement showing names and designations of employees who were rewarded during the year 1957-58 is enclosed.

Part B.—No accelerated promotions have been given.

List showing the names of employees who were rewarded during the year 1957-58

Serial No.	Name of employees		Designation	Nature of reward given
	Amritsar			
1.	Shri Sewa Singh	..	Driver	Rs. 50
2.	Shri Boota Singh	..	Do	Rs. 50
3.	Shri Pran Nath	..	Do	Rs. 50
4.	Shri Pritam Singh	..	Conductor	Rs. 50
5.	Shri Guran Diwaya	..	Do	Rs. 50
6.	Shri Pavittar Singh	..	Do	Rs. 50
7.	Shri Harkishan Chand	..	Mechanic	Rs. 50
8.	Shri Gurdial Singh	..	Fitter	Rs. 50
9.	Shri Kartar Singh	..	Do	Rs. 50
10.	Shri Ranja Ram	..	Cleaner	Rs. 50
11.	Shri Mohinder Singh	..	Inspector	Rs. 50
	Jullundur			
1.	Shri Harbans Lal	..	Conductor	Rs. 50
2.	Shri Chaman Lal	..	Do	Rs. 50
3.	Shri Prithipal Singh	..	Do	Rs. 50

Serial No.	Name of employees	Designation	Nature of reward given
	Jullundur—concld		
4.	Shri Mehar Singh	.. Driver	Rs. 50
5.	Shri Puran Singh	.. Do	Rs. 50
6.	Shri Narinder Singh	.. Do	Rs. 50
7.	Shri Sohan Singh	.. Mechanic	Rs. 50
8.	Shri Mohinder Partap	.. Do	Rs. 50
9.	Shri Faqir Chand	.. Do	Rs. 50
10.	Shri Beant Singh	.. Cleaner	Rs. 50
11.	Shri Satya Pal	.. Inspector	Rs. 50
12.	Shri Jagdish Lal	.. Conductor	Trophy
13.	Shri Amar Nath	.. Driver	Rs. 50
14.	Shri Bachittar Singh	.. Do	Rs. 50
15.	Shri Darshan Singh	.. Do	Rs. 50
16.	Shri Resham Singh	.. Mechanic	Rs. 50
	Patiala		
1.	Shri Nasib Singh	.. Driver	Rs. 15
2.	Shri Mohan Singh	.. Do	Rs. 20
3.	Shri Shankar Singh	.. Do	Rs. 20
4.	Shri Balwant Singh	.. Do	Rs. 20
5.	Shri Harjas Ram	.. Conductor	Rs. 20
6.	Shri Mehash Chand	.. Do	Rs. 20
7.	Shri Ajit Singh Dolt	.. Do	Rs. 15.
8.	Shri Nirmal Singh	.. Do	Rs. 20
9.	Shri Waryam Singh	.. Driver	Rs. 50
10.	Shri Madal Gopal	.. Do	Rs. 10
11.	Shri Mohinder Singh I	.. Do	Wrist Watch
12.	Shri Revail Singh	.. Do	Ditto
13.	Shri Harnam Singh	.. Do	Wrist Watch (Two advance increments)
14.	Shri Harjas Ram	.. Conductor	Warm Blanket
15.	Shri Mehar Chand	.. Do	Ditto

[Minister for Public Works]

Serial No.	Name of employees	Designation	Nature of reward given
	Patiala—concld		
16.	Shri Ram Sarup	.. Conductor	Warm Blanket
17.	Shri Shadi Lal	.. Fitter	Wrist Watch
18.	Shri Amarjit Singh	.. Do	Ditto
19.	Shri Dyal Singh	.. Blacksmith	Ditto
20.	Shri Gopi Ram	.. Inspector	Rs. 50
21.	Shri Hari Singh Chahil	.. Driver	One Tea-set, one Stove and one Thermos
	Ambala		
1.	Shri Charanjit Lal	.. Mechanic	Rs. 42
2.	Shri Surat Ram	.. Cleaner	Rs. 42
3.	Shri Ram Lubhaya	.. Inspector	Rs. 78
4.	Shri O.P. Ahluwalia	.. Conductor	Rs. 45
5.	Shri Sant Lal	.. Do	Rs. 45
6.	Shri Krishan Gopal	.. Do	Rs. 57

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : उन्होंने जवाब दिया है कि 'The above figures are subject to audit'. क्या उन को यकीन नहीं है कि वह figures सही हैं ?

Mr. Speaker : No, they say that these figures have not yet been audited.

(*Maulvi Abdul Ghani Dar rose to speak.*)

Mr. Speaker: What is your question?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मेरा सवाल यह है कि कितनी gross income हुई? (विघ्न)

Mr. Speaker : Order please. What is your supplementary question?

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मुख्तलिफ सैंटरों के मुनाफा और अखराजात की percentage मुख्तलिफ है, इस का क्या कारण है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਰ ਇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਕਿਧਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਟੁਟ ਫੁਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार : मैंने पूछा था कि क्या मुलाज़िमों को बीस, पच्चीस रुपया इनाम भी दिया जाता है ? क्या वह बतायेंगे कि जो आदमी अच्छा काम करते हैं उन की नौकरियों को पक्का भी किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप का यह सवाल पैदा नहीं होता। (This supplementary does not arise.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि यह बहुत ज्यादा फ़र्क क्यों हो गया है ? जहां ग्रामदनी ज्यादा है वहां सड़कें पक्की हैं, गाड़ियां भी नई हैं और जहां ग्रामदनी बहुत कम हुई क्या वहां पर यह समझ लिया जाए कि सड़कों और बसों की हालत बिल्कुल reverse है ?

मंत्री : ग्रापने figures देखी मालूम नहीं होतीं। बहुत कम फर्क है—बिल्कुल मामूली सा। इसके लिये वैसे कई factors होते हैं गाड़ियों की हालत passengers के ऊपर भी काफ़ी depend करती है। कहीं services ज्यादा चलती हैं, कहीं कम। इस तरह से बहुत सी बातें होती हैं।

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : ग्रमृतसर की gross income 44,65,341.50 रुपये बताई है और जालन्धर की 30,07,239.57 रुपए। इसके इलावा जहां percentage of expenditure बताया वहां:—

जालन्धर में 19.6 प्रतिशत और
ग्रमृतसर में 11.5 प्रतिशत है।

यह खर्च की percentage करीबन दुगनी हो गई है तो क्या इसका मतलब यह लिया जाए कि जालन्धर की सड़कें खराब हैं और ग्रमृतसर की ग्रच्छी हैं ?

Mr. Speaker : No, they say that the figures have not yet been audited.

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : मैं ग्रर्ज़ कर रहा था कि जालन्धर की percentage of expenditure 19.6 है और ग्रमृतसर की 11.5.

Mr. Speaker : You should see the percentages given in the last column.

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : वह तो percentage of profit है। I am asking regarding the percentage of expenditure as given in part (c). इसके ग्रन्दर, जनाब, देखें तो इस में लिखा है......

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप देखें gross income, net income और the percentages of profit, as given in the last column, are 37 per cent 36·8 per cent, 38 per cent and 36·6 per cent.

मौलवी ग्रब्दुल ग़नी डार : जनाब, मैं तो यह पूछना चाहता था कि जो percentage of expenditure ग्रमृतसर और जालन्धर की दी गई है, इस में इतना ज्यादा फर्क क्यों है ?

मंत्री : मैं ने ग्रर्ज़ किया है कि टूट फूट काफी हो जाती है, और भी बहुत सी बातें हैं जिन की details मैं off hand कैसे बता सकता हूं ? हर एक गाड़ी का अलग अलग हिसाब किताब होता है। सैंकड़ों गाड़ियां चलती हैं। कितनी बार उन की repairs होती हैं। इस लिये यह सब कुछ इस वक्त कैसे बताया जा सकता है ?

NATIONALIZATION OF TRANSPORT

***1716. Maulvi Abdul Ghani Dar :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) the percentage of nationalization of road transport in the State completed by 31st January, 1958, together with the time by which the rest is proposed to be completed ;

(b) whether any agreement with regard to nationalisation has been concluded between the Government and private operators ; if so, when together with the action so far taken thereon ?

Rao Birendar Singh : (a) There has been no nationalization of transport in the Punjab since 1950 in the sense that no private operator has been dispossessed of his business. However, State is participating in road transport operation, and the State services are at present operating on about 33 per cent of the total mileage. A scheme for sharing road transport operation with private operators on 50 per cent basis is under consideration of the Government.

(b) Yes. During 1957 an agreement with private operators was arrived at and it was duly published in the official gazette as required under section 68(c) of the Motor Vehicles Act. It will be finalized after consideration of objections.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 50 : 50 basis ਤੇ ਜਦ route ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ private operators, private individuals ਔਰ ਹਰੀਜਨ Co-operative Sccieties ਨੂੰ ਵੀ permit ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ?

Mr. Speaker : This is altogether a separate question. It does not arise out of the present one.

CONSTRUCTION OF BRIDGES ACROSS THE NUGAT KHAD IN KANGRA DISTRICT

***2078. Shri Amar Nath Sharma :** Will the Minister for Public Works be pleased to state —

(a) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct any bridges across the Nugat Khad from village Paror to Balakrupi in district Kangra ; if so, the names of places where these are likely to be constructed ;

(b) the time by which the construction work on the bridges referred to in part (a) above is expected to be started ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes. Near Nigal and near Balakrupi.

(b) The work will be taken up during the Second Plan period.

CO-OPERATIVE GINNING MILLS IN THE STATE

***2084. Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to set up any Co-operative Ginning Mills in the State for purchasing cotton direct from the Kisans ; if so, the names of places where these are likely to be located ?

Rao Birendar Singh : In the 2nd Five-Year Plan, there is a scheme to organize Marketing Co-operative Societies, which will undertake processing activities and will purchase cotton direct from the Kisans. It has not yet been decided where to form such Societies and the names of places where these Societies will be located cannot, therefore, be given. It is presumed that the Societies will be formed wherever there is a demand for the same.

2. At present there are seven such Societies in the State, the list of which is laid on the Table of the House.

List of names and locations of Co-operative Marketing-cum-Processing (Ginning and Processing) Societies in the State

1. The Bucho Mandi Co-operative Marketing-cum-Processing (Ginning and Processing) Society, Limited, district Ferozepur.
2. The Abohar Co-operative Cotton and Ginning Society, Limited, Abohar, district Ferozepur.
3. The Mullanpur Co-operative Ginning, Processing and General Mills, Limited, Mullanpur, district Ludhiana.
4. The Banga Co-operative Cotton and General Mills, Limited, Banga, district Jullundur.
5. The Moga Co-operative Marketing-cum-Processing Society, Limited, Moga, district Ferozepur.
6. The Tarn Taran Co-operative Cotton Development and Marketing Society, Limited, Tarn Taran.
7. The Hansi Co-operative Marketing-cum-Processing Society, Limited, Hansi, district Hissar.

COMPLAINTS AGAINST MANAGEMENT OF CO-OPERATIVE SUGAR MILLS, PANIPAT

***2092. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Consolidation and Health be pleased to state whether Government have received any complaints of corruption against the management of the Co-operative Sugar Mills, Panipat; if so, the action, if any, taken by Government in the matter ?

Rao Birendar Singh : (a) Yes.

(b) It is under examination of Government.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बतलाया जा सकता है कि वह शिकायात किस ने की हैं और शिकायात की तफ्सील क्या है ?

मंत्री : शिकायात आई हैं, कोई पांच छ : villagers हैं, चमाड़ा के तहसील पानीपत के; उन के सरपंच की तरफ से ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या शिकायत करते हैं वह ?

मंत्री : सारी तफसील मेरे पास नहीं है ।

श्री राम प्यारा : क्या मिल के डाइरैक्टर के खिलाफ भी कोई शिकायत है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल कैसे पैदा होता है ? (How does this question arise ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या शिकायत कुनन्दगान ने यह demand की है कि यह तहकीकात Anti-Corruption Department से करवाई जाए ?

Mr. Speaker: This is only a suggestion.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि इस के लिये कोई अफसर enquiry करने के वास्ते मुकर्रर किया गया है ?

मंत्री : हां, audit कराया है— Auditor-General ने audit किया है और Chairman Management को enquiry करने के लिये कहा गया है ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : क्या जो audit करवाया है उस की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास पहुंच गई है ?

मंत्री : यह तो मैं इस वक्त कह नहीं सकता ।

श्री राम प्यारा : क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि Chairman enquiry कर रहा है या करने के लिये जाएगा ?

मंत्री : Chairman, Board of Directors enquiry करेगा । कौनसी तारीख रखी है यह मैं नहीं कह सकता । बहरहाल जब उस की enquiry मुकम्मल हो जाएगी तो Government उस पर action लेने की बाबत गौर करेगी ।

श्री राम प्यारा : वह जा चुके हैं या अभी जाना है ?

मंत्री : यही तो मैं ने अर्ज़ किया कि मालूम नहीं ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि जब सारी management के खिलाफ शिकायात हैं तो बजाए Chairman of the same management के Anti-Corruption Department से enquiry करवाने में गवर्नमेंट को क्या एतराज़ है ?

मंत्री : गवर्नमेंट ने ज़रूरत नहीं समझी ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछता हूं कि यह enquiry गवर्नमेंट को Anti-Corruption Department से कराने में क्या एतराज़ है ?

मंत्री : यह कोई definite demand नहीं कि enquiry Anti-Corruption Department से ही करवाई जाए । हमने–गवर्नमेंट ने Board of Directors के Chairman पर भरोसा करके ही उस को enquiry के लिए depute किया है । बहरहाल अगर शिकायत करने वाले कहें भी तो ज़रूरी नहीं कि उन की मर्जी के मुताबिक

ही किसी खास आदमी से enquiry कराई जाए। हमने enquiry order की है और जब उस की report आ जाएगी तो गवर्नमेंट उस पर action लेगी।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहब ने तसल्ली कर ली है कि जो दरखास्त दी गई उस के अन्दर यह मांग नहीं की गई कि enquiry Anti-Corruption Department की मार्फत कराई जाए ?

Mr. Speaker : The question hour is over.

ADJOURNMENT MOTION

अध्यक्ष महोदय : यह एक adjournment motion है जो पंडित श्री राम शर्मा, चौधरी धर्म सिंह राठी और श्री मुनी लाल की तरफ से आई है। (There is an adjournment motion given notice of by Pandit Shri Ram Sharma, Chaudhri Dharam Singh Rathi and Shri Muni Lal.)

3 p.m.

"to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the increasing volume of public opinion as reflected in the Punjab Press against the proposed construction of the new Punjab Assembly Chamber in Chandigarh, the foundation-stone of which is to be laid by the Prime Minister of India, on 3rd April, 1958".

बात यह है कि इस हाउस में बजट आया। बजट पर बहिस चली। फिर दो तीन दिन हुए हैं आप ने उस का Appropriation Bill मंज़ूर किया और इस पर हाउस अपनी राये भी दे चुका है।

दूसरी बात यह है कि Press comments को discussion के लिये कैसे रखें. . . (पंडित श्री राम शर्मा : Press comments नहीं।) वास्तव में Press comments तो बहुत होते रहते हैं। पहले अकाली मोर्चे पर होते रहे थे; फिर हिन्दी रक्षा आन्दोलन पर होते रहे हैं। लेकिन उन पर यहां discussion कभी नहीं की गई।

फिर यह मसला कोई recent नहीं है कि इस बारे में हाउस में discussion हो। इस के लिये President साहिब ने 28 जनवरी का दिन मुकर्रर किया था। इस लिये यह recent नहीं है। यह तो लम्बी बात है। (The thing is that tbe Budget Estimates came before the House and were discussed at great length. Then only two or three days ago the Appropriation Bill was passed and the House gave its decision on it.

Secondly how could the Press comments be brought under discussion...... As a matter of fact such comments very often appear in the Press. Previously these comments were given on the Akali Morcha and then the same on Hindi Agitation but no discussion ever took place on these matters.

Then this matter is not of recent occurrence that it should require any discussion on it. The President of India had fixed the 28th of January, 1958, for this purpose, hence it is not a matter of recent occurrence but is an old affair.)

पंडित श्री राम शर्मा : एक बात इस बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि यह किसी Press के comments के मुतअल्लिक नहीं। यह तो Press में लोगों की opinion के लिये है।

Mr. Speaker : The Press comments cannot be the subject-matter of an adjournment motion. then this matter is not of urgent public importance. The Press comments cannot be the subject-matter of an adjournment Motion. If the new Assembly Chamber is not constructed, the amount allocated for its construction, would go back to the Centre and it would not be placed at our disposal for being utilized for other purposes.

Pandit Shri Ram Sharma : Sir, I do not refer to any Press statement

Mr. Speaker : "As reflected in the Punjab Press......".

पंडित श्री राम शर्मा : इस में किसी Press comment का ज़िक्र नहीं है। इस में तो public opinion का ज़िक्र है।

Mr. Speaker : " a definite matter of urgent public importance, namely the increasing volume of public opinion......

Pandit Shri Ram Sharma : This is the only thing.

Mr. Speaker : "public opinion as reflected in the Punjab Press".

यह मामला बजट पर discussion के दौरान काफी discuss हो चुका है और इस के लिये मैम्बर साहिबान को full opportunities थीं और इस पर हाउस की राय भी आ चुकी है। Therefore, I am sorry, I cannot allow it. (Thismatter has been sufficiently discussed during the course of general discussion on the Budget The hon. Members were given ample opportunity and the House has already given its opinion on it. Therefore, I am sorry, I cannot allow it.

पंडित श्री राम शर्मा : अगर गवर्नमेंट अब भी बाज़ आ जाये तो ठीक बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह बाज़ आने वाली नहीं है। (This Government is not going to desist from it.)

योजना मंत्री : स्पीकर साहिब, कितनी दफा इस पर बहिस हो चुकी है। यहां पर बजट आया, demands आईं; लेकिन किसी मैम्बर साहिब ने इस पर objection नहीं उठाया। फिर Appropriation Bill आया, तब भी किसी ने इस पर objection नहीं किया। अब यह कैसे हो सकता है ?

SITTING OF THE SABHA ON A GAZETTED HOLIDAY

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order. Sir. मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें जो शुरू में programme मिला था उस में कल के लिये छुट्टी दर्ज है; लेकिन आज अखबारों से पता चला है कि हाउस कल भी meet कर रहा है। मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि यह convention बहुत बुरी है कि इस बारे में

Opposition के मैम्बरों से पूछा भी नहीं गया और कल के लिये अचानक बिल बांट दिये गये हैं। फिर कल एक gazetted छुट्टी है और तमाम offices बन्द है। कल एक धार्मिक पैग़ंबर और अवतार का दिन है और उस दिन को मनाने वाले भी यहां काफी हैं। उन को भी यह बुरा फील होगा कि उस दिन असेम्बली को छुट्टी न हो और हम काम करें।

स्पीकर साहिब, आप के अख्तियारात बहुत ज्यादा हैं लेकिन बड़े exceptional हालात में अगर आप चाहें तो यह हाउस बैठ सकता है। मेरा ख्याल है कि आप भी यह नहीं चाहते जब कि गवर्नमेंट के पास सिवाये इस बात के कि इस ने कुछ बिल पास कराने हैं और कोई ऐसी urgency नहीं है कि एक छुट्टी और दूसरा एक धार्मिक लीडर का त्योहार हो, उस दिन यह असैम्बली बैठे। फिर हमारे programme में यह छुट्टी दर्ज है। इस लिये, स्पीकर साहिब, इस से पेश्तर के आप कोई हुक्म दें मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि Opposition यह चाहती है कि अगर गवर्नमेंट इस बात की कोशिश भी करे तो भी कल की छुट्टी ज़रूर रहनी चाहिये और किसी भी हालत में कल इस असैम्बली को नहीं बैठना चाहिये। मेरा ख्याल है कि डाक्टर साहिब भी इसे मान लेंगे।

श्री बलराम दास टण्डन : अगर, स्पीकर साहिब, इस का पांच या सात दिन पहले पता चल जाता तो. . . . .

अध्यक्ष महोदय : Leader of the Opposition ने अपनी बात कह ली है। अब उन की भी बात सुन लें जिन पर इस का असर हो रहा है। (The leader of the Opposition has had his say in the matter. Now let him hear the view point of those who have been affected.)

श्रीमती ओम् प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, मैं यह अर्ज़ करना चाहती हूं कि कल पंजाब में एक gazetted holiday है और हमारे पास जो पहले programme आया हुआ है उस में कल की holiday declare हुई हुई है और उस के मुताबिक हम ने कल का programme बना लिया हुआ है। फिर कल की एक खास holiday है। (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order, please.

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : स्पीकर साहिब, हमारे सामने जो काम है हम ने उस को भी देखना है और मैम्बर साहिबान की convenience को भी देखना है। एक तरफ मैम्बर साहिबान इस बात के लिये उतावले होते हैं कि बहुत दिन हो चुके हैं काम करते करते, अब सैशन खत्म होना चाहिये। लेकिन, स्पीकर साहिब, काम बहुत ज्यादा है। अब की दफा आप ने हाउस पर इनायत कर के बजट पर discussion के लिये बहुत काफी वक्त दिया जिस की वजह से हम यहां पर Legislation नहीं ला सके। Legislation भी काफी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जो बिल मैं आज पेश कर रहा हूं इस को हम पहली April से लागू करना चाहते थे। लेकिन इस को हम इस से पहले नहीं ला सके जिस की वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। और भी ऐसे बिल हैं जिन को

[योजना मंत्री]
हम समझते हैं कि वह जल्दी पेश हों। इस लिये काम को तरजीह देनी चाहिये बनिस्बत इस बात के कि छुट्टी मनाई जाये। अगर मैम्बर साहिबान चाहते हैं कि हम कल की छुट्टी मनायें तो आज non-stop meeting कर ली जाये जो उस वक्त तक चलती रहे जब तक इस काम को खत्म न कर लिया जाये; हमें कोई एतराज़ नहीं। इस लिये जैसे कि Leader of the Opposition ने अच्छी convention establish करने के लिये फर्माया है, मैं उन्हें कहता हूं कि वह इस में मदद दें और इस के लिये non-stop sitting की बजाये जो काम है इस को खत्म कर दें। इस के अलावा हमारा और कोई नुक्ता नहीं है। हम किसी को disrespect show नहीं करना चाहते। हाऊस की इत्तलाह के लिये मैं यह भी अर्ज़ कर दूं कि कई साल पहले महावीर जयन्ती की छुट्टी नहीं होती थी। पंजाब गवर्नमेंट ने ही इस को पंजाब में जारी किया था। अगर अब यह कहा जाये कि दूसरों के पैग़म्बर के लिये या इस महापुरुष के लिये या उस का जन्म दिन मनाने के लिये हमारे दिल में उन के लिये इज्ज़त नहीं है, ठीक नहीं। इस के जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह छुट्टी पहले नहीं होती थी। इस गवर्नमेंट ने ही यह छुट्टी जारी की थी और मेरा ख्याल है कि पंडित जी को इस बात का इल्म भी होगा कि partition के एक दो साल बाद यह छुट्टी declare की गई थी। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि हमें उस महापुरुष के लिये इज्ज़त मतलूब नहीं है। हमें काम का भी ध्यान रखना चाहिये और इस को तरजीह देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ, स्पीकर साहिब, मैं आप पर छोड़ता हूं। आप जैसा चाहें वैसा ही आप कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप देखिये, हाउस में जैसा भी business का agenda आता है, स्पीकर के बस में और कुछ नहीं होता सिवाये इस के कि वह उसे हाउस में रख दे। आप के सामने Leader of the Opposition ने अपने ख्यालात का इज़हार किया है और डिप्टी Leader of the House ने भी अपने ख्यालात आप के सामने रखे हैं। इस का फैसला मेरे पर छोड़ दिया गया है। जो मेरे बस की बात होगी वह तो मैं पूरी कर दूंगा। जो मेरे बस की बात न हो वह मैं पूरी नहीं कर सकूंगा। (पंडित श्री राम शर्मा—आप की राये के बगैर वह कुछ भी नहीं कर सकते।) जो मैम्बर साहिबान इस त्योहार को मनाना चाहते हों वह मुझे लिख कर दे दें मैं उन की छुट्टी मंज़ूर कर दूंगा। (The hon. Members may please listen. Whatever the Agenda of the Business comes before the House, the Speaker has no other alternative but to place it before the House. But the Leader of the Opposition and the Deputy Leader of the House have expressed their views and left the decision of the matter to me. Whatever lies in my competence, that I will certainly do but what is beyond my power, that I may not be able to carry out. (Pandit Shri Ram Sharma—The Government cannot proceed without your consent.) Those hon. Members, who want to celebrate this festival, may give me in writing and I will sanction their leave.)

(*Interruption by Chaudhri Balbir Singh.*)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप छुट्टी मनाना चाहें तो मना लें। (Those who like to have a holiday, they may enjoy it.) (*Interruption*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ already programme ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ.... (ਵਿਘਨ)

अध्यक्ष महोदय : और कैसे इच्छा पूरी की जा सकती है। जो मनाना चाहें वह छुट्टी ले लें। (How could otherwise this desire be fulfilled? Those who want to celebrate the function, may remain on leave.)

श्री बलराम दास टण्डन : अगर सात तारीख के बाद House extend हो जाए तो क्या मुश्किल होगी। या तो यह होता कि हमें 8 दिन पहले पता लग जाता ताकि उसी के मुताबिक प्रोग्राम बनाते।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ House ਵਿਚ ਇਕ non-official resolution ਵਿਰਾਸਤ Act ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ House ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप चाहे रात को बैठ जायें। (I have no objection even if the House sits late in the night.)

ASSOCIATION OF THREE MEMBERS OF THE LEGISLATIVE COUNCIL WITH THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE OF THE ASSEMBLY FOR 1958-59

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

> That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1958-59 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1958-59 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

Mr. Speaker : Question is—

> That this House recommends to the Punjab Legislative Council that they do agree to nominate three Members from the Council to associate with the Public Accounts Committee of this House for the year 1958-59 and to communicate to this House the names of the Members so nominated by the Council.

The motion was carried

THE EAST PUNJAB GENERAL SALES-TAX (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Planning (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to introduce the East Punjab General Sales-Tax (Amendment) Bill.

Minister for Planning : Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales-Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाबेवाला, अगर्चे मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं इस बिल पर कुछ ज्यादा कहूं, क्योंकि जिस दिन से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहिब ने अपनी तजवीज़ों बजट स्पीच में रखी थीं, उस दिन के बाद से हमारे साथ मैंबरान की बात चीत इस पर हुई, व्यापारियों से हुई और दूसरे लोगों से भी हुई और अखबारात में भी इस का चर्चा हुआ। फिर बजट की बहस के दौरान भी इस पर काफी नुक्ताचीनी हुई। लेकिन फिर भी मैं ज़रूरी समझता हूं कि इस में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वह मैं आप के सामने रख दूं।

जैसा कि इस के एम्ज़ ऐंड आबजैक्ट्स में कहा है हम को सरकार के फंड्ज़ यानी आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है और यह तो बजट में आया भी हुआ है कि डिवैलपमैंट के काम के लिये प्लैनिंग कमिशन कहता है कि इस प्लैन का काम तब होगा जब स्टेट गवर्नमैण्ट की तरफ से भी इस में मदद मिले। इस लिये स्टेट को अपनी आमदनी बढ़ानी ज़रूरी है ताकि डिवैलपमैंट का काम हो सके। अब सवालात आते हैं कि इस काम को किस तरीके से करें। मैं यह बता देना चाहता हूं कि जो टैक्स हम मैनुफैक्चरर्ज़ पर लगायेंगे वह उन्होंने छोड़ नहीं देना। वह इस को मैनुफैक्चर्ड आर्टीकल्ज़ पर लगा देंगे। हमारे जो व्यापारी भाई हैं वह इस टैक्स को कन्ज़्यूमरज़, जिन पर इस का असर पड़ता है, से वसूल कर के गवर्नमैंट की मदद करते हैं बतौर एक कुलैक्टिंग एजैंट के यानी जमा करके सरकार को देते हैं। हमारी खाहिश यह है कि उन का व्यापार बढ़े क्योंकि जितना उन का व्यापार बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा हमारी आमदनी बढ़ेगी। और हमारी यह भी खाहिश रहती है कि जो हमारी इस तरह कुलैक्शन में मदद करते हैं उन को भी तकलीफ न हो—न तो कुलैक्शन में और न ही उस के बाद जमा कराने में। इस लिए इन चीज़ों को सामने रख कर ही हम कोई कानून बना सकते हैं या कोई तजवीज़ हाउस के सामने रख सकते हैं। यही चीज़ इस में रखी गई है। इस बिल के तीन चार हिस्से हैं। एक हिस्सा तो यह है कि पहले सेल पर टैक्स लगा हुआ था और अब परचेज़ पर भी लगा रहे हैं। जब कोई मैनुफैक्चरर माल तैयार करने के लिये माल खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगेगा और यह दो परसेंट की तजवीज़ की गई है। जिस तरीके के साथ जिस कीमत पर एक व्यापारी माल खरीदता है तो उस पर वह साढ़े सात परसेंट मुनाफा लगा कर उस पर सेल्ज़ टैक्स दे। जिस वक्त सेल्ज़ टैक्स लगाया गया था उस वक्त गवर्नमेंट ने व्यापारी साहिबान से मश्वरा कर के उन की इच्छा के मुताबिक बंगाल मौडल पर सेल्ज़ टैक्स लगाया था। *(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair)* बंगाल में यह टैक्स 4 रु० 11 आने परसैंट था; यहां पर यह 3 रु० 2 आने परसैंट एक स्टेज पर लगाया। उस वक्त यह खाहिश हुई ......

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. डिप्टी स्पीकर साहिब, आपने जब स्पीकर साहिब के कुर्सी से उठने पर कुर्सी सम्भाली तो आप ने स्पीकर साहिब और मिनिस्टर, जो बोल रहे थे, उन के दरमियान से क्रास किया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह इन आर्डर है ?

Minister for Planning : I also rise on a point of order, Sir. No question can he put to the Speaker

जनाबवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि व्यापारी साहिबान की तरफ से यह ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि बजाए इस के कि वह सारी सेल का हिसाब किताब रखें उन पर परचेज़ बेसिज़ पर यह लगा दें ताकि उन को ज़्यादा हिसाब किताब न रखना पड़े । वह इनवायस दिखा देंगे और टैक्स देंगे । चुनांचि बात चीत चली और मश्वरे से यह फैसला हुआ कि जो इस तरीका से टैक्स देना चाहें वह दे दें और इस चीज़ को मान लें कि यह एक बार मानने के बाद तब्दील नहीं होगा और जो खर्चा होता है—इन्सीडेंटल चार्ज—वह सब मिला कर 10 परसैंट ज़्यादा हिसाब लगा कर टैक्स देंगे ।

मैं नहीं कह सकता कि आया उस वक्त जो व्योपारी हमारे पास आए उन्होंने request किया या नहीं लेकिन यह फैसला हुआ था और मेरे साथ ही हुआ था । इस के बाद फिर बात चीत चली और 10 प्रतिशत की बजाए $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत purchase tax किया गया और यह बात खास तौर पर तय की गई कि incidental charges न लगाए जाएं । हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने फरमाया था कि $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत अगर मुनाफा लगाएं तो उन्हें incidental charges छोड़ दिए जाएंगे लेकिन अगर गवर्नमेंट को नुकसान मालूम हुआ तो incidental charges लगा दिए जाएंगे । चुनांचि इस पर कई दफा बहस हुई और मैं ने कहा था कि उस वक्त जो फैसला किया गया था वह यह था कि अगर 10 प्रतिशत रखा जाए तो incidental charges purchase price पर नहीं छोड़े जाएंगे । लेकिन व्योपारियों ने कहा कि यह बहुत ज्यादा होंगे । हम यह चाहते हैं कि अगर आप incidental charges लेना चाहें तो इसे बढ़ा दीजिए या incidental charges मुकर्रर कर दीजिए और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत लगा दीजिए । मैं ने दफतर से पूछा और मुझे यह बतलाया गया कि कई चीजों में बहुत ज्यादा incidental charges होते हैं और कई चीजों पर कम । लेकिन आम तौर पर उन का कहना था कि incidental charges $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत होने चाहिएं । व्योपारी साथियों के जो नुमाइन्दे थे वह इस से भी कम चाहते थे । लेकिन वह बहस के बाद मुझ पर छोड़ गए और मैं ने यह फैसला किया कि incidental charges $4\frac{1}{4}$ प्रतिशत लगाए जाएं और $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत purchase tax रहने दें । इसी तरह हम ने उन की बात मान ली कि cost price को ले कर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत मुनाफा लगा कर sales-tax हम ने लगाया । वह जो sales-tax हमने लगाया इस के लिये हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं, केवल invoice दिखाने की ज़रूरत पड़ती है । इस लिए एक चीज़ तो इस amending Bill में यह रखी है ।

[योजना मंत्री]

इस के आगे हमने यह किया कि जो luxury goods यहां पर रखें उन पर जो टैक्स पड़ता है वह तमाम चीज़ों पर uniform हो। इस लिए एक list बना कर रखी है कि जो साधारण टैक्स है उस से double इन luxury goods पर लिया जाए, जैसे silken goods पर। बाद में ऐसी बात होती रही कि Government of India ने कहा कि इस पर 7 प्रतिशत लगाया जाए तो ठीक होगा। इसी तरह हमने जो decimal coinage पर अपने system को तबदील किया तो इस sales-tax को भी ठीक तरीके से लगाने की ज़रूरत माहसूस हुई। थोड़े से incidental charges बढ़ गए और 3 रुपए 2 आने की बजाए 4 प्रतिशत कर दिया। इस से जो luxury goods थे उन पर 8 प्रतिशत बन जाता है। लेकिन हमने 8 प्रतिशत की बजाए 7 प्रतिशत ही लगाने का फैसला किया है। यह भी एक चीज़ इस बिल में है।

इस के आगे चल कर कुछ sales and purchases होती हैं, कुछ goods manufacture के लिए खरीद किए जाते हैं, उन पर 2 प्रतिशत tax था और फिर raw material पर इन के बाद कुछ exemptions थीं। उन exemptions की list को revise करके हमने कई एक चीज़ों को exemptions list से निकाल दिया है, लेकिन निकाल कर तीन रुपए दो आने या चार रुपए नहीं लेना चाहते बल्कि उन पर, foodgrains पर 12 आने सैकंड़ा रखा है। बाकी raw material पर 2 प्रतिशत लेना चाहते हैं।

इस के साथ ही एक छोटी सी amendment है। वह यह कि Schedule B में item No. 15 है, इस को हम exemption में रखना चाहते हैं और ज़रा wordings change कर दिये गए हैं। यह बातें इस बिल के अन्दर आती हैं।

इस पर जो बहस सब तरफ से हुई है और सब तरफ से कहा गया है और किसी ने यहां तक कह दिया है कि हमारी दाल पर टैक्स लगाया गया, किसी ने कहा कि हमारे आटे पर टैक्स लगाया गया। मुझे दुकानदार मिले, oil crushers मिले, leather manufacturers और yarn merchants ने कहा कि इस तरीके से raw material पर टैक्स न लगाए जाएं और बहुत से आदमियों ने एतराज़ किये हैं। एक बात मैं बतला दूं कि central sales-tax के मातहत जिन चीजों पर और जिन prices पर हमारे प्रदेश में tax लगाए गए हों वह चीज़ अगर बाहर जाए तो हम टैक्स का share demand कर सकते हैं और उसी हालत में जब माल बाहर ले जाने वाला sales-tax देता है। इसी तरह जिस जगह से हम मंगवाते हैं वहां पर जो टैक्स हो वह देना पड़ता है। Central Sales-Tax Act के मातहत यह इख्तियार है कि अगर बाहर कम टैक्स हो तो हमारे लिए भी कम टैक्स लेना मुनासिब मालूम होता है।

हमारे हां दाल रोटी पर टैक्स लगाए जाने का ज़िक्र किया गया। इस पर अगर शान्ति से सोचा जाए तो पता चलेगा कि 13 लाख टन अनाज surplus था। उसे हम ने बाहर भेजा। पहले यह था कि procurement पर जो हमने 1948-49 और 1950 में

की और अनाज procure करके बाहर भेजा, अगर मैं गलती नहीं करता और मेरी याद ठीक है तो हमें एक करोड़ रुपया मिला था। इस एक करोड़ में से चौथा हिस्सा, यानी 25 लाख रुपया, हमने bins बनवाने पर खर्च किया जिस में foodgrains रखे थे और 75 लाख रुपया Government of India को Grow More Food Campaign में हिस्सा देना था। State Government ने इस हिस्से को utilize किया। अब जो procurement हमारी स्टेट में की जाती है इस पर हमें कुछ share नहीं मिलता। यहां पर जो growers अनाज इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स नहीं लगता ; छोटे छोटे आदमियों से नहीं लिया जाता। सिवाय इस के कि जो बड़े बड़े व्योपारी होंगे और बड़ा व्योपार करते हैं उन से sales-tax realise करना होगा। यह छोटे दुकानदारों के लिए नहीं। आम तौर पर उनकी capacity इतनी नहीं होती कि वह ज़्यादा अनाज रख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वह एक हफ्ता, या पंद्रह दिन या एक महीने का रखते हैं। इस लिए छोटे दुकानदारों पर टैक्स नहीं लग रहा। इस लिये दाल रोटी पर टैक्स नहीं लगाया गया। अगर हमें किसी वक्त भी महसूस हो कि गरीब आदमियों पर टैक्स लग रहा है तो हम उन्हें exemption देने पर विचार करने को तैयार होंगे। Cotton Manufacturing के लिये भी एक एतराज़ हुआ था, और बहुत भारी हुआ था। Cotton के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ कर दूं कि 1954-55 में हमारी Cotton की export 2044 हज़ार मन थी और 1955-56 में 2428 हज़ार मन export हुई। 1956-57 में यह export 1850 हज़ार मन हो गई। यह जो cotton बाहर जाती है यह बगैर tax के बाहर जाती है। लेकिन आप देखें कि जो यहां import होती है उस की तादाद कितनी है। 2044 हज़ार मन के मुकाबले में 79 हज़ार मन की import होती है, 1954-55 में और 1955-56 में 2428 हज़ार मन के मुकाबले में 66 हज़ार मन की import होती है और 1956-57 में 1850 हज़ार मन के मुकाबले में सिर्फ़ 1·9 हज़ार मन की import हुई है। अगर इस cotton को ginning purposes के लिये कोई खरीदता है या मिल वाले इस को खरीदते हैं तो उस को भी tax देना पड़ता है। इस तरह से अगर हम cotton बाहर भेजते हैं तो इस का भी उसे देना ही पड़ता है।

इसी तरीका से cotton-seed की भी बात है। इस के मुतअल्लिक भी एक representation आई। उन्होंने कहा कि दो तरीकों से यहां पर मिल चलते हैं। एक तो इस तरह के हैं जो पहले cotton से cotton-seed निकालते हैं। फिर वह cotton-seed से सिर्फ तेल निकालते हैं और फिर इस से वनस्पति oil तैयार करते हैं। और इस तरीके से vegitable oil का व्योपार करते हैं। एक वह हैं जो बिनौले खरीद कर उस का तेल निकाल कर बेचते हैं, जिन के पास बड़े बड़े मिल हैं और वह ginning करके फिर vegetable oils तैयार करते हैं। यह कहते हैं कि उन को इस तरह से फायदा होगा, क्योंकि उन को तो इस तरह ginning से बिनौले मिलते हैं; मगर हमें बाहर से बिनौले खरीद कर तेल निकालना पड़ता है, तो हम सस्ता नहीं बेच सकते। मैं व्योपारी भाइयों से अकसर बातें करता हूं और शायद

[योजना मंत्री]

उन की बातों में भी मैं बड़ा जल्दी आ जाता हूं। मैं ने एक बात उन से यह पूछी है कि आप जो एतराज़ करते हैं कि जो ginning करता है उस पर यह tax इतना नहीं लगता जितना कि उस पर लगता है जो cotton-seed से oil तैयार करता है। मैं कहता हूं कि manufacturer जो cotton, with cotton-seed लेता है तो इस में इस seed की भी कीमत शामिल होती है। Ginning purposes के लिये manufacturer ने जो cotton purchase की वह उस का tax तो देगा ही। जब वह बिनौलों को बेचेगा तो जो इन को खरीदता है या जो इन को oil seeds के लिये इस्तेमाल करता है तो इस में उस को भी tax देना पड़ता है। इस लिये इस में कोई फर्क नहीं आयेगा। दूसरे जब वह manufacture करता है तो वह prices भी इस में आते हैं। इस तरह से जो manufactured goods सूबे में बाहर से आती हैं उन पर भी तो tax लगे हुए हैं। अगर वह उसी price में purchase करता है तो उस को भी बेचने के लिये market में competition में आना जरूरी है।

इस के अलावा, Upper House में Special Charges Bill पर बहस के दौरान यह सवाल हुआ था जो मैं यहां refer करना लाज़मी समझता हूं। वहां उन का ख्याल यह था कि जो काम co-operative basis पर किया जाता है अगर आप उन पर लगायेंगे तो Co-operative Societies के काम में कोई तरक्की न होगी। इस लिये इस में से Co-operative Societies को छोड़ ही देना चाहिये।

दूसरा सवाल जो उठाया गया वह यह है कि जो भाई चमड़े का काम करते हैं या raw hides का काम करते हैं उन को भी छोड़ा जाये। पहले जब गांव में पशु मर जाते थे तो इन की hides गांव में ही तैयार की जाती थीं लेकिन आज कल यह सिलसिला बंद हो गया है। अब बजाय इस के कि वह hides गांव में तैयार करें वह मंडियों से ही लाते हैं। हमारे सूबे में जो sheep और goat skin है वह बहुत ज्यादा export होती है और इस के साथ ही थोड़ी बहुत import भी होती है। अगर यहां पर 11,000 मन की export हुई तो 2,000 मन की import भी हुई। गोया raw skin की यहां अंदाज़न 2,000 मन के import होती है। इस hide की जूतों के किनारी लगती है। जानवरों की खालें हमारे हां से जाती भी हैं और बाहर से आती भी हैं। यह राजस्थान से आती हैं और जम्मू और कशमीर से भी आती हैं। व्योपारी लोग इस का व्योपार अमृतसर और ज्यादातर जालन्धर में ही करते हैं। Partition से पहले यह व्योपार मुसलमान भाइयों के हाथ में था और इस को बड़े बड़े अमीर आदमी ही किया करते थे और वह इन चमड़े का काम करने वालों को हमेशा कर्ज़े के अंदर दबाये रखा करते थे। और इस तरीके से उन को कर्ज़ में दबाया जाता था कि वह सर भी नहीं उठा सकते थे। Britishers की जो Government of India की उस वक्त policy थी इस किस्म की इन की पालिसी यहां पर काम करती थी। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। हमारे हां से चमड़ा बाहर के इलाकों में भी जाता है। मगर हमारी

raw hides की कीमत इतनी पड़ती है जितनी कि चाहिये थी क्योंकि हमारे इन hides को तैयार करते वक्त मिट्टी लग जाती है और इन में अकसर सुराख भी हो जाते हैं। इस लिये यह बहुत कम इस्तेमाल होती है और इन की prices भी बहुत कम पड़ती हैं। यह चाहते हैं कि जो गांव के अंदर चमड़ा रंगने का काम करते हैं उन को यह tax न देना पड़े क्योंकि वहां पर और कोई काम नहीं है, कोई industry नहीं है। इस काम को हम बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 10 हज़ार मन तक अगर कोई manufacture करता है तो उस को कोई tax ना देना पड़े। लेकिन फिर भी यह power लेना चाहते हैं कि exemption कर सकें। उस के लिये, स्पीकर साहिब, एक amendment का notice आया है कि वह delegated power मिले। उस का जो कायदा है notification का उस को जारी करें। उस पर अमल भी शुरू हो जायेगा। लेकिन मैं आप की ग़ौर के लिये बताना चाहता हूं कि जब हाऊस meet करे तो हम मेज़ पर रख देंगे।

हम इस तरीके से cottage industries के basis पर काम करने वालों को बचाना चाहते हैं ताकि हमारा काम बढ़े, industries बढ़ें और co-operative system बढ़े। उस के लिये हम power लेकर रखना चाहते हैं। हमारी किसी industry को नुकसान न होना चाहिये। अगर हम मुकाबला करें तो मालूम होगा कि हमने 3 रुपये 2 आने लगाया था जबकि दूसरे Provinces में 4 रुपये 11 आने था।

मैं आखिर में एक बात रखूंगा और वह यह है कि यह आम तौर पर आज भी कहा जाता है और हमेशा से कहते आए हैं कि हम sales-tax manufacturing stage पर लगा दें तो जो manufacturers हैं उन पर हम tax लगा रहे हैं। इस लिये मैं समझता हूं कि उस असूल को मानते हुए इस पर किसी को एतराज़ नहीं होगा। मैं इन लफ्ज़ों के साथ इस मोशन को आप के सामने रखता हूं।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਇਹ ਬਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ schedule B **ਵਿਚ** amendment **ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ** Principal Act **ਦੀ** section 6 and **ਉਸਦੀ** sub-section 2 **ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ:—**

'The State Government, after giving by notification not less than three months' notice of its intention so to do, may by like notification add to or delete from Schedule B and thereupon the Schedule B shall be deemed to be amended accordingly.'

ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ Act **ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ** stage **ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ** 3 **ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ**

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ । ਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ Act ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । Section 6 ਅਤੇ sub-section 2 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ schedule B ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

Mr. Deputy Speaker: It has been introduced.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤਾਂ position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ stage ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ । ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ High Court ਵਿਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ Act ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ change ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ notification ਕਰੇ ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ schedule B ਸੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ । Government of India ਦੀ ਇਹ policy ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ certain goods are essential for the life of the community.

ਉਸ Act ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ:—

'Act to declare in pursuance of Clause 3 of Article 286 of the Constitution certain goods to be essential for the life of the community.'

1952 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ "They are essential for the life of the Community." ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ । ਹੁਣ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ tax ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ " essential for the life of the Community" ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ essential ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ । ਇਕ ਵਕਤ Government of India ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ essential for the life of the Community ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ repeal ਕੀਤਾ ਔਰ 1956 ਵਿਚ sales tax ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ :—

'The Essential Goods (Declaration and Regulation on Sale or Purchase) Act, 1952, is hereby repealed."

ਜਦ Act repeal ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ

"Goods of special importance and inter-State trade or commerce', ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਿਹਾ

'It is hereby declared that the following goods are of special importance in inter-State trade and commerce.'

ਇਹ Central Sales-Tax Act ਦੀ clause 14 ਹੈ ।

'The following goods are of special importance in inter-State trade or commerce.'

ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ background ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ trade and commerce ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ regulate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ regulate ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ purview ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ? ਅਤੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਆਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ tax 4 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ?

ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਲ ਤੇ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ special importance ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਹੁਣ Central Government ਨੇ notification ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ States ਨੂੰ ਘਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਉਹ notification 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ change ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਇਸ ਲਈ daily change ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ Act ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਕ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ । ਇਹ ਰੋਜ਼ ੨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ trade ਨੂੰ upset ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰੋਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ trades ਦੀਆਂ complications ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਦੋਵੇਂ agree ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ Sales Tax Act ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ operate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Government of India ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ । Sales-tax ਦੇ Statement of Objects and Reasons ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ–

> 'In pursuance of the recommendations of the National Development Council the Government of India decided in consultation with the State Governments that Sales Tax on Textiles, Sugar and Tobacco should be replaced by an additional excise duty at the produtcion stage, guaranteeing State Governments of income equal to the Sales tax collections made by them. This procedure, besides saving the mercantile community of maintaining tedious account will do away with the evasion of sales-tax and save the Government of some administrative cost.'

ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਤੇ agree ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ tedious ਹੈ । ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਦਾ ਬੜਾ scope ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ addition ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ manufacturing stage ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਡੀਮਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ manufacturers ਨੇ ਮਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਗੜਬੜ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਿਰਾ manufacturing stage ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ first stage ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਟੈਕਸ purchase stage ਤੇ ਹੈ । ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੜੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਤੇ ਫਰਸਟ ਸਟੇਜ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਏਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਇਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ, 1949 ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ । ਓਦੋਂ ਜਿਹੜਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਮਦ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

'With regard to any amendment in the present Schedule of Exemptions, it was agreed that the Beopar Mandal should make out a case for any such amendment and submit it to Government for consideration. Each proposal shall be examined on merit.'

ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ exemption ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ merit ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ already exempted ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18-3-1954 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ—

'The Beopar Mandal in the agenda of this meeting had enumerated a number of commodities to be included in the Schedule of Exemptions. In the last meeting it was agreed that the Beopar Mandal should make out a case for any such inclusion and submit it to Government for consideration and that each proposal would be examined on merits. The Chief Minister informed, the Beopar Mandal would be informed of Government's decision in due course. However, the President of the Beopar Mandal conceded that he would not press for inclusion of such commodities drawn up by Parliament under Article 286(3) of the Constitution as commodities essential for the life of the community.'

ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 22-12-1954 ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ । ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਕਤ agree ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ

ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 1955 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦਾ relevant extract ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।

'The President of the Beopar Mandal then took up the question of List of Exemptions. His complaint was that the Exemption List submitted by the Beopar Mandal had not been considered by Government so far. The Deputy Secretary, Revenue, pointed out that there was no outstanding reference with Government from the Beopar Mandal. The Exemption List submitted by the Beopar Mandal was considered and a reply had issued. If the Beopar Mandal wished Government to revise any of their previous decisions in this regard, the Beopar Mandal should make out a case for their consideration.'

ਫੇਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ life of the community ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ । ਜੇ ਕਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਛ ਫਰਕ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਐਨਕੱਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਉਪਰ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਲੇ ਅਪਣਾ ਮਾਲ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਉ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤੇ ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਗੋਂ ਏਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਾਡਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਓਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਏਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਫਾ 3 ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ।

'3(b) After the words "the aggregate of the purchase price including", the words "four per centum as incidental charges on account of" shall be inserted.'

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਕ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ 13 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ 4% incidental charges ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਣ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਦਾ ਹਾਂ।

'The Mandal further argued that the sole objective of agreeing to purchases basis was the simplification of accounts. The idea was that tax would be charged on the gross amount of a purchase invoice after adding 7½ per cent as the margin of profit. After considerable discussion the Chief Minister agreed that the expression 'the value of goods' occurring in the proceedings of the last meeting, would mean the face value of the purchase invoice to which shall be added any advance money that might have been paid or might be paid in addition to the face value of the invoice. To this value shall be added the 7½ per cent as the margin of profit. It was made clear by the Chief Minister that where this face value of the invoice included freight, octroi, handling charges etc., even though separately shown therein, that would be the value to which the agreed margin of profit is to be applied.'

4 p.m.

Mr. Deputy Minister : (Shri Yashwant Rai) On a point of information' Sir. Can he read from a booklet ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ ਜੋ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ...... (*Noise, Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : You can not read the whole of it.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ agreement ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ............

Mr. Deputy Speaker : Order, please. You can refer to it, you can refresh your memory but you cannot read the whole of it.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ document ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ refer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ document ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਏਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ agrreemet ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ agree ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ freight, octroi ਤੇ ਹੋਰ handling charges ਵਗ਼ੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ 1954 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ Excise and Taxation Department ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ sabotage ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ incidental charges ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਅਲਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ turn over ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ agree ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ incidental charges ਜੋ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ incidental charges ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ incidental charges ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ amendment ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ stage ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ $7\frac{1}{2}$ per cent marginal profit plus $2\frac{1}{2}$ percent incidental charges ਲਾ ਲਉ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ agree ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ $2\frac{1}{2}$ per cent ਦੀ ਬਜਾਏ 4 per cent ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵਾਦਪਣੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਤੇ stick ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ good will ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ stick ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ $2\frac{1}{2}$ per cent ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਡਲ ਇਸ ਤੇ agree ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮੰਨ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ $2\frac{1}{2}$ per cent ਦਾ ਜੋ.......

Mr. Deputy Speaker : No repetition please. You are repeating the same argument over and over again.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ taxattion ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ repetition ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ repetition ਹੈ........

Mr. Deputy Speaker : This is a discussion on the Amending Bill and not on the Principal Act. Please confine your remarks to the Bill only.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪਰ ਇਹ amendment ਜੋ ਹੈ ਇਹ Principal Act ਦੀ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਦਫਾ amend ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ refer ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਹ repetition ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ refer ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ......

Mr. Deputy Speaker : But you should not repeat it again and again.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 1954 ਦਾ ਹੈ..............

ਡਿਪਟੀ ਮਨਿਸਟਰ (ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਰਾਏ) : ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚੂੰਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਚਲੋ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 1958 ਵਿਚ ਅਜੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੋ ਹਫਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ $7\frac{1}{2}$ per cent plus $2\frac{1}{2}$ per cent incidental charges ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ gross ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਉ । ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਨ ਲਾਉ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ gross $2\frac{1}{2}$ per cent agree ਕੀਤਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 4 per cent ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...........

Mr. Deputy Speaker : This you have already said twice and thrice. Please give fresh arguments.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ luxury goods ਦਾ schedule ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ adjoining States ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ rate ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਇਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਹਿਕਾ States ਦਿੱਲੀ, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ States ਵਿਚ ਜੋ rates ਹੋਣ ਉਹੀ ਇਥੇ ਲਗਣ । ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਵੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਿ adjoining States ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਮੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜੋ schedule amend

ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਕਈ ਲੋਕ ਇਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬੇਸ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । (*noise and interruptions*) ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਜਾਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਕੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ trade ਤਬਾਹ ਹੋਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼, ਯੂ. ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੈ ਉਹੀ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਸ਼ਰਹ ਨਾਲ ਲਗਾਉਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ trade ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੀ trade ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਉਗੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੀ trade ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ luxury goods ਦੀ list ਵਿਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿਉਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ adjoining States ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ trade ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ commodities ਤੁਸੀਂ luxury goods ਦੀਆਂ ਇਸ list ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ commodities ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ agencies show ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਨ ਹੈ । ਇਹ radios, ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ agencies ਸੋਲਨ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, show ਕਰ ਦੇਣਗੇ । Sales ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਿਚ ਪਰ show ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੋਲਨ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ luxury goods ਦੀ list ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ adjoining States ਵਿਚ tax ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ trade ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ । ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ sale 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ manufacturers ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ Principal Act ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ...... (*noise and interruptions*)

Mr. Deputy Speaker: Order, order. No interruptions please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਖਾਹ ਮਖਾਹ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋ industries ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Principal Act ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ import ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ licence ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ licensee ਨੂੰ 2% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ schedule castes ਵਾਸਤੇ ਇਹ reservations ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ......

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ trade ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ industry ਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ......

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ trade ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਮੜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ trade ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ : ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ trade ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप की स्पीच खत्म हुई या नहीं ? (Has the hon. Member finished his speech or not?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ....(ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ : Trade ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ।) (ਘੰਟੀ)

ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ trade ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ।

S. Bhag Singh : Sir, he is repeating.

Mr. Deputy Speaker : Order, please. No repetition, please. I will not allow repeti..ion, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ essential commodity ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ trade ਔਰ industry ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ । ਇਸ ਵਿਚ ਕਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਭੀ ਹੈ । ਉਸ ਤੇ ਭੀ ਗੌਰ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਖਰਾਬੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ।

श्री देवदत्त पुरी (सढौरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, बजट पर आम बहस के दौरान में मैं ने थोड़े से शब्दों में इस टैक्स की ओर इशारा किया था और आज मौका है कि मैं दोबारा थोड़े से शब्दों में हाउस के सामने अपने विचार इस टैक्स के सम्बन्ध में रखूं। सब से पहले, डिपटी स्पीकर साहिब, यह बात तो मानी गई है कि यह उद्योग धन्दों पर टैक्स है, industries जो raw material इस्तेमाल करती हैं उन पर टैक्स है। मैं ने पहले ही अर्ज़ किया था कि पंजाब की industry की हालत दूसरे सूबों की industry की हालत से बहुत ज्यादा कमज़ोर है। वह इस लिए कमजोर है कि हमारा सूबा सरहद्दी सूबा है और लोहे और कोयले जैसा माल हम देश के दूसरे किनारे से मंगवाते हैं; किराया भाड़ा अदा करते हैं। इस लिये हमारी cost of production दूसरे सूबों से ज्यादा है । उस के बाद जब तैयार शुदा माल हम बेचना चाहते हैं तो जो सूबा में माल की खपत हो वह ज्यादा हो। उस के बाद सरप्लस माल हम बाहर भेजते हैं। उस पर दोबारा भाड़ा भर कर भारत के दूसरे भागों में भेजना पड़ता है और दोबारा किराया भाड़ा देना पड़ता है। इस लिये उन सूबों के साथ कुदरती तौर पर हमारा माल कंपीटीशन में महंगा पड़ता है क्योंकि उन्हें कम किराया भाड़ा देना पड़ता है। यह पंजाब की industry को disadvantage है और इसी वजह से हमारी industry की हालत कमज़ोर है और अब जब कि हम दो प्रतिशत एडवलोरम टैक्स और लगाए जा रहे हैं इस से हमारी हालत और भी कमज़ोर हो जायगी। मिनिस्टर साहब ने बताया है कि कच्चे माल की खपत हमारे सूबे में बहुत थोड़ी होती है। आप कपास को लें। हमारे सूबे में इस की बहुत थोड़ी खपत है और बहुत ज्यादा कपास export होती है। इसी तरह उन्होंने दूसरे कच्चे माल की बाबत बताया कि हमारे यहां खपत बहुत कम है और अधिक मिकदार में हम बाहर भेजते हैं। अगर इसी तरह हम कच्चा माल बाहर भेजते रहें और अपने सूबे में माल manufacture न करें तो हमारी industry पनप नहीं सकती। अगर यही हालत रहे तो यह एक कालोनी की सी हालत रह जाती है जैसे कि कच्चा माल हम सप्लाई करते थे और manufacturers imperialist थे। इस लिए मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारे यहां उद्योग धन्दों को develop

[श्री देव दत्त पुरी]
करने की ज़रूरत है । इस लिए और ज़्यादा टैक्स का सवाल पैदा नहीं होता । यह सन्तोषजनक बात नहीं । हम देखते हैं कि हमारे यहां पंजाब के पास हुनर, हिम्मत है, raw material है तो क्या वजह है कि पंजाब enterprise में हिन्दुस्तान भर में पीछे रहे ? क्या वजह है कि पंजाब बाहर के प्रान्तों को ही कच्चा माल सप्लाई करता रहे और हमारी अपनी industry तरक्की न करे। डिप्टी स्पीकर साहिब, पंजाब में छोटी और बड़ी industry का मुकाबला करें तो मैं यह ज़ाहर करने की कोशिश करूंगा कि इस टैक्स के साथ छोटी industry जहां पहले ही कमज़ोर है और भी कमज़ोर हो जायेगी। इसी तरह से आप किसी industry को ले लें। आप cotton ginning को ले लीजिए। इस को 'जिन' कर लिया जाय, बिनौले अलग कर लिए जाएं। पहले टैक्स कपास पर लगेगा' फिर कोल्हू में दूसरा टैक्स लगेगा, तीसरे hydrogenation plant में बनस्पती घी बनाने के लिए जाता है तो फिर टैक्स देना पड़ता है। वही अगर बनस्पती बनाना है तो सारे के सारे साधन एक के पास हों तो उस से चीज़ कम कीमत पर तैयार हो सकती है। इसी तरह से और भी बहुत सी छोटी छोटी industries हैं। आप बाइसिकल पार्ट्स को ले लें या और किसी किस्म की industry को ले लें, एक माल तैयार करता है, वह दूसरे को कच्चा माल देता है और इसी तरह दूसरा तीसरे को देता है। अगर इस का मुकाबला उन से किया जाय जहां सारा काम departmentally किया जाता है या जिन के पास सारे साधन मौजूद हैं तो कुदरती तौर पर छोटे उद्योग धन्धे बड़ों का मुकाबला न कर पायेंगे। इस तरह से पंजाब की पोज़ीशन और भी कमज़ोर हो जायेगी और कच्चा माल सप्लाई करते रहने से वह और भी perpetuate और aggravate होगी ।

इसी तरह आप सूत को ले लें। पहले सूत काता जाता है। कातने के बाद बुनाई मिल में उस का कपड़ा बनता है । छोटी खड्डी का कपड़ा बनाने वालों की मैं बात नहीं करता। तो जो सिर्फ़ spinning mill है यानी जहां केवल कताई होती है, बेचता और है उस पर दो टैक्स लगते हैं। जो खुद कातता है और खुद बनाता है उस पर एक टैक्स लगता है । इस का net effect यह होगा कि साधन वाले लोग जो सारा processing करते हैं वे छोटी छोटी industries को खत्म कर देंगे और process कर के आगे दूसरे के पास pass on करेंगे। इस की बीसों मिसालें दी जा सकती हैं। जो छोटे काम वाले हैं, ज्यादा stages में काम करते हैं, उन पर बहुत stages पर टैक्स लग जायेगा। जो कच्चा माल पंजाब से बाहर से आता है उस पर inter-state Sales Tax लगता है। जो हम कच्चा माल पंजाब से खरीदते हैं उस पर 2 per cent लगेगा। सो ऐसा हो जायेगा कि inter-state Sales Tax पर थोड़ा सा freight दे दिया, वह सस्ता पड़ा और जो local माल खरीदा वह उस से महंगा पड़ा। यह सारी हिसाब करने वाली बात है। बाज़ बाज़ commodities के लिये लुध्याने तक इस तरह से माल बाहर से आ जायेगा। Inter-state Sales Tax plus railway freight हमारे local tax के बराबर होता है। बहुत सी indus-

tries खास कर जो border पर industries हैं वे कोशिश में रहेंगी कि कच्चा माल बाहर से मंगवाएं। इस से पंजाब को नुकसान होगा। यह सारी बातें आप के सामने रखी हैं क्योंकि कई industries को इस से काफी नुकसान होने वाला है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता—इतना ही कहना चाहता हूं कि आज कल दुनिया में depression शुरू है और यह अमरीका से शुरू हुआ है, मासिवाए उन मुल्कों के जहां controlled economy है—उन पर असर नहीं पड़ा। यह बात मानने वाली है कि बाकी देशों पर असर पड़ चुका है या पड़ने वाला है। यह सारी चीज़ें मद्दे नज़र रख कर कोई और source of revenue निकाला जाये। इस टैक्स का fundamental basis यह है कि inter-state माल पर टैक्स कम और local पर ज़्यादा। जो large-scale पर बनाने वाले हैं उन पर कम और छोटी दस्तकारी वालों पर ज़्यादा। इस लिये कोई और source of revenue तलाश करना चाहिये। इस के मुतअल्लिक मैं दो तीन सुझाव रखना चाहता हूं ताकि इस का vigour कम हो सके। एक तो मैं यह चाहता हूं कि जो टैक्स लगाया जाये उस बारे में गवर्नमैंट एक Standing Committee बनाए जिस का काम यह हो कि वह देखे कि अगर कोई industry बंद होने वाली है तो Government को advise करे। इस मामले में पूरी vigilance होनी चाहिये। एक Standing Committee का बनना ज़रूरी है जो देखे कि Tax का effect क्या पड़ा है और industries के बारे में वक्तन फ़वक्तन Government को advise करती रहे। ऐसी advice मिलने के बाद गवर्नमैण्ट उस मामले पर विचार करे और बिल में संशोधन किया जाना चाहिये। उस कमेटी को commodities के process को examine करना चाहिये। अगर किसी industry की हालत खराब हो जाये तो विशेष तौर पर गवर्नमैण्ट के पास कोई power नज़र नहीं आती।

तीसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस बात पर बड़ा भारी झगड़ा पड़ेगा कि फलां process manufacturing है या नहीं। Cotton खरीदी और उसे gin कर लिया। इस लिये यह कहना कि बिनौले separate करना manufacturing है या नहीं इस पर बहुत सी मुकदमेबाज़ी शुरू हो जाया करेगी। मैं समझता हूं कि cotton ginning के अलावा और भी कई ऐसी चीज़ें निकल आयेंगी। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास power होनी चाहिये कि reasonable cases में जहां कोई industry बंद होने को हो उसे relief दी जा सके।

ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ): ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ SalesTax Bill ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Sales Tax ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ Statement of Objects and Reasons ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ mode of levy less irksome ਹੈ। ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ । ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧਿਆਨ Schedule B ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਕਣਕ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ, course ਛਿਲਕਾ, ਛੱਕ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ Jawala Flour Mills ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ mill ਦਾ ਆਟਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ? ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ Jawala Flour Mills ਦੇ ਆਟੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਿਤ੍ਰ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ President ਹਨ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ industrialist ਹਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਪਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਥੇ large-scale industries ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ conception of economy ਮੌਰੀਆ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ । ਕੀ ਅੰਬਰ ਚਰਖਾ ਕਤਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ textile industry ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਰਖਾ ਕੱਤੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ economy ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ।

ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੀਪਰੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ । ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਏਥੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕਾਨੌਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ । ਭਾਵੇਂ ਉਖਲੀ ਵਿਚ ਕੁਟੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚਰਖਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਵੇਲਪ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਾਟਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ । ਹੁਣ ਜੋ ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਲਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੀਲ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕਾਨੌਮੀ ਨਹੀਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੈ । ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਲੋਫਟੀ, ਉਚਾ ਹੈ । ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ । ਇਹ ਏਥੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ । ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਰੇਟਸ ਤੇ ਚਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਯਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਾਈਵੇਟ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ । ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫਰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ । ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੋਕਲ ਐਫਰਟਸ ਤੇ

ਚਲਦੇ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ । ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾਇਆ । ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਤੇ, ਛੱਕ, ਸੂੜਾ ਔਰ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਗਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ । ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਚਲਾਏਗਾ । ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੂਰ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ, ਮਲਕਾ ਮਸੂਰ ਵੀ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਮ ਮਸੂਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ । ਔਰ ਐਸੇ....(ਵਿਘਨ) । (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ?) ਫਾਇਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਪਿਛੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ? ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਲ ਰੇਟ ਯਾ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ । ਏਥੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਬਿਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ? ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨ । ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ । ਪਰ ਜੇ ਮੰਗਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬੋਰੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ । ਤੁਸੀਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ । ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਓ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬਦੋ ਬਦੀ ਲਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ; ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲ ਆਟਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਯਾ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਇਕ ਦੂਜਾ ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ । ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਖਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਨਾ ਭਰ ਸਕੇ । ਜੇ ਬਰੇਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਏ । ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਰੇਨ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ? (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਕੁਈਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ । ਇਕ ਦਫਾ ਐਸਾ ਵਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ । ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਖਾਣ, ਜੇ ਬਰੈਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਖਾਣ । ਸਾਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣ ਤਾਂ ਕੇਲੇ ਖਾਣ । ਜੋ ਸਟਾਰਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋ । ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਲੂ ਖਾਓ, ਕੇਲੇ ਖਾਓ । ਹੁਣ ਦਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੀਟ ਖਾਓ । ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਡੀਵੇਲਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮਈਅਰਜ਼ ਐਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕਵੀਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ• ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਬਰਡਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 6% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 94% ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਥੇ ਕੋਈ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪੈਸਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਦਾਲ ਤੇ ਸੂੜੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਕੇ ਦੁਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਮਗਰ ਬਾਰਾਂ ਆਨੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਾਂ ਆਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ. ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 12 ਆਨੇ ਤੋਂ 24 ਆਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 24 ਤੋਂ 48 ਆਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਪਾਈ ਲਗਾਇਆ, ਫੇਰ ਇਕ ਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਇਕ ਪਾਈ ਤੋਂ ਡੇਢ ਪਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਦੋ ਪਾਈ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਾਕੀ ਉਥੇ ਤਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਉਤੇ।) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਰੇਲਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਗਾਏ ਨੇ। (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ।) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।) ਬੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ? ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਨਕਮ, 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਆਨੇ ਰੁਪਏ ਪਿਛੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਏਥੇ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਕਿਥੇ ਲੱਗੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਫ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਕੇਰੇਲਾ ਵਾਂਙੂ ਲਗਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਪੈਸੇਂਜਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ

ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ।) ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹ ਗੁਡਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਖੱਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਓਵਰ ਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ।) ਜੋ ਚੰਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ consumer ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

Mix up ਨਾ ਕਰੋ। ਰੰਗਾਈ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ object ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ local bodies ਸਕੂਲ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ industry develop ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ source ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਢਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ public meeting ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ; ਬੋਲਦੇ ਚੰਗਾ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ vote ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਰਾਏਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ un-popular ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ Sales Tax ਹੈ। (*Cheers from the Opposition Benches*) ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ luxury goods ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ items ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੇਕਨਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ

[ਸਾਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ education cess ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ Scheduled Castes ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ interest ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ Scheduled Castes ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ mental torture ਵਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ—ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ expectations ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ expectations ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ mental torture ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ employment ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤ ਵੀ Scheduled Castes ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ back door ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਛੋਲੇ, ਚਾਵਲ, ਮੋਠ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਕਾਟਨ-ਸੀਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਿਆਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਭਰ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ back door ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ Scheduled Castes ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ education ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ development ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਕਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ education ਉਪਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ items ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ education cess ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ education cess ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ cinemas ਉਪਰ entertainment ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਧਾ ਦਿਤਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ stage ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ cinemas ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਤੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸੀ ਜੁਤੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਯੂ. ਪੀ. ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜੁਤੀਆਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬ Scheduled Caste ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ hit ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ cotton-seeds ਅਤੇ oil cake ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ Opposition Benches ਉਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਉਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਲ੍ਹ ਅਤੇ ਵੜੇਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਧ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਲਵਾਈ

5, 6, 7 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ margin ਕਢ ਕੇ ਅਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁਧ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਖਲ ਅਤੇ ਵੜੇਵਿਆਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੜੇਵੇਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਰੀਜਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਬਾਰਾ ਇਸ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ items motor vehicles, refrigerators ਅਤੇ wireless sets ਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹਾ ਕੰਗਾਲ ਮੁਲਕ forego ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜਿੰਨਾਂ ਟੈਕਸ ਹੁਣ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਖਲਾਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦਾਲ ਉਤੇ, ਰੋਟੀ ਉਤੇ, ਖਲ ਉਤੇ ਅਤੇ ਵੜੇਵਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ direct hit ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਇਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਪਰ direct ਟੈਕਸ ਹੈ। Mill owners ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਉ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੁਤੀਆਂ ਸਿਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਤੀਆਂ ਸਿਉਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰਖ ਲੈਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ clause 9 ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ amendments ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ face ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ most unpopular taxation ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ taxation ਦੀ proposal ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਜ਼ੱਬਜ਼ਬ ਵਿਚ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂ। ਹਮਾਇਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ discipline ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ Bill introduce ਕਰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਇਹ fallacious arguments ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੂੰਕਿ Plan ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ Bill ਦੀ objects and reasons ਦੀ statement ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ—

"The small levy of seventy-five naye paise per hundred rupees on the sale of foodgrains and pulses is an Education Cess and this cess has been found necessary in view of the introduction of free education and provincialization of local body schools....".

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ Provincialization of local body schools and free education upto Matric ਸਕੀਮਾਂ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਚੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਇਹ Plan ਦੇ scope ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ scheme ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ schemes actually Plan ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ Plan formulate ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਰ scheme ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ priorities lay down ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ priority ਹੀ ਨਾ ਦਿਤੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ taxes ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ calculations ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ Plan ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। Plan ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ out of Plan ਸਕੀਮ ਲੈ ਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ final scheme ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, Education ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ scheme ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ free education ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਹੈ—ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਪੀਚ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ financial aspects, problems ਔਰ difficulties ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ implement ਕਰਨ ਵਿਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ absolutely ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿ free education ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ figures ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ free education ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਖਰਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ meet ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ free education ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ free education ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਗੈਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ private school ਵਿਚ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ private schools ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ—private schools ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਤਾਕਤ

ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ । ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ free education ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਲ੍ਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੜੇਵਿਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ– ਗਰਜ਼ੇ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਇਹ argue ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ tax ਸਿਰਫ 10,000 ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਵਡੇ ੨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ । ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ tax ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਦਾਣੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਆਨੇ, ਚੌਦਾਂ ਚੌਦਾਂ ਆਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਉਸ ਹਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੂਨ ਨਹੀਂ । ਜਦ ਖੂਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਢੋਗੇ ਕਿਥੋਂ ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ return ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਵਡਿਆਂ ਵਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । *(At this stage Mr. Speaker occupied the chair.)*

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ education ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ education ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ । ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਤਅਨ ਐਸਾ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਉਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਤੇ ਵੀ tax ਹੈ । ਜਦ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ free ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ free education ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ workable scheme ਹੈ, ਨਾ plan ਵਿਚ provision ? ਜਦ ਅਸੀਂ plan ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ taxes ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ plan ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ Plan ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਛਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ priority ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਛਡ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

Taxation ਦੀ ਕਿਤਨੀ capacity ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ calculations Planning Commission ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ taxes ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ tax ਦੇਣ ਦੀ capacity ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ education free ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ education ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ employ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ—ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁਕੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ free education ਕਰਨ ਲਗੇ ਹੋ? Free education ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜੋ ਬੱਚੇ education ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ figures ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ unemployment ਜਿਹੜੀ educated ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ problem ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ free education ਨਾਲ educated unemployed ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਜਾਂ ਘਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ galleries ਨੂੰ play ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਸਾਮੇ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ age ਜਾਂ ਫਲਾਂ standard ਤਕ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ free education ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਦ ਇਹ ਸਕੀਮ Plan ਵਿਚ ਵੀ included ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥਦੋਬਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ Plan ਨੂੰ expand ਕਰਨ ਲਈ Planning Commission ਨੂੰ request ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ Plan ਵਿਚ include ਕਰਨਾ accept ਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ request ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿਤੀ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ private ਸਕੂਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ grant ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ—ਮੈਂ ਵੀ Education Minister ਰਹਿ ਚੁਕਿਆ ਹਾਂ, ਅਜ ਤਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ—ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ proposal put up ਕੀਤੀ ਸੀ। [*Bell*] ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ relevant ਹਾਂ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा ख्याल है कि relevant होते होते आप ज़यादा ही दूर चले गए हैं । (I think while trying to be relevant, the hon. Member has gone much wide of the point).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਥੋਂ ਤਕ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ।

Mr. Speaker : It appears as if you are discussing some item relating to Education.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ statement of objects and reasons ਵਿਚ ......

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਈ ਜਾਉ । (But do not introduce other matters).

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ......

Mr. Speaker : Only passing references may be made. You should not discuss the merits of a certain problem. You say that a certain tax is not desirable because of many schemes which are undesirable. You should not go into the merits of those schemes.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : Sir, when they are going to tax the people on the ground that they want to implement a certain scheme, I think I can discuss it.

Mr. Speaker : Only passing references may be made.

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ discuss ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ discuss ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि आप उस का reference के तौर पर ज़िक्र कर सकते हैं । (It is true that the hon. Member can make a passing reference in this respect.)

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਜਦ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ tax ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ tax ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ]

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ industries ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ process ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਰ purpose ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕੋਈ purpose ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ stage ਤੇ ਇਹ tax ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ industries ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ tax ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆਉਂਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ tax ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ local rate ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ tax ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ tax ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਹ tax ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ tax ਕਿਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ speech ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲ provincialize ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ private ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆਖਰ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ liability ਅਸੀਂ create ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਚ ਇਕ public ਜਲਸੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ Finance Minister ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪੁਮਲੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ tax ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਤਨੀ capacity ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਨੇ tax ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ tax ਦੇਣ ਦੀ capacity ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ tax ਲਗਾਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਈ tax ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ capacity ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਤਨੇ

tax ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ Planning Commission ਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਕਿ plan ਵਿਚ ਹਨ। Plan ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ tax ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ financial position ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ sound ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਘਟ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।

श्री हरभगवान मौदगिल : स्पीकर साहिब, इस tax पर पहिले बजट पर general discussion के वक्त, फिर demands पर और फिर Appropriation Bill पर, काफी discussion हो चुकी है। इस लिये

Sir, I beg to move—

5 p.m. | That question be now put.

Sardar Gurbachan Singh Bajwa : On a point of Order, Sir....

Mr. Speaker : I have followed it. That argument cannot be advanced here so far as the discussion on the principle of this Bill is concerned.

Shri Harbhagwan Maudgil : This is true, but......

Mr. Speaker : The Bill is named as the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill. But in the Statement of Objects and Reasons it is mentioned that the small levy of seventy-five Naye Paise per hundred rupees on the sale of foodgrains and pulses is an 'Education Cess' and this cess has been found necessary in view of the introduction of free education and provincialisation of local body schools.

श्री प्रबोध चन्द्र : मौदगिल साहिब, आप की खिदमात नोट कर ली गई हैं।

Mr. Speaker : Order please.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज हाउस के सामने जो यह tax की proposal रखी गई है इस के बारे में जो ख्यालात Opposition की तरफ से और Treasury Benches की तरफ से हाउस के सामने रखे गये हैं उन को देख कर हैरानी महसूस होती है कि हमारी सरकार किस तरह के democratic ढांचे को इस सूबा के अन्दर लागू करना चाहती है। Democratic ढांचे के मुताबिक यह कहा जाता है कि—

'Government of the people, by the people, for the people.'

जो जनता की आवाज़ को लेकर सरकार चलती है, जो जनता की सरकार है और जो जनता के लिये काम करती है। लेकिन हैरानी की बात है कि जब सरकार

[श्री बलराम दास टंडन]

जनता को उस आवाज़ को जो बाहर से निकलती है, सुनने के लिये तैयार नहीं और जो जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, जो हाउस के अन्दर यहां बैठे हुए हैं, उन की आवाज़ को भी सुनने के लिये तैयार नहीं, तो किन लोगों के लिये यह सरकार बनी है ? आखिर democratic ढांचे में कहते हैं कि वह जनता के प्रतिनिधियों की बात को सुने। लेकिन वह Opposition की बात, जो इस सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं, को तो सुनने को तैयार नहीं बल्कि Treasury Benches पर बैठे हुए माननीय सदस्यों की आवाज़ को भी सुनने को तैयार नहीं। उन में से जो बजट पर बोले, जो demands पर बोले और जो Appropriation Bill पर बोले या दूसरे बिलों पर बोले हैं और जिन में सिवाय उस मिनिस्टर साहिब के, जिन को Finance Minister कहा जाता है या tax मिनिस्टर कहा जाता है, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं जिस ने यह बात कही हो कि यह tax अच्छे हैं। यह बात इस सदन के अन्दर सुनाई नहीं दी। आखिर सोचना पड़ता है कि यह democratic ढांचा इस पंजाब के अन्दर किस तरह से चलाना चाहते हैं। मुझे तो दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह पंजाब की सरकार Government of the people तो मालूम नहीं होती। इस के लिये यदि यह कहें कि यह गवर्नमेंट of the people नहीं बल्कि Government off the people है और

'Government of the people, not 'of' but 'off', Government by the people, not 'by but 'buy', Government for the people, not 'for' but 'far.'

शायद शब्द तो वही हों लेकिन माने इन के अपने हैं। शायद यह सरकार चाहती है कि जनता वही तरीका अपनाये जिस तरह का तरीका आज से काफी दिन पहले कलकत्ते के अन्दर वहां की जनता ने अपनाया था। क्या यह चाहती है कि जैसे कलकत्ते की जनता ने अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया था जब कि एक पैसा या एक पाई ट्रैमों का किराया बढ़ा दिया गया था वही तरीका यहां की जनता भी अपनाये ? यह मेरे ख्याल में अपने तक आवाज़ पहुंचाने का वही सही रास्ता समझती है और इसे light दिखाने के लिए ज़रूरी समझती है जैसा कि वहां की जनता ने बसों और ट्रैमों को आग लगा कर, शोले जला कर light दिखा दी थी, तब वहां की सरकार को light नज़र आई थी, वैसा ही यहां किया जाये। यहां जो tax बढ़ाये जा रहे हैं उन के खिलाफ जनता आवाज़ उठा रही है और उन का हम भी विरोध करते हैं लेकिन यह सरकार हमारी आवाज़ को सुन नहीं रही। इस के लिये सही रास्ता यही है कि इस आवाज़ को सुने, नहीं तो आखिर बताएं कि तीसरा रास्ता क्या है। बाहर जनता की आवाज़ नहीं सुनते और हाउस के अन्दर सदस्यों की आवाज़ नहीं सुनते। यह टैक्स की प्रोपोज़ल उन लोगों की तरफ से आई है जिन्होंने अंग्रेज़ों के वक्त में महीनों भर सारे पंजाब के अन्दर मकानों के दरवाज़े बन्द करवाए, दुकानों के दरवाज़े बन्द करवाए और हज़ारों लोगों को जेल की चार दीवारी के अन्दर डलवाया। आज वह लोग वज़ारत की कुर्सी पर बैठ कर सवा छः रुपए के हिसाब से खुद टैक्स लगा रहे हैं। स्पीकर साहिब, कितनी हैरानगी की बात है कि जहां उस वक्त सिर्फ़ चार आने प्रति सैंकड़ा के हिसाब से टैक्स का इन्हीं लोगों

ने इतना डट कर विरोध किया और आज स्वयं उस टैक्स से 25 गुना ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। और अभी क्या पता है कि कल को इस को और भी बढ़ा दिया गया है ऐसा सुनने को मिलेगा। इस से आगे अगर आप पंजाब की जो हालत है इंडस्ट्री और पैदावार के लिहाज़ से, उसे देखने की कोशिश करें तो पता चलेगा कि बटे हुए पंजाब का जो हिस्सा हमारे हिस्से आया उस में कोयला, जो कि इंडस्ट्री का बेसिज़ है, नहीं मिलता और बाहर से मंगाया जाता है। दूर दूर से रेल के वैगनों में लाया जाता है जिस पर फ्रेट देना पड़ता है। इस के अलावा हमें इंटर स्टेट सेल्ज़ टैक्स देना पड़ेगा। अब जिस इंडस्ट्री के बेसिज़ का यह हाल हो वह कैसे अपने पांव पर खड़ी रह सकती है? पहले तो यह कहा जा सकता था कि अनबटे पंजाब का दूसरा हिस्सा था, बलोचिस्तान था, यह दूसरे इलाके थे जिन में जा कर हमारा तैयार किया हुआ माल दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में सस्ता बिक सकता था और इंडस्ट्री अपने पांव पर खड़ी रह सकती थी परन्तु अब वह तो सारा इलाका हमारे से कट गया है। तो यहां का तैयार किया हुआ माल फिर किराया भर के वापिस उन्हीं सूबों को जायेगा। तो आप बताएं कि उन सूबों की जो इंडस्ट्री है उस के मुकाबले में हमारी इंडस्ट्री कैसे खड़ी रह सकती है? अब यहां की इंडस्ट्री को, पंजाब तो पहले ही इंडस्ट्रियल सूबा नहीं कहा जा सकता, और भी हार्ड हिट किया जा रहा है। यहां की इंडस्ट्री तो पहले ही अच्छी हालत में नहीं है। अब कहते हैं कि यहां बिजली बहुत पैदा हो रही है, इस से इंडस्ट्री बढ़ेगी। मगर, स्पीकर साहिब, इस में भी यहां एक अजीब ही इकौनोमी का असूल चल रहा है। दुनिया में अगर कोई चीज़ ज्यादा पैदा होने लगे तो उस की कीमत कम होती है मगर यहां उलटी बात है! ज्यों ज्यों बिजली ज़्यादा पैदा हो रही है उस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री और हार्ड हिट हो। फिर कहते हैं कि यह सब टैक्स, जैसा कि स्टेटमैंट आफ़ आबजैक्ट्स ऐंड रीज़न्ज़ में लिखा है, ऐजुकेशन के लिये लगाए जा रहे हैं। जैसा कि बहुत से साथियों ने कहा है कि पढ़ाई जो होती है, वह इस लिए कि पढ़ने वाला अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छी तरह से चलाए, गुज़ारा चलाए और अपनी बुद्धि को विशाल कर सके। मगर आज हालत क्या है? आज ऐजुकेटिड अन-ऐम्पलायमेंट जितनी है वह हमारे सामने है और यह नित्य प्रति बढ़ रही है। अब तो यह है कि जो थोड़ी बहुत है, जिस से लोगों का गुज़ारा किसी तरह से चल रहा है उस पर भी महंगाई की वजह से कुल्हाड़ा पड़ रहा है। तो यह गरीब लोग क्या करेंगे सिवाय इस के कि वह रेल के नीचे सिर दें, उस के सामने कूदें और अपनी ज़िंदगी को खत्म कर दें बजाय इस के कि घिस घिस के मरें। अब यह जो टैक्स लगा रहे हैं इसे परचेज़ टैक्स का नाम दिया गया है और रा मैटीरियल पर लगेगा। यह लगेगा कितनी स्टेजिज़ पर? मैं आप के सामने कपास की मिसाल देना चाहता हूं। इस में दो परसैंट के टैक्स की तजवीज़ है। जब कपास से बिनौले की शक्ल में बदल कर माल जाएगा तो उस पर दो परसैंट टैक्स लगेगा। उसके बाद जब तीसरी स्टेज पर तेल की शक्ल में माल बिकेगा तो फिर टैक्स लगेगा। चौथी स्टेज वनस्पती, फिर सोप स्टोन, फिर साबन और फिनिश्ड माल बिकेगा। तो इन सब स्टेजिज़ पर दो परसैंट का टैक्स बार बार लगेगा। जिस का मतलब हुआ कि एक ही कमौडिटी पर 14 परसैंट टैक्स देना पड़ेगा फिर मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि हम ने अनाज पर सिर्फ़ 75 नए पैसे के हिसाब से टैक्स लगाया है, यह बहुत थोड़ा है। परन्तु यदि सरकार की

[श्री बलराम दास टंडन]

नीति को देखा जाए तो 1952 की अमेंडमेंट के मुताबिक इन्होंने दो पैसे टैक्स लगाया और कहा कि हम इस से ज़्यादा नहीं लगाना चाहते। लेकिन इस के बावजूद यह बढ़ा रहे हैं। सफा 52 पर सैक्शन 5, में कहा है :

> Subject to the provisions of this Act, there shall be levied on the textile turnover every year of a dealer a tax at such rates not exceeding two pice in a rupee as the State Government may by a notification direct'.

जब सरकार इस तरीके से अपनी ही की हुई बातों में इस तरीके से तब्दीली कर सकती है तो आज यह जो टैक्स लगाया जा रहा है उस के लिये भी कल को अमेंडमेंट ला कर उस को किसी हद तक ले जा सकती है। जब भी हमारी सरकार या केंद्रीय सरकार कोई बात करती है तो कहती है कि हमें सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाना है, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को ऐनकरेज करना है और बड़ों को डिस्करेज करना है। मगर इस तरह के टैक्सों से तो यह होगा कि छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट्स तबाह हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आप वनस्पती को देखें। जिस छोटे मालिक पर टैक्स लगेगा उस ने तो एक ही प्रौसेस लगाया हुआ होगा। मगर जो वह रा मैटीरियल खरीदेगा वह तो पहले ही तीन स्टेजिज़ पास कर चुका होगा, यानी उस छोटे मालिक को तो लगभग 8 पैसे पहले ही टैक्स लग चुका होगा। तो इस तरीके से यह इंडस्ट्रियलिस्ट उस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले में कैसे खड़ा हो सकेगा जिस ने सारे प्रासैस एक ही जगह पर लगा रखे हैं? मिसाल के तौर पर जगाधरी में थापर साहिब का कारखाना है। वहां पर ऐक्सपैलर वनस्पती और सोप का प्लांट भी लगा हुआ है। अब वह एक ही बार माल खरीद कर उस को दूसरे कई किस्म के मैटीरियल में तब्दील कर सकेगा और दूसरी जगह भी पहुंचा सकेगा क्योंकि यह जो टैक्स है यह तभी लगेगा जब मालिक तब्दील होगा। जब एक ही मालिक एक प्रासैस से दूसरे प्रासैस में माल को ले जाएगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह उस को छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट की निस्बत फी रुपया छ: या आठ पैसे बचत होगी। ऐसी हालत में छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े के मुकाबले में कैसे खड़ा हो सकेगा? और एक दिन ऐसा आएगा कि पंजाब के अन्दर वही लोग नज़र आएंगे जिन्होंने सारे प्रासैस लगा रखे होंगे और छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट नाम लेने को भी नहीं बचेगा।

इस के बाद मैं समझता हूं, स्पीकर साहिब, जहां तक finished articles का ताल्लुक है अगर इस की तरफ ध्यान दिया जाए तो इस legislation में दिखाई देता है कि industry धीरे धीरे खत्म हो जाएगी क्योंकि जो बात चल रही है इस से लोग सोचेंगे कि raw material खरीदने के बजाय बाहर दूसरी जगहों पर भेजा जाये। और पंजाब raw material की export के काम पर रह जाएगा।

दूसरी बात, स्पीकर साहिब, मैं गोशगुज़ार करना चाहता हूं। वह यह है कि इन हालात में जो बाहर से माल मंगवाएगा वह टैक्स अदा नहीं करेगा। एक थोक का व्यापारी बाहर से मौवा तेल लेकर आ जाएगा और सिर्फ inter-state Sales Tax अदा करेगा। और वह, स्पीकर साहिब, दो तीन processes के अन्दर लाने के बाद बिना किसी किस्म का टैक्स दिये इस का प्रयोग कर लेगा। यह टैक्स बाहर से

आए हुए raw material पर नहीं लगेगा और बड़ा व्यापारी बाहर से एक wagon तेल लाकर अपने कारखाने के अन्दर काम करेगा। वह कानपुर या इस तरह की बड़ी मंडियों से माल ला सकता है। परन्तु जो छोटे कारखानेदार हैं और जो उस थोक के व्यापारी से माल लेंगे उन्हें यह टैक्स देना पड़ेगा! तो इस से साफ ज़ाहिर है कि थोक के व्यापारी पर इस टैक्स का कोई असर नहीं पड़ेगा। वह टैक्स नहीं देगा और मुनाफ़ा भी लगा लेगा। तो इस तरह छोटे industrialists तबाह हो जाएंगे और हमेशा के लिए तरक्की नहीं कर पायेंगे। बड़े व्यापारी चाहे बीज लाएं, चाहे तेल लाएं, वह टैक्स भी नहीं देंगे और profit भी लेंगे। लेकिन छोटा काम करने वाला discharge हो जाएगा और यही नहीं, सफा हस्ती से मिट जाएगा। और कुछ देर बाद जो शानदार Socialistic Pattern of Society का ढाचा पंजाब के अन्दर यह लाने जा रहे हैं वह किसी ने न कभी सुना होगा न देखा होगा और न कभी imagine किया गया होगा।

स्पीकर साहिब, इसके अलावा और बातें भी हैं जिन के बारे में, मैं समझता हूं कि सरकार ने इस कानून को लाने से पहले इन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस कानून को लाने से पहले ऐसा दिखाई देता है कि सरकार ने सारी details में जाने और तह में जाकर सोचने की कोशिश नहीं की। मुझे तो हैरानगी होती है कि हमारे वज़ीर खज़ाना जब बजट पेश करने के बाद बाहर गए तो मुझे उन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने बड़े शानदार शब्दों में कहा कि आप को अच्छा मौका दिया है अच्छी तरह से बोलने का नई टैक्स proposals पर। इन शब्दों से ही पता चलता था कि इस में क्या intricacies हैं और नए टैक्सों के पीछे क्या भावना काम कर रही है। यह सोचने वाली बात है। इस लिये यह जो टैक्स लगाया गया है यह बड़े industrialists नहीं देंगे और एक पैसा भी नहीं देंगे। जैसे वह कहते हैं कि "खाया भी और मज़ा भी न आया", बड़े industrialists एक पैसा भी नहीं देंगे और बाहर से direct माल मंगवा कर finished articles तैयार कर लेंगे। और छोटे कारखानेदार इस टैक्स को अदा करेंगे। (*Interruptions*).

स्पीकर साहिब, सब से बुरी बात जो इस बिल के पास किए जाने से होगी वह यह कि किसान बहुत hard hit होने वाले हैं। वह इस ढंग से कि उन पर यह असर पड़ने वाला है कि उन्हें अपने अनाज की और produce की कीमत कम मिलेगी। मिसाल के तौर पर रूई है। रूई की world market है, cotton की world market है। अब आप मिसाल के तौर पर देखिए कि तीन मन कपास कोई खरीद करता है और अगर भाव 30 रुपए फी मन है तो उसे 90 रुपये देने पड़ते हैं। तीन मन कपास में रूई और बिनौले अलग करता है तो 2 मन बिनौले और एक मन रूई रह जाती है। अगर बिनौले 10 रुपए फी मन हों तो 20 रुपए बिनौलों के काट कर 70 रुपए एक मन रुई पर लागत आती है। तो जब वह world markets में और Ahmedabad और Bombay में जाता है जहां world market control होती है तो

[श्री बलराम दास टंडन]
वह अपनी रूई को 70 रुपए के भाव से बेच देगा। लेकिन जब यह टैक्स लगाया जाएगा तो उसे फर्ज करें कि 2 रुपए टैक्स देना पड़ता है तो वह अपनी रूई 70 रुपए पर बेचने के लिये तैयार नहीं होगा। वह इसे 72 रुपए पर बेचना चाहेगा, परन्तु world market rate 70 रुपए का होगा। 70 रुपए पर तभी बेच सकता है अगर वह इसे 68 रुपए पर खरीद करे और 68 रुपए से ज्यादा वह दे नहीं सकता क्योंकि world market उसे ज्यादा देने की इजाज़त नहीं देती। इस लिये वह किसान घाटे पर बेचेगा और किसान को नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस लिए, स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि जिस दिन यह बिल जनता के सामने आयेगा वह काला दिन होगा। वह black day होगा और इस legislation के लाने से पंजाब की industry तबाह हो जाएगी। और किसानों के साथ धक्का होगा।

यहां पर free education की बात की गई है और educational cess का ज़िक्र किया गया है परन्तु free education तब समझी जा सकती है जब प्रान्त के हर स्कूल में free education का प्रबन्ध कर दिया जाए। देहात के अन्दर सैंकड़ों private schools हैं जहां पर बच्चों को free education नहीं मिल सकती। इस लिये यह कहना गलत होगा कि पंजाब के अन्दर free education कर दी गई है। हां, यह कहा जा सकता है कि Government schools में education free कर दी गई है, लेकिन इस से आम जनता को कोई लाभ नहीं। इस लिये जिस दिन यह कानून लागू कर दिया जाएगा वह दिन काला दिन माना जाएगा और चार आने सैंकड़े के हिसाब से जो टैक्स लगाया जा रहा है वह एक दुर्भाग्य होगा इस प्रान्त का और industrialists और किसान रोएंगे और हम बाहर जा कर पंजाब की जनता के सामने अपने लोगों को जो यह टैक्सों की देन होगी, इसे रखेंगे तो यह शोभा नहीं देगा और इस से industry के interests injure हो जाएंगे और education के cause को भी नहीं बढ़ाया जा सकेगा।

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू (होशियारपुर, रिज़र्वड) : स्पीकर साहिब, हम सुना करते थे कि किसी वक्त अछूतों के ऊपर मनु के राज्य में बहुत ज़ुल्म हुआ करते थे लेकिन आज की हकूमत अछूतों पर ज़ुल्म करने में मनु राज्य से भी बदतर किस्म की है। अछूत इस वक्त पंजाब में बुरी दशा में हैं। उन्हें न वक्त पर रोटी मिलती है, न कोई रोज़गार मिलता है। और उन की रोटी और रोज़गार पर आज किसी न किसी रूप में taxes लगाये जा रहे हैं। खादी का काम हरिजनों का main profession था परन्तु खेद है कि सरकार ने खद्दर भंडार खोल कर जैसे कि आदमपुर में और दूसरी जगह पर हैं, यह काम हरिजनों यानी अछूतों से छीन कर स्वर्ण जाती के लोगों को दे दिया है।

स्पीकर साहिब, आज़ादी मिलने के बाद हमारी अछूत जनता में यह उमंग उठी थी कि Socialistic Pattern of Society का दावा करने वाली कांग्रेसी सरकार हरिजनों का और जनता का भला सोचेगी। परन्तु हुआ क्या है कि छोटे से business पर,

जो आम तौर पर हरिजनों का main profession है, भी टैक्स लगाया जा रहा है। मेरा भाव चमड़े के काम से है। चमारों के चमड़े के काम पर tax लगा कर हकूमत ने एक बड़े भारी जुर्म का इर्तकाब किया है। इस जुर्म को कभी भी मुआफ नहीं किया जा सकता। स्पीकर साहिब, 1948 में जब डाक्टर गोपी चंद भार्गव Chief Minister थे उन्होंने इस किस्म का एक बिल लाने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त हरिजन M.L.A. भाइयों ने इस का डट कर मुकाबला किया और ज़ोरदार मुखालिफत की, जिस की वजह से उन को यह बिल वापिस लेना पड़ा क्योंकि डाक्टर साहिब का मन्त्रि मंडल डोल रहा था। आज मन्त्री महोदय ने इस किस्म का बिल पेश कर के एक कलंक का टीका अपने माथे पर लगा लिया है। इन्होंने आज यह बिल पेश करते वक्त बहुत सारी बातें कहीं कि बटाला एक चमड़े की मंडी है जहां लाखों रुपया हरिजन कमाते हैं। वहां एक सेठ राम किशन दास हैं जो बहुत कमाई करते हैं, वगैरा। मगर, स्पीकर साहिब, एक आदमी पर Tax लगाने की वजह से आज तमाम चमारों पर जुल्म किया जा रहा है। आज हम यहां अपने आप को हरिजन जनता के नुमाइंदे कहलाने का दावा करते हैं। आज हमारी हरिजन जनता के नुमाइंदे हरिजन मिनिस्टर मास्टर गुरबंता सिंह जी इस हकूमत के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। वह इस बात पर मजबूत हैं कि इन हरिजनों ने Elections के दिनों में कांग्रेस का साथ नहीं दिया था और उस की Election में बहुत मुखालफत की थी। आज इस बात का revenge लेने के लिये यह सब कुछ हो रहा है। और इस किस्म के taxes लगा कर उन पर जुलम और अत्याचार किया जा रहा है। आज उन का लाखों रुपया कमाना इन को चुभता है। क्या आप का यही Socialistic Pattern of Society है जिस के आप नारे लगाते दम नहीं लेते हो, 1930 में महात्मा गांधी जी ने हरिजनों को जुदा न होने के लिये मरण व्रत तक रखे लेकिन आज उन को इस कदर रौंदा जा रहा है कि उन के हकूक की कोई परवाह नहीं की जाती। कहते हैं कि हम ने हरिजनों के लिये 21 प्रतिशत reservation कर दी है लेकिन इस reservation को किसी भी महकमा में पूरा नहीं किया गया और दावे करते हैं Socialistic Pattern of Society के। आज जहां मुल्क में हर तरफ तरक्की हुई है हमारी जाति के लोग भी चाहते हैं कि उन को इस तरक्की में कुछ हिस्सा मिले। अगर वह अपनी चमड़े की industry में कोई तरक्की करना चाहते हैं तो इस किस्म के बिल ला कर उन को sabotage करने की कोशिश की जा रही है; उन को पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। क्या महात्मा जी इन कामों के लिये हरिजनों को अपने साथ मिलाना चाहते थे? और यह जो झूठे दावे किये जाते थे Socialistic Pattern of Society के वह इस लिये ही होते थे कि हरिजनों को हर बात में exploit किया जा रहा है। उन की दाल रोटी पर Tax लगाया जा रहा है। उन के ऊपर कोई tax नहीं होना चाहिये।

इस के अलावा मैं आप को challenge करता हूं कि इस महीने में यानी 14 April को All-India basis पर एक Scheduled Caste Convention होने वाली है, जिस में जो आज कल हम पर जुल्म और घोर अत्याचार किये

[चौधरी कर्म चन्द सिद्धू]

जा रहे हैं, उन के बारे में शीघ्र विचार किये जायेंगे। और जो reservation के मुतअल्लिक झूठा ढण्ढोरा पीटा जा रहा है उस पर भी हम गौर करेंगे। मैं इस बात का दावा करता हूं कि दाल रोटी पर tax नहीं रहने दिया जायेगा और अगर रहा तो हम इस किस्म का कोई फैसला करने के लिये मजबूर हो जायेंगे। आज जब किसी हरिजन की भलाई का सवाल पैदा होता है तो मैं हकूमत करने वाले साथी उस का मजाक उड़ाते हैं। मगर उन को शायद यह बात याद नहीं कि Elections के दिनों में लोगों के साथ वह किस किस्म के झूठे वादे कर के आये हैं। स्पीकर साहिब, मैं इन को बता देना चाहता हूं कि हमारी अछूत जनता आज एक फैसला करने वाली है। (आवाजें : कहां है आपकी जनता ?) जनाब, मेरी जनता यह फैसला करने वाली है क्योंकि पहले अकाली movement हुई और इस के बाद हिंदी समिति की agitation हुई। इन तमाम movements के बाद आज हम देखते हैं कि Congress बिल्कुल बेजान हो चुकी है, हिन्दू इस से बदज़न हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें कहना, कि कौन बेजान है या जानदार है ठीक नहीं है। (It is not proper to say which party is alive or which is otherwise.)

कंवरानी जगदीश कौर : सच्ची बात है जो।

अध्यक्ष महोदय : कंवरानी साहिबा, आप तो हमेशा सच्ची बातें करते हैं। मगर इस जगह नहीं। (The hon. Lady Member always says the truth but not here.)

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : कई किस्म की बातें हकूमत के खिलाफ हो चुकी हैं। और हरिजनों के जज़बात को अब कुचलने की कोशिश की जा रही है और इस तरह से उन को भड़काने की दावत दी जा रही है। मगर मैं इन को बता दूं कि मज़लूमों की आहें एक न एक वक्त ज़रूर रंग लायेंगी। और उन को खत्म करने वाली हकूमत उन को economically खत्म करने से पहले खुद खत्म हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह जो आप ने लिखा है, यह कह कर ही रहना है या यह सब कहने के लिये ही है ? (Does the hon. Member want that he must finish what he has written, or he is only saying for the sake of saying ?)

चौधरी कर्म चन्द सिद्धू : स्पीकर साहिब, मैं लिखा हुआ नहीं पढ़ रहा। मैं यह कह रहा हूं कि दाल पर tax न लगे। उन के main profession पर कोई tax ना लगे। नौकरियों में उन को पूरी पूरी reservation मिले। ज़मीनों के मसला को हल करने के लिये अभी कम से कम 5 साल और लग जायेंगे। इन झगड़ों के कारण हरिजनों को ज़मीन नहीं मिल सकती। इसलिए ceiling of land जल्द मुकम्मल की जाए। हरिजनों को मकानों से न निकाला जाए और मुरब्बेबन्दी में जो हरिजनों

को special मुरायात देनी हैं उस के लिये गवर्नर की तरफ से Notification करवाया जाये ताकि गांवों के ज़मींदार उन को ज़मीन देने से इनकार न कर सकें।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਨਾ, ਦੱਖਣ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ Sales Tax ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ development ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ country ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ rapidly development ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ agricultural industry develop ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ tax ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ development ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ gallaries ਨੂੰ play ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਦਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ speeches ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ 1953-54 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਦੇ ਅਤੇ 1953-54 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ income ਜਿਥੇ ਬੜੀ ਵਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ development ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਤਰਫ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਉਪਾਰ ਬੜ੍ਹੇ। Tandon ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ education ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ sales tax ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Luxury goods ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ source of income ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ taxes ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ industrialists ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ relief ਮਿਲੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ grudge ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ industrialists ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ education cess ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾ ਜਿਹੜਾ food grains ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ foodgrains ਤੇ tax ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।

[ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ]

ਜਿਹੜਾ electricity goods ਤੇ tax ਲਗਣਾ ਹੈ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ । ਜੇ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ foodgrains ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 40 ਜਾਂ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ income ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਉਪਾਰੀ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ (*Thumping of desks*) ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ tax ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 40% ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 40 ਲਖ ਰੁਪਿਆ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ tax ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ 1955-56 ਦੇ ਵਿਚ sales tax 24 ਲਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । 1956-57 ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੋਰ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਾਲ ਉਹੀ ਟੈਕਸ 40 ਲੱਖ ਨੂੰ touch ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਗਰਾਹੀ ਦੁਗਨੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ dealers ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ bogus ਹਨ । ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜਿਹੜਾ ਬਣੀਆਂ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦੋ ਬਕਸੇ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚੋਂ 8 ਸੇਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਚੋਂ 10 ਸੇਰ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ bogus names ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ bogus certificates ਚਲਦੇ ਪਏ ਹਨ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ dealers ਵਾਸਤੇ bogus certificates ਬਣਦੇ ਪਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ issue ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ? ਇਹ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ । ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਦਾ result ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ sales tax charge ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ sales tax evade ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ certificates registration issue ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ excise and taxation ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ bogus certificates ਨੂੰ detect ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ cancel ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹ Commissioner ਕਰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ certificates issue ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ cancel ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੋ authority ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦਾ license ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ issue ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ cancel ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ menace ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ search and seizure ਦੀਆਂ powers ਉਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਇਕ open secret ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 400/-, 500/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਰਖਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬਹੀਆਂ ਦਾ ਡਬਲ set ਰਖਣ ਅਤੇ check-

ing ਵੇਲੇ income tax ਦੀ ਚਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅਸਲੀ figures ਨਾ ਆਉਣ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਐਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਿਆ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ search and seizure ਦੀਆਂ powers ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ, ਇਹ evasion ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜਦ ਇਹ powers civil supplies ਦੇ staff ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ powers ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ?

ਅੱਜ position ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ I.T.O. ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਿਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅਫਸਰ checking ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਗੈਰ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ checking ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ State ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ leakage ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਜੇ ਇਹ leakage ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ B schedule ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ abandon ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਘੰਟੀ) । ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ।

श्री रला राम (मुकेरियां, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, sales tax बड़ी देर का विषय है जिस के बारे में व्यापारी खास करके यह कहते रहे हैं कि यह उन के लिये काफी दिक्कत का बाइस है। इसलिये नहीं कि इस का बोझ उन पर पड़ता है, यह वह भी जानते हैं कि बोझ consumer पर पड़ता है, लेकिन वह इस बात से नाराज़ हैं कि उन के लिये जब कोई एक source पर यह टैक्स देना पड़ता है तो उन्हें बहुत असुविधा होती है और कई बार यह उन के अपमान का बाइस भी बनता है।

अध्यक्ष महोदय, इस टैक्स के विषय में यह जो एतराज़ किया जाता है कि यह कई sources पर देना पड़ता है, यह एतराज़ दूर नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा बढ़ गया है। इस हद तक मैं व्यापारी को बिल्कुल सही समझता हूं, जब वह कहता है कि इस को simplify कर दिया जाए। और उस का सब से अच्छा तरीका यह है कि किसी एक source पर इस को लगाया जाए ताकि उस के लिये ज़्यादा असुविधा न हो। सब से बड़ी बात यह है कि जितने ज़्यादा sources पर यह tax लगेगा उतनी ही इस के अन्दर ज़्यादा leakage होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, व्यापारी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि अगर 4 करोड़ की आमदनी sales tax से गवर्नमेंट को है तो लगभग 2 करोड़ रुपये का leakage होता है। इस लिये इस leakage को बन्द किया जाए। उस के लिए यह सुझाव है कि इस को एक ही source पर levy कर दिया जाए और जो ज़्यादा sources हैं उन पर spread न किया जाए। मैं समझता हूं कि इस सुझाव में वज़न है और वज़न इस लिये है कि वह खुद ही यह चाहते हैं कि State की आमदन कम न हो बल्कि ज़्यादा हो। मैं, स्पीकर महोदय, आप के द्वारा अपने मंत्रिमंडल को request

[श्री रला राम]

करूंगा कि यह जो सुझाव व्यापारियों की तरफ से दिया गया है, उस पर विचार करना चाहिए क्योंकि वह State के हित में है और tax की evasion को रोकने के लिये है। जैसे cotton की example दी गई है इसी तरह तीन या चार sources ऐसे हो जाएंगे जिन के ऊपर sales tax लगेगा। अगर first stage पर tax लगाया जाए तो उस से evasion नहीं हो सकती, लेकिन अगर different stages पर tax लगाया जाए तो उस से व्यापारियों को बेइमानी करने का मौका मिलेगा। इस लिये मैं मंत्रिमंडल का ध्यान अवश्य इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उन्हें इस सुझाव को मान लेना चाहिए क्योंकि इस से State को भी लाभ होगा और दूसरे व्यापारियों की भी एक पुरानी मांग पूरी हो जायेगी। इस के साथ ही राज्य के अंदर असंतोष के जो कारण हैं, वह भी कम हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस Bill के अंदर education cess का भी ज़िक्र आया है और इस सम्बन्ध में अनाज आदि जो हैं उन पर 12 आने प्रति सैंकड़ा sales tax बढ़ा दिया जाएगा। शायद legally इस पर कोई एतराज़ न हो सके लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं आप के द्वारा मंत्रिमंडल के कानों तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस tax के लिए इखलाकन कोई justification नहीं है। अगर दाल रोटी पर tax लगाना हो तो उस का अधिकांश जो है, वह गरीब की जेब से आएगा। अभी हमारे Deputy Minister साहिब ने कहा था कि यह tax बड़े बड़े stockists पर लगेगा। मैं समझता हूं कि यह उन्होंने गलत बात कही है क्योंकि जितना अनाज stock किया जाता है उस में से सिर्फ़ 40 प्रतिशत बाहिर जाता है और जो 60 प्रतिशत बकाया होता है वह locally consume होता है। उस को local लोग खरीदते हैं और ज्यादातर जो लोग मेहनत मज़दूरी करने वाले हैं, या गरीब employees जो हैं, वह इस अनाज के खरीदार बनते हैं। जो बड़े बड़े stockists हैं उन के stocks का 60 प्रतिशत हिस्सा यहां के रहने वाले गरीब आदमी खरीदते हैं। इस लिये यह कहना कि इस tax का बोझ केवल बड़े बड़े stockists पर ही पड़ेगा यह गलत बात है। इस का बोझ मज़दूरी करने वाले लोगों पर ही पड़ेगा। यह गरीब लोग अपना पेट काट कर जो sales tax देंगे उस से जो free education मिलेगी वह उन चंद खुशकिस्मत लोगों के बच्चों को मिलेगी जिन के नज़दीक Government Schools हैं मगर जिन के नज़दीक Government Schools नहीं हैं उन को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इस लिए उन के नाम पर यह tax लगाना नैतिक तौर पर ठीक नहीं है। इस को कोई justification नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ने पहले भी कहा था कि जिस हलके से मैं आया हूं, उस की 2½ लाख से ज्यादा आबादी है लेकिन उस इलाके के अन्दर तीन Government Schools हैं और 20 privately managed schools हैं। उन 20 private स्कूलों में जो पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे हैं, उन को education cess लगा कर जो free education की गई है उस का कोई लाभ नहीं पहुंचेगा हालांकि उस के लिए जो रुपया खर्च होना है,

वह ज्यादातर गरीब लोग अपना पेट काट कर सरकार के खज़ाने में भेजेंगे । इस लिए जो food stuff पर कर लगाया गया है, मैं समझता हूं कि यह morally unjustified है और यह कभी भी justified नहीं होगा जब इस का फायदा हर एक गरीब आदमी के बच्चों को छठी श्रेणी तक नहीं पहुंचेगा । इस लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा अपने मंत्रिमंडल तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस sales-tax का यह जो हिस्सा है, इसे अगर छोड़ दिया जाए तो उस से Government की prestige बढ़ेगी और गरीब आदमी इस बात को अनुभव करेंगे कि Government उन को दिक्कतों को महसूस करती है। Free education के नाम पर गरीबों पर यह tax लगाना, जब कि वास्तव में उन के बच्चों को free education नहीं मिलेगी, मैं समझता हूं बिल्कुल अनुचित है। यदि मंत्रिमंडल इस tax को छोड़ दे तो उस से हमारी party का मान बढ़ेगा और Government की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि एक तो tax ज्यादा stages पर न लगाया जाए और दूसरे sales-tax का यह जो हिस्सा है उस को छोड़ दिया जाए। इस के साथ ही मैं यह भी समझता हूं कि अगर सूबे की भलाई के लिए सरकार ने रुपया इकट्ठा करना है तो उस सूरत में अगर लोगों को थोड़ा बहुत sales-tax देना पड़ता है तो उस का हमें स्वागत करना चाहिए और अगर सच मुच देहात में education को free करने के लिये वह रुपया खर्च होगा तो भी हमें उस का स्वागत करना चाहिए। मगर जब तक सब गरीब आदमियों के बच्चों को फायदा नहीं पहुंचता उतनी देर तक education-cess लगाने को कोई justification नहीं है। इतना कह कर मैं अपनी speech को खत्म करता हूं।

Shri Harbhagwan Maudgil: Sir, I beg to move—

6 p.m.

That the question be now put.

Mr. Speaker: Question is—

That the question be now put.

The Assembly then divided

Ayes	..	61
Noes	..	16

The motion was declared carried.

AYES

1. Abdul Ghaffar Khan, Khan.
2. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
3. Amar Nath Sharma, Shri.
4. Amar Nath Vidyalankar, Shri.
5. Atma Singh, Sardar.
6. Balwant Rai Tayal, Shri.

[Mr. Speaker]

7. Balwant Singh, Sardar.
8. Bhagirath Lall Shastri, Pandit.
9. Bakhtawar Singh Rai, Gyani.
10. Bhupinder Singh, Man, Sardar.
11. Charan Singh, Sardar.
12. Dalbir Singh, Shri.
13. Dasondha Singh, Chaudhri.
14. Dev Dutt Puri, Shri.
15. Dhanna Singh Gulshan, Sardar.
16. Gajraj Singh, Rao.
17. Gian Singh Rarewala, Sardar.
18. Gorakh Nath, Shri.
19. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
20. Guran Dass Hans, Bhagat.
21. Gurbanta Singh, Sardar.
22. Harbhagwan Maudgil, Shri.
23. Harchand Singh, Sardar.
24. Harcharan Singh, Sardar.
25. Harcharan Singh, Sardar (Muktsar).
26. Harguranad Singh, Sardar.
27. Hari Ram, Chaudhri.
28. Harparkash Kaur, Bibi.
29. Jagdish Chand, Shri.
30. Jagir Singh 'Dard', Sardar.
31. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
32. Joginder Singh, Sardar.
33. Karam Singh "Kirti", Sardar.
34. Jit Ram, Lala.
35. Kesara Ram, Shri.
36. Mehar Singh, Thakur.
37. Mihan Singh Gill, Sardar.
38. Multan Singh, Shri.
39. Narain Singh, Sardar.
40. Om Prabha Jain, Shrimati.
41. Parkash Kaur, Shrimati.
42. Parma Nand, Dr.
43. Partap Singh, Bakshi.
44. Partap Singh, Master.
45. Prem Singh "Prem", Sardar.
46. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
47. Rajinder Singh, Sardar.
48. Rala Ram, Shri.
49. Ram Chandra Del Comrade, Shri.
50. Ram Dyal Singh, Sardar.
51. Ram Nath, Shri.
52. Ram Piara, Shri.
53. Ran Singh, Shri.
54. Roshan Lal, Shri.
55. Sadhu Ram, Chaudhri.
56. Sant Ram, Shri.
57. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
58. Sarup Singh, Chaudhri.
59. Sumer Singh, Shri.
60. Sunder Singh, Chaudhri.
61. Udham Singh, Sardar.

NOES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Balram Dass Tandon, Shri.
3. Baru Ram, Chaudhri.
4. Chander Bhan, Chaudhri.
5. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
6. Gurwarayam Singh, Sardar.
7. Hukam Singh, Comrade.
8. Inder Singh, Shri.
9. Jangir Singh, Comrade.
10. Karam Chand Sidhu, Shri.
11. Lal Chand, Shri.
12. Muni Lal, Comrade.
13. Phul Singh "Kataria", Shri.
14. Ram Dayal Vaid, Shri.
15. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
16. Rup Singh "Phul", Shri.

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाब स्पीकर साहब, वैसे देखने में तो मुझे बहुत सी चीज़ों का जवाब देना चाहिए लेकिन जहां तक जातपात का ताल्लुक है, मैं उस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इस में जातपात का सवाल नहीं। कोई motive नहीं। जहां तक इस में motive आता है उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिसे पीलिया हो गया हो उसे सब कुछ पीला ही नजर आता है। मैं यह दुआ करता हूं कि परमात्मा मुझे ऐसे दोस्तों से बचाए।

सब से बड़ा एतराज़ जो किया गया, वह यह कि यह टैक्स कानून के खिलाफ है। यानी सेल्ज़ टैक्स ऐक्ट का जो सेक्शन छः है, उस के यह चीज खिलाफ़ है। एक तरफ तो यह एतराज़ उठाया गया और दूसरी तरफ़ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक मैथड के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर सुना। मैं आप की खिदमत में वह सैकशन पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। उस में लिखा है :

'The State Government, after giving by notification not less than three months' notice of its intention so to do, may by like notification add to or delete from Schedule B and thereupon the Schedule B shall be deemed to be amended accordingly.'

इस के यह मायनी हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को यह इख्तियार है कि अगर वह notification से change करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन मैं ने notification के ज़रिये लाना मुनासब नहीं समझा। गवर्नमेंट खुद भी इस का फैसला कर लेती है, लेकिन लेजिस्लेचर को इस के बदलने में कोई रुकावट नहीं। लेजिस्लेचर के सामने आने से तो यह ज्यादा democratic काम हो जाता है। इस लिए यह कहना कि यहां लाने की क्या ज़रूरत थी, notification के ज़रिये हो सकता था, कोई खास वज़न नहीं रखता। खुशकिस्मती से बड़ा मामला एक ही था जिस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि धीरे धीरे चला जाय।

दूसरा एतराज़ यह था कि सेंट्रल सेल्ज़ टैक्स के मातहत ऐसा टैक्स लगाया जायेगा। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे पास इस का इख्तियार है।

[योजना मंत्री]

फिर कहा गया कि व्यापारियों से इकरार किया गया और बाद में बदल दिया। यह एक बड़ा इतिहास है। मेरे एक भाई ने इलजाम भी लगाया कि 1948 में जब यह सेल्ज़ टैक्स लगा तो मेरी कैबिनेट डांवा डोल थी, इस लिए मैं ने दबाव में आ कर मान लिया। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वे अगर इतिहास पढ़ कर कहते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्हें शायद मालूम नहीं कि pre-partition period में यह कर चार आने सैंकड़ा था और हर स्टेज पर था। अगर वह इस का इतिहास पढ़ कर बहस करते तो ज्यादा अच्छा होता। इस से मालूम होता है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं वे ठीक नहीं हैं। उस वक्त जब जेनरल सेल्ज़ टैक्स नया लगाया गया तो व्यापारियों से मश्विरा करने के बाद लगाया गया, हालांकि डीपार्टमेंट की इतनी मर्जी नहीं थी। उन से इकरार किया गया कि बंगाल के माडल पर लगेगा और व्यापारियों ने वादा किया कि जहां evasion होती है, वे उस में गवर्नमेंट की इमदाद करेंगे। उन की मदद का भरोसा करके उन की बात मान ली गई। फिर एक कमेटी बनी। इस consultation कमेटी ने जो सिफारिशात कीं उन सब पर ग़ौर किया गया, जो मानी जा सकती थीं, उन्हें मान लिया गया। व्यापारियों ने कहा कि हमें तसल्ली है। मैं ने उन्हें कहा कि आप लोगों की तसल्ली तो हो गई लेकिन जो सेल्ज़ टैक्स की evasion होती है, आप उस में हमारी इमदाद करें। उन्होंने कहा कि चूंकि इलेकशन्ज़ होने वाली हैं इस के बाद करेंगे। चुनांचि उस के बाद व्यापारियों ने आपस में लड़ कर इस चीज़ को माना। यह चीज़ भी मानी कि पुलिस की search भी इस में दाखल हो जाय, जो पांच हज़ार की limit लगाई गई थी, वह बिल्कुल हट जाय। गवर्नमेंट के साथ ये चीज़ें मानी गई। यह कहा गया कि हम ने वादा किया था कि ज्यादा नहीं लगाएंगे। उन्हें शायद इस बात का ख्याल नहीं कि पहले एक आना रखा था, बाद में दो पैसे कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जैसे हालात होते हैं, उस के मुताबिक बदलना पड़ता है। जो स्टेट, गवर्नमेंट या निज़ाम stationary रहता है, वह progressive नहीं हो सकता। इस के साथ ही मैं इतना भी जिक्र करदूं कि व्यापार मंडल के साथ, जो एतराज़ात आए उन के बारे में, मश्विरा किया गया। उन की मीटिंग बुलाई गई, एतराज सुने। सुनने के बाद मैं ने यह कहा कि मैं यह चाहता हूं कि एक आप की representative committee बनाई जाय, जो कि बात करले। इस के लिये तीन चार आदमी चुन लिए जाएं। बदकिस्मती यह कि वे तीन चार आदमी न चुने जा सके। उन्हों ने कहा कि 15-20 आदमी आयेंगे। चुनांचि 15-20 आदमियों के साथ consultation नहीं हो सकती। आज भी मेरी offer खुली है। (*Loud thumpings*) मैं चाहता हूं कि इस काम के लिये चेम्बर आव कामर्स और industrialists की तरफ से आएं। हम मश्विरा करने के लिये तैयार हैं। हम उन के मश्विरा से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस राय का हूं कि जब तक उन लोगों को अपने साथ consultation में न ले लें तब तक काम नहीं चल सकता। लेकिन consultation उन्हीं के साथ हो सकती है जो मामला को सुलझाने के लिये आना चाहते हों। जो आदमी मामला सुलझाना न चाहते हों लेकिन political ideology के ख्याल से, चाहे वह सही

हो या ग़लत, सौदा बाज़ी करते हों, वह अपने आप को democrat नहीं कह सकते। Democracy के मायने थोड़े से मैं भी जानता हूं, थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी हूं और पढ़ने के अलावा गुढ़ा हुआ भी हूं। इस लिये जानता हूं कि democracy के क्या मायने होते हैं। [*cheers*] मैंने Opposition Party में काम किया है और काम कर के State की हालत को improve किया है। उन दिनों जो opposition party थी वह progressive views की party थी और ऐसी party नहीं थी जो retrogressive views की हो। अगर कोई आदमी capitalism के खिलाफ है और वह State capitalism की Support में बोलता है तो वह लोगों के फायदे की बात करने की बजाए उस की मुखालिफत करता है।

यह कहा गया कि luxury goods पर sales-tax uniform होना चाहिये। तमाम States ने और Union Government ने बैठ कर फैसला किया और luxury goods की एक agreed list तैयार की। Luxury goods पर uniform taxation हर State में लगा हुआ है और हम ने माना है (*Voices from the Opposition: Benches* क्या हिमाचल में है?) यह बात कही गई कि यह tax हिमाचल में नहीं है। यह बात अगर ज़्यादा दिन पहले की होती तो कहते कि कशमीर में भी नहीं है। साल 1948 में जब general sales-tax यहां लगा तो Pepsu में नहीं था, देहली में नहीं था लेकिन हमारी कोशिशों की वजह से Punjab Government ने support करना था इस लिये Pepsu में लगा और देहली में लगा। Union Government के मिनिस्टर साहिब ने कहा कि हिमाचल में भी लगने वाला है और motor cars वाले जो tax की evasion करते हैं वे आयंदा नहीं कर पाएंगे।

पुरी साहिब ने तीन suggestions पेश किये। उन्होंने small-scalers के बारे में गवर्नमेंट का ध्यान दिलाया। हम नहीं चाहते कि यहां कोई industry भी, चाहे वह small-scale पर हो या large-scale पर, दूसरी States के मुकाबले में unfavourable position में हो और उन्हें नुकसान पहुंचे। हमारा यह हरगिज़ मुद्दा नहीं है। हम पंजाब की small-scale और large-scale industries को develop करना चाहते हैं। पंजाब को आगे ले जाना चाहते हैं न कि पंजाब को पीछे रख कर उस के तरक्की के रास्ते को बंद करना चाहते हैं। उन्होंने फरमाया कि consultative committee होनी चाहिये। मैं ने अर्ज़ किया कि मैं इस बात के लिये तैयार हूं। मैं ने इस बिल के आने से पहले offer की थी लेकिन वह खुद न कर पाए। मैं ने रास्ता बन्द नहीं किया। Beopar Mandal के नुमाइंदों से बात चीत की। फिर repeat कर देता हूं और इसे assurance मान लीजिए कि consultative committee बन जायेगी।

दूसरी बात यह कि exemption की ताकत गवर्नमेंट ले ले। उस वक्त भी मैं ने कहा कि मेरे भाई की मुझ से consultation हुई। हम exemption को मंजूर कर लेंगे। बाकी रहा manufacturing process का सवाल। इस के मुतअल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि इस मामले पर lawyers और local officers से consultation

[योजना मंत्री]
का जाएगा। जो चीज़ हम ने रखी है वह बगैर Legal Remembrancer की मंजूरी के नहीं रखी।

फिर, स्पीकर साहिब, यह कहा गया कि इस जैसा कोई और tax unpopular नहीं। मैं वह दिन देखना चाहता हूं जिस दिन सब कहें कि यह टैक्स लगा दीजिए-- यह बड़ा popular tax है। टैक्स के मायनी tax करना है। जितने भी टैक्स होते हैं उन से दिल को थोड़ी सी घबराहट जरूर हुआ करती है लेकिन इस को इस लिये unpopular कहा गया है क्योंकि यह इस वक्त पास हो रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि जहां हम टैक्स को देखते हैं वहां हमें Constitution में दिये गये Fundamental Rights की तरफ भी निगाह डालनी चाहिये कि हमारी fundamental duty क्या है। हमें देश की तरक्की के लिये काम करना है तरक्की के काम के लिये महनत की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है--चाहे वह cash में हो या kind में हो; बगैर labour के काम नहीं चल सकता। इसी लिये labour को capital कहा जाता है। Labour को जब तक capital न बनाएंगे, capital की तरक्की नहीं हो सकती। इस point of view से हमें देखना है कि हम क्या contribute कर सकते हैं देश की तरक्की के लिये। जिस पर बहुत ज्यादा एतराज़ किया गया उस के मैं दूसरे मायने लेता हूं। इस बिल के Aims and Objects में दो चीजें रखी हैं--ऊपर लिखा है--

'The amendments in the matter of increasing the general rate of sales-tax from 2 old pice to 4 naye Paise, the deletion of certain items from the Schedule of Exemptions appended to the Act and the levy of tax on raw materials purchased by manufacturers are intended to bridge the gap between the budgetted income and expenditure.'

इस के मायने हैं कि बाकी जितना हिस्सा है budgetted income का expenditure को पूरा करने के लिये है--दूसरी चीज़ है--

"The small levy of seventy-five naye Paise per hundred rupees on the sale of foodgrains and pulses is an "Education-Cess."

इस बात को ले कर educational policy पर criticism हुआ। अगर मैं इस वक्त Educational policy के मुतअल्लिक ज़िक्र करूं तो यह relevant नहीं होगा-- objections करने वाले इसे बेशक relevant कह सकते हैं। गवर्नमेंट को रुपया चाहिये, इस लिये हम ने ऐसा किया है। एक भाई ने कह दिया कि कितने जुल्म की बात है कि गवर्नमेंट के पास किसी काम के लिये पैसे नहीं। मैं समझता हूं कि अगर कोई गवर्नमेण्ट जुल्म करती है तो उसे हटाना हर आदमी का धर्म होना चाहिये। महज़ इस बात पर कि किसी आदमी को इधर बैठने का chance मिल गया तो कह दिया कि जुल्म हो गया है, यह किसी तरह भी मुनासिब बात नहीं। अगर educational facilities देने के लिए रुपयों की जरूरत है तो इस टैक्स को tax के point of view से नहीं देखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी तकरीर को कल जारी कर लें। (The hon. Minister may continue his speech tomorrow.)

(The Minister for Planning was still on his legs when the House adjourned).

The Sabha then adjourned till 9 a.m., on Wednesday the 2nd April, 1958.

814 PVS—344—2-6-59—CP and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

2nd April, 1958

VOL. I—NO. 32

OFFICIAL REPORT

23-9-59

CONTENTS

Wednesday, 2nd April, 1958

CHANDIGARH:
Printed by the Controller, Printing and Stationery Punjab
1959

Price : Rs. 0.65 nP:

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, NO. 32,

DATED THE 2ND APRIL, 1958

Read	*for*	*on Page*	*line*
लेने	लन	(32)8	3
वज़ीर	सज़ीर	(32)9	1
इसे	इने	(32)9	24
`ने	पंदेने	(32)11	8th from below
Supplementary	Supplemantary	(32)14	9
स्कीम	स्कीक	(32)15	12
photostat	photostet	(32)25	17-18, 22-23 and 33
photostat	photostet	(32)26	6
point	poin	(32)28	22
हमारे	हमा`	(32)45	10
pulses	ulses	(32)46	5
रखने	रख`	(32)47	22
Noes	Ayes	(32)48	10
in	ia	(32)54	4
delete 'की' after the words 'पंजाब सरकार'		(32)56	8th from below
स्टेटों	स्टे ों	(32)56	3rd from below.
कर लें	कर `	(32)57	1
सारी	सा ी	(32)62	4th from below.
पर	गपर	(32)66	last
करें	कें	(32)68	3rd from below
exempt	e empt	(32)74	24

PUNJAB VIDHAN SABHA

Wednesday 2nd April 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 9 *a.m. of the clock. Mr. Speaker(Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the chair.*

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

CANCELLATION AND ISSUE OF LICENCES OF FIRE-ARMS

***2096. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the number and the names of the persons whose licences for fire-arms were cancelled in the year 1957 together with the reasons therefor in each case ;

(b) the number and names of the persons to whom fire-arms licences were issued in the year 1957 ;

(c) the total number of persons and their names who applied for the grant of licences of fire-arms during the said period together with the number and names of those amongst them whose applications were rejected ?

***Shri Mohan Lal :** (a), (b) and (c) It is not in public interest to disclose the information asked for. However an enquiry will be made by Government into any particular case that the member may wish to bring to their notice.

पंडित श्री राम शर्मा : तो क्या जेनरल कैंसलेशन का जवाब देना गवर्नमेंट की पालिसी के ख़िलाफ़ है और individual cancellation का जबाव दिया जा सकता है ।

मंत्री : मैंने अर्ज़ किया कि जेनरल तौर पर जो लाइसेंस कैंसल किये गए हैं उन के मुताल्लिक अगर 'रीज़न' मांगी गई हो तो यह बताना पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं है ।

PUBLICATION OF MAGAZINES AND PERIODICALS BY GOVERNMENT

***1857. Sardar Atma Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total expenditure incurred by Government on magazines and periodicals published by it during 1955-56 and the current year ;

(b) the details of the staff employed for this purpose with the details of the salary and allowances, etc, paid to them ?

---

*The Chief Minister being away, the questions standing in his name were replied to by the Minister for Finance.

Shri Mohan Lal : (a) 1955-56 .. Rs 45,011-9-6

1957-58 .. Rs 35,380.69

(b)

Staff		*Pay*	*Allowances*
		Rs	Rs
Three Editors	..	825.00	261.87
Two Article Writers	..	400.00	95.00
One Sales Manager	..	210.00	50.00
Three Clerks	..	180.00	120.00
One Daftri	..	40.00	30.00
Three Peons	..	90.00	90.00
Total	..	1,745.00	646.87

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ economy drive ਵਿਚ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ separate ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ । Off hand ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਸ ਸਕਦਾ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ magazines ਤੇ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : This question does not arise please.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਅਠ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ P.S.C. ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ direct recruit ਕਰ ਲਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ । ਨੋਟਿਸ ਦਿਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

RECOMMENDATIONS OF THE BACKWARD CLASSES

***1962. Sardar Atma Singh** : Will the Chief Minister be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 1222 included in the list of questions for 11th February, 1958, the names of Legislators appointed on the committee constituted by State Government to examine the recommendations of the Backward Classes Commission ?

Sardar Partap Singh Kairon : The names of the Legislators included in the Committee constituted for the consideration of Backward Classes Commission are as follows :—

(1) Shri D. D. Puri, M.L.A.

(2) Shri Naginder Singh, M.L.C.

(3) Shri Gulab Singh, M.L.C.

(4) Shri Harchand Singh, M.L.A.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : असल सवाल में यह कहां पूछा है । (Where has this information been asked in the main question.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ ?

Mr. Speaker : I am sorry I cannot allow it.

TREASURERS

*782. **Pandit Shri Ram Sharma** : Will the Minister for Finance be pleased to state whether it is a fact that a uniform scale of pay for the staff of the Contracting Treasurers in the State has been sanctioned by Government if so, what ?

Shri Mohan Lal : Yes. It has been decided in the recent revision of grades of pay that a uniform scale of pay for the staff of the Contracting Treasurers working in Ambala and Jullundur Divisions in the State be allowed as follows :—

(i) District Treasurers, Rs 116—8—180/10—250

(ii) Assistant Treasurers, Rs 60—4—80/5—120/5—175

(iii) Leave Reserve Treasurers, Rs 60—4—80/5—120/5—175

(iv) Sub-Treasurers (in Sub-Treasuries), Rs 60—4—80/5—120/5—175

The above-mentioned scales are only for Ambala and Jullundur Divisions as the Contracting Treasurers system is in vogue only in these two divisions. The scales of pay for the treasury staff (who are Government servants) working in Patiala Division are as follows :—

(i) Treasurer,
- Rs 75—175 (old for Patiala Treasury).
- Rs 50—80 (old for other Treasuries).
- Rs 106—6—160/8—200 (Revised for Patiala Treasury)
- Rs 60—4—80/5—120/5—175 (Revised for other Treasuries).

(ii) Assistant Treasurer
- Rs 40—60 (old)
- Rs 60—4—80/5—120/5—175 (Revised)

(iii) Sarafs & Etbari
- Rs 30—35 (old)
- Rs 32—42 (Revised)

(iv) Potedars, Rs 27—32

The question as to how far a unified system can be introduced both in erstwhile Pepsu and Punjab areas is under consideration of Government.

पंडित श्री राम शर्मा : जहां यह स्केल आफ़ पे की uniformity की गई है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या खज़ानची के मुलाजम हैं ?

मंत्री : जहां तक अम्बाला और जालन्धर डिवीज़न का सम्बन्ध है, वे तो contracting treasurer का स्टाफ है और जहां तक पटियाला डिवीज़न का ताल्लुक है, वे गवर्नमेंट सर्वेंटस हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : Contracting treasurer के staff के मुतअल्लिक गवर्नमेंट ने जो uniformity पैदा की है । मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का उन treasurers पर क्या कंट्रोल है ?

मंत्री : Details हासिल करने के लिये separate notice दें । लेकिन जैसे मैं ने अर्ज़ किया हम इसे examine कर रहे हैं कि uniformity लाई जा सके। दूसरों को भी हम पटियाला डिवीज़न के pattern पर लाने का विचार कर रहे हैं।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं ने यह सवाल नहीं किया था। मेरा सवाल यह है कि अम्बाला डिवीज़न और जालन्धर डिवीज़न में जो contracting treasurer staff है जिस की pay scales गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं, उस स्टाफ पर contracting treasurers और गवर्नमेंट का combined कन्ट्रोल है या कैसी हालत है ?

मंत्री : कन्ट्रोल contracting treasurers का भी है लेकिन गवर्नमेंट कुछ हद तक इस में कन्ट्रोल रखती है । बाकी details इस में पूछी नहीं गई । Pay के मुतअल्लिक सवाल किया था। अगर specific information की ज़रूरत है तो उस के लिये separate question दें ।

पंडित श्री राम शर्मा : Erstwhile Pepsu और Erstwhile पंजाब में जो फर्क चला आ रहा है, उस को दूर करने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत पेश आ रही है ?

मंत्री : गवर्नमेंट ने अपने अफसरों की opinion मांगी है और इस का जल्दी फैसला करने का यत्न करेंगे ।

OPTION FOR PUNJAB OR PEPSU PENSION RULES

***2062. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Government employees belonging to the erstwhile State of Pepsu have been called upon to either opt for Punjab Pension Rules or to retain Pepsu Pension Rules ;

(b) whether dearness pay which is a part of pay for pension purposes in respect of Pepsu employees under the Pepsu Pension Rules will be considered pay for the purposes of calculating pension in respect of Pepsu employees who opt for the Punjab Pension Rules ;

(c) whether Government propose to issue necessary instructions in this behalf to prevent any loss to Pepsu employees ?

Shri Mohan Lal : (a) Yes.

(b) and (c) The matter is under consideration.

OPTION FOR PUNJAB OR PEPSU LEAVE RULES

*2063. **Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) whether it is a fact that Government employees belonging to the erstwhile State of Pepsu have been called upon to either opt for the Punjab Leave Rules or retain the old Pepsu Leave Rules ; if so, whether leave to their credit as on 31st October, 1956 will be forfeited in case they opt for Punjab Leave Rules ;

(b) whether Government propose to allow the said employees to carry over the balances of leave to their credit at the time of merger while opting for Punjab Leave Rules ?

Shri Mohan Lal : (a) *First part.*—Yes.

(a) *Second part* and (b) The matter is under consideration.

RESIGNATION OF MUNICIPAL COMMISSIONERS FROM MEMBERSHIP OF NURPUR MUNICIPAL COMMITTEE IN DISTRICT KANGRA

*2147. **Shri Ram Chandra Comrade :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any Municipal Commissioners have resigned from the membership of the Nurpur Municipal Committee in district Kangra, if so, the reasons therefor ?

Giani Kartar Singh : Advance copies of the resignations of two members, Municipal Committee Nurpur, have been received by Government. The same are stated to have been submitted as a protest against and alleged dictatorial attitude of the President and deterioration in Municipal affairs.

श्री राम चन्द्र कामरेड : क्या मैं वज़ीर साहिब से दरियाफ्त कर सकता हूं कि म्यूनिसिपल कमेटी में जिस deterioration की उन्होंने शिकायत की है, क्या गवर्नमेंट ने कोई तहकीकात करने की कोई कार्रवाई की है ?

मंत्री : यह इस्तीफा proper channel के रास्ते अभी तक नहीं आया, सिर्फ advance copy आई है । जब वह through proper channel पहुंचेगा उस पर रिपोर्ट होगी । उस को देखने के बाद फैसला हो जायेगा ।

EXPENDITURE ON THE CONSTRUCTION OF CHANDIGARH CAPITAL

*2158. **Sardar Bhag Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total estimated expenditure proposed to be incurred on the construction of the Capital Project, the Assembly Hall building and the Lake at Chandigarh separately ?

Giani Kartar Singh : The total sanctioned estimated expenditure on the construction of Capital is Rs 2,409·73 lakhs. Due to integration, additional expenditure of Rs 223·14 lakhs is also estimated to be incurred.

The expenditure sanctioned for the Assembly building is Rs 63·87 lakhs. Ultimately, this building is likely to cost Rs 105·85 lakhs as and when the requisite funds become available.

Estimated expenditure on the construction of the Sukhna Choe Dam and ancillary works in connection with the creation of the Lake is Rs 92 lakhs.

ਸਰਦਾਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ lake ਉਤੇ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਚੂੰਕਿ lake ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ lake ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਮਨੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਛੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

Mr. Speaker : I knew that this question will invite so many supplementaries.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਝੀਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਟਲ ਇਸ ਝੀਲ ਵਿਚ ਰਖਣ ਦਾ ਭੀ ਵਿਚਾਰ ਰਖਦੀ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि इस झील के अलावा चन्डीगढ़ में गवर्नमैन्ट ने अच्छे अच्छे नजारे दिखाने के लिए कोई और भी इंतज़ाम किए हैं ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं पूछना चाहता हूं कि झील और Assembly Building के लिए जो रकम मंजूर की गई वह कब की गई ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : वज़ीर साहिब ने बताया है कि यह झील लोगों को दिखाने के लिए बनाई जा रही है । मैं पूछना चाहती हूं कि कितने लोग इस से फाइदा उठाते हैं ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ estimate ਲਗਾਉਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗਲ ਹੈ ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं वज़ीर साहिब से दरियाफ्त करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद कितनी दफा झील का नजारा enjoy किया है ?

श्रीमती सरला देवी : जब फाटक पर टैक्स लगाया जाता है तो क्या lake पर enter होने के लिये भी कोई टैक्स लगाने का गवर्नमैण्ट इरादा रखती है ?

AUCTION OF SITE FOR CINEMA BUILDING AT CHANDIGARH

***2160 Sardar Niranjan Singh Talib** : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the names of the persons who purchased the site for the construction of a Cinema Hall in Chandigarh Capital at the auction held on 23rd February, 1958 ;

(b) whether he is aware of the fact that the bid for the said site was 'benami' and that the real purchaser was some one other than the bidder ;

(c) if the answer to part (b) is in the affirmative, what steps, if any are being taken to end the monopoly of one man for exhibiting cinema films in the Capital ?

Giani Kartar Singh : (a) Shri Kanahya Lal Ghatiwala on behalf of the firm of Messrs Sham Lal-Ram Lal of which he is stated to be a partner.

(b) No.
(c) This question does not arise, in view of answer against (b) above.

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਕੋਈ representation ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਬੋਲੀ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਿਤੀ ਤੇ ਰੁਪਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੋ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਤੱਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ information ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿਤੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ in the light of these facts ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ enquiry ਕਰਨਗੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ definite ਗਲ ਦਸਣ ਤਾਂ ਮੈਂ enquiry ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जिस शख्स ने बोली दी क्या वही लेने वाला है या और कोई लेने वाला है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ benami ਨਹੀਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जिस शख्स ने auction में बोली दी वह खुद लेने वाला है या और कोई लेने वाला है ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ : Estate Office ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ । ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : Part (a) के जवाब में बताया गया है कि कन्हैया लाल ने बोली दी लेकिन इस आदमी ने रूपया जमा नहीं कराया । इस की क्या वजह है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ add ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।

श्री बलराम दास टंडन : यह बात establish हो गई है कि बोली देने वाला कोई और शख्स है और खरीदने वाला कोई और। क्या इस मामले में गवर्नमैण्ट कोई action लेने का इरादा रखती है ?

Minister : It is an hypothetical question.

पंडित श्री राम शर्मा : मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि यह बेनामी transaction नहीं है । किन वजूहात की बिना पर ऐसा कहा गया है ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ transaction ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह facts क्या हैं जिन की बिना पर यह कहा गया है कि यह बेनामी transaction नहीं है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ facts ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : जब गवर्नमैण्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि बेनामी transaction नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन से facts हैं कि जिन की बिना पर गवर्नमैण्ट ने कहा है कि यह बेनामी transaction नहीं है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ facts ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਕੇ ਦਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह कौन शख्स है जिस ने यह प्लाट खरीद किया है ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਗੇ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ।

श्री इन्द्र सिंह : सजीर साहिब कैसे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह बेनामी transaction नहीं है ?

ਮੰਤਰੀ : ਜਿਹੜੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ।

पंडित श्री राम शर्मा : वह इत्तलाह क्या है ?

ਮੰਤਰੀ : ਉਹ ਇਤਲਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

---

*CLARIFICATION REGARDING STARRED QUESTION No. 2158

Chief Minister : Before the next question is answered, I wish to make a clarification about one reply regarding the construction of the Lake in Chandigarh.

ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ lake ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ lake scenery provide ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ beautify ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਦਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਬਗੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇਸ lake ਤੋਂ provide ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੜ irrigation purpose ਵਾਸਤੇ ਇਥੋਂ provide ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ Sukhna Cho ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ reclaim ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ utilise ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ waste land ਜਿਹੜੀ Sukhna Cho ਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं यह दरयाफत करना चाहता हूं कि जब questions पूछते पूछते खत्म हो जाए और उस से अगले सवाल का जवाब भी दिया जा चुका हो तो क्या किसी Minister या Chief Minister को यह अख्तियार है कि वह किसी पिछले सवाल का जवाब दे सके ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हों ने तो इसे clarify किया है । (The hon. Chief Minister has clarified it.) But I think if he has clarified it, it will be open to further supplementaries.

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सिरफ Chief Minister या किसी Minister को किसी वक्त भी clarify करने का अख्तियार है कि वह जब किसी question के मुताल्लिक ऐसा उचित समझे वह खड़ा हो कर clarify करने लग जाए । क्या हमारे यहां कोई ऐसा कायदा है ? (विघ्न)

मैं यह पूछना चाहता हूं कि Chief Minister को या किसी Minister को यह अख्तियार है कि किसी भी question को, जो गुज़र चुका है, वह clarify कर दे ?

---

*Note : This Question appears in this debate at page 5.

Mr. Speaker : The House is entitled to have full facts and if the Chief Minister has furnished the facts, I don't think there should be any objection.

पंडित श्री राम शर्मा : मेरा Point of Order यह है कि जब यह question इस वक्त House के सामने नहीं है तो क्या किसी Minister या Chief Minister को खड़े हो कर उस को clarify करने का अख्तियार है ? अगर है तो जब कोई Minister चाहेगा खड़ा हो कर clarify कर दिया करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आप की यह बात ठीक है । मगर यह precedent treat नहीं होगा । (The contention of the hon. Member is correct. This will not form a precedent.)

श्री बलराम दास टंडन : जब उन्हें clarify करने का अधिकार दिया है तो क्या हमें supplementary करने का अधिकार है ?

अध्यक्ष महोदय : हां, जब उन्होंने किया है, तो आप भी करें । (Yes, when the hon. Chief Minister has clarified the point, the hon. member may also ask supplementaries on it.)

श्री बलराम दास टंडन : क्या Minister साहिब बतायेंगे कि जिन कामों की utilisation के लिये इस lake का बनाया जाना बताया गया है, तो क्या यह काम इस से सस्ते दामों पर नहीं किया जा सकता था ?

मुख्य मंत्री : नहीं, सारी चीजें—wasteland को reclaim करना है, lake बनानी है, बाग बगीचे बनाने हैं— इन के लिये contract करना इस से सस्ता नहीं हो सकता ।

FLOOD WATER IN VILLAGE MANAKWAL, TEHSIL MALERKOTLA

*2087. **Pandit Ram Kishan Bharolian :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any representation has been received by Government from the residents of village Manakwal, tehsil Malerkotla, to the effect that steps be taken to check the flow of flood water into their village; if so, the action, if any, taken so far or proposed to be taken in this connection?

Sardar Gian Singh Rarewala : Yes. The Scheme of Jaghera Link Drain has been prepared to prevent this damage to the lands of Manakwal Village.

PAYMENT OF PACHOTRA TO HARIJAN LAMBARDARS

*2097. **Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Revenue be pleased to state the total amount of Pachotra so far paid to Harijan Lambardars district-wise in the State?

Giani Kartar Singh : No Pachotra is payable to a Harijan Lambardar under rule 19-B(v) of the Punjab Land Revenue Rules, 1909.

चौधरी धर्म सिंह राठी : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि Harijans और non-Harijans में यह discrimination क्यों है ?

मंत्री : हरिजन नंबरदार जो हैं, वे Land Revenue Rules का जो ordinary तरीके से नंबरदार मुकर्रर करने का कायदा है, उस कायदे के मुताबिक मुकर्रर नहीं होते, बल्कि इस के लिये एक special provision की गई है और उस के मुताबिक हरिजन नंबरदार बनते हैं। नंबरदार बनने के लिये पंचोतरे के लिये मालिया फराहम करना पड़ता है और मालिये की फराहमी के लिये security देनी पड़ती है। और अगर कहीं मालिया ज़ाया हो जाए तो उस के लिये नंबरदार liable होता है। इस के अलावा अगर लोगों से मालिया वसूल न हो तो नंबरदार पर action लिया जाता है। हरिजन नंबरदारों को इन सारी तकलीफों से बचाने के लिये उन को यह काम नहीं दिया गया।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या वज़ीर साहिब बतलायेंगे कि जो हरिजन नंबरदार तकलीफ उठाने के लिये तैयार हैं और security देने के लिये भी बिल्कुल तैयार हैं, क्या वजह है कि उन को इस से debar किया जाए ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ . . . . .

according to the existing provision in the said rule, a Harijan Lambardar is neither eligible to collect land revenue, etc. nor is he entitled to any Pachotra. The rule is, however, being amended and the Harijan Lambardars would become eligible to collect the land revenue, etc., provided they give security.

ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਦਿਆਲ ਸਿੰਘ : ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਲਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ? ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਾਲੇ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ।

श्री कर्म चन्द : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो हरिजन नम्बरदार बनाए गए हैं क्या उनको मामले का पंचोतरा पंदेने के लिए Government की कोई scheme है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का reply दे दिया गया है। (This has already been replied to.)

चौधरी सुन्दर सिंह : जो हरिजन नंबरदार हैं उन से Security भराई गई हैं। उन को Security देनी पड़ती है। यह बुरी बात है; उन को पंचोतरा नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उन में Security देने का अहसास नहीं तो उन के लिये क्या रहा ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary question.

पंडित श्री राम शर्मा : क्या नंबरदारों की duty में यह शामल है कि जब सरकारी अफसर वगैरह दौरा करें तो उन के घोड़े, बिस्तरे वगैरह का इंतज़ाम करना उन का काम है ? अगर यह है तो क्या हरिजन नंबरदारों के लिये यह काम खास मख़सूस है ?

Mr. Speaker : This question is not relevant.

ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗ਼ਨੀ ਡਾਰ : ਜੋ ਜਟ ਭਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਂ, ਜੀ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਤੇ ਪੰਚੋਤਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਡਿਉਟੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ-ਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਲਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਂਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ । ਬਾਦ ਵਿਚ ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਹਿਸਤਾ ੨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਪਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਉਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹ ਸਕਦੇ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ । ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪੰਚੋਤਰਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ, ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਆਹਿਸਤਾ ੨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਕੇ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏ । ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀਜਨ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਉਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਲਈ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌਖ ਕਰਕੇ, ਫੇਰ ਏਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਯਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰੰਟ ਕਢੋ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਢਦੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मुख्य मन्त्री जी बतायेंगे कि जो तारीख मुकर्रर होती है गवर्नमैंन्ट को मालिया देने की उस से पहले नम्बरदार मालिया वसूल करते हैं या नहीं करते ?

मुख्य मंत्री : ज़रूर करते हैं और तारीख मुकर्ररा से पहले मालिया जमा करवा कर जो लोग नहीं देते उन के warrants उस तारीख से पहले २ निकलवाने पड़ते हैं ।

पंडित श्री राम शर्मा : में यह मालूम करना चाहता हूं कि आम practice क्या है मुकर्ररा तारीख से पहले पहले बहुत सारा मालिया वसूल हो जाता है या नहीं ?

मुख्य मंत्री : आप ने बहुत अच्छा सवाल किया है। उस तारीख से पहले ही वसूल हो जाता है। असल में नम्बरदार रुपया अपने पास से ही या कहीं न कहीं से ले कर तहसील में जमा करवा देता है। Practically नहीं बल्कि theoretically वह show करता है कि मालिया उस ने लोगों से ले लिया है।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਗ਼ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ immovable Property ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ qualifications ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਗੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਾ ਵਸਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਾ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੰਬਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਠੀਕ ਵਕਤ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ warrant ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰ-ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਇਹ qualification ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ property ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰ ਮੁਕੱਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਮੈਂ ਪੁਛ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜੋਤਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਮੰਤਰੀ : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Rules ਨੂੰ amend ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ Security ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਹਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

पंडित श्री राम शर्मा : वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि नम्बरदार कुछ तो मालिया वसूल कर लेते हैं और कुछ अपने पास से जमा करवा देते हैं और बाद में उन लोगों के warrants issue करवाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ज़्यादा मालिया वसूल कर लेते हैं या ज़्यादा अपने पास से जमा करवा देते हैं ?

मुख्य मंत्री : ज़्यादा रकम वे खुद भर देते हैं और बाद में आ कर वसूल करते हैं।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ Security ਦਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਤਰਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਅਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ! ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੋਈ Security ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ?

ਮੰਤਰੀ : ਚੂੰਕਿ ਹਰੀਜਨ Security ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ । (*Interruptions*) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ question ਐਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਲੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੋਤਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ Supplemantary questions ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ irrelevant ਹਨ ।

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. जो जवाब मन्त्री महोदय देते हैं उन में से जो supplementary arise होता है क्या उसे भी पूछने का हक माननीय सदस्य को नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : (ज्ञानी जी को) जो जवाब आप ने दिया है दरअसल यह supplementaries उस में से ही पैदा होते हैं। (As a matter of fact all these supplementaries arise out of the reply that the hon. Minister has given.)

कामरेड मुनी लाल : चौधरी साहिब ने जो सवाल पूछा है उस के बारे में मैं पूछना चाहता हूं।

वित्त मंत्री : वह आप चौधरी साहिब से पूछिये।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : हरिजन नम्बरदारों के अलावा जो दूसरे नम्बरदार हैं वे किस सूरत में security देते हैं ?

Mr. Speaker : It does not arise.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 30 duties ਹਨ । ਮੈਂ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ duty ਇਨ੍ਹਾਂ 30 duties ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਇਹ duty ਹੈ ?

Mr. Speaker : Order please.

श्री रूप सिंह फूल : क्या एक भी हरिजन ऐसा नहीं है कि अपनी security जमा करवा सके ? (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please. This question does not arise.

चौधरी भरत सिंह : मुख्य मन्त्री साहिब ने फरमाया है कि मालिया वसूल करते वक्त बहुत से कत्ल हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने कत्ल ऐसे हो गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप relevant supplementary पूछें। (The hon. Member may please ask relevant supplementary questions.)

चौधरी भरत सिंह : उन्होंने कहा है कि मालिया वसूल करते वक्त बहुत से कत्ल हो गये हैं मैं ने उन कत्लों के बारे में पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : इस इत्तलाह के लिये आप अलहदा नोटिस दें। उन्होंने कहा था कि कत्ल होने का इमकान होता है। (The hon. Member may please give a separate notice for eliciting this information. He had said that there was every possibility of murders being committed.) (*Interruptions*)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਲੰਬਰਦਾਰ warrants issue ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਬੜਾ first class ਬਹਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

श्री बलराम दास टंडन : जैसे कि उन्हों ने कहा है कि नम्बरदार अपने पास से Revenue जमा करवा देते हैं और बाद में लोगों से लेते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के ज़ेरे ग़ौर ऐसी कोई स्कीम है जिस से कि यह बीमारी खत्म हो जाए।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ ਬੀਮਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ defaulter ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ basis ਉਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

RULES UNDER THE PUNJAB GRAM PANCHAYAT ACT, 1952

***2095. Chaudhri Dharam Singh Rathi :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether it is a fact that the Punjab Gram Panchayat Act, 1952, came into force in 1953.

(b) whether it is a fact that the rules under the said Act have not so far been framed and the old rules which were framed under the old Act of 1939 are still in force, if so, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes.

(b) Yes. Due to —

(i) piecemeal changes in the Law itself a number of times ; and

(ii) since the merger of two States the unification of the Laws being under consideration.

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कि इस Act को पास हुए बहुत काफी अरसा हो गया है, यह rules बनने शुरू ही नहीं हुए या कि शुरू हुए तो बीच में ही रह गए ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ rules ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਨ। 1956 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ Acts ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ rules ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह अमरे वाक्या है कि जिस कानून के अन्दर तरामीम होती रही हैं उस के तहत अभी तक rules नहीं बन सके ?

मंत्री : Position यह है कि उस के अन्दर successively और rapidly तरामीम होती रही हैं। जब वह मुकम्मल हो जाएगा तो rules बन जायेंगे।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या गवर्नमैंट किसी Act के मुताल्लिक आखरी फैसला तक पहुंच सकती है कि आइन्दा इस के अन्दर कोई तरमीम नहीं होगी ?

(*The Speaker called the next member, Chaudhri Balbir Singh to ask his supplementary*).

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह बताया जा सकता है कि किसी भी Act के मुताल्लिक गवर्नमैंट इस आखरी फैसले पर पहुंच सकती है कि.....

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके procedure को भी तो follow करें। मैं ने दूसरे मेम्बर साहब को call कर लिया है (The hon. Member may please follow the procedure also. I have already called upon the next member.)

चौधरी बलबीर सिंह : क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि उन तरमीमों के करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई ? (हंसी)

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ : ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੁ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਿਆ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਇਸ House ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं बनता (This is not relevant). Sorry, I cannot allow it.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ Act ਦੇ rules ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਸ਼ੁਦਾ Act ਕੀ ਇਸ Session ਵਿਚ House ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि unification of laws कर रहे हैं—जो Pepsu और पंजाब के Acts हैं उन का एक Act बन रहा है और मैं ने अर्ज़ किया है कि it is under consideration at the moment.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਇਹ Act ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ sesson ਵਿਚ ?

मंत्री : मेरा ख्याल है कि साले रवां. में आ जाएगा ।

ALLOTMENT OF FUNDS TO PANCHAYATS

***2163. Shri Sumer Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether any grants were given to any Panchayats out of the budgeted amount of Rs 8,25,000 under the head "57 (23) Miscellaneous" for the year 1957-58, if so, what, if not, the reasons therefor ?

Sardar Gian Singh Rarewala : No.

Government have now agreed to place this amount at the disposal of the department as interest-free loan.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 'if not, the reasons therefor'.

अध्यक्ष महोदय : दे दिया गया है । (It has been given.)

श्री सुमेर सिंह : क्या मनिस्टर साहिब बतायेंगे कि जब यह रुपया बजट में allot हो चुका था तो इस को खर्च क्यों न किया गया ?

सिंचाई मंत्री : मैं ने बता दिया है कि नहीं हुआ ।

श्री इन्द्र सिंह : क्यों नहीं हुआ ?

मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि इस में reason दिया गया है । यह रकम miscellaneous के तहत है—यह फैसला नहीं किया गया था कि यह grant है या loan. अब यह फैसला किया गया है कि इसे interest free loan treat किया जाए । इसी वजह से देर हो गई है ।

श्री इन्द्र सिंह : क्या जिस वक्त इस रकम को miscellaneous के Head के under treat किया गया था तो उस वक्त यह ख्याल नहीं किया गया था कि इसे किस तरह से खर्च किया जाए ?

मंत्री : इस का जवाब तो notice के बाद ही दिया जा सकता है ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ 8,25,000 ਦੀ ਰਕਮ surrender ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ lapse ਹੋ ਗਈ ਹੈ ?

मंत्री : मैंने अर्ज़ किया है कि इस रकम को अब interest free loans तसव्वर किया गया है ।

ELECTRIFICATION OF BHADAUR IN SANGRUR DISTRICT

***1994. Sardar Jasdev Singh Sandhu :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under the consideration of Government to electrify Bhadaur in Sangrur District, during the year 1957-58 ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The work in connection with electrification of Bhadaur in Sangrur, is in hand but the place is not likely to be electrified during the financial year 1957-58.

ELECTRIC WIRE MAKING PLANTS (MACHINERY)

***2130. Shri Nihal Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether electric wire making plants (machinery) are being manufactured in the State, if so, the names and addresses of the manufacturers of such machinery.

Shri Mohan Lal : Yes. Electric wire making plants are manufactured by—

(1) Sunrise Industries, Sirhind, district Patiala.

(2) Anant Engineering Works, Sirhind, Patiala.

This is, however, not their regular line of production. This machinery is manufactured only when an order is placed with them. Ordinarily the first firm is engaged in the production of electric cables and the second makes oil engines.

SUPPLY OF ELECTRIC ENERGY IN VILLAGES IN TOSHAM CONSTITUENCY

***2149. Chaudhri Chander Bhan :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether there is any scheme under the consideration of Government to supply electricity to the villages in Tosham Constituency in Hissar District ; if so, when ;

(b) whether there is any scheme for the installation of tube-wells in the Tosham-Loharu area ; if so, the number of villages likely to be benefited together with their names ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. Two schemes for electrification of villages in Tosham Constituency, viz., Tosham and thirteen surrounding villages and Loharu including 50 surrounding villages, have already been sanctioned and the works will be taken in hand shortly after the estimates are sanctioned.

(b) Yes. Three exploratory tube-wells are proposed to be drilled in the Tosham-Loharu area at Deosar, Kairu and Hassanpur. The number and names of the villages likely to be benefited cannot be given at present as it depends upon the result of exploration.

चौधरी चन्द्र भान : क्या वज़ीर साहिब बतायेंगे कि कब तक बिजली शुरु हो जाएगी ?

सिचाई मंत्री : मैं ने अर्ज़ किया है कि स्कीम बन चुकी है, तखमीने मंज़ूर किये जा रहे हैं। तखमीने मुकम्मल हो जाने के बाद काम शुरु हो जायेगा।

चौधरी चन्द्र भान : तखमीने कितनी देर तक बन जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया तो है कि वह बन चुके हैं—sanction हो रहे हैं। (He has stated that the estimates have been prepared and are under sanction.)

पंडित श्री राम शर्मा : क्या बताया जा सकता है कि tube-wells और बिजली वगैरह के लिये जो schemes हाथ में ली जा रही हैं यह काम कितनी देर तक मुकम्मल हो जाएगा ? एक साल में, दो साल में, छः महीनों में या दस सालों में ?

मंत्री : कितना vague question है !

CONSTRUCTION OF CHANNELS AND DRAINS IN GURDASPUR DISTRICT

***2123. Sardar Harbans Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether any channels and drains, are proposed to be dug to check waterlogging in Gurdaspur District, if so, the number and names of the villages likely to be benefited thereby together with the names of the villages through which the channels and drains referred to above are proposed to be dug ;

(b) whether the targets fixed for the digging of channels, etc., referred to in part (a) above for the year 1957-58 are expected to be achieved by the end of the year, if not, the reasons therefor ;

(c) whether the work of digging the remaining drains and channels is expected to be completed before the start of the next rainy season ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Construction of 18 drains is planned to be started in the Gurdaspur District, during the Second Five-Year Plan. A statement showing complete information is placed on the table of the House.

(b) Work on six drains is being undertaken before the next monsoon season and the targets fixed for the year are expected to be achieved.

(c) No. The construction of the remaining drains will be undertaken according to the availability of funds.

[Minister for Irrigation and power]

STATEMENT SHOWING DRAINS IN GURDASPUR DISTRICT

Serial No.	Name of drain	Estimated cost in lacs of rupees	Name of village through which the alignment passes	Names of villages enclosed in catchment area	AMOUNTS PROVIDED IN THE BUDGET 1957-58	1958-59
1	2	3	4	5	6	7
					(Rupees in lacs)	
1	Fatehgarh Drain (of Kiran Nallah)	0·96	Bholeki, Vilageja, Teja Kalan and Teja Khurd	Shekhuwali, Kot, Kazian, Gillan Wali, Rai Mal, Ban Makman, Khoda, Rajake, etc.	0·10	..
2	Bajjuman Drain (of Kasur Nallah)	6·30	Bajjuman, Khokkar, Dharmkot, Kaler Kalan	Sarpuwall, Kotla Shah, Shankarpura, Kotla Saman, Chadranwali and Mulianwala	1·0	2·00
3	Mattewal Drain (from R.D. 60 to 66)	1·98	Sheikh Bai ..	Ladoi Bhana, Zahidpur, Nat	..	0.60
4	Chak Arain (of Kiran Nallah)	1·0	Chak Arain, Barsola, Kala Nangal	Hemrajpur, Tung, Lakhowal, Waryan	0·05	0·10
5	Muridke Drain ...	2·75	Kala Afghana, Muridke, Nasarke, Kotli, Khokhar	Thapalan, Langarwal, Aliwal Thatta, Chitorgarh, Kila Desa Singh	0·05	0·075
6	Batala Drain (of Kasur Nallah)	2·40	Chanal, Masanian, Bal	Misarpur, Mattewal, Jetusarja	..	..
7	Tarsikka Drain (of Patti Nallah)	2·00	Narpur, Dadiala ..	Dhandoi, Sandhwan, Dallan	..	..
8	Qadian Drain ..	1.00	Kohat Khuro, Salampur Bhaini Bangara	Bhati Wadh, Kot Todar Mal, Pandori, Qadian	..	..

9	Harpur Drain ..	1·3	Harpur, Nathu Khera, Ghis	Gokalpur, Muradpur, Dadiala ..	..	..
10	Khojla Drain ..	1·60	Tugalwala, Kandial, Bhamboi Jala, Dharamkot	Diyya, Kohali, Nat, Bassar, Madran, Chaura, Dhandi, etc.	..	..
11	Sub-Drain of Khoja Drain.					
12	Vadala Bangar Drain ..	2·40	Dalipur, Vadala, Khera Dula Nangal, etc.	Athwal, Mustfapur, Mulugif Dadala, etc.	..	1·0
13	Bijliwal Drain ..	0·90	Aliwal, Dabariwal, etc. ..	Bijliwal, Kot Ahmad Khan, Saidpur and Kashtiwal, etc.	..	..
14	Doga Nala (of Kiran Nallah)	2·70	Lall Nangal, Keshopur, etc.	Sadhu Chak, Bhugra, Chak Rawalpindi, Lakhuwal, etc.	..	..
15	Aliwal Drain ..	..	Aliwal, Dabhunwala, etc. ..	Choganwala, Saidpur, etc. ..	..	..
16	Kiran Nallah ..	10·0	Kalanaur, Dehriwala, Rajputan, Lola Nangal, Awankh Dholawala	Mamipur, Qila Nathusingh, Hardo Chhani, Umarpur Sheikha, Bahrempur, Marjanpur, Taruwal, etc.	..	1·0
17	Kasur Nallah ..	90·03	Bal, Jhanda, Laungowal, Dariwala, Bhumali, etc.,	Tibbar, Khunda, Bekhwan, Misarpur, etc.	7·16	12·00
18	Patti Nallah ..	56·57	Vairo Nangal, Pirowal, Tharyawal, Muradpur Thihari, etc. etc.	Sathiali, Kalabala, Varich, Dhandal, Lohalpur, Nasirpur	5·00	9·75

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : ਜਿਹੜੀ statement ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ serial No. 7 ਵਿਚ ਤਰਸਿੱਕਾ drain ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ ? ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਉਧਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਹੰਸੀ) ਮੈਂ ਆਪਣੀ constituency ਵਿਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। (Things move down from above to this side(*laughter*) When I visited my constituency, I found it had come over to that area from above).

मंत्री : नालों की हदबन्दी ज़िलों के मुताबिक नहीं होती। एक एक नाला कई ज़िलों में चलता है।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ : Part 'B' ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਇਹ drains ਪੁਟ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਅਜ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ?

ਮੰਤ੍ਰੀ : Labour ਦਾ ਕੰਮ departmentally ਭੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल के part (c) का जवाब देते हुए मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि funds अगर available हो गये तो काम शुरु हो जायेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह funds किस ने available करने हैं ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਹ Centre ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या यह सारे ही funds Centre से आते हैं या पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ अपने पास से देती है ?

ਮੰਤਰੀ : ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ Centre ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

CONSTRUCTION OF 'NIURY DRAIN' IN KARNAL DISTRICT

***2146. Shri Ram Piara** : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state —

(a) whether Government have received any representation from the residents of Karnal Khaddan Area for the construction of 'Niury Drain' near Kunjpura, in district Karnal, if so, when ;

(b) whether there is any proposal under the consideration of Government to construct the drain referred to in part (a) above ; if so, the details of the estimated expenditure ;

(c) the dates when the construction work referred to in part (a) above is likely to be started and completed ?

Sardar Gian Singh Rarewala : (a) Yes. The representations were received about 3 months back.

(b) The scheme is under investigation. The scheme is expected to cost about Rs 3 lacks.

(c) The scheme is likely to be started in January, 1959 and completed during June, 1959.

पंडित श्री राम शर्मा : यह स्कीम कब से under investigation है ? since when ?

मन्त्री : यह किस तारीख से शुरू हुई है, यह मैं दरियाफत कर के बता सकता हूं !

श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह financial year 1958-59 में शुरू होगा या 1959-60 में होगा ?

मन्त्री : में ने बताया है कि यह January, 1959 से शुरू होगा ।

TEACHING OF SECOND LANGUAGE IN HINDI REGION

***781. Pandit Shri Ram Sharma :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state—

(a) whether any instructions have been issued by Government regarding the teaching of a second language in the Hindi Region of the State ; if so, what ;

(b) the class from which the second language and script is taught ;

(c) whether the students failing in the second language are promoted to the next higher class ?

Rao Birendar Singh : (a) The second language is being taught to the students in the schools of erstwhile States of Punjab and Pepsu in accordance with the Sachar Formula and Pepsu Formula respectively. No further instructions have so far been issued in this connection after the integration of Punjab and Pepsu.

(b) In the schools of erstwhile Punjab State the second language and script are taught from the last class of the Primary Department and in the case of girls from the sixth class. In the areas comprising the erstwhile State of Pepsu, they are taught from the 3rd Primary standard.

(c) Yes, it is so, for the present.

पंडित श्री राम शर्मा : सवाल के part (c) का क्या जवाब दिया गया है ?

मंत्री : इस का जवाब 'yes' में दिया गया है ।

पंडित श्री राम शर्मा : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि वह second language compulsory है या कि optional ?

मंत्री : उस का पढ़ना compulsory है ।

पंडित श्री राम शर्मा : इस के compulsory होने के बावजूद भी अगर उसे कोई न पढ़े तो उस के लिये क्या गवर्नमेंट ने कोई सज़ा मुकर्रर की हुई है ?

मंत्री : उस का पढ़ना ज़रूरी है । वह हरेक को पढ़नी पड़ेगी । लेकिन उस का इमतहान पास करना ज़रूरी नहीं है ।

पंडित श्री राम शर्मा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जब second language का पढ़ना compulsory करार दिया हुआ है तो उस के न पढ़ने के लिये क्या कोई सज़ा मुकर्रर की गई है ?

मंत्री : गवर्नमेंट के नोटिस में कोई ऐसा वाक़या आया ही नहीं । मास्टर खुद इस का इन्तज़ाम कर लेते हैं ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ second language ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ compulsory ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਵੀ compulsory ਹੈ ?

मंत्री : दोनों चीज़ें compulsory हैं ।

श्री बलराम दास टंडन : सवाल के पहले भाग के जवाब में यह कहा गया है कि सच्चर फार्मूला और पैप्सू फार्मूला के अनुसार यह सारा इंतज़ाम चल रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि सच्चर फार्मूले के पीछे कौन सी legal sanction है ?

Mr. Speaker: It does not arise.

श्री बलराम दास टंडन : नहीं स्पीकर साहिब, यह इस में से पैदा होता है । इस के जवाब में कहा गया है कि सच्चर फार्मूला के अनुसार यहां दूसरी language पढ़ाई जाती हैं । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस के पीछे कौन सी legal sanction है ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਹ ਤਾਂ education syllabus ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ।

श्री बलराम दास टंडन : जो language सारे बच्चों को पढ़ाई जाये उस के पीछे कोई legal sanction होनी चाहिये, इस का कोई legal आधार होना चाहिये । मैं यही पूछना चाहता हूं कि इस के पीछे कौन सी legal sanction है ?

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ syllabus ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਿਸੇ legal sanction ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਇਸ policy ਤੇ ਨਾ ਚਲਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ action ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ?

लोक कार्य मंत्री : हां अगर उस के मुताबिक कोई स्कूल नहीं चलेगा तो उस के खिलाफ action लिया जायेगा । उस की grant बन्द की जा सकती है ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ region ਵਿਚ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : इस को आप छोड़िये । इस में पंजाबी region कहां आता है ? (The hon. Member may please leave it. How does the Punjabi region come into the question ?)

LETTER WRITTEN TO AN ARYA SAMAJ LEADER BY AN OFFICER OF THE EDUCATION DEPARTMENT

***2011. Sardar Atma Singh :** Will the Minister for Education and Labour be pleased to state with reference to the reply to Starred Question No. 1227, entered in the list of Questons for 13th February, 1958, the progress, if any, made so far in the investigation of the case ?

Sardar Gian Singh Rarewala : The Honourable member was requested to supply the original or a duplicate certified copy thereof of the letters alleged to have been written by an officer of the Department. As the same has not been supplied yet investigation could not be completed. Investigation is still in progress.

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ photo stet ਕਾਪੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ action ਲਿਆ ਹੈ ?

मन्त्री : इस के बारे में माननीय मैम्बर से उस की certified कापी मांगी गई थी और कहा गया था कि या तो certified copy दें या original letter दें लेकिन वह इन्हों ने अभी तक नहीं दी ।

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਉਸ photo stet copy ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ investigation ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : इस के जवाब में मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि पहले आप से उस का जवाब आयेगा तो investigation का सवाल उठेगा । (The hon. Minister has stated in his reply that the question of investigation will arise after the reply has been received from the hon. Member.)

ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ photo stet ਕਾਪੀ ਵਿਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो आप के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं । जब आप का जवाब आयेगा तो उस पर कार्यवाही होगी । (The Minister is waiting for the hon. Member's reply. Further action will be taken when the same is received from him.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਕ photo stet ਕਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਸਿਧੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ?

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ । (That copy was sent to the Government by Sardar Atma Singh.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. एक सवाल पूछा गया है और आप ने उस की इजाज़त भी दे दी है लेकिन फिर भी मिनिस्टर साहिब उस का जवाब नहीं दे रहे ।

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल तो relevant ही नहीं है और मैं ने उन्हें उस का जवाब देने के लिये कहा ही नहीं । (That question is not at all relevant and I have not asked him to reply to it.)

Shri Balram Dass Tandon: No, he has asked whether the Government has received it or not.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : अगर वह मिल गई है तो आप पूछ क्यों रहे हैं ? (Why is the hon. Member asking that supplementary when the copy has already been received ?) Then you are giving information and suggestions.

Pandit Shri Ram Sharma : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : I am sorry. Question hour is over now.

10.00 a.m.

ADJOURNMENT MOTIONS

Mr. Speaker : There is a notice of adjournment motion from Sarvshri Balram Dass Tandon, Lal Chand Sabharwal, Chaudhri Sahi Ram, Dr. Baldev Parkash, Chaudhri Karam Chand Sandhu to ask for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, the death of S. Babu Singh (Harijan) in the Police custody of police station Barnala, by severe beating.

Time and date are not specified. Besides, it is very vague. I am sorry, I cannot admit it. It is out of order.

There is another notice of adjournment motion from Shri Balram Dass Tandon, asking for leave to make a motion for the adjournment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, requesting the Prime Minister of India, Pandit Jawahar Lal Nehru, to fix the foundation-stone of new Assembly Chamber at this very building, and thus save near about a crore of rupees which is being collected by taxing the poor man's 'dal' and 'roti', thus respecting the wishes of all sides of the House and people at large.

इसके बारे में मैं ने कल रूलिंग दी थी। Our requesting the Prime Minister of India should take the form of a resolution and not that of an Adjournment Motion. दूसरे जो पैसे आते हैं--मैं personal बात कर रहा हूं--वहीं से आते हैं और वापिस अगर गये तो भी दिल्ली चले जाएंगे। आप को कोई फायदा नहीं होगा। (विघ्न) (About this, I gave my ruling yesterday. Our requesting the Prime Minister of India should take the form of a resolution and not that of an Adjournment Motion. Secondly—I am talking on a personal level—the money that has been provided for, comes from the Central Government and it will be surrendered to them if not utilised. This State will not stand to gain anything.)

श्री बलराम दास टंडन : क्या हमें यह with interest repay नहीं करना पड़ेगा ?

अध्यक्ष महोदय : एक बात मुझे और बताई गई है कि foundation stone तो उस building का रखना चाहिए जो अभी नहीं बनी। मगर यह building तो बन चुकी है। (Another point that has been brought to my notice is that foundation stone is laid of such a building as has not yet been constructed. But this building is already complete.)

श्री बलराम दास टंडन : अगर पंजाब सरकार ने ज़रूर यह काम करना है तो यहां ही पत्थर रखा लें (हंसी) इस लिये लिखा है। दूसरी बात जो आप ने कही है...

Mr. Speaker: I have not shown it as a part of my argument in respect of this Adjournment Motion.

श्री बलराम दास टंडन : अगर इस की वजह से कोई टैक्स नहीं आना तो Finance Minister साहिब कह दें कि हमें यह with interest नहीं repay करना पड़ेगा। यह assurance दे दें।

अध्यक्ष महोदय : पैसा यहां आना है। इस में से जितना आप न surrender किया है वह आप को नुक्सान होगा। इस में यह जो tax की बात है यह नहीं आएगी। यह बात बिल्कुल clear है। अगर आप इस को आज नहीं बनायेंगे और रुपया

[अध्यक्ष महोदय]

use नहीं करेंगे तो रुपया surrender कर दिया जाएगा। इस की बजाए जो इस का स्कूल बनेगा यह आप की Administration का बनेगा। (The money is to come to this State and whatever amount is surrendered, that will constitute a loss to the State. This, however, is very clear that any reference to taxes is not relevant here. If the hon. Members do not have the Chamber constructed now and the money is not utilized, then it will be surrendered to the Centre. Then the school, to be built in place of this building, will be constructed at the expense of the Administration of this State.)

चौधरी इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir. आप ने, जनाब, कमाल मेहरबानी की है और ज़ाती information से House को खुश किया है। (विघ्न) मेरी गुज़ारिश यह है कि अगर यह रुपया हमें आना है तो यह वज़ीर साहिबान यहां इकट्ठे बैठे हैं यह House को assurance दिला दें........(विघ्न)

Minister for Planning and Community Projects (Dr. Gopi Chand Bhargava) : On a point of order, Sir. The notice of adjournment motion was given to you and after you have given your ruling, no question can be put to you.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, हम ने यह बात नोटिस में ला दी है। अब सवाल यह है कि आया जो आप ने कहा है और ज़ाती knowledge के आधार पर बताया है, इस के मुताल्लिक सरकार की तरफ़ से assurance मिले.....

Minister for Planning and Community Projects: Sir, what is the poin under discussion ? I want to know.......

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कहा है कि यह Adjournment Motion out of order है। दूसरा जो यह कहा गया है कि दाल रोटी पर टैक्स लगा कर इतना खर्च किया जा रहा है, यह reason नहीं आएगा। (I have ruled this Adjournment Motion out of order. Secondly, this reason can not be advanced that so much expenditure is being incurred after imposing a tax on Dal Roti.)

योजना मंत्री : यह मैं ने समझ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने ज़िक्र किया था कि रुपया Centre से आया है और Centre को ही वापिस जाएगा (I had mentioned that the money had been made available by the Centre and would lapse back to them.) (विघ्न)

श्री बलराम दास टंडन : क्या हमें यह with interest repay नहीं करना पड़ेगा ?

योजना मंत्री : अगर यह चीज़ discussion में आएगी तो explain करूंगा। यह न तो under discussion है और न मौका है, इस लिये इस की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।

Mr. Speaker: Quite right.

Before resumption of discussion on the motion that the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once, the Secretary will make two announcements.

ANNOUNCEMENTS BY SECRETARY REGARDING CERTAIN BILLS

Secretary: Sir, under Rule 2 of the Punjab State Legislature (Communications) Rules, 1952, I have to inform the House that the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, 1958, which was passed by the Punjab Legislative Council on the 31st March, 1958, has been received.

I also lay a copy of the said Bill on the Table of this House.

(ii) I have also to inform the House that the Punjab Land Revenue (Special Charges) Bill, 1957, which was passed by this Sabha on the 11th February, 1958, and transmitted to the Punjab Legislative Council, has been agreed to by the said Council without any recommendation on the 31st March, 1958.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: On a point of information, Sir. ਮੈਂ ਕਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ Resolution ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ succession ਬਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ।

अध्यक्ष महोदय: कल छुट्टी है और कल के लिये कोई काम नहीं रखा हुआ । आप इस बारे Leader of the House से बात कर लें । (Tomorrow is a holiday and there is no business fixed for that day. The hon. Member may consult the Leader of the House in this respect.)

वित्त मन्त्री: कल Council का session रखा हुआ है इस लिये यहां पर मीटिंग नहीं हो सकेगी ।

अध्यक्ष महोदय: अगर कोई adjustment हो सकती हो तो Leader of the House से बात कर लें । मुझे कोई इतराज़ नहीं । (In case any adjustment is possible, the hon. Member should talk it over with the Leader of the House ; I have no objection.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੇ discusstion ਹੋ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker: I have nothing to do with it. आप उन से बात करें । (I have nothing to do with it, the hon. Member may discuss the matter with the Leader of the House).

BILL(S)

THE EAST PUNJAB GENERAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL, 1958

(Resumption of consideration of)

Mr. Speaker : Yesterday, at the time of adjournment, the Minister for Planning was still in possession of the House. He may resume his speech.

योजना मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, मैं कल यह अर्ज़ कर रहा था कि जो एतराज़ात इस मोशन पर किये गये उन में से कुछ का जवाब मैं ने दिया था। मैं जानता हूं कि शायद थर्ड रीडिंग (third reading) पर यही बहस हो और यही बातें कही जाएं लेकिन जो इतराज़ किये गये हैं अगर उन का जवाब मैं नहीं देता तो मुनासिब नहीं होगा। मुझे जवाब देना ही चाहिए। यह इन आर्डर (in order) है, आउट आफ आर्डर (out of order) नहीं है, इल्लीगल (illegal) नहीं है यह मैं कल अर्ज़ कर चुका हूं।

अब उस से बढ़ कर यह एतराज़ किया गया है कि यह जो बिल लाया गया है यह इस लिये लाया गया है कि जो हरिजनों को हक मिले हुए हैं उन को उन से छीन लिया जाए। और यहां तक एक भाई ने मोटिव अटैच (motive attach) करके कहा कि एक मिनिस्टर शायद इस चीज़ को एक इलैक्शन स्टंट (election stunt) के तौर पर कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि अव्वल तो जो इस एवान में आ जाता है वह लोगों का रिप्रेज़ैंटेटिव (representative) बन कर आता है और उन को सारे प्रौविंस (province) का इंट्रैस्ट (interest) देखना होता है, सिर्फ अपनी कन्स्टीचुएन्सी का ही नहीं। सारे सूबे के मासिज़ (masses) के इंट्रैस्ट को देखना उस को डयूटी (duty) होती है और यह उस का हक है कि सारे प्रौविंस की ऐडमिनिस्ट्रेशन (Administration) के बारे अपनी राए दे। तो यहां पर जब बार २ मासिज़ और क्लासिज़ (classes) का ज़िक्र किया जाता है तो उस के माने यह हैं कि एक क्लास को दूसरी क्लास के ख़िलाफ़ खड़ा करके डिबेट (debate) के लिये फ़ायदा उठाना चाहते हैं मगर दरअसल ऐसा करने में वह स्टेट (State) को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरह से सवाल आया कि यह देहातियों के लिये है या कि शहरियों के लिये है या कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स (industrialists) का ख्याल रखा गया है या कि ग्रोअर्ज़ (growers) का ख़्याल रखा गया है। पर, स्पीकर साहिब, क्या मैं इन से पूछ लूं कि क्या हम ने ग्रोअर्ज़ का फ़ायदा नहीं देखना या हम ने इंडस्ट्रियलिस्ट्स का ख्याल नहीं रखना। हम ने तो दोनों का फ़ायदा सोचना है। फिर काटन (cotton) का हिसाब लगा कर बताया गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वह अपने बिज़नैस (business) के लिये इंटरनेशनल मार्किट (international market) को देख कर प्राइस (price) मुकर्रर करता है इस लिये वह कहेगा कि ग्रोअर यह टैक्स दे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि grower और producer जो cotton grow करते हैं क्या हम उन के interests को नहीं देखते? क्या हम growers के फायदे को नहीं देखते? इन interests को देखने के लिए Central

Committee थी जो यह करती थी। क्या हम cotton grower के हितों को न देखते थे और Textile मिल्ज़ वालों के फायदे को देखते थे ? Textile मिल वालों के लिये भी सरकार को cotton import करनी पड़ती थी और पैसा भी ख़र्च करना पड़ता था। Cotton grow करने के लिये भी पैसा सरकार ने ख़र्च किया और फिर growers के फ़ायदे के लिये prices भी fix करनी पड़ी थीं। 1949 में Central Cotton Committee ने सैंट्रल सरकार से सिफारिश की और Government of India की तरफ से पंजाब सरकार को कहा गया कि हम long staple cotton grow करें। यहां तक कि उन्होंने international rate पर price भी fix कर दी और बोने से पहले कीमत अदा कर दी और इस के बाद अगले साल Cotton Committee की suggestion पर price को कम कर दिया गया और बाद में कीमत अदा की। फिर monoply procurement का फैसला भी कर दिया गया। इस लिए क्या मैं इन से पूछ लूं कि क्या यह सब कुछ grower के interest को नुक्सान पहुंचाने के लिये किया गया था ? फिर जो grower अपनी cotton को industrialist के पास बेचना चाहे बेच सकते हैं, परन्तु न तो अकेले grower से ही काम चलाया जा सकता है और न ही industrialist से। हम ने दोनों के काम को और interests को सामने रख कर काम चलाना है और दोनों को मिला कर चलना है और co-ordination से काम को चलाना है। फिर यह कहना कि बड़े बड़े industrialists या composite मिल वाले फायदा उठाएंगे तो यह ठीक नहीं मालूम देता। जो व्योपारी raw material का काम करते हैं वह जब कीमत मुकर्रर करते हैं तो supply and demand को सामने रख कर करते हैं। इस तरह price fix की जाती है। और अगर industrialist इस चीज़ में आगे बढ़ जाता है और कीमत मुकर्रर करता है तो जिस वक्त grower और consumer के पास वह चीज़ पहुंचती है तो वह देखते हैं कि इस की price ठीक होगी या नहीं। फिर जो dividend लेते हैं उस को insure किया जाता है। Dividend insure भी कई तरीके से किया जाता है और गवर्नमैंट भी इस पर watch रखती है और अगर कहीं पर ज़रूरत हो तो किसी industry वालों को मजबूर कर देती है कि वह Managing Agents और Directors ज़्यादा न लें और उन की तादाद fix कर देती है और tendency कीमत को कम करने की तरफ होती है। इस सब काम में grower के हित का ख़्याल रखा जाता है। इस लिये यह कहना कि इस बिल को लाकर हम ने growers के हित का ख़्याल नहीं रखा, मुनासिब नहीं मालूम देता।

फिर मेरे एक साथी ने यह कहा कि बड़े industry वाले तेल बाहर से थोक मंगवा लेते हैं और process करके छोटे दुकानदारों के पास बेचते हैं और मुनाफ़ा कमाते हैं। तेल के बारे में आप जानते ही हैं कि तेल को खाने से कुछ deaths भी हुई हैं और जब सरकार की ओर से enquiry करवाई गई तो पता चला कि उस oil में mineral oil मिला हुआ था इस लिये कि उसे cheap किया जाए

[योजना मंत्री]
और मुनाफा कमाया जाए। तो इन सारी बातों को सामने रख कर industrialist, grower और consumer सब के हितों को देख कर और सब को फायदा पहुंचा कर आगे चलना है। आखिर grower के फायदे के लिये, industrialist के फायदे के लिये और consumer के फायदे के लिये development के काम इस स्टेट के अन्दर किये जा रहे हैं और इन कामों को पूरा करने के लिये पैसा चाहिए। और ज़्यादा पैसा, पैसे की circulation को ज़्यादा करने से आ सकता है। अगर money circulation कम होगी तो country की wealth भी कम होगी। इस लिए money की circulation को ज़्यादा कर के development की स्कीमों को पूरा करने के लिए, रुपया निकाला जा सकता है। और फिर यह जो टैक्स लगाया जा रहा है इस के बारे में Taxation Enquiry Commission की इजाज़त ली गई और Planning Commission के मशवरे से यह चीज़ लाई गई है।

फिर Education cess के बारे में ज़िक्र किया गया और कहा गया कि पंजाब गवर्नमैंट ने जो education का cess लगाने की पालिसी को अपनाया है वह Plan के अन्दर नहीं है। अगर वह मेम्बर साहिबान जो नुक्ताचीनी करते थे इस बात को study करें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो Plan के अन्दर नहीं और non-planned भी हैं, उन्हें Plan के अन्दर लाने के लिये Planning Commission की इजाज़त ले ली जाती है। फिर आप सब जानते हैं कि हमारे देश के Constitution में यह directive भी रखा हुआ है, कि 6 साल से 14 साल की आयु के तमाम लड़कों और लड़कियों के लिये compulsory और free education करने की ज़िम्मेवारी स्टेट सरकारों की होगी। इस लिये जब तक हम free education नहीं करते तब तक compulsory नहीं कर सकते। Compulsory education पहला step है और इस के लिये हमने पहला कदम उठाया है और यह जो educational cess के बारे में रुपया इकट्ठा होगा वह education पर ख़र्च होगा। इस लिए मैं समझता हूं कि education cess पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं। Education की तरक्की के लिये यह ज़रूरी है कि अलग funds find out किए जाएं और इसी लिए सरकार ने education cess लगा कर funds find out करने की कोशिश की है। इस तरह आज जब हम free education करने जा रहे हैं तो हम पर एतराज़ किया जाता है।

फिर यह कहा गया कि हरिजनों पर इस टैक्स का बोझ पड़ेगा और उन के हित के लिये कुछ नहीं किया गया। और कहा गया कि raw skins और hides पर टैक्स लगाया जा रहा है और दाल रोटी पर और खाने की चीजों पर टैक्स लगाया जा रहा है। क्या मैं पूछूं कि skins और hides भी खाने की चीजें हैं? नहीं। इस के मुताल्लिक मैं अर्ज़ करूं कि मेरे पास skins और hides का व्योपार करने वाले आए और उन की तरफ से एतराज भी आया था और मेम्बर साहिबान ने लिख कर भी दिया था लेकिन किसी ने भी leather goods industry की बात नहीं की। Tannery वालों ने भी लिखा था; Kapurthala की Tannery वालों ने भी लिखा है कि tannery की industry मर जाएगी। वह taxation के ख़िलाफ़ नहीं। वह चाहते

हैं कि raw material पर जो टैक्स लगाया गया है, उस में से hides को क्यों छोड़ा जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि आप skins पर बेशक टैक्स लगा सकते हैं क्योंकि उन्हें tax नहीं किया जाता और इन दोनों चीज़ों के export से loss होता है और skins export होती हैं, hides export नहीं होतीं। इस के बारे में मैं अर्ज़ करूं कि raw skins की export भी होती है और import भी होती है। Tanned leather और tanned hides की export भी होती है और import भी। इसी तरह raw hides और दूसरे चमड़े हैं जिन से बूट और गुरगाबियां आदि बनाई जाती हैं और गवर्नमैंट की institution में processed leather भी तैयार होता है। इस के बारे में मैं कुछ facts आप के सामने रखना चाहता हूं जिस से पता चल सके कि tanned hides और skins की export और import कितनी हुई है—

1953-54 में export 878 और import 10,133 थी।
1954-55 में export 11,084 और import 11,124 थी।
1955-56 में export 13,094 और import 15,094 थी।
1956-57 में export 16,817 और import 13,240 थी।

Tanning industry वालों ने यह लिखा था कि वह prosper नहीं कर सकेंगे। वह ठीक नहीं है। Raw hide की import ज़्यादा है और export कम है। और फिर जो माल बाहर से आएगा उस पर भी टैक्स लगेगा। इस लिये मैं इस बात को नहीं मानता कि tanning और leather की trade को नुक्सान होगा। Tanning की trade गरीब नहीं होगी। हम ने तो हर एक को protection देनी है और जो hides export होती हैं अगर उन पर टैक्स न लगाया गया तो Central sales tax से जो Government of India charge करेगी, हमें हिस्सा नहीं मिलेगा। फिर कहा गया कि large-scale industry, small scale industry को खा जाएगी और cottage industry और small scale industry को बढ़ावा नहीं मिलेगा, cottage industy को फायदा नहीं पहुंचेगा। बदकिस्मती से जिन लोगों ने यह कहा है वह अपना argument ठीक तरह से पेश नहीं कर सके। उन का यह argument था कि textile mill वाले फायदा उठाएंगे लेकिन इस का असर textile mills पर भी पड़ेगा। और यह कहना कि cottage industry वालों को deprive किया जाएगा, ठीक नहीं।

लेकिन मैं यह जानता हूं कि इस में दूसरी politics चलती है। यह यकीन किया जाता है कि हमारे country में जो एक कैराला State है जिसे यह कहते हैं कि क्योंकि वहां Communists की हकूमत है, इस लिये वहां पर बड़े थोड़े finances में काम चलाया जाता है। यह बात दरुस्त नहीं है। In power आ जाने से ही तो हर चीज़ नहीं हो जाती। Development तो किसी ढंग से ही होगी। इस के लिये सारी की सारी चीज़ों को ही देखना चाहिये। किसी जगह development लाने के लिये हमें देखना होगा कि हमारी country की food production किस तरह बढ़े। Party basis पर हमें इन चीज़ों को देखना नहीं चाहिये।

[योजना मंत्री]

एक बात और भी यहां पर एक संस्था के बारे में कही गई, और बदकिस्मती से इस संस्था का ताल्लुक भी मेरे साथ है। इन्होंने आदमपुर की संस्था का भी नाम लिया। आदमपुर का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। खादी सेवाग्राम, अम्बाला का भी मैं chairman हूं। इस के अलावा कस्तूरबा सेवा ग्राम का भी मैं chairman हूं। यही नहीं, जो खादी Board है State में उस का मैं member हूं और उस Board का मैं chairman भी हूं। मैं जानता हूं कि Board किस तरह से काम करता है। क्या यह चाहते हैं कि वह भी बंद हो जाये। वह कहते हैं कि खादी का काम भी हरिजनों के ख़िलाफ़ होता है। यह charge वह लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हरिजनों के खिलाफ होता है या नहीं......

श्री कर्म चन्द सिद्धू : 5 प्रतिशत भी हरिजन नहीं हैं।

योजना मंत्री : जब किसी बात का जवाब मिलता हो तो उस को शांति से सुनना चाहिये और शांति से समझने की कोशिश करनी चाहिये। सवाल यह है कि आज हरिजनों की क्लास जिसे यह कहते हैं कि इस के पीछे नहीं हैं तो इस में कई उलझनें हैं। वह मेरे पास आये थे और मैं ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी। अगर आज किसी भी industry को, किसी तरह से कोई नुक्सान पहुंचता है, तो इस का मतलब यह है कि हमारी State को भी नुक्सान पहुंचता है। लेकिन जब किसी industry के profit में से किसी को कुछ देना पड़े तो उस को ख़ुशी से देना चाहिये ताकि वह State की development में भी कुछ न कुछ हिस्सा ले सके। इस में एक बात और आती है कि एक तरफ तो व्यापारियों की तरफ से एतराज़ आता है और दूसरी तरफ Industrialists की तरफ से एतराज़ होता है। व्यापारी तो raw material लेते हैं और Industrialists को दे देते हैं मगर उन्होंने ने उसी चीज़ से profit या कमीशन हासिल करना होता है। उस का न कोई raw material की preparation से concern है और न ही industry की manufacture से उस का कोई concern है। मैं इन व्यापारियों को कोई class नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे तो सभी से ताल्लुक रखना है। अगर मैं कोई झूठी बिना बना कर या कोई इलज़ाम लगा कर कोई बात कहूं तो उस में रुकावट पैदा होती है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता कि commission के अलावा भी उन के और income भी है। अगर इस के खिलाफ उन की कोई तजवीज़ हो, मैं मानने को तैयार हूं। अगर उन को अपने profit में से कोई कमी करनी पड़ती है तो यह कभी भी consider की जा सकती है। लेकिन अगर यह चीज़ straight away आती है और उन के profit में से कमी नहीं होती तब तो Sales tax देना ही होगा। इस लिये कि वह purchaser से realise करते हैं। जहां तक demand और supply का ताल्लुक है किसी को कम और किसी को ज्यादा बेचना है तो उस में ज़रूर फर्क पड़ेगा लेकिन वह उस का Sales Tax वसूल करके देगा। इस की वजह से उसे हिसाब रखना होगा और यह कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। इस के अलावा हम ने purchase system में यह भी

कर दिया है कि जिस Registered dealer की 50,000 quantum तक की production होगी, उस को इसे registered कराना होगा और registered कराने के बाद license रखना चाहिये। Purchase system में यह भी है कि अगर वह फ़र्म registered भी है और वह import नहीं करते हैं, यहां की चीज़ लेकर ही बेचते हैं तो वह जिन की production 15,000 quantum की भी है वह भी registered करा लेते हैं। अगर वह register नहीं कराते तो Sales-Tax खरीदते वक्त देना पड़ता है, नहीं तो वह 3 महीने तक Sales-Tax realise करके रखता है। और साल के बाद जो उस firm की production होती है वह उस पर Sales-Tax देता है। अगर production वह बढ़ा देते हैं वह Sales-Tax भी बढ़ा देते हैं, लेकिन यह कहना कि quantum 5,000 तक ही रहने देना चाहिये, एक बेमायनी सी चीज़ है। अगर किसी rule में कोई ख़राबी है तो वह ख़राबी हमारे notice में लायें, हम उस को दूर करेंगे और अगर कोई facility हम दे सकते हैं तो ज़रूर देंगे। इस तरह से हम Government का पैसा collect करने में मदद कर सकते हैं। Rationing के मौका पर जो imported अनाज दिया जाता था, उस की कीमत 19 रु० मन की थी लेकिन वह Sales Depot में 16 रु० मन के हिसाब से फरोख्त होता था। 3 रु० मन का जो फर्क था वह इस तरह पूरा किया जाता था कि 2 रु० 8 आने तो Government of India देती थी और 8 आने Punjab Government देती थी। उस वक्त भी व्योपारियों ने supply और demand की वजह से prices बढ़ा दी थीं। और इस के लिये Government को fair price shops भी खोलनी पड़ीं थी। जब भी कभी कोई इस किस्म की तकलीफ महसूस होती है तो इस को दूर करने के लिये सरकार को सोचना पड़ता है। इस लिये मैं इस की detail में और न जाता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस बिल को consider करके पास किया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

श्री बलराम दास टंडन : On a point of information, Sir. परसों इस House के अंदर एक Adjournment motion दी गई थी। उस के बारे में यह कहा गया था कि Minister साहिब आज के दिन जवाब देंगे। मगर अभी तक House में कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई। कोई information अभी तक इस के मुतअल्लिक नहीं दी गई।

अध्यक्ष महोदय : यह तो मुझे भी याद नहीं रहा। यह इस लिये भी रह गई है कि आप की दूसरी motion भी आ गई है। (I also forgot about it. It has been left over because notice of another motion has been received from the hon. Member.)

श्री बलराम दास टंडन : यह तो जनाब जब चाहें allow कर सकते हैं।

Mr. Speaker : When the business of the House is already in progress it cannot be brought in.

The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

Clause I

ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ (ਧੂਰੀ, ਜਨਰਲ) : ਇਹ ਜਿਹੜੀ clause ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

In sub-clause (2), *for* "on the first day of April, 1958" *substitute* "at once".

ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ retrospective effect ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ amendment at once accept ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (2) *for* "on the first day of April, 1958" *substitute* "at once".

Minister for Planning : Sir, I accept this amendment.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (2) *for* "on the first day of April, 1958" *substitute* "at once".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

श्री हरभगवान मौदगिल (लुध्याना, उत्तर) : ਮੇਰੀ amendment ਇਹ ਹੈ ਕਿ—

In line 3, *for* "sale" *substitute* "sales".

In line 4, *for* "purchase" *substitute* "purchases".

Sir, the name of the parent Act is the East Punjab General Sales Tax Act. Clause 2 of this amending Bill seeks to insert the words "or purc hase" after the word "sale", in the long title of that Act. But there is no word "sale" in the heading of that Act. The word used there is "sales". So I want that for the word "sale" the word "sales" should be substituted. Similarly, the words "or purchases" and not "or purchase", as suggested in this Clause, should be inserted in the long title.

Mr. Speaker : Motions moved—

In line 3, *for* "sale" *substitute* "sales".

In line 4, *for* "purchase" *substitute* "purchases".

Minister for Planning (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, the first amendment of the hon. Member is not in order because as far as the word "sale" in the long title of the parent Act is concerned , we are not changing it. This Clause does not seek to change it. The word "sale" is there and we cannot change it into "sales".

So far as the word "purchase" is concerned, I think it serves the same purpose as is served by the word "purchases". The expression "sale or purchase" does not mean only "one sale or one purchase". It means "sales or purchases" also.

Mr. Speaker : Question is—

In line 3, *for* "sale" *substitute* "sales".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

In line 4, *for* "purchase" *substitute* "purchases".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ subsection (2) FF ਹੈ.....

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, may I point out that the notice of amendments given by Chaudhri Balbir Singh was received at 8.30 a.m. to-day? I beg to say that the practice of giving amendments at short notice should be discouraged. Under the rules, two days' notice is necessary unless an amendment given notice of by a Member is very important for the law.

Mr. Speaker : I quite agree with you. In future, I shall be rather strict. When the Bill has already been before the House for a number of days, these amendments should have come earlier.

श्री बलराम दास टंडन : मुझे कापी नहीं मिली है, मेरी amendment की जो 3FF पर है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप को distribute हुई होगी। (It must have been distributed to you.)

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North) : Sir, I beg to move—

In sub-clause (2) (ff), lines 3-4, *between* 'sugarcane' and "foodgrains" *insert* "cotton seed, vegetable oils".

मैंने जो amendment पेश की है उसके विषय में गुज़ारिश है कि जो लफ़ज sugarcane है उस के और लफ़ज foodgrains के दरम्यान cotton seeds और

[श्री हरभगवान मोदगिल]

vegetable oil शामिल कर लिया जाए । इस amendment से मेरा मकसद इस Act की ताकत को बढ़ाना है, न कि कम करना ।

मैं आप के ज़रिये यह प्रार्थना करता हूं कि हमारे आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बजट स्पीच के सफ़ा 39 पर इस टैक्स के मुतअल्लिक जो बयान दिया था वह इस तरह से है—

"The Bill relating to Special Surcharge on Land Revenue on being approved by this House is already under the consideration of the Upper House and when enacted will, it is expected, bring in an additional revenue of Rs. 15 lakhs. Even then we would have to cover Rs. 219 lakhs of the remaining deficit. For this purpose, we have decided to remove cotton, cotton-seed, oilcakes, raw hides, raw skins and raw wool from the Schedule of Exemptions in the Punjab General Sales Tax Act, 1948. Alongwith it, it has been decided to levy sales-tax at the rate of two Naye Paise per rupee on raw materials purchased by manufacturers."

स्पीकर साहिब, इस बिल के लाने का मकसद आनरेबल मिनिस्टर साहिब की स्पीच से सम्बन्धित है ताकि इस के ज़रिये कुछ टैक्स वसूल किया जाए और State गवर्नमैंट को जो रुपये की कमी है, वह पूरी की जाए।

मेरी गुज़ारिश है कि जहां तक इन दो चीज़ों का ताल्लुक है, sugarcane का और foodgrains का, इन के साथ ही cotton-seeds और vegetable oil शामिल किया जाना ज़रूरी है। यह Bill क्योंकि cotton seeds और vegetable oil industries को पंजाब में बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा अगर यह clause इसी तरीके से रखी जाए। और इसका नतीजा यह होगा कि जो तेल निकालने वाले हैं उन को भारी नुकसान होगा। अगर इन दो चीज़ों को शामिल नहीं करते तो जो कारखानेदार ऐसे हैं जो काटन खरीद कर, बिनौले निकाल कर तेल बगैरह निकालने का प्रबन्ध कर लें तो इस का असर उन पर नहीं पड़ेगा। और जो तेल निकालने वाले हैं अगर उन को काटन seeds खरीदना पड़े तो इस बिल के तहत एक tax देना पड़ेगा। इस तरह एक बड़ी भारी disparity create हो जाती है, जो ठीक नहीं है। तो मेरी गुज़ारिश यह है कि अगर इन oil की दस्तकारी को इस तरह फर्क से डील करेंगे तो पंजाब में इस industry को भारी नुकसान होगा। और लोग सीधी oil निकालने वाली industry नहीं लगाएंगे।

कल पुरी साहब ने भी यह बताया था कि हो सकता है कि अगर vegetable oil-seeds को शामिल न किया गया तो लोग बाहर से seeds मंगवाकर अपनी factories में इस्तेमाल करेंगे। इस से हमारी oil industry को बड़ा भारी नुकसान होगा। मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर cotton-seed को और दूसरे vegetable oil-seeds को शामिल कर लिया जाए तो उस से revenue में कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि जो general sales-tax के अंदर tax लगेंगे, उस से Government को पूरी आमदन हो सकती है।

योजना मंत्री : जो मुद्दा वह लाना चाहते हैं, वह purchase की तारीफ़ को बदलने से हासिल नहीं हो सकता।

ग्रध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहिब, जब ग्राप जवाब देंगे, उस वक्त यह सब कुछ कह लेना । (The hon. Minister can say all these things when he replies to the debates.)

श्री हरभगवान मौदगिल : मैं, जनाब, यह गुज़ारिश कर रहा था कि cotton-seeds ग्रौर दूसरे vegetable oilseeds यह भी उतनी ही ज़रूरी चीज़ें हैं जितनी कि वह commodities हैं जिन को Government of India ने inter-State Tax लगाते वक्त special करार दिया था । Human consumption के लिये ग्रौर cattle consumption के लिये भी यह बहुत useful ग्रौर कारग्रामद चीजें हैं । ग्रगर इन को किसी तरह से हमारी taxation policy के ज़रिये धक्का लगा तो उस से हमारे सूबे का बड़ा भारी नुक्सान होगा । जहां तक इस Bill की spirit का ताल्लुक है मैं उस के साथ इत्तफ़ाक करता हूं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जहां ग्राप ने sugarcane को इस purchase की तारीफ़ में शामिल किया है, वहां ग्राप cotton-seeds को ग्रौर दूसरे vegetable oilseeds को भी शामिल कर लें ।

मैं चंद Central Acts का हवाला दे कर बताना चाहता हूं कि cotton-seeds ग्रौर sugarcane at par treat किये जाते हैं । इस लिये कोई वजह नज़र नहीं ग्राती कि जब sugarcane उस तारीफ़ में ग्राता है तो फ़िर cotton seed ग्रौर दूसरे vegetable oilseeds उस तारीफ़ में क्यों न लाए जाएं । Indian Oilseeds Act, 1946 में से मैं relevant portion पढ़ कर सुनाता हूं । उस में लिखा है......

"THE INDIAN OILSEEDS COMMITTEE ACT, 1946

An Act to provide for the creation of a fund to be expended by a Committee specially constituted for the improvement and development of the cultivation and marketing of oilseeds and of the production, manufacture and marketing of oil seed products.

WHEREAS it is expedient to provide for the creation of a fund to be expended by a Committee specially constituted in this behalf for the improvement and development of the cultivation and marketing of oilseeds and of the production, manufacture and marketing of oilseed products".

जनाब स्पीकर साहिब, इस के ग्रलावा एक दूसरा Act है जिस में sugarcane के मुतग्रल्लिक भी इन्हीं ग्रलफाज़ में उस का preamble दर्ज किया गया है ।

"THE SUGARCANE ACT, 1934

WHEREAS it is expedient for the purpose of assuring to sugarcane growers a fair price for their produce...."

ग्रध्यक्ष महोदय : ग्राप ने तो preambles की controvercy शुरू कर दी है । (The hon. Member has started a controvercy over the preambles.)

श्री हरभगवान मोदगिल : जनाब, मेरा reference देने का मतलब यह है कि Central Government ने इन Acts के जरिए sugarcane को और cotton-seeds व other vegetable oilseeds को एक ही status की commodities बयान किया है । मैं preamble के जरिए से किसी statute की interpretation नहीं अर्ज़ कर रहा । मेरी अर्ज़ यह है कि जब Central Government ने sugarcane के साथ oilseeds को at par treat किया है तो उन को Punjab Government भी एक जैसा treat करे । हमारे खन्ने और लुध्याने के आस पास तेल निकालने के काफी कारखाने हैं । इस लिये अगर यह Bill इसी तरह पास कर दिया जाए तो मेरे इलाके में तेल निकालने की industry को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा और उन लोगों की discouragement होगी । Oil industry को बचाने के लिये, स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा अपने मिनिस्टर साहिबान से request करूंगा कि वह मेरी amendment को मान लें ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (2)(ff), lines 3-4, *between* "sugar cane" and "foodgrains" *insert* "cotton-seed, vegetable oils".

(Shri Balram Dass Tandon stood up to move his amendment.)

अध्यक्ष महोदय : आप के इसे move करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह identical amendment है । (The hon. Member need not move this amendment as it is identical to the one which has been moved.)

श्री बलराम दास टंडन : बहुत अच्छा जी ।

Chaudhri Balbir Singh : Sir, I beg to move—

In sub-clause (3)(b), line 3, *for* "four per centum" *substitute* "two and a half per centum".

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਲਾਜ਼ 3 ਦੇ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 (b) ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਾਈ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਜਿੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ (incidental charges) ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਾਈ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਵੱਜੁਹ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਲ ਦਿਵਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਮਈ, 1948 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ, 1948 ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਨਡੀਸਾਈਡਿਡ (undecided) ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਫੇਰ ਏਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਤੇ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਔਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਉ ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ (discussion) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

(gist) ਮੈਂ ਏਥੇ ਦਸ ਦਿਆਂ । ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਨ । ਮਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ—

"the Mandal further argued that the sole objective of agreeing to purchases basis was the simplification of accounts...."

Mr. Speaker : Is this authentic ?

Chaudhri Balbir Singh : These are the proceedings of the meeting between the Chief Minister, Punjab, and the Punjab Beopar Mandal. These have been printed by the Punjab Beopar Mandal.

"The Mandal further argued that the sole objective of agreeing to purchases basis was the simplification of accounts. The idea was that tax would be charged on the gross amount of a purchase invoice after adding 7½ per cent as the margin of profit. After considerable discussion...."

ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਲਫਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੌਰ ਤਲਬ ਹਨ—

the Chief Minister agreed that the expression the "value of goods" occurring in the proceedings of the last meeting, would mean the face value of the purchase invoice to which shall be added any advance money that might have been paid or might be paid in addition to the face value of the invoice. To this value shall be added the 7½ per cent as the margin of profit. It was made clear by the Chief Minister that where this face value of the invoice included freight octroi handling charges, etc., even though separately shown therein, that would be the value to which the agreed margin of profit is to be applied."

ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਉਪਰ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ (issue) ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਲਫਜ਼ ਥਰੈਸ਼ ਆਊਟ (thrash out) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਐਗਰੀ (agree) ਕੀਤਾ ਸੀ ।

"that the expression 'the value of goods' would mean the face value of the purchase invoice to which shall be added any advance money that might have been paid or might be paid in addition to the face value of the invoice. To this value shall be added as the margin of profit.

ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ Chief Minister ਸਹਿਬ ਨੇ clear ਕੀਤਾ ਸੀ—

that where this face value of the invoice included freight, octroi, etc., even though separately shown therein, that would be the value to which the agreed margin of profit is to be applied.

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ clear ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 7½ % profit ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਔਰ ਆਕਟਰਾਏ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਔਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਏਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁਟਣ ਲਗਾ ਸੀ ਮਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਹਿਬ ਨੇ ਏਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟ ਪਲੇ (part play) ਕੀਤਾ । ਅਜ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 80 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ ਉਹ 81 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਾਢੇ 7 % ਪਰੌਫਿਟ ਔਰ ਢਾਈ ਪਰਸੈਂਟ ਇੰਨਸੀਡੈਂਟਲ ਟਾਰਜਿਜ਼ ਲਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਣ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ sale ਜੋ ਹੈ ਉਹ 80, 81 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ commodities ਹਨ । ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਦੋ commodities ਜਿਵੇਂ ਕਿ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਸੀਮਿੰਟ ਤੇ ਕੋਇਲਾ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਉ । ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ deputation ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨ ਮਾਰੋ । ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਉ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ actual incidental charges ਹਨ ਉਹ ਲਗਾ ਲਉ । ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਾ ਕਿ Government is going back on their promises । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ stick ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ State ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, progressive ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ. (*Interruptions*)

Minister for Planning : That is incorrect.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ progressive State ਹੈ ਤੇ ... ... (*noise*)

अध्यक्ष महोदय : यह कहते हैं कि आप ने कहा था कि हमारी progressive State है, वगैरह वगैरह । (He says that the hon. Minister had said that our's was a progressive State, etc., etc.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਹਾਂ ਜੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ progressive State ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ State ਤਾਂ ਅਗੇ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹੋ । ਚੰਗੀ progressive ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ State ਹੈ ! ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ State ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ honour ਕਰੇ । ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ system ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ Central Government ਵੀ tedious ਮੰਨ ਚੁਕੀ ਹੈ । Central Government ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ Sugar, Cloth ਤੇ ਤੰਬਾਖੂ ਨੂੰ sales tax ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਸ ਵਿਚ ਗੌਰਮਿੰਟ agree ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ system ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕੋਈ progressive State ਵਾਲੀ ਗਲ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ progressive State ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ tedious way of taxation ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਜਿਥੇ Central Government ਨੇ ਇਸ tedious way of taxation ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢ ਲਈਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ progressive State ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚ ਘਸੋੜ ਲਈਆਂ ਹਨ । (ਹਾਸਾ) ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਲ ਮੇਰੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਣੀ speech ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹਨ,

ਉਹ ਲੁਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਹਨ । ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਰਖੋ ਤੇ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਹਿਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ amount ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਹ ਇਸ system ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ forego ਕਰ ਕੇ ਇਸ system ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਵਪਾਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ । ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿਉ । 4 per cent ਦੀ ਬਜਾਏ $2\frac{1}{2}$ per cent ਕਰ ਦਿਉ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ exploit ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬ ਵੀ ਮਨਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜੋ ਸੁਝਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ constructive ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ 1952-53 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ meetings ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ proceedings ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰ stage ਤੇ give and take ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜੋ purchase-tax ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 4 per cent ਦੀ ਬਜਾਏ $2\frac{1}{2}$ per cent ਕਰ ਦਿਉ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ President ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗਲ ਘੁਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ $2\frac{1}{2}$ per cent ਕਰ ਦਿਉ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੇਰ ਇਹ 4 per cent ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣ । ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉ । ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੋ ਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਚੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਤੇ ਅਜ ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੀਸਰੀ stage ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ।

अध्यक्ष महोदय : आप अभी ही बोल लें । (He may speak now even.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੋਲਾਂਗਾ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (3)(b), line 3, *for* "four per centum" *substitute* "two and a half per centum".

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं ने जो amendment clause 3, sub-clause (2) (ff) के बारे में दी है, उस में मैं ने मंत्री जी से यह दरखास्त की है कि जहां पर उन्होंने sugarcane, foodgrains और pulses को इस से बाहर रखने को कहा है, वहां मेरी इस amendment के ज़रिए यह अर्ज़ है कि cotton-seed और vegetable oils को भी इस में से निकाल दें। स्पीकर साहिब, अगर इस के बारे में मंत्री जी ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जो सारी facts and figures हमारे सामने हैं, उन के मुताबिक आज हिन्दुस्तान में 14 लाख टन cotton-seed होता है। उस 14 लाख टन में से सिर्फ ½ लाख टन की crushing होती है तेल निकालने के लिये और बाकी का सारे का सारा 13½ लाख टन cotton-seed जो है वह जानवरों को डाल दिया जाता है। इस के बारे में जो हमारे सामने statistics हैं उन से यह पता चलता है कि यह जानवरों के शरीर की पुष्टि के लिये डाले जाते हैं। फिर तेल निकाल कर भी जो cakes बाकी बच जाते हैं, उस में भी तेल बाकी रह जाता है। जैसा कि कपड़ा धो कर उसे निचोड़ने के बाद भी उस में गीलापन रह जाता है और उसी गीलापन को दूर करने के लिये उसे धूप में डाला जाता है, वैसे ही cotton-seeds से crush करके तेल निकालने के बाद भी जो oil cakes बच जाते हैं, उन में भी 8 फीसदी के हिसाब से तेल बाकी रह जाता है और जिन लोगों ने laboratories के अन्दर इस चीज़ को check up किया है, वह इस बात को जानते हैं। मैसूर की जो Technical Institute है, उस की report के मुताबिक, जो सरकार की तरफ से बनी थी उस में उन्होंने cotton-seeds and its products के बारे में लिखा है जो कि Council of Scientific and Industrial Research की तरफ से छपी हुई है। इस के सफा 29 पर उन्होंने लिखा है —

"Cotton-seed has been used in livestock feeds for many years in India, although its cake or meal is superior in nutritive value."

क्योंकि जो केक होता है उस में 8 % तेल बच जाता है। इस लिये अगर केक की शकल में जानवर को दिया जाये तो उस की value ज्यादा होती है बनिस्बत

11 a.m.

seed के क्योंकि seed की फार्म में देने से बहुत सा हिस्सा cow dung की फार्म में निकल जाता है क्योंकि इस की assimilation 8 प्रतिशत तक होती है। गवर्नमेंट ने दूसरी पांच साला प्लैन के अन्दर कहा है :

"Based on these trials Lander and Dharmani concluded that 8 per cent fat is the maximum limit that could be satisfactorily assimilated by cattle. The figures for starch equivalent and digestible protein showed the nutrients were better utilized by the animals in the form of cake than in the form of seed."

मैं मिनिस्टर साहब की तवज्जुह इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि इस के page 268 पर, स्पीकर साहब, यह जो तेल निकालने वाली बात है उस की तरफ़ ध्यान देना चाहिए जितना तेल इस वक्त निकलता है उस से 1½ गुणा तादाद के अन्दर निकालने

की कोशिश करनी चाहिए । इस तरह से जो extra तेल निकलेगा उस से 30 करोड़ की बचत होगी जो कि country में इस्तेमाल करके या export करके देश की additional wealth साबत होगा । इसमें लिखा है—

> "While there should not be any restriction on the expansion of cotton seed oil manufacture special and immediate encouragement should be given to the establishment of a few plants capable of producing a minimum of 7,500 tons of cotton seed oil."

एक तरफ़ तो गवर्नमेंट यह कह रही है कि oil की तरक्की की तरफ़ काम करना है लेकिन अगर दूसरी तरफ़ ध्यान नहीं देंगे तो इस का परिणाम यह होगा कि लोग यह सोचेंगे कि काटन सीड बाहर भेजना चाहिए। हमारे सूबे में जो नई नई मिलें लगी हैं अगर इस पर 2 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगाया गया तो लोग खुद बखुद सोचेंगे कि नुक्सान उठाने से कोई फ़ायदा नहीं और सरकार की recommendation की कोई कीमत नहीं रहेगी। इस लिये मैंने दरखास्त की है कि जहां बाकी की तीन चीज़ें छोड़ी हैं उसी तरह इस को भी छोड़ दिया जाय ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ख्वाहिश है उसको पूरा किया जा सके और दूसरे पंजाब के अन्दर जो थोड़ी सी मिलें हैं उन की हौसला अफ़ज़ाई की जा सके । ये मिलें इस वक्त सहारनपुर या मोदीनगर तेल भेजती हैं और वहां से वैजीटेबल घी बन कर आता है। यह टैक्स पांच आने के हिसाब से एक मन मूंगफली की गिरी पर लगेगा और इस हिसाब से एक मन तेल पर सवा रुपया टैक्स लगेगा। इस के साथ raw-material पर भी लगेगा । इन का परिणाम यह होगा कि जो मिलों वाले यहां पर produce करते हैं वे यह सोचेंगे कि मोदीनगर ले जाना चाहिए और उन की यह कोशिश होगी कि अपनी मिलें दूसरे सप्लाई सेंटरों में लगाई जाएं। इसलिये मैं दरखास्त करना चाहता हूं कि काटन-सीड को भी इस से exempt करना चाहिए। स्पीकर साहब, वैसे जो कुछ बातें हाऊस के सामने आई हैं और जो कल हाऊस के अन्दर तकरीरें हुई उन से मुझे बहुत नाउमीदी हुई । मैं यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि अगर सारे हालात का जायज़ा लिया जाय और तहम्मल के साथ ग़ौर फरमाया जाय तो वह महसूस करेंगे कि इस पंजाब की industry को फायदा नहीं होगा बल्कि मैं समझता हूं कि इस से पंजाब की industry तबाह हो जायगी । इस से जो हम private enterprise का ढांचा खड़ा करने जा रहे हैं वह ख़त्म होने वाला है। आज जनता की राय यह है कि इस प्रकार का टैक्स लगाने से पंजाब की इंडस्ट्री तबाह हो जायगी लेकिन अगर जनता की राय को नज़र अन्दाज़ कर के काम किया जाय तो यह अजीब ढंग की डैमोक्रेसी है। यह हमारी डैमोक्रेसी है कि हाऊस के आपोज़ीशन के और treasury benches के सब मेम्बर सिवाय एक दो व्यक्तियों के इस बात के हक में हैं और अगर discipline का डंडा उन के सर पर न हो तो यह बिल कभी पास नहीं हो सकता। उन सब की राय को सामने रख कर मुनासिब होगा कि यह टैक्स न लगाया जाय क्योंकि यह देश के हित में नहीं है। तो इन सब बातों के होते हुए भी इस टैक्स लगाने से democracy का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस लिये अन्त में मैं एक बार फिर गुज़ारिश करना चाहता हूं कि cotton seeds को इस टैक्स से मुस्तसना करार दिया जाय ताकि यह

[श्री बलराम दास टंडन]

industry जो थोड़ी बहुत अपने पांव पर खड़ी हो रही है उसे पनपने का अवसर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को काम मिले, बिजली का प्रयोग हो सके और पंजाब की अधिक से अधिक तरक्की हो।

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहब, दो items पर objection हुआ—amendments हुई हैं। एक तो यह कि जहां sugarcane और ulses लिखा है उस में cotton seeds और vegetable oils भी शामिल कर लिया जाय। मैं समझता हूं कि अगर इस चीज़ की definition में पड़ना है तो बेहतर यह होगा कि क्लाज़ 9 पर discussion के वक्त इस चीज़ पर बहस की जाती जो कि taxable articles के schedule के सम्बन्ध में है और उस मौका पर यह चीज़ ज़्यादा फब सकती थी । एक और चीज़ जो मैं हाऊस के नोटिस में लाना चाहता हूं वह यह है कि हम purchase-tax लगाना चाहते हैं सेल्ज़ टैक्स नहीं लगाना चाहते । Incidence के मुतअल्लिक चौधरी बलबीर सिंह ने कहा कि गवर्नमेंट ने promise किया था और अब वह इस promise से हट रही है। मैं ने कहा था कि व्यापारी और industrialists आयें मैं उन के साथ co-operate करने के लिये, बात चीत करने के लिये तैयार हूं। उन्होंने व्यापार मंडल की बात कही । मैं ने व्योपार मण्डल पर एतराज नहीं किया । मैं इस से कई दफ़ा consultation कर चुका हूं । व्योपारियों के collecting agents से मैं ने बात करनी है। क्या मैं कभी कह सकता हूं कि आप के साथ बात करने के लिये तैयार नहीं हूं ? मैं हमेशा बात चीत करने के लिये तैयार हूं लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि कौन से व्यापार मंडल को मानूं। मेरे पास कई व्योपार मंडलों की चिट्ठियां मौजूद हैं। मैं ने उन से कहा था कि जब आप अलग २ institutions बनाते हैं तो गवर्नमैण्ट के लिये बात चीत करना मुश्किल हो जाता है। एक तरह से आसानी भी हो जाती है कि एक व्योपार मंडल को दूसरे से लड़ा दिया और एक को दूसरे के खिलाफ set-up कर के divide and rule की पालिसी पर अमल किया। लेकिन एक को दूसरे से लड़ा कर कभी किसी problem का solution नहीं निकल सकता बल्कि आपस में बैठ कर बात चीत करने से निकल सकता है। व्योपार मंडल वाले हम से co-operate करते हैं और मैं इन का मश्कूर हूं । इस मामला में मैं ने उन से बात चीत की थी। मैं ने डाक्टर गोपाल दास चेयरमैन को तार दे कर बुलाया और उस रोज़ $10\frac{1}{2}$ बजे रात तक बात चीत होती रही। यह बहस दो दिन तक जारी रही । मैं ने कहा कि 10 per cent और $2\frac{1}{2}$ per cent लगे लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा incidence हो जाता है । इतना बरदाश्त न होगा इस में कमी कीजिए। मैं ने कहा कि डिपार्टमैण्ट वाले कहते हैं कि 6 per cent के करीब वाजिब बैठता है इस लिये 6 per cent मानें लेकिन उन्होंने कहा नहीं। फिर मैं ने कहा कि मैं आप पर छोड़ देता हूं जिस तरह आप मुनासिब और reasonable समझें करें। आखिर में mutual consultations के बाद मैं ने 4 per cent और $7\frac{1}{2}$ per cent रखा है।

उस वक्त डाक्टर गोपाल दास President, Beopar Mandal से बात चीत हुई और चौधरी बलबीर सिंह Vice-President थे । उस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ था लेकिन उस के बाद सिर्फ इस मामला के लिये बुला कर मैं ने बात चीत की । इस सिलसिले में मैं कह दूं कि मैं ने कोई step नहीं लिया जब तक कि डाक्टर गोपाल दास को बुला कर मश्विरा न कर लिया हो । चौधरी साहिब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि दूसरे टैक्सों के मामले में वह बात चीत करते रहे और अपने points press करते रहे । यह बात नहीं कि उन से बात चीत नहीं हुई । बात चीत कर के जो फैसले होते रहे उन पर चलते रहे । मैं हाऊस की तवज्जुह "turn over" की तारीफ की तरफ दिलाता हूं—

> "Subject to such terms and conditions as may be prescribed the aggregate of the purchase price including freight, octroi, insurance, customs duty, handling charges and any other similar taxes or charges payable by the dealer plus seven-and a-half per centum of such aggregate price....

ऐक्ट में यह चीज़ मौजूद है । बात चीत होने के बाद यह फैसला हुआ कि incidental charges छोड़ देते हैं । यह charges 31 मार्च, 1956 तक छोड़े । उस के बाद देखा कि गवर्नमेंट को loss रहता है । फिर इस बात की चर्चा चली कि incidental charges actual लगने चाहियें । चर्चा चलने के बाद उन्होंने कहा कि 4 per cent कर दें । इस से किसी को शायद नुक्सान होता हो मैं नहीं जानता लेकिन गवर्नमैण्ट ने हमेशा व्योपोरियों से मश्विरा कर के फैसला किया । यह कभी नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमैण्ट अपने वायदे पर नहीं रहती बल्कि गवर्नमैण्ट हमेशा आपस में बात चीत कर के फैसला करती है और उस पर डटे रहना चाहती है । Incidental charges कितने पड़ते हैं यह बात नहीं थी बल्कि बात यह थी कि उन्हें हिसाब न रखना पड़े । हिसाब न रखने के लिये कुछ percentage fix करनी पड़ती है । इस तरह से हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । उन से मश्विरा कर के इस बात का फैसला किया गया । इस के बावजूद चौधरी साहिब मुझ पर इलज़ाम लगाते हैं कि गवर्नमैण्ट अपने वायदे से हट जाती है हालांकि मैं समझता हूं कि डाक्टर गोपाल दास के फैसला करने के बाद चौधरी साहिब को as a member of the Beopar Mandal कोई right नहीं रहता कि वह कोई एतराज़ करें ।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (2)(ff), lines 3-4, *between* "sugarcane", and "foodgrains" *insert*....

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I withdraw my amendment.

Shri Lal Chand Sabharwal : Sir, I oppose it. He cannot withdraw it.

Mr. Speaker : Yes, you can oppose it when I will ask the pleasure of the House. No speech will be allowed.

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir. मैं आप के नोटिस में यह बात, लाना चाहता हूं कि parliamentary procedure के मुताबिक अगर किसी पार्टी का Chief Whip कोई amendment पेश कर के उसे वापस लेता है तो that is against the parliamentary procedure.

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से interpret न करें । (The hon. Member need not interpret it in this way.)

Shri Harbhagwan Maudgil says that he wishes to withdraw his amendment. Is it the pleasure of the House ?

(*Voices*: *No. No.*)

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (2)(ff), lines 3-4, *between* "sugarcane" and "foodgrains" *insert* "Cotton seed, vegetable oils".

After ascertaining the votes of the Members present in the House by voices Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (3)(b), line 3, *for* 'four per centum' *substitute* 'two and a half per centum'.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਗਵ ਸਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਇਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚਾਰ ਆਨੇ ਇਤਹਾਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਏਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਆਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਚੱਲਿਆ ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਸੀ । ਅੱਜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਰ ਆਨੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 1942 ਵਿਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 4 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਚਾਰ ਪਰਸੈਂਟ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰ ਆਨੇ ਦਾ ਸੋਲਾਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਤਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ 64 ਗੁਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਆਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ

ਹੁਣ 64 ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਏਸ ਟੈਕਸ ਲਈ ਹੋਰ ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਸਕੇ। 1952 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਕਲਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਲਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਬਿਲ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਈਟਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਆਨੇ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਓਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਖੁਦ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ।

> Subject to the provisions of this Act, there shall be levied on the taxable turn over every year of a dealer a tax at such rate not exceeding two pice in a rupee....

Minister for Planning and Community Projects : Sir, may I enquire which amendment he is moving. ? His amendment is that *for* "8 naya Paise in a rupee", *substitute* "6 per centum".

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਏਸ ਸਾਰੀ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਲਮ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਐਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਰੂਲਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਏਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਪਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ 64 ਗੁਣਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੋ ਆਨੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਾ ਛੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਪਰਸੈਂਟ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਉਸ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰੇਡ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਏਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਟੈਕਸ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਾਲ ਲਗਦਿਆਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਸ ਵਿਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰੇਡ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਐਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਦੀ ਟਰੇਡ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਕੇ ਸੋਲਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟਸ, ਬਰਾਂਚਿਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ । ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ (request) ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਮ ਦੀ ਸਾਲਮ ਕਲਾਜ਼ ਨੰ: 5 ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਗਰ ਏਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਸ ਦੇ ਵਿਚ 8 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾ ਛੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। With these words I move this amendment.

In sub-clause (a), line 5 *for* "eight naya Paise in a rupee" *substitute* "6¼ per centum".

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (a), line 5, *for* "eight naya Paise in a rupee" *substitute* "6¼ per centum".

योजना मंत्री (डा० गोपी चंद भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, इस में उन्होंने सारी clause की मुखालफित की है। और अगर सारी clause रहती है तो 4 नए पैसे को मानते हैं। Luxury goods पर जो 8 नए पैसे maximum रखे हैं उस की बजाए चाहते हैं कि 6¼ per cent हो जाए । Central Sales Tax के मातहत, जितना rate हो, luxury goods पर उस से double होना चाहिए। और यह चीज़ सब ने आपस में फैसला की है । लेकिन बाद में उस को compound करने के लिये यह कहा गया कि अगर ज्यादा पहुंचते है तो 7 प्रतिशत कर दें, इस से आगे न जाएं। चुनांचि हर state में 7 प्रतिशत लगा है। मैं पूछना चाहता हूं कि U.P. में बहुत सी चीज़ों पर पंजाब से ज्यादा sales-tax है। तो U.P. से हम कितनी trade खींच लेते है ? या हिमाचल में, जहां sales-tax है ही नहीं, तो पंजाब की कितनी trade हिमाचल में चली गई ? वे यह बात भूल जाते हैं कि जिस आदमी ने कोई चीज खरीदनी होती है, वह हिमाचल में जा कर खरीदे तो जाने आने का कितना किराया खर्चा होता है, कितना वक्त खर्च होता है। कोई चीज मोटर कार की हिमाचल प्रदेश से लेनी हो तो आने जाने में 100 रुपया कार का खर्च आ जाता है। जिस वक्त यहां पर compound tax था उस वक्त तो कोई trade हिमाचल प्रदेश में नहीं चली गई। लेकिन जिस वक्त कार को luxruy goods में डाल कर टैक्स लगाया गया तो उस वक्त वह चीज़ वहां चली गई। वहां टैक्स नहीं है। इस का नतीजा यह होगा कि वहां पर भी टैक्स लगेगा। बजाए इस के हम कार पर कम्पाऊंड टैक्स लगाएं अब उतना ही seven per cent के हिसाब से देना होगा, वहां भी देना होगा—यह जो उन की argument है, सवा छ: per cent की है वह stand नहीं करती क्योंकि luxury goods पर double tax हो जाएगा । जहां सवाल आया 3-2-0 का, उन्होंने पहले चार आने की बात कही थी। पहली बात तो यह है कि एक वक्त था जब कि चार आने टैक्स की शरह थी। अब 3-2-0 single stage पर है । उस वक्त जो लुधियाना के मेम्बर थे उन्होंने भी कहा कि वह सब stages पर चाहते हैं बशर्तेकि हम एक रुपया कर द। इस चीज़ का फैसला करने के लिये अम्बाला में meeting हुई । उस meeting में सब लोग मौजूद थे।

उन से पूछा गया कि आप किस stage पर चाहते हैं तो व्यापार मंडल की राये के खिलाफ उन्होंने कहा कि हम single stage पर चाहते हैं। चुनांचि single stage पर लगाया गया। मुझे याद है मैं शायद उस वक्त Finance Minister ही था। जब मैं ने बजट स्पीच की तो यह proposal पेश की थी। उस वक्त भी यह कहा गया कि 1-9-0 लगा दिया जाए और हर एक stage पर लगा दिया जाए। चुनांचि इन बातों का फैसला करने के लिये व्यापारियों से बात चलाई गई। उन्होंने कहा कि बंगाल में 4-11-0 है, उस के बराबर कर दो। एक proposal फिर यह आई कि 4-11-0 बहुत ज्यादा है, आप 3-2-0 करें। चुनांचि उन की मर्ज़ी से यह टैक्स 3-2-0 किया गया था। आज उन की argument को लेकर ही 4-2-0 की बात पर आते हैं। मैं जानता हूं कि व्यापार मंडल की जो तहरीक चली थी, उस में बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे। Public man की life ऐसी है कि जो बात वह करे उसको पूरा करने के लिये हर प्रकार का यत्न करने के लिये तैयार रहे। फिर यह कहा गया है कि उस वक्त चूंकि मास्टर गुरबन्ता सिंह उन की पार्टी के थे, वह नहीं चाहते थे और 1948 में हकूमत डगमगा रही थी, इस लिये उन्होंने यह टैक्स नहीं लगाया। लेकिन इस argument में कोई सदाकत नहीं है। Public worker पर बहुत से इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन एक public worker को चाहिये कि वह ऐसे झूठे इल्ज़ामात की परवाह न करता हुआ honesty के साथ काम करता चला जाए। वह चाहे कोई काम कर ले उस को कोई रोकने वाला नहीं है। इस वक्त यह कहना कि उस वक्त 3-2-0 लगा तो ज़्यादा लगा था। यह बात इन्होंने खुद कही थी कि 3-2-0 लगा देना चाहिये। 3-2-0 खुद माना था। 3-2-0 को मान कर पिछली history को बयान करना और उस को discuss करना, इस से कुछ फायदा नहीं है। इस लिये मैं उस बात को discuss नहीं करना चाहता। चूंकि इन्होंने ज़िक्र किया था इस लिये मैं ने इतनी बात कह दी है। अब बात यह है कि २ आने के बारह नये पैसे बनते हैं। अगर चार आने हों तो २५ नये पैसे बनते हैं। लेकिन २ पैसे के हिसाब से लगाया जाए तो वैसे तो दो पैसे को तीन पैसे में कैसे exchange करें। चार आने के चौबीस पैसे बनते हैं लेकिन उस को पच्चीस माना जाता है। तो 3-2-0 नहीं रखा उस से ज्यादा बनते हैं। अगर पुरानी रकम को decimal coinage (नये पैसों) में convert करना हो तो हमें ऐसे करना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर हम ने ऐसे किया है। और यहां हमारा यह भी मनशा था कि कुछ incidence भी ज़्यादा हो सके। इस लिये 3-2-0 की बजाए 4% यानी चार नए पैसे के हिसाब से किया है। इस के साथ मैं समझता हूं कि पुरानी उस बात को लेकर उस पर जोर देना कि जब चार आने थे तब से पैसे की value कम हो गई है या prices ज्यादा हो गई, यह ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि व्यापारी लोग बाज़ार में किस तरह अनाज बेचते हैं। Government price कम होती है लेकिन वे फिर भी ज़्यादा price पर बेचते हैं। मैं पूछता हूं कि उस वक्त consumers का ख्याल क्यों नहीं रहता। मैं जानता हूं कि व्यापार चलता ही supply और demand के question पर है—economics के असूल पर चलता है। इस लिये यह कहना कि consumer को ज़्यादा देना पड़ेगा इस लिये 4% न लगे—यह argument stand नहीं करता। वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लग जाए तो फिर लगाओ, उस वक्त consumer की

[योजना मंत्री]
बात कहां चली जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि व्यापार हिमाचल में चला गया है। कितना गया है यह उन्होंने नहीं बताया। इस लिये मैं अर्ज करता हूं कि उन की suggestion को नहीं मानना चाहिये और इस clause को जल्दी पास करना चाहिये।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (a), line 5, *for* "eight naya Paise in a rupee" *substitute* "6¼ per centum".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I have got an amendment to move. I am not moving my earlier amendment for which notice had been given. But instead, I am moving my amendment which stands at No. 9.

Sir, I move—

Clauses 8 and 9 shall be renumbered as clauses 9 and 10 respectively and the following shall be inserted as clause 8 :—

"8. *Insertion of new section 30 in East Punjab Act XLVI of 1948*—After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

'30. *Power to exempt.*—(1) The State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of cottage industries, may by notification exempt any class of co-operative societies or persons from the payment of tax under this Act on the purchase or sale of any goods subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) Where a notification under sub-section (1) has been issued by the State Government—

(a) a registered dealer shall not be entitled to charge tax on the sales made to such societies or persons, and

(b) such sales shall not be included in the taxable turnover of such registered dealer notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 5.

(3) every notification made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature'.".

Mr. Speaker, Sir, my intention in moving this amendment is to give relief to those Co-operative Societies or persons who are doing labour by their own hand and are not exploiting labour for their own profit. This amendment, Sir, will go a very long way in allaying the fears and also meeting the objections of those friends who think that certain shoe-makers who make shoes by their own hands have to pay tax on the purchase of raw hide. By this amendment, they will not be forced or in other words they will be exempted from the payment of this tax. Therefore, I hope that the House will unanimously pass this amendment.

Sardar Umrao Singh : On a point of order, Sir. There appears to be some technical flaw. Sardar Bhupinder Singh Mann had first to obtain the leave of the House before moving for the insertion of Clause 8 after Clause 7.

Chaudhri Inder Singh : The hon. Member preceding me is right. Sardar Bhupinder Singh Mann should first take the leave of the House and then move his amendment. This should be regularized now.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं कहने वाला था । उनको शायद procedure का पता नहीं था । He may do it now. (I was just going to point out that the hon. Member was not perhaps aware of the procedure. He may do it now.)

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir I beg to ask for leave to move this new clause.

Mr. Speaker : Question is—

That leave be granted to Sardar Bhupinder Singh Mann to move his new amendment.

The leave was granted.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I beg to move—

Clauses 8 and 9 shall be renumbered as clauses 9 and 10 respectively and the following shall be inserted as clause 8 :—

"8. *Insertion of new section 30 in East Punjab Act XLVI of 1948.*—After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

'30. *Power to exempt.*—(1) The State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of cottage industries, may by notification exempt any class of co-operative societies or persons from the payment of tax under this Act on the purchase or sale of any goods subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) Where a notification under sub-section (1) has been issued by the State Government—

(a) a registered dealer shall not be entitled to charge tax on the sales made to such societies or persons, and

(b) such sales shall not be included in the taxable turnover of such registered dealer notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 5.

(3) every notification made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature'."

Mr. Speaker : Motion moved—

Clauses 8 and 9 shall be renumbered as clauses 9 and 10 respectively and the following shall be inserted as clause 8 :—

"8. *Insert'on of new section 30 ia East Punjab Act XLVI of 1948* .After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"30. *Power to exempt.*—(1) The State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of cottage industries, may by notification exempt any class of co-operative societies or persons from the payment of tax under this Act on the purchase or sale of any goods subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) Where a notification under sub-section (1) has been issued by the State Government—

(a) a registered dealer shall not be entitled to charge tax on the sales made to such societies or persons, and

(b) such sales shall not be included in the taxable turnover of such registered dealer notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 5;

(3) every notification made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature'."

Mr. Speaker : Question is—

Clauses 8 and 9 shall be renumbered as clauses 9 and 10 respectively and the following shall be inserted as clause 8 :—

"8. *Insertion of new section 30 in East Punjab Act of XLVI of 1948*—After section 29 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"30. *Power to exempt.*—(1) The State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the interest of cottage industries, may by notification exempt any class of co-operative societies or persons from the payment of tax under this Act on the purchase or sale of any goods subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) Where a notification under sub-section (1) has been issued by the State Government—

(a) a registered dealer shall not be entitled to charge tax on the sales made to such societies or persons, and

(b) such sales shall not be included in the taxable turnover of such registered dealer notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (2) of section 5;

(3) every notification made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature'."

Motion was carried

CLAUSE 9

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਲਾਜ਼ 8 ਉਤੇ ਮੇਰੀ ਇਕ amendment ਹੈ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਾਜ਼ 9 ਤੇ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ. (Now it will be considered to clause 9.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਮੇਰੀ ਇਹ ammendment ਹੈ ਕਿ—

In Schedule A, list of luxury goods, at the end of Serial No. 9, *add*, "excluding double barrel or single barrel gun or muzzle loading gun kept for the protection of crops".

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ double barrel, single barrel ਤੇ muzzle loading guns ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ exclude ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਜੋ amendment ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ amendment ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ । ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ luxury goods ਉਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਤਦ ਤਕ ਇਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਲਫਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਕਿ luxury goods ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚੋਂ trucks ਔਰ motor cars ਦੇ figures ਮੰਗਵਾਂ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ figures ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ trade ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ motor ਸੋਲਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ । ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਿਲੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਦੀ market ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ । ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ luxury goods ਉਤੇ tax ਲਗਾਉ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਾਂਗੇ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ support ਕਰਾਂਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਇਥੇ ਇਹ tax ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ adjoining states ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਇਹ incidence ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ 8 per-cent ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ:—

(1) 100 ਉਪਰ 8,
(2) 1,000 ਉਪਰ 80 ਅਤੇ
(3) 20,000 ਉਪਰ 1,600 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ 1,600 ਰੁਪਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ?

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ fire-arms ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ amendment ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਅਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕੰਡੀ ਦੇ area ਵਿਚ ਸੂਰ ਔਰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 120 ਬਲਦ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਲਦ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਇਸੇ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ interested ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ grow more food scheme ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In Schedule A, list of luxury goods, at the end of Serial No. 9, *add* "excluding double barrel or single barrel gun or muzzle loading gun kept for the protection of crops".

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन चौधरी-बलबीर सिंह ने पेश किया है, मैं उस की हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

ਜ਼ਰਾਇਤ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ?

श्री बलराम दास टंडन : आप का शिकार तो हम पहले भी करते आए हैं, कर भी रहे हैं और आगे को भी करेंगे । करते ही चले जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इंटिरप्ट (*interrupt*) क्यों करते हैं? (Why does the hon. Minister interrupt.)

कृषि तथा वन मंत्री : मैंने तो यूं ही कहा था ।

Mr. Speaker : When you disturb, what about others ? If you create disturbance, I am not responsible when disturbance is created from the other side.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, जहां तक luxury goods के ऊपर टैक्स लगाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि इस के बारे में किसी को भी मुखालफित नहीं हो सकती । लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गुनाहे बे लज़्ज़त हमारी पंजाब की सरकार की तरफ से किया जा रहा है वह दर असल बेमायनी है । मेरे दोस्तों ने बताया है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोलन या देहली में जाकर कारें खरीदीं हैं । लेकिन मुझे ऐसे दोस्तों का भी पता है जिन्होंने जम्मू में जाकर कारें खरीदीं । वह किस लिए ? टैक्स से बचने के लिये । आप टैक्स लगाएं, luxury goods पर टैक्स लगाएं । किस को इस के बढ़ाने पर एतराज हो सकता है । सिर्फ चन्द एक बड़े बड़े लोगों को जिन की जेबों में कारें खरीदने के लिये पैसे हैं । वास्तव में, स्पीकर साहिब, हर उस व्यक्ति के दिल के अन्दर, जिस के पास पैसा हो भी, यह ख्याल पैदा होता है कि हर कीमत पर जहां कहीं से भी हो सके, पैसे को बचाया जा सके । जैसा कि मेरे दोस्त ने बताया जब कार को खरीद लाने के लिये बाहर से सिर्फ सौ रुपया ही ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो वह व्यक्ति क्यों 1,600 रुपया टैक्स देने को तैयार होगा ? इस लिये मैं समझता हूं कि यह बिल पास करने से पहले पंजाब सरकार की सैंट्रल गवर्नमैंट से यह मूव करे कि जितनी भी पंजाब के इर्दगिर्द की स्टेटस् हैं उन सब में यह रेट बढ़ाए, ताकि जो कीमतों का फर्क है, यह न रहे और पंजाब की ट्रेड को खसारा न पड़े । इस टैक्स को लगाने का आप का मनशा तो यही है कि सरकारी खजाने के अन्दर पैसा आए । लेकिन बजाए इस के एक तरफ तो वह पैसा आए न जिस के लिये आप ने यह बिल पास किया और दूसरी तरफ व्यापार भी दूसरी स्टेटों में चला जाए तो आप खुद अन्दाज़ा लगाएं कि आप का उद्देश्य कैसे पूरा हुआ ? इस से हमें कोई लाभ नहीं हो सकता । इस लिए मैं समझता हूं कि वज़ीर साहिब को ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए । यह टैक्स बेशक आप आठ प्रतिशत से **नौं** प्रतिशत

कर । इस में हमें कोई एतराज़ नहीं है । लेकिन एतराज़ इस बात पर है कि यह तब होना चाहिए जब कि पंजाब की इर्दगिर्द की रियास्तों में भी हो जाए जो कि easily approachable हैं । यहां से न ले कर लोग दिल्ली से ले आएं, यू० पी० से ले आएं, राजस्थान से ले आएं, हिमाचल से ले आएं, आप उन को कैसे रोक सकते हैं ? वहां पर जा कर लोग खरीद लाएं । उन को फायदा ही है, नुक्सान क्या है ? इस लिये जब तक उन इलाकों में यह नहीं बढ़ाया जाता, तब तक यहां पर इस का बढ़ाया जाना गुनाहे बेलज़्ज़त के अलावा और कोई बात नहीं । टैक्स हमारी सरकार को मिलता नहीं, profit हमारे सूबे से बाहर चला जाता है और इस तरीका से पंजाब को दो हाथों से नुकसान पहुंच रहा है । इस लिये मैं मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करूंगा कि अगर वह यह tax लगाना चाहते हैं तो यह तब लगाया जाये जब पंजाब के इर्दगिर्द की रियास्तों में इतना ही tax लागू न हो जाये ताकि सूबा की wealth सूबे के अन्दर ही रहे और जिस से सरकार के खज़ाने को भी कुछ न कुछ मिल सके ।

Shri Rup Singh 'Phul' (Hamirpur, Reserved) : Mr. Speaker, Sir, so far as this Clause is concerned, I endorse the views expressed by the hon. Member Chaudhri Balbir Singh from Hoshiarpur. I further add that so far as double-barrel and single-barrel guns are concerned, I beg to take up the case of Kangra District. Most of the land in the district of Kangra is covered by forests and the inhabitants of this district cannot protect their crops without killing the wild animals which do damage not only to the crops but also to the livestock. Sir, so far as the number of arms licenses is concerned, the Kangra District has the largest number. My submission is that double-barrel and single barrel guns may be exempted from the operation of this Bill so far as the people of backward district of Kangra are concerned. Thank you, Sir.

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चंद भार्गव) : जनाबेवाली, यह जो एतराज़ किया गया है कि यह tax लगाना नहीं चाहिये, यह एतराज़ ठीक नहीं है क्योंकि यह पहले एक clause में आ चुका है जिस को हाऊस ने मान लिया है । Incidence of tax पड़ना है और यह 8 per cent तक लगना है । इस लिये अब इस tax के लगने पर एतराज़ नहीं किया जा सकता और जो इस tax का rate है उस में भी कमी नहीं की जा सकती । हां यह बात अलहदा है कि schedule में से कोई चीज़ हटाई जा सकती है लेकिन उस पर लगे tax के rate पर एतराज़ नहीं किया जा सकता ।

इस के बाद सवाल आया है guns का । इस पर यह एतराज़ किया गया है कि इन का business दूसरे सूबों को चला जायेगा जब तक यह tax adjoining states जैसा नहीं लगाया जाता । मैं कहता हूं कि यह एतराज़ ठीक नहीं । Oil के raw material के लिये भी कहा गया है, मैं उन्हें बताता हूं कि U. P. में यह tax बराबर का है । यह मिसाल भी ठीक नहीं है । जहां तक guns का सवाल है, gun एक ऐसी commodity नहीं है जिस को जो भी चाहे ले ले । यह तो licensed commodity है । इस के लेने के लिये licence लेना पड़ता है और इस के लिये यह देखना पड़ता है कि यह कितने देने हैं और कितने available हैं । इस के dealers भी जो होते हैं वह भी licensed होते हैं । हरेक dealer guns में deal

[योजना मंत्री]

नहीं कर सकता । फिर यह नहीं होता कि उस की जितनी मर्जी आये वह दे दे। इस लिये मैं समझता हूं कि यह बिल trade point of view से इस को hit नहीं करता। इस के लिए यह जरूरी है कि gun का license हो, फिर licence के लिये apply करना होता है और licensed dealer जो होता है वह licence ले कर यह बेचता है। फिर licensed dealer के अपने अख्तियार से यह नहीं मिल सकती। यह कहा गया है कि मुझे कम सुनाई देता है इस लिये मैं उन की बात को समझ नहीं सका। मैं उन को बता देना चाहता हूं कि यह ठीक है कि मुझे कुछ कम सुनाई देता है लेकिन उन की इत्तलाह के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं कि मेरे पास यहां special loud speaker लगा हुआ है। Licence के बगैर कोई आदमी gun न रख सकता है और न बेच सकता है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस को बाहर से जा कर कोई खरीद सके। इस लिये जब licences भी restricted हों, guns की sale भी restricted हो तो इन हालात में trade पर कोई असर होने वाला नहीं है। (चौधरी बलबीर सिंह : मैं अपना point clear करना चाहता हूं। मैं तो कह रहा था कि जब special licence दिये......) I don't give way.

Mr. Speaker : Order please. He is not giving way.

मंत्री : मैं जानता हूं कि licence मांगे बगैर भी special licences दिये गये थे। मैं यह सब जानता हूं। यह मुझे क्या बताते हैं। मैं इन से यह चीज़ें ज़्यादा जानता हूं।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि यह कहना कि यह लोग हिमाचल से खरीद लेंगे, ठीक बात नहीं है। यह चीज़ कोई भी दूसरी State से खरीद नहीं कर सकता। यहां मैं यह भी बता दूं कि हम licence fee भी double कर रहे हैं। वह भी क्योंकि double हो जायेगी इस लिये इस की trade हिमाचल को चली जायेगी, ऐसी बात नहीं है।

दूसरी बात यह कही गई है कि Centre से कहा जाये कि वह सारी States में uniform taxation लगवाये। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करता हूं कि Centre वालों ने तमाम States के Finance Ministers को दिल्ली में बुला कर conference की थी और यह कहा गया था कि luxury goods पर ज़्यादा tax लगाया जाये। तमाम States ने यह बात मानी थी और यह चीज़ उन के laws के अन्दर मौजूद है। इस सूरत में यह कहना कि दूसरी States में tax का rate कम है वाजब न होगा जब कि यह चीज़ तमाम States मान गई थीं।

इस लिये मैं हाउस से appeal करूंगा कि वह इस schedule को इसी तरह पास कर दें।

Mr. Speaker : Question is—

In Schedule A, list of luxury goods, at the end of Serial No. 9, *add* "excluding double barrel or single barrel gun or muzzle loading gun kept for the protection of crop".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Sardar Bhupinder Singh Mann : On a point of order, Sir. There are notices of amendments to this Clause. The first amendment given notice of is from Shri Ram Piara and then by Sardar Bhag Singh and Shri Inder Singh. Sir, these amendments have a negative effect.

Mr. Speaker : Yes, the first amendment is from Shri Ram Piara and the other is from Sardar Bhag Singh....

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, this particular amendment from Shri Ram Piara for the deletion of the clause....

Mr. Speaker : Yes, these are out of order.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, this is why I raised a point of order.

श्री इन्द्र सिंह : मैंने amendment इसी लिए दी है....

Mr. Speaker : It is out of order.

Shri Inder Singh : Sir, I oppose the whole clause.

Sardar Bhupinder Singh Mann : But how can you move an amendment which has a negative effect ?

Shri Balram Dass Tandon : Sir, this should have been written while circulating the amendment that it is out of order. In the absence of this information, how can we people move another amendment.

Shri Inder Singh : Sir, I oppose the whole clause.

श्री राम प्यारा : अगर हमें कल पता लग जाता तो आज सुबह और amendment दे देते ।

12.00 noon

Mr. Speaker : I am so sorry, all these amendments are out of order.

श्री राम प्यारा : अगर कल पता लगता तो आज सुबह नोटिस दे देते ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो Bill circulate किया गया है, इस की जो clause नम्बर 9 है और जो अब मान साहिब की amendment के बाद नम्बर 10 हो गई है, उस के अन्दर कुछ नई चीजें हैं जो add की गई हैं । 1948 का जो original Act था उस के अन्दर यह सब चीजें दर्ज नहीं थीं मगर अब इन को schedule के अन्दर नए सिरे से रखने की कोशिश की जा रही है । स्पीकर साहिब, मैं ने कल भी मुताल्लिका मिनिस्टर साहिब का ध्यान दिलाने

[श्री बलराम दास टंडन]

की कोशिश की थी कि आज जो पंजाब के अन्दर हालात बन रहे हैं उन के मुताबिक अगर हम गरीबों पर टैक्स लगाने की कोशिश करेंगे तो यह हमारे लिये दुख की बात होगी और पंजाब के अन्दर इस टैक्स के लग जाने से जो हालत पैदा हो जाएगी वह काफ़ी नुक्सानदेह होगी । छोटे से छोटा आदमी....

अध्यक्ष महोदय : यह बातें आप third reading में कर लेना। आप की कोई amendment भी नहीं है । (The hon. Member may state these things during the third reading of the Bill. There is no amendment standing in his name either.)

श्री बलराम दास टंडन : मगर third reading में शायद सब को अपने ख्यालात रखने का मौका न मिले । First reading में ही कई नहीं बोल पाए।

अध्यक्ष महोदय : आप third reading वाली बातें कर रहे हैं। (The hon. Member is saying such things as may be mentioned during the third reading of the Bill.)

श्री बलराम दास टंडन : तब क्या आप इजाज़त देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां आप को इजाज़त दी जाएगी । (Yes, the hon. Member will be permitted to speak.)

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Planning and Community Projects (Dr. Gopi Chand Bhargava) : Sir, I beg to move—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, यह जो टैक्स का बिल हमारे सामने पेश है, मुझे खुशी है कि इस पर किये गये बहुत से एतराज़ात को डाक्टर साहिब ने पहले ही सुलझाने की कोशिश की है । एक दो जो और एतराज़ात हैं वह मैं डाक्टर साहिब की सेवा में अर्ज़ करना चाहता हूं ।

मुझे आज इस हाउस में दो तसवीरें नज़र आती हैं। एक तसवीर तो मेरे सामने स्पीकर साहिब के पीछे महात्मा गांधी की है और दूसरी है गोपी चंद भार्गव जी की जो इस बिल के इन्चार्ज हैं. . . . . (विघ्न) मैं ने यह इस लिये कहा है कि मैं ने डाक्टर साहिब के चरणों में बैठ कर कुछ सियासियात सीखी है। मगर इन दोनों तसवीरों में जो आज फर्क आ रहा है यह कैसे आ रहा है। यह डाक्टर साहिब ने नहीं बताया। मुझे याद है कि महात्मा जी ने कुछ असूल टैक्सों के रखे थे और हम उन पर चलना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कुछ सोशलिज़्म के भी असूल रखे थे और मुझे आशा है कि यह असूल डाक्टर साहिब को भी याद होंगे। बहुत देर की बात है कि महात्मा गांधी जी ने एक असूल हमारे सामने रखा और अंग्रेज़ के सामने भी रखा कि जो लोगों की ज़रूरियाते ज़िंदगी हैं उन पर टैक्स नहीं होना चाहिए, उन पर टैक्स लगाना पाप है और महात्मा जी ने नमक के मामला को लेकर यह असूल पब्लिक के सामने रखा और खुद जेल गए, डाक्टर साहिब भी जेल गए और भी कई मेरे साथी जेल गए और कई कुछ जेल में चलता रहा। खैर, तो यह असूल आज तक मेरे मन में वैसा ही चला आ रहा है। यह गांधीवाद का एक असूल है, सोशलिज़्म का एक असूल है । मुझे यह समझ नहीं आती कि डाक्टर साहिब इस असूल से कैसे दूर हो गए हैं। डाक्टर साहिब ने यह नहीं बताने की कोशिश की कि इस टैक्स का बोझ गरीबों पर नहीं पड़ेगा। यह तो उन्होंने बताया कि यह टैक्स उधर से मिल जाएगा, व्यापारियों से मिल जाएगा मगर यह सब कुछ होते हुए भी यह बात साफ है कि यह बोझ कन्ज़्यूमर्ज़ पर पड़ेगा, उस की ज़रूरियाते जिंदगी पर लगेगा और यह किसी असूल पर भी ठीक नहीं उतरेगा। आज लोग कहेंगे कि यह गरीब की रोटी पर टैक्स है, उस की दाल पर टैक्स है। और यह सारी की सारी बातें नज़र भी दुरुस्त ही आती हैं जब तक कि वज़ीर साहिब यह बताने की कोशिश न करें कि यह कन्ज़्यूमर को इफैक्ट नहीं करता, उस की लिमिट तक नहीं जाता। अब रहा सवाल टैक्स मंत्री जी का। मेरे दिल में उन के लिये इज़्ज़त है और मैं यह भी जानता हूं कि वकीलों को टैक्सों से पाला कम पड़ता है जब तक वह या तो पुलीटिकल साइंस का या इक्नौमिक्स का स्टूडैंट न रहा हो। मैं चाहता हूं कि वह इस असूल को सामने रख कर इस की वज़ाहत करें। हर बार यह होता है कि जो चीज़ उन को मिल जाती है, उन के सामने आ जाती है, जो टैक्स इन की नज़रों में पड़ जाता है उस को बढ़ाते चले जाते हैं। अगर कहीं सेल्ज़ टैक्स इन के सामने आ गया तो उस में इज़ाफ़ा हो जाता है, कोर्ट फीस ऐक्ट का ख्याल आ गया तो उस पर ही चलते जायेंगे, कोई और टैक्स आ गया तो उस को बढ़ाते चले जायेंगे। मैं कहता हूं कि टैक्सेशन का जो तरीका है जो हम ने बाहर के मुल्कों से भी सीखा है, उस में हमेशा ऐसे टैक्सेशन की मज़म्मत की गई है। यह बड़ी हैरानी की बात है कि बार २ एक ही टैक्स में लपेटते चले जाते हैं। क्या सरकार कोई नया टैक्स नहीं सोच सकती। वह सोचने के लिये तरीके की दो बातें हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कि सरकार जो कुछ कानून चाहती है वह Legal Remembrancer बना देते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि Legal Remembrancer निहायत नेक दिल और सादा लौह हैं और जज भी रहे हैं तो जब उन्हें कहा जाता है कि Sales Tax को बढ़ा दो तो वह कह देते हैं अच्छा साहिब बढ़ा देते हैं। लेकिन इस की ultimate ज़िम्मेवारी Taxation Minister पर आती है क्योंकि Legal Remembrancer

[श्री लाल चन्द]

कांग्रेस की taxation की पालिसी को नहीं जानते। Taxation Minister इस तरह की पालिसी बनाने से पहले सोच सकते हैं—अगर वह खुद न सोच सकते हों तो आप Central Government को कह कर उनके e conomic adviser से सलाह मशवरा कर लें कि नई पालिसी taxation के बारे में क्या हो और अगर कोई taxation का ऐसा adviser सरकार के पास नहीं है तो इस तरह के कानून frame करवाने से पहले Centre से सलाह ले लिया करें। अगर Centre से सलाह नहीं ले सकते तो Public Finance पर जो किताबें market में हैं, उन्हें पढ़ लें और देख लें। अगर उन्हें किताबों के बारे में पता न हो तो मैं suggest कर सकता हूं। Taxation System के लिये जो Europe का Socialism है और दूसरा जो India का Socialism है और तीसरा Socialism गांधीवाद का है उसे study कर के देख लें। Socialism जो यह लाने जा रहे हैं और समाजवाद जो गांधी जी का है उस में बड़ा फर्क है। असली समाजवाद का यह निशाना है कि अमीर को ऊपर से नीचे लाया जाए और गरीब को नीचे से ऊपर लाया जाए और अमीर को नीचे लाने के लिये जितने टैक्स लगाए जाएं वह अमीर पर लगाए जाएं और गरीब को फायदा पहुंचे लेकिन बदकिस्मती यह है कि पंजाब में जो tax लगाए जाते हैं वह सब के सब इस ढंग के और इस type के होते हैं कि उन का असर ultimately consumer पर पड़ता. है। आप देख ही सकते हैं— Property Tax है फिर Urban tax और Marla Tax इस किस्म के बीसियों टैक्स हैं जो consumers पर लगते हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि यह एक ऐसा system है जो गांधीवाद के Socialism के खिलाफ़ है। डाक्टर गोपी चंद साहिब ने महात्मा जी के literature को पढ़ा होगा और मैं ने भी पढ़ा है। अगर आप उन्हें अच्छी तरह से पढ़ लें तो आप को पता चलेगा कि हमारा तरीका जो taxation का है वह गलत है, महात्मा जी इस तरह के taxation के system को नहीं चाहते थे।

अब इस टैक्स के बारे में बहुत चर्चा की गई है। मैं एक दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह कि बाहर से जो चीजें यहां पर आती हैं यहां पर भी manufacture की जाती हैं और अगर यहां तैयार होने वाले माल पर टैक्स लगा दिया गया तो वह बाहर के products से compete नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर महुवा पंजाब में नहीं मिलता। महुवा बाहर से लाया जाता है और बाहर से लाकर इस को पंजाब में crush किया जाता है और तेल निकाला जाता है। जब यह तेल बेचा जाएगा तो उस पर टैक्स आयद हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो अपने घर पर बैठा माल तैयार कर के बाहर भेजता है तो वह सस्ते दामों पर बेच सकता है और यहां का व्यापारी उस से compete नहीं कर सकता। नतीजा यह होता है कि सारी की सारी production suffer करती है।

इस के बाद luxury goods के बारे में कहा गया है कि motor parts पर tax लगेगा। वज़ीर खज़ाना को खुद इस बात का इल्म है कि यह small

scale cottage industry है और छोटे छोटे parts बनाने के धन्धे में लोग लगे हुए हैं। वह इन parts को पंजाब में तैयार करके दिल्ली में supply करते हैं। इस लिये इस टैक्स से लोगों पर जो small scale industry में लगे हुए हैं, बुरा effect पड़ेगा, और पंजाब की industry को धक्का लगेगा।

फिर Schedule A, Clause 8 में जो लिस्ट दर्ज की गई है इस में दूसरी item पर motor cycles and cycle combinations लफ्ज़ लिखे हुए हैं। तो मैं एक lawyer होने के नाते यह कहना चाहूंगा कि जब यह बिल Taxation Officer के पास जाएगा तो वह motor cycle और cycle combination को अलग अलग कर देगा और cycle parts, जैसे कि spokes हैं pedals हैं और handles और brakes हैं, इन पर भी tax लगा देगा। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की यह intention नहीं कि इन चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जाए। इस लिये मैं suggest करूंगा कि motor cycle और combinations कर दिया जाए और cycle लफ्ज़ को हटा दिया जाए क्योंकि इस लफ्ज़ के रहने से नीचे वाले अफसर मानेंगे नहीं और फिर डाक्टर साहिब के पास शिकायात आएंगी और फिर इन्हें बाद में सोचना पड़ेगा कि amendment लाई जाए। तो मैं इन की तवज्जुह इस तरफ दिलाता हूं क्योंकि मुझे यकीन है कि वज़ीर साहिब की नीयत cycle parts पर टैक्स लगाने की नहीं है। इस लिये अगर यह लफ्ज़ रहने दिया गया तो cycle parts पर भी टैक्स आयद हो जाएगा।

इस के साथ साथ मैं उन का ध्यान कई और चीज़ों की तरफ दिलाना चाहता हूं। जो raw skins हैं, जिन के बारे में मान साहिब ने amendment भी दी है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के पास केवल एक ही trade है और वह skins और hides की है। और मुझे जहां तक पता है और कोई trade इन के पास नहीं है। अगर आप skins पर tax लगा देंगे और raw skin पर tax लगा देंगे तो यह लोग बुरी तरह hit होंगे और इन की industry तबाह हो जाएगी। जब तक इन लोगों की economical और इक्तसादी लिहाज़ से तरक्की नहीं होगी इनकी हालत किस तरह से सुधरेगी और इन की industry को किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। अगर आप टैक्स लगा देंगे तो इस के नतीजे के तौर पर skin और hides की industry को धक्का पहुंचेगा और यही नहीं, सारी हरिजन community को धक्का पहुंचेगा। हरिजनों का केस pre-partition में और partition के बाद भी वज़ीर साहिब खुद और कांग्रेस भी plead करती रही है और मैं यह दरखास्त करूंगा कि अगर सरकार को कोई और मजबूरी न हो तो वह हरिजनों की तरक्की का ख्याल रख कर hides और skins को clause 9 के Schedule B में से निकाल दे। इस की बहुत शिकायत है। इन चीज़ों के लिये exemption दी जाए ताकि हरिजनों को relief मिले।

मैं ने यह सारी चीज़ें उन की सेवा में इस ख्याल से नहीं रखीं कि ज़रूर ही मैं ने बिल को oppose करना है जैसा कि सरदार अजमेर सिंह जी ने कहा है कि शहर

[श्री लाल चन्द]

वालों को रगड़ा दिया जा रहा है इस लिये शोर मचा रहे हैं। इन्होंने यह भी कह दिया कि फलां लोग चोर हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के लफ्ज़ parliamentary नहीं हैं और व्यापारियों को यह कह देना कि व्यापारी चोर हैं, इस हाउस की शान के शायां नहीं। चोर हर एक profession में हैं, हो सकते हैं और हर जगह हो सकते हैं। चोर का लफ्ज़ कल हाउस में कहा गया था।

अध्यक्ष महोदय : कल नहीं कहा गया था (It was not uttered yesterday.)

श्री लाल चन्द : जनाब, कभी कभी चौधरी सिरी चन्द जी भी इस तरह बोल जाते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ किसी मेम्बर या किसी जमात के लिये इस्तेमाल करने दुःख की बात है और इस तरह के लफ्ज़ नहीं कहने चाहिएं। आज जो यह कहता है कि व्यापारी चोर हैं तो इस तरह हर एक profession के बारे में कहा जा सकता है। यह लफ्ज़ अच्छा नहीं। स्पीकर साहिब, मैं यह बात आप के notice में लाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि अगर किसी मेम्बर के बारे में चोर शब्द का प्रयोग किया जाए तो वापस लेने को कहा जा सकता है लेकिन दूसरे किसी के लिये इस्तेमाल करना इनकी मर्जी पर है। आप भी moderate language ही रखें। (If the word 'thief' has been used in respect of some hon. Member, then I could ask for its withdrawal, but it depends upon him to use it for others. The hon. Member may himself exercise moderation in the language of his speech.)

श्री लाल चन्द : मैं तो यह बात सिर्फ आप के नोटिस में लाना चाहता था।

एक आवाज़ : यहां पर हलाकू और चंगेज़ खां का ज़िक्र किया गया था।

दूसरी आवाज़ : चोर भी तो historian होते हैं।

श्री बलराम दास टंडन : दुनिया में सब चोर चोर।

श्री लाल चन्द : मैं यह कह सकता हूं कि यह tax व्यापारियां पर ही नहीं सब पर लगेगा। अगर आप माल फरोख्त करने जाएं तो वह माल खरीदने वाला 8 रुपया सैंकड़ा के हिसाब से टैक्स की रक्म निकाल लेगा और 92 रुपए दे देगा। और जब consumer वही चीज़ लेने जाएगा तो वह 8 रुपए टैक्स के भी charge कर लेगा इस तरह grower भी और consumer भी दोनों ही hard hit होंगे। अगर वज़ीर साहिब तरक्की की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा तरीका बनाया जाए कि जिस से दोनों hard hit न हों और कोई limit मुकर्रर कर दें कि 10 हज़ार रुपए से ऊपर वाले पर पड़ेगा। और इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि consumer और grower दोनों hard hit न हों। बाकी किसी को चोर कहना ठीक नहीं। मैं सब हाउस के मेम्बरान से अपील करूंगा कि इस तरह के harsh अलफाज़ एक दूसरे को न कहने चाहिएं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल में हमें कोई ऐसी provision नज़र नहीं आती जो किसी हद तक मुफीद कही जा सके। अगर कोई ऐसी होती तो हमें कहने की ज़्यादा ज़रूरत न पड़ती। इस लिये हमें यह कहना ही होगा कि यह बिल

consumer की तरफ से भी और grower की तरफ से भी Taxes लगाने के लिये लाया गया है। यह taxes का सारा बजट है और इस बिल को Minister साहिब पास करवा कर व्यापारियों पर और tax लगाना चाहते हैं।

(श्री स्पीकर साहिब ने चौधरी इंद्र सिंह को call किया)।

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, यह तो पहले बोले हैं मगर हमारी तरफ से किसी को भी बोलने का मौका नहीं मिला।

चौधरी बलबीर सिंह : जनाब, time मुकर्रर किया जाये हर एक स्पीकर के लिये।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, चौधरी साहिब, पहले आप बैठ जायें। इन को बातें कर लेने दीजिये। यह तो वक्त की बात है। इस तरह disturbances करने का क्या फायदा। Time थोड़ा बहुत सभी को दिया जायेगा। आप ने 2-3 मिनट तो यूं ही House के जाया कर दिये। (Chaudhri Sahib may please resume his seat for a while and let these gentleman talk first. It is a question of time. What is the use of causing such an interruption ? Every body will get more or less ime. The hon. Member has wasted for nothing two or three minutes of the House.)

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : यह बात ठीक है, स्पीकर साहिब, कि यह बिल थोड़ी देर में Act की शक्ल जरूर इख्तियार कर जायेगा। इस बात का वज़ीर साहिब को भी पूरा एतमाद है क्योंकि इन की पार्टी अक्सरियत में है और वह majority क बल बोते पर इस को ज़रूर मनवा लेंगे। देश को आज़ादी मिलने के बाद यह ज़रूरी है कि देश की आर्थिक हालत, जो बहुत ही गिर चुकी है को ऊंचा उठाया जाना ज़रूरी है। हमें इस किस्म के programme लाने चाहियें कि जिन से देश की गरीबी को किसी तरह दूर किया जाये। इक्तसादी तौर पर हम बड़े नीचे जा चुके हैं। एक बात जो सब से पहले देश के नेताओं के सामने आई वह यह थी कि मुल्क को well planned तरीके से चलाया जाये और well-balanced economy में चलाया जाये। इस के लिये पहली 5 साला plan तैयार की गई जो कि 1956 में खत्म हो गई। उस के बाद दूसरी 5 साला plan आई जो कि अब भी चल रही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस को बड़े ही haphazard तरीका से चलाया जा रहा है। देश की तरक्की के नाम पर आज जो भी plans चलाई जा रही हैं वह बड़ी unplanned हैं और बड़ी unbalanced हैं और यह lofty ideals के बिल्कुल विरुद्ध बात है।

सब से पहले इस में हवाला यह दिया गया है कि export की आमदनी से जो taxes होंगे, वह हासिल करने की ज्यादा कोशिश की जायेगी। जो हमारी surplus agriculture produce होगी, उसे export कर दिया जायेगा और जो Taxes इस तरह से हासिल होंगे उन से planning मुकम्मल की जायेगी। यह कहा जाता है कि हम public sector के मुखालिफ हैं। मगर आज सरकार की यह हालत है कि planning के अंदर, जो public sector को develop

[श्री इन्द्र सिंह]

करने के लिये रुपया लगाया गया है, जो कि 12 करोड़ रुपया के करीब है वह भी पूरी तरह से utilize नहीं किया जाता। आज सरकार इस में से बड़ी मुश्किल से 2—2½ करोड़ रुपया खर्च कर पाई है। आज इन का ख्याल यह है कि जो हमारा raw material है वह बाहर की Industries को भेजा जाये और उस के ऊपर purchase tax हासिल करके खजाना भर दिया जाये। यह नज़रिया हमारी plan के बिल्कुल खिलाफ है। यह कतई नहीं होना चाहिये। मैं यह गुज़ारिश करूंगा कि हम अभी तक 3½ करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2—2½ करोड़ रुपये और खर्च करेंगे। इस तरह से हमारे पास 6-7 करोड़ रुपया बच जायेगा जो कि खर्च होना चाहिये। आज अगर कोई दूसरा Mill लगाना चाहे तो यह लगने नहीं देते क्योंकि इस से public sector को नुक्सान पहुंचता है। इस के साथ ही मैं ने कल बताया था कि किस तरह private enterprise को नुक्सान पहुंचाया जा रहा है। वह सारी difficulties जो छोटी छोटी industries को आज पेश आ रही हैं, मैं ने कल House में बताई थीं। अगर हम import purposes के लिये tax लगाते हैं तो इस से छोटी छोटी industry को नुकसान पहुंचेगा। इस से जाहिर है कि यह भी एक गलत बात है।

एक बात मैं Cottage Industry के मुताल्लिक भी कहूंगा। सरकार को मैं इस बात के लिये मुबारिकबाद पेश करता हूं कि Cottage Industry को इस से मुस्तसना करार देने की कोशिश की है। अगर इस सिलसिला में हम Schedule 13 को पढ़ें तो इस से साफ जाहिर होता है कि जो चीज़ें omit की गई हैं, जो इस ज़ुमरे में आती हैं इन से कोई फायदा नहीं पहुंचता। जैसा कि यह लिखा गया है कि गंदम और गंदम का आटा, मक्की और मक्की का आटा, बाजरा और बाजरे का आटा, मोठ और दाल मोठ, मूंग और दाल मूंग, माश और दाल माश, इस किस्म के आइटम्ज़ हैं जो रोज़ मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल हैं, अगर इन पर इस किस्म के tax लगाये जायें, तो इस से हमारा standard of living कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता। इस से महंगाई बढ़ेगी और इस का असर सिर्फ गरीबों पर ही पड़ेगा, और आज देश की जिस गुरबत को दूर करने के लिये ताकत लगाई जा रही उसे दूर करने से सरकार कासर रहेगी। इस लिये to bridge the gap between budget receipt and expenditure अगर आप ने देश की economy को planned way में चलाना है तो यह जरूरी है कि raw material की खप्त को अपने यहां बढ़ायें। इन छोटी छोटी चीज़ों पर taxes का बोझ डालना बड़ी भारी गलती है। दूसरी चीज़ जिस का कि यहां हवाला दिया गया है वह यह है कि दाल रोटी पर tax लगे और इस से जो funds हों वह free education पर लगें। मैं समझता हूं कि एक बहुत ही नाजायज़ तरीका इस्तेमाल किया गया है। दाल रोटी के अलावा यह tax उन चीज़ों पर भी लगाया गया है जो जानवर खाते हैं और इस तरह मवेशियों की खुराक से tax वसूल होना है और education पर लगाया जाना है। यह खली पर लाया गया, चूरी पर लगाया गया, यह tax न सिर्फ़

आदमियों की दाल रोटी पर ही लगाया है बल्कि पशुओं पर भी लगा कर एक education जैसे नेक काम के नाम पर एक cess की शक्ल में लगाया जा रहा है। इस लिये मैं यह बात अर्ज़ कर दूं कि जो tax इस तरह से आज हम लगाना चाहते हैं क्या हम morally justified हैं। इस तरह से education जो है वह ethically justified नहीं है। इस किस्म का तरीका सिर्फ 10 प्रतिशत population के लिये अपनाना बिल्कुल ही नाजायज़ है और इस तरह से socialistic pattern of society के निशाने के अनुकूल नहीं है। और यह एक जायज़ बात भी नहीं है। जिन की आमदनी 10,000 रु. हो, 20,000 रु० हो या 40,000 रु० हो उन से अगर यह tax लिया जाता तो यह कोई बात नहीं थी, मगर यह तो उन पर tax है जो दाल रोटी ही खाते हैं। हमें कोई एतराज़ न होता अगर यह tax उन पर लगता जो इस से education में फायदा उठाते हैं, लेकिन यह भार तो उस community पर पड़ता है जो इस मुफाद से बिल्कुल महरूम है। यह policy बिल्कुल ही ग़लत है। मैं इस बात का challenge करता हूं कि अगर हम आम आदमियों पर education cess हासिल करने को ग़र्ज़ से tax लगाते हैं, तो इस से लोगों का standard of living ऊंचा नहीं होगा और न ही इस से किसी तरह से agricultural development में इज़ाफा होगा। इस लिये हमें इस किस्म के tax लगाने की आज ज़रूरत नहीं है।

मैं, स्पीकर साहब, यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस बात को बरदाश्त कर लेती है कि एक करोड़ के कंटिनजेंसी फंड को रैस्टोर करे और वह इस लिये कि नौकरशाही को खुश किया जाए क्योंकि उस पर इन का दारोमदार है। मैं समझता हूं कि इस के बारे में यह कहा जाना कि अगर एक करोड़ रुपया रैस्टोर न करते तो इनएफीशेंसी (inefficiency) आ जाती, यह एक कंट्राडिक्शन है। क्योंकि यह बात इन्होंने मानी नहीं है और न ही कहीं बजट स्पीच में या और कहीं इस का जिक्र ही आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफीशेंसी आई है। इस लिये यह एक कंट्राडिक्शन है। अगर यह चीज़ न की जाती तो एजुकेशन सैस लगाने की ज़रूरत न थी। ऐसी कितनी बातें हैं और कितने unproductive measures हैं जिनको कि सरकार अपना रही है। पिछले साल आनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इंटेग्रेशन के बाद होना तो यह चाहिए था कि इंटेग्रेशन के बाद कुछ कमी होती, पर एडमिनिस्ट्रेशन और इनफ्लेट हो गई। ज़रूरी तो यह था कि कटौती करते या इकानोमी ड्राइव करते और जिन के यह नाम लेवा हैं उन के असूलों पर अमल करते। वह तो नहीं किया और एक ऐसा टैक्स जो 10 परसेंट पापुलेशन पर असर डालेगा, लगा दिया, क्योंकि पापुलेशन का 10 परसेंट हिस्सा है जो एजुकेशन हासिल करता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर 10 परसेंट के ऊपर यह टैक्स लगता है तो यह डिस्क्रिमिनेटरी है। और अगर सैस लगाने का यह मतलब है कि लोगों को फायदा मिले तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो बाकी 80 या 85 फीसदी जनता है और जो तमाम टैक्स देती है तो उस को इसका फायदा क्यों न मिले? मेरी समझ से हर एक को फायदा मिलना चाहिए।

[श्री इन्द्र सिंह]

कल मेरे मुअज़िज़ दोस्त सरदार गुरबचन सिंह जी ने यह बात कही थी कि एजुकेशन फ्री का नाम लिया जाता है लेकिन मैं पूछता हूं कि उस की डैफ़नीशन क्या है ? महज़ एक फीस माफ कर देना ही तो फ्री एजुकेशन नहीं होती । विद्यार्थियों की किताबों और दूसरे अखराजात को भी तो फ्री करना चाहिये । आज स्कूलों की क्या हालत है ? तप्पड़ तक नहीं है और फर्नीचर भी पूरा नहीं है । और तादाद तो इतनी ज़्यादा है कि बगैर दो चार शिफ्ट लगाए गुज़ारा नहीं होता । और स्कूलों में इंतज़ामात घटियल हैं । जब सरकार किताबों का और स्कूलों के प्रबन्ध को पूरा नहीं कर सकी तो फिर यह कहना कि हम 10 परसेंट पर एजुकेशन सैस लगाने चले हैं और इस लिये चले हैं कि नाम होगा, तरक्की होगी, यह ठीक नहीं मालूम होता । मैं यह कहता हूं कि बगैर कालर के नेकटाई न बांधो तो कहते हैं कि we want free education. But we want completely free and compulsory education. तो इस तरीके से यह कोई जस्टीफिकेशन नहीं है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस का असर गवर्नमेंट स्कूलों पर भी पड़ेगा । और उन की एफीशैंसी पर भी पड़ेगा । क्योंकि जब प्राइवेट स्कूलों में लड़के देखेंगे कि वहां फीस लगती है और गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री एजुकेशन है तो वह वहां जायेंगे और जब रश होगा तो कुरप्शन बढ़ेगी । फेवरिटिज़्म होगी । इस के लिये ही नहीं कह रहा हूं, आजकल भी जितनी टैकनीकल इंस्टीटयूशंज़ हैं उन में दो दो हज़ार रुपया चैरिटी के तौर पर लिया जाता है सिर्फ इस लिये कि दाखिला मिले । तो इन स्कूलों में भी कुरप्शन बढ़ जाएगा । तो ऐसी चीज़ between a school and a school ; between a student and a student and between a class and a class हो जाएगी । इस लिए इस किस्म के बहाने करके यह टैक्स लगाना जस्टीफाइड नहीं है । अगर यही हाल रहा तो आप पब्लिक सैक्टर को भी मेनटेन नहीं कर सकते और प्राइवेट सैक्टर को भी इनकरेज नहीं कर सकते । और एजुकेशन सैस के नाम पर जो बात कहते हैं that is not a sacred purpose. That is not a sacred aim. That is tainted and discriminatory. यह बात नहीं होनी चाहिए । और इस के लिये दो परपज़ हैं जिन के लिये यह टैक्स हम पर लगाए जाते हैं which can be avoided very easily and conveniently. तो यह अवायड नहीं करना चाहते और अगर कोई रीज़नेबल क्रिटीसिज़्म किया जाता है तो उस को यह मानते नहीं हैं । मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इनकोरीजीबल स्टेज पर पहुंच गई है । और यह दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि इस का दारोमदार नौकरशाही पर ही है । यह पुरानी चली आ रही है और यह उस को तोड़ना नहीं चाहते । इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के नाम पर टैक्स न लगाएं और इनकम बढ़ाने के लिए और किसी रिसोर्स को टैप करें ।

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ (ਸਮਰਾਲਾ, ਜਨਰਲ) : ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ speeches

ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ objects ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ opposition ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ।

ਜਿਹੜਾ education cess ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਸਮਝੀ ਗਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

(*At this Stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.*)

ਇਹ ਟੈਕਸ consumers ਤੇ producers ਤੇ ਛੋਟੇ industrialists ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਸ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੈ । ਮੇਰਾ statement ਬੜਾ bold statement ਹੈ । ਮਗਰ ਮੈਂ justify ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ । Opposition ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ claim ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ economics ਦਾ student ਹਾਂ । ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ industry ਤੇ ਨਹੀਂ, industry owners ਤੇ ਹੈ, factory ਤੇ ਨਹੀਂ, factory owners ਤੇ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ dealers ਤੇ ਹੈ । (*Interruptions*) ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ producers ਤੇ ਲਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ, dealers, factory owners ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ private enterprisers ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਹੜੀ raw material ਦੀ sale ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ dealers ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ । ਅਗਰ ਕਣਕ 15 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ (ultimately) ਟੈਕਸ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ 16 ਰੁਪਏ ਮਣ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉਤੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ profit ਦੇ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਮਾਂਡ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਏਥੇ 8 ਰੁਪਏ 8 ਆਨੇ ਮਣ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ 8 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਏਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਕਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਏਥੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਣਗੇ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰਜ਼ ਨੂੰ

[ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ]

ਆਪਣੇ ਪਰੌਫਿਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉਤੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਸਤਾ ਦੇਣਗੇ । ਤੁਸੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਉ, ਉਥੇ ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਥੇ ਅਨਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਰੇਟ ਦੇ ਉਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪਰੌਫਿਟ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਜ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਚਾਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਕ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਟਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਢ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਟਨ ਸੀਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੀਡ ਅਲਹਿਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀਡ ਦਾ ਤੇਲ ਕਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਆਈਟਮ ਖਰੀਦਣ ਲਗਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਨ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ । ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖੇਗੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਤਅਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ (consumer) ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੀਲਰਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਨਰਜ਼ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ

ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ (education cess) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੋਰਸ ਟੈਪ (source tap) ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਸੋਂ ਪਲਾਨਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਸਦ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿਚ ਅਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਵਧਣ ਫੂਲਣ । ਜੇਕਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਫਿਟ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਈਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲਗੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਲਗਦਾ ਸੀ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ । ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਡੀਲਰ ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਲ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ (indirectly) ਕਨਜ਼ਿਊਮਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇ । ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰਜ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਫੈਕ ਟਰੀ ਓਨਰਜ਼ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਗਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਾਫਿਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਸ ਬਿਲ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਜਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं कई रोज़ से बीमार था और आज भी बीमार ही हूं । लेकिन अगर मैं इस taxation Bill की मुखालफत न करूंगा तो मैं समझता हूं कि मैं अपना फर्ज़ नहीं निभाऊंगा क्योंकि यह जो tax लगाया जा रहा है यह गरीब लोगों पर लगता है और consumers के ऊपर लगता है। मुझ से पहल सरदार अजमेर सिंह जी बोल रहे थे । मैं तो यह समझता था कि वह बड़े काबिल वकील हैं इस लिये कोई अच्छी suggestion देंगे मगर आज मुझे उन की speech सुन कर बड़ी मायूसी हुई है। मैं उन को बताना चाहता हूं कि यह tax consumers पर और गरीब लोगों पर असर अंदाज़ होगा । मैं उन को कहना चाहता हूं कि पंजाब के best economists की राय ले लें—डेविट साहिब हैं और दूसरे हैं आप किसी से भी पूछ लें—वह यही राय देंगे कि यह जो टैक्स है consumers पर ही लगा है । क्लाज़ 10 के अन्दर आप देख लें कि यह दाल रोटी पर ही टैक्स है और इस का बोझ consumers पर पड़ेगा। कई कहते हैं कि यह growers पर नहीं पड़ेगा और यह dealer ने देना है। मगर मैं कहता हूं कि यह dealer ने भी नहीं देना है बल्कि consumer

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

ने देना है। Dealer जब खरीदेगा तो उस पर sales टैक्स देगा और purchase टैक्स देगा । फिर उसे देने के बाद जब consumer खरीदेगा तो क्या वह dealer consumer से पूरी कीमत नहीं वसूल करेगा और क्या consumer को यह देना नहीं पड़ेगा ? Dealer जब बेचेगा तो उस में यह सारी चीज़ें शामिल करेगा और यह अपनी गांठ से नहीं देगा बल्कि consumer से वसूल करेगा। लेकिन हमारे सरदार अजमेर सिंह जी ने अजीब logic पेश की कि यह तो consumer पर नहीं पड़ेगा । पता नहीं उन्होंने यह कहां से खोज निकाला और किस बिना पर यह बात कही कि यह consumer पर नहीं पड़ेगा। फिर हमारी यह सरकार दिन रात यही दुहाई देती है कि हम socialistic pattern of society ला रहे हैं और उस के असूलों पर चलेंगे। मगर यह जो इस किस्म के सारे बिल आ रहे हैं और यह taxation आ रही है, इस स साफ ज़ाहर होता है कि यह जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं कि रोज़ाना महात्मा गांधी के नाम की दुहाई दी जाती है कि हम उन के असूलों पर चलेंगे और उन के जो काम अधूरे रह गए हैं उन को पूरा करेंगे। मैं डाक्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि क्या यही एक काम गरीबों पर टैक्स लगाने का महात्मा गांधी से अधूरा बाकी रह गया था जिसे अब आप करने जा रहे हैं ? क्या यही चीज़ें महात्मा गांधी से बाकी रह गई थीं जो आप कर रहे हैं। उन के और बहुत से काम हैं जो करने बाकी हैं, उन को करो। वह तो हमेशा यही कहते थे कि गरीब की दाल रोटी और नमक पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। वह चीज़ें जो गरीब खाता है उन पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए और necessaries of life पर टैक्स नहीं लगना चाहिए । मगर यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो हर बात में उन के नाम की दुहाई देते हैं, वह necessaries of life पर भी टैक्स ठोक रहे हैं। यह तकरीबन सारी की सारी चीज़ें जो क्लाज़ 10 में दर्ज हैं, necessaries of life हैं। गरीब लोगों का और हरिजनों का गुज़ारा mainly रोटी दाल पर ही है। जिन हरिजनों का आप रोज़ ढोल पीटते हैं कि हम उन के लिये बहुत कुछ कर रहे हैं उन को भी दाल रोटी बगैर टैक्स के नहीं खाने देना चाहते हैं। इस के अलावा, डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप की तवज्जुह इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप हिन्दुस्तान भर के Sales Tax Acts को उठा कर देख लें कि इन चीज़ों पर किसी State के अन्दर इस किस्म का purchase tax नहीं लगाया गया है। हमारी ही एक ऐसी State है जिस ने यह नई खोज की है और एक नई चीज मुल्क के सामने रखी है । और बहाना क्या लगाया गया है कि चूंकि हम ने education free कर दी है इस लिये यह education cess के तौर पर लगाया गया है और इस को free education पर ही खर्च करना है। जहां तक इन को इस free education का ताल्लुक है चौधरी इन्द्र सिंह जी ने अच्छी तरह बता दिया है कि यह education के अन्दर discriminate करना है कि कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचे। आबादी के सिर्फ़ 10 फीसदी हिस्से को इन्हों ने फायदा पहुंचाना है और 90 फीसदी को ऐसे ही छोड़ देना है और उन को इस का कोई फायदा नहीं मिलना है हालांकि इस 90 फीसदी ने भी यह टैक्स देना है। इस के अलावा जिस free education की यह बात करते हैं

उस का नमूना पहले भी हमारे सामने आ चुका है। पिछली दफा यह बजट के अन्दर लाए थे और बड़ी डींग मारी थी कि हम matriculation तक free education करेंगे लेकिन सब ने देख लिया कि यह चीज़ नहीं हुई। अब इन्होंने एक और ढोंग रचाया है और यह तीर मारा है कि हम छटी जमात तक free education कर देंगे हालांकि सब जानते हैं कि District Boards ने पहले ही पांचवीं तक यानी प्राइमरी तक free education की हुई थी । इन्होंने एक साल आगे किया और उसी पर यह दाल रोटी पर टैक्स लगने की नौबत आ गई है। मैं समझता हूं कि अब इस हकूमत का आखिर आ गया है । हमारी तरफ एक मिसाल दी जाती है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भागता है। (हंसी) यही बात अब यह हकूमत कर रही है क्योंकि अब इस का आखिर आ गया है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह हकूमत जिस के लीडर कैरों साहिब हैं एक महीना से ज्यादा नहीं चलेगी क्योंकि जब यह रोटी दाल तक भी आ पहुंची है और इस पर भी टैक्स लगाने लगी है तो यह इस हकूमत का आखिर आ पहुंचा है । मैं, डिप्टी स्पीकर साहिब, बड़े जोर के साथ कहना चाहता हूं कि जिन आदमियों को यह वहम है कि यह.........*(Noise and interruptions)* मैं कह रहा था कि कुछ आदमियों को जिन में सरदार अजमेर सिंह भी शामिल हैं इस टैक्स के बारे में गलतफहमी हो गई है और पता नहीं यह क्यों हो गई है। वह इस गल्तफहमी में मुबतला हैं कि यह टैक्स जो है consumers पर नहीं है। यह तो वही जानते होंगे कि क्यों नहीं है लेकिन कोई भी आदमी इस हाउस के अन्दर, सिवाय उन के, नहीं था जिस ने यह कहा हो कि यह consumers पर नहीं है । इस बिल को हर stage पर चाहे 1st reading थी, 2nd reading थी या 3rd reading पर जितने कांग्रेस benches के मैम्बरज भी बोले हैं उन्होंने यही कहा है कि यह गरीब की दाल रोटी पर टैक्स है । लेकिन पता नहीं कि सरदार अजमेर सिंह को यह गलतफहमी किस तरह से हो गई और किस बिना पर वह कहते हैं कि यह consumers पर टैक्स नहीं है। मैं यह बात फिर दोहराता हूं कि आप पंजाब के किसी भी economist से पूछ लें और test करा लें और मैं दावा से कहता हूं कि उन की यही राय होगी कि यह टैक्स consumers पर लगेगा। मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ आखिर में इतना कहना चाहता हूं कि इस किस्म के taxes जो पंजाब के गरीबों पर लगाए जा रहे हैं इन से आप पंजाब के अन्दर एक ऐसी फिज़ा पैदा कर रहे हैं कि लोग इस हकूमत को उलट देंगे और इस को बरदाशत नहीं करेंगे। इस किस्म का तूफान पंजाब के अन्दर उठने वाला है जिसे यह हकूमत काबू नहीं कर सकेगी। इस लिये मैं हकूमत से अपील करूंगा कि वह अब भी समझ से काम ले और इस किस्म के taxes जो गरीबों पर हैं न लगाए जाएं। कम से कम महात्मा गांधी की जो तसवीर आप के सामने लटक रही है उसी का ख्याल करते हुए यह टैक्स गरीबों पर न लगाएं और इसे वापिस ले लें । इतना कहता हुआ मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ schedule ਦੀ ਜੋ item No. 43 oil cakes ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ amendment ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ....(*voice and interruptions*)

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲ ਦੀ third reading ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ move ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਕ amendment ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਛਪ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਸਿਰ circulate ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ......... (*noise*)

Mr. Deputy Speaker : Order, order. This is the third reading of the Bill. This cannot be moved now.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ move ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਇਕ amendment ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ move ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Deputy Speaker : You can discuss that.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ oil cakes ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਦੂਜੇ fertilizers ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ fertilizers ਦਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ schedule ਵਿਚ exempt ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ oil cakes ਨੂੰ ਜੋ fertilizers ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ exmpt ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ anomaly ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ oil cakes ਜੋ ਖਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ exempt ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ oil cakes ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੌਲਿਆਂ ਦੀ ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖਾਦ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਸਣ ਕਿ ਕੀ ਇਹ fertilizers ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ oil cakes ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ e empt ਹੋਣਗੇ ? ਜੇਕਰ ਉਹ exempt ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਸਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ notification ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੂੰਕਿ ਮੇਰੀ amendment ਵਕਤ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ oil cakes fertilizers ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ exempt ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ oil cakes exempt ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਤੇ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ fertilizers ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ exempt ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫੇਰ, ਜਨਾਬ, ਇਥੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ consumers ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਗਣ ਨਾਲ consumers ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ dealer ਜੋ ਹੈ ਉਸਦਾ margin

of profit ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਹੁਤ profit ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ 17,18 ਰੁਪਏ ਮਣ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰੀ profit ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ profit ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ consumers ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ dealers ਦੇ profit ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ । ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਬਚਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਨ ਖਾਣ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ wheat

1-00 p.m.

maize ਔਰ barley ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਕੁਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿਚੋਂ ਬੀਜ ਲਈ ਅਨਾਜ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ supply ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ sales tax ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ exempt ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰਿਜ਼ਰਵਡ) : ਡਿਪਟੀਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਵਾਕਿਆਤ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ relate ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ raw materials ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਸਕਰ ਚਮੜੇ ਤੇ sales tax ਲਗਣ ਦੀ ਗਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (*laughter*)

ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ skins ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੀਜਨ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, unemployment ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ।

(*At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.*)

ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਬਿਸ ਨੂੰ support ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ consumers ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ cause plead ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ

[ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ]
consumers ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਕੀਲ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਪਲੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ development ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ Five Year-plan ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੋਏ ਪੂਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰਲਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਆਖਰ Consumers ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ?

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहिब, wind up करें (I will request Chaudhri Sahib to please wind up his speech.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ inspiration ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜਾ ਠੋਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ inspiration ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Please wind up.

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ nationality ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहिब, आप तो चार साल मिनिस्टर रह चुके हैं। आप को यह तो पता होगा कि यह third reading stage है। (The hon. Member has been a minister for four years and he must be aware of the fact that this was the third reading stage of the Bill.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। (ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ ; ਝਠ ਹੀ ਢੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।) ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ inspiration ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ resentment ਹੈ ਔਰ ਜਿਥੇ ਰੁਪਿਆ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ

ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ nationality ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰੁਪਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ spirit ਔਰ ਜੋ ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ......

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहब, भारत सेवक समाज को आप क्यों बीच में घसीड़ रहे हैं । (Chaudhri Sahib, why are you bringing in Bharat Sewak Samaj ?)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਲਾ ਕੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ institutions ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ private initiative ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ inspiration ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ disparity ਕਿਥੋਂ ਤਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਤਕ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, haves and have-nots ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਤਕ ਫਰਕ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ . . . .

अध्यक्ष महोदय : चौधरी साहिब, जब बिल की third reading हो तो बिल के basic principles पर discussion की जा सकती है । बेहतर होगा कि आप Swami Vivekanand के कुछ श्लोक पढ़ कर बैठ जाएं । (Chaudhri Sahib, at the third reading stage only basic principles of the bill can be discussed. It would be better if he recites a few *Shalokas* of Swami Vivekanand and resumes his seat.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कुछ बोल रहे हैं वह relevant नहीं । आप एक मिनट में अपनी speech wind up कर दें (Whatever the hon. Member is speaking is not relevant. He may wind up his speech within one minute.)

ਚੌਧਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਟੈਕਸ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਦਿਹਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ depressed ਤੇ distressed feel ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

(*Interruptions.*)

Mr. Speaker : I want to see the Bill passed to-day.

कामरेड मुन्नी लाल (शिमला) : स्पीकर साहिब, मैं इस असूल को मानता हूं कि जिस State ने rapidly develop होना हो उस में taxation heavy होना चाहिये । और जब समूचे तौर पर हमारी State ने तरक्की की तरफ कदम उठाना है तो हर आदमी को taxation का बोझ उठाना चाहिये । मैं अर्ज़ करूंगा कि हमारी सरकार की taxation policy बहुत हद तक गलत रही है और अक्सर यह देखने में आया है कि गरीब लोगों पर ज्यादा बोझ पड़ा है । इस सदन में यह बात बार २ दोहराई गई कि इस टैक्स का असर consumers पर नहीं पड़ेगा । Middle men भी इस का हिस्सा share करने के लिये तैयार नहीं होते । ज्यों ज्यों टैक्स लगेंगे market में rates बढ़ेंगे और गरीब आदमियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा । सरकार के taxation bills हर समय amend होते रहे । यह जो sales tax का रास्ता है बहुत tedious है और व्यापारी तबके को शिकायत है । सरकार मानती है कि Sales Tax की बहुत सी रकम evade की जाती है । लेकिन सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता है और वह मुल्क में taxation और करना चाहती है क्योंकि Second Five-year Plan के लिये Central Government ने जितना रुपया देना है उस में से कुछ quota पंजाब के ज़िम्मे है—बल्कि हर State के ज़िम्मे है । उस quota को पूरा करने के लिये सरकार को taxes लगाने पड़ते हैं । मैं समझता हूं कि taxes बढ़ाने का यह बोसीदा ढंग है और इन्हें बढ़ाने के लिये कई नया ढंग क्यों नहीं इख्तियार किया जाता । डाक्टर साहिब को पता है कि luxury goods यानी कार और ट्रक की sale हिमाचल में किस तरह से ज़्यादा बढ़ी है । एक काफले की तरह से trucks और cars Solon में बिकती हैं—रोज़ाना 100 के करीब trucks की sale होती है और मैं उन की वाकफियत के लिये बताना चाहता हूं कि एक ट्रक की sale से एक हज़ार रुपये से ज़्यादा sales tax की बचत होती है । ऐसा इज़ाफा करने की बात तो क्या उन्हें और यह कहने का मौका दिया है कि यहां पर कोई गाड़ी फरोख्त नहीं हुई । इस तरह से आप के revenue में नुक्सान हुआ ।

एक और बात कही गई education cess की । दाल रोटी पर टैक्स लगाया गया है जिस से गरीब आदमियों को नुक्सान पहुंचेगा । मैं पूछता हूं कि education cess से कितने लोगों को फायदा हुआ—सरकार वाज़ेह तौर पर यह बताये । मेरे ख्याल में 10 per cent लोगों को भी फायदा नहीं हो सकता । अगर गवर्नमैण्ट education की facilities लोगों को देना चाहती है तो हम हर तरह से उस का साथ देने के लिये तैयार हैं । Compulsory education की बात करते हैं—मैं discrimination करने की details में नहीं जाना चाहता—सिर्फ 10 फीसदी बच्चों को फायदा होना है और majority पर बोझ पड़ा है । दाल रोटी के टैक्स के बारे में डाक्टर साहिब से कहना

चाहता हूं कि वह जम्हूरियत की बड़ी बात करते हैं। मैं उन्हें challenge पेश करता हूं कि Leader of the House या कोई और senior member इस issue पर bye-election लड़े तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वह ज़रूर अपनी seat को lose करेंगे। ग़रीब आदमी इस बोझ को बरदाश्त नहीं करना चाहते और जो लोग यह बिल पास कर के जम्हूरियत का दम भरते हैं, वह इस issue पर bye-election कराएं तो उन्हें इस बात का सबूत मिल जायेगा ।

(*Minister for Planning and Community Projects rose to speak*)

(*Interruptions.*)

Mr. Speaker : The House is about to adjourn. It is 1.15 p.m.

(*Interruptions*).

Minister for Planning and Community Projects : Sir, I seek your protection.

अध्यक्ष महोदय : अब योजना मंत्री इस का जवाब देंगे। (Now the Planning Minister would give a reply.)

योजना मंत्री : जनाब स्पीकर साहिब, मेरे दोस्तों ने कुछ दलीलें पेश की हैं. . . .

श्री राम प्यारा : स्पीकर साहिब, मुझे सिर्फ़ दो मिनट बोलने के लिये दीजिए।

Mr. Speaker : The House is about to adjourn now. (*Voices* : एक घंटे के लिये वक्त और बढ़ा दीजिये) इन की suggestion है कि एक घंटे के लिये वक्त और बढ़ा दीजिए (Their suggestion is that today's sitting be extended by one hour.)

योजना मंत्री : स्पीकर साहिब, आप ने मुझे call upon किया है। मैं ने जवाब देना भी शुरू कर दिया और अब time बढ़ा देने की तजवीज़ पेश की गई है। मैं समझता हूं कि ऐसी तजवीज दुरुस्त नहीं है। बहुत से भाइयों ने third reading पर अपनी तकरीरें की हैं मगर किसी ने नई बात नहीं की। वही repetition चल रही है। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि repetition करने के लिये हाउस का वक्त बढ़ाने से debate पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मेरे माननीय मित्र श्री लाल चन्द सभरवाल ने जो वकील हैं मुझ जैसे नाचीज़ आदमी को महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ मुशाबिहत दे दी और फिर लात खैंच दी। उन्होंने फरमाया कि हम ने किसी economist के साथ बात नहीं की, मश्विरा नहीं किया और Punjab में दर असल कोई economist है ही नहीं जिस से यह मश्विरा करते। अगर वह सारी मालूमात अपने सामने रखते और उन्हें study करते तो उन्हें पता लगता कि जो taxation के बारे में बिल पेश किया जाता है वह Planning Commission और Taxation Enquiry Commission की तजावीज़ के मुताबिक पेश किया जाता है। Taxation Enquiry Commission अपनी

[योजना मंत्री]

राय देती है और State उस पर चलती है (*voices* : वहां भी आप जैसे आदमी होंगे) महुआ, motor cycle parts, skin, hides, husk पर भी लगाया गया है। Motor cycle parts की बाबत कुछ ambiguity सी मालूम होती है। Motor cycle parts मोटर के combination हैं cycles के नहीं। महुआ पंजाब में नहीं होता, बाहर से मंगाया जाता है। यहां पर महुआ पर नहीं लगा, वह competition में नहीं आता। Husk की सिर्फ तारीफ बदली गई है। अगर वह clause 10 की आखरी चीज को पढ़ते तो उन्हें मालूम हो जाता। एक बात रह गई। एक भाई ने कहा कि हम और tax बता सकते हैं। मैं मशकूर हूं कि वह मदद करते हैं। वह कौन सा अंदाजा लगा कर अपनी तजवीज देना चाहते हैं। मुमकिन है कि वह मेरी ताकत में हो। लेकिन उन को बताना चाहिए कि किस चीज पर लग सकता है। और as a taxation minister मैं मश्कूर हूंगा कि मुझे और भी taxes लगा कर सरकार की आमदनी को बढ़ाना होगा।

कहा गया है कि tax की evasion होती है। वह क्यों नहीं रुकती—यह मैं नहीं कह सकता, उन के साथ बैठे हैं, वह evasion करते हैं या नहीं। इस को छोड़ कर सारे इस बात में मदद करें कि evasion न हो। इस कानून के मुताबिक, इस कायदे के मुताबिक, और कोई नई चीज़ नहीं। मैं आप से दरखास्त करूंगा और आप की विसातत से House से दरखास्त करूंगा कि इस Bill को पास करें।

(*Shri Balram Dass Tandon rose to speak?*)

अध्यक्ष महोदय : यह कैसी बात है ? House में अच्छी और healthy traditions रखनी चाहिएं। Minister-in-charge ने जवाब दे दिया है। उस के बाद कैसे time मिल सकता है ? (What is this ? Good and healthy traditions should be established in this House. When Minister-in-charge has replied to the debate, how could the hon. Member get time to speak after that ?)

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab General Sales Tax (Amendment) Bill, as amended, be passed.

The Assembly then devided.

Ayes	..	48
Noes	..	11

The motion was declared carried.

AYES

1. Abdul Ghani Dar, Maulvi.
2. Abhai Singh, Shri.
3. Ajmer Singh, Sardar.
4. Amar Nath Sharma, Shri.
5. Atma Singh, Sardar.
6. Bakhtawar Singh Rai, Gyani.

7. Charan Singh, Sardar.
8. Dasondha Singh, Chaudhri.
9. Dev Raj Anand, Shri.
10. Gorakh Nath, Shri.
11. Gurbachan Singh Bajwa, Sardar.
12. Gurbanta Singh, Sardar.
13. Gurdatt, Shri.
14. Gurmit Singh 'Mit', Sardar.
15. Hans Raj Sharma, Shri.
16. Harbans Singh, Sardar.
17. Harbhagwan Maudgil, Shri.
18. Harchand Singh, Sardar.
19. Hari Ram, Shri.
20. Jagat Ram, Shri.
21. Jagdish Chand, Shri.
22. Jagir Singh 'Dard', Sardar.
23. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
24. Kartar Singh Dewana, Sardar.
25. Kirpal Singh, Sardar.
26. Mehar Singh, Sardar.
27. Mehar Singh, Thakur.
28. Mohan Lal, Shri.
29. Multan Singh, Shri.
30. Niranjan Singh Talib, Sardar.
31. Nihal Singh, Shri.
32. Parkash Kaur, Shrimati.
33. Parma Nand, Dr.
34. Partap Singh, Bakshi.
35. Partap Singh, Master.
36. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
37. Ram Chandra, Comrade.
38. Ran Singh, Shri.
39. Roshan Lal, Shri.
40. Sant Ram, Shri.
41. Sarla Devi Sharma, Shrimati.
42. Sarup Singh, Chaudhri.
43. Shri Krishan Shastri, Shri.
44. Sohan Singh, Sardar.
45. Sohan Singh Jalal-Usman, Jathedar.
46. Sumer Singh, Shri.
47. Umrao Singh, Shri.
48. Paul Singh, Sardar.

NOES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Balram Das Tandon, Shri.
3. Baru Ram, Chaudhri.
4. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
5. Inder Singh, Shri.
6. Jagdish Kaur, Kanwrani.
7. Lal Chand, Shri.
8. Muni Lal, Shri.
9. Ram Kishan Bharolian, Pandit
10. Rup Singh "Phul", Shri.
11. Sadhu Singh, Sant.

Mr. Speaker : The House now stands adjourned till Monday.

The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday, the 7th April, 1958.

799 PVS—344—27-5-59—CP and S, Pb, Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

7th April, 1958

Vol. I— No. 33

OFFICIAL REPORT

23-9-58

CONTENTS

Monday, 7th April, 1958

CHANDIGARH :

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab.

1959

Price : Rs. 3.50 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOl. I, NO. 33,
DATED 7TH APRIL, 1958

Read	*for*	*on page*	*line*
proposed	porposed	(33)10	4
ordinance	ord nance	(33)14	12
Deputy Speaker	Speaker	(33)42	11 & 13
gazette	gazettee	(33)70	21
प्रेमिसिज	प्रेमिज़ज़	(33)73	11
एकस्टैनशन	एकेस्टैशन	(33)73	15

PUNJAB VIDHAN SABHA

Monday, 7th April, 1958.

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, Chandigarh Capital at 2 p.m., of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.

QUESTION HOUR (DISPENSED WTH)

ਸਰਦਾਰ ਹ[illegible]ਦ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ[illegible] [illegible]ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

[illegible] [illegible]ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਅਰਥ ਮੰਤਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ) : ਬਿਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵਰ (question hour) ਸਸਪੈਂਡ (suspend) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : The Question hour is dispensed with to-day.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Minister for Finance : Sir, I beg to lay on the Table the Finance Accounts of the Government of Punjab, for the year 1954-55 and Audit Report, 1955.

STATEMENT BY THE CHIEF MINISTER

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon) : Sir, I promised to make a statement on the floor of the House. It reads as under :—

(1) On the night of 21st March, 1958, Nihal Singh and Sardul Singh of Tarn Taran, who were running an agriculture Farm at village Aurangabad, police station Jagadhri, had gone to see the cinema show at Yamunanagar. When they returned to their house at about mid-night, they found the outer door open and arrested one Dhani Ram, Jhiwar of Rattanpura, inside the house while two of his companions managed to escape. Dhani Ram told these persons that his two other companions were Nanha, Jhiwar and Chohal Harijan of his village. On Nihal Singh's report case F.I.R. No. 57, under section 457/380 I.P.C. was registered at police station Jagadhri on 22nd March, 1958. Some clothes and a little cash which was stolen had been recovered from Dhani Ram, who was arrested at the spot. Sub-Inspector Shiv Dayal started the investigation and tried to get the two suspects named in the F.I.R. The respectables of Rattanpura produced the two suspects before the Sub-Inspector on the evening of 22nd March, 1958. Both of them were made to join the investigation by the Sub-Inspector and they were interrogated till the 26th, when the fathers of the two accused and other respectables including Ralla Singh, Lambardar, the grand-uncle of Chohal,

[Chief Minister]

deceased, went to the Police Station and assured the Sub-Inspector that Chohal was not concerned in the theft. They did not give similar assurance in respect of Nanha. Chohal was, therefore, allowed to go away with his step-father, Sohnu, and the other respectables while Nanha was formally arrested on the 26th. Even Dhani Ram, accused, had admitted that he had falsely implicated Chohal.

(2) At about 11.30 p.m. on 29th March, 1958, Sohnu, father of Chohal, accompanied by Durga Dass, Secretary, B.J.S., Yamuna-Nagar, and some Socialists and Communist leaders brought the dead body of Chohal to the Police Post at Yamunanagar and alleged that Chohal had died as a result of torture by the Police during the period that he remained under investigation with the Police. The Assistant Sub-Inspector, Incharge of the Police Post, told them that since they were making allegations against the Police, they had better report the matter to the Sub-Divisional Magistrate, Jagadhri. These persons approached the Sub-Divisional Magistrate, at his house at 5 a.m., on 30th March, 1958. An application written by Durga Dass, Secretary, B.J. Sangh and thumb-marked by Sohnu was produced before the Sub-Divisional Magistrate, alleging that Chohal had died on 29th March, 1958, as a result of the injuries received by him at the hands of the Police and requesting that judicial enquiry should be held into Chohal's death and that investigation of the case should be got done through some Gazetted Officer, after the post-mortem examination of the dead body.

(3) The Sub-Divisional Magistrate summoned Assistant Sub-Inspector Nand Lal of Police Post, Yamuna Nagar, and made over the complaint to him with orders to register a case. The Sub-Divisional Magistrate, further asked the Judicial Magistrate to hold an inquest into the cause of death. The Assistant Sub-Inspector registered the case—F.I.R. No. 63, under section 304 I.P.C. at 6.15 a.m., and took charge of the dead body. At about 9.30 a.m., Sub-Inspector Shiv Dayal, Station House Officer, Jagadhri, informed Shri Chadha, Superintendent, Police, Ambala, about the case and told him that the dead body was being sent to the mortuary for post-mortem examination.

(4) A crowd of 500/600 labourers, B.J.S. and Communist workers had collected at Police Post and they objected to the Police removing the dead body from the Police Post till the Magistrate, who was to hold the inquest had seen the body. The judicial Magistrate arrived at the Police Post at about 11.30 a.m., after which the dead body was taken to the mortuary. The crowd again collected around the mortuary demanding that the post-mortem examination should be performed by the Civil Surgeon, Ambala, instead of Assistant Surgeon, Jagadhri. The Assistant Surgeon informed the Civil Surgeon about the facts on telephone but the latter asked him to perform the post-mortem examination himself. Since the crowd did not feel satisfied and tried to threaten and intimidate the doctor, eight of the ring leaders of the crowd, who tended to become violent were arrested under

section 506/189 I.P.C. and the case F.I.R. No. 64 was registered in this connection. After the post-mortem examination the dead body was handed over to the relatives of the deceased who were informed that they could get the dead body further examined by the Civil Surgeon, if they so desired. They, however, did not ask for the second examination and wanted to take the body for cremation. Jan Sangh and Socialist workers again formed a procession with the dead body consisting of about 200 persons and started towards Yamuna Nagar. These persons whose number had thinned down to about 50/60 by the time they reached Yamuna Nagar, at about 8.30 p.m. were joined by mill-workers coming from the evening shift and the crowd swelled to 1,000/1,200 on the way to the cremation ground. When this crowd was passing in front of the Police Post, Yamuna Nagar, a large number of the processionists collected outside the Police Post and started raising abusive slogans and hurled brickbats on the officers and men present at the Police Post. They also demolished the bamboo jaffer curtain in front of the Police Post along the road. In the meantime the relatives of the deceased cremated the dead body. The Sub-Divisional Magistrate and the Assistant Superintendent of Police had reached Police Post, because it was feared that the processionists might create some trouble there. The Sub-Divisional Magistrate declared the crowd as an unlawful assembly and ordered them to disperse. Since they did not heed the Magistrate's order, the Sub-Divisional Magistrate ordered the use of tear gas. Eight tear gas grenades were thrown which caused the crowd leave the spot. Sixteen rioters were arrested under section 307/332/353/436/440/143/149, I.P.C. in connection with the throwing of brickbats and attacking the Police and other officers at the Police Post. Case F.I.R. No. 65 was registered in this connection.

(5) The post-mortem report showed that the death of Chohal was due to bilateral lobar pneumonia and intestinal obstruction as a result of gangrin of the gut developing as a result of shasma of mesutric vessels due to injury to the rectum and also injury to the abdominal wall. The deceased was also suffering from small pox. There were some abrasions on the body of the deceased, five of which were reported to have been caused after death. The death could not have been caused due to these minor scratches found on the body. The local Police had been interrogating Dhani Ram, who had been arrested at the spot, as well as Nanha and Chohal who had been named by Dhani Ram as his accomplice even before the F.I.R. was lodged with the Police.

(6) After being allowed to go home on 26th March, 1958, Chohal, who had apparently got an attack of pneumonia, and was also suffering from small-pox and intestinal obstruction remained under the treatment of a Hakim and an allopath. The latter had given him enima, but the bowels did not move. To find out whether any third degree methods had been used by the Police during the interrogation, Dhani Ram and Nanha were got medically examined by the Police on 31st March, 1958. No injury was found on the body of Nanha while Dhani Ram had some minor injuries, which he stated were caused at the time of

[Chief Minister]

his arrest. Even the medical report confirmed that these injuries were 8/10 days old. The investigating officers had naturally to satisfy themselves about the guilt of the persons named in the F.I.R. and for that purpose if they had to use third degree methods they would have done it on all the suspects and not merely on Chohal. Besides if the Police had actually tortured the deceased then his relations and the leaders of the political parties of whom Durga Dass, Secretary, B.J.S., appears to have special animus against the local Station House Officer would not have kept quiet from the 26th when Chohal was allowed by the Police to go till the time of his death. It may be stated here that Durga Dass was detained under the Preventive Detention Act, during the Hindi Raksha Samiti agitation. After his release he had stated during his speech in a Hindi Samiti meeting on 16th November, 1957, that he would see the Sub-Inspector demoted to the rank of Head Constable. Durga Dass has been taking a very prominent part in the allegations now made against the Jagadhri Police. He had accompanied Sohnu, step-father of the deceased, when he took the body to the Police Post, he also wrote the complaint which was presented before the Sub-Divisianal Magistrate and he organized the funeral procession of Chohal, deceased and took very prominent part in the demonstrations outside the Police Post at Yamuna Nagar.

(7) Investigation of the case under section 304 I.P.C. is being carried out by Shri B.R. Sud, I.P.S., Assistant Superintendent of Police. Sub-Inspector Shiv Dayal, Station House Officer, Jagadhri, and Assistant Sub-Inspector Nand Lal, Incharge, Police Post, Yamuna-Nagar, have been placed under suspension pending the result of the investigation and they have been transferred to the Lines so that they could not influence or interfere with the investigation.

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, On a point of order. चीफ मिनिस्टर साहिब ने statement देने के सिवाय और कुछ नहीं बताया। मैं पूछना चाहता हूं कि जगाधरी और यमुना नगर के आदमी क्यों पकड़े गए हैं ?

Shri Prabodh Chandra : On a point of Order, Sir. This statement of the Chief Minister seems to be in reply to the adjournment motion. The Opposition should be allowed to say their version.

Mr. Speaker : No debate can be held under Rule 69 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

Shri Prabodh Chandra : Sir, Rule 69 applies only when the Government is making any policy statement.

Mr. Speaker : The adjournment motion was ruled out.

Shri Lal Chand : On a point of order, Sir. The Chief Minister has not replied to the adjournment motion. He has not made a statement on the facts of the case. He has tried to accuse certain persons.

Mr. Speaker : No debate on this please.

Shri Lal Chand Sir, the Chief Minister has given only defence of the police people. His statement is not factual.

अध्यक्ष महोदय : आप इस स्टेटमेंट के बारे में बहस नहीं कर सकते । (The hon. Member cannot raise a discussion in connection with this statement.)

Shri Balram Dass Tandon : Sir, he has not given the facts. This is strange that this statement has been made in the House.

Shri Lal Chand : Sir, it should not have been allowed.

Shri Prabodh Chandra : On a point of order, Sir. Is the Chief Minister entitled to make a statement in the House on the subject of adjournment motion which has been ruled out of order ?

Mr. Speaker : He promised to make a statement the other day.

Shri Prabodh Chandra : Sir, that was in reply to the adjournment motion.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह स्टेटमेंट किसी adjournment motion के बारे में नहीं दी । उन्होंने कहा था कि इस बारे में हाऊस में statement देंगे । (He has not given this statement in connection with any adjournment motion. He had stated that he would make a statement in the House in this regard.)

पंडित श्री राम शर्मा : On a point of order, Sir. चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह statement दी है तो इस के क्या मायने हैं कि Ministers इस बात से बिल्कुल exempted हैं कि *subjudice* cases के मुतअल्लिक हाउस में statement दिया करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस statement को मंगवा कर आज देखूंगा । (I will examine this statement today.)

पंडित श्री राम शर्मा : पेश्तर इस के कि आप इस स्टेटमेंट को देखें आप यह तो गौर फरमायें कि यह *subjudice* केस है और उन्होंने इस के बारे में हाउस में स्टेटमेंट दे दी है ।

Mr. Speaker : A Minister is entitled to make a reference to the facts of the case.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, this is very strange that this statement has been made in the House.

श्री बलराम दास टंडन : इस में कहने की कोई बात नहीं है । आप जानते हैं कि केस चल रहा है, उन पर केस बनाया गया है । इसी हाउस में चीफ मिनिस्टर साहिब की तरफ से यह भी कहा गया है कि उन का हिन्दी रक्षा समिति से भी ताल्लुक था हालांकि इस बात का इस केस से कुछ सम्बन्ध नहीं था । This is very strange that this statement has been made in the House.

THE PUNJAB TEXTILES AND SUGAR (EXISTING STOCKS) PURCHASE TAX AND MISCELLANEOUS PROVISIONS BILL, 1958

Minister for Planning and Community Projects (Dr. Gopi Chand **Bhargava**): Sir, I beg to move—

> That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill be taken into consideration at once.

जनाब स्पीकर साहिब, कुछ अर्सा हुआ कि नेशनल डिवेलपमेंट कौंसिल ने सब स्टेट्स से मश्विरा करने के बाद एक फैसला किया और वह यह था कि कपड़े पर, सिवाये पियोर सिल्क क्लाथ के, शुगर पर और टुबेको पर एक्साईज़ ड्यूटी लगा दी जाए। और एक्साईज़ ड्यूटी लगाने की वजह से आयंदा इन तीनों चीज़ों पर जो सैंडर्ज़ टैक्स था वह नहीं चार्ज होगा। और कपड़े पर सिवाये पियोर सिल्क क्लाथ के और शगर पर कोई सेल्ज़ टैक्स नहीं लगाया जायेगा। यह बहुत दिनों से हमारे भाइयों की मांग थी कि अगर यह टैक्स लगा दिया जाये तो व्यापारी लोग हिसाब किताब रखने से और दूसरी तकलीफों से बच जाएंगे। चुनांचि इन तीनों चीज़ों पर एक्साइज़ ड्यूटी गवर्नमेंट ने बढ़ाई और इस वजह से सेल्ज़ टैक्स कम कर दिया गया। और जितना नुकसान सेल्ज़ टैक्स के हटाने से होगा उसे एक्साईज़ ड्यूटी से पूरा करने का फैसला किया गया, बल्कि उस से कुछ ज्यादा ही मिलेगा कम नहीं। इस में फैसला करते वक्त यह भी हुआ कि जो एगज़िस्टिंग स्टाक है, चौदह दिसम्बर से लेकर 31 मार्च तक और जिस पर कोई सेल्ज़ टैक्स नहीं लिया गया, उस के बारे में उनको इजाज़त थी कि आया हम एडहाक बेसिज़ पर कोई टैक्स चार्ज कर लें या सेल्ज़ टैक्स लें एडहाक बेसिज़ पर ऐसा महसूस हुआ कि हम सेल्ज़ टैक्स को वसूल करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि उस को बन्द कर दिया इस लिये एडहाक बेसिज़ पर, स्टाक पर कुछ लगा देना बड़ा आर्बिट्रेरी होगा। इस लिये स्टाक की लिस्ट मांगी गई और परचेज़ टैक्स का आर्डीनेंस पेश किया गया। परचेज़ टैक्स लगाया गया। इस के मायने यह थे कि जिस भाई के पास चौदह दिसम्बर से पहले यानी तेरह दिसम्बर की शाम को जो स्टाक था, जो उस ने यहां से खरीदा था बाहर से नहीं खरीदा था। रिजस्टिर्ड डीलर्ज़ से उन्होंने उस पर टैक्स नहीं दिया था। सिवाये एक केटीगरी के उन सब से लिस्ट मांग ली गई और फिर असेसमेंट करके, तेरह मार्च तक जो असेसमेंट बनती है उस पर रुपया दाखिल करने के लिये उन को कहा गया। तो यह एक category थी जिन्होंने 13 दिसम्बर को माल खरीदा था उन से कोई Sales Tax नहीं लिया जाना ा। मेरे भाइयों के दिलों में शुबह था। इस के लिये मैं उन से कह चुका हूं। गालबन Excise and Taxation Commissioner ने भी इस बात का statement दे दिया होगा। मेरे पास लिखकर भी representation आया था। कुछ भाई मेरे पास भी आए क्योंकि उस में clarification की ज़रूरत थी। चुनांचि उन पर अब compound हो गया। कुछ देर की बात है कपड़े वालों की तरफ से यह मांग आई कि यह टैक्स नहीं लगना चाहिये, सब माफ होना चाहिये। मेरे उन के साथ काफी देर argument होते रहे। मैंने उन को बताया कि माफी तो नहीं हो सकती। लेकिन उस में एक चीज़ रख दी कि जो cases ज्यादा मुश्किल होंगे उन में हम Sales-Tax को compound कर देंगे। दूसरे यह कि indi-

vidual केसिज़ में अगर कोई एक दम न दे सकेगा तो हम उसे instalments में divide कर देंगे । क्योंकि sales tax खत्म हो रहा है इसलिये यह चीज़ bad taste में नहीं करना चाहते, भाईचारे से फैसले करना चाहते हैं । चुनांचि व्यापार मण्डल के सदर साहिब फिर आए और बटाला के registered dealers जो कहते हैं कि registered dealers की association है—वह भाई तशरीफ लाए । चुनांचि उन्होंने—chairman साहिब ने काफी मश्विरा, बहस, बातचीत की और हमारे चीफ मिनिस्टिर साहिब से भी वह मिले और आखिर में यह फैसला हुआ कि इस को compound कर दें । अभी तो वह कर दिया है और बाद में जो individual cases होंगे उन को देख लिया जाएगा । उन्होंने उस वक्त कहा कि चूंकि अभी बातचीत चल रही है इस लिये जो 13 तारीख को टैक्स दे दगे तो इस फैसले का उस पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा । इस लिये उन्होंने मांग की कि date को extend कर दिया जाए । उन्होंने एक हफ्ता मांगा, हमने दस दिन तक extend कर दिया । उस के बाद फैसला हुआ कि चूंकि बातचीत मुकम्मल नहीं हुई थी, दो दिन बाकी रह गए हैं इस लिये इस date को और extend कर दिया जाए । चुनांचि इस date को 30th March तक extend कर दिया । उस पर यह फैसला हुआ कि जिन का वह समझते हैं tax कम बनता है वह बेशक compound के लिये दरखास्त न दें लेकिन जिन का ज़्यादा बनता है वह compound कर दें और compound की बाबत जो फैसला हुआ वह यह था कि जितनी रकम उन्होंने सन् 1956-57 में tax में दी थी—Sales-Tax की शक्ल मे उसका 1/6 यानी दो महीने का जो tax बनता है उसका Compound कर लें और वह भाई लिख कर दें कि वह उसको compound करना चाहते हैं । और वह 1/6 जमा करवा दें । उसमें जो hard cases होंगे उनकी बाबत सोच लिया जाएगा । अगर मालूम हो कि compound की रकम ज़्यादा है तो उनको उस में से जितना ज़्यादा होगा वह वापिस कर देंगे । इस बात का फैसला हो गया था । चुनाचि उन्होंने सब को तारें कर दीं कि इस बात को मान लेना चाहिये । यह तो कपड़े की बाबत हुआ । इस के अलावा जिन का 1956-57 में थोड़ा business था उन के लिये दूसरा formula निकाला गया कि 9 महीने का लेकर उस के हिसाब से दो महीनों का निकालें । यह चीज़ अब उसी तरीके से चल रही है और मुझे उमीद है कि जो फैसला हुआ था और जो भाई मान गए थे उन्होंने 30 तारीख से पहले वह जमा करवा दिया होगा । जिन्होंने अपनी returns नहीं दीं उन के cases अलग deal होंगे । लेकिन जिन्होंने 1/6 दे दिया उन से फैसला हो गया । जहां तक sugar वालों का ताल्लुक है,उन की तरफ़ से कोई representation नहीं आया और मैं उमीद करता हूं कि उन्होंने 13 मार्च तक जो sales tax बनता था वह जमा करा दिया होगा । तो वह जो list थी उस में से इन चीज़ों को जिन पर sales-tax लगता था यानी कपड़ा, sugar और tobacco पर—कपड़े में से pure silk को छोड़कर—उन्हें उसमें से exclude करना था । यह amendment उसमें की गई । इसमें एक सवाल cloth Merchants ने उठाया था वह यह कि आया blanket woollen cloth है या नहीं । तो मैंने कहा था कि जिस तरीके से फैसला होगा उस तरीके से वह फैसला उस पर भी लागू कर देंगे । दर असल woollen और silken goods luxury goods में

[योजना मंत्री]

शामिल होती हैं। इस वजह से इन पर double sales-tax पड़ेगा यानी 3-2-0 की बजाए 6 रुपये 25 नए पैसे होगा। यह फैसला हुआ था कि अगर blanket को luxury goods नहीं गिना जाएगा तो कोई वजह नहीं कि इस पर सवा छः रुपए लिया जाए।

इन हालात में मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नाजायज़ हो क्योंकि व्यापारियों ने खुद आकर यह फैसला किया, cloth Merchants ने कर लिया, व्यापार मण्डल ने कर लिया। जब यह फैसला हो गया तो इस को चालू रखना है। Ordinance तो अब खत्म हो गया। अब हमने यह Act पास करना है। इस के लिये अब tax को compound भी करना है। ज़रूरी है कि जो step लिया गया, उसको legalise कर लिया जाए और जो exemptions दरकार हैं, वह हो जाएं। अगर यह Act पास न हुआ तो यह items exemptions में शामिल न हो सकेंगी और फिर उसी पुराने sales-tax वाले तरीके पर revert करना पड़ेगा। इस लिये मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल को consider कर के इसे जल्दी ही पास कर दिया जाएगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill be taken into consideration at once.

जो statement चीफ मिनिस्टर साहिब ने दी है इस को मैंने पढ़ा है। इस में कोई ऐसी बात नहीं जो case को prejudice करती हो। पहले पैराग्राफ में इन्होंने background दी है। दूसरे में वह हालात ब्यान किए हैं जो कि इस case का मौजू बने। उसके बाद बताया कि Post-mortem examination हुआ। Post-mortem का नतीजा बताया गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं . . . .

(I have read the statement given by the Chief Minister. There is nothing in it which may prove prejudicial to the case. In the first paragraph he has traced the background of the case. The second deals with the circumstances which led to the case. Thereafter there is a reference to the Post-mortem and its result. There is nothing. . . .)

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. क्या यह वाजब बात है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिब इस तरह की statement दें कि उस ने हिन्दी रक्षा समिति के जलसा में यह बोला, वह बोला ? After all, he is being tried. उस के मुताबिक उस के ऊपर केस चल रहा है. He is under arrest and this is a *sub-judice* case.

Mr. Speaker: He has made a statement as promised by him the other day.

श्री बल राम दास टण्डन : उस के conduct को discuss करके case में interfere करने की कोशिश की गई है।

Minister for Finance : This is just a factual information.

श्री बलराम दास टण्डन : आप इस पर अच्छी तरह से गौर कर लें, तहकीकात कर लें। This is an important matter.

अध्यक्ष महोदय : यह देख लिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं। (It will be looked into. There is nothing to be worried about.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of order Sir. मेरी एक adjournment motion एक Minister साहिब के लड़के के मुतअल्लिक थी। जिस को कि आज कल अखबारों में खूब चर्चा है क्योंकि एक लड़की महेन्द्र जीत कौर ने वज़ीर के एक लड़के पर इलज़ाम लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : अब तो उस से कई items आगे चले गए हैं। Question Hour dispense with हो गया था। आप को House में हाज़िर होना चाहिये था। (Now we have gone ahead a number of items. The question hour was dispensed with. He should have been present in the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह एक बहुत important सी चीज़ है। आज तो उस मिनिस्टर साहिब का नाम भी अखबारों में भी निकल गया है।

Mr. Speaker : I am sorry, this is not the stage.

श्री बलराम दास टण्डन : मेरी भी एक adjournment motion थी। I met you outside the house to tell you this thing but I did not know that there would be no question hour to-day.

Mr. Speaker : The Question hour has been dispensed with in view of the bulk of the business on the agenda to-day.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, बहुत [sensational बातें थीं जो कि अखबारात में भी छाया हुई हैं और उन में यह कहा गया है कि एक वज़ीर साहिब के लड़के ऐसा करते हैं। और आज तो अखबारों में उस का नाम भी साफ आ गया है। फिर स्पीकर साहिब, हमें पता नहीं था कि question hour dispense with कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उस के लिये मिनिस्टर साहिब की तरफ से बाकायदा तजवीज़ आई थी। इस लिये वह dispense with किया गया था। (A regular proposal had been made by the hon. Minister and thus it was dispensed with.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Agenda में जब यह दर्ज था कि question hour होगा, तो हमें कैसे पता लग सकता था कि यह dispense with कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : हाउस में यह तजवीज़ किया गया था कि question hour dispense with कर दिया जाये और Leader of the Opposition ने इस पर एतराज भी नहीं किया था। इस लिये यह dispense with कर दिया गया था। (It was porposed in the House that the question hour be dispensed with and even the Leader of the Opposition did not object to it. Therefore, it was dispensed with.)

कंवरानी जगदीश कौर : यह स्त्री जाति का मामला है। This is most important, Sir.

Mr. Speaker : But this is not the stage. Now we proceed with the Bill under consideration.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज सदन के सामने Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase-Tax and Miscellaneous Provisions Bill, 1958. डाक्टर साहिब ने रखा है। इस पर विस्तार के साथ अपने विचारों को रखते हुए जो बातें मिनिस्टर साहिब ने कहीं हैं और इस के साथ ही इस बिल की statement of objects and reasons के अन्दर जो कुछ बताया गया है, स्पीकर साहिब, मैं समझता हूं कि इस पर किसी की दो रायें नहीं हो सकतीं। इस में यह साफ तौर पर लिखा हुआ है . . .

> This procedure, besides saving the mercantile community of maintaining tedious account will do away with the evasion of sales-tax and save the Governments of some administrative cost.

मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कपड़े, खांड और तम्बाकू के बारे में इस तरीके के साथ केन्द्र की सरकार ने सोचा है। वैसे तो पंजाब के अन्दर ही नहीं बल्कि सारे भारतवर्ष के अन्दर सारे Sales Tax के बारे में इस तरीका का रवैया अपनाया जाये, इस के बारे में लोगों ने एक बार नहीं, कई बार यही reasons दे कर के कहा और यही विचार दे कर कई बार सरकार के सामने यह बात रखी गई थी। काश कि सरकार इस बात पर भी सोचती और बाकी की सारी चीज़ों को भी इसी line पर लाने की कोशिश करती। यदि वह ऐसा करती तो सारी mercantile community इस को बधाई देती और सरकार के taxes का जो evasion होता है और जिन taxes से सरकार की treasury के अन्दर ज़्यादा धन मिल सकता है जिसके बारे में हमेशा ही इस हाऊस के अन्दर भी विचार होता रहा है, से काफी फायदा हो सकता है। लेकिन इस बात पर इस तरीका से सोचा नहीं गया और न ही विचार किया गया है। लेकिन फिर भी मैं इस बात के लिये जो इस बिल में लाई गई है ज़रूर मुबारिकबाद इसे देना चाहता हूं। लेकिन मिनिस्टर साहिब ने जो यह बात की है कि व्यापारियों के जो नुमायंदे आये थे उन के साथ उन की जो बात चीत हुई उस से उन की तसल्ली हो गई थी और हम ने 1/6 हिस्सा लेना decide कर लिया था। मुझे बड़े अफ़सोस से यह कहना पड़ता है कि वे लोग किसी प्रकार की तसल्ली लेकर यहां से नहीं गये। कितने दिन तो वे यहां पर घूमते रहे और एक के बाद दूसरे वज़ीर और उस के बाद तीसरे वज़ीर के पास भी वे फरियाद ले कर पहुंचे और अपनी बातें उन के गोशगुज़ार कीं

ग्रौर उन्हें सारे हालात दिखाने की कोशिश की खासकर उस सूरत की तरफ ध्यान दिलाया जब कि साथ ही के सूबा दिल्ली के ग्रन्दर वहां के व्यापारियों को इस मामले में ज्यादा सहूलियात दी गई हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारी खुद पंजाब की सरकार ग्रगर इस बारे में नहीं सोचती कि इन चीजों का फैसला करते हुए हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिये कि हमारा एक सीमावर्ती प्रांत है . . .

चौधरी बलबीर सिंह : On point of order, Sir. यह जो Ordinance है यह *ultra vires* of the Constitution है इस लिये . . . . .

Mr. Speaker : Better go to the Court. I am not here to judge whether it is *ultra vires* or not.

चौधरी बलबीर सिंह : नहीं स्पीकर साहिब, यह जो Ordinance है यह हमारी constitution के विरुद्ध है इस लिये यह यहां पर नहीं लाया जा सकता।

Mr. Speaker : You better go to the court.

चौधरी बलबीर सिंह : पर स्पीकर साहिब, हमारे पास जब कोई चीज़ पेश हो तो. . . .

ग्रध्यक्ष महोदय : इस पर मैं कोई judicial decision तो दे नहीं सकता। वह तो court ही दे सकती है। (I cannot give any judicial decision on this. Only a court can do so.)

चौधरी बलबीर सिंह : स्पीकर साहिब, constitution में यह दिया हुग्रा है कि जब ग्रसैंबली को छः हफ्ते meet करते हुए हो गये हों तो छः हफ्तों के बाद वह Ordinance खत्म हो जाता है। इस लिये क्योंकि इस Assembly को meet करते हुए 6 हफ्तों से ज्यादा वक्त हो गया है इस लिये इसे ग्रब यहां पेश करने का सवाल ही नहीं उठता।

ग्रध्यक्ष महोदय : यह तो बिल है, Ordinance नहीं है। (This is a Bill and not an Ordinance.) He may please resume his seat.

श्री बलराम दास टंडन : तो स्पीकर साहिब, मैं ग्राप की सेवा में ग्रर्ज़ कर रहा था कि हमारी पंजाब सरकार ग्रगर खुद इस बात को न सोचे कि हमारा एक सीमावर्ती प्रांत है, जब कि इस को इस बात का फैसला करते हुए इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिये कि सीमा पर रहने वाले लोगों को कम ग्रज़ कम यह रियायत दी जानी चाहिये, तो मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार से यह कह कर कि यह एक सीमावर्त्ती प्रान्त है किसी किस्म की रियायत नहीं मिल सकती ग्रौर morally भी हमें उस से कोई रियायत मांगने का हक नहीं रह जाता। दिल्ली के ग्रन्दर बैठी हुई सरकार जो हिन्दुस्तान की सरकार का एक हिस्सा है, उस ने तो ग्रपने प्रांत के लोगों का ख्याल रखा है लेकिन हमारी पंजाब सरकार ने इस प्रांत का एक सीमावर्त्ती प्रांत होते हुए भी ध्यान नहीं रखा। वज़ीर साहिब के सामने मैंने भी ग्रौर जो व्यापारियों के नुमाइंदे थे उन्होंने भी इस बात को रखा ग्रौर यह कहा कि दिल्ली के ग्रन्दर दिल्ली की सरकार ने ऐसे कामों के लिये, 1956-57 में इस tax का जो हिस्सा compound करने की ग्राज्ञा दी है, ग्रौर जितनी payment वहां के व्यापारियों ने की है उसी हिसाब से यहां के व्यापारियों को payment करने की ग्राज्ञा दी जाये तो

[श्री बलराम दास टंडन]

वज़ीर साहिब ने कहा कि इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं बशर्ते कि आप वहां का जो gazette है वह ला कर मुझे दिखायें। कई दिन तो उस gazette के लाने में लग गये। खैर वह gazette लाया गया और इन की सेवा में रखा गया। लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां चाहिये तो यह था कि जैसे दिल्ली की सरकार ने अपने प्रांत के लोगों का ख्याल रख कर यह किया कि पिछले साल जितना tax वह देते थे उस के मुताबिक उस ने 1/12 हिस्सा charge किया है उसी तरह मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को सीमा पर बैठे लोगों की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए 1/24 हिस्सा उन से लेना चाहिये था। अगर सरकार इस तरीके के साथ अपने सरहद्दी प्रान्त के अन्दर यह समझती है कि लोगों को कुछ सहूलतें दी जायें तो इसे चाहिये कि जिस तरीका से दिल्ली की सरकार, दिल्ली में 1/12 हिस्सा लेती है तो यह सरकार 1/24 हिस्सा लेना मान ले। लेकिन उन के प्रोटैस्ट के बावजूद, उन के कहने के बावजूद सरकार ने उन पर 1/6 हिस्सा थोपा है। फिर वज़ीर साहिब कहते हैं कि यह उन की रज़ामंदी से हुआ है। मैं आप की सेवा में बताना चाहता हूं कि जब वह फैसला करके आए तो उन्होंने बताया कि हम तो दस्तखत नहीं कर सकते थे। हम जिस बात को लेकर व्यापारियों से आए थे यानी 1/12 को तो उस से अगर कम हो जाता तब तो हम दस्तखत कर सकते थे मगर ज़्यादा के लिये हम औथोराइज्ड नहीं थे लेकिन जो सरकारी नुमांयदें थे उन्होंने प्रैशर डाला तो हम सिवाए उठ आने के और क्या कर सकते थे बिना सिगनेचर किए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सीमावर्त्ती सूबा है, हम को रियायत मिलनी चाहिये निसबत अन्य सूबों के। यहां तो यह 1/24 करना चाहिये और अगर कोई खास कारण हो कि ऐसा नहीं हो सकता तो 1/12 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिये। बाकी यह जो खांड और कपड़े वगैरह के बारे किया जा रहा है तो यह कोई विशेष बात नहीं है। खांड तो पहले ही पंजाब में बहुत कम बनती है। कोशिश यह होनी चाहिये कि यह सिलसिला और चीज़ों के बारे भी किया जाए। मगर यह 1/12 हिस्से से ज़्यादा करना ठीक नहीं है। इस को डिफैंड करने के लिये सरकार के पास कोई कारण नहीं है।

जहां तक टैक्स का इवेयन (evasion) हो रहा है वह किसी न किसी तरीके से सरकार की जेब में जाना चाहिये, इस के खज़ाने में जाना चाहिये ताकि इस से सूबा को आगे बढ़ाया जा सके। कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिस से यह पैसा सरकार के पास पहुंच सके और सूबे के काम आगे बढ़ सकें और व्यापारियों का सरदर्द भी खत्म हो सके। तो मैं समझता हूं कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान देकर बाकी चीज़ों पर भी लागू करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा किया गया तो यह मसला खत्म हो जाएगा और हम सारे हिंदुस्तान को लीड देंगे।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : On a point of order, Sir. ਇਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ Rules of Procedure ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ Clause 191 ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕ resolution ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

"The Speaker shall allot time for the discussion of the resolution of which notice has been given under sub-rule (2) :

Provided that a period not exceeding two hours shall be allotted for the purpose if notice of a Bill on the subject matter of the Ordinance has been received by the Secretary :

Provided further that such discussion shall be held before the discussion on the Bill"

अध्यक्ष महोदय : कहां है वह resolution ? (Where is that resolution ?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ Secretary ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ।

Chaudhri Balbir Singh : Pandit Shri Ram Sharma has given notice of the following resolution to be moved during the current session of the Punjab Legislative Assembly, under Clause (2) (a) of Article 213 of the Constitution of India :

That this House disapproves the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax Miscellaneous Provisions Ordinance, 1957.

अध्यक्ष महोदय : पंडित जी तो मौजूद नहीं हैं.........(Pandit ji is not present.........................)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

अध्यक्ष महोदय : मौजूद थे तो अगर खड़े न हों तो कैसे move हो। (विघ्न) जिस के नाम में resolution है अगर वह move नहीं करता तो क्या हो सकता है ? (Even if he was present but he did not rise, how could it be moved ?) (*interruptions*) What can be done if the hon. Member in whose name the resolution stands does not move it ?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ.......

अध्यक्ष महोदय : अगर वह move न करें तो क्या करूं । (What can I do if he does not move it?)

Chaudhri Balbir Singh : That has been circulated.

Mr. Speaker : I am sorry this is not on the Order Paper.

Chaudhri Balbir Singh : Sir, it has been circulated and it is on the Order Paper.

Mr. Speaker : No body claimed this right.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ Bill ਤੇ discussion ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ call upon ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Mr Speaker: He did not get up. Order, please

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਉਸ ਤੇ discussion ਨਹੀਂ ਹੋਈ .....

अध्यक्ष महोदय: पर कोई claim न करे तो मैं क्या करूं। (What can I do if no body claims for his right to move something.)

Chaudhri Balbir Singh : He was not called upon.

Mr. Speaker : I am told the Ordinance lapsed fifteen days ago.

Chaudhri Balbir Singh : It might have lapsed after the discussion of the Bill which is connected with the Ordinance.

Mr. Speaker : How can it be. There is a Fill on that. Please resume your seat. There is no Ordinance.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Ordinance ਮੁਤਾਲਕਾ ਜੋ Bill ਹੈ....

अध्यक्ष महोदय : आप mis-infrom क्यों करते हैं। Ordinance lapse हो चुकी है। (Why does the hon. Member impart wrong information? The Ord nance has lapsed.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਲੇਕਿਨ Ordinance ਦੇ ਮੁਤਾਲਕਾ ਜੋ Bill ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, this has been circulated.

Mr. Speaker: Order, please. Yes, Shri Ram Pi r t speak.

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, यह जो पंजाब टैक्सटाइल ऐंड शूगर (ऐग्जिस्टिंग स्टाक) परचेज़ टैक्स ऐंड मिसलेनियस प्रोवियन्ज़ बिल है, इस के बारे में मैं एक दो बातें कहना चाहता हूं।

वैसे तो वज़ीर साहिब ने फरमाया है कि जो कपड़े के व्यापारी परचेज़ टैक्स के अन्दर रजिस्टर थे उन को भी कह दिया गया है और शायद ऐक्साइज़ ऐंड टैक्सेशन कमिश्नर ने भी स्टेटमेंट दे दी हो कि उन से दोबारा सेल्ज़ टैक्स नहीं लिया जाएगा। जहां तक मेरी इत्तलाह है ऐक्साइज़ ऐंड टैक्सेशन अफसर को यह इत्तलाह तो पहुंच गई है कि उन से दोबारा नहीं लेना चूंकि उन्होंने टैक्स दे दिया है लेकिन अभी डीलर्ज़ को ससपैंस है क्योंकि उन्हें यह फाइनली नहीं बताया गया कि तुम्हारे ऊपर यह टैक्स लागू नहीं होता है। यह चीज़ गवर्नमेंट को वाज़ह कर देनी चाहिये ताकि उन लोगों की परेशानी दूर हो।

दूसरी अर्ज़ यह है कि जो डीलर्ज़ परचेज़ टैक्स के लिये रिजिस्टर्ड थे वे कपड़ा खरीदते वक्त ऐक्चुअल इनवाइस की कीमत दिखा कर उस पर साढ़े सात फीसदी प्रौफिट ऐड करके सेल्ज़ टैक्स देते थे। जहां तक उन के मुकाबले में दूसरे क्लाथ डीलर्ज़ का ताल्लुक है वह जब सेल्ज़ हो जाती है उन पर प्रौफिट आ जाता है तब उस पर टैक्स देते हैं। जो दुकानदार परचेज़ टैक्स दिया करते थे उन के मुनाफे में साढे सात फीसदी से कम मुनाफे हुए हैं तो मैं वजीर साहिब से कहूंगा कि जिन ऐसे दुकानदारों से इस तरह से जो ज़्यादा सेल्ज़ टैक्स लिया गया है वह उन को रिफंड होना चाहिये ताकि परचेज़ वाले और सेल्ज़ वाले दोनों ऐटपार हों। अगर यह नहीं किया जाता तो परचेज़ टैक्स वाले सेल्ज़ टैक्स वालों के मुकाबले में घाटे में रहेंगे और उन दोनों से मुसावी सलूक न होगा। इस लिये मैं प्रार्थना करूंगा कि यह वापिस करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय (चौधरी बलबीर सिंह को सम्बोधन करके) : आप का जो point of order है 191 के नीचे यह उस Ordinance के बारे में है जो exist करता है और जिस को disapprove करना हो। जिस वक्त यह notice दिया गया उस वक्त यह Ordinance exist करता था। 15 दिन हुए यह Ordinance lapse हो गया। अब इस को disapprove करने का सवाल ही नहीं आता। (*Addressing Chaudhri Balbir Singh*) (The hon. Member's point of order under clause 191 pertains to that Ordinance which is operative and has to be disapproved. When notice of the resolution was given the Ordinance was operative. It lapsed 15 days ago. There is no question of its disapproval now.)

चौधरी बलबीर सिंह : लेकिन यह भी तो है।

Provided further that such discussion shall be held before the discussion on the Bill.

अध्यक्ष महोदय : मगर जब Ordinance मौजूद हो तब ही disapprove होगा। (But the ordinance will be disapproved only when it is operative.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 'ਜਨਰਲ') : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਅਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਕਾਂਸਟੀਚੂਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟ ਬੁਕ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਲਿਆਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਪਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਸ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਖ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਪਖ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਡਾ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਰੀਟ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਹਾਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਾਨਸਟੀਚੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਗਫਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪ ਇਸ ਗਲ ਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਵਲ ਦਿਵਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ:—

> The Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) purchase tax and miscellaneous provisions Bill, 1958.

ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਵਿਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਪਰ ਅਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪਾਸ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਅਜ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੇ ਅਜ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਮਨ ਚੁਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ 'ਚੇਂਜ ਓਵਰ' ਕਰਨ ਲਗਿਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਨਿਆ

ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ 13 ਮਈ, 1954 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਲ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਬੇਸਿਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ 13 ਮਈ, 1954 ਦੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਟਿਡ ਕਾਪੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ :—

> "The Chief Minister posed a question to the Excise and Taxation Commissioner as to the position of the goods on hand of a registered dealer when he changed over from 'Sales basis' to 'Purchase basis". The Excise and Taxation Commissioner explained that the value of such goods on hand of a registered dealer when he changes over from 'sales basis' to 'purchase basis'. The Excise and Taxation Commissioner explained that the value of such goods shall be included in the value of the goods purchased by the dealer and taxed for the reason that the registered dealer had purchased these goods tax-free on the strength of his registration certificate and tax must be paid on the sale thereof, when such sale is calculated even on the purchase value of the goods *plus* 7½ per cent as margin of profit. This position, the Beopar Manda vehemently contested. The Beopar Mandal was of the opinion that such goods should not be taxed at all as they were stock in hand only. What Government was changing was the mode of collection only and there was, therefore, no justification for taxing the stock in hand, which would be very hard. The Chief Minister and the Finance Minister, however, saw absolutely no logic in the Beopar Mandal's stand. This item was left inconclusive for further consideration of Government and the Beopar Mandal after the Beopar Mandal had discussed it with the Excise and Taxation Commissioner."

ਇਹ ਚੀਜ਼ 13 ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚ ਕੋਈ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਲਾਜਿਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ । ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ । 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ । ਜੋ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਅਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਲਈ ਸੀ । 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ:—

> "There was a considerable controversy over the question whether the stock in hand of a dealer on the eve of his change over from the sale basis to purchase basis should be taxed or not. Whereas the Beopar Mandal wanted that it should not be taxed, the department, as represented by the Excise and Taxtation Commissioner, saw no reason why it should not."

ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ view ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

> "The Chief Minister, as a gesture of goodwill and accommodation, agreed that the stock in hand should not be taxed and the following formula was agreed on between the Punjab Government and the Punjab Beopar Mandal—
>
> (2) No tax would be levied on the stock ......
> in hand of a dealer when he changes over from the sale basis to purchase basis......"

ਏਸੇ issue ਉਪਰ, ਇਸ basis ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ । ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ thrash out ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ view point ਰਖਿਆ । ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਅੱਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ।

3 p.m.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋਹ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਲ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

The Minister for Planning and Community Projects:—I never said it, Sir.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ......

योजना मन्त्री:—बिल्कुल गलत ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਾਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह वैसे ही कह रहे हैं । इन्हों ने सुना नहीं ।

योजना मन्त्री: आप घबरायें मत सब सुन रहा हूं ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਡਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ exempt ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । Wholesale dealer ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ existing stock ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਉਪਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉ-ਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ existing stock ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ disparity ਦਾ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਡਿਆਂ ਵਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਤੌਖਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ fit in ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ clearly ਇਕ competition ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਲ ਸੇਲ ਡੀਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਵਿਉਪਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਟ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ purely disparity ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਵਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ । ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰ-ਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਉਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 1/12 ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ $\frac{1}{4}$ ਵਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਡੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ignore ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਸੂਲ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ liberally consider ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਕਟ last stage ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ Commissioner ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੋ ਮਗਰਮਛ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਮਛੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਛੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਟਰੇਡ (trade) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, Capital ਹੈ ਔਰ ਇਥੇ trader ਰੁਪਿਆ invest ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਥੇ traders ਨੂੰ incentive ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲੀ ਦੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ grant ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਉਲ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ trader ਨੂੰ incentive ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰੀ pound of flesh ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ordinance ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਜ ਉਸ ordinance ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ act ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ordinance ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ existing stock ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ this is not a tax but a loot.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, इस बिल के सम्बन्ध में बड़ी अजीब सी position है। जिस चीज पर यह based है वह एक Ordinance था वह 6 हफ्ते के बाद lapse हो चुका ; और वह lapse हुआ जनवरी के महीने में। उस Ordinance के तहत इस गवर्नमेंट ने कुछ कार्यवाहियां की हुई हैं उनको legalize और regularise करने के लिये यह Act लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह

बिल्कुल Ordinance की नकल कर दी गई है । मैं समझता हूं कि डाक्टर साहिब ने इसको पढ़ा नहीं है । इस के अन्दर जो पहिला क्लाज़ है उसका मतलब है कि जिस रोज यह बिल पास हो जाये और Act बन जाए उस वक्त यह existing stock होगा । लेकिन आगे चल कर sections 3 और 4 के अन्दर यह ज़ाहिर होता है कि 14 दिसम्बर से पहिले वाले stock के ऊपर यह apply करेगा । इस लिये यह clear नहीं है ।

यह लगना किन पर है ? Existing पर नहीं लगना बल्कि जो माल बिक चुका है, और dealers के पास नहीं है उन पर लगना है । मैं समझता हूं कि यह Ordinance की बिल्कुल नकल कर दी गई है । न डाक्टर साहिब ने और न ही और किसी ने इस को पढ़ा है । यह वैसे का वैसा ही हमारे सामने रख दिया गया है। जब यह बिल Act की शक्ल में दुनियां के सामने जाएगा और lawyers व Advocates जब इसको पढ़ेंगे तो हंसेंगे ।

मैं दो तीन बातों के बारे में तवज्जुह दिलाना चाहता हूं । Section 4 में इसके अन्दर दर्ज है—

"Every dealer, shall, within a period of fiteen days from the 14th December, 1957, furnish to the assessing authority, a return of chargeable goods in the prescribed form and manner".

यानी यह बिल भी खत्म हो लिया । इससे ज़ाहिर होता है कि लोग ज्योतिश सीखें कि चाहे 14 दिसम्बर भी खत्म हो चुका है पर वह 15 दिन के अंदर ही return दाखल करे यह उसको जानना ज़रूरी है । पर यह कैसे हो सकता है । अब डिलर 14 दिसम्बर से 15 दिन के अन्दर कैसे returns दाखिल कर सकता है क्योंकि वह अरसा भी गुज़र चुका है । आगे चलकर section 5 में है—

"Every dealer, who has furnished a return under section 4, shall, within a period of three months from the 14th December, 1957".

जो टैक्स होगा वह दाखिल करेंगे within 3 months from 14th December, 1957 जोकि 14th March को खत्म हो जाता है। बिल आज 7 अप्रैल को ला रहे हैं और रुपया दाखिल करने की मियाद 14 मार्च को खत्म हो चुकी है। अब dealer किस प्रकार मियाद के अन्दर रुपया दाखिल कर सकता है।

इसके बाद section 13 में कहा गया है कि जो टैक्स दाखिल नहीं करेंगे, as required by section 5, उनको penalty देनी होगी ।

"If any dealer fails without sufficient cause, to pay the amount of tax as required by section 5...... he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees."

स्पीकर साहिब, इसस साफ ज़ाहिर है कि इस बिल को पढ़ा नहीं है बल्कि Ordinance की नकल कर दी है। उन्होंने समझा कि कौन इस पर M.L.A. ऐतराज़ करेगा या देखेगा। इसलिए Ordinance की नकल ही कर दी गई । मैंने जो clauses पढ़ कर सुनाईं उनसे मुज़हका खेज़ पोज़ीशन होती है, dealers

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

की, गवर्नमेंट की और tax payers की। अभी आप के सामने चौधरी बलबीर सिंह ने बताया कि जो wholesale dealers थे उनको बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन cotton को ले लिया क्योंकि गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। और silk को छोड़ दिया क्योंकि अमीर आदमी इस्तेमाल करता है। इसी तरह हाथ के बुने कपड़े को छोड़ दिया क्योंकि उसको कांग्रेस वाले इस्तेमाल करते हैं। इस तरह सरमायादारों को और अपने साथियों को जो इसके अन्दर deal with करते हैं उनको बचा लिया।

स्पीकर साहिब, आगे चलकर देखिए कि Assessing Authority को इतने अख्तियार दिये हैं जितने कि परमात्मा को भी नहीं होते। उनकी मर्जी के ऊपर यह बात है कि जितना टैक्स की composition करना चाहें, कर दें और जितना घटाना चाहें उतना घटा दें।

मैं ने बड़े बिल्स देखे हैं लेकिन इतने powers किसी authority को नहीं दिये गये। और वह अख्तियार हैं—

> "Provided further that the Commissioner may accept from a dealer such lump-sum by way of composition of the tax payable under this Act as he may deem fit and permit payment thereof by instalments......".

इस से corruption के दरवाज़े खोल दिये हैं। और उनकी मर्ज़ी पर यह बात छोड़ दी गई है कि चाहे वह 25 हज़ार पर 5 रुपया लगाये या 2 हज़ार पर 2 रुपया रख ले। यह एक और corruption का दरवाज़ा है। मैं कहूँगा कि इतने अख्तयारात न दिये जाएँ। इस के अलावा, स्पीकर साहिब, दो-तीन चीज़ें और हैं जिन की तरफ मैं खास तौर पर तवज्जोह दिलाना चाहता हूं। एक बात यह है कि जब government किसी के ऊपर tax लगाती है तो उस आदमी को appeal करने का हक होता है। लेकिन हमारी Government ने एक तरफ दिखावे के तौर पर appeal का हक दिया है मगर साथ ही यह भी कह दिया है कि पहले सारा tax अदा करने के बाद अपील की जा सकती है। इस का मतलब यह है कि एक तरह से Government ने अपील करने के हक को छीन लिया है। इस के साथ ही इस Bill में यह भी लिख दिया है कि अगर कोई dealer, tax देने के काबिल न हो तो वह appellate authority को दरखास्त दे देवे। स्पीकर साहिब, ऐसे cases जो होंगे उन को यह कह कर reject कर दिया जाएगा कि उन्होंने पैसे दाखल नहीं करवाए। जनाब स्पीकर साहिब, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी tax लगते रहे हैं लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसी चीज़ नहीं की थी जैसी कि अब हमारी Government कर रही है।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ: ਤੁਸੀਂ Sales Tax Bill ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ।

चौधरी धर्म सिंह राठी: पढ़ रखा है, आप ने नहीं पढ़ा होगा।

इस के, अलावा, जनाब स्पीकर साहिब, आगे चल कर इस Bill में Rules के मुतअल्लिक एक clause है। वह भी clear नहीं है। इस लिए मैं यह कहूंगा कि यह सारे का सारा Bill, unconstitutional है क्योंकि जो चीज़ें exist नहीं करतीं उन पर tax नहीं लगाया जा सकता। जो stocks चार महीने पहले exist करते थे उन पर purchase tax कैसे लगाया जा सकता है। यह जो Bill है बिल्कुल आईन के खिलाफ है और इस की bad drafting हुई है। जब यह Bill courts में challenge किया जाएगा और Advocates के हाथों में जाएगा तो वह हमारा मज़ाक उड़ाएंगे। इस लिए मैं अपनी Government को request करूंगा कि वह इस Bill को वापस ले कर, दोबारा एक अच्छा draft बना कर इस को अच्छे तरीके से लाए। जो पहला Ordinance था वह lapse हो चुका है। इस लिए यह जो Bill लाया जा रहा है यह बिल्कुल फजूल है। इस से Government किसी के पास से एक धेला भी वसूल नहीं कर सकती। इस को पास करने पर हमारी Government खामुखाह time waste कर रही है। उन को चाहिए था कि 11 February को जिस रोज़ पहले दिन Assembly बैठी थी, जिस दिन Land Revenue Bill पेश किया गया था उस दिन यह Bill पेश किया जाता। उस वक्त तो यह इस Bill को लाए नहीं लेकिन अब कहते हैं कि इस को जूं का तूं पास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। इस लिए मैं Government से दरखास्त करूंगा कि यह Bill सारे का सारा खराब बना हुआ है और unconstitutional है, इस लिए यह वापस ले लिया जाए और अगर Government वापस लेने के लिए तैयार नहीं तो मैं House को request करूंगा कि वह इस को पास न करे।

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाबे वाला, इस Bill के खिलाफ जो कुछ कहा गया है उस को अगर मान लिया जाए और इस Bill को out of order मान लिया जाए तब भी मैं कहूंगा कि मेरे सामने वाले दोस्त उस बात पर अफसोस करेंगे। उन्होंने एतराज़ यह उठाया है कि stocks अब exist नहीं करते हैं और साथ ही उन से Sales Tax उठ गया है इस लिए अब Purchase Tax नहीं लिया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा कानून है जिस की रूह से वे निकल गए हैं और वह कैसे कहते हैं कि Ordinance lapse हो गया है। Bill के अंदर यह provision है कि 3 रुपये 2 आने के हिसाब से या कुछ luxury goods पर 6 1/4 रुपये के हिसाब से हरेक Registered Dealer को देना पड़ेगा चाहे वह wholesale dealer हो या retail dealer हो। अब हम उस Ordinance के मुद्दे को पूरा करने के लिए यह Bill ला रहे हैं। जब House meet नहीं कर सकता तो उस वक्त गवर्नर साहिब

[योजना मंत्री]

Ordinance जारी करते हैं। उस वक्त क्योंकि Legislature in session नहीं था इसलिए 13 December की शाम को Ordinance issue किया गया ताकि 14 December को उस की enforcement हो जाए। मेरे सामने बैठे मेम्बर साहिब ने कहा है कि यह Bill ठीक तरह से draft नहीं किया गया। मैं उन को बताना चाहता हूं कि इस में कोई lacuna नहीं है। Ordinance जारी करने से पहले हम को यह अख्तियार नहीं था कि हम purchase tax, exempted goods पर लगा सकें। Constitutionally हम उन आदमियों पर, जो माल import करते थे और जो Registered dealers थे, purchase tax नहीं लगा सकते थे। बाकी जो unregistered dealers हैं उन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए Registered dealers पर purchase tax लगाने के लिए Ordinance जारी किया गया था। यह sales tax नहीं है। Purchase Tax और sales tax इन दोनों में फर्क है।

(At this stage Shri Dharam Singh Rathi was seen going in the lobby.)

वह lawyer साहिब ज़रा सुन तो जाएं जिन्होंने इस Bill को criticise किया है। उन्होंने कहा था कि वज़ीर मुतअल्लिका ने इस Bill को पढ़ा नहीं है। मैं उन को कहना चाहता हूं कि उन्होंने खुद न इस Bill को पढ़ा है और न Government of India के Act को पढ़ा है। उन को पता होना चाहिए कि जब Ordinance जारी हो जाता है तो उस में Act की force होती है। Ordinance जारी होने के बाद जिस दिन House शुरू हो उस date से लेकर छः weeks तक उस को Act की शक्ल मिल जानी चाहिए नहीं तो वह खुद बखुद repeal हो जाएगा। मैं मानता हूं कि अभी तक यह Act नहीं बना लेकिन Bill introduce हो गया था। Bill जो होता है वह पास होने के बाद Act बन सकता है। इस लिए मेम्बर साहिब इस Bill को कैसे कह सकते हैं कि यह illegal है। मैं इतना कानून पढ़ा हुआ तो नहीं लेकिन जो common-sense मैं as legislator रखता हूं उस की बिना पर कह सकता हूं कि यह Bill quite in order है। It is not out of order. अगर राठी साहिब को किसी client ने engage कर लिया और इन्होंने High Court में जा कर इसी तरीके से case argue किया तो वह बेचारा डूबेगा। वह यह कहेगा कि मेरा वकील इस कानून को जानता नहीं है। (*interruption*) राठी साहिब ने कहा था कि Ordinance lapse हो गया था और उस के lapse हो जाने के बाद Bill नहीं पेश किया जा सकता। यह उन की बात गलत है और मैं समझता हूं कि यह Bill Rules के मुताबिक पेश हुआ है। और मैं इसे पेश कर सकता हूं।

मुझ को शायद न सुना हो मैं मानता हूं लेकिन जो चीज़ कही गई है वह उन को चुभ गई है । चूंकि बात चुभ गई है इस लिए इस के मायने यह हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूं । इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि जो चीज़ आई है और जिस पर legal objection किया गया है वह दरअसल legal objection नहीं है और मैं तो उसे illegal objection कहूंगा । फिर उस में एक दूसरी बात कही गई है । उस Section को पढ़ कर सुनाया गया कि existing stocks की तारीफ नहीं है, registered dealers की तारीफ नहीं है । Purchase की तारीफ नहीं है वगैरह वगैरह, कई बातें कही गई । मगर मेरा ख्याल है कि इन्हों ने पढ़ा नहीं; purchase का तो लिखा है कि क्या तारीफ होगी और यह सब बात लिखी हुई है । लेकिन उनके objection की main ground तो यह है कि Ordinance की कापी कर ली और फिर बिल बना कर ले आए । यह बात ठीक है कि Ordinance की बात इस में दर्ज है । जो Ordinance था उसी का बिल बनना था इस लिए जो provisions उस में थे वही इस में मौजूद हैं । हम कोई नई चीज़ नहीं लाए हैं और वही चीज़ लाए हैं जो उसमें थी लेकिन इस चीज़ को लाने में कोई चीज़ debar नहीं करती है । मुझे आप बताएं कि कौन सी चीज़ है जो ऐसा करने से debar करती है । मैं अर्ज़ करता हूं कि मुझे कोई चीज़ इसको पेश करने से debar नहीं कर सकती है और यह कोई valid एतराज़ नहीं है । फिर इस में एक और बात कही गई जो बहुत ही अजीब थी । यह कहा गया कि pure silk cloth को exempt कर दिया है । मैं यह सुन कर बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसी बातें करते हैं । आया इन्होंने इस बिल को पढ़ा भी है या कि नहीं । खुदा के वास्ते ज़रा इस को पढ़ना तो था कि इसमें कहां लिखा है कि उसे exempt कर दिया । जो चीज़ exempted है वह already exempted थी और उसको अब include नहीं किया । वैसे भी अगर देखा जाए तो pure silk पर तो टैक्स ज्यादा है । Pure silk luxury goods में आती है और इस पर जो luxury goods का double tax है उस के मुताबिक लगेगा । तो फिर यह exempt कैसे हो गया । उसको sales tax से निकाला नहीं गया है बल्कि उस पर तो double rate होगा । यह ठीक है कि hand-woven and hand-spun Khadi cloth है उस की इमदाद के लिए sales tax नहीं है । लेकिन यह बात हम ने आज ही नहीं की है । Before partition भी और after partition भी जो कानून था उसमें यह exempt था और सारे India में ही exempt है । यह कोई नई बात नहीं है । यह इस लिए नहीं है कि चूंकि मैं खादी पहनता हूं इस लिए उस पर sales tax नहीं रखा । उनको पता नहीं कि क्यों ऐसे ख्वाब आते रहते हैं । यह तो already exempt था । Before partition भी, जो Sales Tax Act था उसमें भी exempt था । इस में तो हम ने यह किया है कि जो exclusively

[योजना मंत्री]

Khadi Cloth में deal करता हो उस पर यह exemption लागू है। लेकिन जो दूसरा आदमी खादी भी रखता बेचता हो और दूसरा भी cloth रखता बेचता हो उस को यह देना पड़ेगा। हां, Purely Khadi cloth के अन्दर जो deal करता हो और दूसरी चीजें बेशक रखता हो लेकिन cloth का जहां तक ताल्लुक है वह खादी ही रखता हो तो वह exempted है। फिर उन्होंने कह दिया कि हम ने Excise and Taxation Commissioner को power दे दी कि वह commute कर दे। मैं नहीं समझता कि अगर वह commute न करे तो और कौन करे। जो assess करता है अगर वह commute भी करता है तो इस में कौन सी बात है। अगर वह न करे तो क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रपति को बुलाया जाए कि वह आ कर commute करे? अगर कोई Excise and Taxation Officer assess करता है तो वह commute भी क्यों नहीं कर सकता? जिन को हम इतनी responsible posts देते हैं उन को duty के साथ right भी दिया जाता है कि वह ऐसा करें। इस के बाद चौधरी साहिब ने एक पुरानी बात कही कि उनकी 1954 में हमारे चीफ़ मिनिस्टर के साथ बात हुई थी कि जो खास category के dealers ordinary sales tax देने की बजाय purchase system का sales tax देना चाहते थे उनको रियायत दी थी कि उन पर यह नहीं लगेगा। लेकिन उन्होंने यह कह दिया कि purchase basis पर जिन्होंने turn over कर लिया तो उन्होंने sales tax system के साथ purchase tax दिया नहीं था। इस के मायने क्या हैं कि sales tax में exemption दे दी? Sales tax में exemption नहीं मिली थी बल्कि method of realisation of sales tax बदला था। उसके बाद उस में यह भी था कि जो purchase system पर आए हों वह फिर sales tax system पर नहीं जा सकते हैं और अगर जाएंगे तो पिछला सारा देना पड़ेगा। खैर मुझे उन सारी बातों में जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह एक category जो उस वक्त purchase system पर जाना चाहती थी उस से ऐसी रियायत की थी कि वह purchase system से sales tax दे दें और उस वक्त existing stocks पर नहीं लग सकता था लेकिन sales tax तो माफ नहीं किया गया है। इस में purchase system में जाने का सवाल नहीं इस वक्त तो purchase tax की बात है कि existing stocks पर जिन dealers ने sales-tax नहीं दिया है उस को commute करके realise कर रहे हैं। फिर agreement पर आए कि यह agreement मेरे साथ हुआ था। यह ठीक है कि मुझ से यह मांग की गई थी कि जैसे देहली में है वैसे ही यहां पर भी 1/24 कीजिए। मेरे दोस्त टण्डन बाबू भी तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था

कि फैसला कर लेना चाहिए और वह देहली वाली बात जो वह बताते थे वह मान ली जाए । मैं ने कहा कि देहली की तो मैं जानता नहीं हूं कि किस तरीके से उन्होंने लिया है । आप देहली वालों का Act और rules मंगाएं फिर उसको consider करेंगे, इतनी बात मैं ने कही थी और यह मैं ने कभी नहीं कहा कि मान लूंगा और मैं ने यह भी कभी नहीं कहा कि हम से गलती हो गई है कि हम ने नहीं लगाया। उस वक्त यह सवाल नहीं था । मैं ने कहा था कि Act और rules लाएं फिर देखते हैं कि उन्हों ने क्या किया है। उस वक्त rules बने नहीं थे। जिस वक्त देहली वालों के rules आए तो मैं ने कहा कि Act भी चाहिए क्योंकि मैं समझना चाहता था कि उन्होंने इस period के लिए sales tax कैसे नहीं लेना है और क्या उन्होंने purchase tax लिया हुआ है । जब उनके rules आये तो उन्होंने sales tax नहीं हटाया था। उस वक्त जो existing stocks थे उन पर sales tax नहीं हटाया और वसूल किया। Sales tax importers से भी लिया था। देहली में बहुत ज्यादा importers बैठे हुए हैं, उन से भी sales tax वसूल हुआ था । इस लिए उन्होंने sales-tax पूरा वसूल किया । दूसरों के साथ उन्होंने commute किया और sales tax का 1/12 commute किया । देहली की बात आप कहते हैं कि sales tax जारी है और यहां आप purchase tax लेते हैं। उस चीज़ को कह कर आप मुझ से कहते हैं कि 1/24 ले लें । मैं ने कहा कि किस ने ऐसी बेवकूफी की है और यह भी क्यों लिया और यह बात मैं अब भी कहता हूं । फिर बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि purchase tax लगा दिया तो लिया क्यों नहीं। मैं कहता हूं कि constitutionally हम ले ही नहीं सकते थे और इस लिए नहीं लिया । यह कहना कि जो अमीर आदमी था उस से नहीं लिया और जो गरीब आदमी था उस से ले लिया मगर मैं अर्ज करता हूं कि हम registered dealer से लेते हैं । Registered dealer अमीर भी हो सकता है गरीब भी हो सकता है क्योंकि जो importer है वह चाहे थोड़े रुपये का भी माल मंगाता हो उसे registered कराना पड़ता है । लेकिन मैं यह भी नहीं मानता हूं कि जो wholesaler है वह अमीर ही है क्योंकि वह import करता है। फिर इस में अमीर और गरीब का सवाल आना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह जो भी sales tax है वह उस ने अपनी गांठ से नहीं देना है बल्कि दूसरों से realise करके देना है । मेरी खुशकिस्मती है कि यह चीज़ इन्होंने भी मानी है कि दूसरों से realise करके देना है। तो इस में गरीबी की क्या बात आ गई । जो unregistered dealer है जिस ने माल sales tax दे कर खरीदा हुआ है वह तो पहले ही दे चुका । वह पहले देता है फिर माल खरीदता है और फिर realise करता है। असल में जो गरीब है वह unregistered dealer ही होता है। वह

[योजना मंत्री]

बाहर से माल मंगाने की ताकत नहीं रखता है और वह पहले sales tax दे कर माल खरीदता है और जिस की sale 50 हज़ार से कम है वह तो पहले ही sales tax दे चुका। असल गरीब तो वह है जो पहले दे चुका और उस की exemption का सवाल आता है। जिन्होंने purchase tax देना है माल उन्होंने आगे बेचना है और सारी cost जो माल पर होगी purchase tax वगैरह की वह उस में डालेगा और उसे आगे ग्राहकों से वसूल कर लेगा और वह purchase tax sales tax समझा जाएगा। अगर वह income पर डालता है और sales tax अगर नहीं लिया तो income tax देने के वक्त वापसी की बात आ जाती है। जो tax वह गवर्नमेंट को देता है वह उसे वसूल करता है। अपनी जेब से कुछ भी नहीं देता है। इस लिए इसमें अमीर गरीब का सवाल नहीं आता है।

छोटे व्यापारियों के बारे में कुछ कहा गया। पहले कहा गया कि 1/24 हो और फिर कहा गया कि 1/12 हो। मैं ने 1/6 माना और यह भी कह दिया कि अगर किसी के साथ hardship हो तो उसको वापस कर देंगे। इस से ज़्यादा और क्या रियायत हो सकती है।

उन्होंने कहा कि बहुत सी wheat काश्मीर जाती है और वहां पर subsidise की जाती है। मैं अपने भाइयों से यह पूछता हूं कि वह गन्दम जो हम fair price shops पर कम कीमत पर बेचते थे क्या वह relief नहीं था। उस वक्त relief की कोई बात नहीं की गई। उस में भी तो relief consumer को पहुंचता था।

टंडन भाई ने कहा कि व्यापारियों को बहुत ठहरना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है कि उन्हें इतने दिन लगे। लेकिन मैं मजबूर था। जो मेरी अक्ल थी उसी के मुताबिक मैं ने काम करना था। चीज़ को देर से समझता हूं, उतनी जल्दी नहीं समझता जितनी जल्दी व्यापारी समझते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर किसी शख्स ने अपनी अक्ल के मुताबिक काम किया हो तो उस पर कोई गिला नहीं होना चाहिए। कोर्ट में भी अगर कोई शख्स थोड़ी सी ग़लती करता है तो उस से यह expect किया जाता है कि जितनी उस की अक्ल है आया उस ने उसे utilize करने की कोशिश की है। इस लिए मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात पर गिला नहीं होना चाहिए।

इस के अलावा मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम ने जो फैसला किया डाक्टर गोपाल दास और दूसरे साहिबान के साथ सलाह मश्विरा से किया। मैं ने डाक्टर गोपाल दास के साथ बात की और Excise and Taxation Commissioner के साथ भी मश्विरा किया। उन को contact करने की कोशिश की गई। वे अमृतसर में नहीं थे उन्हें फीरोज़पुर टेलीफून किया गया। देरी की वजह दर असल यह थी कि व्यापारियों ने देहली ऐक्ट की कापी लानी थी लेकिन वे

सिर्फ रूल्ज़ लाए। इसी वजह से देर हुई। इस सारी दौड़ धूप के बाद भी मुझे यह बात सुनकर सख्त अफसोस हुआ कि व्यापारी नहीं माने। मैं यह बात नहीं मानता। वे माने..............

श्री बलराम दास टंडन : वे नहीं माने। मैं वहां मौजूद था। वह मेरे पास आ कर ठहरे।

योजना मंत्री : अगर मेरी ग़लत बयानी हो तो मैं आज भी कहता हूं कि अगर इतनी बात न हुई हो तो मैं गवर्नमेंट की खुशामद करके व्यापारियों को सारी concessions देने को तैयार हूं। मैं अपने काबिल दोस्त को बताना चाहता हूं कि I did not want to go back. (*At this stage Chaudhri Balbir Singh interrupted.*)

Mr. Speaker : No interruption please.

चौधरी बलबीर सिंह : स्पीकर साहिब, जब मैं बोलता था तो डाक्टर साहिब ने कुछ बातें चैलेंज की थीं। अब हम बोलते हैं तो आप एतराज़ करते हैं। या तो ये भी हमें interrupt न किया करें.....

योजना मंत्री : मैं ने खड़े हो कर कोई बात नहीं की। That is not an interruption unless the person speaking gives way.

इस में मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि बिल्कुल उन से फैसला करके यह चीज़ की गई। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम फैसला से आगे चलना चाहते हैं। मेरे पास जब तक डीपार्टमेंट है हम हरएक बात फैसले के साथ सलाह मश्विरे के साथ करना चाहते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यह कहना कि वे नहीं माने, यह चार्ज लगाना ठीक नहीं। (*Hear, hear.*)

श्री राम प्यारा जी ने कहा कि instructions नहीं लीं और कुछ दूसरी बातें भी उन्होंने कहीं। बग़ैर examine किए मैं उन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि पिछला टैक्स वापस करें। यह discussion वाली बात है। इसलिए मैं इस stage पर कुछ नहीं कह सकता।

टंडन बाबू ने excise duty लगाने के बारे में कहा कि इस पर excise duty लगाओ। मैं उन की इत्तलाह के लिए कहता हूं कि excise duty लगाना यूनियन गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं। इस लिए स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। इस के बारे में मैं यह अर्ज़ करता हूं कि अगर मैं ग़लती नहीं करता मै भी उस वक्त Constituent Assembly का मेम्बर था जब यह सवाल आया कि सेल्ज़ टैक्स को state subject बनाया जाय। लेकिन सारी स्टेट्स के representative नहीं माने। जब तक सारी स्टेट्स न मानें तब तक नहीं हो सकता था क्योंकि टैक्सेशन uniform होनी चाहिए। दूसरे मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सेल्ज़ टैक्स सारी दुनिया में लगा हुआ

[योजना मंत्री]

है और यह indirect taxation ही main source of income है। हमारी income बहुत कम है और देश की तरक्की के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। हां, इतना मैं ज़रूर अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई और तरीका चलाये तो पंजाब गवर्नमेंट उस को मानने में पीछे नहीं रहेगी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North) : Sir, I beg to move—

For sub-clause (3), *substitute* the following :—

"(3) sub-section (1) of section 13 and sub-section (2) of section 18 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 24th March, 1958".

The idea is that from the expiry of the Ordinance, this Bill will be considered to have come into force.

Mr. Speaker : Motion moved—

For sub-clause (3), *substitute* the following :—

"(3) sub-section (1) of section 13 and sub-section (2) of section 18 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 24th March, 1958".

Mr. Speaker : Question is—

For sub-clause (3), *substitute* the following :—

"(3) subsection (1) of section 13 and sub-section (2) of section 18 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 24th March, 1958".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clauses (2) and (3) of Clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to move—

In sub-clause (e), line 2, *between* the words "Act", and "the meaning", *insert* "shall have".

Mr. Speaker : Motion moved—

In sub-clause (e), line 2, *between* the words "Act", and "the meaning", *insert* "shall have".

Minister for Planning and Community Projects : Sir, I accept this amendment.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (e), line 2, *between* the words "Act" and "the meaning", *insert* "shall have".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ, ਚਾਰਜੇਬਲ ਗੁਡਜ਼ ਮੀਨਜ਼ .....(ਵਿਘਨ)

Mr. Speaker : It is too late. The question has been put. The hon. Member cannot speak on it now.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : I am sorry. At this stage you cannot speak.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur, General) : Sir, I beg to move—

At the end, *add* the following further proviso :—

"Provided further that the composition amount shall not exceed 1/12 of the sales tax of the year 1956-57."

ਕਲਾਜ਼ ਨੰ: ੩ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਹੈ ਇਹ 1956-57 ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ 1/12 ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਲਰੈਡੀ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ 1/12 ਲਿਆ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ । ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਆਦਮੀ ਛਡ ਦਿਤੇ ਨੇ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੇ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਮੀਨਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਸੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿਚ । ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ । ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ । ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਹੈ । 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਟਾਕ (existing stock) ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ । ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰੈਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਓ । (ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ : ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ।) ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ । ਟੰਡਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਗੇ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਏਸ ਨੂੰ ਵਿਉਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਛਡਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਏਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮ-ਝੌਤਾ ਹੈ । ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਲੰਪ ਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ 'ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ' ਹੈ ਉਹ 1956-57 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 1/12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1/12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਗਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਏਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰ ਨੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਇਆ । ਔਰ ਏਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸੀ । ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ

ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ । ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਨਿਕਲ ਗਏ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਲ ਸੇਲਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਰੀਟੇਲਰ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨਾ ਕੁ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਿਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ।

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair).

ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੈ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ । Deputy Speaker ਸਾਹਿਬ, ਇਕ ਆਦਮੀ ਏਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਏਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ । ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ । ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਮੌਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ? ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਮਰ ਗਈ । ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਿਹਾ । (ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਹਾਏ, ਹਾਏ ।)

Mr. Deputy Speaker. Order. please. This is not relevant.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ । ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਿਲ ਹੈ । ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ । ਫਾਇਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ । ਇਹ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ (ਸ਼੍ਰੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ : ਆਰਡਰ ਪਲੀਜ਼) ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ । ਹਾਏ, ਹਾਏ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ । ਇਹ ਅਨ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ । (ਵਿਘਨ)

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਇਨੈਨਸ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ।

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

Kanwarani Jagdish Kaur : The Finance Minister has uttered unparliamentary words. Sir, he may be asked to withdraw those words. If we use such words, we are called upon to withdraw those words.

Mr. Deputy Speaker : No such remarks please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

4-00 p.m.

ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲ ਇਸ ਲਈ relevant ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਭ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਕਿ Excise and Taxation Commissioner ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ lump sum

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]
ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ । ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ । ਉਨਾਂ ਦੀ mother ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵੀ ਆਈ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ । ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ undecided ਛਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ amendment ਮੈਂ ਦਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

At the end, *add* the following further proviso :—

"Provided further that the composition amount shall not exceed 1/12 of the sales tax of the year 1956-57."

चौधरी धर्म सिंह राठी (संभालका) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जो क्लाज़ तीन में प्रोविसो है उस की मुखालिफत मैं ने शुरू में भी जब कनसिड्रेशन मोशन आई थी, की थी लेकिन डाक्टर साहिब ने यही महसूस किया कि इस का कोई जवाब ही न दिया जाए । किसी चीज को छिपाना हो तो हमारी गवर्नमेंट की बेहतरीन तरकीब यही है , खासकर डाक्टर साहिब ने यही सोचा हुआ है कि उस चीज़ का जवाब ही न दिया जाये ताकि किसी को उस का पता ही न लगे । इस क्लाज़ में कमिश्नर को इतनी पावर्ज़ दी गई हैं कि मैं ने आज तक किसी बिल या किसी ऐक्ट में नहीं देखा कि इतनी पावर्ज कमिश्नर को दी गई हों । डिप्टी स्पीकर साहिब, इस में साफ़ लिखा हुआ है कि :

Provided further that the Commissioner may accept from a dealer such lump sum by way of composition of the tax payable under this Act as he may deem fit....

कम्पोज़ीशन के तौर पर वह कितना लेगा, इस से ज़्यादा पावर्ज किसी सूरत में नहीं हो सकतीं । इस के अलावा मैं गवर्नमेंट से यह कहूंगा कि यह ठीक है कि यह पावर्ज़ कमिशन को दे दें । लेकिन कमिशन को भी इतनी ज्यादा पावर्ज़ नहीं देनी चाहियें जब कि इसी बिल के अन्दर एपीलेट अथारिटी को रिवीज़न की पावर्ज़ हैं, रिवियू की पावर्ज़ हैं और फिर वह एपीलेट अथारिटी भी हैं । इस लिये कमिशन को इतनी ज़्यादा पावर्ज़ दे दें इस बात को कोई भी ठीक नहीं कहेगा । मैं डाक्टर साहिब से कहूंगा कि इस के अन्दर जो यह लिखा हुआ है कि as he may deem fit यह न रखें । बल्कि इस में अमेंडमेंट होनी चाहिये जैसे कि चौधरी बलबीर सिंह ने पेश की है । उस को मन्ज़ूर कर लिया जाये तो वह अच्छा होगा । यह अनलिमिटिड पावर्ज़ नहीं देनी चाहियें । ऐसी पावर्ज़ देना जिस की कोई हद ही न हो यह दानिशमंदी नहीं है । कमिश्नर जो चाहे कर ले यह ठीक नहीं है । हमारे मोहन लाल जी वकील तो पता नहीं कि कैसे होंगे, इन की वकालत चली होगी कि नहीं चली होगी........

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

श्री धर्म सिंह राठी : जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं कह रहा था कि कमिश्नर को इस किस्म की पावर्ज़ देना अच्छी बात नहीं है। यह बात बिल की सारी शोभा का नाश कर देती है। जब आलरेडी दूसरों को यह पावर्ज़ दी हुई हैं, कमिश्नर को यह पावर्ज़ देना ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रोविसो की बड़े ज़ोर से मुखालिफत करता हूं।

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब आली, एक तो यह एतराज़ उन्होंने किया है कि आज तक उन्होंने किसी कानून में नहीं देखा कि कमिश्नर को इतनी ज्यादा पावर्ज़ दी गई हों। मैं ने पहले भी यह अर्ज़ किया था कि अगर वह अच्छी तरह से मुताल्या करते तो ऐसे वाइल्ड चार्ज न लगाते। जहां तक सेल्ज़ टैक्स का ताल्लुक है उस में भी कम्यूट करने की पावर्ज़ मौजूद हैं और यह पावर्ज़ कमिश्नर को ही हैं। उसी चीज़ को हम ने हाउस में रखा है। उन्होंने यह बात भी कही है कि पंजाब गवर्नमेंट की पालिसी अमीर आदमियों की मदद करने की है। शुक्र है कि आज उन्होंने महसूस किया है कि पंजाब गवर्नमेंट भी व्यापारियों की मदद करने लगी है। वे कहते हैं कि अमीरों की मदद करते हैं और ग़रीबों की मदद नहीं करते। हालांकि कम्यूट करने के मायने ग़रीबों की मदद करना ही है। और फिर यह भी कहा है कि आगे भी कनसिडर करेंगे। असल बात यह है कि गवर्नमेंट की पालिसी यह है कि वह फेयर डीलिंग और सिम्पेथैटिक डीलिंग करना चाहती है। लेकिन उन का यह चार्ज कि अमीरों को छोड़ देती है और ग़रीबों को नहीं छोड़ती, लागू नहीं होता। फिर उन्होंने यह फरमाया कि हम तो समझौता के लिए आये थे कि जो बात हम यह कहते हैं वही बात मान ली जाये। इस बात को मैं आज तक नहीं समझा। वह समझौता नहीं हो सकता डिक्टेशन है। वह डिक्टेशन करना चाहते थे कि ऐसी चीज़ करो, अगर करते हो तो करो नहीं तो न करो। चौधरी साहिब की डिक्टेटोरियल पालिसी और उन के ऐटीच्युड के कारण ही फैसला करने में देरी हुई थी। मैं ने कहा था कि चूंकि इस में रीज़न्ज़ नहीं हैं, मैं नहीं मान सकता और वे कहते थे कि यही मानो। मैं ने कहा कि यही चीज़ है कि समझौता नहीं हो सकता। वे कहने लगे कि आप को मानना पड़ेगा। इसी कारण से बार बार बात हुई और फैसला होने में देर लगी। मैं चैलेंज करता हूं कि मैं ने नोइंगली इस को समझ कर निकाल दिया है क्योंकि हमारे अख्तियार में नहीं था ....(विघ्न)।

Mr. Deputy Speaker : Order, order. No interruption, please.

Chaudhri Balbir Singh : This is not an interruption please. This is a challenge and I accept that.

Dr. Gopi Chand Bhargava : Sir, my challenge stands.

Chaudhri Balbir Singh : I accept it.

योजना मंत्री : उन्होंने जो यह कहा है कि दिल्ली में जो रेट है उसी के मुताबिक मैं ने माना था, बिल्कुल गलत बात है। आप कहते हैं कि दिल्ली में जैसा सेल्ज़ टैक्स है उसी तरीका से पंजाब गवर्नमेंट ने सेल्ज़ टैक्स की बात को नहीं माना।

यह अपनी अपनी policy की बात है। हम अपने व्यापारियों के साथ harsh नहीं होना चाहते। इसलिए कहा कि sales tax छोड़ते हैं; sales tax नहीं लेते, हम purchase tax लेते हैं। चुनांचि जिन चीज़ों पर purchase tax लग सकता था, हमने लगा दिया, दूसरों पर नहीं लगाया जा सकता था, सो नहीं लगाया।

फिर एक चीज़ और हमारे पास थी जो हम कर सकते थे। stock न लेते और इसकी बजाए *ad-hoc* basis पर arbitrarily assessment कर लेते। मैं समझता हूँ कि उस हालत में danger था बनिस्बत stock पर करने के। stock पर तो उसके मुताबिक लगना है लेकिन *ad hoc* basis पर अपनी मनमानी की जा सकती थी। हम उसी के मुताबिक लेते जो sales tax के तौर पर amount उन्होंने pay की। हमने sales tax नहीं लिया, purchase tax पर compromise कर लिया। हमने तो आगे एक और concession कर दी कि जितनी amount उन्होंने in excess pay की वह वापस करें। आप कहते हैं कि खसूसन 1/12 इसके अन्दर insert कर दें। वकील साहिब ने फरमाया कि 1/12 होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि उस हालत में यह commutation नहीं imposition होगी। Commutation की power तो यह है कि जिस को हम power देते हैं वह situation के मुताबिक, stock के मुताबिक assess करे--किसी के साथ ज़्यादती न हो। यह कहना कि दो हज़ार कर देगा, पांच हज़ार कर देगा--यह तो हालत पर मुनहसर है। Arbitrarily की बात नहीं है। बाकी जिन के cases होंगे उन्होंने justification देनी है। यह instructions उन्होंने issue कर दी हैं कि इतना हो तो फौरन accept कर लो। यह तो उन्होंने एक general इजाज़त दी थी। हमने powers जो Commissioner साहिब को दी हैं, वह यह समझकर दी हैं कि वह अच्छी तरह से fair dealing करेंगे और करते हैं और Government की policy के मुताबिक चलेंगे। इस के अलावा मुझे कोई ऐसी बात नहीं मालूम होती कि जो यह बताती हो कि इतनी wide powers दे दी हैं या किसी तरह की सख्ती का मूजब हो।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

At the end, *add* the following further proviso :—

"Provided further that the composition amount shall not exceed 1/12 of the sales tax of the year 1956-57".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ clause ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ........

Every dealer shall, within a period of fifteen days from the 14th December, 1957, furnish to the Assessing Authority a return of the chargeable goods in the prescribed form and manner.

ਇਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣ । ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ? 14 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ chargeable goods ਦੀ ਇਕ list ਦੇਣ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ list ਪੁਜ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਸਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ । ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ provision ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ lists ਹਨ ਉਹ 29 ਦਸੰਬਰ, 1957, ਤਕ ਪੁਜ ਜਾਣ । ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ Ordinance ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ Ordinance ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ provision ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ clause 22 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ—

The Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Ordinance, 1957 (Punjab Ordinance No. 9 of 1957), is hereby repealed.

ਇਹ ਉਸੇ Ordinance ਨਾਲ ਤਅੱਲਕ ਰਖਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ returns 29 ਦਸੰਬਰ 1957 ਤਕ ਭੇਜ ਦਿਓ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ returns ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ mover ਕਾਨੂੰਨ-ਦਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ । 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ lists supply ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ defaulters ਨੂੰ penalise ਕਰ ਸਕੇਗਾ ? ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ clause ਨੂੰ withdraw ਕਰ ਲਉ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗਲ ਮੰਨਣਗੇ । ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इस clause को वज़ीर साहिब पढ़ लें और पढ़ने के बाद सिवाए इस बात के और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि यह ineffective है, redundant है । यह बिल उस Ordinance की जगह पर लाया जा रहा है जो lapse हो चुका है जिस के पीछे कोई force of law मौजूद नहीं है। उस की अब कोई औकात नहीं रही कि जिस के तहत आप उस आदमी के खिलाफ कोई action ले सकें, कोई legal कार्यवाही कर सकें जिसने कि उस के मुताबिक act न किया हो। मालूम होता है कि उसी को legalise करने के लिए यह बिल पास कराना चाहते हैं। हालांकि बिल की इस क्लाज़ से ज़ाहिर है कि जब आप इसे आज 7 अप्रैल को पास करते हैं तो कैसे आप यह तवक्को कर सकते हैं कि 14 दिसम्बर, 1957 से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर अपनी returns को दाखल कराएं कि क्या purchase किया, कितना २ किया, उनकी कीमत क्या थी। यह बात तो ऐसे ही है गोया व्यापारी ज्योतिषी हों—जैसा कि डाक्टर साहिब हैं—जो यह जानते हों कि 7 अप्रैल को बिल पास होना है और मैं पहले ही अपनी return तैयार कर लूं। यह चीज़ तो ज्योतिषी ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। यह तो कोई ज्योतिषी ही कर सकता है या हमारे वज़ीर डाक्टर साहिब कर सकते हैं। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि अगर हमारे डाक्टर साहिब और Finance Minister साहिब समझ की बात को भी नहीं समझते तो फिर बेसमझी की बात और क्या हो सकती है। फिर इस clause के अन्दर साफ तौर से लिखा हुआ है कि "in the prescribed form and manner". मतलब यह कि rules तो अभी बनने हैं। ये rules clause 19 के तहत इस बिल के पास होने के बाद बनेंगे। जब तक वे rules न बनें वह prescribed form and manner में कैसे returns भेज सकेंगे? और इसके साथ मिनिस्टर साहिब फरमाते हैं कि returns तो 29 दिसम्बर तक भेजी जानी चाहिएं—29 दिसम्बर, 1957 यानी पिछले बीते हुए साल में। मैं अपने मिनिस्टर साहिब से पूछता हूँ कि यह कैसे हो सकता है? क्यों इस तरह की clauses रख कर अपने House को मज़ाक का मौज़ू बनाते हो? सारी दुनिया पढ़ेगी तो क्या कहेगी कि 7 अप्रैल को कानून बनता है और returns मांगते हैं 29 दिसम्बर, 1957 तक। उस Ordinance की वुक्कत अब एक कागज़ के पुर्ज़े के अलावा और कुछ नहीं है। इस में दर्ज है कि जो 29 दिसम्बर तक return नहीं भेजता उस को सज़ा दी जाएगी। और सज़ा यह मुकर्रर कर दी जो इस बिल की clause 13 के अन्दर दी हुई है–

(a) fails, without sufficient cause, to furnish the return as required by section 4 or submits a false return ;

और आगे यह लिखा है :

......he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

ग्रब हर एक आदमी ज्योतिषी तो नहीं हो सकता । सूबा के अन्दर अब एक और मुश्किल लोगों पर पड़ेगी और वह यह होगी कि अब हर एक आदमी को ज्योतिषी भी बनना पड़ेगा । यह क्लाज़ ऐसी रखी हुई है कि लोग इस के मुताबिक ज्योतिषी बने बगैर उस फार्म को भी नहीं भर सकते और वह फार्म भी भरें 29 दिसम्बर, 1957 से पहले । यह तरीका सोचा है लोगों को सज़ा देने का । लोगों को सज़ा देने के लिए, उन्हें victimise करने के लिए यह clause लाई गई है। इस से हर एक को सज़ा दी जायेगी जिस ने भी वह फार्म भर कर नहीं दी होगी । फिर यह उस Ordinance के तहत किया जायेगा जिस की अब कोई वुक्कत नहीं है सिवाय इस बात के जो मैं ने पहले अर्ज़ की है। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं अपने मोहतरिम दोस्त डाक्टर भार्गव से यह कहूंगा कि वह अब कोई ऐसी बात न कर दें जिस में समझदारी की बात न हो ।

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं कहां तक इन्हें याद दिलाऊं कि आज अभी हम ने जो Clause 1 पास की है जिस में यह कहा है— Sub-section (2) and (3) of clause I.

> Sub-section (1) of section 13 and sub-section (2) of Section 18 shall come into force at once......

और आगे यह लिखा है :

> ......and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 24th March, 1958.

यह आज हम ने पास कर लिया है जिस से साफ़ जाहिर है कि हम उस को legalize करना चाहते हैं..........

Shri Lal Chand : On a point of Order, Sir. The quorum is not complete in the House.

Chief Minister : It will be complete soon.

Shri Lal Chand : But at present there is no quorum. I can quote the rule which lays down that you cannot proceed with the work unless the quorum is complete.

(*At this Stage the bells were rung. Some Members came into the House and the quorum was complete*).

Mr. Deputy Speaker : Now the quorum is complete, and the House can proceed with its business.

योजना मंत्री : जनाबे वाला, इस amendment के पास करने के बाद यह सवाल ही नहीं रहता कि इस के लिये हम laughing stock बनें। जब तक यह clause पास नहीं हुई थी तब तक हम laughing stock बन सकते थे । लेकिन अब जबकि यह clause पास हो गई है तो हमारे laughing stock बनने की कोई वजह ही नहीं रह जाती ।

[योजना मंत्री]

इस बारे में हमारे दोस्त चौधरी धर्म सिंह राठी साहिब ने भी फरमाया है कि वह फार्म कैसे होंगे, वगैरह २। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि यह सब चीज़ें तो पहले ही हो चुकी हैं। हम तो सिर्फ़ उन को legalise करना चाहते हैं। लोगों ने तो पहले ही वह forms भर कर भेज दी हुई हैं और उन का फ़ायदा भी उठा लिया हुआ है। इस के लिये argument यह देते हैं कि यह Ordinance लागू नहीं है।

चौधरी बलबीर सिंह : On a point of clarification, Sir. मैं डाक्टर साहिब से यह पूछना चाहता हूं कि जिन आदमियों ने returns भर कर नहीं दीं उन के बारे में क्या position है ?

योजना मंत्री : वह आगे इस बिल में आ जायेगा।

चौधरी बलबीर सिंह : वह भी बता दें।

Minister : It is not for me to say.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The Assembly then divided :

AYES .. 25

NOES .. 23

The motion was declared carried.

AYES

1. Amar Nath Sharma, Shri.
2. Benarsi Dass Gupta, Shri.
3. Dalbir Singh, Shri.
4. Darbara Singh, Sardar.
5. Desondha Singh, Chaudhri.
6. Dev Raj Anand, Shri.
7. Gian Singh Rarewala, Sardar.
8. Gurmit Singh "Mit", Sardar.
9. Harbans Lal, Shri.
10. Harbhagwan Maudgil, Shri.
11. Harchand Singh, Sardar.
12. Harcharan Singh, Sardar.
13. Harcharan Singh, Sardar (Muktsar).
14. Kartar Singh, Gyani.
15. Krishna Sethi, Shrimati.
16. Om Prabha Jain, Shrimati.
17. Parkash Singh, Sardar.
18. Partap Singh, Bakshi.
19. Partap Singh, Master.
20. Partap Singh Kairon, Sardar.
21. Rala Ram, Shri.
22. Raja Raghuvir Singh.
23. Suraj Mal, Chaudhry.
24. Umrao Singh, Sardar.
25. Jit Ram, Shri.

NOES

1. Balbir Singh, Chaudhri.
2. Balram Dass Tandon, Shri.
3. Bhag Singh, Dr.
4. Bhala Ram, Shri.
5. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
6. Gurwarayam Singh, Sardar.
7. Hukam Singh, Shri.
8. Inder Singh, Shri.
9. Jagat Narain Chopra, Shri.
10. Jagdish Kaur, Kanwarani.
11. Jangir Singh, Comrade.
12. Karam Chand, Chaudhri.
13. Lal Chand, Shri.
14. Mahesh Inder Singh, Col. Rajadhiraj.
15. Mangal Sein, Shri.
16. Muni Lal, Shri.
17. Phul Singh "Kataria", Shri.
18. Ram Dyal Vaid, Shri.
19. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
20. Rup Singh "Phul", Shri.
21. Sadhu Singh, Sant.
22. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.
23. Shri Ram Sharma, Pandit.

CLAUSE 5

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : Clause 4 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ । Clause 4 ਤੇ votes ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

Mr. Deputy Speaker : Clause 4 has been passed and now clause 5 has been put to the vote of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ clause ਹੋਈ ਹੈ । Ayes ਅਤੇ Noes ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ motion carried ਹੋ ਗਈ ।

Mr. Deputy Speaker : I have already put Clause 5 to the vote of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : 4 ਤੇ votes ਲਈਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਦਾ result declare ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਚਲੇਗੀ ।

Mr. Deputy Speaker : After the declaration of the result of division on Clause 4, I have put Clause 5 to the vote of the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ important clause ਹੈ । ਅਸੀਂ ਬੜੇ attentively ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ । That was for Clause 4 and not Clause 5. Now Clause 5 is to be discussed.

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਅਸੀਂ clause 5 ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ declare ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप Question put करने से पहले उठा करें । जिस वक्त पहले आई तभी उठना चाहिए था । (The hon. Member should rise before the question is put. He should have risen before it was put to the vote of the House.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Order please.

Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it." This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

चौधरी धर्म सिंह राठी : कितने २ हुए ?

Pandit Shri Ram Sharma : We want division.

चौधरी धर्म सिंह राठी : We want division. हमारी जो गिनती है वह 24—25 है और इन की 16 है। (हंसी)

Mr. Deputy Speaker : I have already declared the clause to have been carried.

CLAUSE 6

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur, General) : Sir, I beg to move—

At the end of sub-clause (4), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealers in the year 1956-57".

At the end of sub-clause (5), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 6 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 4 ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ —

"if a dealer who furnished the return fails to comply with the terms of notice issued under the sub-section (2), the assessing authority shall proceed to assess to the best of his judgement the amount of the tax due from the dealer."

ਇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ —

at the end of Sub-clause (4) add—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57"

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਜੇਕਰ ਕਲਾਜ਼ 6 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 5 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਇਮਪਾਰਟੈਂਟ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ—

"If a dealer does not furinsh the return required by section 4 the assessing authority may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard to assess to the best of his judgement the amount of tax if any due from the dealer.

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

ਇਸ ਲਈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 6 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਰੀਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਟਰਨ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਜ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੀਟਰਨ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰੀਟਰਨ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਰਨ ਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ । ਸਬ ਕਲਾਜ਼ 4 ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੀਟਰਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੀਟਰਨ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ । ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਕ ਮੈਂ ਮੁਤੱਲਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸੋਚਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੁਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੀਟਰਨ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਟਰਨ ਨਾ ਦਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰਨ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਟੈਕਸ ਲਗ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰਨ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਰੀਟਰਨ 29 ਦਸਬੰਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਟਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ 'ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਰਸ' ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਮੀਮ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 4 ਵਿਚ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਕਲਾਜ਼ 6 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ 5 ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਖ ਦਿਤੇ ਜਾਣ :—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ *ultra vires* of the Act ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ Sub- clause 6 ਹੈ ਉਹ illegal ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਮੀਮਾਂ no. 5 ਅਤੇ no. 6 move ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਜੇਕਰ *ultra vires* ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Interruption)

Mr. Speaker : Motions moved—

At the end of sub-clause (4), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

At the end of sub-clause (5), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, आज हमारे सामने इस बिल की क्लाज़ 6 है। इसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि सारे की सारी sub-clause 4 और 5 जो हैं और जिन सूरतों में वह पास की जा रही हैं उनकी कोई वुक्कत नहीं है। जो provision हम इन दोनों क्लाज़ों में देखते हैं वह ठीक नहीं मालूम होतीं। Sub-clause 4 और 5 में यह provision है कि पहले tax के लिए

return दाखिल की जाए और अगर return न दाखिल की जाए तो notice दिया जाएगा। अब एक ऐसे आदमी को कहना कि वह return दाखिल करे उस समय जब कि यह कानून नहीं था यह कहां तक वाजिब और मुनासिब है। वह आदमी December के अन्दर किस तरीके से return दे सकता है और किस तरह payment कर सकता है। तो इस sub-clause के रहने से अगर वह return न देगा तो जरूर ही उसे notice दिया जाएगा। इस लिए मैं समझता हूं कि इस क्लाज़ को रखना लोगों को तंग करने वाली बात है। इस sub-clause की ज़रूरत नहीं है। जहां तक sub-clause 6 का ताल्लुक है उस में लिखा है:—

"Any assessment made under this section shall be without prejudice to any prosecution instituted for an offence under this Act."

यहां पर इस बात को बिलकुल clear कर दिया गया है कि prosecution ज़रूर की जाएगी। अकेले यही नहीं कि tax लिया जाएगा बल्कि prosecution भी ज़रूर होगी। और prosecution इस लिए होगी कि जिस आदमी ने return भेजी हो वह तो ठीक है मगर जिस आदमी ने 14 December के बाद within fifteen days return दाखिल नहीं की होगी और फिर within 3 months tax न दिया होगा उसने sub-clause 4 के तहत खिलाफ़वर्ज़ी की होगी और फिर, स्पीकर साहिब, section 13 के तहत उस पर case चलेगा। इस के अलावा यह prosecution उन आदमियों की होगी जिन्हें इस बात का इल्म तक नहीं कि कोई कानून इस तरह का पास किया गया है कि return 29 दिसम्बर तक दाखिल करनी चाहिए थी। मैं ने पहले भी अर्ज़ किया था कि एक आदमी को किस तरह पता लग सकता है कि यह कानून 7 अप्रैल को पास किया जा रहा है कि उसने return December की 29 तारीख तक देनी थी। इसलिए मैं समझता हूं कि clause 6 लोगों को तंग करने के लिए रखी हुई है और लोगों को penalise करने के लिए इस क्लाज़ को पास किया जा रहा है। और दोनों तरह से लोगों को सज़ा दी जा रही है कि एक तरफ़ तो वह टैक्स अदा करें और दूसरी तरफ सरकार इस तरह उन्हें तंग करके आगे जो clause 13 आने वाली है उसके तहत एक हज़ार रुपया जुरमाना भी करने को कह रही है। और इस तरह changing goods की तरह एक किस्म का और टैक्स जुरमाने की शक्ल में सरकार वसूल करना चाहती है। इस लिए मैं अर्ज़ करूं कि यह सवाल जो prosecution का है बिल्कुल नही आना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप यह कर सकते हैं कि अगर किसी ने pay नहीं किया है तो उसे within certain specified time pay कर दें। परन्तु उसके खिलाफ prosecution नहीं की जानी चाहिए। इस लिए यह सब-क्लाज़ मैं समझता हूं कि redundant है और फालतू है। जिन लोगों ने returns को उस वक्त दाखिल नहीं किया आज वह कैसे sub-sections 4 and 5 के provisions को पूरा कर सकते हैं। अगर

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तो सरकार उन की prosecution करेगी। इस लिए मैं वज़ीर मोहतरिम से प्रार्थना करूंगा कि इस sub-clause की रू से, जो बात नहीं हो सकती वह ज़रूरी कर दी गई है। इस लिए इस बिल में से इस क्लाज़ को वापिस ले लें। और अगर इस stage पर वापिस न ले सकें तो कम अज़ कम यह assure किया जाए कि जो आदमी इस बिल की दफ़ा 4 के तहत return नहीं दे सकता या clause 5 के provision के अनुसार कार्रवाई नहीं करता उसके against proceed न किया जाए क्योंकि return को दिसम्बर में दाखिल न करने के लिए व्यापारी का कसूर नहीं क्योंकि उसे तो पता ही नहीं कि यह कानून आज पास किया जा रहा है कि return 29 दिसम्बर तक दाखिल करनी थी। इन अलफ़ाज़ के साथ मैं क्लाज़ 6 की sub-clause 4 और 5 की मुखालिफ़त करता हूं। इन अलफ़ाज के साथ मैं इस clause की मुखालिफ़त करता हूं और यह अर्ज़ करता हूं कि इस को पास न किया जाये। अगर Minister साहिब इस को पास करने पर बज़िद ही हैं और ज़रूर ही इस को पास करवाना चाहते हैं तो पहले इस बात का यह फ़ैसला कर लिया जाये कि बिल तो आज हम 7 April को पास कर रहे हैं, मगर return लेने की म्याद 15 दिन की है जो कि 14 December से 29 December तक की है। जब कि return लिया ही नहीं तो आज prosecution का सवाल कैसे पैदा हो सकता है। इतनी मुज़िर बात नहीं होनी चाहिये।

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहिब, जब डिप्टी स्पीकर साहिब तशरीफ़ रखते थे तो उस वक्त मैंने इस clause के मुतअल्लिक ज़ाहिर कर दिया था। अब यह कहना कि एक clause को छोड़ कर बाकी सारा बिल 24 March से ही enforce हो जाये। फिर कहना कि यह illegal न बने मैं समझता हूं ख़ास तौर पर इस की assessment जो होगी वह किस तरह से होगी अगर इस के अन्दर prosecution की बात नहीं लेंते। इन का ख्याल यह है कि prosecution की exemption हो। सिवाय इस के कि यह एक boring factor है, मैं समझता हूं, और कुछ नहीं है।

Mr. Speaker : Question is—

At the end of sub-clause (4), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of sub-clause (5), *add*—

"and the assessed amount will not exceed 1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Speaker : Now Clause 7 is before the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ clause 7 ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ :—

"Where no tax has been deposited by a dealer under section 5......".

ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ clause 5 ਹੈ ਉਹ ਵੀ facts ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ।

"Every dealer, who has furnished a return under section 4......".

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ return ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਇਹ tax ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ return ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ Act ਵਿਚ clause ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ—

"Provided that the assessing authority may, in respect of any particular dealer and for reasons to be recorded in writing extend the date of such payment or allow such dealer to pay the tax due by instalments".

ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਲਾਂ return ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ Justified ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ returns ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ tax ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ clause ਦਾ ਇਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ।

"The amount of tax which remains unpaid after the date specified in the notice or the extended date, if any, shall be recoverable as arrears of land revenue".

ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਥੇ sub-clause 2 ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੇ tax ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ illegal ਅਤੇ unconstitutional ਹੈ, ਇਹ *Ultra Vires* of the Constitution ਹੈ ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी हर चीज़ *ultra vires* of the Constitution होती है । (Everything pointed out by the hon. Member is *ultra vires* of the Constitution.) (*Laughter.*)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ Constitution ਨੂੰ overlap ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

Minister for Planning and Community Projects : Sir, I rise on a point of Order. I don't think any hon. Member of this House has a right to say and assert that the law which is passed is invalid.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जहां तक clause 7 का ताल्लुक है, डाक्टर साहिब बार बार Ordinance का सहारा लेने की कोशिश करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस को Ordinance के तौर पर लेते हैं । इसमें सहारे की कोई बात नहीं है ।(There is no question of taking any shelter in it. He is taking it as an Ordinance.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब, मैं तो यह अर्ज़ कर रहा था कि इस बिल में खराबी है कि यह जो Ordinance है......

अध्यक्ष महोदय : एक ही बात को बार बार कहना कि इस में खराबी होती है यह ठीक नहीं है। आप इसे पहले पढ़ कर देखें। (It is not proper on the part of the hon. Member to repeat again and again that it is defective. He should read it first.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जहां तक इस बिल में clause 7 का ताल्लुक है मैं अर्ज़ करूंगा कि डाक्टर साहिब बार बार Ordinance का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। यह कहते हैं कि चूंकि यह चीज़ Ordinance में आ गई है इस लिये हम इस को कर रहे हैं। इस किस्म की बातें करना जिस का इस से किसी किस्म का कोई ताल्लुक न हो ठीक नहीं। एक बात और जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस में लिखा है कि 30 दिन का notice दिया जायेगा अगर वह 14 March को tax दाखिल करेगा। मगर यह किस तरह से हो सकता है? इस में यहां पर लिखा है कि—

"Where no tax has been deposited by a dealer under section 5......".

इस लिये यह clause सारी की सारी redundant हो जाती है, meaningless हो जाती है। इस के साथ ही clause 5 की provision को भी ऐसी सूरत में पूरा नहीं किया जा सकता ।

Mr. Speaker : "Before such date as may be specified in the notice issued by the assessing authority".

चौधरी धर्म सिंह राठी : जनाब वह तो आगे है।

Mr. Speaker : "For this purpose and the date to be so specified shall be not less than thirty days from the date of service of such notice......".

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो यह जो लफ़ज़ हैं स्पीकर साहिब, शायद इन के दिमाग में नहीं हैं।

"Where no tax has been deposited by a dealer under section 5......".

Mr. Speaker :"Provided that the assessing authority may,in respect of any particular dealer and for reasons to be recorded in writing, extend the date.. ....".

Chaudhri Dharam Singh Rathi : That is a different thing. Proviso is a different thing. तो उस की मर्जी है कि वह उसे extend करे या न करे। अगर डाक्टर साहिब यह कहते कि जरूर हो जायेगा तो भी कोई बात थी मगर यहां तो लफ़ज़ may का है। वह extend करे या न करे। इस का नतीजा यह होता है कि prosecution होती है। इस के बाद मैं एक चीज और अर्ज़ करना चाहता हूं। "Where no tax has been deposited by a dealer under section 5." यह लफ़ज़ जो इस clause में हैं, फालतू हैं। क्योंकि इस में म्याद जो कि 30 दिन की है, 14 मार्च से ले कर 14 April को पूरी हो जाती है। आज हम यह बिल पास कर रहे हैं। इस के बाद Upper House में भी पास होना है। अगर Government जल्दी से जल्दी भी करे तो इस को आखिर April तक ज़रूर ही वक्त लग जायेगा। मगर जब 30 दिन की मियाद रखी गई है तो यह खुद बखुद redundant हो जाती है।

Mr. Speaker : It shall come into force at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी : Yes Sir, this is right. मगर जब यह पास हो जायेगा तो it shall come into force at once की बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री हर भगवान मौदगिल की जो amendment है वह मूव हो चुकी है। वह यूं है: (Amendment by Shri Harbhagwan Maudgil has already been moved to this effect. It is like this :)

For sub-clause (3), *substitute* the following :—

"(3) Sub-section (1) of section 13 and sub-section (2) of section 18 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall be deemed to have come into force on the 24th March, 1958".

चौधरी धर्म सिंह राठी : तो झगड़ा ही नहीं रहता। मैं मिनिस्टर साहिब को अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर 14 दिसम्बर क्यों रख दिया, फिर 3 महीने रख दिया गया और उसके साथ यह provision भी कर दिया कि 30 days. ...

5 p.m.

अध्यक्ष महोदय : उस से पहले तो Ordinance था। (Before that there was an Ordinance in force.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Ordinance तो है ही नहीं। उसका तो सहारा यह ले ही नहीं सकते।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मेरी सुनिए । उस वक्त Ordinance था । उस के lapse होने के बाद यह बिल आया और intervening period cover करने के लिये यह amendment आई । (The hon. Member may please listen to me. At that time the Ordinance was in existence. After the lapse of that Ordinance this Bill was brought and to cover the intervening period this amendment has come before the House.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : Intervening period तो उस चीज़ का होता है जो lawful होती है । Ordinance कोई नहीं । उसकी तो बात हो नहीं । वह Ordinance तो रद्दी की टोकरी में डालने वाले एक कागज़ के बराबर है । जहां तक 24 मार्च की बात है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप तो lawyer हैं आप को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता । (The hon. Member is a lawyer and it ill becomes him to say things like this.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जी हां, यह बिल्कुल ठीक है कि उस Ordinance की कीमत रद्दी के टोकरी के कागज़ के बराबर है । क्योंकि वह lapse हो चुका है । इसके लिए constitution का हवाला दे सकता हूं । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सारा का सारा Act contradictory है । इस में 14 मार्च फिर उसके साथ 14 दिसम्बर वगैरह यह ऐसी बातें हैं जो meaningless हैं और कोई तुक्त इन clauses की नहीं हैं । इस लिये मैं कहूंगा यह बिल्कुल part of the Bill नहीं होना चाहिये । और मैं डाक्टर साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि वह मेरी बात को मान लेंगे ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ objections ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 9

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : Clause 9 ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇਹ amendment ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ move ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

I beg to move Sir—

At the end of the Clause add—

"within one month of the date of applying for the refund."

ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ Clause 9 ਦਾ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉ, ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ।

The assessing authority shall, in the prescribed manner, refund to a dealer applying in this behalf any amount of tax paid by such dealer in excess of the amount due from him under this Act by a refund voucher.

ਮੈਂ ਨੇ ਇਹ add ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ—

At the end of the clause, *add*—

"within one month of the date of applying for the refund".

ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ amendment ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹ red tapism ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ । ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ limit ਮੁਕੱਰਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਂਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ efficiency ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ limit ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ।

ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇਹੇ cases ਹਨ ਕਿ sales tax ਗਲਤ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ appeal ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ money refund ਨਹੀਂ ਹੋਈ । ਜੇ ਮੇਰੀ amendment ਮਨ ਲਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲਾਲ ਫੀਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ efficiency ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ amendment ਮੰਜ਼ੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Motion moved—

At the end of the clause, *add*—

"within one month of the date of applying for the refund".

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the clause, *add*—

"within one month of the date of applying for the refund".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਇਸ clause ਤੇ amendment out af order ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ clause ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ । ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਫ਼ਰਮਾਓ ।

No assessment made and no order passed under this Act, or the rules made thereunder, by any authority, shall be called in question in any civil court.

ਇਸ clause ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਿਹੜੇ civil courts ਹਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ establish ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ tax ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘਟ ਲੈਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ courts ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ authority. ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ

ਵਹੀ ਕਾਤਿਲ ਵਹੀ ਮੁਖ਼ਬਰ ਹੈ ਵਹੀ ਮੁਨਸਫ਼
ਅਕਰਬਾ ਮੇਰੇ ਕਰੇ ਖ਼ੂਨ ਕਾ ਦਾਵਾ ਕਿਸ ਪਰ !

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ department ਦੀ authority ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਬਲਕਿ judicial courts ਦੀ ਹੀ jurisdiction ਰਹੇ । ਫਿਰ ਇਸ Act ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ 13 ਦਿਸੰਬਰ ਤਕ ਜਿਹੜਾ stock ਸੀ ਉਸੇ ਤਕ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ 12 ਹੈ ਉਹ ਡੀਲੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ (judiciary) ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਗਲਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ 'ਹੈਲਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ' ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ (judiciary) ਨੂੰ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਸਕੇ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब स्पीकर साहिब, मैं इस Bill की clause 12 के मुताल्लिक अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कुछ चौधरी बलबीर सिंह

जी ने कहा है वह बिल्कुल दुरुस्त है। स्पीकर साहिब, एक तरफ़ तो कहा जाता था कि हम courts में इस बिल को challenge कर सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ़ जो court में जाने का अख्तियार है उसे हमारी Government इस clause की रू से छीन रही है। जनाब स्पीकर साहिब, मेरा ख्याल है कि आप उस वक्त स्पीकर नहीं थे जब हमारे Chief Minister साहिब कहते थे कि assessment के बारे में दावा कर देना। लेकिन अब उन्होंने यह कर दिया है कि assessment के बारे में कोई दावा नहीं हो सकता और न ही assessing authority का order challenge किया जा सकता है। इस लिये मैं यह समझता हूं कि उस वक्त उन्होंने यह बिल पढ़ा नहीं था इस लिये कह दिया था कि दावा कर देना। अब यह जो clause रखी गई है इस से साफ़ ज़ाहिर होता है कि लोगों के हकूक के ऊपर छापा है। इस लिये मैं House को request करूंगा कि यह जो Bill है और यह clause पास नहीं होनी चाहिये। मैं इस की मुखालफ़त करता हूं और Minister साहिब से request करूंगा कि वह इस को वापिस ले लें।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 13 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ (4) ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਔਬਜੈਕਸ਼ਨ (objection) ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੀਟਰਨ (return) ਨਾ ਭੇਜੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਕਸ਼ਨ (4) ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੀਟਰਨ (return) ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਨੇਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਲਾਜ਼ 13 ਦੀ ਸਬਕਲਾਜ਼ (੧) ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 1956-57 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ 1/12 ਹਿੱਸਾ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। (To which clause the hon. Member has brought an amendment.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਲਾਜ਼ 13 ਦਾ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ।

In sub-clause (1), *for* "one thousand rupees", *substitute* "1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

Mr. Speaker : Identical motion was moved in Clause 3 and that was lost.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਿਤਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਮਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਸੀ । ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲੋਂ ੧/੧੨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਮਗਰ ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੀਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ੧/੧੨ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸ ਚੁਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਗਰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਤਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ੧ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵਿਚ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । (Chaudhary Sahib, your present amendment is identical with the previous one.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਹੈ । ਇਹ ਕਲਾਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੈ । ੬ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਬ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਰਮੀਮ ਇਹ ਸੀ ।

Any assessment made under this section shall be without prejudice to any prosecution instituted for any offence under this Act.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਪੈਨਲਟੀ (penalty) ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਬੇਸੀਕਲੀ (basically) ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਖੈਰ ਆਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈਂ । (Basically there is no difference in these clauses, however, the hon. Member may discuss it.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਏਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (੨) ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਰਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬਜਜ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ।

In sub-clause (2), lines 5-6 for, "no court inferior to that of a Magistrate of the first class" substitute "Sub Judge."

ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜਜ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਮੀਨਲ ਲਾਈਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰਿਮੀਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਜ਼ (rare cases) ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਲਾਈਅਰ ਦੋਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਮਾਹਿਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ । ਏਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਅਲਹਿਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟਸ ਅਲਹਿਦਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਏਸ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਮਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਲਟਰਾਵਾਇਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹਨ ਉਹ ਸਬ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਇਹ ਮੇਰੀ amendment ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ complication ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ confidence create ਹੋਵੇਗਾ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ confidence create ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ confidence ਤਾਂ ਹੀ create ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸਨੂੰ judiciary ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ clause 13 ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ amendments ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

Mr. Speaker : Motions moved—

In sub-clause (1), *for* "one thousand rupees", *substitute* "1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

In sub-clause (2), lines 5-6, *for* "no court inferior to that of a Magistrate of the first class", *substitute* "Sub-Judge".

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, मैं इस amendment के बारे में इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिस मेंबर साहिब ने यह amendment पेश की है उनको इतना ही अगर पता नहीं है कि Sub-judge को criminal powers हो नहीं होतीं तो इस चीज़ पर क्या बहस हो सकती है । (हंसी) मेरा ख्याल है कि उनकी amendment का जवाब इतना ही काफ़ी है मैं और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं समझता ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, हमारे फाईनेंस मिनिस्टर साहिब वकील भी हैं इस लिये उनको मालूम होना चाहिये कि सब-जज को यह powers invest की जा सकती है और बहुत से sub-judges यह magisterial powers exercise कर भी रहे हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह जो sub-judge है उस को अगर magistrate की powers देंगे तो वह magistrate ही बन जाएगा । (A sub-judge when invested with the powers of a magistrate becomes a magistrate.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह ठीक है मगर मेरी अर्ज़ यह है कि अगर Sub-judge को magistrate की powers दे दी जाएं तो वह executive के तहत नहीं आता है बल्कि High Court के तहत आता है । उस की report High Court को जाती है और executive उस पर दबाव नहीं डाल सकती है । इस के अलावा sub-judge जो है वह sales tax की बातों को और इस किस्म की taxation की implications को अच्छी तरह समझ सकता है । इस लिये sub-judge को ही यह अख्तियारात मिलने चाहिएं ।

Mr. Speaker : But the Sub-judge will also become a Magistrate while acting as a Magistrate.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह तो ठीक है लेकिन इस में फ़र्क है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि सब-जज को magistrate की powers दी जा सकती है इस लिए जो इस amendment में कहा गया है उसे मान लिया जाए । स्पीकर साहिब, इस में फर्क है कि जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि Sub-judge जो है वह executive के असर में नहीं होता है मगर magistrate जो होता है वह executive के तहत होता है इस लिये वह सही तौर पर काम नहीं कर सकेगा । दूसरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस में ऐसे provision कर रहे हैं कि जिन के तहत लोगों को भारी सज़ा देना चाहते हैं । Payment के असूल के बारे में पहले काफ़ी अर्ज़ कर चुके हैं । गवर्नमेंट उन बातों का ख्याल न करके इस क्लाज़ के मातहत उन लोगों को भारी सज़ा देने जा रही है जो कि एक हज़ार रुपया जुर्माना तक होगी । मैं अर्ज़ करूंगा कि इस किस्म की चीज़ नहीं होनी चाहिये । जो एक हज़ार रुपया जुर्माने की सज़ा तजवीज की जा रही है वह बहुत ज़्यादा है । जो amendment चौधरी बलबीर सिंह ने पेश की है उसको मान लेना चाहिये । इन अलफाज़ के साथ मैं अपने दोस्त की amendment की ताईद करता हूं और इस क्लाज़ की मुखालिफ़त करता हूं ।

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : स्पीकर साहिब, इन की amendment का मतलब जो मेरी समझ में आया है और जैसे कि आपने भी interpret किया है कि a sub-judge if invested with the powers of a magistrate also becomes a magistrate. वैसे ही वह कहते हैं कि sub-judge acting as a magistrate should be given powers. मेरी समझ में जो बात आई है वह यही है कि इनका मनशा इस amendment से यही है ।

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (1), *for* "one thousand rupees", *substitute* "1/12 of the sales tax deposited by the dealer in the year 1956-57".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (2), lines 5-6, *for* "no court inferior to that of a Magistrate of the first class", *substitute* "Sub-Judge".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 13 stand part of the Bill.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think Ayes have it". This opinion was challenged. The Speaker again ascertained the vote of the House by voices and thereafter declared the motion carried.

The motion was declared carried.

CLAUSE 14

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 17

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 17 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 18

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका): स्पीकर साहिब, मैं इस के बारे में बहुत बातें नहीं कहना चाहता हूं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि ये इस clause के ज़रिए तमाम जो accounts होंगे, documents होंगी और जो तमाम proceedings evidences वगैरह होंगी उन को confidential करना चाहते हैं कि वह खुफ़िया होंगी । इस का मतलब यह हुआ कि उसकी कापी वगैरह कोई नहीं ले सकेगा । यह चीज़ बिल्कुल ग़लत है और नावाजिब है । यह नहीं होनी चाहिये । इस किस्म की मिसाल कहीं नहीं मिलती है कि कहीं इस किस्म का बिल हो कि तमाम returns, evidences और जो documents पेश की गई हों उन को private रखा जाए । यह बात समझ में नहीं आती कि इन में यह क्यों किया है । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह इस की जो returns हैं, accounts हैं और इन को पेश करने में जो documents और evidences पेश करें वह public document होनी चाहिये और जो जब चाहे उनकी copy ले सके और जहां चाहे वहां उसको इस्तेमाल कर सके । यह confidential नहीं होनी चाहिये । इन अलफ़ाज़ के साथ मैं इस clause को oppose करता हूं ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 18 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 19

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ rules making powers ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ । ਰੂਲਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਬੇਮਾਇਨੀ ਹਨ । ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ The form and manner in which the returns under section 4 shall be furnished ਉਸਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਮਿਆਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ । ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ The manner of giving reasonable opportunity . . . . . ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਥੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਰੂਲਜ਼ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 19 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 20

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 20 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 21

Chaudhri Balbir Singh (Hoshiarpur, General) : Sir, I beg to move—

Delete the proviso to the clause.

Provided that no person shall be entitled to refund of any fee paid by him in respect of the licence issued under the Act so repealed or compensation in lieu thereof.

मेरी अर्ज़ है कि यह जो Tobacco Vend Fees Act है यह repeal किया जा रहा है । एक तरफ तो सरकार ने यह असूल बनाया कि जो लोगों के पास existing stock है उस पर टैक्स लगाना है और जो टैक्स ले लिया हुआ है वह वापिस करना है । होना यह चाहिये कि जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उन से ले लें, लेकिन जिस ने ज्यादा दे दिया है वह refund होना चाहिये । जब 13 दिसम्बर के बाद यह टैक्स नहीं लगना तो यह जो excess 14 दिसम्बर से लेकर 31 मार्च तक जमा करवाया है वह refund होना चाहिये । यह वसूली गलत है । सरकार दो तरीके नहीं अपना सकती । या तो existing clause को छोड़ना पड़ेगा या इस क्लाज़ को वापिस लेना पड़ेगा । यह दोनों तरीके नहीं चल सकते ।

Mr. Speaker : Motion moved—

Delete the proviso to the clause.

Mr. Speaker : Question is—

Delete the proviso to the clause.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 21 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 22

Sardar Harchand Singh : Mr. Speaker......

Mr. Speaker : Yes, Shri, Harbhagwan Maudgil has authorised Sardar Harchand Singh in writing to move the amendment and I allow S. Harchand Singh to move the amendment.

Sardar Harchand Singh (Samana, 'Reserved') : Sir, I beg to move—

For Clause 22, the following clause be substituted :—

"22. *Validation.*—Everything done and every action taken (including every order, notification and rules made) in exercise of the powers conferred by or under the Punjab Textile and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Ordinance, 1957 (Punjab Ordinance No. 9 of 1957), are not withstanding the expiry of that Ordinance, hereby validate, and shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was inforce on the day on which such thing was done or such action was taken".

Mr. Speaker : Motion moved—

For clause 22, the following clause be substituted :—

"22. *Validation.*—Everything done and every action taken (including every order, notification and rules made) in exercise of the powers conferred by or under the Punjab Textile and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Ordinance, 1957 (Punjab Ordinance No. 9 of 1957), are, notwithstanding the expiry of that Ordinance, hereby validated, and shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was in force on the day on which such thing was done or such action was taken."

Minister for Planning and Community Projects : Sir, I accept this amendment.

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, यह जो क्लाज़ 22 है इस में यह amendment तो इस वक्त कर रहे हैं लेकिन यह ज्यों की त्यों रख ली गई है :

"The Punjab Textiles sugar existing stocks"

यह तो delete नहीं किया ।

Purchase Tax of Miscellaneous Provisions Ordinance

तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो Ordinance है वह तो lapse हो चुका है । इस को repeal करने से कोई बात नहीं बनती । क्योंकि Ordinance है ही नहीं ।

वह यह कहते हैं कि retrospective effect से लगा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप को इस के लिये अमेंडमेंट लानी चाहिये थी । (He should have brought an amendment to this effect.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह तो ज्यों का त्यों रख दिया है । इस को delete नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : इस से कोई फर्क नहीं पड़ता । आप चाहते तो इस के लिये amendment दे देते । (This does not make much difference. The hon. Member could if he liked, put in an amendment to this effect.)

चौधरी बलबीर सिंह : मैं भी राठी साहिब की . . .

Chaudhri Dharam Singh Rathi : Sir, I was on my legs.

Mr. Speaker : How can I ask you to sit down when you have so strong legs.

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह जो इस किस्म की कार्रवाई कर रहे हैं जो कि बिल्कुल प्रजातन्त्र में नहीं होती । मैं समझता हूं यह चीज़ retrospective effect की provision करने के लिये back door से लाई गई है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सिर्फ convenience के लिये किया गया है । वरना इस से कोई फर्क नहीं पड़ता । (This has been done simply for the sake of convenience, otherwise it does not make much difference)

चौधरी धर्म सिंह राठी : वह तो lapse हो चुका था । हाउस का इतना वक्त जाया न होता अगर यही अमेंडमेंट पहले ही आ जाती । मैं समझता हूं कि वगैर पढ़े बिल ले आए हैं । Retrospective effect की provision पहले लाते तो और मेंबर भी अमेंडमेंट देते । मैं समझता हूं कि यह तानाशाही की बात कर रहे हैं । Retrospective date की provision करना बड़ी अजीब बात है । और भी बहुत सी अजीब बातें होती हैं लेकिन यह बहुत ही अजीब बात है ।

अध्यक्ष महोदय : Validation की provision हर ऐक्ट में होती है । (There is provision of validation in every Act.)

योजना मंत्री : स्पीकर साहिब, बहस तो इस वक्त तक इतनी हो चुकी है कि इस पर repetition की इजाजत नहीं देनी चाहिये ।

Mr. Speaker : Question is—

For Clause 22, the following clause be substituted :—

"22. *Validation.*—Everything done and every action taken (including every order, notification and rules made) in exercise of the powers conferred by or under the Punjab Textile and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Ordinance, 1957 (Punjab Ordinance No. 9 of 1957), are, notwithstanding the expiry of that Ordinance, hereby validate, and shall be deemed to have been done or taken in exersise of the powers conferred by or under this Act as if this Act was in force on the day on which such thing was done or such action was taken."

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 22, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Planning and Community Projects : Sir, I beg to move—

That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill, 1958, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill, 1958, as amended, be passed.

श्री बलराम दास टण्डन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, House जिस Bill को पास कर रहा है उस के बारे में मैंने पहले भी कुछ खदशात आप के ज़रिए वज़ीर साहिब के आगे रखे थे। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं जिस spirit की आशा करता था कि सरकार उस spirit के अन्दर House की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो genuine बातें हैं और जिस जनता के genuine affairs को लेकर चलती है, जिस को कि opposition के लोगों ने उनकी सेवा के अन्दर रखा है, उनके ख्यालात और खदशात को दूर करने के लिये उनकी भावनाओं को adjust करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े अफ़सोस का मकाम है कि सरकार ने यह जो दो readings के अन्दर पास किया है उसके अन्दर इन बातों की तरफ़ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिए उन के सामने उन बातों को रखना चाहता हूं। दरअसल हैरानी की बात यह है कि यह जानते हुए भी कि दूसरे सूबों के अन्दर और साथ लगने वाले दिल्ली प्रदेश के अन्दर जिस तरीके से सरकार ने इस को लगाया है, उसकी तफसील जानने के बावजूद अगर यहां की सरकार उस spirit को समझने और लोगों की भावनाओं को adjust करने के लिये तैयार नहीं होती तो सिवाय अफसोस के और कोई भी बात मेरे पास कहने के लिये नहीं है। अगर उन्होंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए बड़े बड़े लोगों से भी यह tax लेने के लिये यह provision नहीं की तो मैं नहीं समझ सका कि एक तरफ तो सरकार इस तरीके से सोचती है, ऊपर से लेकर नीचे तक जिस सरकार का जो सरकार centre और provinces की सरकारों को चला रही है, उस policy को चलाने वाली जो यहां पर उसकी unit है, जिस के दिल और दिमाग़ के अन्दर यह नकशा है कि हमें Socialist Pattern of Society बनाना चाहिये, वह सिर्फ उस तरीके से सोचे। मुझे वज़ीर साहिब की यह बात सुन कर हैरानी हुई कि जो थोक फरोश हैं वे capitalists नहीं होते, बड़े लोग नहीं होते, सरमायादार नहीं होते, और जो परचून का काम करने वाले हैं वे ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। पैसे को कमाते हैं। जो general accepted principle है उस से दूर हट कर हमारे वज़ीर साहिबान इस सदन के अन्दर खड़े हो कर के ऐसा कहते हैं। ऐसा करना अच्छा नहीं। जो आदमी कपड़े की पेटियां खरीदता है, मैं कपड़े का काम करता हूं, मैं जानता हूं कि जो आदमी दस दस, बीस बीस, पचास पचास पेटियां कपड़े की खरीद सकता है और एक दूसरा आदमी जो दस बीस गज़ खरीदता है या बेचता है, उस के बारे में यह कहना कि वह ज़्यादा मुनाफ़ा कमाता है बनिसबत उस आदमी के जो पेटियों का काम करता है, उसको तो छोड़ देना, exempt कर देना और छोटे लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा revenue इकट्ठा करने के लिये उन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डालने की कोशिश करना, वास्तव में यह दुःख की बात है। ऐसी सरकार से आशा नहीं की जा सकती, जो भावों के अन्दर तो यह कहे कि हम Socialist Pattern of Society बनाना चाहते हैं, जो बड़े लोग हैं जो unnecessary रुपया इकट्ठा करके इस समाज को गलत ढंग से चला रहे हैं, उनको हम रहने नहीं देना चाहते, जो लोग मेहनती हैं, जिन का कोई साधन नहीं, जिन के पास सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिये कोई साधन नहीं उन को हम ऊपर उठाना चाहते हैं। ऐसे काम करने वाली यह सरकार है, जो उलटा करती है, उस से आशा नहीं की जा सकती। जो disparity है उसका इलाज करने की कोशिश करें।

उसके बाद मैं समझता था कि सरकार इस बात की तरफ़ भी ध्यान देने की कोशिश करेगी कि अगर किसी भी कारण से न Ordinance के अन्दर, न इस Bill को पेश करते हुए—शायद Act बनने से पहले पहले सरकार के दिल के अन्दर उन लोगों के लिये दया आजाए, दया का भाव दिखाते हुए शायद वज़ीर साहिबान कह दें कि जैसे दिल्ली की सरकार ने 1/12 हिस्सा लगाया है हम भी ले लेते हैं। तो जिस तरह की भावना उनके दिल के अन्दर होती है वैसा ही करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की बातें वज़ीर करें, तो जो ऐसा भाव करता हो उसके बावजूद भी अगर सरकार जनता का ख्याल सामने नहीं रखती तो दुर्भाग्य की बात है। They want to squeeze every drop of blood in the people. कि जो कुछ आज समाज के अन्दर थोड़ा सा खून बचा है उस को किसी भी तरीके से खैंच कर इकट्ठा करना है। सिवाय इस के और कोई भावना नहीं दिखाई देती। जो बातें पहले कही गई हैं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। दाल और रोटी की बातें कही गई हैं। सरकार ऐसी taxation-minded है कि जनता का पैसा किसी भी तरीके से आए, किसी भी ढंग से आए, किसी भी रास्ते से आए, कोई भी साधन हो उसका दुरुपयोग होता है। उसका उपयोग कैसे होता है यह पता नहीं। बजट की बहस के दौरान कहा गया है कि सरकार के रुपये का कैसे दुरुपयोग होता है। पता नहीं पण्डित जी के कानों के अन्दर या दूसरे वज़ीरों के कानों के अन्दर यह बातें पड़ती हैं या नहीं। लेकिन जो संस्था जो पैसा ऐसा होता है वह हमारे सामने है। सरकार की tendency हमारे सामने है। जिस tendency से सरकार सोचती है, वह पैसा इकट्ठा करना चाहती है। वह जनता के लिये साधनों को इकट्ठा करने के लिय भी मौका नहीं देती, चाहे जनता के पास देने के लिये यह होता है या नहीं। सरकार को सिर्फ़ यही नहीं सोचना चाहिये। मुझे यह tendency नज़र आती है। जो बातें हम बाहर देखते हैं उन बातों को अगर इकट्ठा किया जाए तो पता चलता है। मैं आपकी निवाज़िश से यह रखना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे units हैं, Municipalities भी अगर पास कर के भेजें, हमारी सरकार इतनी taxation-minded हो चुकी है कि उसे नहीं मानती। अमृतसर की Municipality ने कहा था कि हम cycle tax के बगैर काम चला सकते हैं। सरकार के पास Resolution पास कर के भेजा। Resolution पास करने के बावजूद सरकार ने नहीं माना।

Mr. Speaker : This is the third reading stage and it has a specific object. The thing which you have passed that cannot be gone back. At the third reading stage only the method of implementation and general suggestions about its usefulness can be given.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिये सरकार का ध्यान उसी पे दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कहने के योग्य हो गए कि मैंने वहां कहा था अमृतसर cycle tax के बारे में (The hon. Member is now in a position to say to his constituents that he had made a mention of the Amritsar cycle tax in the Vidhan Sabha.)

Shri Baru Ram : Sir, is it not a reflection on the hon. Member?

Mr. Speaker : No please. I have said, 'it is not relevant'. This could be said somewhere else.

श्री बारू राम : जो आप ने यह कहा है कि आप कहने के काबल हो गए, this is a reflection on the hon. Member.

Mr. Speaker : I have just said that if the hon. Member wanted to say that he could say at some other place and not here.

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था कि मैं उसको इस तरीके से सरकार के पास लाना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि सरकार इतनी taxation minded हो गई है कि जो लोग अपना काम चला सकते हैं यह उनको भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं। बाकी का तो जिन के हाथ में ही नहीं उनका तो क्या कहना। जो लोग चला सकते हैं उन्हें इजाज़त नहीं देती। मेरा मिसाल quote करने का मतलब यही था। मिसाल के बगैर वह बात नहीं बनती।

अध्यक्ष महोदय : जो मैंने observation की है आप उसका थोड़ा सा regard रखें। यह बातें जो हैं यह और जगह पर कह देना। Third reading पर specific बातें करनी चाहियें। (The hon. Member should have some regard for the observation made by me. He may mention these things on some other occasion. Some specific points are to be stated at the third reading of the Bill.)

श्री बलराम दास टण्डन : बड़े अफसोस का मुकाम है कि जहां एक तरफ केंद्र की सरकार ने तो यह सोचा कि जनता को relief दिया जाए और जैसा कि इस Bill के objects and Reasons के अन्दर यह बात बताई गई है कि यह cess केंद्रीय सरकार की तरफ़ से किया जा रहा है और यहां की सरकार को तो मजबूर हो कर करना पड़ता है। उसका मनशा हमारे हां नहीं रखा गया है। जो केंद्रीय सरकार का मनशा है इस के अन्दर उसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं की। तो सरकार के मनशे के विपरीत चल कर यह लोगों का squeeze कर के उन से पैसे छीनने की कोशिश की है। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा यह बात रखना चाहता हूं।

स्पीकर साहिब, मैं पहले भी यह बात आप के द्वारा सरकार के सामने रख चुका हूं। इस समय फिर यह बात कहना चाहता हूं कि वे जनता के fears को दूर कर सकते हैं। अब एक बात हमारे सामने आई है जिस को देख कर ऐसा महसूस होता है कि अमूमन सरकार स यह आशा की जाती है, कि जिस प्रकार एक individual एक व्यक्ति कई बार अपने स्वार्थ की बात को सामने रख कर उस को इन्साफ़ पर preference देता है, इन्साफ़ की बात को एक तरफ रख कर बिल्कुल अपने स्वार्थ की बात पर चलने की कोशिश करता है, उस प्रकार से कार्य सरकार नहीं करेगी। जो सरकार जनता की भलाई के लिये है, जनता के लाभ के लिये है उस से इस रीति से कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। यह जो पैसा इकट्ठा होगा, यह किसी की जेब में तो जाना नहीं है। जनता का जो पैसा होगा वह निश्चित

ही जनता के काम आने के लिये है। लेकिन जब जनता के जजबात की कदर न की जाए और इन्साफ़ को एक तरफ रख कर जब सरकार कार्य करने का यत्न करती है तो मन को दुःख होता है। आखिर यह सरकार जनता की सरकार है। इस को जनता के जज़बात को एक तरफ रख कर काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। यह जनता की सरकार है इस को स्वार्थ को मुख्य रख कर और जनता की भलाई को नज़र-अन्दाज़ करके क्यों काम करना चाहिये। मैं licences के बारे में कहना चाहता हूं कि अब केंद्रीय सरकार के आर्डर के मुताबिक licences की तारीख 14 दिसम्बर को खत्म होती है। इस बारे में मैं महात्मा गांधी के सचाई और अहिंसा के पुजारियों से, जिन्होंने यह संस्था कायम कर रखी है और सरकार बनाई हुई है, यह कहना चाहता हूं कि वे, चाहे किसी प्रकार भी हो, कम से कम सचाई को सामने जरूर रखें और स्वार्थ को सामने न रखें। अगर दुकानदार पैसा देते हैं और कानून खत्म हो चुका है तो उन को पैसा क्यों न वापस किया जाए। वह कौन सी सचाई है जो इन को ऐसा करने की इजाज़त देती है? इखलाकी तौर पर ये committed हैं। यह बात तो बिल्कुल वही है कि किसी से हम दुकान का किराया अगले महीने की चौदह तारीख तक लेते हैं। लेकिन दुकान तो उस से खाली करवा लेते है पहले महीने की 31 तारीख को और फिर उस को किराया वापिस नहीं करते। ठीक यही बात हमारी सरकार पर licences के विषय में लागू होती है। और फिर इस के बावजूद जो रवैया हमारी सरकार ने अख्तियार किया हुआ है वह एक लोकतन्त्र सरकार की शान के बिल्कुल शायां नहीं है। यदि वह सच्चे दिल से इस बात को सोचने का यत्न करेगी तो इस तथ्य का असर ज़रूर उन के मन पर होगा। चूंकि यह सरकार जनता की भलाई के लिये है यह इन्साफ़ की भावना अवश्य ही इन के मन पर असर करेगी। इस लिये मैं दोबारा आप के द्वारा इन से प्रार्थना करूंगा कि जो हिस्सा उन का बनता है वे उन को वापस कर दें। 14 दिसम्बर से लेकर 31 मार्च तक जो रकम बनती है वे इन को वापस कर दें।

इस के पश्चात् मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून बनते हैं और पास होते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की नीति यही रही है कि विरोधी पक्ष की ओर से चाहे कोई भी सुझाव आये उस को गिराने का यत्न किया जाता है। कई बार यह ख्याल दिल में आता है। परन्तु मैं फिर भी आशा करता हूं कि यहां सरकारी बैंचों पर जो पण्डित जी बैठे हुए हैं जो कि धन के मालिक हैं और उन के साथ जो टैक्स के मालिक हैं वे भी पण्डित जी ही हैं। दोनों ही पण्डित हैं। मैं आशा करता हूं कि पण्डित बड़े दयालु होते हैं, बड़े मेहरबान होते हैं। आज तक तो यही सुनते आये हैं। पण्डिताऊपन का टैस्ट इसी बात पर होता है कि वे कितने दयालु हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : जब तक बिल पास नहीं होता वे दयालु रहेंगे। उस के बाद नहीं। (They will continue to be kind so long as the Bill is not passed and not afterwards.)

श्री बलराम दास टण्डन : स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा उनकी सेवा में यह कहना चाहता हूं कि जो एक हज़ार रुपये की पेनलटी इस के अन्दर रखी गई है वह न रखें। क्योंकि

[श्री बलराम दास टण्डन]
डेट लेप्स हो गई है और आज ऐक्ट बन रहा है, तारीख आज से बहुत दिन पहले खत्म हो चुकी है, उन के ऊपर इस पेनलटी को लगाने की कोशिश न करें। उन को क्यों इतना दंड दे रहे हैं। अगर ऐसी बात वे रूल्ज़ में रखने के लिये अपने आप को असमर्थ समझते हैं तो मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सदन को इस बात का विश्वास दिलाएं कि वे किसी प्रकार की पेनलटी किसी सूरत में भी उन पर लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहिब, आप के द्वारा मिनिस्टर साहिब की सेवा में यह बात रखना चाहता हूं कि जिस प्रकार केंद्रीय सरकार दिल्ली में 1/12 ले कर काम चला रही है उसी प्रकार वे भी ले लें। जब दिल्ली में ऐसा होता है तो कोई वजह नहीं है कि हमारे सरहदी सूबे मे जब कि सरकार सारे देश में सोशलिस्टक पेट्रन आफ़ सोसाइटी कायम करना चाहती है, दिल्ली से ज्यादा टैक्स वसूल करे। इस बार्डर के सूबे में बैठ कर दिल्ली से ज़्यादा टैक्स वसूल करने में कोई जस्टीफिकेशन नहीं नज़र आती। अन्त में मैं फिर आप के द्वारा उन से यह अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की तरह ही वे भी 1/12 टैक्स लेकर ही काम चलाने की कोशिश करें।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ repetition ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉਤੇ ਰੱਸੀ ਰਗੜਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਉਤੇ ਵੀ ਘਾਸੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਚਿਕਨੇ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੀ। ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਦਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ reference ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1954 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ stock in hand ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ taxation ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, Sales Tax ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ purchase basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਕਤ stock in hand ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਜ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। State Tax ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Central Government ਵਲੋਂ excise duty ਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ Sales Tax ਸੀ। ਇਸ system ਨੂੰ 1954 ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ purchase basis ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ stock in hand ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਗਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਾ system ਬਦਲਿਆ ਹੈ, State Government ਦੀ ਬਜਾਏ Central Government excise duty ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜ ਵੀ ਬਹੁਤ stock in hand ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ

ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸੀ ਵਧੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਪਾਰੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ system ਚੰਗਾ ਹੈ ਪਰ Minister ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਸਖਤੀ ਹੈ . . . . .

श्री लाल चन्द : On a point of order, Sir, इस तरफ हमारी बहनों में लड़ाई हो रही है। (*laughter*)

अध्यक्ष महोदय : Order please, अगर आप ने बोलना है तो lobbies में चली जायें। (If they want to talk to each other, they may please go to the lobbies.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਖਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਉਪਾਰੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ system ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Whole salers ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ traders ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ whole salers ਹੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਔਰ retailers ਅਮੀਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਅਕਲ ਛੋਟੀ ਸੀ।" ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਲ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ figures collect ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ data ਖੁਦ collect ਕਰਦੀ, ਉਹ ਬਿਉਪਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਨਠਦੇ ਭਜਦੇ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ rules ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਰਖੇ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਸੀ, ਦੁਖ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੀ ਨਸਭਜ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ 'stock in hand' ਦੇ basis ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇ ਮੈਂ amendment ਦਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ 1/12 ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, मैं सिर्फ़ एक मिनट ही लूंगा।

6 p.m.

यह जो कुछ पास हो चुका है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। जो कुछ कहना था सब कुछ कहा जा चुका है। अब तो इस थर्ड रीडिंग के वक्त मैं मिनिस्टर साहिब से सिर्फ एक रिक्वैस्ट करना चाहता हूं। वह पैनल्टी क्लाज़ (penalty clause) के बारे में है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो आदमी इस बिल के पास होने के बाद जल्दी जल्दी अपनी रिटर्न भेज दे और पेमैंट भी जमा करा दे उस पर यह सज़ा वाली क्लाज़ लागू न की जाए क्यों कि इस बिल के पास हो जाने से एक ऐसी चीज पैदा होने वाली है जो कि अब से पहले नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक नमूने की स्पीच थी इस बिल की थर्ड रीडिंग स्टेज पर।
(This was a specimen speech made on the third reading of the Bill.)

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : स्पीकर साहिब, जो जो सवाल पहले आ चुके हैं उन का जवाब तो मैं काफी तफसील के साथ दे चुका हूं। अब सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहता हूं। यह कहा गया कि हाउस में गवर्नमेंट ने जनता की आवाज़ को सुना नहीं। मैं समझता हूं कि बाज़ मेंबर साहिबान की एक तरह से सैट सी स्पीचिज़ होती हैं जो कि वह यहां पर करते हैं। इस का जवाब में यह दूंगा कि उन को गवर्नमेंट से निराशा होनी ही थी लेकिन मुझ को भी आज निराशा हुई। इस बात से नहीं कि अपोज़ीशन वाले यह बातें क्यों कहते हैं बल्कि इस बात से कि मैं तो हमेशा बातचीत करने के लिये तैयार रहता हूं। लेकिन बात करते करते भी लोग अगर अपनी बात से मुनहरफ हो जाएं और लांछन लगाने पर आ जाएं तो इस से बढ़ कर बुरी बात क्या हो सकती है। क्या वह मुझ पर भी अपनी बातों का, अपने रवैये का असर डालना चाहते हैं कि मैं अपने तरीके से हट कर, नर्मी के रास्ते को छोड़ कर बातचीत और मेल-मिलाप के रास्ते को छोड़ कर सख्त हो जाऊं और सख्त हो कर बरतूं? मैं सख्त नहीं हूं और न ही इस तरीका पर चलने की मेरी आदत है। बल्कि टंडन बाबू खुद मेरे पास आए और मुझ से कहा कि इन के साथ फ़ैसला कर लो। उन के कहने पर भी मैंने उन से बातचीत की थी। आज यह कहना कि गवर्नमेंट खराब है, यह टैक्स लगाती है, यह करती है वह करती है यह बहुत नाजायज़ बात है। ठीक है, गवर्नमेंट को हमेशा tax-minded तो होना ही पड़ता है। टैक्स तो गवर्नमेंट लगाती ही है, बगैर टैक्सों के लगाए काम कैसे चलता है? मैंने तो इस में नर्मी का वर्ताव किया। मैंने तो इस में एक तरह से कमज़ोरी दिखाई कि कम्पाऊंड करने वाली बात को मान लिया। इस तरीका से मेंबर साहिबान को हाउस का रवैया मालूम होना चाहिये था। लेकिन बजाए इस के उन बातों का फायदा उठा कर यह इल्ज़ाम लगाया जाए कि गवर्नमेंट नहीं मानती है, मैं समझता हूं कि बिल्कुल नामुनासिब बात है। मैं इस हाउस के अन्दर यह उम्मीद नहीं करता था कि एक चीज़ का फ़ैसला करके अब उस के खिलाफ़ बातें करनी शुरू कर दी जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस बिल को पास कर देगा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Textiles and Sugar (Existing Stocks) Purchase Tax and Miscellaneous Provisions Bill, as amended, be passed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared carried.

THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUSITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 1958.

Chief Minister (Sardar Partap Singh Kairon): Sir, I beg to introduce the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill.

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह कोई नई चीज़ नहीं है । हम इस पहले पास किए हुए कानून को पांच साल के लिये और आगे ले जाना चाहते हैं । घरों की इस वक्त भी कमी है । हमने इस से पहले पांच सालों में जो मकान requisition किए थे उन में से कईयों को छोड़ने के भी आर्डर कर दिए हुए हैं । लेकिन सैंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस को पांच साल के लिये और बढ़ाया है । हमारे पास भी चूंकि मकानों की कमी है इस लिये इस मयाद को बढ़ाने के लिये आप से इजाज़त मांगी है । यह एक छोटा सा बिल है जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि हाऊस पास कर देगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर-पूर्व) : स्पीकर साहिब, मुख्य मन्त्री जी ने जो बिल पेश किया है उस में बात तो यह बहुत छोटी सी है कि यह पांच साल के लिये और इस कानून की मियाद बढ़ाना चाहते हैं । इस पर हमें शायद कोई एतराज़ न होता अगर पिछला तजरूबा हमारा यह होता कि इस कानून का misuse नहीं किया गया है और इस का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है । जैसे हम बार बार पीछे कहते चले आये हैं कि Detention Act जो इनसान की ज़ात पर लगता है उस का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है । इसी तरह से यह एक्ट जो property पर लगता है (मुख्य मन्त्री : क्या बात कर रहे हैं) मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि सभरवाल क्या कहता है ? मैं उन से कहता हूं कि मुझे आप पर गिला है, मैं आप को एक example देना चाहता हूं कि आप ने किस तरह से इस एक्ट का misuse किया है और मैं यह बड़े अदब के साथ देना चाहता हूं ताकि आप यह न समझें कि मैंने कोई खास कटाक्ष करना है । इसी लिये पहले जब बजट पेश हुआ और उस पर बहस हुई थी तो मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था क्योंकि मैं समझता था कि अगर आपने अच्छी नीयत से वह काम किया है तो मैं उसे गलत महसूस न करूं । पर मुझे अब यह कहना पड़ता है कि पिछली elections के दिनों में जालन्धर के गिरदो निवाह की तमाम property जो requisition की गई हुई थी और उन properties के मालिकान को गवर्नमेंट ने उन properties को acquire करने के लिये notices भी दिये हुए थे । लेकिन मुख्य मन्त्री जी election के दिनों में जब वहां कुछ देर ठहरे थे और इन्होंने उन लोगों के वोट हासल करने के लिये उन्हें वायदे दिये थे कि हम इन properties को requisition नहीं करेंगे और उन के बारे में पहले जो orders हो चुके हैं उन्हें हम cancel कर देंगे । चुनांचि इन्होंने orders भी दे दिया कि जो पुरानी स्कीमें हैं जिन के तहत property acquire की गई है वह सारी की सारी छोड़ दी जाये । यह उन को वापस दे आये और वह इस से बहुत खुश थे मगर अब चार पांच महीनों के बाद उस सारी property को फिर से acquire करने के लिये उन के पास फिर order पहुंच

[श्री लाल चन्द]

गया है । मैं समझता हूं कि पहले मुख्य मन्त्री जी ने उन लोगों की property को उन्हें वापस करने का order दे कर एक बड़ा अच्छा काम किया था लेकिन अब फिर जो इन्होंने उन के पुराने मकानों को फिर चार पांच महीनों के बाद दोबारा acquire करने का जो order दे दिया है उस से जालन्धर के लोगों को यह शक होता है कि मुख्य मन्त्री जी शायद यह इस लिये कर रहे हैं कि उन लोगों के वोट कहीं उधर न चले जायें ।

इसी सिलसिले में मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि जो जायदाद गवर्नमेंट की तरफ से acquire कर ली जाती है उस की वही कीमत दी जाती है जो 15 सालों से पटवारी के नकशे में बनी होती है । 1939 के rules के मुताबिक उस जायदाद की जो कीमत 1951 या 1954 में थी वही दी जायेगी चाहे उस के मालिक के पास उस जायदाद के लिये registered deed भी मौजूद हों जिस से यह ज़ाहर होता हो कि उस जायदाद पर ज्यादा खर्च किया गया है । उस deed को भी consider नहीं किया जायेगा और इस तरह से उन लोगों के साथ जिन्होंने बड़ी नेक दिली से और सिदक दिली से market value से ज्यादा price दे कर उस जायदाद को खरीदा हुआ है सख्ती की जाती है । उन को market value भी उन जायदादों की नहीं दी जाती । एक मकान या building जो पुरानी बनी हुई है अगर उस को acquire कर लिया गया है और वह अगर 1901 में बनी हुई थी तो उस की कीमत इस तरह से निकाली जाती है कि 1901 में ईंटों का भाव यह था, गारे या मसाले का भाव यह था और अब उन की value यह रह गई है । इस तरीका से उन लोगों को बहुत कम मुआवज़ा दिया जाता है और जो मुआवज़ा मन्जूर किया जाता है उस को हासल करने के लिये पांच पांच, दस दस साल तक उन्हें अपनी ऐड़ियां घिसानी पड़ती हैं और सरकारी दफ्तरों के चक्र काटने पड़ते हैं । इस सिलसिले में मैं एक मिसाल आप के सामने रखना चाहता हूं जिस के बारे में मेरे पास 1954 का gazettee मौजूद है । जालन्धर में एक श्री रोमेश और श्री सत दो भाइयों की जायदाद को 1948 में ले लिया गया था । पहले वह P.W.D. के काम आती रही और बाद में वह D.A.V. College को दे दी गई थी । 18 May 1951 को उन की उस जायदाद का मुआवज़ा मन्जूर किया गया और वह भी cash में नहीं दिया गया बल्कि उस के बदले में उन्हें एक और property दी गई और उन्होंने उसे लेना भी मन्जूर कर लिया । लेकिन 18 May, 1951 से लेकर 1954 तक उस की gazette notification नहीं हुई । यह 12-2-54 को gazette हुआ लेकिन उस property का उन्हें कब्ज़ा आज तक नहीं दिया गया । पटवारी नें उस का इंतकाल चढ़ाया था मगर उस का इंतकाल भी मन्जूर नहीं किया गया और उस जगह पर कई लोगों ने खोखे बनवा लिये हैं और उस जायदाद का उन्हें कब्ज़ा नहीं दिलाया जा रहा । उसका कब्ज़ा लेन के लिये वहां 447 दफा के फौजदारी के मुकदमे चलते रहेंगे । इस तरह से स्पीकर साहिब, लोगों को harass किया जाता है । इस लिये मैं मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि इस legislation को लोगों में इस नज़रिये से देखा जायेगा । अगर यह कहा जाये कि एक साल के अन्दर अन्दर उस जायदाद का जो acquire की जायेगी, मुआवज़ा दे दिया जायेगा तब तो लोगों को पता लग जायेगा कि यह ऐक्ट है, यह कानून है और lawlessness नहीं है । इन हालात में जब हम देखते है कि मुख्य मन्त्री ने इस

ऐक्ट का किस तरह से misuse किया है, हम कैसे पांच साल के लिये इस की ओर इजाजत दे सकते हैं। अगर सरकार ने property acquire करनी भी है तो यह क्यों नहीं muslim evacuee property को acquire करती जो कि बेशुमार पड़ी है। जितने चाहें उस पर यह मकान बना लें, जितने चाहें plot बना लें लेकिन यह Muslim Evacuee property को इस लिये नहीं लेती क्योंकि उसका मुआवज़ा उसी rate पर देना पड़ता है जिस rate पर Central Government लेती है। यह तो जनता की जगह को ही acquire करेगी जिस से यह अपनी मर्जी से मुआवज़ा देकर कौड़ियों के भाव छीन लेगी। इस बिल में दिया गया है कि यह public purposes के लिये property acquire की जायेगी। चाहे वह किसी काम के लिये लेनी हो तो मैं कहता हूं कि Muslim Evacuee properties जो इतनी पड़ी हुई है, उसी को लिया जाये। इस तरह लोगों की रहने वाली property को लेने का सवाल पैदा ही नहीं होगा। हां अगर किसी जगह पर किसी सड़क या चौक को चौड़ा करने के लिये कोई मकान गिराने की ज़रूरत पड़ती है तो यह काम Improvement Trust को दिया गया हुआ है और अगर किसी property को acquire करने का यही मनशा है तो यह तो पहले ही Municipal Act में provided है और उस में कमेटी को acquire करने की powers दी गई हुई हैं। तो क्या वजह है जो गवर्नमेंट इस ऐक्ट की पांच सालों के लिये मज़ीद मियाद बढ़ाना चाहती है। इस की इसे कोई जरूरत नहीं। इन दो तीन बातों को सामने रखते हुए मैं यह समझता हूं कि इस से लोगों को तंग करने के लिये ही और कुछ political इग़राज़ात के लिये इसका इस्तेमाल किया जायेगा और इस का misuse किया जायेगा। इस लिये मैं समझता हूं कि क्योंकि इस का गलत इस्तेमाल होता है इस लिये इस की अब कोई जरूरत नहीं है।

श्री मंगल सेन (रोहतक) : स्पीकर महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है मैं उस का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं (एक आवाज़ : क्या कहा है) मैं उस की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं, उसको oppose करने के लिये खड़ा हुआ हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते जायें। आप ठीक बोल रहे हैं। वह समझते हैं। (The hon. Member should carry on with his speech. There is nothing wrong with his speech which is being understood by the House.)

श्री मंगल सेन : मैं इस लिये इस का विरोध करना चाहता हूं क्योंकि जिन हाथों में यह सरकार है उन के मनों में कभी भी यह चिन्ता नहीं रहती कि जो कानून हम ने बनाये हुए हैं और जो नियम हम ने निर्धारण किये हुए हैं और विधान सभा में हमने जो विधेयक बनाये हैं यह उन के मुताबिक चलें। वहां हर बात जो होती है, हर कदम जो उठता है वह पार्टी बाज़ी के आधार पर होती है, जनता को सताने के लिये होता है। मैंने कई नगरों और ग्रामों में देखा है कि पुलिस के अफसर, ऐस० डी० ओ० और तहसीलदार या दूसरे जो अफसर होते हैं उन का अगर किसी से मन मुटाव होता है तो उस की प्रापर्टी ऐक्वायर कर ली जाती है और उसको परेशान किया जाता है। मेरे परम मित्र श्री सभ्रवाल जी ने दो घटनाओं का

[श्री मंगल सैन]
उल्लेख किया है जो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि सरकार इन बातों को किस प्रकार करती है। मैं समझता हूं कि जब मुख्य मन्त्री स्वयं यहां विराजमान हैं तो वह इन बातों का स्पष्टीकरण करेंगे और बताएंगे कि जनता जनार्दन, सामान्य जनता के जो कष्ट हैं उन को दूर करने के लिये क्या प्रयत्न हो रहे हैं। आज जो भी कानून बनाया जाता है कहा तो यह जाता है कि जनता की अवस्था सुधारने के लिये, सरकार का काम चलाने के लिये या उस के रास्ते में जो विघ्न-बाधा या अड़चनें हैं उन को दूर करने के लिये हम यह चाहते हैं कि इस कानून की अवधि पांच साल और बढ़ा दी जाए। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। इस लिये इस विधेयक का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह यहीं समाप्त कर दिया जाए। फिर जब यही काम करने के लिये अन्यअन्य साधन पहले ही मौजूद हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस ऐक्ट को पांच साल के लिये क्यों ऐक्स्टैंड किया जाए। इन शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस को यहीं ड्राप कर देना चाहिये।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, जो ऐक्ट पहले लागू है उस के तहत जो प्रापर्टीज़ ली जाती हैं वह कहने को पब्लिक इन्ट्रैस्ट में ली जाती हैं। लेकिन पंजाब में एक अजीब बात हो रही है कि यह प्रापर्टीज़ पब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं ली जातीं बल्कि अपने पुलिटिकल आपोनैंट्स को विक्टमाइज़ करने के लिये ली जाती हैं। अब यह कहा जा रहा है कि इस ऐक्ट को और ऐक्सटैंड कर दिया जाए पांच साल के लिये ताकि पांच साल के लिये और विक्ट्माइज़ किया जाए। स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा मुख्य मन्त्री को यह बात बताना चाहता हूं कि मेरे गांव में ज़मीन रिक्वीज़ीशन की गई। इस लिये की गई क्योंकि इस के अन्दर मेरी ज़मीन आती है...(विघ्न) ..... और यही नहीं स्पीकर साहिब, एक तो इस तरह विक्टमाइज करते हैं फिर लोगों को मुआवज़ा नहीं दिया जाता। कई साल हो गए हैं उस ज़मीन को लिये हुए मगर आज तक किसी आदमी को भी मुआवज़ा नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप की ज़मीन पर मकान बना हुआ था ? (Was there any structure standing on the hon. Member's land ?)

चौधरी धर्म सिंह राठी : मकान भी है। उस के अन्दर दो किस्म की ज़मीन है एक मकान के लिये दूसरी दूसरे परपज़ के लिये। वह भी रिक्वीज़ीशन ऐक्ट के तहत ऐक्वायर कर ली गई है। यह सब इस लिये किया गया कि उस में मेरी ज़मीन है मेरे आदमियों की ज़मीन है या उन आदमियों की ज़मीन है जो इन के पुलिटिकली खिलाफ़ हैं। इन को सिर्फ 48 घंटे का नोटिस दे कर रिक्वीज़ीशन कर लिया गया। इस तरह से लोगों को तंग किया जाता है और यह ऐक्ट उन पर हावी किया जाता है या फिर कोई हां भर ले तो उस को छोड़ देते हैं। आज तक इतने साल हो चुके हैं कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। दूसरे यह सज़ा देना चाहते हैं . . . . .

अध्यक्ष महोदय : ऐक्ट में तो प्रैमसिज़ ही लिखा हुआ है। ( )

"Landlord" means any person who for the time-being is receiving or is entitled to receive the rent of any premises......".

चौधरी धर्म सिंह राठी : यही तो मैं कह रहा हूं कि इसका misuse करते हैं। मुझे पता है एक आदमी को इन्होंने इसी के तहत 48 घंटे का नोटिस दिया ज़मीन लेने के

लिये क्योंकि नहर बननी थी। वहां पुलिस और दूसरे अफ़सर भेजे गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हालांकि यह premises के लिये ही है, यह दूसरी जमीन को acquire करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। मुझे पता है इस Act के नीचे 48 घंटे का नोटिस देकर जमीन acquire करने के लिये इसका misuse किया जाता है। (*Interruption by Kanwarani Jagdish Kaur*)

अध्यक्ष महोदय : कंवरानी साहिबा, इस तरह न करें। Order please. (Kanwarani Sahiba, please do not interrupt like this. Order please.)

Kanwarani Jagdish Kaur : Please do not interrupt the proceedings.

चौधरी धर्म सिंह राठी : इस के अलावा मैं यह कह रहा था कि जिन आदमियों के प्रेमिसज इस ऐक्ट के तहत लिये गये, रिक्वीज़ीशन किए गए उन को आज तक कोई पेमेंट नहीं की गई। इस की बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ऐक्ट का मिसयूज़ किया जाता है, पुलिटीकल आपोनेंट्स के खिलाफ़ विक्टमाइज़ करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है एक तो पेमेंट नहीं की जाती, दूसरे यह ऐक्ट लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया हैं। अब एक ऐसा जो ऐक्ट हो उसको ऐक्सटैंशन नहीं मिलनी चाहिये। इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस बिल की मुखालफित करता हूं।

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : मुझे अफसोस है जो कुछ इन्होंने कहा, आपोज़ीशन अपने आप stands condemned. यह इस लिहाज़ से कि जो सभ्रवाल साहिब ने कहा है यह बिल्कुल ग़लत है। वह कहते हैं कि यह चीज़ जालन्धर में इलेक्शन के वक्त की गई। मगर मैंने तो इलेक्शन के दो महीने बाद आर्डर दिए थे। और फिर जिस का वह ज़िक्र करते हैं वह इस के नीचे नहीं आता। वह तो टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट के नीचे आता है। फिर वह एक खास स्कीम को कैंसल करके किया। यह इवैकुई प्रापर्टी से ताल्लुक रखती थी। उस के तहत प्रोसीड करने के लिये आर्डर दिया था। यहां पर आपोज़ीशन के ज़िम्मेदार आदमी बोलते हैं मगर निहायत गैरज़िम्मेदारी से बोलते हैं।

Shri Lal Chand : Sir, I challenge the Chief Minister to bring the file here. I have seen that with my own eyes. He cannot deny it. He is telling a lie. (*Voices : Hear, hear*).

Chief Minister : The gentleman who is challenging me cannot have access to the file. He has no right to see that.

He wants to see the file by making this excuse. How can this be permitted?

अध्यक्ष महोदय : आप देखिए टाइम खत्म हो चुका है। सुबह हाउस नौ बजे मीट करेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो दो बजे फिर दोबारा मीट करेगा। (The time is up please. The House will meet to-morrow at 9 a. m. and again at 2 p.m., if necessary)

The Chief Minister was still on his legs,

(*The Sabha then adjourned till 9 a. m. on Tuesday, the 8th April, 1958.*)

797 PVS—344—17-6-59—C P & S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

8th April, 1958 (Morning sitting)

Vol. I—No. 34

CONTENTS

Tuesday, 8th April, 1958.

CHANDIGARH
Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab
1959.

Price : Rs. 2.85 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 34,
DATED THE 8TH APRIL, 1958. (MORNING SITTING)

Read	*for*	*on page*	*line*
Anyhow	Any how	(34)21	10
Education	Educatlon	(34)23	20
उद्देश्य	उद्देश	(34)33	11th from below.
ਇਹ	ਇਹ	(34)45	23
support	port	(34)45	4th from below.
not	no	(34)50	22
Treasury	Treasuary	(34)51	21
एकट	एकक	(34)54	11th from below.
and	anp	(34)54	10th from below.
declare	dec	(34)58	2nd from below.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 8th April, 1958 *(Morning Sitting)*

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital, at* 9.00 *a.m. of the clock. Mr. Speaker (Sardar Gurdial Singh Dhillon) in the Chair.*

QUESTION HOUR (DISPENSED WITH)

Chief Minister : Sir, I suggest that the Question Hour may be dispensed with today.

Mr. Speaker : Yes, the Question Hour is dispensed with today.

Shri Prabodh Chandra : Sir, the questions are already in arrears and in them there are very important questions. So, I request the Leader to have the Question Hour and not to dispense with it today.

श्री अमर नाथ शर्मा : अगर काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी घरों को चले जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत से hon. Members मिले हैं उन का विचार है कि आज काम खत्म हो जाना चाहिये ताकि वे आज वापस घर जा सकें । Questions के replies Table पर रख दिये गए हैं और print हो जाएंगे । (Many an hon. Member has met me. They are anxious that the work should be finished to-day so that they may be able to return to their homes to-day. Replies to these questions are laid on the table and these will be printed)

*ADJOURNMENT MOTION

श्री धर्म सिंह राठी : Question hour ज़रूर होना चाहिये । मेरी एक adjournment motion है ।

अध्यक्ष महोदय : वह मामला sub-judice है । इस लिये यह out of order है ।)
(The matter is sub-judice. Therefore, it is out of order.)

श्री धर्म सिंह राठी : नहीं है ।

Mr. Speaker : My definite information is that it is subjudice.

RESUMPTION OF DISCUSSION ON THE PUNJAB REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL, 1958

Mr. Speaker : Now the House will proceed with the Bill. Yesterday when the House adjourned, the Chief Minister was still on his legs. He may resume his speech.

***Sarvshri Dharam Singh Rathi and Baru Ram, M.L.As.** to ask for leave to make a motion for the adjourment of the business of the House to discuss a definite matter of urgent public importance, namely, news appeared in Daily Prabhat, Daily Partap and Daily Hind Samachar by which one Kumari Mahinder Jit Kaur Sekhon is alleged to have made serious allegations against a son of a Minister which has created widespread resentment and contempt against the Government throughout the Punjab State.

ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ) : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲ Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ Act ਦੀ prolongation ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮਕਾਨ acquire ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਡੇ ਜ਼ੁਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ pertain ਕਰਦੀ ਹੈ Town Improvement Trust ਨੂੰ । ਉਹ Act ਵਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ Act ਵਖਰਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਕਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਵੇ । ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ property ਛੱਡ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਉ । ਪਰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਗੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ affected ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ reasonable ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ— ਤਾਂ ਜੋ Improvement Trust ਦੀ opposition ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ— ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ it betrays the woeful mental conditions of the people who are opposing the Government and they do not throw right type of light on it . ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ voluntarily ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਉਸ requisition ਹੋ ਜਾਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ instructions ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ derequisition ਕਰ ਦਿਉ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ hardship ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ we have reduced it to the minimum । ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਸਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ notice ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ । ਹਾਉਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰਖੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ hardship ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਚ delay ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ । ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ satisfaction ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ public ਦੀ ਵੀ satisfaction ਕਰਾਂਗੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਚੂੰਕਿ houses ਦੀ shortage ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹ public ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ members ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The Motion was carried.

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉਤੇ ਅਜ ਵੀ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੀ ਗਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ establish ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜ ਤਕ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਨ ਆਦਿ acquire ਕਰਨ ਦੇ ਅਤੇ requisition ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ 8, 10 ਸਾਲ ਰਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਤਕ ਉਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Governments ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ power ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨੀਆਂ constructions ਜਾਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੇ ਦਫਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ

[ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ]

ਲਗਿਆਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ concentrate ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ public ਵਲੋਂ ਵੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ Act, 1954 ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ acute ਹੈ ਸੀ । ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ । ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗਲ ਉਪਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ personal experience ਤੋਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, Ministers ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ public ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ public ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ public ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ Administrators ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ public ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ bitter experience ਹੈ । ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ sweet language ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ । ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ behave ਕਰਦੇ ਹਨ ....

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ derequisition ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਫੌਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ derequisition ਹੋ ਗਈ । ਮੈਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਲ ਦਸੀ ਹੈ । ਉਹ ਇਕ public property ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭੀ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਦਿ....

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, sir. जो agenda हमें circulate किया गया था उस में question hour रखा गया है। क्या यह dispense with कर दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : हां जी । (Yes please.)

श्री बलराम दास टंडन : बड़ी अजीब बात है। जब circulate किया जाता है तो उड़ा क्यों दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : Order please. House में motion आ चुका है और question hour dispense with कर दिया गया है । (Order please. A motion came before the House and the question hour was dispensed with.)

श्री बलराम दास टंडन : फिर agenda circulate करने का क्या फायदा हुआ ? (आवाज़ : आप देर से आए हैं ।)

Mr. Speaker : When the motion on this subject was moved, it was not opposed by the Leader of the Opposition.

अध्यक्ष महोदय : आप वक्त पर आया करें। बाद में उठने का कोई फायदा नहीं है। आप इस तरह मैम्बर को interrupt भी करते हैं और दूसरे यह ठीक नहीं होता। (The hon. Member should reach here in time. It is no use getting up afterwards like this. In this way he interrupts the hon. Member on his legs which is not proper.)

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਕ ਹੀ incident ਵਲ Chief Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ property ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਲੰਧਰ G. A. ਪਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੋਠੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੇ ਸੁਪਰਨਟੈਂਡੰਟ ਪਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਇਕ ਬੜਾ responsible officer ਹੈ, D. C. ਨੂੰ represent ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 'ਦੇਖੀਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪਾਸ requisition ਕਰਨੇ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਸ ਤਾਕਤ ਕੋ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਉਸ ਅਫਸਰ ਸੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਏਕ ਦਫਾ requisition ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ derequisition ਕਰਾਣਾ ਔਰ ਭੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।' ਇਹ ਇਕ Government ਦੇ ਜ਼ਿਮੇਦਾਰ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਥ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਉ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। Post-master ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਗਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ administer ਆਪ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ derequisitioning ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਉਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਰਤਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ spirit ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ spirit ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਥੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਬਿਠਾਉ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ।

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : मुहतरिम स्पीकर साहिब, मैं इस बिल के बारे में तीन चार बातें आप के द्वारा चीफ मिनिस्टर साहिब के नोटिस में लाना चाहता हूं।

पहली मेरी पोज़ीशन तो यह है कि इस किस्म के इख्तयारात या इस किस्म की तौसीह ऐमरजैंसी के हालात में हुआ करती है। जब यह बना उस वक्त मुसीबत थी, बटवारा हुआ था और दूसरे हंगामी हालात थे मगर आज ऐसी हालत नहीं है। अगर सरकार नान-डवैल्पमेंटल और अनप्रोडक्टिव प्राजैक्ट्स पर अखराजात करने की बजाय दफ्तरों की तामीर और लोगों की तकलीफों को दूर करने पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपया जो गैर-तामीरी कामों की बजाए तामीरी कामों पर खर्च करती तब तो शायद हमें इस पर ज्यादा एतराज

[श्री इन्द्र सिंह]

न होता। आज इतना नहीं होता कि लोगों को जो उन की जायदाद को रिक्वीज़ीशन करके तकलीफ होती है या डीरिक्वज़ीशन में तकलीफ होती है वह दूर कर दी जाए। फिर आज कोई ऐमरजैंसी की हालत नहीं, कोई हंगामी हालात नहीं यानी ऐसी कोई सूरत नहीं कि जिस में इस चीज़ की कोई जस्टीफिकेशन हो। लोगों पर लाखों रुपयों के टैक्स लगा लगा कर सरकार ने अनप्रोडक्टिव प्राजैक्ट्स पर खर्च किया इस लिये इस पांच साल की मियाद को बढ़ाए जाने की कोई वजह नज़र नहीं आती। इस सिलसिले में मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं। एक तरफ तो सरकार इस ऐक्ट में पांच साल की तौसीह चाहती है और दूसरी तरफ पटियाले में थाना सदर बनवाया, हज़ारों रुपया खर्च किया गया और पुलिस है कि अभी तक थाना सदर में नहीं पहुंची, शिफ्ट नहीं किया। आज तक रिक्वीज़ीशन किए मकान में पड़ी है और किराया दिया जा रहा है और यह सब करने की दलील यह दी जाती है कि वह जगह दूर है, अकेली जगह है, खतरा है। पुलिस को ही खतरा है इस लिये उस थाने में नहीं जाती। हज़ारों रुपया बरबाद कर दिया गया और बैठे हैं रिक्वीज़ीशन किये मकान में। इस तरह से यह कानून ऐप्लाई हो रहा है। फिर एक बार जो बिल्डिंग रिक्वीज़ीशन हो गई, उस में जब सरकार आ जाती है या कोई और आ जाता है तो उस का रवैया यह हो जाता है कि यह जायदाद उस की ज़ाती जायदाद बन गई। मालिक को बाकायदा तौर पर किराया नहीं मिलता, कई किस्म की दिक्कतें होती हैं। सरकार के पास बड़ा खज़ाना है तो उसे चाहिए कि वह लेक न बनाए, उस पर दो 2 लाख के बलब न लगाए और मोती महल न खरीदे। ऐसे कामों की जगह यह खर्च दफ्तर बनाने पर खर्च किया जाए। आज दफ्तरों की यह हालत है कि किसी का एक हिस्सा तो शिमला में पड़ा है दूसरा जालन्धर तीसरा पटियाला। इस तरह से जो बदइंतज़ामी और फज़ूलखर्ची होती है वह खत्म की जाए इन दफ्तरों को एक जगह इकट्ठा करके। हम इस ऐक्ट में पांच साल की तौसीह देते अगर इस हालत को ठीक करने पर खर्च किया जा रहा होता, अगर ईमानदारी से रुपये का एक २ पैसा पब्लिक परपज़ के लिये, बिल्डिंग्ज़ बनाने के लिये खर्च करते। मगर ऐसा तो है नहीं। यह तो महज़ लोगों को बेआराम करने के लिए, पब्लिक को तंग करने के लिये और कभी २ सियासी अग़राज़ के बरतने के लिये यह बिल लाया जा रहा है। इस लिये मैं समझता हूं कि इन वजुहात की बिना पर यह बिल पास नहीं किया जाना चाहिए।

Sardar Ram Dayal Singh : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr. Speaker : Question is—

That the question be now put.

The motion was carried.

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : मैं दो ही मिनट लूंगा। डाक्टर भाग सिंह ने जो जी. ए. बारे जिक्र किया और कहा कि शरीफ पोस्टमास्टर से समझौता कर लिया अच्छा होता अगर वह यह बात यहां न लाते। इन्हें चाहिए था कि ज़रा यह बात होने

देते और फिर देखते कि क्या ऐक्शन लिया जाता। मेरी अर्ज़ है कि जो मेरे दोस्त डाक्टर भाग सिंह ने यह कहा है कि जो कार्रवाई करने वाले अफसर हैं उन को ठीक किया जाए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी अफसर ऐडमिनिस्ट्रेशन किया करते हैं वह बिल्कुल समझदारी से और प्रजा के साथ पूरी हमदर्दी से करते हैं और यह ख्याल रखते हैं कि सरकार की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और किसी को वाजिब से ज़्यादा तकलीफ भी न हो। इस नुक्ते को सामने रख कर यह सारी चीज़ की जाती है। तो जो भी चीज़ हुई या जो भी जी. ए. ने कहा उस की जो समझ में आया उस ने कहा। बाकी आप भी तो वहीं थे।

बाकी रहा चौधरी इंद्र सिंह की बात कि पटियाले के सदर थाने की यह हालत है। मैं सच कहता हूं कि मुझे तो आज तक इस का पता नहीं। अगर जैसा उन्होंने कहा है ठीक है और वहां मकान बना हुआ है तब तो पुलिस को वहां जाना होगा। वैसे मैं यहां बैठ कर आपोज़ीशन के दोस्तों से यह तवकुह नहीं करता कि वह पहले मुझे बता दिया करें, मेरे से बात कर लिया करें। अगर वह ऐसा बतौर एक साथी के कर लिया करें तो उन को यहां बोलने की शायद तक्लीफ न करनी पड़े।

यह ठीक है कि मैं पंजाब के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से का वाकिफ हूं और इस की सब बातों को खुद जानता हूं परन्तु मुझे यह कहने में कोई शर्म नहीं महसूस होती कि मैं अभी तक Pepsu के बहुत से इलाके का वाकिफ नहीं हूं। इस इलाके के लोगों से ताल मेल पूरा नहीं है इस लिये इस इलाके की खबरें जल्दी से नहीं मिल पातीं। लेकिन मैं स्पीकर साहिब आपकी मार्फत हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पंजाब की सरकार इस बात की ख्वाहां है कि लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो सरकार उसे पूरा करे। मुझे यह भी कहना है कि कहीं कोई ऐसी बात हो तो बेशक आप हाऊस में पेश करें लेकिन अच्छा हो कि अगर आप हाऊस में पेश करने से पहले सरकार को इस की इतलाह दे दें ताकि जो कार्रवाई की जानी ज़रूरी हो वह की जा सके। आपने पटियाला में थाना सदर की इमारत का ज़िक्र किया और बताया कि out of the way होने के कारण पुलिस शहर की requisitioned इमारत से इस नई इमारत में shift नहीं करती इस के बारे में मुझे पहले किसी ने नहीं बताया लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि पुलिस को वहां जाना चाहिए और किसी दूरी या out of the way होने को consider नहीं करना चाहिए। स्पीकर साहिब, इस बात में फायदा होगा अगर इस तरह की बातों के बारे में report कर दिया करें ताकि action लिया जा सके।

इस के साथ ही मैं यह भी कहूं कि जो quarters अफसरों के लिये या दूसरे सरकारी कामों के लिये buildings कस्बों में या शहरों में पंजाब की सरकार चाहती है वह सारी की सारी पब्लिक की ओर से बनवा कर दी जाएं।

सरकार ने एक circular जारी किया हुआ है कि कोई भी आदमी सरकार की ओर से दिए गए नकशों के अनुसार अपने पैसे खर्च कर के इमारतें बनवा दे तो सरकार उसे 50-60 साल तक के लिए किराए पर ले लेगी और मकान का किराया मालिक

[मुख्य मन्त्री]
मकान से मकान बनने से पहले तय कर लेगी । क्योंकि सरकार के पास capital नहीं है इस किस्म की इमारतों पर लगाने के लिये और मालिक मकान को इस तरह इमारत बनवा कर देने में फायदा होगा इस तरह इमारतें बन जाएंगी और सरकारी कामों के लिये buildings की कमी भी दूर हो जाएगी । अगर कहीं magistrates के लिये तीन residential कोठियों की ज़रूरत है तो अगर कोई भी मालिक इन कोठियों को सरकारी plans के मुताबिक तैयार करवा देगा तो सरकार इन इमारतों को लम्बे अर्से के लिये ले लेगी और किराया जो तय होगा वह अदा करेगी । सरकार यह चाहती है कि magistrates और दूसरे इस तरह के officers मालिक मकान के साथ हों उस के मकान में किराएदार के तौर पर न रहें क्योंकि यह बुरी बात है और इस का एक बुरा नतीजा यह भी हो सकता है कि मालिक मकान magistrates के पास सिफारिशें ले जाएं और फिर इस तरह के magistrates और दूसरे ज़िम्मेदार अफसरों को शक की निगाह से देखा जाए । पंजाब सरकार इस सारी चीज़ से alive है और चाहती है कि सरकार के अफसरान किसी के किराएदार बन कर रिहायश इख्तियार न करें । इस लिये यह एक्ट जो बनने जा रहा है पेश किया गया है ताकि सरकार अपने capital को भी बचा सके और सरकारी कामों के लिये सरकारी residences और offices के लिये accommodation भी मिल सके । इस बिल को लाकर हमने उनकी तकालीफ को कम करने की कोशिश की है वरना कोई भी सरकार ऐसी नहीं हो सकती जो पब्लिक के जज़बात को मद्देनज़र न रखे । फिर यह कहना कि सरकार यह नहीं करती वह नहीं करती अच्छा नहीं मालूम देता । मैं जानता हूं कि सरकार जो कुछ करती है वह अपनी स्टेट की जनता के फायदे के लिये करती है और हर अच्छे काम की तरफ तवज्जुह देना चाहती है । इस पर शोर से या किसी criticism से अच्छे कामों को जो सरकार कर रही है shadow नहीं किया जा सकता । पंजाब सरकार जनता के दिलों में छाई हुई है और इसी भावना से हर चीज़ को हल किया जाता है:—

I would, therefore, recommend to the House that this Bill should be passed

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

श्री बल राम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मेरी गुज़ारिश यह है कि हमारा ख्याल था कि हमें बोलने के लिये मौका मिलेगा और आपने कल हिदायत भी की थी कि हमें बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन आज मौका दिए बिना ही आपने इस बिल की 3rd reading पर पास करवा दिया । आपने कल कहा था कि 3rd reading पर बोल लेना और हमने आपके आदेश को माना था ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात मुझे पहले याद करवा देते । I am sorry for that. It would have been better if the hon. Member had drawn my attention to this matter earlier. I am so sorry for that.

Chief Minister : Sir, I would like to submit that when we feel that the discussion is being prolonged unnecessarily we can, with your permission, move the motion, "That the question be now put".

Mr. Speaker : I had promised to him (Shri Tandon) that I would give him some time.

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) BILL, 1958

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill be taken into consideration at once.

जनाब स्पीकर साहिब, जैसा कि सब को मालूम है कि सरकार ने इस सूबे के अन्दर तालीम मुफ्त करने का फैसला किया है और district boards के स्कूलों को provincialize करने का फैसला किया है और इस तरह के फैसले करने से एक बहुत बड़े खर्च को अपने जिम्मे ले लिया है। इस सारे खर्च को पूरा करने के लिये ज़राए तलाश किये गये हैं और उन ज़राय से कुछ रुपया हासिल करने की कोशिश की गई है। वहां electricity पर भी duty लगाने का फैसला किया गया है जैसा कि इस बिल के aims से ज़ाहिर होता है। इस बिल के ज़रिए कोशिश यह की गई है कि इस duty का जो असर है वह uniform तौर पर पड़े और जो पहले tariff मुकर्रर है उसके बारे में जो शिकायत थीं उन्हें इस तरीके से हल किया जाए। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया इस सूबा की तरक्की के लिये जो दिन बदिन बढ़ती जा रही है और जिस के लिये अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं उन के बारे में लाज़मी तौर पर आमदन बढ़ाने के ज़राए भी सोचने हैं और मुहैया करने होंगे। मैं यह समझता हूं कि यह जो duty लगाई गई है वह कोई नई चीज़ नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो पहली ही दफा इस सूबे के अन्दर लगाई जा रही है। हमारे देश के बाकी सूबों के अन्दर भी इस किस्म की duty लगी हुई है। इस से जो थोड़ा बहुत burden लोगों पर होगा वह ऐसा नहीं कि जिसे बरदाश्त न किया जा सके। इस लिये मैं आपके तवस्सुत से हाउस के पास अर्ज़ करूंगा कि वह इस बिल को इस ज़ाविया-ऐ-निगाह से देखते हुए इसे पास कर दे। यह education cess का एक part है और रुपए development के कामों पर खर्च होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस बिल को consider किया जाएगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill be taken into consideration at once.

श्री बल राम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल सदन के सामने रखा गया है इस के बारे में कुछ passing remarks मन्त्री महोदय ने किये हैं। बजट की तकरीर के ऊपर और फिर Appropriation Bill के ऊपर और दूसरे मौकों पर भी इस बिल के बारे में reference की गई है। आज हम देश के अन्दर और पंजाब के अन्दर तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं। इस सूबे की जनता को

[श्री बलराम दास टंडन]

श्रौर इस सूबे में काम करने वाली services के लोगों को श्रौर in general सूबे के हरेक बाशिन्दे को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यह अच्छी बात है कि हम सूबे को तरक्की की तरफ आगे ले जाना चाहते हैं और इस में यह सूबा भी आता है। जब तरक्की की बात सोची जाती है तो कौन-कौन सी बातें हैं जो तरक्की के बारे में आदमी के दिल के अन्दर आती है। वह जो नकशा दिल में आता है, उस में पहिली बात यह है कि साधारण लोग illiterate न हों, पढ़े-लिखे हों और अज्ञान के कूप में तैरते न दिखाई दें। और प्रकाश प्राप्त कर यह देख सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। इस के पश्चात् दूसरा पहलू यह है कि हमारे खेत, ज़मीन सरसब्ज़ हो और इतना उत्पादन हो सके कि न केवल अपने देश की ही आवश्यकता की पूर्ति हो बल्कि दूसरे देशों को भी हम export कर सकें तथा अपनी demand-supply के नियमानुसार यहां के लोगों को भी चीज़ें मुहैया कर सकें, दूसरी एक और बात बिजली की तरक्की कही जाती है, इस से पहिले कि मैं इस विषय में कुछ शब्द कहूं, दूसरे उन्नतिशील देशों के विषय में कहना चाहता हूं। अमेरिका का केस लीजिये। वहां पर साधारण से साधारण व्यक्ति के घर के अन्दर रेडियो लगा हुआ है और हर चौथे आदमी के पास एक कार है, और एक washerman तक के घर telephone है। ये सब बातें इस बात का प्रमाण हैं कि वह देश समृद्धि की तरफ अपने कदम बढ़ा कर चल रहा है। लेकिन उसके विपरीत नक़शा हम अपने देश के अन्दर देखते हैं। और यह बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस बिल को हमने कानून की शक्ल देने के लिये पेश किया है, उस को अगर हम इसी सूरत में पास करते हैं तो हम तरक्की की बातों से दूर होते दिखाई देते हैं। हम बिजली का रेट बढ़ा रहे हैं। एक साधारण व्यक्ति जो 15 यूनिट या उस से कम बिजली consume करता है, उस पर 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी कर रहे हैं और जिस का consumption 10 प्रतिशत वाली category से ज्यादा है उस पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रहे हैं। वैसे जो साधारण लोग बिजली प्रयोग करते हैं उस में भी 15 यूनिट से ज़्यादा बिजली की खपत होती है। मैं समझता हूं कि शायद इस की कोई justification बना लें कि इसका use liberally किया जाता है लेकिन जब हम दूसरा पहलू देखते हैं कि जहां पर यह energy खेतों को सरसब्ज़ बनाने के लिये tube-well के ज़रिये consume होगी उस के भी पैसे उन लोगों को देने पड़ेंगे जो खेतों को सरसब्ज करना चाहते हैं। चाहिये तो यह था कि आज जब नंगल व कोटले के कारण बिजली बढ़ रही है तो बिजली के rates कम होते और जो basic needs रोटी, कपड़ा, मकान कही जाती है उन की पूर्त्ति का ख्याल रख कर कदम बढ़ाया जाता और producers को incentive देते मगर आज ऐसी बात नहीं हो रही है। इसी तरह जिन मिलों के ज़रिये, जिन फैक्ट्रीज़ के ज़रिये हम इस देश के अन्दर पैदा होने वाली चीज़ों की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो उन को यानी माल बनाने वालों को incentive देना ज़रूरी था। मुझे अमृतसर के factories वालों से मिलने का मौका मिलता रहता है और मुझे मालूम है कि उन्हें सैंकड़ों हज़ारों रुपये के बिल देने पड़ते हैं। आज जब 25 प्रतिशत और rate बढ़ाया जा रहा है तो समझ में नहीं आता कि उन लोगों को कैसे incentive मिलेगा ?

इस से पहिले sales tax के बारे में यह बात आई थी और मैंने यह नज़रिया रखने की कोशिश की थी कि लोगों को incentive मिले उन पर भार कम पड़े लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि सरकार इस नज़रिया पर गौर न कर के एक ही नज़रिया सामने रख के सोचना चाहती है और वह यह कि by fair foul means or हर तरह से पैसा इकट्ठा करना है। इस का जनता के ऊपर कैसा असर पड़ेगा यह सोचे बगैर बिना ब्रेक की साइकिल की तरह चलती जा रही है। जो production होने वाली है उस के ऊपर इन बढ़े हुए electricity के rates का क्या असर पड़ेगा यह गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। इस से मिलें तबाह होंगी और produce deteriorate होगी। लोगों को कम कीमत पर चीज़ें available नहीं हो सकेंगी। और हमारा सपना अधूरा रह जाएगा।

हमारे नेता और राज्य करने वाली संस्था इस बात का घोष करके कहा करते थे कि हमने political independence तो प्राप्त कर ली, अब हम आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि हम आर्थिक आज़ादी की ओर न जाते हुए आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं। स्पीकर साहिब, ये हालात हमारे लिये दुःखदाई हैं।

यह कहा गया है कि सरकार ने schools provincialize कर दिये हैं। यह स्कूल पहिले भी कमेटियां और District Boards चलाते थे और जो वह पैसा देते थे वह आज भी देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सरकार ने पैसा लेना छोड़ दिया हो। मुझे मालूम है कि अमृतसर की municipality को 10 लाख के लगभग धन देना पड़ता है, इस में कोई अन्तर नहीं हुआ। इस का क्या कारण है वह सामने आना चाहिये।

दूसरी बात यह भी कही गई है कि हमने education free की है वह municipality ने भी की थी। इस लिये यह कोई बड़ी बात नहीं मालूम होती वह resemble करती हुई मालूम होती है। Education free करने से हर एक को तो फायदा नहीं होगा। लेकिन इस के against हर एक व्यक्ति जिस के यहां एक बल्ब भी है उसे यह टैक्स देना पड़ेगा। चाहे वह उसका फायदा उठाता हो या न उठाता हो। अमृतसर में schools में free education के लिये कहा जाता था लेकिन वहां यह सब ढकोसला बना रखा था। वहां जो बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे उन के मां-बाप को कहते थे कि स्कूलज़ को donation pay करो। कहने को तो यह free education है लेकिन दूसरी तरफ donation ले लेते हैं। इस के परिणाम-स्वरूप free education का मकसद फौत हो जाता है। एक तरफ कहते हैं कि हम ने हरियाली को बढ़ाना है, देश को सरसब्ज़ करना है, produce की मिकदार को बढ़ाना है और दूसरी तरफ नाना प्रकार के टैक्स लगाए जा रहे हैं। इस लिये मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि वह इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके देखने की भी कोशिश करे। उस रोज़ सेल्ज़ टैक्स बिल पास किया गया आज बिजली का बिल पास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस से पंजाब जो तरक्की करना चाहता है वह नहीं हो सकती। वास्तव में इन की कोशिश

[श्री बलराम दास टंडन]

यह रहती है कि किसी तरह से बजट को बढ़ाया जा सके और केंद्र की खुशनूदी हासल करने के लिये नए नए टेक्स लगाए जाते हैं ताकि उन्हें यह बताया जाय कि हम ने कितना रुपया अपने खजाना में इकट्ठा कर लिया है। इस लिये मैं गुजारिश करूंगा कि इन सब बातों को इकट्ठा करके इन पर ठंडे दिल से गौर फरमाया जाए नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि जनता सरकार को ये टैक्स वापस लेने पर मजबूर कर देगी।

Shri Dev Datt Puri (Sadhaura) : Sir, I wish to make a few observations on this Bill.

खान अब्दुल गफार खां : हिन्दी में बोलिये।

श्री देव दत्त पुरी : स्पीकर साहब, पहले भी जब बजट पर आम बहस हो रही थी तो मैं ने अर्ज किया था कि बिजली पर टैक्स लगाने से हमारे यहां उद्योग-धन्दों में cost of production बढ़ जायगी। मैं केवल दो शब्दों में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस में उद्योग-धन्धों का सवाल नहीं। बिजली की खपत जो होती है वह tube-wells में भी होती है, घरों में भी होती है और दीगर चीजों के लिये भी होती है। मैं इस बात की ओर दोबारा तवज्जुह दिलाना चाहता हूं कि बिजली पर इस टैक्स से cost of production काफ़ी बढ़ जायगी और उद्योग-धन्धों से जो competition बढ़ता है उस में कमज़ोरी आ जायगी। एक दो बातों में मैं मिनिस्टर साहब की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं ताकि यह बिल अच्छी तरह समझ में आ जाय। धारा (२) में जहां licensee की definition की है उस में उन्होंने शामिल किया है :

> "Licensee" means any person licensed under Part II of the Indian Electricity Act 1910, to supply energy and includes.."

तो मैं इस में क्लेरिफिकेशन चाहता हूं वह यह है कि देहली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उस में जहां तक मेरी जानकारी है जो बिजली सप्लाई की जाती है वह मीटर देहली में होता है। उस पर पंजाब सरकार किस तरह टैक्स लगा सकती है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं आशा करता हूं कि बिजली मन्त्री इस पर रौशनी डालेंगे।

दूसरे धारा (5) में लिखा है—

> "the Delhi State Electricity Board, any State Government, or person to whom energy is supplied whether for consumption or resale..."

इस के मानी यह हैं कि जो consumer बराहे रास्त सरकार से बिजली खरीदता है उस के ऊपर जो टैक्स है वह सीधा लिया जायगा लेकिन जो consumer licensed area में हैं वहां जो बिजली खरीदता है उस पर यह टैक्स बराहे रास्त नहीं लगेगा और licensee को यह इख्तियार नहीं दिया गया कि सारे का सारा consumer को pass on कर दे। Licensee अगर चाहे तो वह सरकार के पास आयगा, केस पेश करेगा कि मुझे भी यह tax pass on करने की इजाज़त दी जाय। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इजाज़त दे या न दे या कुछ शर्तें लगा कर दे। तो मैं मन्त्री महोदय की तवज्जुह इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि Indian Electricity

Act के तहत licensee जो हैं वह पांच या साढ़े पांच फी सदी से ज्यादा return नहीं कमा सकते। अगर उन्हें ज्यादा मुनाफा होता है तो consumer को pass on करना पड़ता है। यह legal position है। अगर यह पोज़ीशन है और अगर इस वक्त भी licensee 5½% कमा रहे हैं तो यह 25 प्रतिशत जो duty लगा रहे हैं वह उसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के मातहत pass on कर सकता है। इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि क्योंकि 5½ प्रतिशत कमाई हो सकती है इस लिये बेहतर होगा कि अगर pass on करनी है तो सरकार उस को pass on करे।

यह मेरी समझ में नहीं आया कि ऐक्ट के अन्दर इख्तियार है कि अगर 5½ प्रतिशत मुनाफा नहीं मिलता तो वह consumer का रेट बढ़ा सकता है। अगर 25 प्रतिशत के हिसाब से duty लगाते हैं तो कौन सी चीज़ उन्हें रोकती है कि वह सारा का सारा consumer को pass on कर दें। इस बात की मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं।

> "No licensee shall, without the previous sanction of the State Government and subject to such conditions as the State Government may impose, recover from any person to whom energy is sold, the duty which falls to be paid by the ilicensee in respect of the energy so sold or any part thereof.
>
> *Explanation* : Where the State Government permits a licensee to charge duty from the consumer, the duty shall not be deemed to be a part of the price charged for the energy by the licensee ."

Water and electricity should be made available cheap in the context of modern society and this should not be taken as a legitimate source of revenue for the purpose of taxation.

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, जहां और टैक्स भी लगाये जाते हैं साधारण तौर पर हर layman यह समझता है कि ग़रीब आदमी......

चौधरी धर्म सिंह राठी : आज आप fancy dress पहन कर आ गए हैं।

एक आवाज़ : बैसाखी की तैयारी कर रहे हैं।

एक और आवाज़ : यह सेशन के आखरी दिन ऐसी ड्रेस पहनते हैं।

Mr. Speaker : Order please, no interruptions.

श्री राम प्यारा : आम तौर पर अमीर आदमियों पर टैक्स लगाए जाते हैं ताकि उन से जो revenue वसूल हो वह ग़रीब आदमियों पर खर्च करके उन का standard ऊंचा किया जाय लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सब रुपया जो रोटी और दाल पर टैक्स की शक्ल में वसूल किया जाना है या बिजली पर वसूल किया जाने वाला है इस में से काफ़ी सारा हिस्सा ग़रीब आदमियों पर लगाया जा रहा है और जो टैक्स वसूल होगा उस का फायदा अमीर आदमियों को पहुंचेगा। आप को हैरानी होगी कि कैसे। मैं अर्ज़ करता हूं कि वज़ीरे मुताल्लिका ने फरमाया कि हम education को provincialise कर रहे हैं और free education करने के लिये पैसे की ज़रूरत है। पार्टीशन से पहले जिन लोगों से दुगनी फीस ली जाती थी पार्टीशन के बाद

[श्री राम प्यारा]

उन से इकहरी फीस लेनी शुरु हो गई। आज जब कि free education की जा रही है तो जो वह tax-payers हैं जिन की आमदनी चार चार सौ, पांच पांच सौ और 1000 और 2000 तक भी जाती है उन के बच्चों को भी free education दी जाती है। इस का मतलब यह है कि जिन की आमदनी बहुत ज़्यादा है उन को relief दे दिया गया है और उस के उलट जो 50 या 60 रुपये महीना कमाने वाला है और जब वह अनाज खरीदता है तो उस के ऊपर tax है । जो थोड़ी सी बिजली लगाता है तो भी टैक्स देना पड़ता है। जो 15 units से ज़्यादा बिजली जलाने वाले हैं उन से तो कम पैसे लिये जाते हैं। जो 15 units या इस से कम बिजली जलाने वाले हैं उन को ज़्यादा के हिसाब से देना पड़ता है। एक तरफ सरकार यह facility देती है कि जो security 50 रुपये दी जाती है वह बिजली के महकमें वालों ने 3 रुपये security कर दी है। यह temptation या रियायत दी है ताकि वह गरीब आदमी बिजली लगाएं। जब वह गरीब आदमी बिजली लगाता है और सारे महीने में तीन चार या पांच या ज़्यादा से ज़्यादा 6 unit बिजली खर्च करता है तो उस के ऊपर भी हम tax लगाते हैं। साफ ज़ाहिर है कि जो थोड़ी से थोड़ी आमदन वाला है उस के ऊपर हम ने tax लगा दिया है और ज़्यादा आमदन वाले को relief दे दिया है।

एक बात मैं अपने तजरुबे की बिना पर कहना चाहता हूं कि किस तरह co-operative societies को grant दी जाती है। एक Mann Brothers Co-operative Society करनाल है जिन के पास लाखों रुपया है । मैं challenge करना चाहता हूं कि Mann Brothers Co-operative Society के assets 25 लाख से कम नहीं। एक ही family का show है उस society को 1200 रुपया grant दी गई है । यह taxes इकट्ठे हो रहे हैं, गरीब आदमियों पर लगा कर अमीर आदमियों को relieve करने के लिये। तो Government को सोचना चाहिए कि सरकार उन taxes से गुरेज़ करे जो poors पर लगाए जाते हैं। और 50, 60 रुपये आमदनी वाले को क्या फायदा पहुंचता है? और क्या tax देने वाले के बच्चों को तालीम दी जाती है? इसी तरह से जंजाली co-operative society के लाखों रुपये के assets हैं। इस तरह industries में rebates में लाखों रुपया ज़ाया कर दिया जाता है, उन आदमियों पर जिन आदमियों की आमदनी लाखों रुपये है उन को आज free credit दिया है। जो गरीब आदमी है उस की रियायत पूरी नहीं होती। और उन गरीब आदमियों से इकट्ठा किया हुआ tax फज़ूल खर्ची में जा रहा है, बड़े २ आदमियों की जेबों में जा रहा है । बड़ी २ नौकरियों में जा रहा है, इस तरह rebate में जा रहा है। उन चीज़ों पर, जैसे सरदार राम दयाल सिंह जी ने कहा था कि tax चोरी होता है। मैं कहता हूं कि यह Government की inefficiency का certificate है । अगर Government ध्यान दे कि जो पहले taxes लगाए हुए हैं आप ने, उन पर control हो, बजाए इस के कि वह ऐसी चीज़ों में जाए। जो rebates दिये जाते हैं

वह बहुत ज़्यादा हैं। उन की शिकायत है। जो बड़ी २ नौकरियां create की जाती हैं वह create न की जाएं। वह बचतें की जा सकती हैं। इस तरह लाखों नहीं करोड़ों रुपया बचता है। जिन को relief देने की ज़रूरत है उन को relief दिया जाए, न कि ज़्यादा आमदनी वालों को और देना चाहिए।

ਸਰਦਾਰ ਅਛੱਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ (ਅਜਨਾਲਾ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਏਥੇ ਕੋਲਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ, 1,500 ਮੀਲ ਤੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਟੇਟ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਈਡਰੋ ਅਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਦੀ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਯਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋ ਅਲੈਕਟਰਿਕ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋ ਅਲੈਕਟਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੀਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਔਰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਗੋਹਾ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਹਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਏ, ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਓ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪੱਕੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਗੋਬਰ ਬਾਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਏਧਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੈਂਪ ਤੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਚੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਲਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਇਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਨਾ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ-ਅਲੈਕਟਰਿਕ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਇਹ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹਾਈਡਰੋ ਅਲੈਕਟਰਿਕ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਹੈ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਪਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਬਾਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੀਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਂਪਲ ਡੇਟਰਿਅਟ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਡੇਟਰਿਅਟ ਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਦਫਾ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੁਝਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ

[ਸਰਦਾਰ ਅੱਛਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ]

ਕਿ ਜੇ ਇਕ 60 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਇਕ ਹਫਤਾ, ਸੱਤ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਜਗਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕ ਸਿਗਰਟ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਇਕ ਸਿਗਰਟ ਜਿੰਨਾ ਚੀਪ ਹੈ। (ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ: ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ?) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਰੈਪੀਲੋਵ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਜਗਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਹੈ। ਡੇਟਰਿਅਟ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋ-ਅਲੈਕਟਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਖੜਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹੀ ਜੈਨਰੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਚੀਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਆਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੁਲ੍ਹੇ ਜਾਲਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਲੈਬ ਸਿਸਟਮ ਏਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦਾ ਇਕ ਪੀਪਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੇ। ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਮੇਰਾ point ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ--ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ--ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਢ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ provincialize ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ unit ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟੀ industry ਵਾਲਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ development ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਪਰ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ industrially develop ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਐਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾ ਮੈਟੀਰੀਅਲ (raw material) ਕਲਕਤੇ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ, ਰੂਈ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ industrially develop ਨਾ ਹੋਈਏ। ਏਸ ਕਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ tax ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ industry ਦੀ development ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ hinderance ਨਾ ਹੋਵੇ ।

10 A.M.

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana, General) : Mr. Speaker, I rise to make my observations regarding this tax proposed to be levied through the Punjab Electricity (Duty) Bill which my hon. Friend, Sardar Rarewala, Irrigation and Power Minister, has brought forward. I wonder if he has given any serious thought to it or about its implications. Sir, I may mention a story—a story which we have read in the Arabian Fables that Sindbad the Sailor jumped on the shoulders of a giant to perform various jobs for him. Here, Sir, the Minister for Education like the proverbial Sindbad the Sailor has jumped on the shoulders of our Irrigation and Power Minister or I may say jumped on the shoulders of every Minister to collect taxes from the people. Every Minister during the last so many days is bringing forward one or the other taxation measure with a stereotyped excuse, i. e., additional financial burdens are being undertaken by the State Government on account of introduction of free education and provincialization of Local Bodies schools in addition to other developmental activities. This excuse has been repeated over and over again and to me, Sir, it does not appear to be a cogent reason for bringing forward this Bill. I wish while drafting this bill some mind should have been applied and some cogent reasons should have been given in support of the bill instead of stereotyped reasons. Where undoubtedly a hope is created and once that is entrenched deep in the minds of the people, the Government in its own cleverness comes forward with taxation measures. But in this particular matter, I am conscious that we are in a developing stage. Even now, undoubtedly Punjab is very 'powerless'. Sir, is it not the experience of the Irrigation and Power Minister himself that his own tube-wells were so costly an affair that people were not taking water from them. as a practical farmer must know that an ordinary 10 H. P. Motor used for 30 standard acres has become a costly affair. Here, Sir, I might state that it is the declared policy of the Government that it will encourage agriculture by providing water for irrigation purposes through tube-wells and in pursuance of that policy and in that anxiety it brought down the rates of power supplied to agriculturists for tube-wells so that the water for irrigation purposes becomes easily available to every person. It was their own experience that electricity with the existing charges was uneconomic for the producers. To-day, Sir they have come forward with a new taxation measure that is Electricity Duty.

May be, this tax is being levied to cover the charges of the Electricity Board that is coming into existence. I personally know that an Act was passed by the Central Government in 1948 under which the State Government is constituting the Electricity Board but they are making use of this outmoded Act to bring forward an authority here without knowing the conditions that are now prevalent in the State. Mr. Speaker, Sir, I wish the whole matter should have been fully thrashed and this Assembly should have been given the chance to study the implications and other details of the Electricity Board. It is stated, Sir, that the Government will lose its income of Rs.18 lakhs and thus, it will add to the revenue deficit of the Government. Mr. Speaker, by the levy of this Electricity Duty and in their anxiety to tax the people right and left the Government, I think, are going to strangulate the development of infant industry in the Punjab.

Mr. Speaker, Sir, I would like to know how the Government is losing by the constitution of the Electricity Board. My hon. Friend, the Irrigation

[Sardar Bhupinder Singh Mann]

and Power Minister is too modest and too much of modesty is not good. In his modesty, Sir, he has forgotten everything so much so that in order to please the Government and his Cabinet colleagues, Sardar Rarewala has annoyed Mrs. Rarewala, by agreeing to levy this Electricity Duty on all categories of consumers. I wonder where this thing will lead him to.

Sir, I wish the Government should adhere to their declared policy that they would help agriculture by giving it preference. But here, I find in my dismay, that contrary to that avowed policy, the agricultural producer is taxed more than the commercial consumer or the domestic consumer. This very fact falsifies their stand that they are anxious and willing to encourage Grow More Food Campaign. In fact, they have gone back on their professions, promises and their declared policy by bringing forward this taxation measure.

There is a strange thing which I find and which I want to bring to the notice of the House. Punjab is very much short of power. In fact, the whole of India is short of power. I wonder how far it is true that the consumption of electricity in India is equal to that of New York City.

Strangely enough a person who sets up a unit for his own personal consumption will also be taxed in accordance with the provisions of this bill. He is not depending for the plant or small generating set but he has set up a unit for his own personal consumption, he will also have to pay the electricity duty. So far as experience of other countries is concerned where they are very power conscious and where people have small units for their personal consumption, the electricity generated by them is absolutely tax-free. When a person sets up a single unit for his personal consumption, he does not earn any profit but it is intended for his own use. I think it is absolutely unfair to levy the Electricity Duty on such small units which are meant for absolutely personal use. In view of this, Sir, I wish that part(b) of Sub-clause (2) of Clause 3 which seeks to tax the small units be omitted.

Again, Sir, I wish to bring to the notice of the Government, through you, that where they supply Canal water to the agricultural producer for irrigation purposes they collect revenue after the crop season that is they collect it after every six months'. On this analogy, Sir, the Government should present electricity bills to the consumers for the electricity supplied to them for agricultural purposes after every six months, i. e., at the time of the crop season. It is a matter of common knowledge that the producer gets money for his produce in two seasons but regardless of his pecuniary difficult es, the Government in a commercial way presents him with a monthly electricity bill. The producer is also liable to pay penalty if he fails to make the payment by the 10th of every month. I may point out that I too have not been able to pay the electricity bills by the 10th of every month. Perhaps this is a good thing for the Government because it gets a good amount of money by the imposition of this penalty. Mr. Speaker, Sir, just as the Government in the Irrigation Department collects revenue after every six months, similarly it should send electricity bills to the agricultural producers after every six months instead of every month. If the Government concedes this demand, it will avoid a good deal of hardship to the agricultural producers.

I find, Sir, that the Government has very cleverly—or should I say innocently—inserted a provision in this bill about the appointment and powers of the Inspecting Officers. At least, we have no clear picture about the

administrative structure for the collection of this tax. Here, you do not know, Sir, what posts of Inspectors will be created and what will be their position. Perhaps, a new Department of Inspectors is going to be set up. You are giving them so many powers. It is the Inspector who will impose the penalty and the consumer can only file an appeal against the order of the Inspector only after the payment of fees. Thus, the consumer will be unduly penalized.

With these remarks, Sir, I once again appeal that before a new structure—the Electricity Board is set up, the Irrigation and Power Minister should at least let us know the full details of this structure so that we may be able to know as to how much we have to pay, why we have to pay and what will be the results. Thank you, Sir.

चौधरी बारू राम (रजौंद) : स्पीकर साहब, यह जो बिल अब House के सामने पेश है मैं इस को पुरज़ोर मुखालफित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस की वजह मैं आगे आप के सामने अर्ज़ करूंगा । इस वक्त मैं जनाब की तवज्जुह इस बिल के objects and reasons की तरफ़ दिलाता हूं। जैसा कि मान साहब ने फरमाया यही stereotyped objects and reasons हर बिल में पेश किये जाते हैं। जिस मतलब के लिये इस tax को लगाया जा रहा है— Education Cess उस की तरफ़ मैं आप की तवज्जुह दिलाता हूं। मैं सारे पंजाब के साथ तो इतनी वाकफियत नहीं रखता लेकिन तहसील कैथल के बारे अर्ज़ करता हूं कि जिस free education का इतना लम्बा चौड़ा ढिंडोरा पीटा जा रहा है उस तहसील में सिर्फ चार या पांच हाई स्कूल हैं और वह कहां हैं? तकरीबन शहरों में। और उन में किन के बच्चे दाखिल होते हैं? वकीलों के, डाक्टरों के और अमीरों के। जो गरीब जनता है, labour class या छोटे तबके की जनता, उन के बच्चे तो वहां दाखल हो ही नहीं सकते क्योंकि वहां पर सिफारिशें चलती हैं और बगैर सिफारिश के किसी बच्चे को दाखिल नहीं किया जाता। मेरे कहने का मतलब यह है कि taxation की रकम वसूल की जाती है ग़रीबों से और फायदा उठा जाते हैं अमीर लोग। और फिर कहते हैं कि हम Socialistic pattern of society का ढांचा तैयार करने जा रहे हैं। इस लिये मैं अर्ज़ करता हूं कि इस में taxation लगाने का जो बहाना है यह democratic असूलों के बिल्कुल विरुद्ध है। यह मेरा ख्याल ही नहीं, बल्कि बड़े २ prominent economists का भी यही ख्याल है कि हिन्दुस्तान में most defective system of taxation है क्योंकि tax के लगाते वक्त किसी असूल का ख्याल नहीं रखा जाता । मैं आप के सामने इस असूल को नहीं छेड़ता लेकिन मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता, हिन्दुस्तान के अन्दर और खास तौर से जहां तक हमारे इस individual province की taxation policy का ताल्लुक है वह बहुत ही defective है क्योंकि आप जिस तरफ़ नज़र दौड़ाएं, आप को पता लगेगा कि जितने taxes यहां पर impose किए गए हैं सब ग़रीबों पर ही लगते हैं। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि जिस पर tax न लगा हुआ हो। आप को बिजली की बाबत एक मिसाल देता हूं। पिछले दिनों मैं ने एक सवाल पूछा था कि क्या हरिपुरा गांव के लिये कैथल में electricity का लगाई गई है? मैं ने पूछा था कि कब वहां के लिये scheme sanction हुई।

[चौधरी बारू राम]

जवाब मिला कि नवम्बर, 1957 में। उस के बाद मैं ने पूछा कि कितने tube-wells को इस से फायदा पहुंचा है। बताया गया है कि roughly 50 को और वह भी जब अभी तक वहां पर कोई tube-well है ही नहीं। फिर पूछा कि खर्च कितना किया, जवाब मिलता है दो लाख। लेकिन मैं अर्ज़ करता हूं कि इस हेराफेरी में एक राए साहब, मथरादास को जिसने कि कांग्रेस की मदद की थी, line दी जा रही है। मैं आप को बताता हूं कि.......

अध्यक्ष महोदय : आप individual नाम लेकर allegations पर उतर आए हैं। यह ठीक नहीं। (The hon. Member has started making allegations against individuals by name. This is not proper).

चौधरी बारू राम : वह इस लिए कि इन्होंने एक individual case में यह काम किया है। इसी लिए इसे यहां पर लाने की जरूरत महसूस हुई। फिर उस में एक discrimination की गई। मैं ने पूछा कि किस किस गांव को इस scheme में include किया गया है जवाब मिला "exclusively for the villages of Pepsu" यानी पंजाब और पैप्सू सन् 1956 में मिले। आज तकरीबन दो साल हो गए हैं। और इस के बाद यह discrimination November, 1957, में की जा रही है। उस scheme में की जा रही है जो November, 1957, में मन्ज़ूर की गई और यह आठ गांव वहां के सिर्फ बारह मील के फासले पर हैं। मैं हैरान हूं कि जब दो लाख से ऊपर की रकम इस scheme पर खर्च की जा रही है तो क्यों पास पास के गांवों के साथ discrimination की जा रही है? मैं ने पूछा कि उन गांव को क्यों इस से फायदा नहीं पहुंचेगा तो जवाब में बताया गया कि वहां पर points नहीं दिये जा रहे। Points कोई ऊपर से टपकने थोड़े ही हैं। वह भी तो आप ने ही sanction करने हैं और मंज़ूर किये जायेंगे। मुझे शर्म आती है बात कहने में। मैं बज़ाते खुद मिनिस्टर साहिब की बड़ी इज्ज़त करता हूं। लेकिन उन आठ गांव के नाम नहीं दिये गये हालांकि.........

Mr. Speaker : No please. The discussion should be relevant so far as the levy of electricity duty is concerned and not for sanctioning the points and taking the lines.

Chaudhri Baru Ram : Sir, taxation is on electricity.

Mr. Speaker : Mere mention of the word 'Electricity' does not entitle you to cover all the points.

Chaudhri Baru Ram : Sir, this is amending the original Act.

Mr. Speaker : There can be no discussion on the parent Act. You can only speak on the amending bill.

Chaudhri Baru Ram : Of course, but, Sir, this bill is affecting the parent Act

Mr. Speaker : No discussion can be raised on the parent Act. This is an independent bill.

Chaudhri Baru Ram : I am sorry.

Mr. Speaker : Please speak on the tax so far as it is mentioned in this bill. How is it relevant ?

चौधरी बारू राम : क्योंकि यह electricity के ऊपर टैक्स है। मैं हरगिज़ दूसरी तरफ़ नहीं जा रहा। अगर यह relevant नहीं तो there can be nothing relevant.

Mr. Speaker : You can only discuss the principle of the bill.

चौधरी बारू राम : यह तो उसी की amendment है। Any how I am sorry. लेकिन सवाल तो यह है कि taxation का रुपया public देती है और public के लिए ही lines लगाई जाती हैं। Public के लिए ही खर्च किया जाता है और public से ही पैसा मांगा जाता है।

Mr. Speaker : I am sorry, this is not relevant.

चौधरी बारू राम : उसी के ऊपर चल रहा हूं। ज़रा धैर्य से काम लिया जाए। जनाब के सामने अर्ज़ करता हूं कि आठ गांव जिन के लिये यह सिलसिला किया गया है उन में से एक वज़ीर साहब के ससुराल का भी गांव है।

Mr. Speaker : I am sorry, this is not relevant.

Minister for Irrigation and Power : Sir, with your permission, I take very strong exception to this unwarranted remark of the hon. Member. I hope, Sir, he will desist from this. I have no interest in that village even.

Mr. Speaker : I am sorry, he is not at all relevant.

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, मैं आप से अर्ज़ कर रहा था कि आप के सामने यह cess लगाया जा रहा है......

अध्यक्ष महोदय : आप इस को क्यों मोड़ तोड़ कर cess की तरफ़ ले जाते हैं। You can only discuss the principle of the Bill. (Why does the hon. Member try to connect it with the Education cess by twisting his arguments. He can only discuss the principle of the Bill.)

चौधरी बारू राम : यह principle ही है।

Mr. Speaker : This is not the principle of the Bill. You are mentioning certain lines, certain villages and ascribing motives also. How is this the principle of the bill please ?

चौधरी बारू राम : अगर आप की यह इच्छा है तो मैं यह नहीं कहता लेकिन आप यह ज़रूर मानेंगे कि जो discrimination पैप्सू और पंजाब के लोगों में की जाती है, यह policy उन की ठीक नहीं है। यह तो आप ज़रूर मानेंगे। अगर आप इस पर भी एतराज़ करते हैं तो यह बड़े अफ़सोस की चीज़ है।

Mr Speaker : No question of policy between Pepsu and Punjab. This is a bill which seeks to impose electricity duty and the general principle of the bill is under discussion. You can only say whether you like this bill or not and what your reasons are for this.

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, अगर आप मुझे Education Cess के बारे में भी कुछ कहने देना नहीं चाहते तो बड़े अफसोस की बात है।

Minister for Planning and Community Projects : Sir, you were pleased to say that he was not relevant. I am sorry that the words used by the hon. Member are not parliamentary and justified and he should be asked to withdraw.

Chaudhri Baru Ram : Sir, I have already left that discussion and if my friend is pleased that I should withdraw, I withdraw these words.

Mr Speaker : Then it is all right. Please confine yourself to the general principle of the bill.

चौधरी बारू राम : लेकिन, स्पीकर साहिब, मैं यह ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि मैं ने electricity के बारे में जो अभी आप के सामने रखा है कि इस में बड़ी discrimination की policy बरती जाती है और यह बिल्कुल सीधे लफ़ज़ों में कहा हुआ है 'that this is exclusively meant for Pepsu villages.' अगर अब भी......

Minister for Irrigation and Power : Sir, I insist on it. The hon. Member is not relevant. His discussion has absolutely no relevance here.

Mr. Speaker : Yes. I am sorry, he is not relevant.

Minister for Irrigation and Power : Sir, he is not relevant. There is no question of discrimination.

Mr. Speaker : I do not know, how this can arise here. This is irrelevant.

चौधरी बारू राम : सवाल यह है, स्पीकर साहिब, कि आखिर हम इस बारे में एक economy measure suggest करते हुए तो कह सकते हैं और कह सकते हैं कि बिजली के खर्च में इस तरह से बचत की जा सकती है। इस में यह लफ़ज़ दिये हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं कि जो ruling मैं दूं उस पर भी आप कहें कि यह नहीं, वह नहीं। (This is not proper for the hon. Members to raise objections with regard to my ruling.)

चौधरी बारू राम : लेकिन स्पीकर साहिब.....

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी बात सुनिये ! इस बिल में तो सिर्फ एक ही बात है। Taxation के बारे में दिया हुआ है कि 15 units तक यह tax इतना लगेगा और 15 से आगे यह इतना लगेगा और यह बिल्कुल सीधी बात है। इस में न पैप्सू का जिक्र आता है और न discrimination का ही आता है। Please let me know how this is relevant ? आप के सामने इस पर speeches हुई हैं क्या उन में किसी ने भी discrimination का mention किया है (The hon. Member should first listen to me. This Bill relates to only one thing, i.e., it has been provided in it that the rate of this tax up to 15 units will be so much and beyond that so much. This is a simple matter. There is absolutely no mention in it about Pepsu or any discrimination. Please let me know how this is relevant. So many speeches have been delivered but has any one of the hon. Members mentioned about discrimination here in his speech ?)

चौधरी बालू राम : जनाब को खुश करने के लिये मैं इस को छोड़ ही देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खुश न करें, आप ठीक बोलें ? (There is no need of pleasing me. The hon. Member should try to be relevant.)

चौधरी बालू राम : इस बिल में Education Cess का ज़िक्र किया गया है। इस लिये मैं आप के सामने यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर यह हुकूमत वास्तव में ग़रीबों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है तो देहात के अन्दर भी free education का कोई इंतज़ाम किया जाये। इस बारे में मैं अर्ज़ करूं कि अभी अभी वज़ीर तालीम हमारे इलाके में गये थे और उन्होंने लोगों को वहां बताया था कि सरकार ने अब यह policy बनाई है कि अब ईंटों और गारे का काम न किया जाये। इस सिलसिले में मैं हाऊस को बतलाना चाहता हूं कि हमारे ज़िले में 70 नये स्कूल बनाये जा रहे हैं जिन के लिये लोगों ने अपने पल्ले से पैसे डाले हैं लेकिन उन को मन्ज़ूर नहीं किया जा रहा।

Mr. Speaker : It is not relevant please.

चौधरी बालू राम : अब मैं Education Cess की तरफ़ आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस में कहां Education Cess दिया हुआ है ? (Where is the Education Cess mentioned in it.)

चौधरी बालू राम : स्पीकर साहिब, आप इस बिल के objects and reasons को देखें उस में इस का ज़िक्र किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इस का मतलब यह है कि आप इस के principle के बारे में कुछ कह लें। (It means that the hon. Member should say something about the principle of this Bill.)

चौधरी बारू राम : जिस चीज़ के लिये यह बिल लाया जा रहा है अगर हम उस की तरफ़ इशारा भी नहीं कर सकते जब कि :—

"Additional financial burdens are being undertaken by the State on account of introduction of free education and provincialisation of local body schools."

अध्यक्ष महोदय : चलिए जी, आगे चलिये ।

(Please proceed further.)

चौधरी बारू राम : आगे क्या चलूं ? At least half of my time is.......

Mr. Speaker : I agree, आप general principle of the Bill पर ही बोलें । ऐसा करते हुए आप इस cess को refer कर सकते हैं । (The hon. Member should confine his speech only to the general principle of the Bill and while doing so he may make a reference to this cess.)

चौधरी धर्म सिंह राठी : जिस वक्त यहां श्री राम प्यारा बोल रहे थे तो वह तो free education के बारे में कह रहे थे लेकिन उस वक्त तो कोई एतराज़ नहीं उठाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये । आप ने कहा है स्कूलों की हालत अच्छी नहीं, यह नहीं वह नहीं । आप इस को free education को इस बिल के general principle के साथ ला कर connect कर रहे हैं । यह कैसे हो सकता है ? (The hon. Member may please resume his seat. He has stated that the condition of certain schools is not satisfactory and so on and so forth. He is trying to connect free education with the general principle of this Bill. How is it relevant?)

चौधरी बारू राम : स्पीकर साहिब, यह cess free education के लिये लगाया जाना है और इस में बताया गया है कि इस से उन लोगों के लिये जो देहात में बस्ते हैं, स्कूल खोले जायेंगे और उन्हें free education दी जायेगी । तो मैं यह बता रहा था कि वहां के लोगों ने लाखों रुपये की contribution की हुई है लेकिन उन को free education देने की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जा रहा । इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर रहा था कि ज़िला करनाल में 70 स्कूल buildings under construction हैं और वह सिर्फ इसलिये बनाई जा रही हैं ताकि उन्हें free education का benefit पहुंच सके लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि सरकार की policy यह है कि ईंटें और गारा लगाने की जरूरत नहीं । यह बात हमारे वज़ीर तालीम साहिब ने कही थी जो वहां गये थे । तो मैं ने इस के जवाब में उन्हें कहा था कि अगर गवर्नमेंट की policy ईंट और गारा लगाने की नहीं तो चंडीगढ़ में क्यों इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं अभी जो तीन तारीख को प्रधान मंत्री एक building का शिलान्यास किया है । जिन लोगों ने free education हासल करने के लिये पन्द्रह पंद्रह, बीस बीस हज़ार रुपये सरकार के खज़ाने में दाखल किये हैं और बड़ी बड़ी आलीशान buildings बना दी है, मगर उन्हें अब भी free

education से महरूम रखा जाता है। इस लिये मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि जल्द से जल्द इस तरह वह कदम उठायें और उन लोगों को free education देने का प्रबन्ध करें।

फिर, स्पीकर साहिब, मान साहिब ने अपनी तकरीर के दौरान ठीक कहा है कि इस cess की checking के लिये inspectors की फौज भरती की जा रही है जिस का ज़िक्र clause 7 में bold prints में किया गया है। मैं ने पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूं कि Indian system of taxation जो है वह बड़ा defective है। इस में एक tax से जो आमदनी होती है उस का बहुत बड़ा हिस्सा उस के collect करने पर खर्च कर दिया जाता है। Inspectors तो पहले ही काफ़ी हैं। Inspectors की एक रेल गाड़ी भर कर अगर उन्हें इस काम पर लगा लिया जाये तो इस बिल की clause 7 की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। इन शब्दों के साथ मैं आप का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप ने मुझे बोलने के लिये टूटा फूटा time दिया है।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, आज़ादी से पहले जब कभी हमें कांग्रेसी दोस्तों से मिलने का मौका मिलता था तो यह कहा करते थे कि आज़ादी आ लेने दो, हमारे हाथों में हकूमत की बागडोर आ लेने दो हम देश का सारा नक्शा बदल कर रख देंगे। बिजली भी सस्ती होगी, education भी सस्ती होगी और taxes वगैरह हम मांगेंगे नहीं। मैं ने पिछली elections के दिनों में अपने चीफ़ मिनिस्टर साहिब की तकरीरों को सुना था और कई दूसरे मिनिस्टर साहिबान जो यहां बैठे हुए हैं, की तकरीरों को भी सुना था और खास तौर पर चौधरी लहरी सिंह, जब वह बिजली के मंत्री होते थे, की तकरीरों को भी सुनने का मौका मुझे मिला था और यह कहा करते थे कि भाखड़ा वगैरह की बिजली आ लेने दो, बिजली इतनी सस्ती और आम कर दी जायेगी कि न तुम्हें लैम्प जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न चूल्हे की ज़रूरत होगी और न किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी और सारा काम बिजली पर ही होगा। हम तो यह ख्वाब ले रहे थे कि यह चीज़ पूरी होगी, मांगी थी घोड़ी सवारी करने के लिये लेकिन मिल गई सिर पर बिठाने के लिये, हम सोच रहे थे कि भाखड़े की जो बिजली आयेगी वह सस्ती होगी लेकिन यहां पर यह The Punjab Electricity (Duty) Bill आ गया है। तो दस परसेंट और बढ़ा दिया। पहले ही ज़्यादा है और बढ़ा दिया यह हमारे सामने उलटी ही बात आ गई। हम यह सोचते थे कि ग़रीब लोगों का भला होगा, बिजली सस्ती होगी, स्टैंडर्ड आफ़ लिविंग ऊंचा होगा। मगर यहां तो उलटा ही हिसाब हो गया। आम ग़रीब कनज्यूमर पर जो दस, पन्द्रह यूनिट बिजली खर्च करता था उस पर दस फीसदी और बढ़ा दिया गया है और दूसरी तरफ़ जो सरमायादार हैं, कारखाने दार हैं उस को ३० पर छुट्टी कर दी यानी १५ तक और छुट्टी कर दी मगर जो आम कनज़्यूमर है उस पर दस फीसदी और बढ़ा दिया। यह तो ग़रीबों को मारने का बिल है। यह बिजली पर टैक्स लगाया जा रहा है जो ग़रीबों ने लेनी है।

इस के अलावा अगर इस को अच्छी तरह से देखा जाए तो इस में यह नहीं बताया गया कि इस से कितनी आमदनी है। हमारे मिनिस्टर साहिब को यह आज तक बिल्कुल एस्टीमेट नहीं है कि इस से कितनी आमदनी होगी और उस से क्या करना है। अलबत्ता

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

इस में एक चीज़ बताई गई है कि इस से जो आमदनी होगी वह ऐजुकेशन पर खर्च की जायगी। स्पीकर साहिब, यहां पर फ्री ऐजुकेशन का नाम लिया गया है और महकमे की प्रोविंशलाईज़ेशन का नाम लिया गया है कि यह बिजली पर टैक्स लगा कर इन पर खर्च किया जायेगा। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ़ तो यह कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए और देश उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक अनाज ज्यादा न पैदा हो, खेती-बाड़ी की तरक्की न हो मगर इधर दूसरी तरफ़ जो इस का ज़रिया है बिजली वह महंगा किया जा रहा है। अगर बिजली सस्ती हो तो लोग टयूब-वैल लगा कर खेती को पानी दें जिस के बिना यह नहीं हो सकती, पैदावार नहीं बढ़ सकती। नहरें तो सब जगह जाती नहीं इस लिये लोग टयूब-वैल लगा कर आबपाशी बढ़ा सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं। मगर बिजली तो पहले ही महंगी है और लोग इसी वजह से नहीं लेते और अब दस परसैंट और बढ़ा दिया गया है तो ज़मींदार कैसे बिजली लेंगे। यहां जो रोज़ grow-more food की महारनी पढ़ी जाती है उस को बड़ा नुक्सान पहुंचेगा। बाकी जो यह कहते हैं कि यह रुपया ऐजूकेशन को फ्री करने के लिये खर्च किया जाएगा तो यह क्या नई बात करेंगे। इन्होंने कहा है कि फ्री ऐजुकेशन छटी तक की है। मगर यह तो पहले ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डज़ और म्युनिसिपैलिटीज़ ने किया हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि अब क्या ज़्यादा खर्च किया गया है अगर प्रोविन्शलाइज़ किया है। पहले भी तो गवर्नमेंट इन को, लोकल बोर्डीज़ को 80 और 90 फीसदी तक ग्रांट दिया करती थी। अब फ्री ऐजुकेशन करके कौनसी नई चीज़ की गई है। वहां तक जो फ्री ऐजुकेशन का काम होता था वह मिडल और मैट्रिक तक होता था अब जो इन्होंने बताया है वह तो प्राइमरी या पांचवीं या छटी तक है। नई चीज़ क्या की है। दूसरा बहाना यह लगाया गया है कि प्रोविन्शलाइज़ होने से तन्खाहों का खर्च पड़ जाएगा। मगर जहां तक हरियाने का ताल्लुक है, अम्बाला डिवीज़न का ताल्लुक है, जींद, सफीदों और महेंद्रगढ़ के डिस्ट्रिक्ट्स का ताल्लुक है, कांगड़े का ताल्लुक है या दूसरे बैकवर्ड ज़िलों का ताल्लुक है उन को इस से बड़ा भारी नुक्सान हुआ है। अब टैक्स उन पर लगेगा, यह इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी इन गरीब और पसमांदा लोगों पर लगेगा मगर दूसरी तरफ़ जो प्रोविन्शलाइज़ेशन की गई है इस में उन को हिस्सा नहीं मिलेगा, उन को नौकरियां नहीं मिलेंगी। एक तरफ यह नुक्सान और दूसरी तरफ़ उन पर टैक्स। यह दो धारी चलाई जा रही है। मैं वज़ीर साहिब से कहूंगा कि कम से कम इतना तो करें कि एक धारी ही चलाएं। एक धारी तो बरदाश्त कर लेंगे मगर दोधारी को सहारना तो बड़ा मुश्किल है। आप तो आगे और पीछे दोनों तरफ़ से मारते हैं। आगे वाले का तो मुकाबला कर लेंगे मगर जो पीछे से आए उस का क्या मुकाबला करें। फिर इस में ऐसी २ क्लासिज़ हैं : इन का ज़िक्र मैं बाद में करूंगा। कहते हैं कि इंस्पेक्टर्ज़ की क्लास खोलेंगे। फिर पैनल्टी का ज़िक्र है। यह तीन किस्म की होगी। एक तो यह कि वसूली एरियाज़ आफ लैंड रेविन्यु की तरह होगी। और अगर नहीं देगा तो उस से कई गुना पैनलटी भी लगेगी। इतना ही नहीं फिर प्रौसीक्यूशन भी होगी। इस तरह की क्लाज़िज़ हैं। यह बिल लोगों को हरास करने के लिये लाया गया है। फिर यह भी है कि जिस को गवर्नमैण्ट चाहे इस दस परसेंट की बढ़ौती

से छूट दे दे या रेट्स कम कर ले। परसेंटेज़ न बढ़ाए यह गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। इस चीज़ का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां देखेंगे कि कोई अपना आदमी है या कांग्रेसी भाई है और जहां देखेंगे कि दूसरी पार्टी का है उस को कहेंगे कि आप पर इस से दुगनी ड्यूटी लगेगी। यह डिस्क्रिमीनेशन मत करें। यह जो आप के दिमाग में है कि जनता सिर्फ कांग्रेस है इस को निकाल दें। कांग्रेस जनता नहीं है जनता के 80 फीसदी लोग कांग्रेस से बाहर हैं। (विरोधी पक्ष की तरफ से तालियां) (योजना मन्त्री की ओर से विघ्न) उन का ख्याल करें। मैं इस बिल की बड़े ज़ोर से मुखालफत करता हूं। और यह पास नहीं होना चाहिए।

खान अब्दुल गफ्फार खां (अम्बाला शहर) : जनाबाली, हमारे मन्त्रिमंडल को यह मुफ्त तालीम एक ऐसी चीज़ मिल गई जैसे यह कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। जहां कोई चीज़ कहनी होती है यह कह दिया जाता है। कोई टैक्स लगाया तो कह दिया कि मुफ्त तालीम देने के लिये टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स का यह असूल है कि जैसे सूरज अपनी गर्मी से पहले पानी को उठा लेता है भाप बना कर और उस के बाद जहां ज़रूरत हो और जब ज़रूरत हो तो पानी बरसा देता है ताकि ज़रायत की ज़रूरत पूरी हो सके। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है। हमारी टैक्सेशन की पालेसी को इस तरह से चलाया जा रहा है कि कोई बहाना मिलना चाहिए और ज़रूरत पेश करनी चाहिए और इस के लिये कोई जवाब पैदा करना चाहिए कि फलां ज़रूरत है इस लिये टैक्स लगाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जनाब स्पीकर साहिब मुझे माफ फरमायेंगे अगर मैं यह कहूं कि सरकार टैक्स लगाने के लिये कोई न कोई बहाना तलाश कर लेती है और इस तरह कहने में मैं समझता हूं कि कोई अनपार्लियमेंट्री बात न होगी कि :

खूए बद रा बहाना बिस्यार

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹਨ ।

खान अब्दुल गफ्फार खां : आप लोगों को यह लफज़ सुन कर चिड़ सी होती है मैं तो इनसानों की ज़बान में बोल रहा हूं और सब इनसानों को इस की समझ आ जाती है लेकिन आप जब बोलते हैं तो इनसानों की ज़बान को समझ लिया करें मैं ने तो सिरफ यह कहा था कि :

खूए बद रा बहाना बिस्यार

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੰਵਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਿਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ।
(Kanwarani Sahiba has not understood its meanings).

खान अब्दुल गफ्फार खां : जनाब, कंवरानी साहिबा जब बरस्ती हैं हमारी मिनिस्टरी पर और वज़ीर साहिबान पर या ट्रैयरी बैंचिज़ पर तो कोई न कोई बहाना लेकर बरस्ती हैं। यह तो इन की आदत सी बन गई है और इस तरह हमारे मन्त्रि मंडल की भी यह आदत सी बन गई है एक मामूल सा बन गया है कि टैक्स लगाने के लिये कोई न कोई बहाना तलाश कर लिया जाए। कभी इस बहाना पर और कभी दूसरे बहाना पर टैक्स लगा दिया जाता है और मैं समझता हूं कि यह एक बुरी आदत है।

[खान अब्दुल गफ्फार खां]

हर दो चंद यहां पर मुफ्त तालीम देने का ज़िक्र किया गया है और कहा गया है कि इस बढ़ते हुए खर्च को पूरा करना है लेकिन यह मुफ्त तालीम क्या आई है एक तरह की मुसीबत आ गई है। इस पर भी एक और बात देखने वाली यह है, जनाब स्पीकर साहिब, कि तालीम मुफ्त किन लोगों को दी जा रही है। किन लोगों के बच्चों को दी जा रही है। गरीब लोगों को मुफ्त तालीम हासिल करने का कोई हक्क नहीं। बड़े बड़े रईसों के लड़के और बड़े बड़े अफसरों के लड़के मुफ्त तालीम हासिल करते हैं और यह बड़े अफसरान भारी तनखाहें लेते हैं फिर मुफ्त तालीम देने पर जो खर्च बढ़ गया है उस को बराबर करना चाहते हैं। उन बिचारे गरीब लोगों के साथ जो किसी फैक्टरी में मज़दूरी करते हैं मज़दूर हैं या मज़दूर का लड़का है और मामूली से काम में लगा हुआ है उस से सरकार इस खर्च को यूनीफार्म करना चाहती है। कहां एक तरफ चीफ इंजीनियर का लड़का है और कहां एक मामूली मज़दूर का लड़का लेकिन यह टैक्स वसूल किया जा रहा है उस गरीब मज़दूर से क्योंकि सरकार की तरफ से कहा यह जा रहा है कि तालीम मुफ्त है और यकसां दी जा रही है। दरअसल बात यह नहीं है कि मुफ़्त तालीम देनी है और सरकार के अखराजात बढ़ गए हैं इस लिए टैक्स लगाया जा रहा है। मुफ़्त तालीम देने का तो एक बहाना बनाया गया है और यह बहाना बना कर उन गरीब लोगों को जिन बेचारों को तालीम हासिल करने का मौका ही सादर नहीं किया जाता टैक्स अदा करने के लिये कहा जा रहा है। यह महज़ एक बहाना है वरना इस तरह की कोई चीज़ न थी। जनाब की विसातत से मैं यह अर्ज़ करूं कि एक तो मिनिस्टर साहिबान की कोठियों में और दफ़तरों में और अफ़सरान के घरों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिये हीटर लगाए गए हैं। कुक्कर लगा दिये गये हैं और खाने पक रहे हैं और कई किस्म की लाइटस का प्रबन्ध कर दिया गया है लेकिन दूसरी तरफ एक गरीब आदमी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिये एक छोटा सा बल्ब भी लगा देता है तो उस पर यह डयूटी ठोंस दी जाती है कि वह इसको अदा करे। तो मैं अर्ज़ करूंगा कि सरकार इस तरह का बहाना बना कर गरीब लोगों पर टैक्स आयद कर रही है उसे इस तरह टैक्स न लगाना चाहिए और अगर अपनी आदत को सरकार छोड़ नहीं सकती तो खुदा राह मेहरबानी फरमा कर इन गरीब लोगों को तो छोड़ दिया जाए और इस टैक्स को रईसों पर लगाया जाए और हो सकता है कि सरकार को इस तरह करने से फ़ायदा भी हो और दुःखी जनता को चैन का सांस लेने का मौका मिले। अगर आप टैक्स लगाना चाहते हैं मुफ्त तालीम देने के लिये तो इस से गरीब लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। बड़े बड़े आदमी इस मुफ्त तालीम से फायदा उठा जाते हैं। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इन लोगों की बददुआ से आप बचें। लोग पहले ही सते हुए हैं। यह जो हमारे बिजली मंत्री हैं समझ में नहीं आता इन्हें किस नाम से पुकारूं यह जो पावर के मंत्री हैं मैं इन से अर्ज़ करूंगा कि अगर आप छोटी इन्डस्ट्री को तरक्की देना चाहते हैं तो इस तरह के टैक्स को पास न करवाइए। और अगर इस बिल को पास कर दिया गया तो लोग हमेशा आप का नाम लेंगे और कहेंगे कि हमारे बिजली मंत्री थे जिन्होंने हमारी छोटी इन्डस्ट्री को नुकसान पहुंचाया क्योंकि इस टैक्स का बोझ उन गरीब छोटी दस्तकारियों में लगे हुए लोगों पर भी पड़ेगा।

मुझे फिर फारसी का शेअर कहना पड़ रहा है कि :

बतरस अज़ आहे मज़लूमां कि हंगामाए दुआ करदन
इजाबत अज़ दरे हक्क बहरे इस्तकबाल मे आयद

मज़लूम की बददुआ का असर बुरा होगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप बददुआ के मुकाबला में कैसे कामयाब हो सकते हैं। आप को ग़रीब की बददुआ का ख्याल करना चाहिए और इस टैक्स को ग़रीब लोगों पर आयद नहीं करना चाहिए। अगर पंजाब को ऊंचा उठाना है और पंजाब की जनता के मयारे ज़िन्दगी को बढ़ाना है तो इस तरह के टैक्स लगाने से प्रहेज़ करना बेहतर होगा। अगर आप पंजाब को खुशहाल और फलता फूलता देखना चाहते हैं तो इस तरह के measures यहां पर लाने नहीं चाहिए और ऐसे कानून लाए जाएं कि जिस से असैम्बली की शान भी बढ़े। सूबा तरक्की की राह ले और ग़रीब लोगों को टैक्सों के भार के नीचे न दबना पड़े।

Minister for Planning : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ important ਬਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : When a closure motion is moved, the Chair has to put it. There is no other alternative.

Question is—

That the question be now put.

After ascertaining the votes of the House by voices. Mr. Speaker said "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the motion was lost.

The motion was declared lost.

(At this stage there was some noise in the House)

Mr Speaker : Order please. There should be no noise in the House.

श्री मंगल सेन (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, जिस बिल पर आज हम विचार कर रहे हैं, वह बिल इस प्रकार का है कि इस के ज़रिये से बिजली पर Tax लगाया जा रहा है। इस के लिये विद्युत मंत्री जी ने कारण यह बतलाया है कि देश के अन्दर जितनी भी पाठशालायें हैं उन सब का राज्योकरण किया जा रहा है, provincialisation किया जा रहा है। इस व्यवस्था से जो व्यय होगा यह Tax उस को पूरा करने के लिये लगाया जा रहा है। और यह खर्च Municipal Committees के जो स्कूल हैं या District Boards के स्कूल हैं उन पर खर्च करने के लिये वसूल किया जा रहा है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस के विरुद्ध हर Class की ओर से Opposition और सरकारी benches की ओर से

[श्री मंगल सेन]

कहा गया है। इस बिल के मंतव्य के विरुद्ध बड़े प्रबल शब्दों में विरोध किया गया है। लेकिन सरकारी बेंचों के अतिरिक्त दूसरी parties ने भी बड़े प्रबल शब्दों में इस का विरोध किया है। पिछली दफ़ा भी जब यह बजट प्रस्तुत हुआ था तो इन Taxes का कड़ा विरोध किया था। श्री प्रबोध चंद्र जी ने यह सिद्धांत बताये थे कि कर लगाते वक्त जनता जनारधन की मांग को सामने रख कर, लगाने चाहियें। मगर यह कोई परवाह नहीं की गई। आज फिर इस किस्म का बिल ला कर, जनता जनारधन की मांग को ठुकराया है। यह मैं मानता हूं कि मुल्क की तरक्की के लिये Taxes का लगाना ज़रूरी हो जाता है मगर अध्यक्ष महोदय आज जो Taxes लगाये जा रहे हैं ये उन पर हैं जिन को हम नित्य प्रति इस्तेमाल करते हैं और जिन का ज़्यादातर सम्बन्ध जनता के साथ है। यह कर सीधे ग़रीबों पर लगते हैं। आज हम देश के निर्माण के लिये काम कर रहे हैं। आज हम समाजवाद के ढांचे को ऊंचा उठाना चाहते हैं देश को Socialistic Pattern of Society की तरफ़ बढ़ाना चाहते हैं ताकि जनता प्रसन्न हो। क्या जो कुछ आज किया जा रहा है क्या इस से सचमुच जनता का भला होगा? देखने में तो ऐसा नज़र आता है कि ज़रूर भला होगा। लेकिन जब व्यवहार की ओर देखते हैं तो अपने आप निराशा होती है। हम ने समाजवाद के ढांचे को समझा ही नहीं जिस तरह के व्यवहार आज सरकार करती है इन के उद्देश्य जो हैं वह इस तरह के हैं कि एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिये अवसर प्राप्त इस तरह से नहीं हो सकता।

जिस दृष्टि से कर लगा कर हम अपनी आर्थिक अवस्था को ठीक करना चाहते हैं इस से जनता को सुख नहीं हो सकता। यहां पर जो बातें कही जा रही हैं वह काल्पणिक रूप में कही जाती हैं। आज जो हम Tax लगाने जा रहे हैं, वह देश के नव निर्माण के लिये लाभदायक नहीं हो सकता। बिजली से हमारे देश को बड़ा लाभ होना है क्योंकि इसे देश की उन्नति के लिये काम में लाया जा रहा है। भाखड़ा-नंगल का काम हो रहा है इस के मुकम्मल हो जाने से हमारे सब कष्ट दूर हो जायेंगे। जहां पानी नहीं वहां पानी पहुंचाया जायेगा। जहां पानी नहीं पहुंचता Tube-wells लगाये जायेंगे। सस्ती बिजली सप्लाई की जायेगी, किसानों की भूख को दूर किया जायेगा। जो नंगे हैं उन के तन ढांपने को कपड़ा दिया जायेगा ....

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : On a point of Order, Sir. जो कुछ hon. Member कह रहे हैं इन का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी 2-3 दफ़ा इस किस्म की बातें कही गई हैं। अगर यह taxation की scheme के मुताल्लिक कुछ कहना चाहते हैं, funds के मुताल्लिक कोई proposal दे सकते हैं तो इस में कोई इमदाद हो सकती है।

Mr Speaker : The hon. Member is not relevant. He should not go off the point.

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, जो बिल सदन के सामने है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप थोड़ा सा साफ़ बोलें। मुझे भी आप की बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि आप क्या कह रहे हैं। (Let the hon. Member be a bit clear in his speech. I am also finding it difficuilt to follow him.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਮੁਖਾਲੀ ਮੁਖਾਲੀ ਜੀ।

श्री मंगल सेन : स्पीकर साहिब, जो बिल House के सामने पेश किया गया है (आवाज़ें)।

अध्यक्ष महोदय : No interruptions please. अगर आप बातें करना चाहते हैं तो lobbies में जायें। आप की बातों ने सारे House को disturb कर रखा है। (No interruptions please. If the hon. Members want to talk, they should move to the lobbies. The whole House is disturbed with their talks.)

श्री मंगल सेन : जनाब मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सब से ज़्यादा ज़रूरत आज बिजली की उस इलाका को है जो कि पिछड़ा हुआ है। जोकि बेकार हैं उनको बेकारी को दूर करने के लिये आज ज़रूरी है कि छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाये जायें। ताकि उन को बेकारी दूर हो सके। आज हमें छोटे छोटे उद्योग धंधे इन गांवों में खोलने चाहियें। उनको encourage करना चाहिये। सिर्फ बिजली से उन को encouragement नहीं हो सकती। स्पीकर महोदय, इस के इलावा यह बात भी कही गई है कि जो हम आज बिजली कर लगाना चाहते हैं, वह शिक्षा-प्रसार के लिये जो हमारा खर्च बढ़ गया है उसको Taxes के ज़रिये से पूरा करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह तो एक नव निर्माण का बहाना है। जनता की खून पसीने की कमाई को Taxes के ज़रिये इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मैं यह सरल शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो आज हम लोगों पर Tax लगने लगे हैं क्या उसके बदले में लोगों को खुशहाली भी मिलेगी। मैं तो यह भी अर्ज़ करना चाहता हूं कि बजाये इस के कि जो आज हम ने बिजली पर Tax लगायें हमें चाहिये कि हम जो राज्यीकरण पर फजूल खर्ची कर रहे हैं उसको बन्द करना चाहिये और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी तरफ़ से कोई unproductive expenditure नहीं होना चाहिये। सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं देना। उस ओर अड़ा रहना है। उसकी वजह है क्योंकि वह जानते हैं कि हमारी शक्ति ज़्यादा है, मेंबर्स ज़्यादा हैं इस लिये हर मांग को ठुकरा देना है। स्पीकर महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार फ़जूल खर्ची को रोके और बचत करे तो टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं इस विधेयक का, जो कि इस प्रदेश को प्रगति के अन्दर बाधक होगा, प्रबल-शब्दों में विरोध करता हूं।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ terms ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਸੀ Second Five--Year Plan ਤੇ ਦੂਜਾ term ਸੀ Socialistic Pattern of Society. ਹੁਣ ਇਕ ਤੀਜਾ term invent ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ free education. ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਈਜਾਦ ਲਈ ਸਾਰੀ Ministry ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।

[ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ]

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ free education ਦਾ step ਇਸ Ministry ਨੇ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ Central Education ਦੀ scheme ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ finances ਹਨ । ਸਾਡੇ Education Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ education demand ਦੀ discussion ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ Central Minister ਨੇ ਥਪਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਥਪਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ । ਜੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ create ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ free education ਦੇ ਅਜਿਹੇ consenqence ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

(*At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair*)

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕ system ਨੂੰ ਦਰਹਮ ਬਰਹਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਧਾਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਚੁਕ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ sound policy ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਇਹ ਸੂਬਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ education ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ private enterprise ਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਨੂੰ disrupt ਕਰਕੇ ਜੋ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲੀਮ free ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਸਾਰਾ system muddle ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਵਾਜਿਬ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ merits ਹਨ, ਉਸ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ points cover ਕਰ ਲਏ ਹਨ । ਜਿਹੜਾ raw material ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ finished product ਦਾ ਮਾਰਕਿਟ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ competition ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਲਾਫੀ ਧੱਕਾ ਲਗੇਗਾ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ tube-wells irrigation ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ , uneconomic ਹੈ । ਜੇ ਹਕੂਮਤ rates ਘੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੀ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ tub-wells ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ irrigation ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ municipality ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਵਾਲ

ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ municipality ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ municipal committees ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ੧੫, ੧੫ points ਲਗੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੀ ਪਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ consumption ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ unit ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ checking ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ। Industrial concerns ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ meter ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ revenue ਹੈ ਉਹ ਤਲਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ industrial concerns ਇਕ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਅਰਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਹਿੰਦ (Government of India) ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। Fertilizer factory ਵਾਸਤੇ Government of India ਨੂੰ power ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਤੇ tax ਦਾ rate ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਮ consumer ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ development ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ State ਇਕ ਬੜੀ competitor ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ industries ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ investor ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਥੇ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ industries ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ rates ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

श्री शेर सिंह (झज्जर, जनरल) : अध्यक्ष महोदय, यह जो electricity का बिल हमारे सामने आज है जिस पर यह बहस हो रही है अगर हम इसको background देखें कि क्यों यह बिल लाना पड़ा तो फिर हमें यह पता चलेगा कि इसके जो उद्देश हमने यहाँ पर बतलाए वास्तव में वह उद्देश्य नहीं है। इस बिल के सम्बन्ध में कहा गया है कि खर्चा education को free करने के कारण बढ़ गया है उसको पूरा करने के लिये यह बिल ला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उद्देश्य यह नहीं; उद्देश्य तो इस बिल का यह है कि भारत सरकार ने Electricity Board बनाने के लिये एक कानून पास किया और सभी राज्य सरकारों को मजबूर किया कि वह Electricity Board बनाएं। हालांकि वह और पंजाब सरकार भी यह नहीं चाहती थीं। परन्तु मजबूर किया गया। और जब बोर्ड बनेगा तो वह Autonomous Board बन जाता है। सारी शक्तियाँ उसे मिल जाती हैं। जितनी आमदन होनी है वह बोर्ड के पास जानी है, सरकार के खज़ाने में नहीं आनी। इस से पंजाब सरकार को घाटा रहता है। उस घाटे को पूरा करने के लिये यह Bill लाया गया है कि किस तरह सरकार बिजली की आमदन

[श्री शेर सिंह]

में हिस्सा डाल सके। इस से दो नुकसान हैं। एक तो यह है कि जो किसान है जिसको भाखड़ा-नंगल की वजह से पानी मिलना है उसको इस बिल के लाने से और Board के बनने से दुहरा नुकसान होता है। एक नुकसान तो यह है कि सारे का सारा रुपया जो बिजली की आमदन का सरकार को मिलना था वह Electricity Board को चला जाएगा। इस के इलावा जो Betterment fee के ज़रिए से पैसा वसूल करना है उस में से जो बिजली की आमदनी का सरकार को पैसा मिलना था वह भी Board बनने के बाद सरकार के पास नहीं आना। वह रुपया भी Electricity Board के पास जाना है। इस लिए वह ज़मीदारों तथा दूसरे ग़रीब लोगों की बेहतरी के लिए खर्च नहीं हो पाएगा। अगर वह रुपया गवर्नमेंट के खज़ाने में आता तो वह लोगों की भलाई के लिए खर्च होता और जो electric duty लगा कर ग़रीब लोगों पर बोझ डाला जा रहा है इस की ज़रूरत न पड़ती। यह जो भाखड़ा-नंगल है यह एक multipurpose project है। यह पानी देने के इलावा बिजली भी पैदा करेगा बिजली की जितनी आमदनी होगी वह Electricity Board बनने के बाद उस के पास चली जाएगी और हमारी सरकार उस आमदनी से वंचित रह जाएगी। हम ने यह कहा था कि betterment fee जो लगानी है उस का अकेले किसानों पर ही बोझ नहीं पड़ना चाहिए बल्कि जो और लोग बिजली लें उन पर भी betterment लगे। अगर इस मकसद से यह Bill बनाया जाता कि जहां पर भाखड़ा-नंगल की बिजली मिलेगी उन से betterment fee वसूल की जाएगी और वह रकम ज़मींदारों पर जो betterment लगना था उस में से काट लेते तो फिर सही purpose हल हो सकता था। पंजाब के जो गरीब ज़मींदार हैं उन को पहले ही पांच आने फी unit के देने पड़ते हैं और उस पर 10% और electricity duty लगेगी। अध्यक्ष महोदय, यदि यह पैसे ज़मींदारों की betterment के ऊपर खर्च करते हैं और project के हिसाब में जाते हैं तो तब भी हम इन की बात को मान सकते हैं। लेकिन वास्तव में यह बात नहीं है। बात यह है कि बिजली की जो आमदनी होती है वह Electricity Board बनने के बाद सरकार उस से वंचित रह जाएगी। इस लिए सरकार free education का बहाना लगाकर उस कमी को पूरा करने के लिए electric duty लगा कर अपने खज़ाने को भरना चाहती है। जिस Project पर इन्होंने अरबों रुपये खर्च किए हैं उस से जो आमदनी होनी थी वह सारी की सारी Board बनने के बाद Government के हाथ से निकल जाएगी। जो सही बात है वह यह है कि भारत सरकार ने पंजाब सरकार को Electricity Board बनाने के लिए मजबूर किया था। इस लिए इन्हें यह Board बनाना पड़ा है। अब चूंकि Government के खज़ाने में जो बहुत बड़ी रकम आनी थी वह Board को चली जाएगी इस लिए free education देने का बहाना बना कर ग़रीब लोगों पर tax का बोझ बढ़ा रही है वरना education देने का इन का कोई मुद्दा नहीं है। अगर Board न बनता तो Government को लाखों रुपये की income हो सकती थी और वह रुपया education पर खर्च किया जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा-नंगल Project जो है यह अकेले पंजाब प्रांत का ही नहीं है। इस में राजस्थान का भी हिस्सा है और पैप्सू का भी हिस्सा था—खैर पैप्सू तो अब पंजाब के साथ ही मिल गया है इस लिए उस की मैं ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन जो

दूसरे सूबे हैं उनका हिस्सा तो है । अब भाखड़ा-नंगल Project से जो बिजली बनाई गई थी, जो Power Houses बनाए गए हैं वह Electricity Board को सौंपे जा रहे हैं। उस से मैं समझता हूं कि बहुत सी उलझनें पैदा होंगी । उन उलझनों से बचने का सही रास्ता यह है कि पंजाब सरकार भारत सरकार को लिखे कि Board बनाने से हमारा नुकसान होता है क्योंकि बिजली से जो आमदनी होगी वह Board बनने के बाद हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम उस को Project के हिसाब में डालने से वंचित रह जाएंगे । पंजाब गवर्नमेंट को स्पष्ट शब्दों में भारत सरकार को कह देना चाहिए कि हम Board नहीं बनाना चाहते इस लिए हमें मजबूर न किया जाए । लेकिन, स्पीकर महोदय, हमारी Government सीधे रास्ते को छोड़ कर टेढ़े तरीके से पैसा लेना चाहती है । चूंकि Board बन गया है इस लिए सारी आमदन जो बिजली की होगी वह उस के पास जाएगी । लेकिन हमारी सरकार यह चाहती है कि किसी न किसी तरह हम भी बिजली से आमदनी निकाल लें । इस ख्याल से लोगों पर electricity duty लगाई जा रही है । मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह टेढ़े ढंग से लोगों पर electric duty न लगाएं और यह बात न कहें कि हमारे पास free education देने के लिए पैसा नहीं है और पैसा इकट्ठा करने के लिए electric cess लगा रहे हैं । इस का यह मकसद नहीं है । सीधी बात यह है कि भारत सरकार Electricity Board बनाने के लिये पंजाब Government को मजबूर कर रही है । Electricity Board बनने के बाद बिजली की आमदनी Board के पास चली जाएगी । सरकार को बिजली की आमदनी से कुछ नहीं मिलना । लेकिन सरकार भी बिजली से आमदनी का जरिया पैदा करना चाहती है । इस लिए इन्होंने free education का नाम लेकर लोगों पर electric duty लगा दी है। इस का मतलब यह है कि लोगों पर दुहरा बोझ पड़ेगा । यह जो हमारा project है उस से अभी कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हां यह हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद फ़ायदा हो जाए । लेकिन इस वक्त जो rates चालू हैं वह तो रहेंगे ही और उस के ऊपर 10% सरकार electric duty ले लेगी । मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारी सरकार को इतना अधिक बोझ लोगों पर नहीं डालना चाहिये । इस की बजाए पंजाब सरकार को भारत सरकार से यह कहना चाहिए कि भाखड़ा-नंगल Electricity Board को न सौंपा जाए । उस से यह होगा कि आमदनी का साधन सरकार के पास रहेगा और जो बिजली के consumers हैं उन पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा । इस लिये सरकार को चाहिए कि सीधे ढंग से बात करे । लेकिन यह कह कर लोगों को गुमराह करना कि हम free education देने के लिए पैसा ले रहे हैं ठीक नहीं है। Education cess के नाम पर जो पैसे लिए जाएंगे वह अधिक तर ग़रीबों की जेबों से निकलेंगे लेकिन उस का फ़ायदा उन लोगों को नहीं पहुंचेगा क्योंकि फीसें सिर्फ़ Government Schools में ही माफ़ हैं जो कि इस सूबे में बहुत थोड़ी गिनती में हैं। जो Private Schools हैं उन में फीसें माफ़ नहीं हैं । गवर्नमेंट स्कूलों में Education free होने के कारण ज्यादा लोग अपने बच्चों को वहां भेजना चाहेंगे । उसका परिणाम यह होगा कि जो अच्छे नम्बरों वाले लड़के होंगे उनको दाखिल कर लिया जाया करेगा और जो ग़रीब लोगों के लड़के कम नम्बर ले कर आया करेंगे उनको Private Schools

[श्री शेर सिंह]

में ही जाना पड़ेगा। इस लिए मैं समझता हूं कि गरीबों के बच्चों को free education की सुविधा नहीं मिल सकती। गरीबों को लाभ तब हो सकता है यदि हमारी सरकार सब स्कूलों को nationalize कर दे या Private Schools को free education करने से जो फीसें न लेने से घाटा पड़े उस को हमारी सरकार पूरा करे, वरना free education से लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जितने भी गरीब लोग हैं वह 15 units से ज्यादा बिजली consume नहीं करते। इस लिए उन को पांच आने per unit के हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं लेकिन जो ज्यादा electricity consume करने वाले हैं उन को बिजली सस्ते rate पर मिलती है। जब 10% duty लग जाएगी तो उन गरीब लोगों पर जिन से पहले ही ज्यादा rate charge किया जाता है और बोझ पड़ जाएगा। इस के इलावा betterment fee भी उन से ली जानी है। इस लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि आप ने गरीब लोगों को इस बोझ से बचाना है और उन की सहायता करनी है तो आपको भारत सरकार से सीधे तौर पर यह बात कहनी चाहिए कि हम भाखड़ा नंगल को Electricity Board को नहीं देना चाहते। उस से जो आमदनी होनी है अगर वह सरकार के खज़ाने में आएगी तो फिर इस प्रकार के tax लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से request करूंगा कि वह स्पष्ट बात करें और वह भारत सरकार को कहें कि हम गरीब लोगों पर बोझ नहीं डालना चाहते इस लिए भाखड़ा-नंगल को Electricity Board को न दिया जाए ताकि उस से जो आमदनी होनी है वह सरकार के खज़ाने में आए और गरीबों पर electric duty इत्यादि न लगानी पड़े।

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the question be now put.

Mr Deputy Speaker : Question is—

That the question be now put.

after ascertaining the votes of the House by voices Mr. Deputy Speaker said, "I think the Ayes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Deputy Speaker, after calling upon those members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places declared that the division was unnceessarily claimed.

The motion was declared carried.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल को consider करते हुए जिन ख्यालात का इज़हार किया गया है उनको मैंने निहायत गौर के साथ सुना है। जितनी बहस हुई वह एक किस्म की repetition ही थी। जो बातें इस हाउस में पहले कही गई जिस वक्त कि यह taxation की proposals हाउस के सामने आई वही बातें बजट के मौका पर कही गईं और वही उन मदों पर की गई हैं और आज उन को ही फिर repeat किया जा रहा है और उसी बात की तरफ़ ध्यान दिलाया गया

कि यह education cess ग़ैर-ज़रूरी है और यह लगाना नहीं चाहिए था। मैं समझता हूं कि वह बातें इस वक्त बेमौका और बे-महल नहीं थीं क्योंकि पहले जब इन taxation के बारे में proposals आई तो इस पर इस हाऊस के तमाम मेंबर साहिबान ने काफ़ी बहस की थी और अपने ख्यालात का इज़हार किया था। आज फिर से उन्हीं बातों को दोहराने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनका जवाब भी दिया जा चुका है और फिर से उन बातों को दोहराने को दिल नहीं चाहता है। एक बात यह ज़ाहर की गई कि इस पंजाब में यह जो taxation आ रही है यह कोई नई आफ़त पंजाब पर नाज़ल हो रही है जो पहले कहीं नहीं थी और पहली बार हिन्दुस्तान में पंजाब के ऊपर मुसीबत आ रही है। मैं ने यह पहले भी अर्ज़ किया था कि यह जो electricity पर duty है यह 1932 से भारत में लगनी शुरु हुई है। Bombay State में यह 1932 में लगी और आज यह हिन्दुस्तान में Bombay के इलावा मद्रास, बिहार, मैसूर, ट्रावनकोर कोचीन, बंगाल, मध्य-प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी लग चुकी है। यह जो source of income गवर्नमेंट के लिए है यह भी कोई ऐसा नहीं है कि जिस को नाजायज़ कहा जा सके और सख्त कहा जा सके। Taxation Enquiry Commission ने इस की ताईद की है और सिफ़ारश की है कि यह लगाया जाए। मेरा यह सारी बात कहने का मतलब यह था कि यह जो ख्याल दिमाग़ में है कि यह कोई नई आफ़त पंजाब पर नाज़ल हो रही है या कोई नई चीज़ है जो पहले नहीं थी यह दरुस्त नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बिल को जो clauses हैं और उन में जो बातें दर्ज हैं उनको नज़र अंदाज़ करते हुए ग़ैर-मुतल्लिका बातें कही गई हैं और उनका जवाब देना मैं समझता हूं कि ज़रूरी नहीं है। कई एक मेंबरान की तरफ़ से इस लाइल्मी का इज़हार किया गया कि यह एक amending बिल है हालांकि यह एक substantial measure है। इस को देखा नहीं गया और फिर इस किस्म की ज़ातियात की चीज़ें लाने की कोशिश की गई कि जिन का लाना मैं समझता हूं कि दरूस्त नहीं था और नामुनासिब था। हां कुछ एक मेंबर साहिबान की तरफ़ से constructive या तामीरी नुक्ताचीनी भी की गई है और मैं समझता हूं कि उनको जवाब देना निहायत ज़रूरी है। अभी अभी प्रोफ़ेसर शेर सिंह जी ने यह कहा कि गवर्नमेंट को स्पष्ट रूप में सामने आना चाहिए और indirect way से यह बात न की जाए। उनका कहना है कि दरअसल यह जो tax है education cess की वजह से नहीं लगाया जा रहा है और जो तालीम मुफ़त की गई है या जो तालीम provincialize की गई है उसकी वजह से यह नहीं आया बल्कि इस वजह से है कि यह जो Electricity Board बनाया जा रहा है या Government of India हमें मजबूर कर रही है कि यह Board ज़रूर बनाया जाए उस से हमारी आमदनी चली गई और यह हम ने एक ज़रिया उस कमी को पूरी करने के लिए निकाला है कि इस तरह ही रुपया हासिल किया जाए। मैं यह हाऊस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ इस बिल के objects and reasons में लिखा गया है वह बिल्कुल सही है और यह जो duty लगी है यह वाकई उस education cess का हिस्सा है। यहां यह भी कहा गया था कि education अगर मुफ्त की जा रही है और यह जो provincialisation की गई है तो उस के साथ जो local bodies हैं उन से भी तो

[सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री]

खर्च का हिस्सा लिया जा रहा है। इस बात पर यहां हाउस में काफ़ी बहस हो चुकी है और इस बात को ज़्यादा अर्सा भी नहीं गुज़रा कि इस चीज़ का निहायत मुदलल जवाब वज़ीरे तालीम की तरफ़ से दिया गया था। यह ठीक है कि कुछ न कुछ खर्च का हिस्सा जो है वह local bodies से हासिल हो जाएगा लेकिन जो खर्च बढ़ा है वह बहुत ज्यादा है और मैं अगर ग़लती नहीं करता तो इसका अंदाज़ा 5 करोड़ रुपए के करीब है। इस लिए इस education cess को लगाने की ज़रूरत हुई। Electricity Board कायम होने वाला है और हमारी अपनी स्कीम के और फैसले के मुताबिक यह पहली अप्रैल से कायम हो जाना था लेकिन उस को अब कुछ अर्सा के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा तीन महीने के लिए मुलतवी किया है क्योंकि उस से पहले चंद ज़रूरी बातों का फैसला हो जाना लाज़मी था। यह ठीक है कि राजस्थान का इस project में 15 फीसदी के करीब हिस्सा है और वह shareholder हैं इस लिए उनकी बातों को हम ने सुनना है। उनको अगर कुछ खदशे और वसवसे हैं उनको भी दूर करना है और यह सब कुछ इस तीन महीने के अर्से में तय पा जाएगा

सरदार भुपींदर सिंह मान : बेहतर तो यह होता कि लम्बे अर्से के लिए इसे मुलतवी कर दिया जाता। (हंसी)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का गहरा मुतालिया नहीं किया गया है। चूंकि प्रोफेसर शेर सिंह की तरफ़ से यह बात बार बार कही जा रही है इस लिए मैं अर्ज़ करता हूं कि आप तो मेरे आने से पहले ही Government of India की यह suggestion तसलीम कर चुके हैं कि यह बनाया जाए और आप मेरे आने से पहले ही यह फैसला कर चुके हैं कि Board कायम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमट आफ इंडिया का एक्ट जिस के तहत यह बोर्ड बनाया जा रहा है उस में लोगों के मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए यह बोर्ड कायम किये गये हैं और मैं समझता हूं कि पंजाब को भी इस बोर्ड के कायम किये जाने पर जहां तक electricity के फैलाव का ताल्लुक है, distribution और तौसीह का ताल्लुक है इस में लाज़मी तौर पर फायदा पहुंचेगा, नुक्सान नहीं होगा।

श्रीमती सरला देवी शर्मा : Point of information. क्या वज़ीर साहिब बताएंगे कि पब्लिक को क्या फायदा होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैं अपनी बहन को दरखास्त करूंगा कि गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट के इग़राज़ो मकासद के मुताबक ही यह चीज़ की गई है। यह वही बातें हैं जिन की तरफ़ मैं इशारा कर रहा हूं। फिर भी मैं उन्हें इतना कहना चाहता हूं कि ख्याल यह है कि बिजली को स्टेट का source of income न बनाया जाय बल्कि जितनी आमदन हो उसे बिजली की तौसीह पर खर्च किया जाय। इस लिए लाज़मी तौर पर इस का फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा।

एक बात जो श्री पुरी साहिब की तरफ़ से कही गई थी क्लाज़ 22 की तरफ़ इशारा करते हुये उन्होंने कहा कि देहली का जो Electricity Board है उसको इस क्लाज़ में हमने शामिल किया है और उनसे भी यह duty वसूल की जाएगी। पुरी साहिब की तरफ़ से यह एतराज़ किया गया था कि चूंकि उसका distribution point जो है वह खुद देहली में हैं, देहली स्टेट में है इस लिए यह शक है कि पंजाब गवर्नमेंट यह duty उन से वसूल भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। इस प्रोवीजन को इस बिल में लाने से कबल इस बात पर ग़ौर किया गया है और इस पर जो क़ानूनी मश्विरा है वह भी हमने हासिल किया है और हमें यह मश्विरा दिया गया है कि यह रियासत बिल्कुल competent है। हमारे ला डीपार्टमेंट ने भी हमें यही मश्विरा दिया है। इस लिए मैं समझता हूं कि उस राय की मौजूदगी में कोई दिक्कत हमारी स्टेट को ऐसी नहीं आयगी कि यह duty वहां से वसूल न की जा सके।

श्री देव दत्त पुरी : ज़रा समझा दीजिए।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैं उनकी वाकफ़ियत के लिये बतलाना चाहता हूं कि जो मश्विरा हमने लिया है वह यह है :—

To enact the legislation imposing taxes on transactions concluded outside the province provided there is sufficient and real territorial annexation between such transactions and the taxing State and this principle has been established by the decisions of the Privy Council.

इस के बिना पर मैं ने अर्ज़ किया था और हमें इस duty को levy करने में और वसूल करने में कोई तक्लीफ़ नहीं होगी। दूसरे उनकी तरफ़ से यह एतराज़ किया गया था जो licencees के बारे में है। Government of India Act के तहत licencees को यह हक हासल है कि $5\frac{1}{2}$ फी सदी से ज़्यादा वह नहीं कमा सकते और अगर उस से ज़्यादा नफ़ा हो तो उस के लिए लाज़मी है कि वे consumer पर मुंतकिल कर दें। उनकी तरफ़ से यह अन्देशा ज़ाहर किया गया था, शक ज़ाहर किया गया था कि अगर इस चीज़ को इस बिल में provide किया गया है। उन्होंने duty के आगे मुंतकिल होने के बारे में भी जिकर किया कि वे इस की provisions को ignore करके duty को consumer पर मुंतकिल कर देंगे। इस बात पर भी हमने ग़ौर किया है। हम ने यह पाबन्दी दानिस्ता लगाई है क्योंकि जो पंजाब के हालात हैं उस के मैं समझता हूं यह ऐन मुताबिक है कि यह duty या charge है वह आगे consumer को मुंतकिल न हो यहां जो rates वे चार्ज करते हैं वे नंगल टैरिफ से इस वक्त भी ज़्यादा हैं। इस बात के लिए गवर्नमेंट हर वक्त ग़ौर कर सकती है और मैं समझता हूं कि इस को तस्लीम करने में भी कोई झिझक नहीं होगी। अगर उस area में जहां कि licensees बिजली supply करते हैं वे नंगल tarrif पर ही अपने rates को ले आएं। यह जहां भी Electricity Branch का जो tarrif है मुकर्रर करदा अगर उस से उन शहरों में जहां कि licensees बिजली देते हैं शहर कम हो, tarrif कम हो तो वहां इस बात की इजाज़त हो सकती है। यह थे दो माकूल एतराज़ात जिन की तरफ़ कि

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

Government को तवज्जुह दिलाई गई । इस के इलावा और कुछ इस किस्म की बातें और ऐसे खदशात ज़ाहिर किए गए हैं जिन को कि मैं बेबुनियाद समझता हूं । बार बार इसकी तरफ़ तवज्जुह दिलाई गई है कि अभी अभी Government ने फैसला किया था कि जो tube-wells हैं उन पर इस को कम किया जाए और अब यह duty उन पर भी लग रही है इस से ज़िमींदारों को नुकसान होगा, Grow-More-Food के सिलसिला को तरक्की नहीं मिलेगी। जैसा कि मैं ने शुरू में अर्ज़ किया था यह जो duty लगाई गई है यह उसी education cess का हिस्सा है और कुछ यह था कि यह uniformally सब तबकात पर distribute किया जाए । अगर हमने अपने बच्चों को मुफ़्त तालीम दिलानी है तो मैं समझता हूं कि पंजाब के हर एक शहरी को इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कुरबानी करनी पड़ेगी । और यह cess है अगर work out कर के देखेंगे । तो इसका यह असर लाना कि इस से tube-well irrigation बन्द हो जाएगी, industry को नुकसान हो जाएगा या Small-scale Industry बन्द हो जाएगी, मैं समझता हूं कि यह निहायत मुबालगा आमेज़ बात है । एक अपने दिमाग का नकशा है जिस की कि बुनियादी कोई नहीं । अब जो industry का ज़िक्र किया गया था कि जो large-scale industry पंजाब में हैं उस पर बड़ा भारी असर पड़ेगा इसका । अगर वे भाई जो Taxation Inquiry Commission की report है उसको देखें तो मालूम होगा कि उन्होंने खुद यह सिफारिश की है और जो यह ईजाद हो रहा है यह इतना nominal है जिस का कि कोई भी असर industry की चीज़ों पर पड़ नहीं सकता (एक माननीय सदस्य : 25% बढ़ाया जा रहा है) हां, 25 फी सदी ले लीजिए । एक एतराज़ किया गया था कि इस के structure का पता नहीं कि administrative structure क्या होगा, Inspectors कितने होंगे ; नामालूम कितनी फौज खड़ी कर दी जाएगी । मैं उन भाइयों को यह बतलाना चाहता हूं कि अभी Board ने कायम होना है, जो कि तीन महीने के अर्सा तक कायम हो जाएगा और उसके बाद बहुत सी बातों का फैसला होगा । इस वास्ते इस stage पर इसका फैसला कुन जवाब देना मैं समझता हूं कि हो नहीं सकता था । Inspectorate इस वक्त भी मौजूद है और मैं समझता हूं कि शायद हमें इतनी उसकी तौसीह की ज़रूरत ही न पड़े । और यह हो सकता है कि जो Inspectorate है वह Board की तरह का मुतकिल हो न हो और Government उस agency से ही यह जो काम है records के देखने का check करने का, ले सके । इस में कोई ज़्यादा बहुत लम्बा चौड़ा staff रखने की ज़रूरत शायद महसूस न होगी । सो मैं ने, जो ज़रूरी ज़रूरी और जो माकूल हों और वज़नी बात कही गई थी उनका जवाब देने की कोशिश की है । और मैं अब यह अर्ज़ करूंगा कि इस Bill को consider किया जाए ।

Mr Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) AND (3) OF CLAUSE 1.

Mr Deputy Speaker : Question is—

That sub-clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Sardar Umrao Singh (Nakodar, G.) : Sir, I beg to move—

To part (a) *add*—

"Provided that until the Punjab State Electricity Board is so constituted, the Board shall mean the State Government"

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੇ 'ਏ' ਪਾਰਟ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਅਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਣਨਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਜ 8 ਅਪਰੈਲ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਲੈਕਟਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ । ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ (include) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved-

To part (a) *add*—

"Provided that until the Punjab State Electricity Board is so constituted, the Board shall mean the State Government."

Minister for Irrigation and Power : I accept this amendment.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

To part (a) *add*—

"Provided that until the Punjab State Electricity Board is so constituted, the Board shall mean the State Government."

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2, as amended, stand part of the bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਸ ਕਲਾਜ ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (3) ਵਿਚ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨਜ਼ (exemptions) ਹਨ।

Mr Deputy Speaker : The hon. Member should not discuss the Bill as a whole but confine his discussion to clause 3 which is under consideration.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ :ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ sub-clause insert ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ—

"In sub-clause (3) *add*—

(i) consumed by a consumer for the purpose of Agriculture and Cottage Industries."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 6, 7 different categories ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਉਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ different rate ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਹਨ domestic, commercial, industrial, agriculture, cottage industries ਅਤੇ bulk supply । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ categories ਉਪਰ different rates ਹਨ, different tarriff ਹਨ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ discriminatory ਹੈ । ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇਕ ਉਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪਵੇਗਾ । ਮੈਂ agree ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹਰ ਇਕ ਉਪਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਪਵੇਗਾ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ benefit ਉਠਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ discrimination clear ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਹ principle ਸਰਕਾਰ accept ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲੈਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ discrimination ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ Statement of Objects and Reasons ਵਿਚ ਇਹ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ free education ਉਪਰ additional ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ local bodies ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ provincialize ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿਥੇ ਹਨ, ਅਤੇ free education ਕਿਥੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਕੀ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ free education ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਉਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ cess general ਤੌਰ ਉਪਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ tube-well ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ 20-20, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਚਾਰ ਆਨੇ per unit ਸਨ । ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ

tube-well ਬੰਦ ਪਏ ਰਹੇ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਚਾਰ ਆਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਆਨੇ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਦੋ ਆਨੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ tube-wells ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ । ਇਹ ਚੀਜ਼ examine ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ Government of India ਦੇ Officers Jullundur ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ? ਇਹ uneconomic ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੋ ਆਨੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ tube-well ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ tube-well ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ porsonal ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ introduce ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ 20-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 100 ਰੁਪਿਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਐਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ comparatively ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਆਬਿਆਨਾ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ discrimination ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗ ਪਏ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਲਈਏ ਕਿ tubewell ਲਗਾਈਏ— ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਰਾਨੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਲੈਣ । ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲਗਾ ਕੇ tubewell ਕਿਉਂ ਲਗਾਈਏ । ਇਹ ਬੜੀ ਵਡੀ investment ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸੂਦ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 6 ਪੈਸੇ per unit, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 25% cess ਲਗਾ ਕੇ ਦੋ ਆਨੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ tubewell ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਆਨੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ tubewell ਤੇ ਵੀ 2 ਆਨੇ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣਾ tubewell ਲਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ । ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਨਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ tubewell ਲਗਵਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਨਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਖਰਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ incidental ਖਰਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਦ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਉਹ ਸੂਦ ਦੋ ਆਨੇ per unit ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ form ਭਰ ਕੇ ਦਸਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ-ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ Electricity Act ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ form ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ minimum consumption guarantee ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਨੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ consume ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਓਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ consume ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ discrimination ਹੈ ? ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ! Industrialist ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ factory ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੋ-ਦੋ, ਤਿੰਨਾਂ-ਤਿੰਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਉਪਰ ਵੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿੰਨਾਂ ਕਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ transformers ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ line ਲਗਵਾ ਲਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 5 ਸੌ, 7 ਸੌ, 10 ਸੌ ਅਤੇ 15 ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30-30, 40-40 ਅਤੇ 50-50 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ rental expenditure ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ Form ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। Form ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ minimum consumption guarantee ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, rent ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਆਨੇ per unit ਖਰਚ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ tube well ਉਤੇ ਵੀ 2 ਆਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ tubewell ਉਪਰ ਵੀ ਦੋ ਆਨੇ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, tubewell ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ Grow-More Food Compaign ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ deficit ਸੂਬੇ ਨੂੰ surplus ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ compaign ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ proposal ਨੂੰ welcome ਕਰਦਾ ਹਾਂ......

Mr. Deputy Speaker : Order please. Try to be relevant.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ ਦੀ discussion ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਲਾਜ਼ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਂ exemptions ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ—ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ declared policy ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ exemptions ਦਾ provision ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ—ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ—ਉਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ ।

ਦੂਜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ discrimination ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਜੋ rates enhance ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ । ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ District Board ਦਾ ਸਿਰਫ਼...

Mr. Deputy Speaker: Please try to be relevant. Speak on the clause only.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਹ cess ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ benefit ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ exemptions ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ । ਉਹ local bodies ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ—ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ—ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ free education ਦਾ ਫਾਈਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ । ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ tax ਜਾਂ cess ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ exempt ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ Grow-More-Food ਦੀ Compaign ਨਾਲ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ tax ਔਰ duty ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ support ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਅਜ ਹਾਲਤ ਦੂਜੀ ਹੈ । ਇਹ duty ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ free education ਦੀ concession ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ cess 6 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ categories ਤੇ ਲਗਣਾ ਹੈ ਸਤਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ Category "agricultural purpose" ਔਰ "cottage industries" ਦੀ ਹੈ । Handlooms ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ cottage industries ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । Agricultural purposes ਲਈ tarriff rates ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਪੈਸੇ unit ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਇਸ category ਨੂੰ exclude ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਵੀ Opposition ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ । ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ port ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ amendment ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ agricultural purposes ਲਈ ਅਤੇ cottage industries ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਇਹ cess ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ।

Rao Gajraj Singh (Gurgaon): Sir, I beg to move—

At the end of the clause add the following sub-clause—

"(4) For the purpose of computing the electricity duty under this section, the consumption shown by the meters starting after the first meter-reading date, after the commencement of this Act, shall be taken into account"

जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, यह एक मामूली सी अमेंडमेंट है क्योंकि मैं समझता हूं कि इस बिल के अन्दर एक lacuna सा रह गया था। यह तहरीक मैंने उसी को दूर करने के नज़रिए से पेश की है। यह electricity rate को commute करने के सिलसिले में है। यह इस्तलाही तौर पर ही amendment है। मैं समझता हूं कि इस को हाउस जरूर मंज़ूर कर लेगा।

Mr Deputy Speaker: Motion moved—

At the end of the clause add the following sub-clause—

"(4) For the purpose of computing the electricity duty under this section, the consumption shown by the meters starting after the first meter-reading date, after the commencement of this, Act shall be taken into account".

डाक्टर बलदेव प्रकाश (अमृतसर शहर—पूर्व): डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं आप के द्वारा House के सामने तीन चार बातें रखना चाहता हुं। टैक्स लगाते समय सरकार के सामने जो विचार होता है वह यह होता है कि एक तो टैक्स लगा कर सरकार के खज़ाने को रुपया मिले और दूसरे यह कि जो टैक्स लगाया जा रहा है उस से उन बुनियादी असूलों को, जो कि सरकार ने अपने सामने रखे हुए हैं, पूरा करने में कहीं रूकावट तो नहीं होती। जैसे अगर सरकार के सामने यह असूल हो कि अपने देश के अन्दर विदेशी माल की खपत न हो तो सरकार विदेशी माल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा tax लगाती है जिससे जनता उनको न खरीद सके और उन चीज़ों की खपत अपने आप कम हो जाए। अब इस टैक्स को लगाते समय जो व्यवस्था की गई है वह यह है कि जो लोग 15 units तक बिजली इस्तेमाल करेंगे उन पर 10 % अधिक cess लगेगा और जो 15 units से ज़्यादा की consumption होगी तो 15 units को घटा लेने के बाद बाकी के ऊपर 25% के हिसाब से cess लगेगा। इस सम्बन्ध में मैं एक बात यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि सरकार ने हमारे सामने यह बुनियादी असूल रखा हुआ है कि लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाया जाए, standard of living raise किया जाए। जनता से मतलब, इस में सन्देह नहीं, मध्यम वर्ग और निम्नवर्ग के लोगों से ही होता है। बड़े बड़े अमीर, capitalists और सरमायादारों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन का जीवन स्तर तो आगे ही अच्छा है, काफ़ी से ज़्यादा ऊँचा है। जब हमारा मध्यम वर्ग और निम्न स्तर के लोगों के standard of living को ऊँचा करने का आदर्श है तो लाज़मी तौर पर electric power का इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है। Living standard ऊँचा करने का मतलब है कि वह अपने घरों में बिजली का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें; पंखे चला सकें, रेडियों चला सकें, heaters जला सकें। लेकिन अगर 15 यूनिट और इस के ज़्यादा पर सरकार graded तौर पर टैक्स का दर बढ़ाएगी तो इसका मतलब यह होगा कि जो incentive हम उन लोगों को देना चाहते हैं उसको

retard करेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि 15 units तक 10% और इस से ऊपर 25% tax बढ़ाया जा रहा है। चाहिए तो यह था कि जो 15 units इस्तेमाल करता है या पचास units करता है उन के साथ एक जैसा व्यवहार होता। बल्कि जो 15 से ज़्यादा करता है उस पर tax को घटाया जाता। मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर सरकार यह चाहती है कि गांव के अन्दर किसान, ग़रीब और दूसरे मध्यम या निम्नवर्ग के लोगों को incentive देना है; उनके living standard को ऊपर उठाना है—छोटे छोटे क्लर्कों के जीवन स्तर को ऊँचा करना है तो लाज़मी है कि 15 units के ऊपर जो बिजली खर्च करे उसे बजाए excessive tax करने के रियायतें दी जाएं। बग़ैर किसी तरह का incentive दिए वह बिजली का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि 15 units से ज़्यादा बिजली खर्च न हो। बजाए 15 units के आगे 10% से 25% करने के इसे 5% किया जाए ताकि वह भी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें—पंखे चलाएं, रेडियों चलाएं, heaters लगाएं, बिजली की press इस्तेमाल करें। अगर इसी तरह रहने दिया गया तो वे कोशिश करेंगे कि 15 units से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल न हो—वक्त पर पंखा बन्द कर देंगे, press नहीं लगाएंगे, रेडियों नहीं चलाएंगे। इस से तो मैं समझता हूं कि बजाए फ़ायदा के सरकार को भी खसारा ही होगा।

दूसरी बात यह है कि यही सरकार cottage industries को develop करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि cottage industries गांवों और शहरों में develop हों। और अभी मिनिस्टर साहिब ने कहा था कि इस tax के लगने से कैसे cottage industries को नुकसान पहुंच सकता है। मैं उन्हें बताता हूं कि यदि एक गांव के अन्दर एक आदमी ने एक साधारण मोटर लगाई हुई है और उस के साथ वह कोई industry चला रहा है। अगर पहले उसका मासिक बिजली का बिल 25 रुपये या पचास रुपये आता है तो अब इस tax के लग जाने से वह यकीनी तौर पर ज़्यादा बिल आयेगा। तो क्या यही cottage industries को उत्साहित किया जा रहा है? क्या यही उन को facilities दी जा रही हैं? फिर मिनिस्टर साहिब कहते हैं कि इस tax से कैसे cottage industries को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह से ही गरीब किसानों की भी समस्या है। उन पर इन सारे taxes का बहुत बोझ पड़न लग गया है और मैं डिप्टी स्पीकर साहिब, आप के द्वारा मन्त्री महोदय को यह बतलाना चाहता हूं कि इन की यह जो mentality बनती जा रही है कि यहां जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं वें जब इन taxes का विरोध करते हैं तो उसका मतलब यह है कि जनता उन का विरोध करती है और जनता का ऐसा विचार होने के बाद भी यह tax लगाये जा रहे हैं। इस हालत में हमारी representation का जनता को कोई लाभ नहीं है। इस लिये मैं गवर्नमेंट से कहना चाहता हूं कि इस tax के विरुद्ध जनता कोई दूसरे कदम उठाने के लिये मजबूर हो जायेगी।

तीसरी बात यह है कि जो यह बात कही जाती है कि लोगों का living standard ऊँचा होना चाहिये, यह tax उस पर कुठाराघात करता है। घरेलू purposes के लिये मेरे ख्याल में कोई भी घर ऐसा न होगा जहां 15 units से कम मासिक बिजली खर्च होती

[डाक्टर बलदेव प्रकाश]
है चाहे वह ज़्यादा कमाने वाला है या कम कमाने वाला है । जब यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के विरोध के अतिरिक्त यह बिल जनता पर ठोंसा जा रहा है तो जनता के सामने कोई चारा नहीं रह जायेगा सिवाय इस के कि वह इस tax को हटाने के लिये सरकार के खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाये । मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वह यह कह कर कि क्या यह representation हो रही है, यह ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, हमारा मुंह बन्द न करें, और इस पर अच्छी तरह से सोचें कि 15 units से आगे बिजली के खर्च से ही जनता का living standard हाई होगा । जनता पहले ही मरी पड़ी है और लोगों के पास अपनी रोटी के लिये भी पैसे नहीं हैं और इस tax के लग जाने से उन पर और बोझ पड़ जायेगा ।

श्री राम प्यारा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिब, मेरी बहुत छोटी सी amendment है और वह यह है कि लोगों की जो class सिर्फ 15 units तक बिजली इस्तेमाल करती है उस पर यह duty न लगाई जाये ।

Mr Deputy Speaker : The hon. Member should first move his a mendment.

Shri Ram Piara : Sir, I beg to move—

In sub-clause (1), delete part (i) (a).

इस सिलसिले में मेरी अर्ज़ यह है कि अभी एक भाई ने हाउस से उस आदमी के लिये रियायत की मांग की है जो 15 हज़ार रुपये का tube-well लगा कर अपनी रोज़ी का धंधा करना चाहता है और दूसरे एक भाई ने दरमियाने दर्जे के लोगों के standard of living ऊँचा करने का नाम ले कर यह मांग की है । मैं इन दोनों classes को छोड़ कर बिल्कुल जो ग़रीब लोग हैं, जिन की गिनती इन दोनों classes में नहीं आती, जो इतने ग़रीब हैं कि जिन के पास न पंखे हैं, न electric press है और न हीटर है और शायद मकान भी जिन में वह रहते हैं उन का न हो, वह भी किराये का हो या अपनी झौंपड़ी ही हो, उन के लिये यह गुज़ारिश करना चाहता हूं कि क्योंकि अब देहात में बिजली जा रही है और गवर्नमेंट देहात के लोगों को बहुत तरह की facilities दे रही है और इस ने बिजली की security 50 रुपये की बजाये तीन रुपये कर दी है और जिस को देख कर शहरों और देहात के गरीब लोग दस-दस या पन्द्रह-पन्द्रह रुपये खर्च कर के और तीन रुपये security देकर बिजली का connection लेकर बिजली की नेमत का फायदा उठाना चाहते हैं । जो इतने गरीब हैं जिन के पास अपने मकान भी नहीं हैं—शायद किराये के हैं—उन लोगों पर इस duty का लगाया जाना उन के साथ सख्ती करनी होगी । वह तो मुश्किल से 15 units बिजली घर में consume करते हैं । उन के मुकाबले में वे लोग हैं जो अन्दाज़न 100 units से भी ज़्यादा बिजली consume करते हैं । उन के घरों में heater भी चलते हैं, electric press भी इस्तेमाल किये जाते हैं, कई कई पंखे भी चलते हैं, उनकी रोटी भी बिजली के चूल्हों पर पकती है, उन में से कुछ घर ऐसे भी हैं जो कोयला भी नहीं जलाते क्योंकि उस से उन के हाथ मैले होते हैं, उन के घरों में लकड़ी भी नहीं जलती सब काम बिजली पर होता है हालांकि ग़रीबों को लकड़ी भी बाहर से इकट्ठी कर के जलानी पड़ती है । इस लिये मैं कहता हूं कि जिन लोगों की आमदन

या तनखाह् 50 या 60 रुपये के फेर में हो उन पर यह tax नहीं लगाया जाना चाहिये। और जो कमी इस tax की वसूली में इस तरह से हो वह पूरी करने के लिये बेशक उन आदमियों पर इस tax की शरह बढ़ा दी जाये जो 50 या 100 या इस से भी ज़्यादा units बिजली इस्तेमाल करते हों। पहले भी 15 units तक के लिये 5 आने फी unit के हिसाब से कीमत ली जाती है और 15 से 40 units तक के लिये दो आने फी unit और 40 units से ऊपर वालों से सिर्फ एक आना फी unit लिया जाता है। इस तरह से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को पहले भी काफी relief मिला हुआ है। मैं समझता हूं कि अगर उन पर 100 फीसदी duty भी लगा दी जाये तो भी उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने लगा। इस से भी उन को एक आना per unit की बजाये दो आने फी unit हो जायेगा, लेकन 10 फीसदी duty लगने से 15 unit consume करने वाले को पांच आने फ़ी unit की बजाये $5\frac{1}{2}$ आने फ़ी unit देने पड़ेंगे। ग़रीब लोगों को यह रियायत ज़रूर दी जानी चाहिये ताकि वह पंजाब गवर्नमेंट की दी हुई इस नेमत का पूरा फायदा उठा सकें। और जिन लोगों की heaters पर रोटी पकती है, छः छः पंखे चलते हैं, radio चलते हैं, और जिन के घरों पर electric press और heaters इस्तेमाल होते हैं उन पर इस duty का rate बेशक बढ़ा दिया जाये। मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरी इस amendment पर ग़ौर फर्मायेंगे।

Mr Deputy Speaker: Motion moved—

In sub-clause (1), delete part (i) (a)

ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ (ਜੈਤੋ) : ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ clause ਤਿੰਨ ਤੇ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—

ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਿਕਦਾਰ ਸਭ ਅਗਨੀ ਮੈਂ ਡਾਰਿਓ

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਚ ਡਾਲ ਦਿਉ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਲੱਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੂੜੇ ਖਾਣੇ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਸੁਕੀ ਰੋਟੀ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ incharge ਮਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ tax ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾਂ ਜਾਏ। ਗ਼ਰੀਬ ਇਸ duty ਦਾ ਭਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਜਾਂ ਪੰਦਰਾਂ unit ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ tax ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ

[ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ]
ਇਜ਼ਤ ਭੀ safe ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਕ ਗਰੀਬ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ tax ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਮੁਹਿੰਦਰ-ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਾਮਲਾ ਗੁਰਿੰਦਚ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ। ਪਬਲਿਕ ਹਕ ਵਿਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ......(*interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Order please.

ਕੰਵਰਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਵਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr Deputy Speaker : Order please. Please speak on Clause 3 only.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਉਸੇ clause ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੇ collected ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ Minister ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ interest ਨਹੀਂ ਹੈ......

Mr. Deputy Speaker : Order please. This is not relevant. I will no allow you to speak on an irrelevant point.

ਕੰਵਰਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ interest ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ example set ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਮਾਲ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ? (ਵਿਘਨ)

Mr. Deputy Speaker : No interruption please.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਦੂਸਰੀ ਜੋ power ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ power ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਸ਼ੋਰ) ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ education-cess ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ education-cess ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ education ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਕੀ education ਉਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਰ

ਰਹੇ ਹਨ? ਇਕ smugglers ਦਾ leader ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ–ਕੁਆਰੀ ਕਨਿਆ ਦੀ ਪੱਤ ਲਾਹਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Opposition ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) (*Interruptions*)

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹ ਜੋ education cess ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ tax ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ irrelevant ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਕੀ irrelevant ਹੈ? ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਅਲਗ ਹਨ? ਕੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ?

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਇਹ ਜੋ tax ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ heaters, fans ਅਤੇ refrigerators ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। (Opposition ਵਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ) ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਖੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। (ਹਾਸਾ) ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਇਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਦੁਖ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਆਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਨਤਾ ਪਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ refrigerator ਰਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਬੈਲਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ (ਹਾਸਾ) Treasuary Benches ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 118 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ majority ਗਰੀਬ ਤੇ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਵੇਗੀ? ਅਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ tax ਹੈ ਜੋ mind ਵਿਚ worry create ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ Health Minister ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (ਹਾਸਾ) ਇਸ ਨਾਲ health ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) Worry ਕਰਕੇ health ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (ਵਿਘਨ) (stop making noise please.

Mr Deputy Speaker : I request you to resume your seat.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਕ ਨਵਾਂ tax ਲਗਾ ਹੈ। Clause 3 ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ tax ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਥੇ ਇਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Mr. Deputy Speaker : Please resume your seat.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ tax ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ।

उपाध्यक्ष महोदय : बैठीए आप। (Please resume your seat.)

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮੈਂ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। (*Interruptions*) I am talking quite relevant.

Mr. Deputy Speaker : You are touching upon quite irrelevant points Moreover, you are repeating things over and over again. I will not allow you to speak like that.

ਕੰਵਰਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਬੋਲਾ' ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਸੇ ਨਾ ਸੁਣੇ । ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ taxes ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਬੇ ਹੋਏ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ । ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ irrelevant ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ? ਕੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਦੇ ਮੂੰਡੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ tax ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ । (Opposition ਵਲੋਂ ਤਾੜੀਆਂ) ਇਹ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਏਗੀ । ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ । (ਵਿਘਨ)

Mr. Deputy Speaker : Order, Please.

ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦਿਉ । (ਹਾਸਾ)

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय क्लाज़ तीन सदन के सामने है । वैसे अगर देखा जाए तो यह क्लाज़ ही बिल का दूसरा रूप है, यही बिल के बराबर है अगर ऐसा कहा जाए तो यह मुबालते की बात नहीं है, क्योंकि बिल में जो काटने वाली बात है वह क्लाज़ तीन के अन्दर ही आती है । डिपटी स्पीकर साहिब, सरकार को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कम से कम उस चीज़ को तो मान लिया करे जिस को न सिर्फ अपोज़ीशन—क्योंकि अपोज़ीशन को तो आप कहेंगे कि इन्होंने तो अपोज़ ही करना है—बल्कि ट्रेयरी बैंचिज़ के लोग भी खड़े होकर उसी बात को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाएं तो कम से कम उन की जायज़ बातों को तो सुन लिया करें । और सुनने के बाद जिस जनता के प्रतिनिधि बन कर यहां बैठे हैं उन की आवाज़ को लबैक कहते हुए उस के मुताबिक काम करने की कोशिश करें । और अगर सरकार यह सब कुछ होते हुए भी जनता की आवाज़ न माने तो सरकार के रवैया के बारे क्या कहा जाए । डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने डाक्टर साहिब जो इस सरकार के एक पिल्लर हैं से टेक्सेशन के सम्बन्ध में एक बात की थी । अच्छा हो अगर वह इस के बाद उसका जवाब देने की कोशिश करें । वैसे ही यह सरदार साहिब के सामने उपस्थित हैं । जब फस्ट रीडिंग हुई तो मैं ने सोचा था कि सरदार साहिब उन सारी बातों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो भिन्न भिन्न सदस्यों की तरफ़से उनके सामने पेश की जाएंगी लेकिन दुःख की बात है कि मिनिस्टर साहिब ने उन बातों की तरफ़ तवज्जुह देने की कोशिश नहीं की और जवाब देने की कोशिश नहीं की । अगर हम हर एक बात को मेजौरिटी के आधार पर

लेकर चलेंगे तो मैं पूछता हूं कि आखिर इन सब बातों की जस्टीफिकेशन क्या है। आखिर हर बात को करने के लिए कोई आधार होना चाहिए, कोई इखलाकी असूल होता है। यहां पर सदन में जब कोई चीज़ आती है और उस की अपोज़ीशन और ट्रैयरी बैंचिज़ की ओर से उस का विरोध होता है और कोई उस की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं होता मगर इस के बावजूद सरकार इस बात के आधार पर कि हमारे पास व्हिप है, हम इन लोगों को डायरैक्टिव देकर, उन को एक प्रकार के लकड़ी के बना कर खड़ा करेंगे बड़े अफसोस की बात है और यह बात नहीं होनी चाहिये . . .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज़।

Mr. Deputy Speaker : This is not the third reading stage. You should discuss clause 3 only.

श्री बल राम दास टंडन : डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अगर इस क्लाज़ 3 को ही सारा बिल कहा जाए तो ग़लती न होगी।

चौधरी धर्म सिंह राठी : On a point of information, Sir. यह श्रीमती सेठी कब से वज़ीर बन गई हैं ? यह इस वक्त वज़ीर साहिब की seat पर बैठी हैं।

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

श्री बल राम दास टंडन : मैं यह समझता हूं कि यह क्लाज़ ही एक ज़रूरी और अहम क्लाज़ है। मैं मन्त्री महोदय की यादिहानी कराना चाहता हूं कि इस बात का कम से कम ख्याल रखें। मैं यह समझता हूं कि यह इस तरह की क्लाज़ है कि अगर majority party में whip न issue किया जाए और directive और note न दिया जाए तो निश्चय रूप से और वसूक से कहा जा सकता है कि कोई भी vote इन के हक में न पड़ेगा। (प्रशंसा) आखिर यह सोचने वाली बात है कि किस तरीके की democracy को यहां पर लाया जा रहा है और यह किस तरीके की democracy है कि जिस में जनता की राय की परवाह न की जाये और whip issue करके राय को एक तरफ करने का प्रयत्न किया जाए।

Shri Harbhagwan Moudgil : On a point of order, Sir. The Deputy Speaker was pleased to ask the hon. Member that it is not a debate on the bill but it is a debate on clause 3. He should please confine himself to the Clause, under discussion.

Dr. Baldev Parkash : He is relevant please.

Shri Balram Dass Tandon : Whether I am relevant or not, it will be seen by the Chair. मैं ने तो कई बार कहा है कि यही क्लाज़ 3 ही एक operative क्लाज़ इस बिल में है और अगर इसे सारा बिल कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ साथी न समझ सकें तो मैं उनकी बुद्धि की दाद दिए बिना नहीं रह सकता। हम सारे structure को जिस को हम बना कर बैठे हैं इस तरह के बिल पेश करके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसी भावना को सरकार आगे लेजाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इस तरह करना democracy के असूलों के विरुद्ध है।

[श्री बल रामदास टंडन]

डिप्टी स्पीकर साहिब, जो clause 3 है उस के तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से के अन्दर यह लिखा गया है कि जो लोग 15 units से 30 units तक बिजली का प्रयोग करना चाहते हैं उनके दर को बढ़ाया जाय। डिप्टी स्पीकर साहिब, मैं ने हकूमत का ध्यान पहले भी इस बात की ओर लाने की कोशिश की थी और यह बात समझाने की कोशिश की थी कि इस से किसानों के ऊपर और ग्राम जनता के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका agricultural production के ऊपर और मिल में से बन कर निकलने वाली चीज़ों के ऊपर इस चीज़ का adverse effect पड़ेगा। क्या इस तरह rates के बढ़ाने से cottage industry के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। इस सदन में मैं ने पहले भी कहा था कि जो बिजली 15 units है वह तो मामूली सा काम करने पर भी खर्च हो जाती है। जो आदमी 15 units बिजली खर्च करता है अगर उसके घर के अन्दर cottage industry मौजूद है और वह बिजली से operate करता है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह बिजली के rate को बढ़ा कर वह cottage industry की output को बढ़ाने में कैसे प्रोत्साहन दे सकता है। Cottage industry को बढ़ाने के लिये कम से कम 50 units तक बिजली के खर्च होने की सम्भावना होती है इस से कम की नहीं। इस लिए इस बात के बावजूद सरकार इस क्लाज़ को पास कर दे तो मैं समझता हूं कि छोटे consumer से धक्का होगा और cottage industry को नुक्सान होगा। मैं समझता हूं कि better sense will prevail और जनता के एतराज़ात का एतराम करते हुए सरकार इस क्लाज़ को ठीक lines पर set करने की कोशिश करेगी। अगर सरकार बज़िद रही इस तरह की क्लाज़ लाने की और इस किस्म का provision करने की तो agricultural produce बढ़ने की बजाए कम हो जाएगी और मिलों से जो माल तैयार होता है उस पर इसका adverse effect पड़ेगा। अगर हम तरक्की की राह पर आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं तो economy of the State को कायम रखने की ज़रूरत है और agricultural production को बढ़ाने और cottage industry को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। इस लिये डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि यह एक Enemy of the agricultural produce, enemy of the factory produce anp enemy of the masses if the Government insists on this very legislation.

इस क्लाज़ तीन का दूसरा हिस्सा यह है कि जो licencee खुद बिजली को generate करता हो और इस तरह बिजली तैयार करके अपने काम पर लगाता हो या consumer को supply करता हो तो उस पर $1\frac{1}{2}$ पैसा per unit के हिसाब से electricity duty लगाई जाए। डिप्टी स्पीकर साहिब, कोई कारण नज़र नहीं आता कि व्योपारी लोग जो खुद energy generate करते हैं उन पर अगर tax लगा दिया जाए तो इस के बारे में commercial utility हो सकती है लेकिन यह direct taxation है और सरकार खुद इस के मुनाफे को share करना चाहती है कि जो खुद generate करता है और खुद ही consume करता है या consumer को देता है तो

सरकार उस पर टैक्स लगा कर यह बता देना चाहती है कि commercial business पर टैक्स लगाया जा रहा है। इस के साथ ही पहले हिस्से में direct tax लगा कर लोगों का खून सरकार निचोड़ना चाहती है।

इसी क्लाज़ के तीसरे हिस्से में यह दर्ज किया गया है कि जो बिजली Government of India की ओर से consume की जाएगी या किसी railway company पर, जिस पर Government of India का अधिकार होगा, या और किसी अदारे पर जिस में Government of India के हिस्से हों consume की जाएगी उस पर कोई duty नहीं ली जाएगी। मुझे हैरानी है इस बात को देख कर कि यह किस तरह वाजिब है कि Government of India को जो बिजली supply की जाए और उसकी duty न ली जाए। हम नारा तो यह देते हैं कि equality before law लेकिन इसकी मिसाल किस तरह कायम की जा रही है। Law के सामने तो सब एक जैसे हैं चाहे individual हों, चाहे municipal committees हों, चाहे district boards हों, law के सामने यकसां होते हैं। चाहे प्रान्त की सरकार हो, या केन्द्रीय सरकार हो, किसी को exemption नहीं दी जा सकती। इसी तरह का केस Amritsar की Municipal Committee में हुआ वहां पर हम licensees हैं और वहां पर यह सवाल आया कि चाहे पंजाब सरकार की building हो या केन्द्रीय सरकार की building हो सब पर equal charge लिया जाए क्योंकि equality before law होनी चाहिये और इस तरह वहां पर सब से एक जैसा charge किया गया और कमेटी को आमदन हुई। इस लिए इस हिस्से में कोई कारण नज़र नहीं आता कि किसी सरकार को exempt किया जाए। जिस rate से हम जनता की ओर से consume की गई बिजली पर duty लगा रहे हैं। उसी तरह से सरकार की ओर से consume की गई electricity पर भी लगना चाहिए। जिन सरकारों के पास करोड़ों रुपया की सम्पत्ति है और अरबों रुपया की buildings हैं उन्हें तो आप छोड़ रहे हैं और जो छोटे छोटे व्यक्ति हैं उनका खून निचोड़ना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिब, यह तो किसी भी दृष्टि से जायज़ नहीं है तो यह तीन हिस्से इस क्लाज़ के हैं इस लिए मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इन सारी बातों पर फिर से सोच विचार करे और मैं आशा करता हूं कि यह सब बातें निश्चित रूप के अन्दर सरकार के पास असर रखेंगी। और इस हाउस के सारे सदस्य चाहे वह किसी भी जगह पर बैठे हुए हों इस बात को महसूस करेंगे कि यह जो फैसला है यह ठीक नहीं। This is not a democratic *Sarkar* and this is creating ways for the adoption of other means to the people. यह democracy नहीं और democratic structure में equality before law होनी चाहिए और अगर हम industry को तरक्की देना चाहते हैं और प्रांत को उन्नति के राह पर आगे ले जाना चाहते हैं तो electricity duty लगा कर जनता का खून निचोड़ना उचित नहीं। मैं आशा करता हूं कि इन बातों का ख्याल रखते हुए बिल पर विचार किया जायेगा।

Shri Harbhagwan Moudgil : Sir, I beg to move —

That question be now put.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That question be now put.

The motion was carried.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल की clause 3 पर, जो कि इस बिल की सब से ज़रूरी क्लाज़ है, बहस करते हुए कुछ appreciate किया गया है और कुछ amendments भी House के सामने आई हैं। जहां तक इस amendment का सवाल है जो कि राम्रो गजराज सिंह जी की तरफ़ से आई है मैं उसको accept करता हूं।

यह वाकई एक lacuna था अगर। इस clause में यह lacuna रह जाता तो बड़ी difficulties होनी थीं। इन मुश्किलात को देखते हुए मैं इस amendment को कबूल करता हूं।

इस के अलावा दूसरी amendments जो है इन में एक amendment श्री राम प्यारा जी ने दी है और एक सरदार उमराओ सिंह जी की तरफ से है। इन के मुतअल्लिक में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस के ज़रिये से जो duty add की जा रही है इस की sub-clause जो consumers को है इन पर बार यकसां तौर पर डालने का Government का इरादा था। इस के तहत ही जितनी भी consumers clause 'C' जो है यह duty जो clause 3 में मुकर्रर की गई हैं वह दोनों के लिये ही है। इस पर बहुत शद्दोमद से यह एतराज़ किया गया था कि जो institutions Government of India के हैं या इस के तहत हैं, उन से वसूल नहीं किया जाता है। यह एक discrimination है। मैं House की वाक्फियत के लिये यह अर्ज़ करनी चाहता हूं कि यह जो exemption है यह Government of India के अपने कानून में है। इस से हम कुछ पहलू तही तहो कर सकते थे, लाज़मी तौर पर हमें इस में exemption रखनी ज़रूरी थी। सरदार उमराओ सिंह जी ने कहा है कि जो Agriculture और Small-scale Industry का काम करते हैं उन को भी exempt कर देना चाहिये। मैं समझता हूं कि जब तक कोई मुकम्मल चीज़ आप इस बिल में मुताल्य नहीं करेंगे यह समझ नहीं सकेंगे। यह जो power to exempt है यह clause 12 में रखी गई है। Government Publication के ज़रिये यह exemption एक notification के ज़रिये से दी जा सकती है अगर कोई deserving case, Government के सामने लाया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस clause में बार बार ज़ोर देना गैरज़रूरी हो जाता है। यह इस stage पर कहना कि फलां clause को मुस्तसना करार दिया जाये और फलां को न दिया जाये इस में किसी की बहबूदी नहीं है। Opposition की तरफ़ से यह बड़े ज़ोर से कहा गया है कि Government, public interests की तरफ कोई

ध्यान नहीं देती और अगर इस किस्म के taxes लगाये गये तो लोगों का मियारेजिंदगी ऊँचा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि वह इस बात को भूल जाते हैं कि मियारेज़िंदगी को ऊँचा करने के लिये इन साधनों की ज़रूरत है कि जिन को इस्तेमाल करके हम means of production कैसे इस्तेमाल करें जिन से हमारी पैदावार में अज़ाफा किया जा सके और उस के लिये लाज़मी तौर पर रुपये की फराहमी ज़रूरी है।

सरदार उमराओ सिंह : इस लिये यह सब पर लगे।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : यह बात कहना कि यह Agricultural Community है और इस को exempt कर दिया जाये यह एक discriminatory treatment होगा।

Education Cess के मुतअल्लिक मैं अर्ज़ करता हूं कि इस House में कई दिन इस पर बहस हो चुकी है और बार बार उन विचारों को ही दोहराया जा रहा है। ठीक है, इस वक्त भी House के सामने यह discussion हुई, यह कोई नई चीज़ नहीं है। यह बिल जो इस House में आया है एक कानूनी शक्ल देने के लिये आया है, ताकि इन फैसलाजात पर अमल किया जा सके और taxes वसूल किये जा सकें। किसी भी सूबे को ऊँचा उठाने के लिये Education का दिया जाना ज़रूरी है, यह एक लाज़मी चीज़ जो न सिर्फ masses को ही दी जाये बल्कि बेहतर की जाये।

श्री बलराम दास टंडन : यह discrimination को भी खत्म कर दिया जाये।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : इस का मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री बल राम दास टंडन : On a point of information, Sir. मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो education private अदारों में दी जाती है क्या वह और तरह की होती है ?

श्री इन्द्र सिंह : छोड़ो भी इन बातों को।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : इस बात की कोई वजह नहीं है मैंने पहले भी कहा था और इस House के record में भी आया है, बार बार एक ही बात को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इस में यह सारी चीजें हैं जो इस clause में मौजूद हैं तहुम्मात और शकूक शुभहात को दिल से निकाल देना चाहिये। यह सब बातें इस clause में already हैं इस लिये इस clause को पास किया जाना चाहिये।

Mr. Deputy Speaker : Question is —

In sub-clause (3), add—

"(c) consumed by the consumer for the purposes of Agriculture and Cottage Industries".

Mr. Deputy Speaker after ascertaining the votes of the House by voice said "I think the Noes have it". This opinion was challenged. Mr. Deputy Speaker, after calling upon those members who challenged the decision and supported the claim for a division, to rise in their places declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was declared lost.

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, I rise on a point of order and it is this that the mover of the amendment can withdraw his amendment by leave of the House, Sir, he is asking for the leave of the House being granted.

Mr. Deputy Speaker : Leave was not asked for at the proper time. The question has been put and vote of the House obtained. The motion was declared lost.

चौधरी धर्म सिंह राठी : मैं जनाब यह जानना चाहता हूं कि votes कितनी कितनी हैं ?

Dr. Gopi Chand Bhargava : Sir, if you kindly look to the procedure in respect of Division, it will be seen that it is the right of the Chair either to ask the Members to stand up in their seats or to ask them to go into the lobbies. Even when the members stand up it is not necessary that the names be written. It is a separate thing. I may submit that no person has got the right to put a question to the Chair and if people get into the habit of doing it, I request you, Sir, to kindly curb it.

Mr. Deputy Speaker : No recording of votes please.

श्री इन्द्र सिंह : मेरा गुजारिश यह है कि अगर voices votes को challenge किया जाये तो . . .

Mr. Deputy Speaker : Order, please.

Shri Inder Singh : Sir, there is provision in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly.

Mr. Deputy Speaker : Please show me that provision.

Mr. Deputy Speaker : Question is —

In sub-clause (1), delete part (i)(a).

Shri Ram Piara : Sir, I withdraw my amendment.

श्री इन्द्र सिंह : मेरा point of order यह है कि जनाब कि—

The Speaker shall then say "I think the Ayes (or the Noes, as the case may be) have it". If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is not challenged, he shall say twice ; "The Ayes (or the Noes, as the case may be) have it" and the question before the Assembly shall be determined accordingly.

If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged, he may........."

Sardar Bhupinder Singh Mann : The words are 'he may'.

Shri Inder Singh : If he thinks that the division is unnecessarily claimed, ask the members who are for "Ayes" and those for "Noes", respectively, to rise in their places and, on a count being taken, he may dec . the determination of the Assembly. In such a case, the names of the voters shall not be recorded.

If the opinion of the Speaker as to the decision of a question is challenged and he does not adopt the course provided for in sub-rule (3), he shall order a "Division" to be held.

श्री इन्द्र सिंह : मेरी गुज़ारिश यह है जनाब कि unnecessarily अगर हम claim करते हैं division को तो . . .

Because it is the most operative part of the Bill and it has been admitted by the Minister-in-charge. अगर हम इस के ऊपर division करवाना चाहते हैं और जो कि एक special class और cottage industries को relate करता है तो यह unnecessary division नहीं है । The Chair is bound to ask for the Division of the House. इस में कोई शक की गुंजाइश नहीं है ।

Sardar Bhupinder Singh Mann : Sir, one point is forgotten. It is, the discretion of the Chair to determine the majority. For this purpose Sir, there are three ways—firstly by voice votes, secondly by asking to members to rise in their seats and thirdly asking the members to go to the lobbies. In this case, Sir, the Chair asked the members to rise in their seats and this was sufficient and the Chair has every power to do that.

उपाध्यक्ष महोदय : यह clear है कि पहिली दफ़ा challenge हो तो उस वक्त put किया जाए । और दुबारा challenge हो और unnecessarily claim करते हैं तो अपनी जगह पर खड़े किये जा सकते हैं । चूंकि यह course adopt कर लिया गया, इस लिये now the decision cannot be challenged. (The Rule is clear that if voice vote is challenged for the first time then division may be claimed but when second time it is claimed unnecessarily the hon. Members may be asked to rise in their seats since this course has been adopted, therefore, now the decision cannot be challenged. Therefore now the decision cannot be challenged.)

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned till 2.00 p. m. to-day.

(*The Sabha then adjourned till* 2.00 p.m. *the same day.* (8*th April,* 1958.)

801 PVS—344—6-6-59—CP and S., Pb., Chandigarh

Punjab Vidhan Sabha Debates

8th April, 1958 (Evening Sitting)

Vol. I—No. 35

OFFICIAL REPORT

23-9-57

CONTENTS

Tuesday, 8th April, 1958

CHANDIGARH

Printed by the Controller of Printing and Stationery, Punjab,
1958

Price: Rs. 4.95 nP.

ERRATA

PUNJAB VIDHAN SABHA DEBATE, VOL. I, No. 35, DATED THE 8TH APRIL, 1958. (EVENING SITTING)

Read	*for*	*on page*	*line*
दख	` ख	(35)8	17
दे	े	(35)8	5th from below.
provincialize	provincilize	(35)17	11th from below.
ਕੰਵਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ	ਕੰਵਰਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ	(35)26	2nd from below.
them	hem	(35)46	Last line
दफ़ा	दक़ा	(35)64	Last line
तरफ	तरक	(35)65	10
तरफ	तरक	(35)65	6th from below.
Chhina	Chinna	(35)67	13th from below.
building	buildng	(35)68	12
erection	erecton	(35)70	2
सारे	सा`	(35)72	19
देखा	`खा	(35)78	3
वैसे	से	(35)78	13
देता	` ता	(35)81	13
देनी	नी	(35)81	13th from below.
बनाये	बना`	(35)84	15
बारे	बा `	(35)84	19
दे	े	(35)85	1
बहुत	जल्त	(35)87	Last line
कामरेड मुनी लाल	कामरेड मुन्नी लाल	(35)91	9th from below.
काफी	काकी	(35)106	2
पढ़ो	पड़ी	(35)113	5th from below.
करे	क `	(35)114	Last line
द		(35)116	15th from below.

PUNJAB VIDHAN SABHA

Tuesday, 8*th April,* 1958

The Vidhan Sabha met in the Assembly Hall, Sector 10, *Chandigarh Capital at* 2.00 *p.m. of the Clock. Mr. Speaker* (*Sardar Gurdial Singh Dhillon*) *in the Chair.*

EXEMPTION FROM THE RULE 'SITTINGS OF THE ASSEMBLY'

Chief Minister : Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि आज हम इस तरह की एक बड़ी अजीब सी प्रथा इस हाउस के अन्दर चलाने जा रहे हैं। वैसे तो आज से पहले की असैम्बलियों का मुझे ज़ाती तौर पर ज्ञान नहीं लेकिन जो मुझे सुनने को मिला है उस से ऐसा पता लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह की बात हमारे राज्य के अन्दर काफी ज़ोर पकड़ती जा रही है और सैशन की तकरीबन हर सिटिंग के आखिर में गवर्नमेंट इस तरह की मोशन ले आती है। आगे भी ऐसी मोशन्ज़ पेश होती रही हैं और आज भी पेश की गई है। स्पीकर साहिब, यह कोई हैल्दी डैमोक्रेटिक कनवैन्शन नहीं है जिस को कि हम इस हाउस के अन्दर ऐस्टेबलिश करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं। वैसे यहां पर हाउस के अन्दर इस सैशन के पहले दिन जो वाक्या हुआ था उस पर बोलते हुए आप ने भी और मिनिस्टर साहिबान ने भी और सरकारी बैंचिज़ पर बैठने वाले दूसरे साथियों ने यही विचार प्रकट किया था और यही आशा व्यक्त की थी कि यहां पर healthy democratic conventions establish की जाएं। पिछले दिनों हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी असैम्बली भवन का शिलान्यास करते समय यही कहा था कि हमारे यहां जो parliamentary democracy है इस के अन्दर एक नया स्तर और अच्छा स्तर पेश करने के लिये यह आवश्यक है कि यहां पर बैठ कर के असैम्बली के मैम्बर ठीक तरीका से विचार कर सकें। लेकिन यह बड़े अफ़सोस की बात है कि हाउस को बनाने के लिये तो हम इतना रुपया खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया की लागत आती है लेकिन इसी हाउस के अन्दर जिन चीज़ों पर विचार किया जाता है उन को कूड़ा कर्कट की तरह साफ़ करने की कोशिश की जाती है और यह कोशिश की जाती है कि कोई एक व्यक्ति एक बहुत बड़े काम को किसी भी तरीका से छांट कर तोड़ मरोड़ कर जल्दी में खत्म कर दे। यह कोई healthy parliamentary

[श्री बलराम दास टंडन]

convention नहीं है क्योंकि यहां पर जो लोग बैठे हैं उन में से हर एक के दिलो दिमाग के अन्दर यह ख्याल है, चाहे वह सरकारी पार्टी के मैम्बर हों या आपोज़ीशन के, वह इस मोशन को देख कर यही सोचेगा कि आखिर हमने जल्दी जाना है, अपने अपने काम को भी करना है इस लिये सारी रात यहां पर बैठने की क्या आवश्यकता है। आपोज़ीशन तो यह जानती है कि उन को कोई भी बात गवर्नमेंट मानने को तैयार नहीं और जो सरकारी बैंचों पर बैठने वाले मैम्बर हैं वह यह सोचेंगे कि जब हमारी amendments को मिनिस्टर साहिब ने मानना नहीं है तो उन को मूव करने का फायदा ही क्या। सो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ सरकार की तरफ से पेश होगी वह उसी प्रकार मान ली जाएगी। इस तरह से hurriedly विचार करने के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि जब तक कोई emergency नहीं है, कोई असाधारण कारण आप के पास मौजूद नहीं है जिस की बिना पर आप इस सदन की बैठक को अनिश्चित अवधि तक चलाते जाएं—चाहे लोग ऊंघते हों, चाहे उन को कोई आवश्यक काम हो, कहीं जाना हो लेकिन वह यहां पर बैठ कर ज़रूर इस लिस्ट में पेश किए गए बिलों को पास करें—यह एक निहायत ही अनुचित बात है और प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के सर्वथा विरुद्ध है। इस लिये मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात को ज़रूर अपने ख्याल में रखें कि यह जो प्रस्ताव पेश किया है वह इस को अवश्य वापिस लें। इस के बजाए वह बेशक इस बैठक को दो दिन के लिए, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए और बढ़ा दें—सैशन को दो चार दिन और बढ़ा दें ताकि सभी मैम्बर इन तमाम बिलों पर ठीक तरीका से और अच्छी तरह से सोच विचार कर बहस कर सकें। कम से कम जो सारे पंजाब पर असर करने वाली बातें हैं उन पर तो हाउस की considered opinion आनी चाहिए। अगर हम बिना सोचे समझे और जल्दबाज़ी में इस तरह एक ही दिन में इन तमाम कानूनों को पास करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिर जनता के सामने झुक जाएगा और हम उन को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस लिए यह अच्छा रहेगा कि बजाए इस के कि हम दो तीन बजे रात तक लगातार बैठे रहें, इस सैशन को दो चार दिन के लिये बढ़ा दिया जाए। आखिर हर एक बिल पर सोचने और विचार करने के लिए वक्त लगेगा। इस लिये इस प्रस्ताव की मुखालफत करते हुए आप के द्वारा चीफ़ मिनिस्टर साहिब से दरखास्त करता हूं कि वह इस मोशन को वापिस ले लें और इस सिटिंग को वक्त पर खत्म किया जाए और जो बाकी बिल रह जाएं वह फिर ले लिए जाएं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर इन बिलों को किसी अगले सैशन में ले लिया जाए।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, एक तरफ तो हमारे वज़ीर जम्हूरियत की रोज़ाना बड़ी दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ वह इस किस्म की मोशन्ज़ ले आते हैं जिस से कि साफ़ तौर पर वाज़ेह होता है कि इन बिलों के ऊपर किस तरह से वह hurriedly विचार करना चाहते हैं। हमें या किसी को भी यह गवर्नमेंट मौका नहीं देना चाहती कि इन बिलों पर अच्छी तरह से ग़ौर किया जाए और सोच विचार करके

इन पर अपनी राए का इज़हार किया जाए। यह चाहते हैं कि इस तरह की ज़रूरी बातों को जल्दी से पास कर दिया जाए। स्पीकर साहिब, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक दिन और चला लें, दो दिन और चला लें या तीन चार दिन और चला लें। हम तो इस बात के लिये तैयार हैं। लेकिन पता नहीं कि गवर्नमेंट क्यों घबराती है। दो महीने बराबर हाउस चलता रहा है। अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई कि जल्दी की जाए। अगर कोई ज़रूरी बिल था तो वह पहले भी लाया जा सकता था और उस को पास भी किया जा सकता था। अगर ऐसा नहीं कर सके, तो क्या हर्ज है अगर हाउस दो या तीन दिन के लिए और बैठ जाए और हम सब मिल कर इन सभी बिलों पर ठंडे तरीके से विचार कर लें। पता नहीं कि चीफ मिनिस्टर साहिब को कोई खतरा पैदा हो गया है या गवर्नमेंट डर रही है कि कहीं शिकस्त न हो जाए, जैसा कि आज सुबह को मीटिंग में हुई। अगर कोई ऐसी घबराहट है फिर तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ठीक हैं, उन को ऐसा करना ही चाहिए और इस सिटिंग को चलने दें। अगर ऐसी कोई बात नहीं तो क्या हर्ज है, अगर इस सिटिंग को दो तीन दिन के लिये और बढ़ा दिया जाए। जहां तक आपोज़ीशन का ताल्लुक है हम तो दो, तीन, चार दिन के लिये भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम यह नहीं बरदाश्त कर सकते कि यह तानाशाही के तरीके से मोशन ले आएं और यह कह दें कि हम ने तब तक नहीं उठना है जब तक कि यह सारे के सारे बिल पास न हो जाएं। स्पीकर साहिब, आप जानते हैं कि हम यहां पर आज सुबह नौ बजे से बैठे हैं और काम कर रहे हैं। आखिर इन्सान हैं। रात को भी यह सारे के सारे पंद्रह बिल आ गए और हम बैठे बैठे इन्हें देखते रहे। सारी रात में बहुत कम सो सके हैं और आज फिर गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म का इरादा पेश हो गया है कि आज रात भी न सोया जाए और सारी रात यह काम करते रहें। एक इन्सान से इतनी बड़ी चीज़ नहीं expect करनी चाहिए। मैं तो यह समझता हूं कि इस तरह की नान-स्टाप की मोशन को इन्हें वापिस ले लेना चाहिए और कम से कम इस नज़रिये से भी वापिस ले लेनी चाहिए कि यह काम दो, तीन या चार दिन और बैठ कर भी खत्म किया जा सकता है। इस लिये मैं इस मोशन की पुर ज़ोर मुखालफ़त करता हूं और आप के ज़रिये चीफ मिनिस्टर साहिब से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मोशन को वापिस लें ताकि जो 14, 15 बिल हैं जो कि इतनी ज़्यादा अहमियत के बिल हैं, उन पर ठंडे तरीके से पूरी तरह सोच विचार किया जा सके, बहस की जा सके और सब को अच्छी तरह से बोलने का वक्त दिया जाए।

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : स्पीकर साहिब, मैं इस मोशन की मुखालफ़त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस वक्त हमारे सामने कोई 15 बिल हैं। आप ने देखा कि सुबह की सिटिंग में सिर्फ़ एक ही बिल पास हो सका। इस को सामने रखते हुए आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि 15 बिलों को पास करने के लिए कितना वक्त लगेगा। ज़रूरी है कि उन सब को हाउस के अन्दर बाकायदा तौर पर सोचा जाए, समझा जाए। इन में बहुत से बिल ऐसे हैं जो निहायत ज़रूरी हैं। इस बात से साफ तौर पर यह साबित होता है कि अब तक पार्टी इन पावर का यही रवैया रहा है कि without giving any

[श्री इंदर सिंह]

opportunity to the Members of the Opposition पास करवा लिया जाए। यही वजह है कि बार बार एक ही ऐक्ट पर कई amendments आई हैं। कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिस के अन्दर पास होने के एक महीने के अन्दर अन्दर amendments न आई हों। बार बार amending Acts और Bills आते रहे और उन में तरामीम होती रहीं। यह सब इस लिए हुआ कि उन को डिस्कस करने के लिए हाउस में पूरा मौका नहीं दिया जाता रहा। सभी मैम्बरों को मौका नहीं दिया जाता रहा कि वह अपनी considered opinion दे सकें। इस लिए मैं यह अर्ज़ करता हूं कि बजाए इस के कि हाउस को बार बार तकलीफ हो कि एक मामूली सी amendment के लिए उसे बुलाया जाए, अब ही दो दिन, तीन दिन, चार दिन और बैठ कर इन को अच्छी तरह से सोच विचार कर पास किया जाए। हर एक मैम्बर को टाइम दिया जाए कि वह अपने ख्यालात का इज़हार कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ज़ाहिर है कि चूंकि इन के पास मेजारिटी है इस लिये वह अपनी ताकत की बिना पर मनमानी करना चाहते हैं—इस मोशन को मंज़ूर करवा सकते हैं या रिजैक्ट करवा सकते हैं। यह अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आखिर parliamentary democracy में ऐसे precedents होने चाहिएं कि सभी मैम्बरों को हर बिल पर पूरी तरह से ग़ौर करने का मौका मिले। स्पीकर साहिब, जब हम दो महीनों से यहां पर बैठे हुए हैं तो दो तीन रोज़ और बैठने से क्या फर्क पड़ जाता है। आज बिलों की एक भारी तादाद है—कोई तेरह चौदह, पंद्रह बिल हैं। लेकिन ज़रूरी बात है कि जो लैजिस्लेशन आप बनाने जा रहे हैं वह मुकम्मल हो, उस के अन्दर किसी तरह की गुंजायश न रह जाए, कोई lacuna न रह जाए। अगर कल किसी बात का misuse हुआ तो यह सारी ज़िम्मेदारी इस हाउस पर ही आनी है कि जल्दी की वजह से, जल्दबाज़ी की वजह से या पूरी तरह गौर न किए जाने की वजह से कोई लोग उस का फायदा उठा जाएं और किन्हीं को नुक्सान हो। तो यह बात किसी भी तरीका से public interest की बात नहीं है।

मेरी गुज़ारिश यह है कि इस सिटिंग को extend किया जाये। चीफ मिनिस्टर साहिब खुद बड़े सियाने हैं और बड़े मुदब्बर हैं और वह इस बात को समझते हैं। इस लिये हाउस को time मिलना चाहिये और हाउस दो तीन दिन के लिये और बढ़ा दिया जाये।

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : स्पीकर साहिब, तीन भाइयों ने अपने ख्यालात इस बारे में हाउस के सामने रखे हैं। वैसे तो इन्होंने जो 10 या 12 मिनट इस के लिये लिये हैं मेरा तो इरादा था कि यह वक्त भी बिलों पर ही लगता। बहरहाल मैं अर्ज़ करता हूं कि इन बिलों में एक आध बिल खास है और बाकी जितने बिल हैं, उन में एक तो adaptation का बिल है जिस की मारफत पंजाब के ऐक्ट पैप्सू पर लागू होने हैं, एक Court Fees (Punjab Amendment) Bill है और एक Indian Stamp Bill है जिस की मारफत पुराने पैसों की नये पैसों में conversion होनी है। फिर एक दो बिल Regional

Committees को refer हो जाते हैं और एक आध बिल हम ने move ही नहीं करना। यह तो मैं ने एहतियातन किया है कि अगर एक आध घंटे के लिये ज्यादा काम की वजह से पिछड़ जायें तो यह काम बीच में न रह जाये। पहले भी हम snail's speed पर चल रहे हैं। Amendments तो बिलों पर मैम्बर साहिबान ने दी ही हुई होती हैं। अगर एक आध घंटा हम ज्यादा बैठ जायेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस से कितने ही रुपये बच जायेंगे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, बचत के लिहाज़ से भी, वक्त के लिहाज़ से भी और hon. मैम्बर साहिबान का अपनी खेती की तरफ ध्यान देने के लिये भी, हम इस बात को करना चाहते हैं। अगर एक आध घंटा मैम्बर साहिबान और बैठ जायेंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब कि वह पहले कई छुट्टियां भी लेते रहे हैं। मुझे पता है कि वह इस से घबराते नहीं हैं। असल democracy भी यह नहीं जिस को आप समझते हैं। अगर इस तरह हो तो कोई काम भी नहीं हो सकता। मैम्बर साहिबान को हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अगर किसी बिल पर ज्यादा देर लग गई तो उस को हम वापिस ले लेंगे।

Mr. Speaker : Question is—

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

The motion was carried

ADJOURNMENT OF THE SABHA (*Sine die*)

Chief Minister : I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

Mr. Speaker : Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned *sine die.*

The motion was carried

BILL(S)

THE PUNJAB ELECTRICITY (DUTY) BILL, 1958 (RESUMPTION OF CONSIDERATION OF—)

कामरेड मुनी लाल : On a point of order Sir. अभी पिछला एक point of order decide नहीं हुआ। पहले वह decide किया जाये।

वित्त मंत्री : वह तो decide हो गया था।

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, जब वह point of order raise किया गया था तो हाउस adjourn हो गया था और यह decide नहीं हो सका था।

श्री इन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, वह point of order मेरा था। According to rule 94, opinion के लिये अगर voice vote challenge हो जाये तो counting लाज़मी हो जाती है।

Minister for Finance : Sir, the Deputy Speaker, who was in the Chair, had given his ruling.

Mr. Speaker : I am told the Deputy Speaker has already given his ruling. In view of this, it cannot be re-opened.

श्री इन्द्र सिंह : जनाब, गुज़ारिश यह है कि अगर ruling दे दी गई है तो I. submit to that ruling. मेरी गुज़ारिश है कि इस में यह बिल्कुल clear बात है। शायद मैं उस वक्त इसे ज़्यादा साफ नहीं कर सका और इतना वाज़ेह नहीं कर सका लेकिन position यह है कि जब voice vote challenge हो जाये तो counting होना लाज़मी हो जाता है। This is my submission, Sir.

अध्यक्ष महोदय : इस के दो courses हैं। या तो मैम्बर साहिबान in their seats rise हो जायें और अगर वह अपनी seats में raise नहीं होते हैं तो उन्हें lobbies में direct किया जाता है। (For this purpose two courses are open. Either the hon. Members may be made to rise in their seats or they may be directed to the loblies for vote.)

श्री इन्द्र सिंह : पर, स्पीकर साहिब, position यह है........

Minister for Finance : Sir, the Ruling was given by the Deputy Speaker Now the other amendments as also the Clause are to be put for the vote of the House.

Mr. Speaker : The ruling is already there, I am sorry.

Shri Inder Singh : I want to raise another point of order, Sir. और वह point of order यह है कि अगर महज़ voice vote ही हुआ हो और मैम्बर साहिबान अपनी seats में rise न हुए हों और अगर उस vote को challenge किया जाये तो उस की क्या position होगी?

Minister for Finance : Sir, this point of order was raised when Mr. Deputy Speaker was in the Chair, and he gave his ruling. The amendment in connection with which this point of order was raised was lost. Now the clause and other amendments are to be put to the vote of the House.

Mr. Speaker : I shall see to it.

श्री इन्द्र सिंह : Sir, I do not persist. लेकिन मैं इतनी गुज़ारिश करना चाहता हूं कि इस तरह कई बार हमारी opinion whittle out हो गई है और हमें हमेशा यह कहा जाता है कि यह स्पीकर साहिब के पास discretionary power है।

Mr. Speaker : It is generally out of conventions that the decision of the House is declared. Just as on the closure motion, I saw that the balance was on your side and I declared the decision accordingly. Decision is given only on the side on which the Chair notices some visible balance. I don't think if there is any doubt left now.

Mr. Speaker : Question is—

In sub-clause (1), *delete* part (i)(a).

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the clause *add* the following sub-clause :—

"(4) For the purpose of computing the electricity duty under this section, the consumption shown by the meters starting after the first meter reading date after the commencement of this Act shall be taken into account".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहिब, यह जो clause 7 है मैं इस की opposition करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस में inspectors मुकर्रर करने के लिये provision की गई है और यह जो inspectors होंगे वह उस record की देख भाल करेंगे जो इस बारे में maintain किया जायेगा ।

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

स्पीकर साहिब, आप कोई भी महकमा ले लें, हर महकमे में आप को inspectors की भरमार मिलेगी । और जब इस से पहले भी inspectors मौजूद हैं, Cement Inspectors हैं, Agriculture Inspectors हैं, Education Department के inspectors भी अलग हैं, पता नहीं कि कितने inspectors हैं ? जब गवर्नमेंट के पास इतने inspectors पहले मौजूद हैं तो अगर इन में से किसी के ज़िम्मे यह काम छोड़ दिया जाये तो यह बड़ी आसानी से हो सकता है और गवर्नमेंट का यह सारा खर्चा बचाया जा सकता है।

इस के अलावा इस महकमे में और भी इन्स्पैक्टर्ज़ हैं। तो नए तईनात करने के लिये एक नई क्लाज़ रखी जाए कि और इन्स्पैक्टर्ज़ मुकर्रर करने हैं यह उन लोगों के साथ ज़्यादती है जिन गरीबों पर यह टैक्स लगा रहे हैं। गरीबों पर टैक्स लगा कर यह उस रकम को इन्स्पैक्टरान में तक्सीम करना चाहते हैं और बहाना यह किया जा रहा है कि यह तो ऐजुकेशन सैस है और कि ऐजुकेशन कम्पलसरी होगी और कि लोकल बाडीज़ स्कूल्ज़ को प्रोविन्शलाईज़ करेंगे। मगर ऐसी बात नहीं है। यह रुपया इन्स्पैक्टर्ज़ पर खर्च किया जाएगा। यह तरीका है कुछ अपने लोगों को पैट्रोनाइज़ करने का। इन्स्पैक्टर्ज़ की तो पहले ही एक बड़ी जमात मौजूद है । अब इस तादाद में और बढ़ोतरी होगी। मैं तो यह कहूंगा कि इन्स्पैक्टर्ज़ तो आज ऐसे हो गए हैं जैसे बरसात में मेंडक हो जाते हैं। इस हालत को देख कर कहना पड़ता है कि आज कांग्रेस की हकूमत नहीं, इन्स्पैक्ट्रों की हुकूमत है। इस लिए, स्पीकर साहिब, मैं इंचार्ज मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि उस गरीब किसान की गाढ़े पसीने की कमाई, क्योंकि यह टैक्स उन पर ही लगेगा और राड़ेवाला साहिब को उन का लिहाज़ है इस लिए मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह इन्स्पैक्टर्ज़ पर इस तरह से रुपया खर्च न करें और जो पहले ही मौजूद हैं उन को ही यह ड्यूटी लगा दी जाए या और किसी महकमे के इन्स्पैक्टर्ज़ को यह काम सौंप दिया जाए। यह क्लाज़ जो खर्च के लिए रखी गई है यह नहीं होनी चाहिए । इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस क्लाज़ की पुरज़ोर मुखालफत करता हूं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : मेरे मुअज़िज़ दोस्त को शायद इतना कुछ कहने की ज़रूरत न होती अगर वह इस क्लाज़ को ज़रा गौर से पढ़ लेते। (विघ्न) अगर वह इस की क्लाज़ 6 को देखते तो इस की तकमील के लिये इस की वर्किंग के लिए वह सोचते कि कोई न कोई अफसर होना ज़रूरी है । उन्होंने खुद ही कह दिया कि इस महकमे की इन्स्पैक्टरेट मौजूद है। मैं ने पहले भी कहा था कि हो सकता है कि वही इस ड्यूटी को सरअंजाम दे। यह चीज़ सारे हालात पर मुनहसर है । लेकिन यह कहना कि इस में प्रोवियन ही न मौजूद हो रिकार्ड या रिटर्नज़ देखने वालों का, तसदीक करने वालों का, गलतियां पकड़ने वालों का, तो यह ठीक नहीं है। इस लिये मैं इन की ताईद करने से माज़ूर हूं। मैं समझता हूं कि यह चीज़ गलतफहमी पर मुनहसर है। इस लिये दरखास्त करूंगा कि यह क्लाज़ पास कर दी जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 8

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : मैं हाउस का ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ यहां अर्ज़ करूंगा कि इस के अन्दर जो पीनल क्लाज़िज़ हैं वह तीन किस्म की हैं। सज़ा एक तरीके से नहीं बल्कि दो तीन तरीके से देना चाहते हैं। एक तो क्लाज़ 8 है कि अगर कोई ड्यूटी न दे तो वह एरियर्ज़ आफ लैंड रैवेन्यु के तौर पर ली जाएगी। गवर्नमेंट का तो मुद्दा होना चाहिए कि रुपया किसी तरीके से वसूल हो। अगर यह लैंड एरियर्ज़ की तरह वसूल कर लेना है तो और पीनल क्लाज़िज़ की क्या ज़रूरत है। इसी पर इक्तफ़ा नहीं। आगे चल कर एक क्लाज़ यह भी है कि प्रौसीक्यूट भी किया जाएगा। मगर जब यह एरियर्ज़ आफ लैंड रैवेन्यु के तौर पर वसूली होनी है तो और क्लाज़ की ज़रूरत नहीं। इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस क्लाज़ की मुखालफत करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 8 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 9 AND 10

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 9 and 10 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 11

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 11 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 12

Sardar Umrao Singh (Nakodar, General) : Sir, I beg to move—

In lines 2-3, *between* the words "consumer" and "or", *insert* "category of consumers".

ਇਸ ਵਿਚ consumers ਅਤੇ persons ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ exempt ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ rates ਤੋਂ individuals exempt ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, categories ਹੋ ਸਕਣ। ਜੇ ਕਰ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੇ individuals ਨੂੰ notification ਰਾਹੀਂ exempt ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ exemption

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]
categories ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਲਫਜ਼ category of consumers insert ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In lines 2-3, *between* the words "consumer" and "or", *insert* "category of consumers".

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਜੋ political corruption ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ Bill ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ amendment ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ support ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ Act ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ categories ਨੂੰ exemption ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ class ਨੂੰ ਇਹ exemption ਦਿੱਤੀ ਹੈ, agriculturists ਨੂੰ ਜਾਂ industrialists ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇਕ class ਦੇ exemption ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਹਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇਗੀ bribe ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ consumer or person from the payment of the whole or part of the Electricity Duty ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹ duty ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। State Government ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਆ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ category ਨੂੰ relief ਦੇਣਾ ਹੈ, agriculturists ਨੂੰ ਜਾਂ cottage industry ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ individuals ਨੂੰ relief ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ it amounts to political corruption. ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ political corruption ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ...... ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ...........

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੇਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ relevancy ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। (The question of my being in agreement or otherwise does not arise. I, of course, do judge the relevancy.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਜੋ political corruption ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਜ਼ ਰਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, वैसे तो आपने कहा है कि इस में कई एक चीजें आ सकती हैं लेकिन अगर इन सारी बातों को छोड़ दिया जाए

फिर भी जो इस के शब्द हैं आप अगर उन्हें ध्यान से पढ़ें तो पता लगता है कि यह bribing clause है। इस का नम्बर आप 10 रख लें या 12 रख लें यह एक अलग बात है। स्पीकर साहिब, आगे जो सरकार के पास powers हैं उन का जिस तरीके से misuse हो रहा है वह किसी से भूला हुआ नहीं है। सिवाए इस के कि जिन लोगों पर सरकार मेहरबानी करना चाहती है उन्हें exemption दे द । एक तो यह कि अपनों को सरकार exemption दे दे और दूसरा यह कि जो अपनी तरफ नहीं खड़े दूसरी तरफ खड़े हैं उन्हें bribe किया जाए और अपनी तरफ लाया जाए और जो न आना चाहें और opponent हैं उन्हें penalise किया जाए। यह दोनों चीजें हैं और यह तरीका है जिस के अनुसार सरकार आगे चल रही है। इस तरह की bribing clauses रख कर सरकार जो मेहरबानी अपने आदमियों पर कर रही है किसी से भूली नहीं। फिनांस मिनिस्टर साहिब ने मेरे एक सवाल के जवाब में इसी सिलसिले में कहा था कि मुझे याद नहीं, जब मैं ने यह सवाल किया था कि exemption देने के लिए सरकार ने क्या criterion मुकर्रर कर रखा है; तो इस का जवाव न दिया गया था, दर असल बात यह है कि जिसे सरकार ठीक समझे वही उचित समझा जाता है। इस का मतलब साफ है कि इस तरह की क्लाज़ रख कर win over किया जा सकता है, bribe किया जा सकता है और दूसरी तरफ जो खड़ा है उस को persuade किया जा सकता है और win over किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि This is the worst type of corruption.

इस तरह के जो provisions किये जाते हैं उन्हें मैं आप के नोटिस में लाना चाहता हूं कि सरकार के पास इस तरह की क्लाज़ रख कर क्या मापदण्ड रह जाता है? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के हाथ में इस वक्त कौनसा मापदण्ड है? पहले जब Sub-Registrars को मुकर्रर करने की बात चली तो सरकार ने मापदण्ड अपने पास रखा और वह क्या था? आज यह सब के सामने है कि एक B.A., LL.B. तो 250 रुपया माहवार पाता फिरे और चौथी पास वाला 500 रुपये माहवार पाने लग जाए, तो किस तरह यह जाना जा सकता है कि बुद्धि किस की ज़्यादा है। जनता को कैसे पता लग सकता है जब तक कोई मापदण्ड जनता के पास न हो? ऐसी ही क्लाज़ दूसरे enactments में भी रखी गई है जिस का कि आज misuse हो रहा है और पंजाब के अन्दर political corruption चल रही है। वैसे ही यह 12 नम्बर की क्लाज़ है कि किसी person को duty देने से exempt किया जा सकता है। इस लिए मैं निवेदन करूंगा कि जब सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति बनाएगी तो rules के अन्दर सरकार इस का स्पष्टीकरण कर दे कि exemption किस को दी जाएगी। क्या सरकार cottage industry को छोड़ना चाहती है या agriculture को या agriculture के मालिक को ऊपर ला कर individual को तरक्की देना चाहती है? यह बात सही रूप से हमारे सामने आ जानी चाहिए कि जो 'person' शब्द लिखा है इस में कौन लोग आ सकेंगे। क्या इस में वही लोग आएंगे जिन्हें सरकार अपना बनाना चाहती है और इस तरीके से bribe करना चाहती है? मैं सरकार से यह कहूंगा कि यह नज़रिया प्रान्त की

[श्री बलराम दास टंडन]

जनता को unnecessary criticism करने का मौका `गा । सरकार को इस तरह की criticism invite नहीं करनी चाहिए। शब्द 'person' पर खास तौर पर repurcussions होंगी और सरकार की यह नई power political bribe समझी जाएगी, जिसे avoid करना ज़रूरी है।

राव गजराज सिंह (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, यह जो एतराज इस क्लाज़ पर किए गये हैं जो amendment दी गई है यह ill-conceived है । Ordinary legislation के तरीके से singular means plural, इस का मुद्दा एक ही licensee, एक ही person या एक ही consumer से नहीं । (*Interruption.*)

Chief Minister : Please hear him.

Shri Balram Dass Tandon : On a point of order, Sir.

Rao Gajraj Singh : I do not give way.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, I am rising on a point of order and it is strange that the hon. Member says, "I do not give way".

(*At this stage Rao Gajraj Singh gave way*).

Sir, my point of order is this that the Chief Minister is interrupting and creating a bad precedent.

Chief Minister : Sir, I protest against this. I only said, "Please hear him". They were making noise. What I pointed out was this that the word 'person' includes 'persons'.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, did you give time to the Chief Minister to explain the thing.

Mr. Speaker : I did not give time to you even.

Shri Balram Dass Tandon : Sir, he is explaining the thing.

राव गजराज सिंह : मैं समझता हूं कि इस तरह के motives attribute करने मुनासिब नहीं और न ही कोई मौका है। यह जो points raise किये गये हैं यह ठीक नहीं मालूम देते। इस clause 12 में तो साफ लिखा है और अगर एतराज करने वालों के point पर ही आएं तो उन्हें इस बिल की clause 3 पर amendment लानी चाहिए थी। Clause 3 में जो पहले दिया जा चुका है यह क्लाज़ 12 उसी को cover करती है । इस में अगर agriculturist और cottage industry वाला रख दिये जायें तो और भी अच्छा हो सकता है। इस के बारे में सरकार को assurance देनी चाहिए ।

इस में तो यह है कि अगर दफतर बेइमानी करता है और कहीं hardship का केस है और 10 या 20 आदमियों को नुकसान होता हो और जैसा कि मेरे दोस्त सरदार उमराओ सिंह ने कहा है कि tube-wells के केसों में hardship हुई है तो

अगर यह क्लाज़ न रखी जाए तो आप cope with नहीं कर सकते। एक बात मैं सरकार से ज़रूर recommend करूंगा कि सरकार rules frame करते वक्त इस बात का ख्याल रखे कि agriculturists को exemption दी जाएगी ताकि cottage industry को आगे बढ़ने में मदद मिले। इस के साथ ही मैं यह अपने साथियों को कह दूं जो एतराज़ करते हैं कि वह section 13 को भी देखें जिस में लिखा है :

> "The State Government may by notification make rules for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act".

Clause 12 में भी और clause 13 में भी जो लिखा हुआ है अगर इन दोनों को हम पढ़ें तो मालूम होता है कि इन का आपस में मतभेद है। मैं I.P. Minister साहिब से गुज़ारिश करूंगा कि Government की ऐसी policy नहीं होनी चाहिये। जहां जहां भी Small Scale Industry चालू है, वह चाहे किसी भी तबका में है उन के लिये अगर किसी जगह भी ज़रूरत पड़े तो Government को exemption दे देनी चाहिये। हमें यह डर है कि यह जो clauses का draft है, इन लोगों के हक में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इस लिये इन के लिये ज़रूर कोई न कोई provision होनी चाहिये जिस से exemption मिल सके।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाबेआली, जब इस clause पर बहस हुई थी, तो बड़ी शदो मद के साथ कहा गया था। उस वक्त ही मैं ने इस clause की तरफ़ House की तवज्जुह मवज़ूल कराई थी। इस के तहत जो power है exemption की इस में यह साफ लिखा हुआ है कि 'The State Government may in the public interest by notification exempt any licensee.' मगर इस पर बहस करते हुए इस किस्म के संगीन लफ्ज़ इस्तेमाल किये गये हैं कि properly use न होगा, corruption होगी। मालूम नहीं यह pet words क्यों इस्तेमाल किये जाते हैं। यह 'person' means any person है। मिसाल के तौर पर आज अगर कोई एक tube-well लगाता है या अगर कोई electricity किसी छोटे रकबा में, किसी industry के लिये generate करता है तो जो electricity produce करता है वह सारी इस factory में ही लगाता है। तो यह केस देख कर कि आया exempt हो सकता है या नहीं हो सकता है, हर एक case के वाक्यात को देख कर कि इस में public interest की कोई चीज़ है या नहीं है, तो exemption दी जाती है। यह जो फ़र्ज़ी इख्तियार उन के दिमाग में समाया हुआ है यह ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। यह इन को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिये। Exemption की जो clause है उसे पूरे इनसाफ के साथ और दयानतदारी के साथ इस्तेमाल किया जायेगा। जब हर केस में हमारी तरफ़ से relief दिया जाता है तो ज़रूरी है कि इस में भी दिया जायेगा। इस लिये यह जो amendment दी गई है फाज़िल मैम्बर साहिबान इस को ज़रूर ही वापिस ले लें।

मुख्य मंत्री (सरदार प्रताप सिंह कैरों) : स्पीकर साहिब, मैं एक बात की वज़ाहत करनी चाहता हूं। यहां पर 'person' का मतलब person से ही है। अगर आप लफ्ज़ों पर जाते हैं और इस के basis पर नहीं जाते तो यह एक बड़ी अफसोसनाक बात हो जाती है। उसकी admiration नहीं की कि जो Government Electricity बनायेगी या जो बनाई जा रही है उस पर tax लगाया जाता है वह इस लिये कि State पर जो additional financial burden है उस को पूरा किया जाये, वरना Government पहले ही Industry पर Tax लगा सकती है। कहा यह जाता है कि लोगों पर यह एक burden है और यह एक brutalism का factor है। यह महज़ एक कयास आराई है। इस में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यह सारी बातों को मदेनज़र रखते हुए जो रोज़मर्रा की दिक्कतें आनी हैं उन को दूर करने के लिये, इस clause में लिया गया है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस से यह कहा जाये कि Government नंगी हो गई है। मैं समझता हूं इस की वज़ाहत I.P.M. साहिब ने पहले ही कर दी है। जब कोई notification होता है या जब इस चीज़ की उस को publicity दी जाती है, तो House में इस किस्म की बातें करना और इस किस्म के charitable view लेना जायज़ नहीं है। मैं समझता हूं इस में कोई असलियत नहीं है। फिर भी मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि वह ख्याली बातों में न आयें। इस के basis को देखें। यह कोई तरीका नहीं है। यह बातें जो कही जाती हैं मैं सब जानता हूं। यह मुझे कोई भूली हुई नहीं हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मैं सब जानता हूं कि यह महज़ exploit करने की बातें कही जाती हैं और इस किस्म के basis बनाये जाते हैं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਉ।

Chief Minister : Please be sensible.

Sardar Umrao Singh : Sir, in view of the assurance given by the Minister, I withdraw my amendment.

Mr. Speaker : Question is—

In lines 2-3, *between* the words "consumer" and "or", *insert* "category of consumers".

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 13

Mr. Speaker : Now Clause 13 is before the House.

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : मैं, स्पीकर साहिब, इस के बारे में सिर्फ़ यही अर्ज़ करना चाहता हूं कि Rules बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाये कि जो clauses इस किस्म की होंगी उन को ध्यान में रखा जा कर, इन rules को frame up किया जाये। इस के साथ ही जो clause 12 है उस को भी इस के मुताबिक specify करके मुझे और House को भी बताया जाये।

Chief Minister : Whatever is not in the Bill cannot be had in the rules.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, clause 13 के अंदर जो rules बनाने की powers सरकार को दी जा रही हैं वह बड़ी wide powers हैं। Minister साहिब ने Rules की वज़ाहत करते वक्त जो बातें कही हैं मैं समझता हूं कि इन सब बातों के बावजूद कोई बात ऐसी नहीं कही गई जिस से यह ज़ाहिर हो सके कि यह कानून बनाते वक्त उन सब बातों का ध्यान रखा गया हो, जिन की तरफ हम ने उन की तवज्जुह दिलाने की कोशिश की थी। पहले किसी 'person' को रख लेना फिर कहना कि notice दिया जायेगा..............

अध्यक्ष महोदय : यह तो एक legal चीज़ है। आप इस के literal मानों में न जायें। (It is a legal thing. The hon. Member need not go into its literal meanings.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं litral मानी नहीं लेता। मगर जो कुछ आज कहा जा रहा है, जो House के अंदर assurance दी जा रही है, उन के लफ्ज़ों पर जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप के सामने श्री लाल चंद जी बैठे हैं। (Shri Lal Chand is also sitting before him.)

श्री बलराम दास टंडन : यह बात वही है। अगर Rules गलत हों तो जो Members के खदशात हैं वह दूर होने चाहियें। मैं Minister साहिब का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि अगर वह सारे रूल्ज़ ध्यान रख कर बनायें तो इस में सारे पंजाब की बेहतरी है। जो छोटी industry का काम करते हैं, या जैसा कि खादी industry या और कोई छोटी industry रखी है, अगर उन के लिये भी इस clause में कोई addition कर दी जाती तो ठीक था। मगर Minister साहिब ने बजाय इस के कि इस में कोई दरुस्ती की जाये इसे इधर उधर की बातों से पूरा करने की कोशिश की है। अगर यह बात भी इस में add कर दी जाती तो....

Chief Minister : Whatever is in the Bill cannot be changed at this stage.

श्री बलरामदास टंडन : स्पीकर साहिब, इस में इस बात की कहीं definition नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह जो clause लाई गई है यह इस बात को clear करने के लिये है कि जो पिछले memorandum में separate note legislation के बारे में है उसको clear कर दिया जाये । यह जो rule बनाया है यह इस लिये है ताकि इस से कोई बाहर न जा सके । (This clause has been framed with a view to clarifying the separate note regarding legislation, given in the memorandum. The rule has been framed in order to restrict everybody to its scope.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, जो आप कहते हैं हम उस को मानते हैं । लेकिन मैं समझता हूं जो यह Rules बनाये गये हैं, हम चाहते हैं कि यह जो हमारे खदशात हैं अगर इन को दूर करने की कोशिश की जाये तो इस में ही हमारी बेहतरी होगी । वहां पर मैं इस बात का भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि rules बनाते वक्त वह इस बात की कोशिश करें कि electricity के मुतालिक जो report है कि conservation के अन्दर कहीं 15 प्रतिशत कहीं 17 प्रतिशत कहीं इस से ज़्यादा चोरी होती है, उस को रोका जा सके । इस तरह का sound rule बनाया जाये कि loss of revenue न हो सके । अगर इस तरह इस Rule का सम्पादन किया जाएगा तो पंजाब आगे बढ़ सकेगा ।

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 13 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) **:** Sir, I beg to move—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill, as amended, be passed.

कामरेड मुनी लाल (शिमला) : स्पीकर साहब, इस बिल के पास हो जाने से जो भी आदमी electricity consume करता है उस पर duty लगेगी । हालांकि सरकार ने हर मर्तबा यह वादा किया कि बिजली को सस्ता करेंगे लेकिन हो रही है महंगी और इस के बदले यह कहा गया कि education free दी जाएगी ।

मैं तो चाहता था कि पंजाब की heavy industries को rapidly develop करने के लिये बिजली में concession दिया जाता । पर इस को तो छोड़िये, small-scale industries को भी कोई relief नहीं दिया गया । जहां तक कि agricultural purposes के लिये जो बिजली इस्तेमाल होगी उस पर भी यह duty लगेगी । इस के मानी यह हैं कि Grow-More-Food और unemployment दूर करने की जो बात है वह पीछे रह गई । सरकार जब टैक्स लगाती है तो उस वक्त इस बात को भूल जाती है कि किन चीज़ों पर टैक्स लगाने से इन्कम हो सकती है और कौन बरदाश्त कर सकता है । बगैर सोचे समझे ज़रूरियाते-ज़िन्दगी की चीज़ों पर टैक्स लगा देती है । मैं यह सुझाव देता हूं कि अगर cottage industries को रियायतें मिलें और agriculturists को incentive मिले तो Grow-More-Food में वृद्धि और unemployment को दूर किया जा सकता है । इस बिल में एक बात exempt करने की कही गई है कि सरकार जिन को चाहे exempt भी कर सकती है इस सिलसिले में Oppsition के खदशात हकीकत पर मबनी हैं । क्योंकि सरकार ने powers का misuse हर बार किया है इस लिये मैं आज फिर कहता हूं कि exemption के सिलसिले में भी यह नाजायज़ इस्तेमाल होगा । Inspectors की powers भी कुछ बढ़ाई गई हैं । इस लिये यह खतरा मौजूद है कि जिन लोगों को रियायतें देनी होंगी उन के लिये अख्तियारात तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किये जाएंगे । इस लिये इस पर विचार होना चाहिये ।

जिस education cess को लगा रहे हैं उस से favouritism बढ़ेगा । सरकार जो free education स्कूलों में देने जा रही है वह तभी सफल हो सकती है जब कि favouritism न हो और private schools को भी provincilize करें । मैं चाहता था कि अख्तियारात हाउस में thoroughly discuss किये जाते और democratic तौर पर मैम्बर्ज़ को मौका मिलता discuss करने का । मगर ऐसा नहीं हो रहा । इस लिये मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहिब इस पर दोबारा सोच विचार करें और agriculture use के लिये जो बिजली इस्तेमाल की जाएगी उस में रियायत करने की announcement करें । और यह भी कहें कि हमारी नीयत साफ है, हम Grow-More-Food के लिये हर प्रकार का incentive देना चाहते हैं ताकि किसानों की तसल्ली हो ।

इस के बाद मैं Electricity Board के बारे में कहना चाहता हूं । इस Board के मैम्बरों की nomination जो होगी वह political consideration पर होगी । इस लिये Board का जो मकसद है, वह पूरा नहीं होगा । (*Interruptions.*)

[कामरेड मुनी लाल]

मैं समझता हूं कि सरकार ऐसी बातें कर रही है जिन से favouritism बढ़ेगा, corruption rampant होगी और लोग demoralise होंगे । मैं Irrigation and Power मिनिस्टर साहिब से यह दरखास्त करूंगा कि जो इस बिल में lacuna है उस पर विचार कर के दूर करने की कोशिश करें । फिर इसे पास करें तो ठीक है ।

अभी पंजाब के अन्दर agriculture को, cottage industries को और....

कामरेड हरभगवान मौदगिल : और education के लिये ?

श्री मुन्नी लाल : Education को भी तरक्की देने के लिये लोगों को रियायतें मिलनी चाहियें । लेकिन practical education होनी चाहिये । जो education आप दे रहे हैं वह आप को ही मुबारिक हो । जो आप का तरीका है इस से corruption बढ़ेगी । इस लिये अगर आप इस बिल को वापिस ले लें तो अच्छा होगा ।

Shri Dev Dutt Puri (Sadhaura) : Sir, I shall make a very brief observation in regard to the implementation of this Bill.

3 p.m.

I first want to put in a plea for the consumer in the licensed areas. It is expected on all hands that the consumer in the licensed areas is paying very much more for the power that he consumes than the consumer outside those areas. This Bill in clause 5 seeks to come to the aid of such a consumer by making it obligatory on the part of the licensee before he passes on the burden to the consumer in the licensed area to come to the Government for their approval and that approval may be given unconditionally or may be given conditionally or may not be given at all. But, Sir, as I stated before, to me this safeguard appears to be illusory. It is my humble submission that it is not going to help because under the Indian Electricity Act there is a right vested in the licensee that he can demand and he can make profits to the extent of 5½ per cent on his capital base, as specified in the Act, and if he is making anything less, it is within his power to increase the rate charged from the consumer. It is because of the exercise of this right that the consumer's rates in the licensed areas are higher than those charged outside these areas.

Sir, I still do not see as to how clause 5 of the Bill is going to abridge or to curtail that right when it is conferred by legislation passed by the Central Legislature. I have given a great deal of thought to it and still I am not convinced that clause 5 will really operate in such a manner as to safeguard the interests of the consumers in the licensed areas. I am not convinced at all because when that right has been conferred by the Central Legislature what will clause 5 of this Act do ? We are only deriving a false sense of satisfaction by inserting this clause. I would only suggest that at the time of implementation, a serious thought may be given to the rates of electricity in the licensed areas. In this connection I have a concrete suggestion to make and Government may give thought to it and that is that supply to the licensees might be given at the rate at which the sub-stations are being charged. I believe that it carries an overall maximum of 9½ pies as against an overall maximum of 15 pies in respect of grid rates.

The second point is that once again I draw the attention of the Government to the power that they are taking by including the Delhi State Electricity Board. It has been explained that territorial nexus exists in this matter. I may briefly state the point which might be examined by the Law Department and that is that, after all, the supply of the electricity can be divided into three parts, viz., generation, transmission and actual supply. If you tax generation, then you are taxing yourself. If you tax transmission, you are again taxing yourself. Supply consists of sale and purchase. If you tax sale, you are again taxing yourself. So it is only the question of purchase which will fasten the burden of taxation on the Delhi Government or on the Delhi State Electricity Board, whatever it is called. If the purchase takes place outside your territory—if that act takes place in Delhi, the point of supply—the mode of metering cannot be altered because it is determined under the Indian Electricity Act. It is undoubtedly what it is. The meter is there ; the supply is there. Therefore, I respectfully draw the attention of the Government to this point and request them to examine it, otherwise they may lose all this revenue.

The third point that should be considered at the time of implementation is this. Clause 12 which gives to Government the power to grant exemptions has raised a lot of controversy. It is again a ticklish point. Where a piece of legislation gives power to Government to exempt a certain person or a class of persons, the entire legislation cannot be attacked on that ground. Where the power exists to exempt, that may well be held to be a discriminatory piece of legislation. That this power is never exercised is quite another matter. To some extent, it is saved by sub-clause (vii) of the Memorandum which reads like this—

> "(vii) to exempt any licensee, consumer or person from the payment of duty in public interest for such period and subject to such conditions as may be specified".

I would only advise the Government to be very specific about the type of conditions that are likely to attract exemptions from the Act and to put them down in the rules because otherwise it may leave certain doubts and may attract litigation so on and so forth. I would submit that the conferment of a privilege is quite different in law from exemption from the operation of a tax. Government may have discretion to confer a privilege, make appointments etc., but in the matter of granting exemptions from the operation of a tax one should be very careful. So I would only suggest that the lines on which these exemptions are to operate be specified as far as possible when the rules are framed.

Thank you, Sir.

श्री लाल चन्द : जनाब स्पीकर साहिब, हम को भी बोलने के लिये time मिलना चाहिए। हम तो इस Bill पर बोले हो नहीं हैं । बराए मेहरबानी हमारी तरफ भी ख्याल रखें। ऐसे हालात में किसी party का सवाल पैदा नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को accommodate करने की कोशिश करता हूं। लेकिन बात यह है कि Bills की clauses पर कई मेम्बरान की amendments आ जाती हैं इस लिये उन को time देना ही पड़ता है। (I try to accommodate all the hon. Members. But the thing is that when notice of amendments to the various clauses of Bills is given by some hon. Members, they have to be given time to speak on them.)

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ (ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੋਈ repetition ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਦੋ ਚਾਰ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੋਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਖੋਹਣਾ ਹੈ । ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਣਾ ਰੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀ education ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ free education ਦਾ ਬੜਾ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ । ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪਲਾਨ ਲਈ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ । ਮੈਂ ਏਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ free ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਵੀਂ ਔਰ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 20 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹਨ । ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ free ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ admit ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ? ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਿਆਂ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ free education ਦੀ ਫੋਕੀ slogan ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫੇਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਉ । ਪਰ ਇਸ compulsory education ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ । ਮੇਰੇ socialist ਭਾਈ free and compulsory education ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੋ institu-

tions ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਤਾਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ free education ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ free education, free education ਦਾ ਪੋਲਾ ਨਾਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ........

Chief Minister : Sir, is that relevant ?

Mr. Speaker : In the Statement of Objects and Reasons, it is stated that additional financial burdens are being undertaken by the State on account of introduction of free education and provincialization of local bodies' schools. This has necessitated the levy of an electricity duty as a part of the education cess and, therefore, this Bill has been brought forward.

As far as the stage of third reading of the Bill is concerned, only suggestions regarding the manner and method of its implementation can be made at that stage.

ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ education cess ਹੈ ਅਤੇ free education ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੁਪਿਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਉ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ necessities of life ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ electricity ਵੀ necessity of life ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ necessities of life ਨੂੰ tax ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਨਾਂਸ ਮਨਿਸਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ taxation ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਖਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ necessities of life ਤੇ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਲੈਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Taxation ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿਚਲੇ ਉਪਰਲੇ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ socialistic pattern ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ socialistic pattern ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 units ਦੀ limit ਰਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ limit ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਉਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ consumption 15 Units ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 40 ਵਾਟ ਦਾ ਇਕ ਬਲਬ ਜੇਕਰ 6 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 units ਬਿਜਲੀ ਦੀ consumption ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ radio lamps ਦੀ consumption ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ voltage 40 watts ਹੀ ਹੋਵੇ। Phillips ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ

[ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ]

lamps ਦੀ consumption ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ lamps ਦੇ makes ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ consumption ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 units consumption ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ consumption ਦੀ limit ਰਖੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 15 units ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ normal consumption ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦੀ ਬਜਾਏ 30 units ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਉਗੇ ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਗੇ। ਇਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਹਰੀਜਨ ਜੋ ਜੁਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ consumption, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਕ ਬਲਬ ਬਾਲੇ ਤਾਂ 15 units ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ electrician ਨੂੰ consult ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ verify ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਬਲਬ ਦੀ consumption ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 units ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.........

चौधरी बालू राम : यह क्यों पूछें ; इनको तो मुफ्त मिलती है । (*noise*)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ point ਤੇ ਕਿਸੇ electrician ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਲਾਜ਼ 11 ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ prosecution launch ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ complaint ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਕੀ procedure ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ delegation of powers ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ Act ਵਿਚ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ lacuna ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ section ਵਿਚ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ rules frame ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਰਾਂਗੇ—rules to be framed thereunder. ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ clauses ਵਿਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ powers ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ rules making ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ rules ਬਣਾ ਕੇ next session ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੀ approval ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਉ। ਉਸ

ਵਲੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਉ । ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ assurance ਦਿਉ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ next session ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਵਿਚ approval ਲਈ ਰਖੋਗੇ ਤਾਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ point out ਕਰ ਸਕੀਏ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਜੋ powers ਤੁਹਾਨੂੰ delegate ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬੇਸ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ assurance ਦਿਉ ਕਿ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੋਗੇ.........

Chief Minister : No, that will not be done.

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਗੇ । ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। (*loud noise and interruptions*)

चौधरी धर्म सिंह राठी : यह नहीं होंगे (*noise*)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਜੋ ਖਦਸ਼ਾਤ ਇਸ ਕਲਾਜ਼ 11 ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਥੇ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਰੂਲਜ਼ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ....

ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ । (*noise*)

ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ : ਮੈਂ ਮੁਖ ਮੰਤ੍ਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ । ਇਹ ਹੱਕ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ interruptions ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਮੁਤੱਲਿਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ above board ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ approval ਲਈ ਰੱਖੇ ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ bills ਦੀ payment ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਕੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਲਾਜ਼ 8 ਤੁਸੀਂ bills ਦੀ payment ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ evade ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ prosecution ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ time ਦੇ ਅੰਦਰ bill ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ evasion ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ

[ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ]

evasion ਦਾ word define ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ evasion ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ criteria ਹੈ । ਇਹ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ sweet will ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ notice ਦੇ ਦਿਉ ਕਿ evasion ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ evasion ਦਾ word ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ explained ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'or by other means'। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ by other means ਨਾਲ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰਨ ਅਤੇ evasion ਦਾ case ਬਣਾ ਲੈਣ । ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ bills ਦੀ payment ਲਈ ਬੜੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ 50 bills ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ । ਉਹ ਗਿਆ ਪਰ counter ਤੇ bills refuse ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ bills ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ । ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ prevail upon ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ । ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ law ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ refuse ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ payment accept ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਇਕ bill ਹੀ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਇਕ ਇਕ bill ਲਿਆਉ ਤੇ ਦਿਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ penalty ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ prosecution ਵੀ ਕਰੋਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ordinary consumer ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ evasion ਦੀ definition ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ evade ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ notice ਦੇ ਦਿਤਾ । ਇਹ ਚੰਦ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ Minister concerned ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ assurance ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : स्पीकर साहिब, यह जो बिल पास किया जा रहा है मैं इस की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। सब से पहले मैं यह कहूंगा कि यह बिल सरमाएदाराना ज़हनियत का मज़हर है और यह बात मैं इस लिये कहता हूं कि इस से इस तरह की बू आती है। जिस तरीके से एक सरमाएदार पहले labour को exploit करता है और फिर बाद में उस exploitation को पवित्र बनाने के लिये मन्दिर या धर्मशाला बना देता है ठीक उसी तरह से यह बिल आया है । पहले जो एक

आदमी रौशनी को ज़िन्दगी की ज़रूरी चीज़ समझता है उस पर टैक्स लगाया जाता है और दूसरी ज़रूरियाते ज़िन्दगी पर यह टैक्स लगाते हैं और साथ में यह education का नाम जोड़ दिया कि उस पर खर्च कर रहे हैं यानी लोगों की ज़रूरियाते ज़िन्दगी को भी टैक्स लगाने के बाद यह education को मन्दिर या धर्मशाला के रूप में साथ लगा दिया। (हंसी) मैं कहता हूं कि यह गलत नीति है। मैं पूछता हूं कि क्या यही एक source रह गया था? आज तक इस बात की बाबत एतराज़ होता रहा कि इस के ऊपर क्यों टैक्स लगाते हैं, दूसरे sources क्यों tap नहीं करते हैं। आखिर taxation की policy ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस से गरीबों की ज़रूरियाते ज़िन्दगी पर टैक्स लगे। मैं समझता हूं कि सब से बड़ी ज़रूरत यह है कि दूसरे पांच साला प्लान को कामयाब बनाएं। Free education के बारे में constitution में directive तो है लेकिन मैं समझता हूं कि यह दूसरे प्लान का हिस्सा नहीं है और न ही यह स्कीम उस के अन्दर मौजूद है। इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि सैकंड फाइव इयर प्लान का नाम ले कर इस तरह से टैक्स लगाते जाना ठीक नहीं।

Chief Minister : You cannot criticise that. It has already been passed by this House.

Shri Inder Singh : I am not criticising that.

Kanwarani Jagdish Kaur : Sir, why is the Chief Minister interrupting the hon. Member ?

Mr. Speaker : I am attentive to that.

Kanwarani Jagdish Kaur : Sir, I would like to know whether the Chief Minister is the Speaker of the Assembly. Why does he interrupt so much ?

Mr. Speaker : I know it better. Please do not interrupt the Member.

श्री इन्द्र सिंह : तो, जनाब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि आखिर हमारी यह पालिसी टैक्सेशन के बारे में होनी चाहिये। मैं इस के मुतअल्लिक यकीन दिलाता हूं कि हम टैक्सेशन के खिलाफ़ नहीं लेकिन जिस ढंग से लोगों पर burden डाला जा रहा है वह ठीक नहीं। दर असल बात यह है कि आमदन के जो resources हैं उन को tap नहीं किया जाता और टैक्स इस तरीके से लगाये जा रहे हैं कि उन का burden common man पर पड़ता है। नतीजा यह होता है कि resentment होती है। यही वजह है कि आज चारों तरफ से इस की मुखालफत हो रही है। हाउस में जितनी मुखालफत इस बिल की हुई है उतनी और किसी की नहीं हुई। अनाज और दाल के मुतअल्लिक जो बिल था उस पर भी इतनी मुखालफत नहीं हुई थी और उस की सरदार अजमेर सिंह ने हिमायत की थी। लेकिन इस की किसी ने भी हिमायत नहीं की। इस से अन्दाज़ा लग जाता है कि यह कितना popular बिल है और हमारी टैक्सेशन की पालिसी कितनी popular है। मैं समझता हूं कि इस के नज़रिया को बदलना चाहिए न कि बार बार लोगों की criticism invite करनी चाहिए। और ऐसी नीति बनानी

[श्री इन्द्र सिंह]

चाहिए जिस से हमारी टैक्ससेशन की पालिसी popular हो। सैकंड फाइव इयर प्लान को ज़रूर कामयाब बनाएं लेकिन इस का burden common man के ऊपर न डालें। पहले 15 यूनिट बिजली common man ने इस्तेमाल करनी होती है लेकिन उस पर इन्होंने 10 प्रतिशत और डाल दिया है। इन का socialism ऊपर से शुरू होता है। यानी 15 से 40 यूनिट तक दो आने यूनिट हैं क्योंकि वे ज़्यादा consume करते हैं, लेकिन उन पर इन्होंने 25 प्रतिशत duty लगाई है और जो गरीब आदमी है, common man है उस पर 10 प्रतिशत डाल दिया है। यह जो ऊपर से फायदा पहुंचाने की नीति है इस में fundamental change लाना चाहिए। इतनी बात अर्ज़ करते हुए मैं यह अर्ज़ करूंगा कि हमारे पास दूसरे resources भी हैं उन को क्यों tap नहीं दिया जाता। Nationalisation of transport के बारे में हाउस में कई बार सवाल उठाया जा चुका है। उन को nationalize क्यों नहीं किया जाता un-productive schemes पर क्यों खर्च किया जाता है? एक तरफ़ महलों पर रुपया खर्च किया जा रहा है और दूसरी तरफ़ उन्हें बेचा जा रहा है, इस तरह unsystematic और unplanned तरीके से रुपया खर्च किया जा रहा है। इस से लोगों को relief नहीं मिलता बल्कि उलटा लोगों पर burden डाला जा रहा है। गवर्नमेंट की पालिसी ऐसी होनी चाहिये कि रुपया productive कामों पर खर्च हो। लेकिन इस गवर्नमेंट की पालिसी common man को कुचलने की पालिसी है। मैं यह समझता हूं कि यह ग़लत पालिसी है। इन अलफ़ाज के साथ मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ final stage ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ Cabinet ਵਿਚ education cess phobia ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। (Please say something new.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੋਰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਗਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਨੂੰ popular ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਹ ਪਿਲਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ......

(ਇਕ ਆਵਾਜ਼ : ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਥੇ ਹੋ ?)

ਰਾਣੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ : ਜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈਂ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਗੇ ?

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ੳ ਛੱਡ ਯਾਰ । (*Loud laughter*)

Chief Minister : Please withdraw that word.

Minister for Finance : This is unparliamentary. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order please.

Minister for Finance : On a point of Order, Sir. He has uttered an unparliamentary word and he should be asked to withdraw it.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛ ਤਾਂ ਲਉ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : "ਯਾਰ" (yaar.)

Kanwarani Jagdish Kaur : He never said this to me.

Mr. Speaker : (To Chaudhri Balbir Singh) I think you were under the impression that some body else was speaking behind you.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਹੋਰੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ practice ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ point of order raise ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ tap ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ incentive ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਨੇ ਇਕ instance quote ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਟੀਕਲ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ clarification ਜਾਂ explanation ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ treat ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।

Mr. Speaker : No such references please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ cold storage ਵਿਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहब, जहां तक electricity पर duty लगाने का सवाल है पहिले भी मैं कह चुका हूं कि यह इनकम का recognised source है, और यही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

लगा हुआ है। बार बार यह कहा जाना ठीक नहीं कि education के बहाने टैक्स लगाये जा रहे हैं, यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है। लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि स्टेट की डिवैलपमेंट के लिये, education को free करने के लिये उनको provincialise करने के लिए एक बड़ी भारी रकम की जरूरत थी। जहां और जराए अख्तियार किये गये हैं वहां यह ज़रिया भी अख्तियार किया गया है। इस लिए legitimate तौर पर कोई ज्यादा incidence नहीं पड़ रहा जिसे unbearable कहा जा सके। Third reading stage में भी वह बातें दोहराई गई हैं जिन का ज़िक्र इस वक्त नहीं किया जा सकता था। मेरे लायक दोस्त श्री डी. डी. पुरी ने फिर देहली को बिजली दिये जाने का ज़िक्र कर दिया। मैं ने उन्हें पहले भी अर्ज की थी कि इस मामले को मैं ने examine कराया था और हमें राये मिली कि यह वसूली हो सकती है, यह duty लगाई जा सकती है। अगर इस में कोई बाद अज़ां दिक्कत आयेगी तो देखेंगे और examine करेंगे। इस वक्त हमारे पास इस के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं है जिस की बिना पर ऐसा कहा जा सके। इस लिये उन्होंने इसी बात को दोहराया था और किसी नई बात का ज़िक्र नहीं किया। जब rules बनेंगे और इस कानून को अमल में लाया जायेगा तो ऐसी बातों को ज़रूर मद्दे नज़र रखेंगे जिन से hardship पैदा होती हो।

फिर, स्पीकर साहिब, श्री सभरवाल जी की तरफ से कुछ एतराज़ किये गये और कहा कि जब रूल्ज़ बनाये जायें तो उन्हें दोबारा हाउस के सामने पेश किया जाये। यह एक अनोखी सी बात है। जो rule बनाने हैं उन के मुतअल्लिक memorandum में सब कुछ दर्ज किया गया है। उसी के अंदर रह कर इस ऐक्ट की working के rules बनने हैं। फिर मुझे समझ में नहीं आता कि इस बात पर क्यों ज़ोर दिया गया है।

Mr. Speaker : The procedure is that when these rules will be framed they will come before the Committee on Subordinate Legislation and will be laid on the Table of the House.

Minister for Irrigation and Power : They will not be discussed, I think.

Mr. Speaker : Yes, they will not be discussed.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : फिर यह कहा गया कि गवर्नमैण्ट सरमायादाराना तरीके से काम कर रही है और सोचती भी उसी ढंग से है। उन्होंने इस बिल में जो duty की structure दी गई है उसे देखने की कोशिश नहीं की और इस की तरदीद कर रहे हैं। हम ने tarrif को touch नहीं किया, rates को revise नहीं किया। यह तो एक duty है जो electricity की consumption पर लगाई जा रही है। और इस में इस बात का ख्याल रखा गया है जिस का चौधरी इन्द्र सिंह ने बड़े शद्दो मद से ज़िक्र किया। इस बिल में इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है कि जो ज्यादा consume करने वाले हैं उन पर ज्यादा duty लगेगी, जो थोड़ा consume करने वाले हैं उन पर कम duty लगेगी।

Exemption के मुतग्रल्लिक मैं पहले कह चुका हूं कि exemption public interest को मद्दे नज़र रखते हुए hard cases में दी जायेगी । इन ग्रलफाज़ के साथ मैं हाउस से request करूंगा कि इस बिल को amended शक्ल में पास किया जाये ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Electricity (Duty) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB BETTERMENT CHARGES AND ACREAGE RATES (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

जनाबे ग्राली, merger से पहले Irrigation Department के मुतग्रल्लिक कुछ कानून Pepsu में रायज थे ग्रौर कुछ पंजाब में रायज थे । Unification of laws की पालिसी के तहत बाकी के laws तो unify हो चुके हैं लेकिन erstwhile पंजाब के ग्रंदर The Punjab betterment charges and Acreage Rates Act, 1952 से लागू है ग्रौर The Pepsu Betterment Charges and Acreage Rates Act 1954 erstwhile Pepsu torritory में लागू है । इस बिल का, जो इस वक्त हाउस के सामने पेश किया जा रहा है, एक ही मकसद है ग्रौर मैं समझता हूं कि वह निहायत जरूरी मकसद है कि इस नई state के ग्रंदर इस किस्म के क्वानीन जो हर खासो ग्राम पर लागू होने हैं वह एक किस्म के हों । चुनांचि ग्रब ग्रगर यह दो किस्म के ग्रलहदा २ कानून लागू रहें तो मैं समझता हूं कि इस में discrimination होगी । इस discrimination को दूर करने के लिये यह बिल इस हाउस में पेश किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि यह बिल एक non-controversial सा बिल है । इस पर दो रायें नहीं होंगी कि जो पंजाब का कानून है वह साबका Pepsu के इलाके पर भी लागू होना चाहिये । मैं समझता हूं कि इस बात का ख्याल रखते हुए ग्रौर ज़्यादा वक्त न लेते हुए हाउस इस बिल को consider करेगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : माहेतरिम स्पीकर साहिब, ग्रसूली तौर पर यह बात दुरुस्त है कि जब पैप्सू ग्रौर पंजाब एक हो गये हैं तो कानून भी uniform होना चाहियें । लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह चीज़ जो ग्रमल में लाई जा रही है वह इतनी

[श्री इन्द्र सिंह]

आसान नहीं जितनी कि वज़ीर साहिब ने हाउस के सामने बड़ी सादगी के साथ ज़ाहिर करने की कोशिश की। स्पीकर साहिब, जब betterment levy का कानून पास हुआ तो पहले शुरु में 105 लाख रुपया लागत वसूल करनी थी और इस को 30 किश्तों में वसूल किया जाना था। अब amendment करने के बाद 105 लाख की बजाए 150 लाख वसूल किया जाना है वह भी 30 किश्तों की बजाए 20 किश्तों में। ज़ाहिर है कि जो रकम पहले 105 लाख थी अब 150 लाख बना दी गई है और किश्तों की तादाद भी कम कर दी गई है जिस में किसानों पर ज़्यादा बोझ डाला गया है। उस वक्त विश्वास दिलाया गया था कि 105 लाख रुपया बतौर betterment charges के किसानों से वसूल किया जायेगा। इस का 60 per cent बोझ किसानों पर पड़ेगा और 40 per cent electricity इस्तेमाल करने वालों पर पड़ेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि सारे का सारा बोझ किसानों पर डाला जा रहा है और electric consume करने वालों पर नहीं पड़ा।

Chief Minister : How do you deduce that ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : Objections consider होंगे। यह मामला भी ज़ेरे ग़ौर है कि बिजली पर कितना बोझ डाला जाये।

श्री इन्द्र सिंह : जनाबे आली, शायद मैं यह नहीं समझा। अगर मुझे गलत फहमी हो तो मैं अपने आप को दरुस्त करने के लिये तैयार हूं। मैं उन आदमियों में से नहीं हूं जो न मानें। लेकिन Demand notice का मतलब यह होता है कि betterment की यह रकम वसूल की जाएगी। गलती के मुतअल्लिक एतराज़ हो तो पास की जाए। लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि वह रकम 150 करोड़ नहीं। जो provision है, यह assurance उस वक्त किसानों को दी गई थी कि 40 प्रतिशत रकम electricity consume करने वालों पर पड़ेगी। जब तक किसानों की तसल्ली के लिए assurance नहीं दी जाएगी, demand notices भेजने पर एक बड़ी भारी बेचैनी फैली हुई है।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : यह assurance दे दी गई है।

श्री इन्द्र सिंह : नहीं दी गई। हमारे notice में नहीं आई। अगर आज दी गई हो तो पता नहीं। जो Pepsu के कानून में 30 किश्तें हैं उस के लगाने की एक stage दी गई है और वह stage किसानों को relief देती है। वह stage यह है कि जब किसानों को actually पानी पहुंचेगा तो उस वक्त इस की realisation होगी। पंजाब के कानून में यह provision नहीं। तो Pepsu का कानून अगर उसी तरह रहे तो अच्छा है। मगर पंजाब का कानून ही लगाते हैं। जो Pepsu का कानून अच्छा होता है उसे लगाने की कोशिश नहीं करते। मिसाल के तौर पर Pepsu की tenancy legislation progressive है। उस को लागू नहीं करते। पंजाब की tenancy legislation पंजाब में लागू की है और Pepsu की Pepsu में, क्योंकि पंजाब की reactionary

है और किसानों के खिलाफ जाती है । और किश्तें घटा दी हैं । और अब चाहते हैं कि इस को लागू कर दिया जाए और जो Pepsu के किसानों को benefit मिला हुआ है वह न रहे । मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि Pepsu की legislation इस तरह खत्म नहीं कर देनी चाहिए । Pepsu और पंजाब का इलाका एक कर दिया गया है तो जो Pepsu के अच्छे कानून हैं वे जरूर लागू करने चाहिएं । यह नहीं समझना चाहिए कि Pepsu की यह considered legislation नहीं या यह कि वह किसानों के हक में जाती थी । यह uniformity of laws या application of Punjab Laws होता है कि Pepsu State निचले दर्जे की थी और एक यह कि Pepsu पंजाब के अंदर merge कर दिया गया है और दोनों States को integrate नहीं किया गया । यह जहनियत आती है । इस से यह असर पड़ता है कि एक class को या कुछ लोगों को फायदा होता है, उस को खत्म कर दिया है और उन्हें मौका नहीं दिया जाता । यह गलत बात है । मैं समझता हूं कि आज जब कि किसान इस बात के लिए तैयार हैं, Action Committee बन चुकी है, इस बात का फैसला करना है । यह गलत है कि Pepsu के लोगों पर पंजाब का भद्दा कानून थोप दिया जाए जिस से कि वहां के किसान फायदा न उठा सकें । जो पानी भाखड़ा नंगल से आता है, जिस किसान को उस से फायदा पहुंचता है उस से recovery होनी चाहिए । Pepsu का कानून यह कहता है । Position सामने है । जो Betterment charges का Bill लाया गया है उस से फायदा न हो; ख्याल यह है । पानी की position मैं अर्ज़ करूंगा कि चुंकि यह Bill आ रहा है मैं वाज़ेह तौर पर यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि बार २ यह notice में लाया गया है कि हमें पूरा पानी नहीं मिलता । जींद Sub-Division के बारे में कई दफा इस position को बताया गया है । Minister साहिब के notice में लाया गया । अफसरों के notice में लाया गया । पानी बढ़ा नहीं है, घटा है । Record में पानी ज़्यादा दिखाया गया है, actually field में पानी कम है । इस का मतलब यह है कि जो पानी आता है वह seasonal पानी दिया गया भाखड़ा-नंगल Project से; उस की proper distribution और utility नहीं हुई । जब उस की proper distribution और utility नहीं होती, न ही किसानों को फायदा होता है तो Betterment levy करने का सवाल पैदा नहीं होता । Betterment का मतलब है खुश हैसियती । जब उस की ज़मीन बारानी से अच्छी बनाई गई है और उस का material बहुत ज़्यादा हो गया है तब तो उस की खुश हैसियत है वरना नहीं । इस लिये पहले ही Betterment charges लगा देना ठीक नहीं । जैसे आप किसी hotel में बैठ जाओ तो उसी वक्त आप से 8 फुलकों के पैसे मांग लिये जाएं बेशक बाद में आपने 4 फुलके ही खाने हों, यह ऐसी बात है । 105 करोड़ के project को 150 करोड़ में बदल दिया और 150 करोड़ को 30 किश्तों की बजाए 20 किश्तों में कर दिया । जिस तरह से Agrarian legislation दोनों States में अलग २ लागू है इस को भी उसी तरह से करें । यह रूल जो है इस को पता नहीं इस लिए वहां लागू किया जा रहा है क्योंकि Pepsu का

[श्री इन्द्र सिंह]
कानून far better है, जब कि Betterment charges वसूल करने की बात की जाती है, ऐसी बातें करते हैं और uniformity बनाने का सवाल है। Agrarian Reforms की legislation बनी। उस की implementation नहीं हुई। बहुत से रजवाहों के ऊपर आज तक काम नहीं हुआ। हमारे इलाका में बधाना minor है। चार पांच साल हो गए हैं। अभी तक वहां कुछ नहीं हुआ। अब तो वह Pepsu का हिस्सा नहीं, पंजाब का है। वहां जमीन बेकार है। अगर उस रजवाहे के ऊपर किसी का डंगर चढ़ जाता है तो उस का चालान किया जाता है। यह development हुई है। Betterment हुई ही नहीं। दिक्कतें ज़्यादा हैं। जो Pepsu से थोड़ी बहुत अच्छी legislation मिली है उस को यह uniformity के नाम से छीनना चाहते हैं। अगर यह कानून लागू करना है तो Pepsu का कानून लागू किया जाए, पंजाब का नहीं। इस को इस शकल में किया जाए।

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਟਰਮੇਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ। ਦਰਅਸਲ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ—ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਕਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ capital assests ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, appreciable increase ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਬੇਟਰਮੇਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੌਰਮੇਂਟ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ Agrarian Reforms ਗੌਰਮੇਂਟ ਨੇ carry out ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾ ਜੋ agrarian policies ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ depreciation ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ depreciation ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਵਿਚ off set ਕਰਦਾ ਹੈ। Off set ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ agrarian reforms ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਹ ਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਏਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ betterment charges ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ crisis ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਯਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਟਰਮੇਂਟ ਚਾਰਜ ਲਈ ਗੌਰਮੇਂਟ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਚੈਨਲਜ਼ ਰੇਵਿਨਿਊ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਬੇਟਰਮੇਂਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਰਪਲਸ ਹੈ......

Mr. Speaker : This is not the Levy of Betterment Charges. This is the unification of laws.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਦੀ implementation ਨਾਲ levy ਹੋਣਾ ਹੈ । I am, therefore, relevant.

Mr. Speaker : It is absolutely not relevant.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬੇਟਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਏਕਰੇਜ ਰੇਟਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ levy ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਲੇਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਯਾ ਨਾ ।

Mr. Speaker : The Statement of Objects and Reasons is very clear.

ਸਰਦਾਰ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ : ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜਨਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਏਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਲੇਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਮੈਂ, ਜਨਾਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ।

ਜਿਹੜਾ channel Revenue account ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ Betterment charges ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ surplus revenue ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਹ charges ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : सवाल यह नहीं है कि levy लगाई जाए या न लगाई जाए। सवाल तो uniformity का है।

Mr. Speaker : He is a lawyer Member, but he was irrelevant.

Sardar Sarup Singh : Sir, I submit that I was relevant.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, आज यह जो बिल हाउस के सामने पेश किया गया है, इस का केवल यही अभिप्राय है कि जो पंजाब का बेटरमैंट कानून है उस को पैप्सू पर भी लागू किया जाये। मैं इस बिल की मुखालिफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। स्पीकर साहिब, इस कानून के ज़रिये जो कुछ लोगों के सामने आने वाला है और आज तक जो कुछ उन के सामने रहा है उन दोनों का फर्क देखा जाए तो सिवाये इस के कुछ नहीं है कि वहां के कानून से जो वहां के लोगों को पहले रिलीफ मिला हुआ था उस को छीना जाए और जो पंजाब का कानून पहले ही सख्त था उस कानून को उन की गर्दन पर लागू किया जाए। इस के सिवाये इस कानून का कोई और मनशा नहीं है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि सारे कानून जो हैं वह तमाम स्टेट में एक जैसे लागू हों इस में कोई दो राए नहीं हो सकतीं। लेकिन कौन सा कानून सारे पंजाब के ऊपर लागू किया जाये, इस के बारे में दो राए हो सकती हैं। एक तरफ तो वह कानून है जो कि पहले ही लोगों को ज़्यादा टैक्स करता है, उन को ज़्यादा तकलीफ-देह है और दूसरी तरफ वह कानून है जिस से कि पहले लोगों को रिलीफ मिला हुआ है....

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : स्पीकर साहिब, यह सारी बहस गलतफहमी पर मबनी है।

श्री बलराम दास टंडन : आप ने उस को इजाज़त दे दी।

Mr. Speaker : Any Member has got the right......

Shri Balram Dass Tandon : To speak any time he likes ?

Mr. Speaker : The hon. Member has not got the patience even to hear me. He has got the right to invite the Chair's attention.

Shri Balram Dass Tandon : But Sir, there is some provision in this connection in the Rules.

स्पीकर साहिब, मैं आप से और मिनिस्टर साहिब से यह जानना चाहता हूं कि मैं ने कौनसी इररेलेवेंट बात की है ?

अध्यक्ष महोदय : यह ordinary सा बिल है और आप ने इस के मैरिट्स डिस्कस करने शुरू कर दिये हैं। (This is an ordinary Bill. But the hon. Members have started discussing its merits.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, मुझे अभी तक नहीं बतलाया गया कि मैं ने कौन सी इररेलेवेंट बात की है। मैं तो अभी बता ही रहा था कि यहां पंजाब में कौन सा कानून था, वहां पैप्सू में कौन सा कानून था, इस से कौन सी तकलीफें थीं और उस से कौन सा रिलीफ था। इस में मैं ने कौनसी ज़्यादती की है।

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे तौर पर बात करें कि यूनीफार्मिटी लाने में आप को कौन कौन से इतराज़ात हैं। ((The hon. Member should state in a straightforward manner the objections he has got against bringing about this uniformity.)

श्री बलराम दास टंडन : मैं यही तो कह रहा हूं कि वहां पहले जो कानून है उस से लोगों को क्या क्या सहूलतें हैं और अब नया कानून लागू होने से उन को क्या क्या तकलीफें हो जाएंगी। यही बात मैं आप के सामने रख रहा हूं। मुझे हैरानी है कि इस में मैं ने कौन सी इररेलेवेंट बात की है? नया कानून लगने से उन को जो कुछ देना पड़ेगा वह उस से बहुत ज़्यादा होगा जो कि पहले कानून के मुताबिक उन को देना था। पहले भी जो लैजिसलेशन पास हुए हैं वह भी किसानों पर बड़ा भारी बोझ हैं। जहां तक इस बिल का बेसिक ताल्लुक है बेटरमेंट से, हम बेटरमेंट तो हर एक सफीयर में चाहते हैं। लेकिन जो टैक्स आज कल लग रहे हैं बेटरमेंट करने के लिये उन का तरीका कुछ अजीब सा लग रहा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इस को एक्सटेंड कर के वहां के लोगों पर लागू कर के उन की मुश्किलात को बढ़ाने........

अध्यक्ष महोदय : नया लगाने का सवाल नहीं है। (It is not a question of imposing a new tax.)

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, एक्सटैंड करने का तो सवाल है। पहले जिस कानून से वे गवर्न हो रहे हैं.......

अध्यक्ष महोदय : अगर आप थोड़ी सी तक्लीफ करते और स्टेटमेंट आफ ग्रौबजेक्टस ऐंड रीज़न्ज़। (Statement of Objects and Reasons) को पढ़ लेते तो ऐसा एतराज़ न करते। (Had the hon. Member taken a little more trouble to study the Statement of Objects and Reasons, he would not have raised this objection.)

Shri Balram Dass Tandon : The Statement of Objects and Reasons reads as under :—

> The Punjab Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1952, and the Pepsu Betterment Charges and Acreage Rates Act, 1954, are still in force in the territories of the erstwhile Punjab and Pepsu, respectively. It is considered desirable that in the new Punjab State, there should be one Act governing the levy of betterment charges and acreage rates. This Bill has been designed to achieve the desired object.

Mr. Speaker : But it is not a new tax. It is meant to bring about uniformity.

श्री बलराम दास टंडन : जिन लोगों पर पहले बेटरमेंट चार्जिज़ लगे हुए हैं और अब लगेंगे, इस को वजह से जो फर्क उन के सामने आएगा उस की तरफ मैं वज़ीर साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक और बात जिस की तरफ मैं हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह बड़ी भारी हार्डशिप उन लोगों पर है। उस की तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि यह जो बिल आज यहां पर पेश किया गया है वहां पर एक्सटैंड करने के लिये इस को withdraw करना चाहिये, नहीं तो पंजाब में जो unrest पहले ही से exist कर रही है और लोग पहले ही दो तीन बार इकट्ठे हो चुके हैं, वह तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी इन्टेलीजेंस के ज़रिये ज़रूर इन बातों का पता लग गया होगा क्योंकि उस की सी. आई. डी. भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही है। उस को ज़रूर रिपोर्ट पहुंच चुकी होगी। सरकार को मालूम होगा कि इस के बारे में लोग कितना वावेला कर रहे हैं। अगर पंजाब सरकार ने इस की तरफ ध्यान न दिया और इसे ठीक करने की कोशिश न की तो एक तूफान उठ खड़ा होगा, एक बवंडर उठ खड़ा होगा। अगर पैप्सू में भी इसी कानून को एक्सटैंड किया गया तो मैं समझता हूं कि जो unrest यहां पर प्रीवेल कर रहा है उस के अन्दर और ज़्यादती होगी। मैं समझता हूं कि खासकर जो बात पहले से मिनिस्टर साहिब के ध्यान के अन्दर लाने की कोशिश की गई है और मैं ख्याल करता हूं कि मिनिस्टर साहिब जवाब देते हुए अवश्य इस तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे। जब तक उन लोगों को इस चीज़ से मुनाफा उठाने का मौका नहीं मिलता उस वक्त तक उन लोगों को पहले ही से चार्ज न किया जाए। यह सवाल बड़ा अहम है। एक आदमी को कहा जाए कि हम तुम्हारे घर में वायरिंग कर देते हैं, energy बाद में दी जाएगी लेकिन तुम पैसे पहले ही देने शुरू कर दो। यह बड़े ताज्जुब की बात है। बड़ी अजीब सी बात है। आप के ज़रिये मैं यह खदशात मिनिस्टर साहिब की

[श्री बलराम दास टंडन]
सेवा में रखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि वे इन बातों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस का एक ही तरीका है और वह यह कि पैप्सू का जो खुद का कानून है उस को वहां पर लागू कर दिया जाए और पंजाब के कानून को एक्सटैंड कर के वहां पर लागू न किया जाए, नहीं तो पंजाब के लोग पहले ही से बहुत बेचैन हैं और फिर वे पैप्सू के लोगों से मिल कर मुनज़्ज़म होंगे और जद्दोजहद के लिये उठ खड़े होंगे।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहब, मैं समझता

4-00 p.m.

हूं कि अगर फाज़ल मैम्बर उस कानून को जो इस वक्त पंजाब में रायज है और उस को जो कि इस वक्त पैप्सू में रायज है मुतालिया कर लेते तो हाउस का बहुत सा वक्त बच जाता। न मालूम इन्होंने कहां से फर्ज़ कर लिया है कि पंजाब ऐक्ट पैप्सू में रायज करने से वहां के ज़मींदारों को नुक्सान होगा, उन को जो already relief मिल जाता है, वह शायद उन से छिन जाएगा। न मालूम वह यह बात कहां से लाए हैं। मुझे और भी अफसोस इस लिए हुआ कि चौधरी इन्द्र सिंह, जो कि एक कानूनदान हैं उन की तरफ से यह बात कही गई है........शायद इस लिये कि वह पैप्सू के बहुत बड़े हमदर्द हैं। उन्होंने दो बातें, जनाबे वाला, कहीं हैं। एक तो उन्होंने कहा इक्सात जो पैप्सू में हैं वह लम्बी हैं। जहां तक इक्सात का सवाल है वह शायद यह बात भूल जाते हैं कि यह जो कुछ है यह कर्ज़ा की सूरत में है, जिस पर सूद दर सूद पड़ रहा है। जितनी लम्बी इक्सात होंगी उतनी ही रकम भी ज्यादा होती चली जाएगी और period बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अब वह फर्मा रहे हैं कि इन इक्सात को और भी लम्बा कर दिया जाए। दूसरे इन के दिमाग में यह गलतफहमी है कि पैप्सू में जो ऐक्ट रायज है उस में वह proviso नहीं है जो कि पंजाब में है और यह कि पंजाब ऐक्ट में जो proviso है उस की रू से unproductive portion जो होगा उस पर betterment levy शायद होगी। यह जो पंजाब ऐक्ट में restriction लगाई गई है यह पैप्सू में मौजूद नहीं है और इस restriction से जो कि पंजाब ऐक्ट में proviso की शक्ल में मौजूद है, मैं समझता हूं कि पैप्सू के ज़मींदारों का बोझ बहुत हलका हो जाएगा, बजाए इस के कि बढ़ जाए, जैसा कि यह ख्याल करते हैं। सो यह दो एतराज़ात थे जो कि आपोज़ीशन की तरफ से किए गए और दोनों ही बेबुनियाद हैं। इस लिये मैं जनाब से अर्ज़ करूंगा कि यह बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by Clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3, SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3, sub-clause (1) of Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : I beg to move—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Betterment Charges and Acreage Rates (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE COURT FEES (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introduce the Court Fees (Punjab Amendment) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह बिल्कुल साधारण सा बिल है जिस में सिर्फ एक मांग की गई है और वह यह है कि हमारी कोर्ट फीस की इस वक्त जो figures हैं वह रुपए, आने और पाइयों में हैं। हम उन को decimal coinage में convert करना चाहते हैं। इस के अलावा इस में और कोई नई बात नहीं है। इस लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस में क्योंकि कोई controversy वाली बात नहीं, इस लिये इसे जल्दी consider करके पास कर लिया जाए।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ statement of objects and reasons ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ . . . .

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Chaudhri Balbir Singh : This Bill seeks to convert in decimal coinage the rates of Court Fee which are at present expressed in the old coinage.

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਇਹ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ court fees ਦੇ rates ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ rates ਦੇ schedule ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ decimal coinage ਵਿਚ conversion ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ rates ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ schedule I ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਉ। Proper fee ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ schedule ਵਿਚ 12 ਰੁਪਏ 2 ਆਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ conversion ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਰੁਪਏ 20 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 12 ਰੁਪਏ 12 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 8 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। Object ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਿਰਫ decimal coinage ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ rate ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Table of rates of *ad valorem* fees leviable on institutions of suits ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਛੇ, ਸਤ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। Page 19 ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੁਰਾਣੇ Act ਵਿਚ final ਰਕਮ 6,240 ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਥੇ ਨਵੇਂ Act ਵਿਚ 6,248 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 8 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ "Fixed fees" ਵਿਚ "application or petition" ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਆਨੇ ਸੀ ਹੁਣ 40 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 37 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ 3 ਨਵੇਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੀਂ ਤਾਂ ਅਗੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਥੇ conversion ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਪ ਚਪੀਤੇ ਇਹ rates ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਵਾਜਿਬ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਕਿਧਰੇ ਘਟਾਏ ਵੀ ਹਨ ? (Have they reduced them at any stage?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਨਹੀਂ ਜੀ, ਘਟਾਏ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ figures note ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ justice ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੈ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਕ ordinary petition ਉਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ rates ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜ੍ਹੌਤਰੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦ ਬਿਲ ਦੇ objects and reasons ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ notice ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : स्पीकर साहब, मैं महज़ यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने फरमाया है कि decimal coinage में change कर रहे हैं। उन लोगों

को तो अभी तक नए सिक्कों की महारत ही नहीं हुई । इस लिये इस झमेले में अभी उन को मत डालिए । मैं यह समझता हूं कि जब तक उन को अच्छी तरह से समझ नहीं आ जाती, इस चीज़ को postpone कर दिया जाए । उन को अच्छी महारत हो लेने दो, लोगों को यह decimal coinage समझ लेने दो, उस के बाद इस को तबदील कर लेना । इस वक्त इस झगड़े में डालने से उन को बहुत तकलीफ होगी । इन लफ्ज़ों के साथ मैं इस बिल की मुखालफत करता हूं और यह request करता हूं कि इस को फिलहाल वापस ले लिया जाए ।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of order, Sir. इस बिल की Statement of objects and reasons में तो यह कहा गया है कि इस से रुपये आने और पाइयों को सिर्फ रुपये और नये पैसों में convert किया गया है और इस tax को बढ़ाया नहीं गया लेकिन यहां रुपये की figures में यह आठ २ रुपये बढ़ा दिये गये हैं । Is it correct ?

अध्यक्ष महोदय : आठ आठ रुपये ? (Eight rupees each ?)

श्री बल राम दास टंडन : जी हां, यह आप देखें 6,240 से 6,248 कर दिये गये हैं । क्या यह ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बिल के Objects and reasons से तो यही ज़ाहिर होता है कि जो rate पहले थे वही अब हैं । अगर यह चीज़ ठीक है जो आप बताते हैं तो यह objects and reasons में गलत दिया गया है । (From the objects and reasons of this Bill, it is quite clear that there is no change in the rates, but if it is true what the hon. Member tells then the statement of objects and reasons is not based on facts.)

Shri Balram Das Tondan : Sir, I want your ruling on this point.

वित्त मंत्री : स्पीकर साहिब, figures को round off करने के लिये कहीं कहीं कुछ तबदीली की गई है, वैसे बिल्कुल वही रकमें हैं । जो example इन्होंने quote की है उस में 12 रुपये 2.7 आने tax बनता है । 30 per cent increase जो इस हाउस ने मंज़ूर किया था उसे साथ मिला कर ही यह 12 रुपये 2·7 आने बनता है जिस के लिये 12 रुपये 20 नये पैसे round off कर के कर लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह 30 per cent increase शामल करने के बाद बनता है । (Does this figure come after adding thirty per cent in it ?)

वित्त मंत्री : जी, हां ।

चौधरी बलबीर सिंह : Round off करने का सवाल ही नहीं उठता ?

Minister for Finance : Sir, I am still on my legs and he is interrupting me.

Mr. Speaker : No interruption please.

वित्त मंत्री : मेरे ख्याल में जो 30 per cent increase Court Fee में पीछे हुआ था उस का schedule इन के notice में नहीं आया। उस को शामल कर के सिर्फ इन को नये पैसों में convert कर के figures को round off ही किया गया है। इस में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई।

श्री बलराम दास टंडन : On a point of information, Sir. क्या 6,240 रुपये की बजाये 6,248 रुपये भी round off करने की वजह से किये गये हैं ?

Mr. Speaker : He says 30 per cent has been added to it.

श्री बलराम दास टंडन : यह उस से भी नहीं बनता।

अध्यक्ष महोदय : हिसाब तो सब लगाने वाले हैं, पर इस का ठीक पता फिर भी नहीं लग रहा। (All appear to have good accounting knowledge yet correct figures are not being made available.)

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਦ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ court fee ਨੂੰ decimal coinage ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮਿੰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਹੀ ਦਲੀਲ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੋ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ 15 ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ disposal ਲਈ ਅੱਜ ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕੀ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜ ਇਹ 15 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਉਗੇ ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ court fees ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ decimal coinage ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ court fees ਛਾਇਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ stamps ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਹਮਖਾਹ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ intricated legislation ਲਿਆ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ decimal coinage system ਜਾਰੀ ਹੋਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ Stamp Duty ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ convert ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਗਲ ਦਾ notice ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ session ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

श्री बलराम दास टंडन : स्पीकर साहिब, आप ने मेरे point of order का जवाब अभी नहीं दिया ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ 19 ਸਫੇ ਤੇ 6,040 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 6,048 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ?

चौधरी धर्म सिंह राठी : अगर इस तरीका से बढ़ो है तो ....

Mr. Speaker : No please.

Mr. Speaker : Question is—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2 AND 3

(*No Member rose to speak on Clauses* 2 *and* 3)

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Now Clause 4 is before the House.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਰਾਹੀਂ Finance Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ 30 per cent ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ pagewise figures ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ rate ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ Schedule I ਦੇ ਸਫਾ ਦੋ ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਦੋ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 20.20 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ 8 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸਫੇ ਤੇ 24 ਰੁਪਏ 6 ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 24.40 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਥੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ ਸਫਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । Object ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ court fees ਨੂੰ decimal coinage ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ rate ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਫੇ ਤੇ 10 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 65 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । 11 ਸਫੇ ਤੋਂ ਇਹ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਫਰਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਫੇ ਦੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਇਹ 174 ਰੁਪਏ ਬਾਰ੍ਹ ਆਨੇ ਦੀ ਥਾਂ 174 ਰੁਪਏ ਤੇ 40 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਿਚ 15 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਫਿਰ 19 ਸਫੇ ਤੇ 6,240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ 6,248 ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।ਫਿਰ fixed fees ਵਿਚ applications and petitions ਲਈ 6 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 40 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ 3 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ rate ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ Statement of objects and reasons ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ court fees ਦੇ rates ਨੂੰ ਸਿਰਫ decimal coinage ਵਿਚ convert ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, यह purely cent per cent conversion to decimal coinage है । इस के साथ court fees के rates में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता । (एक आवाज़ यह जो 8 रुपये का फर्क पड़ता है यह भी समझा दें कि यह कैसे पड़ता है ।) यह समझाना मेरा फर्ज़ है इस लिये मैं बताना चाहता हूं कि इस में कोई फर्क नहीं पड़ता । जिस तरह मैं ने पहले अर्ज़ किया था कि कई जगह पर converted रकम को round off किया गया है । इस से कहीं २ नये पैसों में फर्क पड़ा है । जो example Schedule No. I के page 2 पर की दी गई है—

> "When such amount or value exceeds one thousand rupees, for every one hundred rupees, or part thereof, in excess of one thousand rupees, up to five thousand rupees—Twelve rupees twenty naye Paise."

यानी conversion में यह पौने 19 पैसे से कुछ कम बनती थी । इस को round off करने के लिये 20 नये पैसे कर दिया गया है । यह ठीक है कि इस तरह करने के साथ सवा नया पैसा ज़्यादा हो गया है । अगर इस को 20 की बजाये 19 या 18 नये पैसे कर दिया जाता तो इस का मतलब सिवाये to make legislation very awkward के और कुछ न होता । यह 20 पैसे इस चीज़ को avoid करने के लिये किये गये हैं ।

इस लिये राउंड आफ किया गया है, That is only multiplication. For every one thousand rupees एक या डेढ़ पैसा बढ़ गया है । उस की मलटीप्लीकेशन होती जायगी । This is basic rate as given in schedule No. I बाकी यह जो वर्क आउट की है figure this is in accordance with the basic rate given in the schedule उस के लिये लाज़मी तौर पर जो सवा पैसा बढ़ा है राउंड आफ करने के लिये उस की मलटीप्लीकेशन की जाती है । जो इलस्ट्रेशन इन्होंने दी है उस में जो एक हज़ार का सवाल है वह सवा पैसा हर हज़ार के लिये होता जायगा । उस से नैचरली थोड़ी सी इनकरीज़ आ जायगी । That is a natural consequence. So far as the Statement of Objects and Reasons is concerned, that is perfectly correct. There is nothing wrong in that.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : स्पीकर साहिब, जो बात मैं आप के नोटिस में लाया था वह मिनिस्टर साहिब ने सौ फी सदी मान ली है । हर हज़ार रुपए के पीछे सवा पैसा बढ़ता जाएगा और आखिर में फीस 6,240 से बढ़ कर 6,248 हो जाएगी । मगर यह बात स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स ऐंड रीज़न्ज़ में तो लिखो नहीं कि राउंड आफ करने के लिए ऐसा किया गया है । जहां पर साढ़े 18 और पौने 19 पैसे थे वहां पर तो 19 पैसे किए जा सकते हैं क्योंकि यह फिग्र नहीं है और फिर जब कई जगह पर 18 और 19 पैसे की फिग्र रखी गई है तो इस को बढ़ा कर भी नज़दीक की फिग्र कर देते मगर बढ़ा कर एक पैसा ऐडीशनल कर दिया हालांकि इस का इस में ज़िक्र नहीं किया गया कि यह चेंज या बढ़ौतरी की है । और फिर आप के सामने खड़े हो कर कहते हैं कि फिग्र राउंड आफ की हैं । That stands as such and the Minister has accepted it.

Minister for Finance : I have not accepted it.

Mr. Speaker : I have accepted the statement that he has rounded off the figures. That is all.

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULES I AND II

Mr. Speaker : Question is—

That Schedules I and II stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be passed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : **ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੇ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਥੇ** figure **ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।**
(*Interruption by Sardar Umrao Singh.*)

Mr. Speaker : No interruptions please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ coinage **ਬਦਲਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਥੇ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਗੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ।**

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, मैं एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं। फायनैंस मिनिस्टर साहिब शायद हर हालत में अपना प्वांयट कवर करना चाहते हैं। एक छोटी सी बात है। यहां पर इन्होंने 4 आने दिये हुए हैं। सिर्फ इन्हीं आनों को नई कायनेज में बदलने की ज़रूरत थी, सारी रक्म को नहीं। अब जहां रक्म है 10 रुपये 12 आने तो सिर्फ इन 12 आनों को बदलना चाहिए था, सारी रक्म को क्यों बदला गया। यह गलती हिसाब की है और करैक्ट कर लें तो मामूली सी बात थी। मगर बात सिर्फ यह है कि गलती चाहे छोटी सी है मगर न मानने वाली बात है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Court Fees (Punjab Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB LAWS (EXTENSION NO. 4) BILL, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to introduce the Punjab Laws (Extension No. 4) Bill.

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

That the Punjab Laws (Extension No. 4) Bill be taken into consideration at once.

श्री लाल चन्द (जालंधर शहर, उत्तर पूर्व) : जनाब, मुझे इस में एक बात पर बड़ा अफसोस है। मैं यह बात आप के नोटिस में लाना चाहता हूं और आप के ज़रिए सारे हाउस के नोटिस में लाना चाहता हूं। इस के आबजैक्ट्स में दिया हुआ है :

> "With a view to achieving uniformity in the matter of application of laws in the new State of Punjab, some further laws are sought to be extended to the erstwhile Pepsu territory. This Bill represents the fourth instalment of such laws".

यह ऐसा इन्नोसैंट Bill है कि इस पर बोलने की जरूरत नहीं है और मैं भी समझता हूं कि यह बहुत ही इन्नोसेंट बिल है मगर एक बात इस में बहुत बुरी की गई है। इस के एम्ज़ ऐंड आबजैक्ट्स में तो इस बात का कोई ज़िक्र नहीं मगर इन ऐक्ट्स को पेश करते हुए इन में अमैंडमैंट्स भी की हुई हैं। इस का ज़िक्र नहीं। यह एक बहुत ही गलत रास्ता है और बिल्कुल ही अनोखा तरीका इख्तियार किया है। मैं यह चीज़ आप के नोटिस में लाना

चाहता हूं और इस पर बोलना भी चाहता हूं। इन्होंने क्लाज़ चार की सब क्लाज़ दो में दिया है :

"The amendments specified in Schedule I shall be made in the aforesaid enactments"

अब उस में इन्होंने स्पैसिफिक अमैंडमैंट्स की हैं। यह अमैंडमैंट्स एक बड़े ही आसान और भोले तरीके से लाये हैं। करनी तो यूनिफारमिटी थी मगर अफसोस की बात यह है कि हाउस को डार्क में रखा गया है। स्पीकर साहिब, बाकी चीज़ों को छोड़ते हुए सफा सात पर शड्यूल में जो नम्बर 23 पर 'दी पंजाब सिक्युरिटी आफ स्टेट ऐक्ट, 1953' है उस में एक नई क्लाज़ पैदा कर दी है जो आज तक कभी न अंग्रेज़ के वक्त में आई और न किसी और ने की। और यह कड़ी शर्त एक नई अमैंडमेंट की शक्ल में इस में इनक्लूड की गई है। इस में कहते हैं :

"The amendments specified in Schedule I shall be made in the aforesaid enactments."

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हक होगा कि वह किसी भी मीटिंग में पुलिस को प्रोसीडिंग्ज़ रिकार्ड करने के लिये भेज दे और उस के साथ पुलिस ऐसकौर्ट भी दिया जाए। फिर जब यह पुलिस उस मीटिंग में जाए तो मुंतज़िमान की यह ड्यूटी होगी कि वह उन को बैठने के लिये जगह दें यानी यह कहें कि आइए विराजिए, यह आप के लिये आसन लगा है। यह कितनी औफैनसिव क्लाज़ है, यह आप ही देख सकते हैं, चाहे कोई पब्लिक मीटिंग हो या कोई पुलीटिकल मीटिंग हो। पता नहीं यह बात, इस में इनकलूड करने की बात, इन के दिमाग में कहां से आ गई। मुंतज़िमान को उन को आसन देना पड़ेगा। और फिर वह कह सकता है कि मुझे ठीक नहीं सुनता, मैं तो प्रैज़ीडैंट के साथ बैठूंगा तो फिर उन को वहां पर ही उन को बिठाना पड़ेगा। फिर ऐक्सपलेनेशन दिया है, प्राइवेट मीटिंग की डैफीनीशन की है। कोई पुलिस अफसर किसी के घर में जा सकता है और वह मीटिंग प्राइवेट नहीं कनसिडर की जाएगी। यह सारी बातें ऐसी हैं जिन पर मुझे मजबूरी से बोलना पड़ेगा। यह ऐसी बातें नहीं जो आसानी से गुज़र जाएं। इन्होंने जो ऐक्सपलेनेशन दिया है उस में लिखा है कि पब्लिक मीटिंग क्या है :

"The District Magistrate or a Magistrate of the first class authorised in this behalf by the District Magistrate may, by order in writing depute one or more police officers, not below the rank of Head Constable, or other persons to attend any public meeting for the purpose of causing report to be made of the proceedings and may by such order authorise the person so deputed to take with them an escort of police officers......."

Further on—

"*Explanation.*—For the purpose of this section, a public meeting is a meeting which is open to the public, or to any class or portion of the public and a meeting shall be a public meeting not with standing, that it is held in a private place or that admission thereto is restricted by tickets or otherwise".

अध्यक्ष महोदय : इस में एक बड़ी बात की गई है। यहां तो यह पहले ही चलता है, अब तो इस की पैप्सू तक ऐक्सटैंशन होनी है। (There is one important thing in it. These laws are already in force here. Now these are to be extended to Pepsu.)

श्री लाल चन्द : यह चीज़ तो यहां भी नहीं है।

Mr. Speaker : "To provide for the extension of certain laws to the territories which, immediatly before the 1st November, 1956 were comprised in the State of Patiala and East Punjab state Union."

ਚੌਧਰੀ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ amendment ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ Bill ਨੂੰ withdraw ਕਰਨ ਲਈ ।

अध्यक्ष महोदय : आप की amendment वक्त पर नहीं आई । (The hon. Member's amendment was not received in time.)

श्री लाल चन्द : तो, स्पीकर साहिब, इस में जो explanation दी गई है, उस में यह लफ्ज़ दर्ज किए गए हैं —

> "For the purpose of this section, a public meeting is a meeting which is open to the public or to any class or portion of the public and a meeting shall be a public meeting notwithstanding that it is held in a private place or that admission thereto is restricted by tickets or otherwise."

जनाब, स्पीकर साहिब, Punjab Security of State Act, 1953, को आप देखें तो उस में जो amendment propose की गई है after section 7-A उस पर मुझे यह अर्ज़ करना है कि...

Mr. Speaker : It is very difficult to judge the relevancy because th Act is already there and it is only sought to be extended to certain territories.e

श्री लाल चन्द : जनाब, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इन्होंने यह amendment करनी चाही है कि अगर किसी के घर में public meeting होती हो या कोई public या a portion of the public किसी के घर में आए तो इस के बारे में आप ही अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी के चार दोस्त घर पर आ जाते हैं तो उसे portion of the public कहा जाएगा । फिर आगे चल कर class लफ्ज़ लिखा है कि कोई class of public आए तो इस में अगर किसी के घर बिरादरी के लोग इकट्ठे होते हैं या बिरादरी के बारे में कोई झगड़ा निपटाने आते हैं तो वह भी इस class of public की ज़द में आ जाते हैं। तो, स्पीकर साहिब, मैं यह गुज़ारिश करूंगा कि यह जो explanation दी जा रही है यह first time आई है और original enactment में नहीं है जिस enactment की यह extension चाहते हैं । तो यह इस stage पर कैसे आ सकती है ?

Mr. Speaker : It is doubtful whether the merits can be discussed.

श्री लाल चन्द : नहीं, जनाब, मेरी अर्ज़ यह है कि original Act में यह नहीं है। यह तो नई amendment introduce की जा रही है।

Mr. Speaker : "After section 7-A, the following section shall be inserted.."That is what you are refferring to.

Shri Lal Chand : Yes, Sir. It is a new Clause.

Mr. Speaker : I have applied my mind to it. This is altogether a new Clause. I am afraid I cannot allow this new Clause.

Shri Lal Chand : If that is done, then the matter finishes there. Let hem bring an Amending Bill for that purpose.

वित्त मंत्री : स्पीकर साहिब, आप जो ruling दें we bow before that, लेकिन इस तरह का precedent मौजूद है जहां इस तरह की amendments को जो कि ठीक और वाजिब हों carry कर लिया गया हो।

Mr. Speaker : I think this precedent is wrong if it was ever established.

Minister for Finance : It was done here previously.

Mr. Speaker : You are introducing a new Clause in the principal Act without getting the sanction of this House. Under the cover of extending these laws to certain territories, you are adding a new Clause.

Minister for Finance : Sir, it is a different thing whether you allow or you do not allow it but the position of the Government should not be misunderstood. The position is that along with the extension that we seek of these Bills to the erstwhile Pepsu area we have also......

Mr. Speaker : Pandit Ji, I have followed your point. On some previous occasion, a new Clause was introduced in this manner, but it was objected to and the Government gave an undertaking that in future it would not be done they would bring forward an Amending Bill for that purpose. Therefore, I request you to withdraw this Clause.

Minister for Finance : If that is your ruling, I will have to withdraw.... it.

Mr. Speaker : I am sorry I cannot allow it.

Minister for Finance : Sir, if that is your ruling, I have absolutely no hesitation in withdrawing it.

Mr. Speaker : Then please withdraw it.

Minister for Finance : I withdraw it.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Laws (Extension No. 4) Bill be taken into consideration at once

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill Clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (2) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 5 TO 9

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 5 to 9 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SCHEDULES I, II AND III

Mr. Speaker : Now the House will consider Schedules I, II and III.

Sardar Umrao Singh : Sir, I have to say something with regard to these Schedules. I have given notice of some amendments to these Schedules.

Mr. Speaker : It came to me at 4.25 p.m. I am sorry I cannot admit it.

Chaudhri Dasondha Singh (Garhshankar Reserved) : Sir, I beg to move—

SCHEDULE I

Item No. 20 relating to the East Punjab Reclamation of Land Act, 1949, be omitted and subsequent items be renumbered accordingly.

SCHEDULE III

Item No. 18 relating to the Pepsu Reclamation of Land Act, 2009 Bk. be omitted and subsequent items be renumbered accordingly.

जनाब स्पीकर साहिब, जो पंजाब में Reclamation of Land Act है हम वह पैप्सू में भी लागू करने वाले हैं । मगर इस में यह clause नहीं है क्योंकि इस तरह से reclaimed land की कीमत वसूल नहीं की जा सकती । इस लिये मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस बिल को withdraw कर लिया जाये ।

Mr. Speaker : Motions moved—

SCHEDULE I

Item No. 20 relating to the East Punjab Reclamation of Land Act, 1949 be omitted and subsequent items be renumbered accordingly.

SCHEDULE III

Item No. 18 relating to the Pepsu Reclamation of Land Act, 2009 Bk. be omitted and subsequent items be renumbered accordingly.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸ਼ੈਡੂਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਐਸੇ Acts ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ Regional Committee ਨੂੰ refer ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ Acts ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਏਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।

S. No. 18 The East Punjab Conservation of Manure Act, 1949.

S. No. 19 The East Punjab improved Seeds and Seedlings Act, 1949.

ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਹੈ:

The East Punjab Utilization of lands Act, 1949

ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ Acts ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ Regional Committee ਦੇ subjects ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ Regional Committees ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ direct ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਇਸ schedule ਵਿਚ add ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ Assembly ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ case ਪਹਿਲਾਂ Regional Committee ਨੂੰ refer ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ schedule ਵਿਚ ਇਹ add ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

वित्त मंत्री (श्री मोहन लाल) : मैं इस बात से agree करता हूं कि Schedule I में No. 18,19,20 और 22 पर जो Acts हैं, हम separate दे देंगे । इस के साथ ही Schedule III में No. 13, 16, 17 और 18 के Acts को भी separate दे देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर आप amendment लिख कर दे दें । (The hon. Minister for Finance may then give the amendment in writing.)

Minister for Finance : Sir, I beg to move—

> Items Nos. 18, 19, 20 and 22 in Schedule I and corresponding items Nos. 13, 16, 17 and 18 in Schedule III be deleted.

Mr. Speaker : Motion moved—

> Items Nos. 18, 19, 20 and 22 in Schedule I and corresponding items Nos. 13, 16, and 18 in Schedule III be deleted.

Mr. Speaker : This is a consequential amendment. I, therefore, allow it.

Mr. Speaker : Question is—

> Items Nos. 18, 19, 20 and 22 in Schdule I and corresponding items Nos. 13, 16, 17 and 18 in Schedule III be deleted.

The motion was carried.

Mr. Speaker : With the acceptance of this amendment, the amendment of Shri Dasondha Singh has become redundant and therefore it will not be put to the vote of the House.

SCHEDULES I, II AND III

Mr. Speaker : Question is—

That Schedules I, II and III, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause (1) of clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Laws (Extension No. (4) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Laws (Extension No. 4) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Laws (Extension No. 4) Bill, as amended, be passed.

The motion was Carried.

THE PUNJAB PASSENGERS AND GOODS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहिब, यह भी एक बहुत ही मुखतसिर सा बिल है जिस में सिर्फ एक ही मांग रखी गई है। वह यह है कि जब किसी हालत के मुताबिक किसी public carrier को check करना हो तो driver के कबज़े में से उस का चालान करते वक्त Log Book ले ली जाये। यह इख्त्यारात इस Amending Bill के जरिये मिल सके इस लिये यह बिल लाया गया है। यह एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है क्योंकि कई जगह driver लोग गलत ब्यानी करते हैं; Log Book लेनी ज़रूरी हो जाती है। तो यह बड़ी ही मुफीद चीज़ है। House को इसे पास करने के लिये कोई एतराज़ नहीं होना चाहिय।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

(No member rose to speak on any of the clauses or the Title of the Bill).

CLAUSES 2 AND 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) **:** Sir, I beg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be passed.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਕ clarification ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਵਿਚ ਇਹ provision ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ log-book ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ officer ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ misuse ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ log-book ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ log-book ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਲਈ ਫਿਰੱਨ ਤੇ officer ਫੜ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਉ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ Log book ਲੈ ਕੇ officers ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾਕਟਰ ਭਾਗ ਸਿੰਘ (ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਜਨਰਲ): ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਪੁਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ officer log book ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ evidence ਵਿਚ produce ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ driver ਦੀ prosecution ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਉਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਖੱਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।

ਅਰਥ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ) : ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਲਾਗ ਬੁਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ acknowledgement ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ notice ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ action ਲਵਾਂਗੇ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਸ ਹੈ ਜਾਂ assurance ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE INDIAN STAMP (PUNJAB AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to introduce the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill.

Minister for Revenue : Sir, I beg to move—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਸਿਰਫ decimal coinage ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਊਸ ਦੇ members ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

राम्रो गजराज सिंह : क्या Indian decimal coinage के तहत यह बिल redundant नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : Order please.

श्री बल राम दास टंडन : मैं मिनिस्टर साहब से आप के ज़रिये जानना चाहता हूं कि क्या वही बात इस बिल के बारे में है जैसा कि Finance Minister साहिब ने बतलाया था कोर्ट फीस के बारे में 8 रुपये बढ़ाये हैं ? क्या वैसी ही बात इस के अन्दर भी है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप बताइये । (This is for the hon. Member to tell.)

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਇਕੋ ਹੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਬਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

(*No member rose to speak on sub-clauses* (2) *and* (3) *of Clause* 1)

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clauses (2) and (3) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2 AND THE SCHEDULE

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 and the Schedule stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

(*After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said, "I think the Ayes have it. This opinion was challenged and the bells were rung The Speaker again ascertained the votes by voices and thereafter declared the motion carried.*

The motion was declared carried.

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) **:** Sir, I beg to move—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be passed.

श्री बलराम दास टंडन (अमृतसर शहर, पश्चिम) : मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि statement of objects and reasons के अन्दर और जो कुछ बिल के अन्दर provide किया गया है, उस में difference है। और आप ने Ruling दी थी कि difference नहीं होना चाहिये।

Mr. Speaker : No difference has been shown.

Mr. Speaker : Question is—

That the Indian Stamp (Punjab Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB MATERNITY BENEFIT (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Education and Labour (Shri Amar Nath Vidyalankar) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

स्पीकर साहब, Punjab Maternity Benefit Act जो 1943 का बना हुआ है........

श्री इन्द्र सिंह : On a point of order, Sir. जनाब, यह Regional Bill है, इसे Regional Committee के पास भेजा जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : यह वही है जिस पर बड़ा झगड़ा हुआ था। (This is the same bill which was disputed very much.)

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : इस में कुछ amendments इस लिये की गई है क्योंकि 1943 के Act के अन्दर Lady workers के जो benefits हैं उन को बढ़ाना चाहते हैं।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Shri Harbhagwan Maudgil (Ludhiana, North) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1958, be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Shrimati Krishna Sethi, M.L.A;
(2) Comrade Ram Chandra, M.L.A;
(3) Dr. Parmanand, M.L.A;
(4) Shri D.D. Puri, M.L.A;
(5) Dr. Parkash Kaur, Deputy Minister;
(6) Shri Amar Nath Sharma, M.L.A;
(7) Dr. Bhag Singh, M.L.A;
(8) Shri Amar Nath Vidyalankar, Minister; and
(9) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A;

with a direction to report by 31st July, 1958.

चौधरी बलबीर सिंह : इसमें सिर्फ एक ही पार्टी के नुमाइंदे हैं । Opposition की दूसरी और parties के नुमाइंदों का नाम नहीं है ।

Shri Harbhagwan Maudgil : Dr. Bhag Singh is already there.

Mr. Speaker : Please add one more from the Opposition.

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I add the name of Kanwarani Jagdish Kaur.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1958 be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Shrimati Krishna Sethi, M.L.A. ;
(2) Comrade Ram Chandra, M.L.A. ;
(3) Dr. Parmanand, M.L.A. ;
(4) Shri D.D. Puri, M.L.A. ;
(5) Dr. Parkash Kaur, Deputy Minister ;
(6) Shri Amar Nath Sharma M.L.A. ;
(7) Dr. Bhag Singh, M.L.A. ;
(8) Shri Amar Nath Vidyalankar, Minister ;
(9) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A. ; and
(10) Kanwarani Jagdish Kaur

with a direction to report by 31st July, 1958.

Shri Lal Chand : Sir, I want to oppose this motion.

5 00 p. m.

Mr. Speaker : I thought with Kanwarani's inclusion in the Committee you were satisfied.

Shri Lal Chand : Sir, I had made a request to my hon. Friend and it was a very reasonable request. It appears that he is very adamant. So there is no other course open to me except that which I am going to follow.

Shri Harbhagwan Maudgil : Sir, I beg to include two more names— Dr. Baldev Parkash and Shri Roshan Lal.

Mr. Speaker: Yes, I allow this addition.

शिक्षा तथा श्रम मंत्री : स्पीकर साहिब, मुझे कुछ मेंबर साहिबान मिले हैं । वह इस बिल में improvement करना चाहते हैं । मुझे इस में कोई एतराज नहीं । इस लिये मैं इस motion को मंजूर करता हूं ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Maternity Benefit (Amendment) Bill, be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Shrimati Krishna Sethi, M.L.A. ;
(2) Comrade Ram Chandra, M.L.A. ;
(3) Dr. Parmanand, M.L.A. ;
(4) Shri D.D. Puri, M.L.A. ;
(5) Dr. Parkash Kaur, Deputy Minister ;
(6) Shri Amar Nath Sharma, M.L.A. ;

[Mr. Speaker]
(7) Dr. Bhag Singh, M.L.A. ;
(8) Shri Amar Nath Vidyalankar, Minister ;
(9) Shri Harbhagwan Maudgil, M.L.A. ;
(10) Kanwarani Jagdish Kaur, M.L.A. ;
(11) Dr. Baldev Parkash, M.L.A. ; and
(12) Shri Roshan Lal, M.L.A. ;

with a direction to report by 31st July, 1958

The motion was carried

THE PUNJAB DEPARTMENTAL ENQUIRIES (POWERS) (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

जनाब स्पीकर साहिब, यह भी एक साधारण सा बिल है । Police Rules के मातहत जो Departmental Enquiry होती है, उस में Enquiry Officer को किसी witness को summon करने का या कोई document produce कराने का इस वक्त अख्तियार नहीं है । मुझे उम्मीद है कि मैम्बर साहिबान इस बात से इत्तफाक करेंगे कि ऐसी enquiry में किसी witness को summon करना या document produce करना निहायत ज़रूरी चीज़ है। ऐसी provision Punjab Departmental Enquiries (Powers) Act, 1955 में तो है लेकिन जो Police के Rules हैं उस में नहीं है । यह amending bill ला कर हम ने Police Rules में भी यह चीज़ कर दी है । यह Bill Upper House से पास हो चुका है। इस लिये मैं आशा करता हूं कि मेम्बर साहिबान इस Bill को consider कर के पास करेंगे ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

श्री लाल चन्द (जालन्धर शहर उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों को यह ख्याल होगा कि मैं इस Bill की मुखालफत करने के लिये खड़ा हुआ हूं, मगर शायद आज इस समय मैं उन साहिबान की उम्मीद पूरी न कर सकूं। मैं पंडित जी को बधाई देता हूं कि वह यह Bill लाए हैं। Police के जो मुलाज़म हैं उन पर इस Bill के लाने से पहले काफी pressure था । उन के खिलाफ जब enquiry की जाती थी तो वह बड़ी autocratic तरीके से होती थी । इन Rules के लागू हो जाने से उन को अब कुछ relief मिलेगा और इन्साफ मिलेगा । एक बात मैं मिनिस्टर साहिब के notice में लाना चाहता हूं । वह यह है कि Police के जो temporary employees हैं उन को छोटी सी बात पर उन के officers revert कर देते हैं। इस सिलसिले में Supreme Court ने

एक फैसला दिया है। उस में temporary service वाले भी आते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ court की ruling पर भरोसा रखने की बजाए अगर उस parent Act में भी कोई ऐसी provision कर दी जाए तो temporary hands को protection मिल सकती है। इस के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे Chief Minister साहिब जिन का यह Department है वह इस वक्त यहां पर बैठे हुए नहीं है। अगर वह बैठे होते तो अच्छा था। खैर, मैं वह बात हाउस को बता देता हूं। हम सब को यह पता है कि जब Sub-Inspectors of Police, courts में पेश होते हैं तो उन को Magistrates की तरफ से झाड़ें पड़ती हैं और डांट डपट भी होती है। इसी तरह हमारे P.S.Is. जो हैं वह भी Police Uniform में होने की वजह से small feel करते हैं। P.S.Is. or P.Is. police prosecution के lawyers होते हैं। इस लिये Minister साहिब को यह हुक्म दे देना चाहिए कि उन को court hours में lawyers की dress मिल जाए। उस चीज़ का उन पर Healthy effect होगा।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ suggestion ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be taken into consideration.

The motion was carried

CLAUSES 2 AND 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

(*No member rose to speak.*)

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2, Clause 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried

Minister for Finance (Shri Mohan Lal) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers) (Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Departmental Enquiries (Powers)(Amendment) Bill, as passed by the Punjab Legislative Council, be passed.

The motion was carried.

THE NANGAL TOWNSHIP (PERIPHERY) CONTROL BILL, 1958

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) : Sir, I beg to move—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, be taken into consideration at once.

जनाबेआली, यह जो Nangal Township कायम हुआ है इस के मुतअल्लिक पहले यह ख्याल था कि शायद यह एक आर्जी चीज़ हो। लेकिन अब यह मुस्तकिल शक्ल अख्तियार करेगा और एक planned Town होगा। दुनिया के हर गोशे से बड़े से बड़े आदमी भाखड़ा को देखने के लिये आते हैं और वहां पर ठहरते हैं। यह एक बैनुलकुवामी अहमियत की जगह है। इस लिये ऐसे Town के इर्दगिर्द अगर haphazard growth हो तो न सिर्फ उस को यह बदशक्ल बना देती है बल्कि उस में गलाज़त और इस किस्म की दूसरी कई चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इन बातों को in view रखते हुए यह ज़रूरी समझा गया है कि इस Town के इर्द गिर्द जो आबादी खड़ी हो, वह haphazard way में न हो। उस को control करने के लिये यह Bill House में लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह जो इस के अगराज़ो मकासद हैं उन को मद्देनज़र रखते हुए House इस पर ज्यादा बहस करने के बगैर इस को consider करेगा और पास करेगा।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, be taken into consideration at once.

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ (ਊਨਾ) : ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ highly educated ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਜਨੂਬ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਮਾਲ ਤੋਂ ਮਗਰਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨੂਬ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਲੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਂਗੜਾ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪੰਜ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।

ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਮਾਅਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿਚ ਦਸੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 'Deputy Commissioner means the Deputy Commissioner of the Hoshiarpur District'. ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗੜਾ district ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਾ ਡੀ. ਸੀ. ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਖਲ ਉਥੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ appoint ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਭਾਖੜਾ ਬੈਨਉਲਕੁਆਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਮਨਿਸਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੁਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਗਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੰਗਲ ਪਿੰਡ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛਡੋ; ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਸਦਾ ਹਾਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਥੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਸ ਨੰਗਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਨਉਲਕੁਵਾਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ township ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਇਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਗੜ ਦੁਗੜਾ town ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ planned ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। *(At this stage Mr. Deputy Speaker occupiea the Chair.)* ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, 1945 ਤੋਂ ਉਥੇ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ, ਤੁਸੀਂ 1947 ਤੱਕ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਛਡ ਦਿਉ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ visitors ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਣਾ ਲਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੀ ਨੂੰ 8, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ

[ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਤਵਜੁਹ ਦਿਲਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ fertilizer factory ਬਣਨ ਲਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਦੇ 6 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸਾਲਮ ਉਠ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਉਠ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ Nangal Township ਦੀ ਇਕ side ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ award ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ Senior Sub-Judge ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਣ ਲਈ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਬਿਲ ਲੈ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ visitors ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚੇ ਖੁਚੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ compensation ਘਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ design ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਕਿ ਜੋ 6,7 ਪਿੰਡ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੋਹਣੇ designs ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 35, 40 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ nominal ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਕਿ ਲੋਕ ਮਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਣ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6, 7 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 6, 7 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ

ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ factory ਦਿਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਹ argument ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ designs ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ । ਫੇਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ fertilizer factory ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ workers ਲਈ, ਕਲਰਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ factory ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਮਿਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ by-products ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ factory ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ workers ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ by-products ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਜੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਲਭਣਗੇ । ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿਉਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਫਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ । ਇਹ ਬੜੇ ਹਨ੍ਹੇਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੰਝ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਫੋਜੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹਨ ਤੇ ਛੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ । ਫੇਰ ਜੋ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ । ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਹਨ੍ਹੇਰ ਹੈ । ਮਕਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ $2\frac{1}{2}$ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ 500 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੇਰ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ

[ਪੰਡਿਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ]

ਫੇਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ sense ਹੈ ? (ਹਾਸਾ) ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮਕਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਕ ਖੜਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹਣ ਦਾ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਢਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ argument ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕੱਢ ਲੈਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਹਨ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ flush ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਨਵੇਂ designs ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ instalments ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕ ਹੱਥ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਅਮੈਂਡਮਿੰਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 'ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸੋ ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦਾ area ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ lawyer ਵੀ ਹਨ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਮੀਲ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ foreign country ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਔਰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੜ੍ਹ ਲਉ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਔਰ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ amendment ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਥਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ fertilizer factory ਊਨਾ ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦਾ area ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਬੀਤ ਤਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹ ਮਕਾਮੀ

ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ; ਪੰਜ ਮੀਲ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਲਕੀਰ ਦਾ ਫ਼ਕੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜ ਮੀਲ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੀਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਆਇਤ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੁਅਦਬਾਨਾ request ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਬਿਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਖਤਿਆਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ civic rights ਦੇ ਕੇ ਉਥੇ ਇਕ elected body ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਥੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤਗਾਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ resources ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਬਕਾਇਦਾ overseers ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਕੇ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ authorise ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ area ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ tedious method ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ resources ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ market ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਈ area ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਇਆ ਉਥੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਖੋਖੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਥੇ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰੌਣਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਗੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਉਥੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ powers ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

support ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ consider ਕਰੇ ਔਰ ਵਾਢਿਆ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜ਼ਨਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਕੀ ਸਲੂਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਏਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ ਤਾਂ ਦੋ ਸਲੂਣੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਖਾਵੰਦ ਉਸ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਛਾਹ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਦੋ ਸਲੂਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਏਂ, ਤੂੰ ਘਰ ਉਜਾੜਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਛਣ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਲੂਣੇ ਇਕ ਅਚਾਰ ਦੂਜੇ ਲੱਸੀ ਵਿਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। (*Laughter*) ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਅਚਾਰ ਔਰ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਲੂਣਾ afford ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਕਿ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਉਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਕਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, इस बिल पर ग़ौर करते हुए मेरे फ़ाज़िल दोस्त कामरेड राम किशन की तरफ़ से कुछ खदशे और एतराज़ ज़ाहिर किये गये हैं। एक तो उन्होंने कहा कि 5,5 मील का area इस में लिया गया है और इस बात का ख्याल नहीं रखा गया कि इस में एक ज़िले के अलावा कई ज़िले लगते हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश का इलाका लगता है। इस में कोई शक नहीं कि Periphery में पांच मील का इलाका लिया गया है लेकिन अगर वह इस बिल की क्लाज़ 3(1) को देखेंगे तो उस में यह नहीं कि यह कानून बन जाने के बाद यकलख्त उस पांच मील के area पर हावी हो जायेगा बल्कि क्लाज़ 3(1) के मातहत State Government Official Gazette में declare करेगी कि इस के कौन २ से हिस्से पर इस ऐक्ट की provisions को लागु करना है। यह ज़रूरी नहीं कि उस सारे area पर जो पांच मील का है यकलख्त हावी कर दिया जाये।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਭੇਟਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ electric ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जनाबे आली, यह जो बिल हाउस के सामने पेश है Nangal Buildings के मुतअल्लिक नहीं, Nangal Township के मुतअल्लिक है। यह अलफ़ाज़ उन्होंने मुलाहज़ा नहीं फरमाए। यह बात पहली दफ़ा मेरे नोटिस में

आई है। मुझे पता नहीं कि बिजली गई है या नहीं गई। बिल के पास हो जाने के बाद इन गांव को भी फायदा पहुंच जायेगा।

दूसरी बात उन की तरफ से कही गई थी कि इस में Deputy Commissioner, Hoshiarpur, को नामज़द किया गया है। Deputy Commissioner means Deputy Commissioner of Hoshiarpur District लेकिन इस के साथ ही इस में वजाहत कर दी कि 'It includes any person for the time being appointed by the State Government by notification in the Official Gazette' इस से जो उन के खदशे थे वह इस provision से दूर हो जाते हैं और कोई administrative difficulty हमारे सामने नहीं आयेगी।

तीसरी बात उन की तरफ से यह कही गई थी कि इस इलाके के पांच मील के area में देहात हैं; उन की ज़मीनों की कीमतें गिर जायेंगी। यह उन पर hardship होगी कि वह खास design के houses बनायें; उन को मंज़ूरी नहीं मिलेगी। आप ने कहा कि यहां township के कायम होने से गिर्दो नवाह की ज़मीनों की कीमतें बढ़ जायेंगी लेकिन इस कानून के बन जाने से गिर जायेंगी।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

सिचाई तथा विद्युत मंत्री : इस बिल की clause 4 में provision की गई है कि—

'Deputy Commissioner shall not refuse permission to the erection or re-erection of a building if such building is required for agricultural purposes.'

यह बात थी कि गांव में इस किस्म की शिकायतें न पैदा हों जायें। इन बातों को मद्दे नज़र रखते हुए यह provision किया गया है। मैं समझता हूं कि इस से कोई खदशा नहीं रहना चाहिये कि इस बिल का इस्तेमाल सख्ती से किया जायेगा। इस बिल के provision को liberally इस्तेमाल किया जायेगा। हमारा मनशा यह है कि जैसा कि इस बिल के statement of objects and reasons में बताया गया है कि Nangal Township से Bhakra जाते हुए इस किस्म की haphazard growth हो गई है जो उस जगह को बहुत बदनुमा बना रही है और इस mushroom growth का बाहर से आने वाले visitors पर कोई अच्छा impression नहीं बैठता। मेरा मतलब महज़ इस township को improve करने का है। यह नहीं कि भाखड़ा डैम मुकम्मल हो जाने के बाद लोगों की तवज्जुह इस तरफ से हट जायेगी बल्कि मैं समझता हूं कि भाखड़ा डैम के मुकम्मल हो जाने के बाद Lake के बनने से visitors की तादाद ज़्यादा बढ़ेगी। इस वास्ते ज़रूरी था कि इस की growth को control किया जाये। मैं समझता हूं कि यह एक harmless बिल है और इसे Select Committee के सुपुर्द करने की ज़रूरत नहीं बल्कि हाउस को इसी sitting में गौर करना चाहिये।

ਪੰਡਤ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਭੜੋਲੀਆਂ : ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਬਣਨੀ ਸੀ...

Mr. Deputy Speaker: No interruption please.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : मैं आप की इजाज़त से अर्ज़ करना चाहता हूं, गो इस का इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। इस कानून के पास हो जाने से किसी आबादी को नहीं उठाया जा रहा। Fertilizers Factory जो बन रही है उस के लिये ज़रूरी है कि ज़मीन ली जाये। कामरेड साहिब ने इस बात का जिक्र किया है। इस चीज़ का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। अगर कोई hardship हुई तो बात चीत की जा सकती है। जिस तरह भाखड़ा में lake के नीचे ज़मीन आने वाली है; उस की वजह से जो लोग उखड़ रहे हैं उन्हें बसाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। इसी तरह जो लोग इस की वजह से उखड़ेंगे उन को बसाने का इंतज़ाम किया जायेगा।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill Clause by Clause.

SUB-CLAUSES (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Sardar Umrao Singh (Nakodar General) : Sir, I beg to move—

At the end of sub-clause (2), *add*—

"and also to the land acquired on both the right and left banks of the river Sutlej for the factory and associate township of the Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Ltd."

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਜ਼ 1 ਦੀ ਸਬ-ਕਲਾਜ਼ (2) ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਨੰਗਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ Factory ਔਰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ Ltd. ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਏਰੀਆ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਵੀ include ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

At the end of sub-clause (2), *add*—

"and also to the land acquired on both the right and left banks of the river Sutlej for the factory and associate township of the Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Ltd."

Minister for Irrigation and Power : Sir, I accept this amendment.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

At the end of sub-clause (2), *add*—

"and also to the land acquired on both the right and left banks of the river Sutlej for the factory and associate township of Nangal Fertilizers and Chemicals (Private) Ltd."

The Assembly then divided—

Ayes	..	56
Noes	..	17

The motion was declared carried.

AYES

1. Abhai Singh, Shri.
2. Amar Nath Vidyalankar, Shri.
3. Baloo Ram, Shri.
4. Balwant Rai Tayal, Shri.
5. Balwant Singh, Sardar.
6. Banarsi Das Gupta, Shri.
7. Bhagirth Lall Shastri, Pandit.
8. Bhule Ram, Chaudhry.
9. Bhupinder Singh, Sardar.
10. Chanda Singh, Sardar.
11. Charan Singh, Sardar.
12. Balbir Singh, Shri.
13. Dasondha Singh, Chaudhri.
14. Dev Dutt Puri, Shri.
15. Dhanna Singh Gulshan, Sardar.
16. Gajraj Singh, Rao.
17. Gian Singh Rarewala, Sardar.
18. Gorakh Nath, Shri.
19. Guran Dass Hans, Bhagat.
20. Gurdatt, Shri.
21. Gurdit Singh, Sardar.
22. Hans Raj Sharma, Shri.
23. Harbans Lal, Shri.
24. Harbans Singh, Sardar.
25. Harbhagwan Maudgil, Shri.
26. Harchand Singh, Sardar.
27. Harguranad Singh, Sardar.
28. Harparkash Kaur, Bibi.
29. Jagdish Chand, Shri.
30. Jasdev Singh Sandhu, Sardar.
31. Joginder Singh, Sardar.
32. Kartar Singh Dewana, Sardar.
33. Kartar Singh, Gyani.
34. Kesra Ram, Shri.
35. Krishna Sethi, Shrimati.
36. Mehar Singh, Thakur
37. Mihan Singh, Sardar
38. Multan Singh, Shri.
39. Niranjan Singh Talib, Sardar.
40. Nihal Singh, Shri.
41. Parma Nand, Dr.
42. Partap Singh, Bakshi.
43. Partap Singh, Master.
44. Pritam Singh Sahoke, Sardar.
45. Rajinder Singh, Sardar.
46. Ram Piara, Shri.
47. Roshan Lal, Shri.
48. Sadhu Ram, Chaudhri.
49. Sneh Lata, Shrimati.
50. Shri Krishan Shastri, Shri.
51. Sohan Singh, Sardar.
52. Sumitra Devi, Shrimati.
53. Suraj Mal, Chaudhry.
54. Udham Singh, Sardar.
55. Umrao Singh, Sardar.
56. Paul Singh, Sardar.

NOES

1. Achhar Singh Chinna, Sardar.
2. Balbir Singh, Chaudhri.
3. Baldev Prakash, Dr.
4. Balram Das Tandon, Shri.
5. Bhag Singh, Dr.
6. Chander Bhan, Chaudhri.
7. Dharam Singh Rathi, Chaudhri.
8. Hukam Singh, Shri.
9. Inder Singh, Shri.
10. Jagdish Kaur, Kanwarani.
11. Jangir Singh, Com.
12. Karam Chand, Chaudhri.
13. Lal Chand, Shri
14. Muni Lal, Shri.
15. Phul Singh "Kataria", Shri.
16. Ram Kishan Bharolian, Pandit.
17. Sahi Ram Bishnoi, Chaudhri.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (2), as amended, and sub-clause (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 2

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 3 AND 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clauses 3 and 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 5

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਨਰਲ) : ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਾਜ਼ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :—

> 'Except as provided here inafter, no person shall erect or re-erect any building or make or extend any excavation or layout any means of access to a road in the controlled area save in accordance with the plan referred to in section 4 and such other restrictions as may be prescribed.

ਇਕ ਤਾਂ ਜੋ restriction prescribe ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ clear ਨਹੀਂ । ਦੂਸਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ erect ਅਤੇ re-erect....ਜੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ re-erect ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਪਹਾੜੀ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ re-erect ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ । ਇਹ provision ਬੜੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ clause 5 ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

श्री इन्द्र सिंह (जींद जनरल) : जनाब, मैं ने सिर्फ एक अर्ज़ करनी है और वह यह है कि इरेक्शन और रीइरेक्शन पर पाबन्दी लगा दी तो दफा चार के मातहत यह चीज़ कन्ट्रेडिक्टरी हो जाएगी। इस लिये अगर रीइरेक्शन का लफज़ उड़ा दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इस का मकसद पूरा हो जाएगा। यह कन्ट्रेडिक्टरी है इस लिये मैं वज़ीर साहिब से दरखास्त करूंगा कि इस को ग़ौर से पढ़ें तो उन को मालूम होगा कि रीइरेक्शन पर जो पाबन्दी है वह किसी तरह से भी जस्टीफाईड नहीं है। अगर किसी आदमी का मकान गिर जाता है और वह उन्हीं बुनियादों पर फिर खड़ा करना चाहे तो दफ़ा चार के मातहत रीइरेक्शन के लिये मन्ज़ूरी लेने की बात किसी तरह से भी जस्टीफाईड नहीं है। मुझे आशा है कि वज़ीर साहिब इस क्लाज़ से ये लफज़ निकाल देंगे।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried

CLAUSE 6

Mr. Deputy Speaker : Now clause 6 is before the House.

ਚੋਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ powers Deputy Commissioners ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨਕਸ਼ਾ ਭੇਜੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਾਰਸ਼ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਉਹ Deputy Commissioner ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਿਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ? ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਕਿਥੇ ਰਖੇਗਾ ਕਿਥੇ ਨਹੀਂ ਰਖੇਗਾ ? ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ suggest ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ local committee ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹੋ ਅਖਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । Municipal Committee ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ circumstances ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਉਸ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ 33 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ Overseer ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇਗੀ । ਨੰਗਲ ਜਿਹੜੇ Overseers ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ private ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ Overseer ਲਿਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਵਾਏਗਾ । Overseer ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਵੇਗਾ ਨੰਗਲ ਆ ਕੇ ਜਗਾ ਨਾਪੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾ Overseer ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ । ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਕਾਨ re-erect ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ powers ਦੇ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ re-erect ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ Overseers ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇ । ਜੇ ਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੋਣਗੇ ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहिब, जिस क्लाज़ पर बहस हो रही है उसी क्लाज़ को जो सब क्लाजेज़ हैं उन की तरफ मैं हाऊस की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि इन को पढ़ने के बाद जो उन के दिमाग़ में शिकायतें हैं कि यह तकलीफ होगी, वह रफा हो जाएंगी। मैं ने पहले भी उन का हवाला दिया था। इस क्लाज़ की सब क्लाज़ चार है......

"The Deputy Commissioner shall not refuse permission to the erection or re-erection of a building if such building is required for agricultural purposes provided it is ensured that the building will be used solely for agricultural purposes."

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

उस के बाद सब क्लाज़ पांच है. . . .

"The Deputy Commissioner shall not refuse permission to the erect on or re-erection of a building which was in existence on the date on which the notification under sub-clause (1) of section 3 was made, nor he shall impose any condition in respect of such erection or re-rection unless he is satisfied that there is a probability that the building will be used for a purpose or is designed in a manner other than that for which it was used or designed on the date on which the said notification was made."

इस के इलावा छ: नंबर की सब क्लाज़ में यह भी रखा गया है...

"If at the expiration of a period of three months after an application under sub section (1) has been made to the Deputy Commissioner, no order in writing has been passed by the Deputy Commissioner, permission shall, without prejudice to the restriction signified in the plans under section 4, be deemed to have been given without the imposition of any conditions."

इस में कहीं नहीं लिखा हुआ कि दरखास्त का फैसला होने में देर लगेगी । यह सारी चीज़ जल्दी ही हो जाया करेगी । इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि यह क्लाज़ जिस तरह से है उसी तरह से ही इस को जल्दी ही पास कर दिया जाए ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ appeal ਸੁਣਨ ਦਾ ਹਕ ਵੀ Commissioner ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਇਹ ਬੜਾ unnecessary lengthy procedure ਹੈ । ਜੇਕਰ appeal ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ District Headquarters ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ convenient ਹੋਵੇਗਾ ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 7

Mr. Deputy Speaker : Now clause 7 is before the House.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 7 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 8 TO 12

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clauses 8 to 12 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSES 13 AND 14

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clauses 13 and 14 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 15

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 15 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 16

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE (1) OF CLAUSE 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) **:** Sir, I beg to move—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Nangal Township (Periphery) Control Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

THE NORTHERN INDIA CANAL AND DRAINAGE (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala) **:** Sir I beg to move—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

[Minister for Irrigation and power]

जनाबे वाला, इन गुज़शता दस सालों में हम ने भाखड़ा से जो नहरें बनाई हैं, उन का एक जाल बिछा हुआ है.....

(*Some hon. Members were talking amongst themselves on the Treasury Benches*).

Shri Lal Chand: On a point of Order. Sir. There is another meeting going on in the House.

Mr. Deputy Speaker: No interruptions, please.

कंवरानी जगदीश कौर : कल मुझे स्पीकर साहब ने lobbies में जाने का हुक्म दिया था। आप इन को भी वहीं भेज दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप के कहने से तो यह चीज़ नहीं हो सकती। (This cannot be done on the bidding of the lady member.)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री: तो मैं यह अर्ज़ करने जा रहा था कि Irrigation यानी आबपाशी की तौसीह में यह चीज़ बहुत बुरी तरह हावी हो रही है। जब तक कि पानी को खेतों तक ले जाने के लिये channels of water courses न बनाएं, मुकम्मल न हों तो आबपाशी मुकम्मल नहीं हो सकती। इस वक्त जो मौजूदा Act है, वह बहुत पुराना है और इस में इस दिक्कत को रफ़ा करने के लिए कोई भी provision नहीं है। न सिर्फ़ यह कि हमने जो नई नहरें बनाई हैं उन पर ही यह दिक्कत है बल्कि जो पुरानी नहरें हैं उन पर भी यह दिक्कत है। जहां पर water courses बनाने होते हैं; villagers फैसला ही नहीं कर सकते और बाज़ दफ़ा सारे चक की आबपाशी एक शख्स रोक लेता है। ऐसे आदमी की हरकत को check करने के लिये और development करने के लिये यह बहुत ज़रूरी चीज़ थी कि इस का कोई इलाज सोचा जाए। जब एक शख्स भी दरमियान में हावी हो जाए, तो जो drains हम बनाते हैं उन में रुकावट आ जाती है। यह काम तो ऐसा है कि जिस में किसी किस्म की देरी नहीं होनी चाहिए और न ही किसी तरह की रुकावट बरदाश्त की जा सकती है। तो इस सूरत में जो lacuna उस कानून के अन्दर था उस को दूर करने के लिये यह amending Bill लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह कोई controversial बिल नहीं है और इस पर ज़्यादा time न लगा कर consider कर लिया जाएगा।

Mr. Deputy Speaker: Motion moved—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी धर्म सिंह राठी : स्पीकर साहिब, जहां तक जमींदारों और खेती करने वालों की तकलीफों का ताल्लुक है वाकई यह बिल उन के लिए बड़ा फायदेमन्द है और यह ज़रूर लाना चाहिए था और जो मुश्किलात उन लोगों की पानी आने और पानी खेतों में पहुंचने की है; यह वाकई दुरुस्त है और जैसा कि मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि एक आदमी पानी रोक कर खड़ा हो जाता है जो न खाल खोदने देता है, न खाल में पानी आने

देता है इस से ज़मीदारों को बहुत नुकसान होता है। इसलिये जहां तक इस बिल के principle का ताल्लुक है, मैं इस के साथ पूरी तरह agree करता हूं। लेकिन इस के साथ ही मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करता हूं कि कहीं इस का misuse न हो। यह सब को मालूम है कि महकमा नहर और P. W. D. के लोगों को यह एक देरीना बीमारी है कि जिस से पैसा लेना हो वहां खेतों में बार बार जाकर खालों को काट देते हैं। इस लिये मैं मिनिस्टर मोहतरिम से अर्ज़ करता हूं कि इस बिल का नाजायज़ तौर पर फायदा न उठाने देना चाहिए और यह न हो कि महकमा के आदमी ज़मीदारों और किसानों को तंग करें या इस बिल की आड़ में उन से रुपया मांगने या एंठने की कोशिश करें। इस तरीका से यह चीज़ें नहीं होनी चाहिएं। इस के अलावा दो चार बातें और हैं जिन का ज़िक्र जब जब वह clauses आएंगी तो मैं करूंगा। लेकिन मैं principle of the Bill से agree करता हुआ यह अर्ज़ करूंगा कि मिनिस्टर साहब यह ख्याल रखें कि इस बिल का misuse न हो। उन को इस महकमा वालों का तजरुबा है कि किस तरह पटवारी, ज़िलेदार और overseers वगैरह किस तरीके से तंग करते रहते हैं। अब तक position यह है कि मंज़ूरशुदा खाल पर भी पानी लगाते वक्त काफ़ी corruption चलती है। इसलिये इन अलफाज़ के साथ मैं मिनिस्टर साहब से तवक्को करूंगा कि वह खेती करने वालों के interest को अच्छी तरह से watch करें।

Sardar Bhupinder Singh Mann (Samana, General) : Mr. Deputy Speaker, I rise to support this measure and I am glad that my friend after all has brought forward a measure which will win him support in this House otherwise since morning he has been bringing forward unpopular measures. Sir, undoubtedly there was a lacuna and the Government had no powers by which it could acquire land for the small channels—or what we call 'Khals'—and thus very much desired progress was thwarted at many places.

I am glad that the powers under which the land was taken previously for the Bhakra Canals are now being taken for taking land for 'Khals'. Of course, anxieties and doubts are there. My fear is that this Department has singularly specialized in not paying the compensation which is due to the persons whose lands it has acquired. Sometimes the compensation for the land acquired by it is not paid for years and years together and those channels are standing monuments of inefficiency on the part of this Department. Those small running rivulets or canals are always a sad reminder about the inefficiency of this Department and leave a very bad taste in the minds that for years together the compensation has not been paid. Lands will be acquired under this Act when it comes into force and compensation therefor will have to be paid. So that problem, if not rightly tackled, may aggravate the position a lot. So I request that some sort of provision which ensures an expeditious payment of compensation may be added so that the bitterness does not linger on in the minds of the irrigators.

With these words, I support this measure.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਗਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ compensation ਜਲਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ, ਰਜਬਾਹ, ਖਾਲ੍ਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ recently ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬੋਗੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਥੇ ਇਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਇਕ tube-well ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਨੇ tube-well ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ tube-well ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਧਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਧਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਧਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਲਗਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਤੇ tube-well ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਨਹਿਰ ਕਢਣ ਵਿਚ ਕੋਈ obstruction ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤਕ compensation ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥਲਿਉਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ pipe line ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ, ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ Amending Bill ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖਾਲ੍ਹਾਂ ਕਢਣ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਢੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ outlet ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤੇ syphons ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ tube-well ਜਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਕਿਉਂਜੋ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ।

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ (ਨਕੋਦਰ, ਜਨਰਲ) ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਹਿਬ, ਜੋ ਬਿਲ Minister for Irrigation ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ intention ਦਾ ਤਅੱਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ Sub-Divisional Officers for Canals ਲਈ provide ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਨੀਆਂ powers ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਰੂਲਜ਼ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣਨੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ clearly ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ । Clause 3 ਰਾਹੀਂ ਅਸਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ Section 30—A ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

> "The Divisional Canal Officer may, on his own motion or on the application of a shareholder".

ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ Divisional Canal Officer ਨੂੰ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ water course ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ shareholder ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ water course ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ 30 ਜਾਂ 40 shareholders ਹਨ ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ shareholder ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ channel ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ water course ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ shareholders ਉਸ ਨਾਲ agree ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ । ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ provision ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ shareholder ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ channel ਦੀ line ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ ।

Mr. Deputy Speaker : You should discuss the principles only.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਮੈਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, principle ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ । ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ water course ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ share-holders ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

[ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਓ ਸਿੰਘ]

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੀ publication ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ publish ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ rules ਕੈਸੇ ਬਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਨਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ rules ਬਨਾਉਣ ਦੀ power ਕਿਸ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ rules ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ rules ਬਨਾਉਣ ਦੀ power ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 21-3 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ publication ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ defective ਹੈ। ਉਸ ਵਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ publication irrigation ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ publication ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ conspicuous ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ acquisition ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਅਤੇ water course ਦੀ line ਦੇ ਮੁੱਤਲਿਕ ਜੋ ਸਕੀਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ clear ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ lacuna ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਯਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ shareholders affect ਹੋਣ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ shareholders ਕੋਲੋਂ objections ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ objections ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ acquisition ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 15 ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ objections ਜ਼ਾਇਦੁਲ ਮਿਆਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ publication ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ objections ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਇਕ ਗੱਲ ਮੈਂ compensation ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। Compensation ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬਾਕੀ ਦੇ shareholders ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ clearly ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ shareholder ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ compensation ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ water course ਇਕ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ shareholders ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਘੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕ ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਲਈ rules ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ provision ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(At this stage Mr. Speaker occupied the Chair.)

ਕੀ ਜੋ compensation ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੋਘੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ clear ਤੌਰ ਤੇ rules ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਮੀਲ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਘੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ acquire ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ beneficiaries ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ compensation ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ clear ਕਰ ਦਿਉ।

ਫਿਰ acquisition ਬਾਰੇ objections ਜੋ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ 20 ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਗਲ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ objections ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ opportunity ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ to be heard ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ objections ਲਿਖਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ justice ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਵੇਂ Divisional Canal Officer ਹੈ, ਭਾਵੇਂ S.E. ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ alignments ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ Model Town ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Shareholders ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਜੋ water courses ਬਣਨੇ ਹਨ majority of the shareholders ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ provision ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ arbitrary ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। Rules ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਉਹ strict ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ shareholders ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मुझे खुशी है कि हमारे काबिले एहतराम वज़ीर साहिब ने एक बेहतरीन कदम उठाने का फैसला किया है। जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, बरसात के बरसात बारिश ने काफ़ी जमीन खराब की है। यहां पर ड्रेन्ज़ की कमी की वजह से काफी किसान बरबाद हुए हैं। मगर अब जब सरकार इस तरफ़ तवज्जुह दे रही है तो मुझे यकीन है कि हमारे आपोजीशन के दोस्त भी सरकार से सहमत होंगे कि उस ने एक सही कदम उठाया है। मगर सरदार उमराओ सिंह ने जो सुझाव दिए हैं उन की तरह मुझे भी कुछ खतरा दिखाई देता है। आप ने सड़कों पर सफ़र किया है, तो आप ने देखा है कि उन में काफ़ी मोड़ तोड़ हैं और यह इस वजह से होता है कि किसी

[मौलवी अब्दुल गनी डार]

को ज़मीन बचा कर उस को औबलाइज़ करना होता है। फिर कम्पनसेशन का सवाल आता है। कुछ अफ़सर अच्छे भी हैं जो लोगों की फिक्र करते हैं मगर कुछ ऐसे भी हैं जो इख्तयारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप ने देखा होगा कि हरिजनों के लिये गवर्नमेंट ने ज़मीन ऐक्वायर करने का फैसला किया है। उस में भी अफ़सरों ने चालाकी की। सराए नाका में ज़मीन खरीदने का फैसला किया और वह भी कैरों साहिब के अज़ीज़ सरदार हरचरण सिंह ऐम० ऐल० ए० की। फिर संगरूर में भी यही हुआ। श्री जीत सिंह ए० आई० जी०, सी० आई० डी० की ज़मीन ऐक्वायर कर ली और लाख रुपया दे दिया, हालांकि गवर्नमेंट ने अपने फार्म में जो दो मील के फासला पर था, खुद काम करना था और हिसार फार्म से मतलूबा बैल वगैरह भी पहुंच रहे थे। मतलब यह है कि मिनिस्टर साहिबान तो भले की बात करते हैं मगर अफसरान चालाकी करते हैं जिस से बरबादी हो जाती है, जिस से सरकार की बदनामी होती है। इस तरफ़ सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे सरदार उमराओ सिंह ने कहा है पबलिसिटी के ढंग को ठीक करिए। लोगों की शिकायत सुनें और यह न हो कि फिर वही नैपोटिज़म और फेवरिटिज़म का किस्सा चले। ऐसे में उम्मीद करता हूं कि आपोज़ीशन और सरकारी पार्टी दोनों मिल कर वज़ीर साहिब को इस कदम पर बधाई देंगे और सहयोग देंगे।

Sardar Gurmit Singh 'Mit' (Baghapurana, General): Sir, I beg to move—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Sardar Atma Singh.
(2) Sardar Jasdev Singh Sandhu.
(3) Rao Gajraj Singh.
(4) Sardar Bhupinder Singh Mann.
(5) Sardar Waryam Singh (Amritsar).
(6) Chaudhri Dharam Singh Rathi.
(7) Sardar Gian Singh Rarewala.
(8) Sardar Gurmit Singh 'Mit'.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Sardar Atma Singh.
(2) Sardar Jasdev Singh Sandhu.
(3) Rao Gajraj Singh.
(4) Sardar Bhupinder Singh Mann.
(5) Sardar Waryam Singh (Amritsar).
(6) Chaudhri Dharam Singh Rathi.
(7) Sardar Gian Singh Rarewala.
(8) Sardar Gurmit Singh 'Mit'.

Minister for Irrigation and Power (Sardar Gian Singh Rarewala): Sir, I am not accepting it.

जनाब स्पीकर साहिब, जैसा कि इस बिल के अनवान से ही जाहिर है यह एक अमैंडिंग बिल है और यह जो नुकुना था पेरैंट ऐक्ट में उस को दूर करने के लिये लाया गया है। जहां तक इस की ज़रूरत का सवाल है उस को हाउस के तकरीबन सारे ही मैम्बर साहिबान ने समझा है और कहा है कि यह बिल ठीक है। मैं हैरान हूं कि इस को सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द करने की इस में कौन सी चीज़ थी। इस में और डिले नहीं की जा सकती। काम रुक रहा है।

फिर कम्पनसेशन के मुताल्लिक कहा गया था और रूल्ज़ मेकिंग के मुताल्लिक कहा गया था। जो पेरेंट ऐक्ट में प्रोवियन्ज़ मौजूद थे वह कायम हैं और उन के तहत भी कार्रवाई होगी.....(सरदार उमराओ सिंह की ओर से विघ्न)

Mr. Speaker: No please. You should not speak unless he gives way.

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री : मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस में कम्पनसेशन के मुताल्लिक कहा गया था कि अमूमन जो ज़मीन एक्वायर की जाती है उस की कम्पनसेशन की अदायगी में देर हो जाती है। इस के मुतअल्लिक यह अर्ज़ करना चाहता हूं, नोटिस में लाना चाहता हूं कि हम ने उस कानून में भी कोशिश की है कि किसी को कहीं छः महीने से ज़्यादा देर अदायगी में न लगे और इस में तो मैं समझता हूं कि जो कम्पनसेशन का सवाल है वह फौरन हल होगा, फौरन तै होगा, क्योंकि यह बतौर लैंड रेवेन्यु के एरियर्ज़ के वसूल कर के अदा कर देना है। मैं समझता हूं कि इस में कोई दिक्कत न होगी। यह ठीक है कि हमारे ज़िला में अब भी हमारी सर्विसिज़ के बारे में कुछ वसवसे हैं लेकिन यह ठीक है.....कि आखरकार जो कानून हम बनाते हैं उन पर services को ठीक तरह से अमल करना होता है और हम कोशिश करते हैं कि complaints दूर कर सकें और दूर हो कर रहेंगी। हर अच्छा कानून इस वास्ते बनाये जाने से रोका नहीं जा सकता कि services इस का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगी। यह जो दलील दी गई है इस में कोई वज़न नज़र नहीं आता।

इस बिल के बारे में जो suggestions hon. Member साहिबान की ओर से दी गई हैं उन का rules बनाते वक्त ख्याल रखा जाएगा। जो यह amending Bill लाया गया है इस के पास हो जाने पर इस के provisions को अमल में लाने के लिये लाज़मी तौर पर rules बनाए जाएंगे और जो suggestions दी गई हैं कि कहीं hardship न हो जाए इन सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। इस में hardship का सवाल हो नहीं। Culturable commanded area जो होगा उस के बारे में compensation दिया जाएगा और compensation तजवीज़ करने का हक Divisional Canal Officer को होगा और अगर कोई aggrieved party है तो उस के लिये Collector के पास अपील करने के लिये provision किया गया है। और यह जो हम ने alignment और re-alignment की power ली है इस में सब आ जाता है और cover हो जाता है। पहले हमें इस बात की तकलीफ थी कि हम water course को बदल न सकते थे। और यह बात आबपाशी की तरक्की में हायल थी। इसे दूर करना ज़रूरी था ताकि हम agriculture को develop कर सकें। इस लिये मैं अर्ज़ करूंगा कि इस बिल को इसी तरह consider किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill,be referred to a Select Committee consisting of—

(1) Sardar Atma Singh, ;
(2) Sardar Jasdev Singh Sandhu, ;
(3) Rao Gajraj Singh ;
(4) Sardar Bhupinder Singh Mann ;
(5) Sardar Waryam Singh (Amritsar) ;
(6) Shri Dharam Singh Rathi ;
(7) S. Gian Singh Rarewala, and
(8) Sardar Gurmit Singh " Mit ", M.L.A.

The motion was, by leave, withdrawn

Mr. Speaker : Question is—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : जनाब स्पीकर साहिब, जहां तक clause 3 का ताल्लुक है मैं ने पहले भी अर्ज किया था कि मुझे इस बिल के Principle पर इख्तलाफ नहीं है मैं इस से agree करता हूं। Principle अच्छा है और पास हो जाना चाहिए। लेकिन 2-3 बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि क्लाज़ 30 बी के part 1 में यह दर्ज है कि scheme की preparation के बाद इसे publish किया जाए। इस में यह लिखा है कि—

'Every scheme shall, as soon as may be, after its preparation be published in such form and manner as may be prescribed by rules.'

इस के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि publication इस तरह से होनी चाहिए कि जिस तरह से दिहात के लोगों को पता लग सके। यह नहीं होना चाहिए कि ज़िलेदार को यह काम सौंप दिया जाए और वह घर पर ही बैठ कर कागजी कार्रवाई पूरी कर दे कि publicity इस काम के लिये दी गई। तो जब rules बनाए जाएं जैसा कि इस में दर्ज है कि—

"In such form and manner as may be prescribed by rules".

तो यह बात खास तौर पर दर्ज की जाए कि publicity इस तरह से होनी चाहिए कि पंचायत और सरपंच को इस की इतलाह दे दी जाए। हमारा मुद्दा साफ है कि सही तौर पर publicity

की जाए ताकि लोगों को पता लग जाए कि सकीम के अन्दर यह provisions हैं। आम तौर पर होता यह है कि जो publicity की चीजें होती हैं वह दिहात तक पहुंचाई नहीं जातीं और डौंडी पीटने वाले भंगी का अंगूठा जिलेदार लगवा लेता है कि publicity की गई है। Publicity का मुद्दा यह है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि स्कीम क्या है और कब तैयार हुई। इस का एक मात्र तरीका यही है कि इस गांव की पंचायत के पास स्कीम को भेज दिया जाए और सरपंच को लिखा जाए कि वह मुनादी करवाए। एक तो यह कहना था। दूसरी चीज़ क्लाज़ 30-सी में है। इस में यह कर दिया गया है कि Divisional Canal Officer स्कीम के publish होने के बाद shareholder को कह सकता है कि वह खाल को अपने खर्च पर सारी की सारी खुद निकलवाए। और आगे चल कर क्लाज़ 30 में यह रख दिया गया है कि अगर shareholder खाल न खुदवाए तो सरकार खुद खुदवा ले और सारे का सारा खर्च ज़िमींदार से वसूल किया जाए।

ज़िमींदार पहले ही आबियाना देता है और betterment tax देता है। अब water course और नहर की खुदाई का बोझ भी हम पर ही डाला जा रहा है। अगर उन्हें नहर की alignment करनी है और निशानदेही करनी है तो इस का सारा खर्च नहर के महकमे के ज़िम्मे होना चाहिए, ज़िमींदार पर नहीं होना चाहिए। इन ज़िमींदारों ने अपने इलाकों से पैसा इकट्ठा कर के दिया है, जगह दी है और buildings बनवा कर दी हैं; स्कूल बनाए हैं और आज नहर की खुदाई का खर्च उन के ज़िम्मे डाला जा रहा है। आज जो खर्च डाला जा रहा है उसे क्यों दिहातियों पर डाला जा रहा है? मैं मोहतरिम मिनिस्टर साहिब की बड़ी इज्ज़त करता हूं और खास तौर पर उन से प्रार्थना करता हूं कि यह खर्च ज़िमींदार के ऊपर नहीं डालना चाहिए।

एक और क्लाज़ है जिस के द्वारा यह provision की गई है कि वह न खोदेंगे तो सरकार उसे खुद खुदवाएगी और cost ज़िमींदार को देनी पड़ेगी। आप जानते ही हैं कि actual cost जो देनी पड़ेगी वह कहीं ज्यादा होती है। सरकार का खर्च सब खर्चों को मिला कर बहुत ज्यादा होता है। इस लिए मैं मिनिस्टर साहिब से कहूंगा कि वह इस बात का भी ख्याल रखें।

एक और भी क्लाज़ है compensation के लिए। Section 30D की sub-clause 8 में है कि—

> "Compensation to be fixed by the Divisional Canal Officer on the Principle set out under section 23 of the Land Acquisition Act, 1894."

इसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि compensation को fix करने का काम Acquisition Act के मातहत Divisional Canal Officer के सुपुर्द कर दिया है। यह काम पहले कभी एक अफसर को नहीं सौंपा गया। इस लिये मैं यह कहूंगा कि यह काम Divisional Canal Officer के ज़िम्मे नहीं होना चाहिए। यह काम Collector के ज़िम्मे होना चाहिए। मैं अर्ज़ करूं कि Divisional Canal Officer वाली बात

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

ठीक नहीं बैठती। आखिर में मैं फिर इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जैसा कि मौलवी साहिब और सरदार उमराओ सिंह ने भी कहा है कि इस Act को पास करने के बाद powers का misuse नहीं होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी कानून हो और अगर जिलेदार नाराज़ हो तो वह खाल खुदवाने में किसी का खेत ही खराब कर दे।

स्पीकर साहिब, हम ने देखा है कि जो राजबाहे Government निकलवाती है, political मुखालफित की वजह से ऐसी जगहों पर खोद दिये जाते हैं जहां पानी खालों में नहीं पहुंचता। (एक आवाज : चौधरी लहरी सिंह के ज़माने की बात होगी)। Political basis पर इस किस्म की बातों का होना जायज़ नहीं है। कम से कम इस किस्म की बातें मातहत महकमे में नहीं होनी चाहियें। इन इलफाज़ के साथ मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जिन बातों की ओर मैं ने ध्यान दिलाया है सरकार उन पर ज़रूर गौर करे।

राम्रो गजराज सिंह (गुड़गांव) : स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब की तर्फ से यह जो addition इस क्लाज़ में करवाई जा रही है, वह इस नुकता नज़र से करवाई जा रही है कि यह इन्होंने ने provide ही करनी है, वर्ना इस में corruption को दूर करने के लिये कोई गुंजायश नहीं है। वह तो होती ही रहती है। Consolidation में भी इस तरह के सिलसिले में रास्ता निकाला गया था और इस corruption को बन्द करने के लिये एक provision की थी लेकिन इस में ऐसी कोई provision नहीं है। अगर मिनिस्टर साहिब ज़रा सा भी ग़ौर फरमायें तो इस बिल की clause 3 के 30 बी section का मुलाहज़ा फर्मायें। इस में लिखा है

The Superintending Canal Officer may direct the Divisional Canal Officer to furnish such information............

इस तरह से canal officer जो कुछ भी चाहेगा वह कर देगा और छोटे किसानों को ज़मीन लेने में बड़ी भारी ज़हमत हो जायेगी। इस सिलसिले में मैं Government से अर्ज़ करूंगा कि वह इस के लिये कोई arbitrator मुकर्रर कर दें, ताकि यह जो power Divisional Canal Office को दी जा रही है इस पर कुछ check हो सके। महिकमे वालों की निसबत अगर कोई बाहर का हाथ control करे तो ज्यादा checking हो सकती है। इस तरह Canal officer के ऊपर अगर D.C. Arbitrator होगा तो रोज़ मर्रा की जो शिकायतों की दिक्कत है, वह दूर हो जायगी। यह ठीक है कि इस में corruption नहीं होगी, मगर इसे किसी हद तक check किया जा सकता है। इस तरह से यह तो एक haphazard सा तरीका इख्तियार किया गया है कि अफसर को इतनी power इस clause के ज़रिये से दी जा रही है।

ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ' (ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ House ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਏਥੇ clause 30 ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ...

> The Divisional Canal Officer may, on his own motion or on the application of a share-holder. . . . .

ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਇਕ ਵੀ ਹਿਸੇਦਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਖਾਲ੍ਹਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਾਸ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Canal Officer ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ safeguard ਵਾਸਤੇ special provision ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਕੋਈ water-course ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਹ 50% ਯਾ 60% ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਹਿਸੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ । ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ । ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ shareholder ਨੂੰ ਇਹ ਏਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਖਾਲ੍ਹਾ ਜਾਂ water-course ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਨਾ ਕਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ shareholder ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਰਖੀ ਗਈ ।

30-B(1) ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ scheme publication ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪਰ ਇਸ ਦੀ drafting ਵਿਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ scheme ਦਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ । ਇਸ ਲਈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਹ scheme ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ shareholders ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ scheme ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕੋਈ development ਦੀ scheme ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ school ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਅਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਖਰਚ ਦਾ ਭਾਰ shareholder ਤੇ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । Development ਦੀਆਂ schemes ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ । ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਇਹ ਖਰਚ ਕਰੇ । Industry ਵਿਚ ਵੀ ਵਡੇ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਝ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ Minister ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ shareholders ਦੀ ਥਾਂ ਹਮੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂ ਜਗਾਧਰੀ ਗੰਨਾ

[ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ 'ਮੀਤ']

ਮਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਡੀਆਂ ਵਡੀਆਂ factories ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਲੋਹੜਾ ਸਾਂਈ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ cess ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ shareholders ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਹ ਬੋਝ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ constitution ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहिब, जैसा कि इस बिल के अनवान से जाहिर है कि

> This is a Bill to provide for construction , alteration and re-alignment of water-courses.................

यह lacuna था, उस मे water-courses के लिये provision नहीं था । इस वक्त यह कहा जा रहा है कि जमींदारों के ऊपर बोझ डाला जा रहा है । इस वक्त जो water-courses हैं वह जमींदारों ने खुद ही बनाये हैं । इस वक्त वही बनाते और खर्चा बर्दाश्त करते हैं । यह कोई नई चीज़ नहीं है । लेकिन मुश्किल यह थी कि अगर एक ज़मीन का मालिक अपना खाल ले जाना चाहता है, दूसरा नहीं ले जाना चाहता तो इस से आबपाशी रुकती थी । इस लिये उस दिक्कत को रफा करने के लिये यह कानून लाया गया; जिस पर एतराज़ किया गया । तादाद मुकर्रर करने के बारे में 50 प्रतिशत या 40 प्रतिशत का suggestion दिया गया और कहा गया कि तादाद मुकर्रर करने के बाद कार्रवाई हो । मैं समझता हूं कि ऐसा करने से कानून का मंशा ही फौत हो जाता है । सवाल यह है कि जब किसी की irrigation में कोई रुकावट हो तो उस को हक है कि दरखास्त दे । लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि जो दूसरे shareholders हैं उन को नजरअंदाज़ कर दिया जायेगा या ऐसा कोई फैसला हावी कर दिया जाएगा । ऐसी कोई बात नहीं ।

Publication के मुताल्लिक यह कहा गया था कि इस में provide तो यह किया गया है कि prescribed by rule लेकिन मैं हाऊस को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि publication का मतलब यह नहीं होगा कि S. D. O., S. E. के दफ्तर में कोई चीज लिखा दे । अगर उस गांव के लोग कोई objection करना चाहें वह गांव में ही कर सकें, इस का इंतज़ाम किया जाएगा ।

श्री धर्म सिंह राठी : Shareholders को फिर किस तरह inform करेंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जो गांव की पंचायत है उस में यह इन्तज़ाम किया जायेगा कि उसी गांव में पब्लिकेशन हो । यह नहीं कि उस गांव से बाहर publication कर दी जाए । हमारा हरगिज़ यह मंशा नहीं है कि उन के पसेपुश्त S. D. O. कोई चीज

बना । हमने यह provision रखा है कि shareholders की शिकायत पर डिपार्टमेंट एक scheme तैयार कर देता है। फिर objections सुनकर choice दी जाती है कि अगर वह सस्ता बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं ने लोगों से बात-चीत की तो मालूम हुआ कि उन की यह शिकायत थी, अगर कोई चीज बनाई जाती है तो महकमा बनाता है। इस लिये इस में यह provision की थी कि scheme बनाई जाए कि वह खुद कर सकें ताकि खर्चा ज्यादा न आए। और अगर scheme के चालू होने में कोई रुकावट आए तो उस सूरत में सरकार उस को करे।

यह compensation के दरम्यान है कि जो shareholders उस area में आएंगे उन से compensation वसूल किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो compensation में तकलीफ आ रही है वह lengthy procedure की वजह से आ रही है। सालों तक land acquisition के केसिज़ का फैसला नहीं होता और लोगों को compensation नहीं मिलता। इस लिये खास तौर पर provision रखा गया और यह procedure adopt किया गया कि compensation जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस में collector के पास Appeal भी रखी गई कि अगर कोई satisfied न हो तो वह Appeal कर सके।

मैं ने अर्ज़ किया था कि ऐसी कोई बात नहीं जिस से कि यह नतीजा निकाला जाए कि ज़मींदारों को या irrigators को तंग करने के लिये है बल्कि आबपाशी facilitate करने के लिये है।

राव साहब की तरफ से यह कहा गया है कि यह जल्दी में draft हुआ है। ऐसी बात नहीं बल्कि यह एक जामे कानून बनाना था। हम ने दूसरे मुल्कों के कानूनों पर भी गौर किया था। यह अज़हद ज़रूरी चीज़ थी और ऐसे मामलात थे जिन पर गौर करने के बाद फैसला होना चाहिये था। इस लिये तमाम उन रुकावटों को जो पैदा हो गई थीं दूर करने के लिये यह amending Bill लाया गया। इन बातों की रोशनी में मैं ने अर्ज़ की कि इस को इसी तरीके से पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

चौधरी धर्म सिंह राठी (सम्भालका) : Clause 4 में वह सब provisions जोकि clause 3 में थीं, वही लगानी है। मुझे सिर्फ एक ही नई बात कहनी है क्योंकि बहुत सी repetition हो चुकी है। और वह यह है कि Minister साहिब ने फरमाया कि यह कोई नई चीज नहीं है। मजे की बात तो यह है कि एक तरफ यह कहते हैं कि हम नई चीज़ ला रहे

[चौधरी धर्म सिंह राठी]

हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कोई नई चीज़ नहीं है। स्पीकर साहिब, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो खुदाई का काम है वह गवर्नमेंट के ज़रिये होना चाहिये और गवर्नमेंट ही उसकी cost बर्दाश्त करे। यह जो एक तरह की बेगार जिमींदारों के जिम्मे लगाई जा रही है, यह ज्यादती है।

पहिले गाँव के सभी लोग ऐसे काम के लिए शामिल हो कर काम करते थे लेकिन अब इस बिल से सिर्फ एक ही जमात होगी जो खुदाई करते हैं। इस तरह से गाँव वालों को एक limit में बाँध दिया गया और कुछ लोगों पर बोझ डाल दिया गया। इसलिये मैं अर्ज़ करूँगा कि अगर बोझ डालना है तो गवर्नमेंट पर डालें, अकेले ज़मींदारों पर न डालें। यह जो काम drains के खोदने का है वह गवर्नमेंट को ही लेना चाहिये। मैं इस बिल की मुखालफित करता हूँ।

श्री लाल चन्द (जलंधर शहर, उत्तर पूर्व) : स्पीकर साहिब, मैं राठी साहिब की ताईद करता हूँ लेकिन वजह थोड़ी मुख्तलिफ है और वह यह है कि जो ज़मींदार भाई यह कहते हैं कि हम खुदाई खुद कर लेंगे उसके पीछे एक motive है। अगर ऐसा हुआ तो आदमियों की आफत आ जायेगी और यह लोग कान से पकड़ कर कहेंगे, कि चल संता, चल बंता, चल मंगतू वगैरह वगैरह। और यह उनको मुश्किल हो जाएगी। इस तरह यह लोग पकड़ पकड़ कर काम करवाएँगे। इसलिये मैं यह कहूँगा कि यह नहीं होना चाहिए।

CLAUSES 4 AND 1 AND THE TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That clauses 4 and 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Irrigation and Power : Sir, I beg to move—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be passed.

श्री इन्द्र सिंह (जींद, जनरल) : जनाब स्पीकर साहिब, मैं इस Bill को खुशआमदीद

7-00 p.m.

कहता हूं क्योंकि इस से जो standing difficulty थी उस को काफी हद तक दूर कर दिया गया है। जो civil litigation चला करती थी वह भी दूर कर दी गई है। लेकिन इस में एक दो legal और technical lacunas हैं जिन की बाबत मैं कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस Bill में कहीं भी यह दर्ज नहीं कि यह कानून किस वक्त से लागू होगा। इस लिए अगर यह

Bill इसी तरह ही पास हो गया तो उस के बाद फिर एक amendment लाई जाएगी । और उस के बाद जब Government notification जारी करेगी तब यह Bill लागू होगा । तो, जनाब, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस वक्त अगर यह technical lacuna दूर न किया गया और इस Bill को इसी तरह पास कर दिया गया तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल बेकार होगा और जो hard cases हैं वह उसी तरह ही रह जाएंगे। जब यह चीज़ होगी तो फिर एक दिन के लिए session बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि साहिबान इस Bill में एक चीज़ हम दर्ज करना भूल गए थे वह अब करनी है । उस से दोबारा खज़ाने पर बोझ पड़ेगा और वक्त ज़ाया करना पड़ेगा। इस लिए मैं गुज़ारिश करूंगा कि इस चीज़ को अभी से ही दुरुस्त कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा।

दूसरी बात यह है कि जिन cases के फैसले होने में बड़ा अर्सा लगता था और बड़ी दिक्कतें थीं उन को दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो इस वक्त अदालतों में pending cases हैं acquisition और compensation के बारे में उन की बाबत कहीं ज़िक्र नहीं किया गया कि उन का क्या होगा । काफ़ी तादाद में ऐसे cases हैं जिन की enquiry हो चुकी है लेकिन अभी तक compensation देने के orders नहीं हुए । ऐसे cases Collectors के पास pending हैं, उन के बारे में यहां कोई ज़िक्र नहीं है कि उन की disposal कैसी होगी और उन पर जो मेहनत हुई थी उस का क्या बनेगा । मैं वज़ीर साहिब से request करूंगा कि वह जवाब देते वक्त इस बात पर रोशनी डालें। बाकी यह जो Bill है यह खास तौर पर 3, 4 बातों के लिए लाया गया है । एक है preparation of the scheme, दूसरी है publication of that scheme और तीसरी है acquisition and compensation वगैरह । जहां तक publication का ताल्लुक है इसके मुतअल्लिक तो कहा गया है कि हम गांव में करवाएंगे। लेकिन उस से ज़रूरी चीज़ preparation of scheme है । जिस गांव में नाली वगैरह खुदाई जानी है अगर वहां के रहने वाले दिहातियों का सलाह मश्वरा ले लिया जाए तो बेहतर होगा। उस की वजह यह है कि जब नाली खुदवाने का वक्त आता है तो सिर्फ़ नहरी पटवारी को office में बुलाते हैं, कंटूर पलान सामने रख लेते हैं और सीधा नकशा खैंच देते हैं। यह जो तरीका है यह ठीक नहीं है। ऐसा करने से कई दफ़ा यह होता है कि कई ज़मींदारों के खेतों के दो-दो हिस्से हो जाते हैं और दूसरे curves बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं । जो इस किस्म के नुकायस हैं इन को दूर करने के लिए अगर preparation of scheme के वक्त पंचायत को बुला कर उन की सलाह ले ली जाए तो बेहतर रहेगा, objecttion बहुत कम हो जायेंगे और काम भी जल्त जल्दी हो सकता है। मैं ने देखा

[श्री इन्द्र सिंह]

है कि जब preparation की जाती है तो जो जिम्मेदार officers हैं वह अपनी powers का misuse करते हैं। मैं वज़ीर साहिब के notice में लाना चाहता हूं कि जब कंटूर पलान बनाया जाता है तो उस में एक एक या दो दो मील की ऊंचाई या नीचाई show कर दी जाती है जबकि actually उस जगह में 50/50 या 100/100 गज़ के फासले के बाद कहीं ऊंचाई और कहीं नीचाई आ जाती है। जो आदमी कंटूर plan बनाते हैं वह अपनी technical knowledge का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं करते और जो शजरा होता है उस के एक सिरे पर line खेंच कर सारी की सारी ऊंचाई या नीचाई show कर देते हैं, उस से चाहे किसी का नुक्सान होता हो या न होता हो। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मौके पर पंचायत को साथ लेकर वह scheme तैयार की जाए तो वह बहुत से खदशात दूर हो सकते हैं। पंचायत की राए लेने के बाद procedure adopt कर लेना चाहिए। procedure के मुतअल्लिक भी एक ज़रूरी बात है जिस की तरफ मैं वज़ीर साहिब का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आज भी procedure का वही पुराना ढंग है जोकि अंग्रेज़ों के वक्त में था। जो बात पटवारी लिख देता है या नहर का overseer लिख देता है उस को जूं का तूं Superintending Engineer तक सब officers ditto करते चले जाते हैं, चाहे वह गलत हो या ठीक हो। मैं ने देखा है कि अगर कोई objections भी भेजे जाएं तो उन का कोई notice नहीं लिया जाता। जो कुछ नीचे से लिख कर भेज दिया जाता है ऊपर तक वह ditto होता जाता है। अब भी वही पुराना तरीका चला जा रहा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से दर्खास्त करूंगा कि वह इस पुराने procedure को हटा कर नया procedure जारी करवाएं ताकि सारा काम अच्छे तरीके से और सही सही हो सके। ऊपर के officers को हदायत की जानी चाहिए कि जो भी schemes या proposals उन के पास नीचे से बन कर आएं वह उन को thoroughly scrutinise करें ताकि उन को पता लगे कि कहां पर गलती है। इस तरीके से अगर कोई गलत scheme उन के पास जाएगी तो वह रद हो सकती है।

अब मैं Publication के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। Publication का यह मतलब नहीं होता कि वहां पर ढंढोरा पीट दिया जाए, बल्कि इस का मतलब यह है कि जो scheme बने उस का एक Plan बना कर गांव में लगा दिया जाए, या पंचायत को दिखा दिया जाए ताकि वह अपनी difficulties बता सकें। परसों, जनाब, कुछ लोग एक ऐसा case लेकर आने वाले थे। उस case में महकमें वालों ने उन को

notice तो दे दिया लेकिन आप हैरान होंगे कि उस notice में यह नहीं बताया गया कि जो उन के मोघे हैं उन में कितनी तबदीली की जानी है। Compliance तो उस की अब हुई है लेकिन ऐसी Compliance का कोई फायदा नहीं । उस से hardship उसी तरह कायम रहती है ।

बाकी जहां तक acquisition का ताल्लुक है उस के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। इस के मुतअल्लिक मैं सिर्फ़ इतना ही कहूंगा कि Government को ज़मीन वह लेनी चाहिए जिस के बगैर काम न चलता हो और उस का Compensation जल्दी मिलना चाहिए । ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले एक दफ़ा alignment कर के उस को cancel कर दिया और उस के बाद दूसरी जगह alignment करनी शुरू कर दी और फिर उस को cancel कर के तीसरी जगह alignment कर ली । यह चीज़ ठीक नहीं है। इतना कह कर मैं बैठता हूं और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर साहिब इन hardships को दूर करेंगे ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (सरदार ज्ञान सिंह राड़ेवाला) : जनाब स्पीकर साहिब, यहां यह कहा गया है कि इस बिल के अन्दर तारीफ़ में यह दर्ज नहीं किया गया है कि यह कब लागू होगा । मैं अर्ज़ करूंगा कि यह एक amending Bill है और एक section जो parent Act की है उस को amend कर रहे हैं। General clauses के तहत जिस रोज़ यह बिल Act की सूरत अख्तियार कर जाएगा और गवर्नमेंट गज़ट में publish हो जाएगा उसी रोज़ से अमल में आ जाएगा और इस का नफाज़ हो जाएगा । कुछ बातें publication और compensation के मुतअल्लिक कही गई हैं कि......................

श्री इन्द्र सिंह : मैं ने pending cases के मुतअल्लिक कहा है ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : Publications के बारे में मैं ने पहले भी यकीन दिलाया था कि यह rules का मामला है और मैं खुद इस बात का हामी हूं कि इन स्कीमों के मुतअल्लिक, जिन पर कि इनका असर पड़ता है या पड़ना है उन लोगों को उनके बारे में अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। जो schemes तैयार की गई हैं, मैं ने यकीन दिलाया था कि मैं खुद इस बात का हामी हूं कि उनकी कापी वहां लगा दी जाए और कापी पंचायत को भी दे दी जाए ताकि उनको पता लग जाए। मैं फिर यही बात दोहराना चाहता हूं कि यह जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है वह बेबुनियाद है। Compensation के बारे में भी पहले काफी कह चुका हूं और फिर उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है । दरअसल बात यह है कि हमारे दिमाग में वह नकशा है जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट चैनलज़ निकलती हैं और नहरें निकलती हैं। लेकिन मैं अर्ज़ करूंगा कि यह तो water-courses बनाने का सवाल है जोकि ज़मींदारों को आबपाशी के लिए बनाने हैं। जो

[सिंचाई तथा विद्युत मंत्री]

बात भी होगी वह जमींदारों को और shareholders को confidence में लेकर ही होगी और यह बात नहीं है कि कोई arbitrary फैसला हो जाएगा। यहां पर contours का भी ज़िकर किया गया है। मैं मानता हूं कि जहां बड़ी canal ले जानी है वहां यह चीज़ हावी हो सकती है लेकिन यहां तो खाल बनने हैं और खालों की तामीर में contours का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि एक महदूद जगह में यह खाल बनने हैं..................

श्री इन्द्र सिंह : खालों के बारे में जो cases pending हैं उनका क्या होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : अभी तक हमें powers ही नहीं थीं कि इन का फैसला करें। इस बिल की रू से वह ताक्त ली जा रही है ताकि वह जो इस किसम के cases हैं उनका जल्दी फैसला हो सके........

Mr. Speaker : He wants to know about the cases which are already pending?

श्री इन्द्र सिंह : जो दफा 20, 21 के तहत proceedings होती हैं मैं उनके मुतअल्लिक अर्ज़ कर रहा हूं कि खालों के बारे में जो cases pending हैं उनका क्या बनेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : आपका मतलब है कि इस के नफाज़ में आने के बाद क्या बनेगा ? मैं समझ नहीं सका हूं कि section 21 में क्या है........

श्री इन्द्र सिंह : वह यह है कि अगर कोई खाल...........

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात समझ गए हैं मगर वह off hand जवाब नहीं दे सकते। (The hon. Minister has understood his point but he cannot reply to it off hand.)

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री : जो cases court के पास हैं, collector के पास हैं या और किसी official authority के पास हैं लाज़मी तौर पर जिस कानून के तहत वह हैं उनका फैसला होगा ही। Parent Act जो है या उसकी sections जो हैं वह मनसूख तो नहीं हो गई हैं। जो भी cases उन sections के तहत pending हैं naturally उनका उनके मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस कानून के पास हो जाने के बाद पिछला Act तनसीख तो नहीं हो रहा है। इस लिए parent Act के तहत जो कार्रवाई होगी वह होगी। इस कानून के तहत जो आज Act की शकल अख्तियार कर रहा है आयंदा जो चीजें होंगी उस के तहत आ जाएंगी। अगर पहले तरीके से बहुत देर लगती थी और फैसला जल्दी नहीं होता था तो इस कानून के बन जाने के बाद इस में जो तकलीफ़ थी वह हल हो जाएगी.................

(चौधरी धर्म सिंह राठी : कब तक हल हो जाएगी ?) जब यह Act बन जाएगा, गवर्नमेंट गजट में publish हो जाएगा और नाफज़ हो जाएगा तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो मैं अर्ज़ करता हूं कि यह बिल निहायत ज़रूरी है। इसलिए इसे जल्दी पास किया जाए और Act की शकल दी जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Northern India Canal and Drainage (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE PUNJAB DISTRESSED PROFESSIONS (FACILITIES LOANS) BILL, 1958

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ agriculturists ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਕ Land Improvement Loans Act ਤੇ ਦੂਜਾ Agriculturists Loans Act-ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਹਾਨੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ calamity ਆ ਜਾਵੇ, ਅਗ ਲਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਯਕਲਖਤ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇਕ area ਤੇ ਤਾਂ grant ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ grant ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ loan ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ provision ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill be taken into consideration at once.

कामरेड मुन्नी लाल (शिमला) : सपीकर साहिब, जहां तक इस बिल के पेश करने के मकसद का ताल्लुक है वह मकसद तो बड़ा नेक है और मैं इस की सराहना करता हूं लेकिन इस के साथ ही मैं सरकार की तवज्जुह इस बात की तरफ़ दिलाना चाहता हूं कि इस बिल के बन जाने के बाद इस के misuse होने का ज्यादा डर है। हम ने पहले देखा है कि land lords के लिए, जो साहिबे जायदाद हैं, ज़मीनों के मालिक हैं, कर्ज़े देने के लिए जो २ Acts बन चुके हैं उनका बहुत misuse हुआ है क्योंकि बड़ी बड़ी रकमें चंद बड़े बड़े आदमियों ने ले ली हैं। अब हरिजनों के सिलसिले में या जिन के पास ज़मीन नहीं है उनको कर्ज़े देने की बात आई है और सरकार यह ताकत अपने हाथ में ले रही है तो मुझे

[कामरेड मुन्नी लाल]

डर है कि गरीब हरिजन demoralise होंगे और favouritism होगा। सरकार ज़्यादा कर्ज़े अपनी ही पार्टी के लोगों को देगी जिस तरह कि पहले होता आया है । अगर सरकार इस सिलसिले में assurance दे और अगर मिनिस्टर साहिब fair dealing की assurance दे सकते हैं तब तो मैं समझता हूं कि इन का मन्शा नेक है और इन को इस बात की वधाई दी जा सकती है। लेकिन अगर इस का उसी तरह misuse हुआ जिस तरह कि पहले अकसर होता आया है तब तो इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस का नतीजा यह होगा कि गरीब हरिजन demoralise होंगे और जिस तरह कि आज हर आदमी कहता है कि उसे backward करार दे दिया जाए उसी तरह यह demoralisation होगी और यह demoralisation की निशानी है। पहले भी इस किसम के जो कानून बने हैं उन में कोई lacuna रह गया है । एक lacuna यह भी है कि सारी ताकत सरकार ने अपने हाथ में ही रखी हुई है कि अपनी मर्ज़ी से फैसला करे कि यह कर्ज़ा किन लोगों को देना है और उस का नतीजा यह हुआ है कि लोग इनके पीछे पीछे भागते फिरते हैं और इस तरह political corruption बढ़ती है जिस का चर्चा हम काफ़ी अर्से से करते आ रहे हैं। यही बात अब होने का अंदेशा है । इस लिए मैं इन से कहूंगा कि वह इस चीज़ की assurance दें कि political corruption नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो इस बिल का मन्शा बड़ा नेक है।

ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ (ਧਾਰੀਵਾਲ): ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਸਦ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ landlords ਨੂੰ ਤੇ agriculture ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਤਜਰਬਾ ਸਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ। ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਸਦ ਲਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਚਿਟੇ ਕਪੜੇ ਪਾਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ flood relief ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗਰਜ਼ੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣੇਗੀ।

ਇਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਜ਼ਾ due ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ । ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਔਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਹਿਸਾਰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਔਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ development ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ. ਪੈਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ / ਖਾਦ ਦੀ ਤਕਾਵੀ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ । ਚੀਫ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਾ-ਵੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚਿਟ ਕਪੜੀਏ ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਲੀ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ / ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਮ ਸੁਨਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕਾਵੀਆਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ stay orders ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਥੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੀ floods ਕਰਕੇ ਔਰ ਕਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ bogus ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ recovery ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਅੰਗੂਠਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਆਦਮੀ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

श्री राम प्यारा (करनाल) : स्पीकर साहिब, मैं बिल्कुल layman हूं । क्लाज़ 2 में मैं देखता हूं कि रूल्ज़ बनाने की powers ली गई हैं । क्लाज़ 3 में recovery की powers ली गई हैं, क्लाज़ (4) में दूसरी powers ली गई हैं । मुझे कोई ऐसी क्लाज़ नज़र नहीं आई जिस में गवर्नमेंट ने यह इख्तियार दिया हो कि कर्ज़ा दिया जायगा। मैं ज्ञानी जी को दरखास्त करूंगा कि दोबारा देख लिया जाए। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इख्तियार नहीं मांगा।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਤਕਾਵੀਆਂ ਔਰ loans ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ

[ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ]

ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਤਕਾਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ । ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਲੇਕਿਨ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਛਡ ਕੇ refugee ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ । ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਛਾਣ ਬੀਨ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਔਰ ਇਮਦਾਦ ਦਿਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਵੀ ਹੋਈਆਂ । ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੁਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਢਿਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਫ਼ਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ due ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਸਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾਂ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰੁਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ । ਲਿਸਟ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬੇ ਅਸਰ ਆਦਮੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਤਲਿਕ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਵਾਜਬ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ । ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ । ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਲੀ ਦਿਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ । ਇਹ ਸਪਿਰਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੁਢੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਤਰ ਮਰ ਜਾਏ । ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੀ ਆਕੜ ਤਾਂ ਟੁਟ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰੀਜਨ demoralize ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਉਪਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਹੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਕਟ ਹੀ ਨਾ ਬਣੇ । ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ support ਕਰਨਗੇ ਤਾਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans)Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker : The House will now proceed to consider the Bill clause by clause.

SUB-CLAUSE (2) AND (3) OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clauses (2) and (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 2

Mr. Speaker : Now Clause 2 is before the House for its consideration.

Shri Inder Singh (Jind, General) : Sir, I beg to move—

In lines 5, *between* the words "loans" and "and" *insert* "free of interest".

In lines 8—9 *between* the words "fire" and "and" *insert* "severe drought, water-logging damage by heavy rains."

यह सीधी सादी सी amendments हैं। अगर loans पर सूद न लगाया जाये तो इस से ग़रीब आदमियों को फायदा हो सकता है। फिर इस क्लाज़ में कुछ categories तो हैं जिन्हें loan दिया जाना मकसूद है लेकिन मैं चाहता हूं कि इस में और categories के लोग भी शामिल किये जायें। पहली amendment तो शायद गवर्नमेंट न माने लेकिन मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करूंगा कि वह दूसरी amendment तो मान ले। जहां सख्त कहत पड़ गया हो और अन्न भी न मिलता हो उस सूरत में मुनासिब है कि कर्ज़ा दिया जाये। जहां सेम-ज़दा इलाका हो, किसी चीज की काश्त न हो सकती हो और लोग हिजरत करने लग जायें तो उन को भी कर्ज़ा दिया जाना ज़रूरी है। अगर ज़बर्दस्त बारिश हो जाये और उस की वजह से नुक्सान हो जाये तो temporary relief देने के लिये कर्ज़ा दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन तीन categories को शामिल किये जाने पर कोई objectionable बात नहीं। अगर वह चाहते हैं कि 85 लाख एकड़ सेम-ज़दा रकबा मुस्तसना करार दिया जाये तो इस तरह से बहुत बड़ी आबादी को फायदा नहीं पहुंचेगा। जहां अचानक आफ़तें नाज़िल होती हैं—बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, फसलों को नुक्सान पहुंचता है ऐसी सूरतों में उन को loan advance कर दिया जाना चाहिये। मुझे उम्मीद है कि वज़ीर साहिब इस amendment को ज़रूर accept कर लेंगे। मैं उन का मश्कूर हूंगा।

Mr. Speaker : Motions moved—

In line 5, between the words " loans " and " and " *insert* " free of interest ".

In lines 8-9, between the words " fire " and " and " *insert* "severe drought water-logging, damage by heavy rains ".

Shri Ram Piara (Karnal) : Sir, I beg to move—

At the end of the clause, *add* the following—

" and to persons having an income of rupees one hundred or less than rupees one hundred per mensem for purposes of imparting education in colleges to such of their children who have secured more than six hundred marks in the Matriculation Examination. "

मैं गवर्नमेंट को यह बिल पेश करने पर मुबारिकबाद देता हूं कि उस ने मुसीबत ज़दा लोगों को कर्ज़ा देकर मदद देने के लिये कदम उठाया है। यह amendment जो मैं ने पेश की है इस का मकसद यह है कि जैसे कोई अचानक मुसीबत नाज़ल होती है उस के साथ साथ हमारे प्रांत में कुछ ऐसे आदमी भी रहते हैं जो मुसीबत का शिकार हैं और वे अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो मांग कर पढ़ते हैं और matric के इम्तिहान में 600 से ज्यादा नंबर हासिल करते हैं। ऐसे ज़हीन लड़के पैसा न होने की वजह से तालीम जारी नहीं रख सकते। यह fertile brains हमारे सूबे के assets बन सकते हैं और हमारे सूबे की progress को काफ़ी आगे ले जा सकते हैं। ऐसे बच्चे हमारे सूबे का सरमाया हैं और इन में से बहुत से बच्चे Engineers, Scientists, Doctors और Artists बनेंगे। ऐसे बच्चे जो financial difficulty की वजह से मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हैं उन की मदद के लिये कर्ज़ा दिया जाना लाज़मी है। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि मैंने असैम्बली में दो-तीन सवाल पूछे जिन के जवाब में मुझे बताया गया कि पिछले साल matric पास करने वाले तुलबा में से 250 या 300 तुलबा ऐसे थे जिन के नंबर 600 से ऊपर थे। यह ज़रूरी नहीं कि सारे ग़रीब हों लेकिन 100 या 125 लड़के ऐसे हो सकते हैं जिन के वालदैन की आमदनी 100 रुपये माहवार से कम हो और वे आगे पढ़ने के शौकीन हों। अगर इन बच्चों को loans देने की facility extend कर दी जाये तो बहुत ज्यादा रुपया invest नहीं करना पड़ेगा। जब floods आते हैं तो एक ज़िले के flood-stricken लोगों की मदद करने के लिये कई लाख रुपया गवर्नमेंट खर्च कर देती है। लेकिन सारे पंजाब के ज़हीन गरीब बच्चों के लिए जो तालीम जारी रखना चाहते हों सिर्फ चंद लाख रुपया खर्च करने की ज़रूरत है। इसलिये मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरी amendment को मंज़ूर कर ले।

Mr. Speaker : Motion moved—

At the end of the clause, *add* the following

" and to persons having an income of rupees one hundred or less than rupees one hundred per mensem for purposes of imparting education in colleges to such of their children who have secured more than six hundred marks in the Matriculation Examination. "

माल मंत्री (ज्ञानी करतार सिंह) : स्पीकर साहिब, जो amendment श्री राम प्यारा ने पेश की है वह इस बिल के scope से बाहर है । यह बिल calamities यानी नागहानी आफतों की वजह से जो मुसीबतें नाज़ल होती हैं उन का मुकाबला करने के लिये लाया गया है और साथ ही यह बिल एक तरह से counterpart है उन लोगों के लिए जो बेज़मीन हैं । ज़मीन वालों के लिए Land Improvement Loans Act और Agriculturists Loans Act मौजूद हैं । इस किस्म की हू बहू बाकी आबादी है जिस के लिये यह बिल लाया गया है । पहले जो Acts हैं उन में किसी किस्म का concession नहीं । इस तरह से आबादी के एक हिस्से को concession देना वाजिब नहीं । चूंकि यह concession दूसरे Acts में नहीं दी गई; यह नागहानी आफतों के लिए है, आदमियों की मुसीबत के लिए नहीं । इस तरह तालीम के लिए अगर facilities दी जाएं तो बेकारी की हालत में क्यों न हों, बीमारी के लिये क्यों न हों । सिर्फ तालीम ऐसी चीज़ नहीं जिस के लिये provision किया जाये । इसलिये मैं समझता हूं कि यह amendment बिल के साथ fit नहीं करती और बिल के scope से बाहर है । इस में कोई शक नहीं कि उन का इरादा नेक और काबिले तारीफ़ है लेकिन अगर वह ऐसा बिल लाएं जो सारी आबादी को concession देता हो तो उस पर ग़ौर किया जा सकता है । इस बिल के सिलसिले में ऐसी amendment पेश करना मुनासिब नहीं होगा।

जो amendment चौधरी साहिब ने पेश की है उस में loans को free of interest देने का मुतालबा किया है । अगर यह मान ली जाये तो किसी हद तक aims को नाकाम बना देगी क्योंकि रकम पर interest तो इस तरह मिलना नहीं । गवर्नमेंट को interest पर आम तौर पर रकम देनी पड़ती है । जो रकम बतौर loan के free of interest दी जायेगी उस में से कुछ ऐसी रकम भी होगी जो वसूल न होगी । इस के मायने यह होंगे कि इस तरह से सिलसिला चल नहीं सकेगा और जिस मकसद के लिए बिल लाया गया है वह पूरा न हो सकेगा । इस तरह से थोड़ी तादाद में भी ग़रीब लोगों की मदद नहीं हो सकेगी । इसलिये मैं free of interest loan देने की तजवीज़ नहीं मान सकता ।

फिर मेरे दोस्त ने कुछ नागहानी आफतों का ज़िक्र किया । Severe drought की बात है, मैं मानता हूं । Waterlogging की बात है; यह तो ऐसी बात है कि अगर landless class को बचाया जाये तो मेरे दोस्त landowners के साथ हो जाते हैं । इस तरह की amendments तो उन Acts में करनी मुफीद होंगी जो पहले पास हुए हुए हैं । इस बिल में करने का कोई फायदा नहीं । Heavy rains से मकान गिर जाते हैं, water-logging से मकान गिर जाते हैं लेकिन हम waterlogging को इस हद तक नहीं पहुंचने देंगे कि इस तरह का नुक्सान हो । इस तरह की सूरते हालात पैदा नहीं होंगे । एक क्लास

[माल मंत्री]

के लोगों के मकानों को बचाने के लिए इंतज़ाम नहीं किया जा सकता; State के सब लोगों के बचाव का इंतज़ाम होना चाहिये। यह पहले ऐक्टों से सम्बन्धित चीज़ है। यह नहीं होनी चाहिये। बाकी damage by heavy rains का जहां तक ताल्लुक है, ज्यादातर damage hail storms से होता है। कभी २ थोड़ा बहुत heavy rains से होगा। उसके लिए मैं समझता हूं किसी खास provision की ज़रूरत नहीं। पहले उनके शब्द जो हैं, वह सूरत जो है, वह हों; उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए। बस इतना कह कर मैं अपनी अर्ज़ को खत्म करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तो ज्ञानी जी, जो चौधरी इंदर सिंह की तरफ़ से दूसरी amendment move हुई उसमें से आपने 'drought' के लफ्ज़ को मानकर इसे in part accept कर लिया है। (The hon. Revenue Minister has accepted the second amendment moved by Chaudhri Inder Singh in part by agreeing to add the word 'drought'.)

माल मंत्री : और दूसरा लफ्ज़ और है 'severe'।

श्री इन्दर सिंह : 'Severe drought' के अलावा और लफ्ज़ वापस ले लेता हूं ताकि कम अज़ कम यह तो हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसको नोट कर लें। (It should be noted.) (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : ज्ञानी जी ने इसको partially मान लिया है। (The hon. Revenue Minister has accepted this amendment partially.)

श्री इन्दर सिंह : यह पहला मौका है कि मेरी amendment मानी गई है।

अध्यक्ष महोदय : हां यह पहला मौका है। (Yes, this is the first occasion as such.)

Mr. Speaker : The second amendment of Shri Inder Singh, as modified, reads like this—

In lines 8-9, between the words "fire" and "and" *insert* "severe drought".

Now I will put the amendments to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

In line 5, between the words "loans" and "and" *insert* "free of interest".

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

In lines 8-9, between the words "fire" and "and" *insert* "severe drought".

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

At the end of the clause, *add* the following—

" and to persons having an income of rupees one hundred or less than rupees one hundred per mensem for purposes of imparting education in colleges to such of their children who have secured more than six hundred marks in the Matriculation Examination ."

The motion was, by leave, withdrawn.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 3

Mr. Speaker : Now Clause 3 is before the House.

Shri Inder Singh (Jind, General) : Sir, I beg to move—

In lines 7-8, for" as if they were arrears of land revenue" *substitute* " like civil debt"

जनाब स्पीकर साहिब, शायद ज्ञानी जी इस बात से मुकर जाएं। उन्होंने फरमाया था कि अगर हम loans free of interest कर दें तो इस का purpose ही defeat हो जाता है। मैं समझता हूं कि अगर interest से loans दिए जा रहे हैं तो उन में और money-lenders में कोई फर्क नहीं रह जाता। There will be no distinction between the Government and a person who carries on the business of money-lending. मुश्किल इस लिए है कि वज़ीर साहिब हकूमत के ऊपर बैठे हैं और वह कर्ज़ा भी देते हैं। और कर्ज़ा देकर उस के ऊपर सूद भी लेते हैं। तो फिर इनको वे facilities नहीं मिलनी चाहिएं जोकि Government को मिलती हैं। Government का फर्ज़ है कि किसी नेक मकसद के लिए, pious और sacred purpose के लिए loans दे यह बात मैं नहीं चाहता कि party purpose के लिए भी दे दें। जब सरकार इस बात को मानती है, वज़ीर साहिब इस से इत्तफ़ाक करते हैं, loan पर interest कम होना चाहिए; उस सूरत में कानून को अपनी सही position में लेना चाहिए। जैसा कि एक money-lending करने वाला आदमी कर्ज़ा देता है सूद के ऊपर, हालांकि वह कर्ज़ लेने वाले को बड़ी रियायतें भी देता है। तीन साल तक मोहलत देता है। अगर तीन साल के बाद हिसाब न चुकाए तो और मोहलत देता है। अगर फिर भी अदा न करे तो money-lender court की शरण लेता है। यहां यह position है कि अगर वह recovery एक मौका पर न हो तो फौरन उसकी कुर्की हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार और शाह में फर्क होता है। (There is a difference between the Government and the money-lender.)

श्री इन्द्र सिंह : शाह और सरकार में फर्क होता है। हमारे शाह बैठे हैं Revenue Minister । हम ने उनको अख्तियार दिए हैं Tax लगाने के, वसूली करने के। जब हम यह बात कहते हैं, तो उनको मान लेना चाहिए। जब एक असूल है सूद पर रुपया देने का तो वह Government और private लोगों पर equally लागू होना चाहिए । जब सरकार उससे कोई leniency करने के लिए तैयार नहीं; जो distressed persons हैं उन्हें ही loan दिया जाएगा तो कोई वजह नहीं है कि वही कानून जो civil loans के तहत है वह apply न करें। सरकार उन से कर्ज़े की वसूली करने के लिए 'as arrears of land revenue' वसूली न करे बल्कि अदालत में दावा करे तीन साल के बाद अगर वसूली न हो। अगर डिग्री मिल जाए तो उसकी दूसरे तरीके से execution करें और उसकी वसूली करें। मैं मानता हूं कि ज्ञानी जी अपने आप को माकूल समझते हैं । एक तरफ ऐसा कानून बना देते हैं कि गरीब आदमियों को, हरिजनों को कर्ज़ा दे रहे हैं, दूसरी तरफ interest लेते हैं शाईलौक की तरह । एक तरफ तो जो calamity ridden आदमी हैं उनको loans दे रहे हैं। दूसरी तरफ शाईलौक की तरह सूद पर देते हैं कि जितना खून उनमें है वह निकाल लेना है। यह बहाना, यह तरीका छोड़ देना चाहिए। Government उन लोगों की representative Government है । वह फर्ज़ों को नहीं समझते । जो ordinary citizen को right हो सकता है वही सरकार को होना चाहिए। कोई special right नहीं होना चाहिए, जब यह loan interest पर देती है । मुझे उम्मीद है वज़ीर साहिब इस बात को मंज़ूर फरमाएंगे ।

Mr. Speaker : Motion moved—

In lines 7-8, for "as if they were arrears of land revenue" *substitute* "like civil debt".

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਏਸ ਮੁਆਮਲੇ ਵਿਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੀ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯਾ ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਾਹ ਯਾ ਮਨੀ-ਲੈਂਡਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲਵੇ। ਇਕ ਆਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਕ ਪੈਸਾ ਫੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੋ 19 ਰੁਪਏ ਸੈਂਕੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਏਸ ਇੰਟਰੈਸਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ? ਇਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਰੁਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ

ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੋ ਰੁਪਿਆ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ । ਇਹ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਸਾਂ ਤਕ ਮੁਕਦਮੇ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰੇਸਟ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ । ਇਹ ਬਤੌਰ ਏਰੀਅਰਜ਼ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਰੈਵਿਨਿਊ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਕੋੜਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਕੌੜੀ ਗੋਲੀ ਕਢਦੀ ਹੈ । ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਸੂਲੀ arrears of land revenue ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕੋ ਤਕੜੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲ ਸਕਦਾ । ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਭੁਗਤਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਲਾ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਪਰ ਸੂਦ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ suggestion ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਵਸੂਲੀ arrears of land revenue ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is—

In lines 7-8, for "as if they were arrears of land revenue" *substitute* " like civil debt.

The motion was lost.

Mr. Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

CLAUSE 4

Mr. Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

SUB-CLAUSE 1 OF CLAUSE 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried

TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill, as amended, be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill, as amended, be passed.

मौलवी अब्दुल ग़नी डार (नूह) : स्पीकर साहिब, मैं आप के ज़रिये ज्ञानी जी को मुबारकबाद देता हूं। मुझे यकीन है कि जो सैलाब से या बरसात से घर बरबाद हुए हैं, काफी घर बरबाद हुए हैं, उन को इस से काफी रिलीफ पहुंचेगा। मुझे यह भी यकीन है कि जो ज्ञानी जी ने यह यकीन दिलाया है कि जिन लोगों ने नाजायज़ असर से रुपया लिया है और उस को वापस नहीं किया, उस रुपये को वापस लेने के लिए वह जद्दोजहद कर रहे हैं और आइंदा इस रुपये को गलत तरीके से नहीं जाने देंगे। स्पीकर साहिब, आप को याद होगा कि यहां कहा गया था कि पंचशील इंडस्ट्रियल को-आपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैं ने कर्ज़ा मांगा था और इन्होंने नहीं दिया था इस लिये मैं नाराज़ हो गया हूं। लेकिन, स्पीकर साहिब, असली बात यह है कि मैं ने इन को कहा था कि इस में फ्राड होता है, आप कर्ज़ा न दें। लेकिन सरकार ने न जाने क्यों दो लाख मंज़ूर कर दिया। मुझे यकीन है कि अब ज्ञानी जी इस तरह से किसी और पंचशील को रुपया नहीं लेने देंगे। उन्होंने कुछ और कहा, हालांकि बात इस के उल्ट थी। मैं आपोज़ीशन वाले भाइयों से दरखास्त करूंगा कि चूंकि ज्ञानी जी ने विश्वास दिलाया है, यकीन दिलाया है, और वह कहते हैं कि बड़ा नेक बिल हैं, ग़रीबों के फायदे के लिये हैं इस को जल्दी ही पास कर दें।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ socialists ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਭਰਦਵਾਜ ਵਿਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਵਿਚ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਂਦਰਾਂ

ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ । ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਪ ਹਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਵਰਤ ਰਖਕੇ ਪਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ । ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉ । (The whole night is at our disposal. The hon. Member may proceed on with the story.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਬੈਠਣ ਦੀ practice ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ non-stop sitting ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰ ਮਚਾ ਦਿਤਾ, ਖਾਣਾ ਚੁਕ ਕੇ ਭਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਪੜੇ ਲੈਕੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਊਧਮ ਮਚਾਇਆ । ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਯੁਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿਥੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ । ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਚ ਖੜਾਵਾਂ ਰਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਉਪਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਦਰ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ । ਉਹ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਕਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਛੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ । ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਨ......(*Interruptions*)

Mr. Speaker : Order please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬਾਨਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई इस बहस को पढ़ेगा तो आप को कोई कुछ नहीं कहेगा, वह तो मुझे ही blame करेगा । (If anybody will read this debate he will not blame you, but he will blame me.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ blame ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ।

8-00 p. m.

ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਿਆ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਲੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਕ ਬਾਂਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਕੋਲ ਗਿਆ..........

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ । (I have not been able to follow the hon. Member.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਉ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਕ ਬਾਂਦਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ । ਜਾਕੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਵਾਂ ਲਖਵਾ ਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦਸ ਫੀ ਸਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਸਨ, ਬਾਕੀ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਮਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਲਉ । ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ।

ਸ੍ਰੀ ਸਪੀਕਰ : ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਸਣਾਉਣੀ ਹੈ। (The author did not know that Chaudhri Balbir Singh would narrate this story in the Assembly.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਪਈ । ਸੋ finally ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਅਯੁਧਿਆ ਜੀ ਵਿਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। (*interruptions*) ਜੋ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ political considerations ਦੇ ਨਾਉਂ ਤੇ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ political corruption ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗਲ ਨਹੀਂ । ਇਕ ਬੜੀ serious ਚੀਜ਼ ਹੈ । ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ । ਉਹ ਹਰੀਜਨ ਸੀ । ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਲ ਗਏ । ਉਸ ਨੂੰ relief ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਕਿਉਂ ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾਲ ਤੁਅੱਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਉਥੇ ਹੀ ਇਕ ਬਾਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਗ ਲਗ ਗਈ । ਉਸ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਿਆ D.C. ਵੱਲੋਂ relief ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

अध्यक्ष महोदय : यह कैसे relevant है। (How is it relevant?)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਲਈ ਕਿ grant of loans ਵਿਚ ਵੀ political considerations, ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪ ਦੇ notice ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ socialists ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਵਾਂਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਦੰਦ ਵਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਵੇਲੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਛਦਾ ਨਹੀਂ। (*Interruptions*) ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ political corruption ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ needy persons ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਈਲਾਕ ਵਾਲੀ ਗਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਨਾਮ "Distressed persons.........ਹੈ--ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਸੀਬਤਜ਼ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ (ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਾਲਮੀਕ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ, ਵੀਹ ਅਤੇ ਤੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ—ਜੋ ਰਾਮਾਇਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ—ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਰਥ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਥੇ ਜੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਗਾੜਨ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। (ਹਾਸਾ) ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Mr. Speaker : Question is —

That the Punjab Distressed Persons (Facilities for Loans) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

वित मंत्री (श्री मोहन लाल) : स्पीकर साहिब, जो बिल item No. 13 पर है इसे move करने का हमारा मनशा नहीं है क्योंकि इसके मुतअल्लिक काफ़ी difference of opinion है। इस का examination करवाना है कि आया यह regional bill है या नहीं।

Mr Speaker: Yes please be sure of that.

ਸਰਦਾਰ ਉਮਰਾਉ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਉਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।

Mr. Speaker: They are not moving it.

THE EAST PUNJAB REFUGEES REHABILITATION (BUILDINGS AND BUILDING SITES) (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to introduce the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites) (Amendment) Bill, 1958.

Minister for Revenue : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ rehabilitation ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ buildings ਔਰ building sites ਦੇ ਮੁੱਤਲਿਕ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਤਾਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ lease ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ definitions ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਥੇ lease ਦੀ definition ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "rehabilitation authority" ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ lease ਤੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ lease ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "State Government" ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ rehabilitation authority ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ conflict ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ building sites ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ land revenue ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਜੇ lease ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ Rehabilitation authority ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਇਸ conflict ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites) (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will proceed to consider the Bill clause by clause.

CLAUSES 2, 3 AND 1 AND TITLE

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2, 3 and 1 and the Title stand part of the Bill.

The motion was carried.

Minister for Revenue : Sir, I beg to move—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites)(Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites)(Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the East Punjab Refugees Rehabilitation (Buildings and Building Sites)(Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

THE SIKH GURDWARAS (AMENDMENT) BILL, 1958

Minister for Revenue (Giani Kartar Singh) : Sir, I beg to introduce the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill.

Minister for Revenue : Sir, I beg to move—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 30th June, 1958.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 30th June, 1958.

अध्यक्ष महोदय : 30 जून तक इस के लिये time बहुत थोड़ा है। (The time allotted up to 30th June, 1958, for submission of its report is quite insufficient.)

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ : ਇਹ agreed ਬਿਲ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ sittings ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Mr. Speaker : I am told by the Secretary that the Committees have not yet finalised the by-laws.

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : ਰੂਲਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ।

Mr. Speaker : Giani Ji, may it be said, " Within one or two months on the finalization of the by-laws ".

ਮਾਲ ਮੰਤ੍ਰੀ : Practically By-laws ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਇਹ by-laws ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦਾ time ਬਹੁਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Sikh Gurdwaras (Amendment) Bill be referred to the Regional Committees with a direction to make a report by 30th June, 1958.

The motion was carried.

RESOLUTION UNDER CLAUSE (5) OF ARTICLE 320 OE THE CONSTITUTION

Mr. Speaker: इस resolution पर discussion के लिये half an hour काफी होगा । (I think half an hour discussion on this resolution would be quite sufficient.)

Shri Prabodh Chandra : Sir, I beg to move—

That the order of the Governor relating to the additions to Schedules 'A' and 'B' referred to in regulations 3(b) and 3(f), respectively of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, namely:—

(The hon. Member omitted to read item No. 15)

(16) Assistant Registrars of the Medical College, Amritsar.

(18) Technical Organiser in the Industries Department.

Officer-in-charge, National Discipline Scheme in the Education Department.

SCHEDULE B

(7) Consolidation Officers in the Consolidation of Holdings Department, Punjab appointed up to the 31st March, 1956, and thereafter, be repealed.

जनाबे आली, हमारी constitution की जो दफा 320 है उस में हमारे सूबा की Public Service Commission को जो हक मिले हैं उन की जो definition है वह बिल्कुल definite है । मगर बदकिस्मती यह है कि constitutional safe-guards, recruitment के सिलसिले में लोगों के लिए जो इस में provide किये गये हैं वह आये दिन

किसी न किसी बहाने उस से छीने जाते हैं । जहां तक technical posts का सवाल है, हमारी गवर्नमेंट उन पर जो recruitment करना चाहती है उन पर Public Service Commission के मेम्बरान को कोई objection नहीं । इसी तरह जो specialised services हों उन की recruitment पर भी Public Service Commission को कोई objection नहीं हो सकता । मगर, जनाबे आली, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि हर सैशन में कोई न कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हमारे सामने आ जाती है और उस के लिये यह कहा जाता है कि इस को Public Service Commission के purview से निकाल दिया जाये । बदकिस्मती से जो हमारा पिछला तजरुबा है वह हमें कोई हौसला नहीं देता कि आये दिन यह नई मांग हमारे सामने रखी जाये । पिछला तजरुबा तो यह चाहता है कि इस तरह की जो मांगें पहले मंज़ूर की गई हैं वह भी हम मनसूख करें । पिछले चन्द सालों में Block Development Officers की कुछ नौकरियां हमारी गवर्नमेंट ने खुद भरी हैं। जब हम उन आदमियों के नाम देखते हैं और उन की qualifications देखते हैं, जो इन पर नौकर रखे गये हैं, तो बदकिस्मती से हमें यह एहसास होता है. . .

"साकी निवाज़श उन पे है पीने का सलीका जिन को नहीं।
दस्तूरे अमल गर यह ही रहा तो आबाद न होगा मैखाना।।"

(आपोज़ीशन की ओर से तालियां)

जिन लोगों को Block Development Officers रखा गया है उन की qualifications क्या हैं, यह आप सुन कर हैरान होंगे । या तो वह Matric हैं या वह पहले Agriculture Department के Clerks थे । यह अफसर......

Minister for Finance : Sir, I rise on a point of order. इस motion में specific cases दिये हुए हैं, जोकि तीन-चार items ही हैं। इन के बाहर references नहीं किये जा सकते । जिस case के बारे hon. Member कह रहे हैं that is not within the scope of this motion. यह relevant नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : (श्री प्रबोध चन्द्र से) आप ने जो items अपने resolution में refer किये हैं, आप उन्हीं के बारे में कहें । (Addressing Shri Prabodh Chandra—the hon. Member should confine his speech to the items which he has referred in his resolution.)

श्री प्रबोध चंद्र : जनाबेआली, हम ने बड़ी फराखदिली के साथ गवर्नमेंट को वह अख्तियारात दिये जो इस ने मांगे हैं । मैं यह case इस लिये refer कर रहा हूं क्योंकि आग का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है । Public

[श्री प्रबोध चंद्र]

Service Commission के purview से यह posts निकाल कर इन पर लगाया किन आदमियों को जाता है ? इन पर लगाया उन को जाता है जो या तो मेम्बरों के रिश्तेदार हों या कमिश्नरों के साहिबज़ादे हों। इस पर लोग नुक्ताचीनी करने लग जाते हैं। मैं तो यह चाहता हूं कि अपनी गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा powers दी जायें लेकिन जब हम Annual Report of the Public Service Commission from Ist April, 1956, से 31st March 1957, तक की पढ़ते हैं तो, जनाब, यह कहना पड़ता है कि एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि सात या आठ जगहों के लिये Public Service Commission ने पंजाब गवर्नमेंट के conduct पर objections उठाये हैं।

मैं ने जैसे आगे भी कहा है...........

अध्यक्ष महोदय : आप mike के इतना नज़दीक से बोलते हैं कि आवाज़ resound करती है। (The hon. Member speaks so near to the mike that his voice begins to resound.)

श्री प्रबोध चंद्र : अच्छा जी। मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस के हक में सवाल का जवाब देते हुए कहा गया कि इन में 50 फीसदी देश-भक्त मुकर्रर किए गए हैं................

Minister for Finance : Sir, I again rise on a point of order. The hon. Member is irrelevant. The discussion should be on the specific items and that there should be no general observations.

Mr. Speaker : He is referring to a question ; when a question was put the reply came that they were 'Desh Bhagats'.

श्री प्रबोध चंद्र : जनाब, मैं यह कनसौलिडेशन अफसरों के बारे में अर्ज़ कर रहा था। यह मुझे प्रोवोक न करें...... (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय : आप इंट्रप्शन करके मुझे भी मुश्किल में डालते हैं। कुछ समझ में नहीं आता ? (The hon. Member puts me too in a difficulty by interrupting. I cannot understand this.)

श्री प्रबोध चंद्र : इस में कनसौलिडेशन अफसरों के बारे मांग की गई है। फिर बड़े फख्र के साथ कहा गया था कि साहिब देश-भक्त चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, चाहे वह अंग्रेज़ी न बोल सकता हो, उस की अहलियत की कनसैप्शन से यह लफज़ निकाल दिए गए हैं। मैं भी देशभक्तों की इज़्ज़त करता हूं, मेरा तो असूल यह रहा है कि जो कुत्ता अंग्रेज को काटे उस के मुंह को चाहे गंदगी लगी हुई हो तो भी मैं उस के मुंह को चाट लूंगा। मगर जो कुछ गवर्नमेंट करती है इन देशभक्तों के नाम पर वह ठीक नहीं है। जो मुलाज़मतों में रखे जाते हैं उन का देशभक्ति के साथ दूर का वासता भी नहीं होता, बल्कि वह आदमी रखे जाते हैं जो 1857 के गद्दार हैं। ऐसे लोगों को नौकर रख कर उन को देशभक्तों का नाम दिया जाता है। (अपोज़ीशन

की तरफ से तालियां) आज `शभक्तों की रूहें यह `ख कर कांपती होंगी कि उन के नाम पर फायदा उठाने वाले कौन हैं। (घंटी) मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस से हमारी गवर्नमेंट को नेक नामी नहीं मिलेगी जिनके यह फंक्शन्ज़ हैं उन को ईमानदारी से इन्हें पूरा करने दिया जाए क्योंकि the conception of good Government is that it should interfere the least with the affairs of the people. तो दूसरों को फंक्शन करने का मौका दिया जाए। जिन चीज़ों का constitution के तहत फंक्शन करने का हक है अगर उन के हक के खिलाफ जाते हैं तो मैं मुखालफत करता हूं। अगर हाइयेस्ट अथारिटी को इस तरह एक तरफ किया जा सकता है तो डिमौरलाइज़ेशन होती है। हमारे यहां यह जो डिमौक्रेसी है यह एक नन्हा बच्चा है। इस तरह की बातें कर के इस के गले पर छुरी फेरी जा रही है। डिमौक्रेसी से हर आदमी का दिल टूट जाएगा। आज हर आदमी उंगली उठाता है। आज इस के तहत चंद आदमी हकूक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो मनिस्ट्रों.... (घंटी) मैं हाउस के सामने और खास तौर पर डिप्टी लीडर के सामने जो इस वक्त यहां बैठे हैं यह कहूंगा कि वह खुद ऐसी चीज़ों को वापिस ले लें। डिप्टी लीडर साहिब ने इन में से एक चीज़ के बारे कहा था कि यह ज़रूरी है, सारे देश इसी तरह करते हैं और इस के हकूक गवर्नमेंट को दे दिए जाएं। मगर जो दूसरे हैं उन का क्यों किया जा रहा है? पब्लिक सर्विस कमिशन के मैम्बरान किस लिए हैं? दूसरी जो सर्विसिज़ हैं वह उन के ज़रिए ही रिक्रूट की जाएं। इन इल्फ़ाज़ के साथ मैं डिप्टी लीडर साहिब से कहूंगा कि वह या तो इस सिलसिले में कोई कदम उठाएं या उस के लिए हिदायात दें।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the order of the Governor relating to the additions to Schedules 'A' and 'B' referred to in regulations 3(b) and 3(f), respectively, of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, namely :—

SCHEDULE A

(15) Fire Officers in the Civil (Home) Defence Department.

(16) Assistant Registrars of the Medical College, Amritsar.

(18) Technical Organiser in the Industries Department.

Officer-in-charge, National Discipline Scheme in the Education Department.

SCHEDULE B

(7) Consolidation Officers in the Consolidation of Holdings Department, Punjab appointed upto the 31st March, 1956, and thereafter, be repealed.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਨਰਲ) : ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜੋ resolution move ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ Public Service Commission ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਅਜ

[ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ]

ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਖਤਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਜ ਉਸ ਦੇ purview ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਉਂ ਕਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪਰ ਲੋਕ convince ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ political corruption ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ fit ਨਹੀਂ open competition ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ backdoor ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ posts ਨੂੰ Commission ਦੇ purview 'ਚੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਿਰਦ ਘੁਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਣੇ ਤਅੱਲਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ backdoor ਰਾਹੀਂ appoint ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ordinance ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਰਨਾ ਕੀ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ appoint ਕੀਤੀ ਹੋਈ authority ਤੇ faith ਨਹੀਂ ? Opposition ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. . . . .

योजना मंत्री : On a point of order, Sir. जनाब, मैं यह submit करूंगा कि इस वक्त जैनरल बहस नहीं होनी चाहिए। यह तो Public Service Commission की Report पर हो सकती थी। इस वक्त specific instances दे कर बात कही गई है। इस वक्त तो वही दलीलें दी जा सकती हैं जो इन instances के बारे हों। General discussion का मैं जवाब तो दे दूं मगर इस वक्त तो इन specific points पर ही बहस होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : Resolution जो दिया गया है, वह एक अलग shape में दिया गया है। इस में 7 specific बातें रखी गई हैं। इस लिए relevancy judge करना मुश्किल है। इन बातों को justify करने के लिए resolution से बाहर भी कुछ न कुछ कहना ही पड़ता है। (The resolution has been framed in an unusual form. As many as seven specific instances have been included in it. Therefore, to judge relevancy is a difficult job. However, one has to go beyond the scope of the resolution to justify these instances.)

वित्त मंत्री : By way of introduction तो कोई बात हो सकती है मगर mover साहिब ने तो इन की justification ज़ाहिर करने के लिए इन में से एक बात को भी touch नहीं किया।

Mr. Speaker : You better reply, जब आप खड़े हों। (You better reply during your speech.)

वित्त मंत्री : Irrelevant matter आ रहा है।

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਿਚ ਕੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ . . . .

Mr. Speaker : No such remarks, please.

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਆਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ faith ਕਿਉਂ ਘਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ competent ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ ? ਅਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ Democracy ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह तो सारी रात ही discussion होती जाएगी । सबुह 9 बजे से बैठे हैं । इस में specific मिसालें दी हैं 15 से 18 तक और 7 । इन पर बात करें । जैनरल तौर पर तो आप सारी रात बहस कर सकते हैं । जो बात आप ने एक दफा कह दी, जैसे कुछ posts Commission के purview से निकाल दी हैं क्योंकि वह लोग competition में नहीं आ सकते तो उस के बाद और बात भी करें । (In that manner the discussion will continue throughout the night. This contains specific instances viz. item numbers 15 to 18 and 7. The hon. Member should speak on these. He can continue general discussion throughout the whole night. He has said one specific thing that certain posts have been taken out of the Commission's purview because certain people can not get these posts through competition. That is one point; now he should take up the others.)

ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ : ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ Public Service Commission ਪਾਸੋਂ ਇਖਤਿਆਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ political corruption ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਜ਼ੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

श्री राम चन्द्र कामरेड (नूरपुर) : स्पीकर साहिब , गवर्नमेंट जो पालिसी इख्तियार कर रही है वह अच्छी नहीं । सरकार यके बाद दीगरे सर्विसिज़ को पब्लिक सर्विस कमिशन के परवियु से निकाल रही है । यह मैं समझता हूं कि अपनी पावर का गलत इस्तेमाल है और सरकार अपने आदमी भर्ती करना चाहती है । गवर्नमेंट की शोहरत का तकाज़ा यही है और नेकनामी का तकाज़ा यही है कि इस सिलसिले को जल्द बन्द किया जाये । आप, स्पीकर साहिब, वकील हैं और लायक हैं । आप ने भी फ्रांस की हिस्टरी पड़ी होगी और देखा होगा कि निपोलियन बोनापार्ट के भतीजे जब प्रेज़ीडेंट इलैक्ट हुए तो उन्होंने किस तरह से हकूमत को चलाया । वह चाहते थे कि मैं ऐम्परर बन जाऊं । और इस गर्ज़ से उन्होंने जगह जगह पर अपने आदमी भर्ती करने शुरू कर दिए और कहा कि जब मैं मीटिंग में जाऊंगा तो तुम सब यह नारा लगा कर कह देना 'शहनशाह जिन्दाबाद' ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मुझे इस बात का क्रैडिट देना चाहते हैं कि मैं ने हिस्टरी को पढ़ा है तो आप कुरैक्ट कर लीजिए वह निपोलियन बोनापार्ट नहीं था, लियुई निपौलियन था। (In case the hon. Member is in favour of giving me credit with the study of History, then he may correct his statement. This was Louis Napoleon and not Napoleon Bonaparte.)

श्री राम चन्द कामरेड : बहुत बेहतर जनाब। यह एक हकीकत थी कि लियुई निपौलियन ने अपना प्रैशर बढ़ाने के लिए इसी तरह से जगह जगह पर अपने आदमी भर्ती किए और चाहा कि वह ऐम्परर बन जाए। इस तरह के tactics से उसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसी फिज़ा पैदा कर ली कि वह वहां पर ऐम्परर बन ही गया। इस लिए अगर सरकार इस तरह की फिज़ा कायम करना चाहती है तो यह ठीक नहीं और यह दुःख की बात है कि सर्विसिज़ को आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक सर्विस कमिशन के परवियु से निकाल लिया जाए।

Chaudhri Balbir Singh : On a point of order, Sir. Shri Harbhagwan Maudgil has crossed the Floor.

Shri Harbhagwan Maudgil : I am sorry, Sir.

Mr. Speaker : I will warn the hon. Member. He should better go back the way he came.

(At this stage Shri Harbhagwan Maudgil, in compliance with the ruling of the Chair, went back the same way to his seat.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : स्पीकर साहिब, मैं ने एक question किया था कि कितने ओहदों को Public Service Commission के purview से निकाला गया है लेकिन, जवाब में केवल categories के बारे में बताया है कि इन categories को निकाला है, posts के बारे में कुछ नहीं बताया। कहीं publicity के महकमा में और कहीं blocks के अन्दर कई आदमियों को post कर दिया है और कोई भी criterion नहीं रखा गया है। यह सब personal appointments बना दी गई हैं। हमने देखा है कि जब Sub-Registrars की posts को Public Service Commission के purview से निकाला गया है तो किन आदमियों को और किस तरह से Sub-Registrars रखे गये।

अध्यक्ष महोदय : इस में Sub-Registrars का ज़िक्र नहीं है। (The Sub-Registrars are not mentioned in it.)

श्री राम चन्द्र कामरेड : मैं तो असूल की बात कर रहा था कि अगर कोई खास technical posts हों तो सरकार बेशक purview से निकाल ले और इसी पर इक्तफा करे तो ठीक है लेकिन यहां यह जो पालिसी

गवर्नमेंट adopt कर रही है हम इस से इत्तफ़ाक नहीं कर सकते कि हरेक post को जहां अपने आदमी लगाने हों purview से निकाल लिया जाए। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं और श्री प्रबोध चन्द्र की तरफ़ से पेश किए गए resolution की ताईद करता हूं।

शिक्षा तथा श्रम मंत्री (पंडित अमरनाथ विद्यालंकार) : स्पीकर साहिब, इस resolution में जो फहरिस्त दी गई है उस में Education Department का भी एक Officer Incharge, National Discipline Scheme का है। मैं इस के बा` में कुछ अर्ज़ करना चाहता हूं। मुझे इस बात पर अफ़सोस है कि मेरे दोस्तों ने इस appointment पर एतराज़ किया है। अगर उनके अन्दर ज़रा भी appreciation का मादा होता तो वह इस तरह का एतराज़ न करते। वह आदमी जिसकी appointment पर मेरे दोस्तों ने एतराज़ किया है वह कौन है और उसने कितना महान काम हमारे देश में किया है इसके बारे में मैं अर्ज़ करूं कि उन्होंने 25 साल तो जेल में गुज़ारे हैं और जेल से बाहर आ कर नौजवानों को संगठित किया है और उन के अचरणों में उन्नति की है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वह कांग्रेस के मेम्बर नहीं हैं बल्कि वह तो नौजवानों को ठीक रास्ते पर लाने का प्रयतन कर रहे हैं।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ? शिक्षा तथा श्रम मंत्री : वह हैं बाबा पृथ्वी सिंह लाडरू। उनको कुरबानियों को सामने रखते हुए उन्हें भी इस ज़ुमरे में रख लेना बाइसे शर्म है। मैं तो इस तरह उन के बारे सफाई पेश करने में भी शर्म महसूस करता हूं, क्योंकि उन का शानदार रिकार्ड किसी सफ़ाई का मुहताज नहीं।

ਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ : ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਉ। शिक्षा तथा श्रम मंत्री : स्पीकर साहिब, मैं यह चाहता हूं कि उनका ज़िक्र कम से कम इस तरह यहां पर नहीं लाना चाहिए। वह 65, 66 साल से ऊपर की आयु के हैं और उन्होंने ज़िन्दगी ही देश सेवा में लगा दी है। और इस तरह से जो नौजवानों को उतसाहित करते हों उन्हें किस तरह बाकी दरखास्तों के साथ Public Service Commission के सामने भेजा जा सकता है। इस लिए मेरी दरखास्त है कि इस तरह की फहरिस्त तैयार करते समय sense of proportion होनी चाहिए। और देखा जाना चाहिए कि किस आदमी पर एतराज़ किया जा रहा है। मैं गवर्नमेंट की तरफ़ से और Education Department की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारी conscience clear है और यह appointment की गई है। Clear conscience से की गई है। वह नौजवानों में कांग्रेस का प्रचार नहीं करते परन्तु

[शिक्षा तथा श्रम मंत्री]

देश भक्ति का प्रचार करते हैं और नौजवानों का character build करने में सहायता कर रहे हैं। वह नौजवानों के सम्पर्क में आते हैं और नौजवानों को भी मौका मिलता है अपना जीवन सुधारने का। इस लिए मैं दरखास्त करूंगा कि इन का नाम इस फहरिस्त में इस तरह न लिया जाए। मैं इस के साथ यह भी बताना चाहता हूं कि वह खुद नहीं आए बल्कि हम उन्हें खुद लाए हैं। उन्होंने 1½ साल तक राजस्थान में काम किया है और हम ने खुद पंडित जवाहर लाल जी को कहलवा कर इन्हें लिया। लेकिन इस तरह इन्हें बाकी की list के साथ जोड़ देना अच्छा न था। इनकी services का तो लिहाज़ कर लेना था। इस तरह के एतराज़ करना हाउस के लिए इज्ज़त की बात नहीं और जो काम इन्होंने किया है उसको यह हाउस सराहना करेगा बजाए इस तरह निन्दा करने के। मुझे आशा है कि हाऊस इस post को further criticise नहीं करेगा। (*Interruptions*)

योजना मंत्री (डाक्टर गोपी चन्द भार्गव) : जनाब स्पीकर साहिब, जो नाम इस resolution में दिए गए हैं उन में से एक अफसर के मुतअल्लिक मुझे खुद भी इलम है और मेरे से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसके बारे में कुछ अर्ज़ करूँ। इस में Technical Organiser in the Industries Department पर भी objection किया गया है और कहा गया है कि इस post का purview से इखराज क्यों न किया जाए। Resolution पर जो भाई इस वक्त तक बोले हैं वह सिवाए general बात करने के और कुछ नहीं कह पाए। जो उन्होंने Development Department का नाम लिया है उसके बारे में मुझे हैरानी है कि किसी ने भी specific बातें नहीं कहीं जिन का जवाब मैं पाता और शायद उन्होंने इसे discuss करना पसंद नहीं किया। इस लिए, स्पीकर साहिब, मैं अर्ज़ करूंगा कि वह इस तरह के एतराज़ न करते। जो उन्होंने मुनासिब समझा उसका ज़िक्र उन्होंने किया है। लेकिन यह अच्छा होता कि वह specific मिसालें देते ताकि सरकार उसके लिए जवाब देती। लेकिन बगैर किसी specific बात के general discussion शुरू कर देनी और कह देना कि फलां posts को क्यों purview से निकाला गया है, वाजिब बात नहीं है। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि सब posts को Public Service Commission की मारफत पुर किया जाता है और अगर किसी खास केस में, बहुत कम और बहुत ज़रूरी केसों में, कोई post purview से निकाल ली जाए तो एतराज़ नहीं किया जा सकता, exception तो rule को prove करती है। Exception proves the rule. इस में न कोई मेरा ज़ाती फायदा है, न सरकार का कोई interest है।

Industry के महकमे में Technical organiser रखने के बारे में जो एतराज़ किया गया है उस के बारे में मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि खादी के काम को

partition के बाद बहुत नुकसान हुआ है। जब partition हुआ तो नूरपुर, में काश्मीर के लोग पशमीने का काम करते थे और केवल शाल ही तैयार न करते थे बल्कि कसीदे का काम भी करते थे। जो शाल काश्मीर में तैयार होती थीं वही नूरपुर में भी तैयार होती थीं। Partition की वजह से उस वक्त वह लोग वहां से चले गए। इस के बाद इस industry को नुकसान पहुंचा। हमने काश्मीर गवर्नमेंट को भी approach किया और assurance भी दी कि हम weavers की जान और माल की हिफाज़त करेंगे और माकूल तनखाह भी देंगे। लेकिन बावजूद इन तमाम कोशिशों के हम उन्हें वहां से न ला पाए और इस काम को develop न कर पाए। हम ने यह फैसला किया कि हम अपने काम को कांगड़ा के ज़िला में फ़रोग देना चाहते हैं। वह मेरा इलाका है जहां पर कि इस काम में आसानी से development हो सकती है। जब यह development काश्मीर में हो सकती है तो कोई वजह नहीं है कि यह यहां पर न हो। इस काम काज के लिये एक आदमी को recruit करना पड़ा, जिसे हर तरह से पहले certify करके recruit करना था। यह देखा गया कि वह इस काम को पूरा भी कर सकता है या नहीं। इस लिये यह तसल्ली की गई कि वह इन सारे कामों को जानता हो। यह पता लगा कि वह woollen works, woollen weaving, shawl making, carpet making, rugs making, namda making में माहर है। इस लिये इस आदमी को temporarily रखा गया, इस लिये रखा गया कि वह यह सारे कामों को पूरा कर सकेगा। उस की जो technical qualification है वह भी मैं आप को बतला दूं कि :—

(1) He has worked as an Organiser on All-India Spinners Association Kashmir Branch, Srinagar, for ten years.

(2) Production Manager and Technical Instructor to C. N. Hadow Co., Srinagar, Carpet, Druggets and woollen goods, for four years.

(3) Prime Minister, Kashmir, ने उन को as a Technical Officer for Kashmir Arts Emporium appoint किया और इस में इन का 3 साल का तजरुबा है।

(4) इस के अलावा इस को as Manager in Government Carpet Factory, Srinagar, में भी 2 साल का तजरुबा है। 17 मार्च, 1957, तक, यानी उस की 19 साल की मुख्तलिफ़ किसम की Technical Service है, जिस में उसे मुखतलिफ़ किसम का experience हासिल है। क्योंकि इन को Public Service Commission ने select नहीं किया है, काम चलाने के लिये directly लिया है, आज यह कहना कि unqualified आदमी लगाये जाते हैं और यह कहना कि किसी party basis पर लगाये जाते हैं जिस में कि वह काम करते हैं, ठीक नहीं है। जहां

[योजना मंत्री]

तक इस किस्म के cases का ताल्लुक है मैं अर्ज करूंगा कि इस को exception ना बनाया जाये। मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि वह किसी Minister का रिश्तेदार नहीं है और ना ही वह किसी Minister के असर में है। अगर कोई असर हो सकता है तो वह ताल्लुक supervisory position में काम करने की वजह से contact हो सकता है। वह तो है ही मगर मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि वह मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। वह एक technical hand है और मैं उस के काम की कदर करता हूं।

दूसरी बात है Fire Officers in the Civil Defence Department की। पिछले Session में भी यह बात आई थी और मैं ने Comrade Ram Chandra और श्री प्रबोध चन्द्र को उस वक्त कहा था कि आप इसे वापिस ले लें; अगर इस को discuss ही करना है तो आप इसे House में discuss न करें, आप इसे मेरे साथ House के बाहर विचार करें, मैं आप को clear कर दूंगा। पण्डित श्री राम जी भी मेरे पास आये, उन्होंने भी एक दो बातें की थीं, मगर उन्होंने fire defence की कोई बात नहीं की। अगर वह कोई इस किस्म की बात करते, तो मैं ज़रूर उस वक्त ही जवाब देता। अगर आपस में बैठ कर किसी चीज़ को सुलझाया जा सकता हो तो क्यों न ऐसा किया जाये। मगर जब इस किसम की बातें House में आ जाती हैं तो इस के जवाब में कुछ कहना पड़ता है। इस तरह से तो एक दूसरे की position awkward हो जाती है। अगर हम एक काम को बैठ कर सुलझा सकते हैं तो ऐसा करने में क्या हरज है।

मौलवी अब्दुल गनी डार : जो बात डाक्टर साहिब अब फरमा रहे हैं, वह तो इन्होंने वापस ले ली है। इस का जवाब देने का क्या फायदा?

अध्यक्ष महोदय : वापस मेरी इजाज़त से तो नहीं ली। आप क्यों कह रहे हैं? (He did not withdraw it with my permission. Why does the hon. Member say so?)

Mr. Speaker : It cannot be withdrawn partially. The whole Resolution can be withdrawn.

Shri Prabodh Chandra : Sir, I withdraw the whole Resolution.

Mr. Speaker : Doctor Sahib, the time is over. The hon. Member wants to withdraw the whole Resolution.

Is it the pleasure of the House that the Resolution be withdrawn?

(*Voices* : No, no.)

Mr. Speaker : Question is—

That the order of the Governor relating to the additions to Schedules 'A' and 'B' referred to in regulations 3(b) and 5 (f), respectively, of the Punjab Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1955, namely :—

SCHEDULE A

(15) Fire Officers in the Civil (Home) Defence Department.

(16) Assistant Registrar of the Medical College, Amritsar.

(18) Technical Organiser in the Industries Department.

Officer-in-charge, National Discipline Scheme in the Education Department.

SCHEDULE B

(7) Consolidation Officers in the Consolidation of Holdings Department, Punjab, appointed up to the 31st March, 1956, and thereafter.

be repealed.

After ascertaining the votes of the House by voices, Mr. Speaker said "I think the Noes have it". This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those Members who challenged the decision and supported the claim for a division to rise in their places, declared that the division was unnecessarily claimed.

The motion was lost.

ANNOUNCEMENT BY THE SECRETARY

Mr. Speaker : Now the Secretary will make some announcement.

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table a statement showing the Bill which were passed by the Punjab State Legislature during its Session in October, 1957, and in this present Session and which have been assented to by the President/Governor.

STATEMENT

1. The Punjab Ware-houses Bill, 1957.
2. The Punjab Appropriation (No. 1) Bill, 1958.
3. The Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1958.

(*The Sabha then adjourned* sine die)

816 PVS—344—9-6-59 CP&S., Pb., Chandigarh

352

ਮਿਸਲ ਵਿਚਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਮਿਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਮਾਂ	
'A', 'B' or 'C' proceedings in which the file was recorded and its retention period	
ਕੀ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟ ਸ਼ਾਖਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੋਟ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ	
whether note regarding case has been kept in the Branch/Sectional Note Book or not	
ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	
Initials of the concerned Assistant	
ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ	
Initials of the Recorder	

ਪਿਛਲੇ ਹਵਾਲੇ Previous References	ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ Later References